दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **11**

- नमामि गंगे परियोजना 11
- ऑनलाइन शिक्षा: चुनौती और संभावनाएँ 11
- MyGov कोरोना हेल्पडेस्क को CogX- 2020 पुरस्कार 13
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये फैलोशिप कार्यक्रम 14
- 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना 15
- अटॉर्नी जनरल: शक्तियाँ और सीमाएँ 16
- फ्रेंड्स ऑफ पुलिस: अवधारणा और महत्त्व 18
- आपराधिक कानून सुधार पर समिति 19
- इंडिया टीबी रिपोर्ट- 2020 21
- ज़ूनोटिक बीमारियों पर सयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 23
- मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रूबेला की समाप्ति 25
- एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ 26
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 27
- आंध्र प्रदेश राज्य निवार्चन आयुक्त विवाद 28
- भारत में सर्पदंश से हुई मौत 29
- Cycles4Change चैलेंज 31
- चुनाव स्थगन से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ 33
- 'सोरायसिस की दवा- इटोलिज़ुमैब' 34
- दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलेगा SC/ST उम्मीदवारों के समान लाभ 35
- नौवहन सहायता विधेयक, 2020 का मसौदा 36
- श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर विवाद 37
- नए वाहन पंजीकरण के लिये FATag विवरण 39
- सतत् विकास लक्ष्यों की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 40
- COVID-19 महामारी के बाद की चिकित्सा जटिलताएँ 41
- भारत में गरीबी की स्थिति दर्शाती VNR रिपोर्ट 42
- वन नेशन वन वोटर कार्ड 45
- सक्रिय दवा सामग्री पर TIFAC की सिफारिशें 46
- दल बदल विरोधी कानून और न्यायिक समीक्षा 47

नोट :

- केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1968 49
- ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये सहायता अनुदान 50
- पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया में नई बाधाएँ 52
- हरियाणा की समय पूर्व रिहाई संबंधी नीति 53
- समाधान से विकास' 54
- कोरोनावायरस वैक्सीन के विकास में प्राथमिक सफलता 55
- गरीबी के संदर्भ में UNDP रिपोर्ट 57
- दिल्ली सीरो-सर्वेक्षण 60
- मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका को DDT की आपूर्ति 61
- महामारी में ग्राम पंचायतों का प्रशासन 63
- न्यायेत्तर हत्याएँ 64
- प्ली बारगेनिंग 66
- सामुदायिक कैंटीन 2.0 68
- डिजिटल जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम: डेटा 70
- स्थानीय निकायों के लिये ऑडिट ऑनलाइन 71
- मानव परीक्षण 72
- राज्यपाल और उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ 76
- स्थानीय निकायों के लिये ऑडिट ऑनलाइन 78
- मानव परीक्षण 79
- राज्यपाल और उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ 83
- मराठा कोटा 84
- सरकारी विज्ञापनों का विनियमन 86
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 87
- डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट, 2020 90
- विरोध करना एक मौलिक अधिकार है: संयुक्त राष्ट्र 91
- उपभोक्ता आहार पर महामारी का प्रभाव 93
- दसवीं अनुसूची के तहत विलय 94
- एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम 95
- डेयरी क्षेत्र में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग 96
- सीमा पर स्थित ग्रामों में पर्यटन 98

आर्थिक घटनाक्रम 99

- विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 99
- ICDS, PDS योजनाओं में मोटे अनाज का वितरण 100
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 102
- विशेष तरलता योजना 103

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ रेलवे में निजी ट्रेनों का परिचालन 104
➢ भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में संकुचन 105
➢ 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' 106
➢ राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की कुल खरीद में वृद्धि 107
➢ CBDT और EBIC का विलय नहीं 108
➢ मनरेगा: कार्य दिवसों में वृद्धि की आवश्यकता 110
➢ भारतीय रेलवे का 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्य 111
➢ लघु जोतधारक तथा कृषि विपणन 112
➢ चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण की पद्धति 115
➢ खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि 116
➢ धान-कृषि की निगरानी के लिये एप: पैडी वॉच 117
➢ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष 118
➢ बासमती चावल को GI टैग देने की मांग 120
➢ ट्रेनों की वास्तविक समय निगरानी के लिये रणनीति 122
➢ तमिलनाडु शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य 123
➢ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 124
➢ घाटे के वित्तीयन का एक उपकरण: प्रत्यक्ष मौद्रीकरण 126
➢ छोटे हथियारों के आयात पर चिंता 127
➢ रूसी मूल के भारतीय सैन्य उपकरण 128
➢ कृषि अवशेषों का दहन और प्रदूषण 129
➢ सोने की कीमतों में वृद्धि और महामारी 130
➢ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 131
➢ RBI की स्वायत्तता में कमी: उर्जित पटेल 133
➢ भारत-श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय समझौता 134
➢ ई-कॉमर्स के लिये 'उत्पादों के मूल देश' 136
➢ NRIs के लिये FDI मापदंडों में संशोधन 136
➢ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर आयात शुल्क संबंधी विवाद 138
➢ राज्यों को GST क्षतिपूर्ति का भुगतान 139

अंतर्राष्टीय घटनाक्रम 141

➢ विवादित क्षेत्र: गलवान घाटी 141
➢ चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी 142
➢ हागिया सोफिया संग्रहालय: इतिहास और विवाद 143
➢ नैटान्ज़: ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधा 145
➢ भूटान के क्षेत्र पर चीन का दावा 146
➢ एनरिका लेक्सी' विवाद का अंतिम निर्णय 147

नोट :

The Vision

➢ इतालवी मरीन मामला: एक सबक 149
➢ अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से संबंधित नए नियम 151
➢ हॉन्गकॉन्ग विधायिका द्वारा राष्ट्रगान विधेयक पारित 153
➢ कुवैत में एक्सपैट (प्रवासी) कोटा बिल को मंज़ूरी 155
➢ ओपन स्काई समझौता 157
➢ हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे की समाप्ति 158
➢ आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 159
➢ भारत-EU समझौता 160
➢ अमेरिका-भारत रणनीति ऊर्जा भागीदारी 161
➢ कतर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय 164
➢ संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन 165
➢ PASSEX नौसैनिक मार्ग अभ्यास 167
➢ तीसरी G-20 FMCBG बैठक 168
➢ अमेरिका-चीन तकनीक युद्ध 169
➢ 'क्वाड पहल' को पुनर्जीवित और विस्तारित करने की आवश्यकता 171
➢ LAC के संदर्भ में चीन के दावे में अंतर 172
➢ चीन द्वारा भूटान को भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव 174
➢ G-20 वर्चुअल बैठक 175
➢ इंडिया आइडियाज़ समिट 177
➢ सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने संबंधी नियमों में सख्ती 178
➢ श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा 180
➢ मुक्त व्यापार समझौता: भारत और ब्रिटेन 181
➢ भारत-इंडोनेशिया: सैन्य संबंध 182
➢ हॉन्गकॉन्ग प्रत्यर्पण संधि का निलंबन 184
➢ यूरोपीय यूनियन रिकवरी डील 185
➢ मॉरीशस का नया सर्वोच्च न्यायालय भवन 187

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 190

➢ गोल्ड नैनोपार्टिकल्स 190
➢ भारत का पहला प्लाज़्मा बैंक 191
➢ अकार्बनिक-कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण 192
➢ ड्रग डिस्कवरी हैकेथोन 2020 192
➢ जैव ईंधन आपूर्ति शृंखला 193
➢ राष्ट्रीय भू-अनुसंधान विद्वान बैठक 194
➢ कुइझोउ-11 196
➢ गैर-व्यक्तिगत डेटा 198

नोट :

➢ ब्लैकरॉक एंड्रॉइड मैलवेयर 200
➢ काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना 201
➢ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 203
➢ अंतर-ग्रहीय संदूषण: अंतरिक्ष मिशन संबंधी एक बड़ा खतरा 204
➢ चेचक की उत्पत्ति पर नवीनतम शोध 206
➢ PLpro प्रोटीन और SARS-CoV-2 वायरस 207

पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी 209

➢ सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी का पुनर्गठन 209
➢ शिवालिक वन को टाइगर रिज़र्व घोषित करने का प्रस्ताव 210
➢ ई-कचरा और भारत 211
➢ वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग 212
➢ कार्बन उत्सर्जन 213
➢ काज़ीरंगा नेशनल पार्क और असम की बाढ़ 215
➢ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 216
➢ राष्ट्रीय उद्यानों में ड्रिलिंग: चिंता का विषय 218
➢ तिलारी संरक्षण रिज़र्व 219
➢ मौसम आधारित आपदाओं की संख्या में वृद्धि 220
➢ बाघ संगणना- 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट 221
➢ प्लास्टिक अपशिष्ट: एक चुनौती के रूप में 223
➢ ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 224
➢ हरियाणा में एरियल सीडिंग 226
➢ यमुना में अमोनिया का उच्च स्तर 227

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 229

➢ भूकंप और दिल्ली-एनसीआर 229
➢ असम में बाढ़: कारण और प्रभाव 231
➢ चंद्रमा पर विशाल मात्रा में धातु की उपस्थिति 232
➢ भूकंप की भविष्यवाणी के लिये नया गणितीय मॉडल 233
➢ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष 235
➢ अरुणाचल हिमालय का भूकंपीय अध्ययन 236

सामाजिक न्याय 238

➢ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2020 रिपोर्ट 238
➢ गुजरात का राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय 239
➢ महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन 240

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ जनसंख्या वृद्धि 241
➢ ज़ीरो हंगर' प्राप्त करने की चुनौती और कुपोषण की समस्या 244
➢ राजस्व गाँव 245
➢ राजस्थान में अपूर्ण शिक्षा दिशा-निर्देश 248
➢ मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट 251
➢ बचपन बचाओ आंदोलन 252
➢ प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा संख्या का विचार 253
➢ महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन 254
➢ मध्य प्रदेश में शिशु मृत्युदर में बढ़ोत्तरी 256

कला एवं संस्कृति 258

➢ रावण का विमानन मार्ग 258

आंतरिक सुरक्षा 260

➢ उत्तराखंड द्वारा भूमि हस्तांतरण को मंज़ूरी 260
➢ रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंज़ूरी 261
➢ द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 262
➢ विंटर डीज़ल 264
➢ भारत और CAATSA 265
➢ स्वाभिमान अंचल में पहली यात्री बस का संचालन 266
➢ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड 267
➢ NATGRID और NCRB के मध्य समझौता ज्ञापन 268
➢ लड़ाकू विमान: राफेल 269

चर्चा में 272

➢ ग्लोब्बा एंडरसोनी 272
➢ जी4 वायरस 272
➢ असम कीलबैक 273
➢ राजाजी नेशनल पार्क 273
➢ कोआला 274
➢ 'स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रेक' और 'इलूसिव प्रिंस' 275
➢ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 275
➢ ज़ीलैंडिया 276
➢ डायना पुरस्कार 276
➢ धम्म चक्र दिवस 277
➢ काकी 277

नोट :

दृष्टि The Vision

- बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र 278
- प्रेरक दौर सम्मान 279
- फिट है तो हिट है इंडिया 280
- वैखोमिया हीरा 280
- प्रशांत महासागर में खोजी गई चार नई प्रजातियाँ 281
- संयुक्त राज्य अमेरिका का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस 282
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 282
- निमू 283
- एलिमेंट्स मोबाइल एप 283
- देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य 284
- महाजॉब्स पोर्टल 285
- ज़ारदोज़ी 285
- गुणवत्तायुक्त सेवा के लिये सड़कों की रैंकिंग 286
- स्टेवियोसाइड 286
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 287
- नेशनल जीन बैंक 288
- राष्ट्रीय एटलस एंड थिमैटिक मानचित्रण संगठन 289
- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 289
- गोल्डन बर्डविंग 290
- कृषि अवसंरचना कोष 291
- बूबोनिक प्लेग 292
- इदलिब प्रांत 292
- रीवा सौर परियोजना 293
- भारत वैश्विक सप्ताह 2020 294
- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 294
- मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ 295
- भाषण चार द्वीप 295
- नेशनल फिश फार्मर्स डे 296
- असीम 296
- यूलोफिया ओबटुसा 297
- सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार-2019 298
- सी/2020 एफ3 299
- हाइड्रोजन चालित वाहन 299
- एटीएल एप डवलपमेंट मॉड्यूल 300
- बाढ़ प्रतिरोधी धान 301
- आरसीएफ सैफ्रोला 301

नोट :

- इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 302
- तांगम 302
- डॉल्फिन 303
- प्रज्ञाता दिशा-निर्देश 304
- सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड 305
- हेरॉन एवं स्पाइक-एलआर 306
- माता नी पछेड़ी 307
- न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन 308
- मेलघाट टाइगर रिज़र्व 308
- कोचीन पोर्ट का वल्लारपड़म टर्मिनल 309
- ताड़ गुड़ 310
- चितकबरा कोयल 311
- निष्ठा 312
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 312
- भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन 313
- एएसपीआईआरई 314
- होप 314
- स्वदेशी बग 315
- टी सेल प्रतिरक्षा 316
- बाथिनोमस रक्सासा 316
- मोबाइल एप कूर्मा 317
- इस्नोफिल गणना 318
- ज़ोरम मेगा फूड पार्क 318
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण 319
- क्षुद्रग्रह 2020 एनडी 320
- संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह 320
- माइन प्लाउ 320
- वानिकी में उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 321
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक-2020 321
- मनोदर्पण 322
- आरएआईएसई पहल 323
- रुमेटॉयड अर्थराइटिस 323
- मधुबनी चित्रकला 324
- हालोआर्चिआ 325
- यलो इंडियन बुलफ्रॉग 325
- मेटामैटेरियल्स 326

नोट :

- भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 326
- परिचालन मार्ग 327
- बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 328
- कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड 329
- डबल-स्टैक कंटेनरों के लिये दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग 330
- शहद परीक्षण प्रयोगशाला 331
- भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें 331
- वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 332
- नाग नदी 333
- हरिकेन हान्ना 333
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 334
- कश्मीरी केसर के लिये भौगोलिक संकेतक टैग 335
- शार्क 335
- साइक्लोस्पोरा 336
- बीआईएस-केयर 336
- डेयर टू ड्रीम 2.0 337
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस-2020 337
- ब्लू पॉपी 339
- मोबाइल एप 'मौसम' 339
- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व 340
- बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क योजना 341
- नटेश मूर्ति 341
- पम्पा नदी 342
- माउस लेमूर 342
- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 343
- वक्फ बोर्ड 343
- इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर 344
- अल्पाइन प्लांट 345

विविधि 346

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

नमामि गंगे परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए (400 बिलियम डॉलर) की 'नमामि गंगे परियोजना' (Namami Gange Project) को 45 अरब रुपए के फंड/ऋण को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- 45 अरब रुपए का यह ऋण विश्व बैंक द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये मंज़ूर किया गया है।
- नमामि गंगे/नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के पहले चरण जो कि दिसंबर 2021 तक है, के लिये विश्व बैंक से 4,535 करोड़ रूपए ($ 600 मिलियन) पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
- अब तक मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

ऋण/ फंड का उपयोग:

- विश्व बैंक से प्राप्त इस ऋण का उपयोग नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने एवं अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और सुधार के लिये किया जाएगा ।
- 45 अरब रुपए के इस ऋण में 11.34 अरब रुपए का उपयोग मेरठ, आगरा तथा साहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर तीन नए हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट (Hybrid Annuity Projects) बनाने में किया जाएगा।
- 1,209 करोड़ रुपए ($ 160 मिलियन) बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में चल रही DBOT (डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर) परियोजनाओं के लिये मंज़ूर किये गए हैं।

नमामि गंगे परियोजना:

- यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था।
- सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन,नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

ऑनलाइन शिक्षा: चुनौती और संभावनाएँ

चर्चा में क्यों ?

ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) में मौजूद सामाजिक असमानता को कम करने के लिये केंद्र सरकार दीर्घकालिक उपाय अपनाने पर विचार कर रही है, जिसमें आगामी पाँच वर्षों में देश भर के 40 प्रतिशत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट वितरित करना भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- COVID-19 महामारी के कारण देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का महत्त्व काफी बढ़ गया है, किंतु सामाजिक असमानता और डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) ऑनलाइन शिक्षा के समक्ष अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

नोट :

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) के अनुमानानुसार, महामारी के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने के लिये स्वच्छता और क्वारंटाइन उपायों हेतु प्रति स्कूल 1 लाख रुपए तक खर्च करने की आवश्यकता होगी।
- लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूलों, जिनके पास सूचना व संचार तकनीक (ICT) सुविधाएँ नहीं हैं, को ऐसी सुविधाओं से लैस करने के लिये केंद्र सरकार 55,840 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगी।
- MHRD ने आगामी पाँच वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री और संसाधनों के विकास एवं अनुवाद पर 2,306 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4.06 करोड़ छात्रों (देश की कुल छात्र संख्या का लगभग 40 प्रतिशत) को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की भी योजना बनाई है तथा इस कार्य के लिये कुल 60,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार, केंद्र और राज्य उपकरण उपलब्ध कराने की लागत को फिलहाल 60:40 के अनुपात में साझा करेंगे।

ऑनलाइन शिक्षा और COVID-19

- ध्यातव्य है कि देश में COVID-19 और इसके नियंत्रण हेतु लागू किये गए लॉकडाउन के कारण शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, विश्व में COVID-19 के किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में इस बीमारी के प्रसार को रोकना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा, ऐसे में हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में इसी के अनुरूप परिवर्तन करने होंगे।
- भारत में लॉकडाउन की शुरुआत से ही लगभग सभी शिक्षण संस्थाएँ शैक्षणिक कार्यों के लिये ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) अथवा ई-लर्निंग को एक विकल्प के रूप में प्रयोग कर रही हैं, ऐसे में देश की आम जनता के बीच ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- हालाँकि जहाँ एक ओर कई विशेषज्ञों ने मौजूदा महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा अथवा ई-लर्निंग को महत्त्व को स्वीकार किया है, वहीं कुछ आलोचकों का मत है कि ऑनलाइन शिक्षा, अध्ययन की पारंपरिक पद्धति का स्थान नहीं ले सकती है।

ई-लर्निंग अथवा ऑनलाइन शिक्षा

- ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं।

ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएँ और चुनौतियाँ

- COVID-19 महामारी से पूर्व भारतीय के अधिकांश शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा का कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है, ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिये अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना और छात्रों को अधिक-से-अधिक शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी।
- वर्तमान समय में भी भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, देश में अब भी उन छात्रों की संख्या काफी सीमित है, जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अत: ऐसे छात्रों के लिये ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है।
- शिक्षकों के लिये भी तकनीक एक बड़ी समस्या है, देश के अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने प्रशिक्षित नहीं है कि औसतन 30 बच्चों की एक ऑनलाइन कक्षा आयोजित कर सकें और उन्हें ऑनलाइन ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकें।
- इंटरनेट पर कई विशेष पाठ्यक्रमों या क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी अध्ययन सामग्री की कमी होने से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- कई विषयों में छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा (Practical Learning) की आवश्यकता होती है, अत: दूरस्थ माध्यम से ऐसे विषयों को सिखाना काफी मुश्किल होता है।

नोट :

आगे की राह

- शिक्षण क्षेत्र पर COVID-19 और लॉकडाउन के प्रभाव ने शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण माध्यमों के नए विकल्पों पर विचार करने हेतु विवश कर दिया है।
- भारत में ई-शिक्षा अपनी शैशवावस्था में है, आवश्यक है कि इसकी राह में मौजूद विभिन्न चुनौतियों को संबोधित कर ई-शिक्षा के रूप में एक नए शिक्षण विकल्प को बढ़ावा दिया जाए।
- टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से देश के दूरस्थ भागों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

MyGov कोरोना हेल्पडेस्क को CogX- 2020 पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के 'MyGov कोरोना हेल्पडेस्क' ने दो श्रेणियों में CogX-2020 पुरस्कार जीते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ये पुरस्कार MyGov के तकनीकी भागीदार जिओ हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Jio Haptik Technologies Limited) द्वारा जीते गए हैं।
- 'MyGov कोरोना हेल्पडेस्क' ने दो श्रेणियों; प्रथम COVID -19 के लिये सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में तथा द्वितीय पीपुल्स च्वाइस COVID-19 (समग्र विजेता) की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

CogX:

- CogX कृत्रिम बुद्धिमता (ArtifiCial Intelligence) पर आयोजित किये जाने विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है।
- प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किये जाने इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं।
- CogX पुरस्कार, कृत्रिम बुद्धिमता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है।

MyGov:

- MyGov भारत सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक संबद्धता मंच है।
- यह सरकार और नागरिक के बीच दो-तरफा संचार की सुविधा देता है।
- यह सहभागी शासन का एक प्रमुख मंच है।

MyGov कोरोना हेल्पडेस्क:

- सहभागी पार्टीज़:
  - कोरोना हेल्पडेस्क को COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में MyGov, जिओहैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और WhatsApp के सहयोग से विकसित किया है।
  - यह कृत्रिम बुद्धिमता आधारित हेल्पडेस्क है जिसे 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया है।
- PPPP मॉडल पर आधारित:
  - MyGov कोरोना हेल्पडेस्क सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक भागीदारी (Public, Private and Public Partnership- PPPP) का आदर्श उदाहरण है।
  - MyGov द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान की गईं हैं तथा बुनियादी सुविधाओं सहित तकनीकी समाधान जिओ हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित और तैनात किये गए हैं।

नोट :

- द्विमार्गी संवाद:
  - MyGov कोरोना हेल्पडेस्क' के चैटबोट (कृत्रिम बुद्धिमता पर आधारित मैसेजिंग एप) को 76 मिलियन से अधिक संदेश प्राप्त हुए हैं और 41 मिलियन से अधिक संदेशों पर कदम उठाया गया तथा यह COVID-19 महामारी के संबंध में नवीनतम सूचना प्रदान करके 28 मिलियन से अधिक भारतीयों को लगातार मदद कर रहा है।

निष्कर्ष:

- MyGov नागरिकों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इस उद्देश्य के साथ विकसित 'MyGov कोरोना हेल्पडेस्क' ने COVID-19 महामारी के दौरान वास्तव में लोगों तक पहुँच बनाने तथा संबंद्धता स्थापित करने में मदद की है।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये फैलोशिप कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये फैलोशिप कार्यक्रम (Fellowship Programme for International Students- FPIS) हेतु गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक और प्रॉस्पेक्टस (Prospectus) जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- सार्क देशों के साथ- साथ अन्य देशों के छात्रों के लिये कॉमन फेलोशिप प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD)/मास्टर इन सर्जरी (MS) के बाद के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम (FPIS) शुरू किया जा रहा है।
  - FPIS, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board Of Examination- NBE) का कार्यक्रम है।
  - यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा को शीर्ष पर लेकर जाएगा।
- राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board Of Examination- NBE) के प्रमुख डिप्लोमैट्स ऑफ नेशनल बोर्ड (Diplomates of National Board- DNB) में, आधुनिक चिकित्सा के विषय और उप-विशेषज्ञताएँ शामिल हैं।
  - इसमें वृहत् रूप से DNB, निजी और सरकारी संस्थानों में उप-विशेषज्ञताओं में सुपर स्पेशलिटीज़ और फैलोशिप कार्यक्रम शामिल हैं।
- गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक, DNB रेज़ीड़ेंट को मार्गदर्शक बिंदु प्रदान करने का एक प्रयास है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड:

- NBE, की स्थापना वर्ष 1975 में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के एक विंग के रूप में, हुई थी।
  - इसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं को आयोजित कराना है।
- वर्ष 1982 में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च मानक स्नातकोत्तर परीक्षाओं का आयोजन करना, पात्रता के लिये बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तैयार करना, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम विकसित करना और जिन संस्थानों में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें मान्यता प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत नामांकित छात्रों को डिप्लोमैट्स ऑफ नेशनल बोर्ड कहा जाता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (National Academy Of Medical Science-NAMS):

- इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के तहत 21 अप्रैल, 1961 को 'भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी' के रूप में पंजीकृत किया गया था।
  - इस अधिनियम के तहत वैज्ञानिक शैक्षणिक, धर्मार्थ एवं कल्याणार्थ हेतु निर्मित समितियों के पंजीकरण एवं प्रत्येक पाँच वर्ष बाद पंजीकृत समितियों के नवीनीकरण का कार्य किया जाता है।
  - भारत में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी पंजीकरण और संचालन के लिये कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है।

- इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1961 को नई दिल्ली में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
- 16 नवंबर, 1976 को भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर अकादमी का पुन: नाम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (भारत) किया गया।

'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना

चर्चा में क्यों?

देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिये 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology-DST) के तहत सांविधिक निकाय 'विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड' (Science and Engineering Research Board- SERB) द्वारा 'एक्सीलेरेट विज्ञान' (Accelerate Vigyan) योजना की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- योजना के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा।
- SERB की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है।

'एक्सीलेरेट विज्ञान' (Accelerate Vigyan) योजना:

उद्देश्य:

- योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रमशक्ति तैयार करना है, ताकि अनुसंधान-आधारित करियर और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।
- राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की पहचान करने वाले तंत्र को आरंभ करना तथा मज़बूती प्रदान करना।

दृष्टिकोण:

- योजना का मूल दृष्टिकोण अनुसंधान के आधार को विस्तृत करना है।

योजना के लक्ष्य:

- योजना के तीन व्यापक लक्ष्य निम्नलिखित हैं:
  - वैज्ञानिक कार्यक्रमों का सामेकन करना;
  - हाई-एंड अनुसंधान कार्यशालाओं की शुरुआत करना:
  - जिन लोगों की अनुसंधान कार्यशालाओं तक पहुँच न हो उनके लिये अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना।

योजना के प्रमुख घटक:

'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना के 2 प्रमुख घटक (Component) हैं:

1. अभ्यास (ABHYAAS)
2. सम्मोहन (SAMMOHAN)

1. 'अभ्यास' (ABHYAAS) घटक:

- 'अभ्यास' (ABHYAAS)'; 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका लक्ष्य स्नातकोत्तर (Post-Graduate) एवं पीएचडी के छात्रों को उनके संबंधित विषयों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।
- इस कार्यक्रम के दो उप-घटक 'कार्यशाला' (KARYASHALA) और 'वृत्तिका' (VRITIKA) हैं:

नोट :

- 'कार्यशाला' (KARYASHALA):
  - यह एक हाई-एंड वर्कशॉप के रूप में कार्य करेगी।
- 'वृत्तिका' (VRITIKA):
  - यह रिसर्च इंटर्नशिप कार्यक्रम है।
  - हाल ही में 'कार्यशाला' और 'वृत्तिका' घटकों के तहत शीतकालीन सत्र (दिसंबर 2020 से जनवरी 2021) के लिये आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

2. सम्मोहन (SAMMOHAN) घटक:

- 'सम्मोहन' घटक कार्यक्रम के 2 उप-घटक संयोजिका (SAONJIKA) और संगोष्ठी (SANGOSHTI) हैं।
- संयोजिका (SAONJIKA):
  - इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है।
- संगोष्ठी (SANGOSHTI):
  - संगोष्टी, SERB का पूर्व में संचालित किया जा रहा कार्यक्रम है।

मिशन मोड के तहत कार्यान्वयन:

- 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना को मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
  - मिशन मोड परियोजनाओं को एक तय समय सीमा में पूरा करना होता है तथा प्राप्त किये गए लक्ष्यों के परिणामों के मापन के स्पष्ट मानक होते हैं
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक 'अंतर मंत्रालयी निरीक्षण समिति' (Inter-Ministerial Overseeing Committee- IMOC) का गठन किया गया है।
  - IMOC योजना को कार्यान्वित करने में SERB की सहायता और समर्थन प्रदान करेगा।

योजना का महत्त्व:

- योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे आगामी पाँच वर्षों में करीब 25 हज़ार स्नातकोत्तर एवं पीएचडी छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
- योजना देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।
- भारत में शैक्षणिक प्रयोगशालाएँ बहुत खराब स्थिति में है। योजना के तहत सुरक्षित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

निष्कर्ष:

- प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की की दिशा में शुरू की गई 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना देश में क्षमता निर्माण की दृष्टि से सभी हितधारकों के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है। यह योजना देश के वैज्ञानिक समुदाय की सामाजिक ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करने का भी एक प्रयास है।

अटॉर्नी जनरल: शक्तियाँ और सीमाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल (Attorney General-AG) के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि 30 जून, 2017 को के.के. वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिये भारत का 15वाँ अटॉर्नी जनरल (AG) नियुक्त किया गया था, उनका पहला कार्यकाल बीते दिनों 30 जून, 2020 को समाप्त हो गया था।
    - 15वें अटॉर्नी जनरल (AG) के रूप में इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी।
- के. के. वेणुगोपाल के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Solicitor-General) तुषार मेहता के कार्यकाल का भी तीन वर्ष के लिये विस्तार किया गया है।

के. के. वेणुगोपाल के बारे में

- के. के. वेणुगोपाल का जन्म वर्ष वर्ष 1931 में हुआ था और उन्होंने एक अधिवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1954 में की थी।
- गौरतलब है कि के. के. वेणुगोपाल को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।

अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (AG) भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है।
- भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल (AG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये उन योग्यताओं का होना अनिवार्य है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये आवश्यक है।
- सरल शब्दों में कहें तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
- गौरतलब है कि संविधान में अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है, हालाँकि राष्ट्रपति द्वारा कभी भी उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर पदमुक्त हो सकता है।
    - संविधान निर्माण की बहस के दौरान एक सदस्य द्वारा इस ओर ध्यान इंगित किया गया था कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ उनके अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाना चाहिये, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, हालाँकि इस संशोधन प्रस्ताव को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था।
- संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

अटॉर्नी जनरल- कार्य और शक्तियाँ

- भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
- विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
    - उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
    - भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।
- संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना।

नोट :

अटॉर्नी जनरल- अधिकार

- केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है।
- वहीं अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का भी अधिकार होता है।
    - एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं।

अटॉर्नी जनरल- सीमाएँ

- अटॉर्नी जनरल (AG) भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है।
- जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, वह उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है।
- भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है।
- भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है।

फ्रेंड्स ऑफ पुलिसः अवधारणा और महत्त्व

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' (Friends of Police-FoP) की सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए दो व्यापारियों की मृत्यु (Custodial Death) और यातना की घटना के बाद लिया है, क्योंकि जाँच के दौरान इस घटना में कुछ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस (FoP) स्वयंसेवकों की भूमिका भी पाई गई है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल तमिलनाडु पुलिस ने दोनों लोगों को 19 जून की रात कथित तौर पर COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकानों को अनुमति की अवधि से अधिक समय के लिये खोलने हेतु गिरफ्तार किया था।
- गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस ने दोनों लोगों को बेरहमी से पीटा और हिरासत में रहते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें अत्यधिक यातनाएँ दी गईं, इसके बाद दोनों लोगों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई।
- तमिलनाडु की अपराध जाँच शाखा द्वारा दोनों लोगों की पुलिस यातना के कारण हुई मृत्यु की जाँच करने पर कुछ FoP स्वयंसेवकों की भूमिका भी सामने आई है, जो दैनिक कार्यों में पुलिस अधिकारियों की सहायता कर रहे थे।

'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' की अवधारणा

- फ्रेंड्स ऑफ पुलिस (FoP) एक सामुदायिक पुलिसिंग पहल और एक संयुक्त सरकारी संगठन (JGO) है जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता को करीब लाना है।
- एक स्वयंसेवा प्रणाली के रूप में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस (FoP) की शुरुआत वर्ष 1993 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले से हुई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, पूरे तमिलनाडु के सभी पुलिस थानों में लगभग 4000 सक्रिय FoP स्वयंसेवी सदस्य हैं।
- FoP स्वयंसेवी राज्य के आम लोगों में अपराध जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और राज्य पुलिस प्रशासन को अपराधों की रोकथाम में सक्षम बनाते हैं।
- इसके साथ ही यह पुलिस के काम में निष्पक्षता, पारदर्शिता और तटस्थता लाने का भी प्रयास करते हैं।

'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' (FoP) का उद्देश्य

- पुलिस सेवाओं को समुदाय में रहने वाले आम लोगों तक पहुँचाना।
- आम लोगों को सामुदायिक पुलिसिंग में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना।
- पुलिस और समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाना।

नोट :

- राज्य की पुलिस सेवा को और अधिक पेशेवर तथा समुदाय उन्मुख बनाना।
- पुलिस अधिकारियों को राज्य के साथ-साथ समुदाय के प्रति भी जवाबदेह बनाना।
- पुलिस में जनता के खोए हुए विश्वास को बहाल करने में सहायता करना।

'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' अवधारणा का महत्त्व

- विशेषज्ञ मानते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' (FoP) की अवधारणा एक समग्र रूप से उपयोगी अवधारणा है।
- साथ ही आम जनता के बीच पुलिस की छवि को बदलने तथा राज्य के पुलिस बल को मज़बूत करने हेतु यह अवधारणा काफी उपयोगी साबित हो रही है।
- इस अवधारणा को राज्य के पुलिस बल और आम जनता के बीच एक सेतु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' की आलोचना

- राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' (FoP) स्वयंसेवकों की कार्यक्षमता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहाँ पुलिस अधिकारी FOP स्वयंसेवकों को एक सहायक के रूप में देखते हैं।
    - इन क्षेत्रों में FOP स्वयंसेवकों का प्रयोग केवल चाय या भोजन खरीदने, वाहन की जाँच में मदद करने, ज़ब्त वाहनों को थाने तक ले जाने और स्थानीय लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिये ही किया जाता है, जहाँ वे अधिकारियों के आदेश मानने हेतु बाध्य होते हैं।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और इसका महत्त्व

- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, पुलिस के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है। इसके तहत एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है, जिसमें आम नागरिक समुदाय की सुरक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- सामुदायिक पुलिसिंग से अपराधों की सुभेद्यता की पहचान करना संभव हो जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानव तस्करी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करना भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
- गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों ने सामुदायिक पुलिस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें तमिलनाडु के 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' (FoP), असम में 'प्रहरी' (Prahari) और बंगलुरु सिटी पुलिस की 'स्पंदन' (Spandana) नामक पहल शामिल हैं।

आपराधिक कानून सुधार पर समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आपराधिक कानून में सुधार के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- आपराधिक कानून में सुधार के लिये गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की समिति में दिल्ली की 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' के कुलपति रणबीर सिंह सहित न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
- यह समिति विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट के लिये ऑनलाइन राय एकत्रित करेगी।
- रिपोर्ट की यह प्रक्रिया 4 जुलाई, 2020 से शुरू होगी और अगले तीन महीने तक चलेगी।

आपराधिक न्याय प्रणाली की पृष्ठभूमि:

- भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण (Codification) ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था जो कमोबेश 21वीं सदी में भी उसी तरह ही है।

- लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले (Lord Thomas Babington Macaulay) को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है।
  - वर्ष 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर एक्ट-1833 के तहत वर्ष 1860 में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण के लिये मसौदा तैयार किया गया था। और इसे वर्ष 1862 के शुरुआती ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू किया गया।
- भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) आदि के तहत संचालित होते हैं।

सुधार की आवश्यकता:

- औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून: आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था न कि नागरिकों की सेवा करने के लिये।
- प्रभाव-शून्यता: आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था किंतु आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक उपकरण बन गई है।
- विचाराधीन आपराधिक मामलों का बढ़ता बोझ: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, न्यायिक प्रणाली में (विशेष रूप से ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में) लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं।
- अंडरट्रायल मामलों की बढ़ती संख्या: भारत, दुनिया के सबसे अधिक अंडरट्रायल कैदियों की संख्या वाला देश है।
  - वर्ष 2015 की एनसीआरबी-प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (NCRB-Prison Statistics India) के अनुसार, जेल में बंद कुल जनसंख्या का 67.2% अंडरट्रायल कैदी हैं।
- जाँच पड़ताल में देरी: भ्रष्टाचार, काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही न्याय की तेज़ और पारदर्शी न्याय देने में एक बड़ी बाधा है।
- माधव मेनन समिति: इस समिति ने वर्ष 2007 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System of India-CJSI) में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशों का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- मालीमठ समिति की रिपोर्ट: इस समिति ने वर्ष 2003 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (CJSI) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  - इस समिति ने कहा था कि मौजूदा प्रणाली 'अभियुक्तों के पक्ष में अधिक झुकी हुई है और इसमें अपराध पीड़ितों के लिये न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
  - इस समिति ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली (CJSI) में सुधार हेतु विभिन्न सिफारिशें प्रदान की हैं किंतु इन्हें लागू नहीं किया गया था।

सुधार के सुझाव:

- 'आपराधिक कानून' को एक राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है इसलिये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी संशोधन को कई सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये।
  - अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिये कानूनों में सुधार हेतु 'पीड़ित होने का कारण' पर खास तौर पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। उदाहरण: पीड़ित एवं गवाह संरक्षण योजनाओं का शुभारंभ, अपराध पीड़ित बयानों का उपयोग, आपराधिक परीक्षणों में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे एवं पुनर्स्थापन हेतु पीड़ितों की पहुँच में वृद्धि।
- नए अपराधों के निर्माण और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये जो पिछले चार दशकों में काफी बदल गए हैं।
  - उदाहरण: 'दंड की डिग्री' (Degree of Punishments) देने के लिये आपराधिक दायित्व को बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। नए प्रकार के दंड जैसे- सामुदायिक सेवा आदेश, पुनर्स्थापन आदेश तथा पुनर्स्थापना एवं सुधारवादी न्याय के अन्य पहलू भी इसकी तह में लाए जा सकते हैं।

- अपराधों का वर्गीकरण भविष्य में होने वाले अपराधों के प्रबंधन के लिये अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिये।
    - IPC के कई अध्यायों में दुहराव की स्थिति हैं। लोक सेवकों के खिलाफ अपराध, अधिकारियों की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार पर अध्यायों को फिर से परिभाषित एवं संकुचित किया जा सकता है।
- किसी कार्य को एक अपराध के रूप में सूचीबद्ध करने से पहले पर्याप्त बहस के बाद ही मार्गदर्शक सिद्धांतों को विकसित किया जाना चाहिये।
    - असैद्धांतिक अपराधीकरण न केवल अवैज्ञानिक आधार पर नए अपराधों के निर्माण की ओर जाता है बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मनमानी भी करता है।
- एक ही तरह के अपराधों के लिये अलग-अलग तरीके से सजा का प्रावधान और सजा की प्रकृति को तय करने में न्यायाधीशों का विवेक 'न्यायिक पूर्वदाहरण' या 'न्यायिक मिसाल' (Judicial Precedent) के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये।

आगे की राह:

- भारत को एक स्पष्ट नीति मसौदा तैयार करना होगा जो मौजूदा आपराधिक कानूनों में परिकल्पित किये जाने वाले परिवर्तनों की सूचना दे। इसके लिये पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका एवं जेल सुधार को एक साथ करने की आवश्यकता होगी।
- आपराधिक कानूनों में सुधार, मुख्य रूप से समाज में शांति लाने के लिये 'सुधारवादी न्याय' पर आधारित होना चाहिये।

इंडिया टीबी रिपोर्ट- 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक (टीबी) रिपोर्ट, 2020 (Annual Tuberculosis Report, 2020) जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इंडिया टीबी रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी (क्षय) मरीज़ों को अधिसूचित/चिन्हित किया गया है जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में टीबी-एचआईवी से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जिसमे कुल 9% मरीज़ शामिल हैं।
    - इंडिया टीबी की रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, हर वर्ष देश में टीबी-एचआईवी सह-संक्रमण से लगभग 9,700 लोगों की मृत्य हो जाती है।
    - इंडिया टीबी रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, देश में कुल 92000 ऐसे लोगों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें टीबी-एचआईवी एक साथ है।
    - सभी अधिसूचित टीबी रोगियों में एचआईवी जाँच को लेकर जागरूकता का स्तर वर्ष 2019 में 81% हो गया जो वर्ष 2018 में 67% था।
- पिछले दो वर्षों में टीबी रोगियों में उपचार की सफलता दर 70-73% के आसपास रही है। जबकि वर्ष 2014-2016 में यह 76 और 77 % के बीच रही थी।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के कुल मामलों में से 20 % मधुमेह से पीड़ित लोगों के भी हैं।
    - वर्ष 2019 में, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अधिसूचित टीबी रोगियों में 64 प्रतिशत रोगियों की रक्त शर्करा की जाँच की गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, तम्बाकू के उपयोग के कारण 8% टीबी मामलों में वृद्धि देखी गई है जबकि वर्ष 2018 में यह 4 % थी।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी भी 0.54 मिलियन टीबी की आबादी को अधिसूचित नहीं किया गया है जो एक चिंता का विषय है।

राज्य तपेदिक/टीबी सूचकांक:

- तपेदिक के कुल मामलों में आधे से अधिक वाले पाँच शीर्ष राज्य:
    - उत्तर प्रदेश (20%), महाराष्ट्र (9%), मध्यप्रदेश (8%) राजस्थान (7%) और बिहार (7%) हैं।
    - रिपोर्ट के अनुसार, देश में तपेदिक के कुल आधे से अधिक मामले उपर्युक्त पाँच राज्यों में देखे गए हैं।

- तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य:
  - गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 50 लाख आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिये शीर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्य:
  - नागालैंड और त्रिपुरा 50 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्रशासित प्रदेश:
  - दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तपेदिक नियंत्रण के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष केंद्रशासित प्रदेश की सूची में शामिल हैं ।

टीबी/क्षय:

- टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है।
- इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वजन कम होना, तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं।

सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास:

- भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम' (National TB Programme- NTP) की शुरूआत वर्ष 1962 में बीसीजी टीकाकरण (BCG vaccination) और टीबी उपचार से जुड़े ज़िला टीबी मॉडल केंद्र के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1978 में बीसीजी टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में 'राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम' को 'संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम' (Revised National TB Control Program-RNTCP) के रूप में लागू किया गया।
- वर्ष 1997 में 'संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत टीबी/क्षय रोग के इलाज़ के लिये 'डॉट्स' पद्धति को शामिल किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 2005 तक पूरे देश को कवर किया गया।
  - डॉट्स का पूरा नाम 'डायरेक्टली ऑब्ज़र्व्ड थेरेपी शार्टटर्म कोर्सेज़' (Directly Observed Treatment, Short Course-DOTS) है।
  - इसके माध्यम से टी.बी के रोगियों का इलाज़ किया जाता है।
  - इस विधि को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization-WHO) द्वारा विश्व स्तर पर टी.बी. को नियंत्रित करने के लिये अपनाया गया है।
  - इसके अंतर्गत रोगी को एक-दिन छोड़कर हफ्ते में तीन दिन डॉट्स कार्यकर्त्ता के द्वारा दवाई का सेवन कराया जाता है।
- वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक 'संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम' के दूसरे चरण में गुणवत्ता एवं सेवाओं की पहुँच में सुधार करना तथा देश में टीबी से संबंधित सभी मामलों का पता लगाने तथा उन्हें उपचारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- आरएनटीसीपी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत में टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिये 'क्षय रोग वर्ष 2017-2025' के लिये 'राष्ट्रीय रणनीतिक योजना' जारी की गई है जो चार रणनीतिक स्तंभों (DTPB) अर्थात पता लगाना (Detect), उपचार करना (Treat), रोकथाम (Prevent) एवं निर्माण (Build)पर आधारित है
- इसके अलावा 'पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम' को अब 'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम' (National Tuberculosis Elimination Program-NTEP) के नाम से जाना जाएगा।
- वर्तमान में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization-WHO) द्वारा वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी/क्षय/तपेदिक के मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु वर्तमान में भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।

नोट :

- वर्तमान में टीबी के उपचार के लिये 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर देश के लगभग हर गाँव में उपचार प्रदान करते हैं।
- 'निक्षय पोषण योजना' (Nikshay Poshan Yojana- NPY) के माध्यम से टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2019 में 'टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान' (TB Harega Desh Jeetega Campaign) की शुरुआत की गई है जो देश में टीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है।

ज़ूनोटिक बीमारियों पर सयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (United Nations Environment Programme- UNEP) तथा 'अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान' (International Livestock Research Institute- ILRI) द्वारा COVID-19 महामारी के संदर्भ में 'प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक: ज़ूनोटिक डिजीज़ एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन' (Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस रिपोर्ट में मनुष्यों में होने वाली ज़ूनोटिक बीमारियों (Zoonotic Diseases) की प्रकृति एवं प्रभाव पर चर्चा की गई है।
- इस रिपोर्ट का प्रकाशन 6 जुलाई को 'विश्व ज़ूनोसिस दिवस' (World Zoonoses Day) के अवसर पर किया गया है।
  - 6 जुलाई, 1885 को फ्रांसीसी जीवविज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा सफलतापूर्वक ज़ूनोटिक बीमारी रेबीज़ के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था।
- प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मनुष्यों में 60% ज्ञात ज़ूनॉटिक रोग हैं तथा 70% ज़ूनोटिक रोग ऐसे है जो अभी ज्ञात नहीं हैं।
- विश्व में हर वर्ष निम्न- मध्यम आय वाले देशों में 10 लाख लोग ज़ूनोटिक रोगों के कारण मर जाते हैं।
- पिछले दो दशकों में, ज़ूनोटिक रोगों के कारण COVID-19 महामारी की लागत को शामिल न करते हुए) $ 100 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है जिसके अगले कुछ वर्षों में $ 9 ट्रिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अगर पशुजनित बीमारियों की रोकथाम के प्रयास नहीं किये गए तो COVID-19 जैसी अन्य महामारियों का आगे भी सामना करना पड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI):

- ILRI एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई।
- यह नैरोबी, केन्या में स्थित है।
- यह विश्व में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में पशुधन की भूमिका के संदर्भ में विश्व स्तर पर भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है।

ज़ूनोसिस/ज़ूनोटिक रोग:

- ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते है उन्हें ज़ूनोसिस या ज़ूनोटिक रोग कहा जाता है।
- ज़ूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया,वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है।
- एचआईवी-एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज़ तथा वर्तमान कोरोनावायरस रोग (COVID-19) ज़ूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं।

ज़ूनोटिक संक्रमण के कारक:

- रिपोर्ट में ज़ूनॉटिक रोगों में वृद्धि के लिये सात कारकों को चिन्हित किया गया है जो इस प्रकार हैं-
    - पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग
    - गहन और अस्थिर खेती में वृद्धि
    - वन्यजीवों का बढ़ता उपयोग और शोषण
    - प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग
    - यात्रा और परिवहन
    - खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव
    - जलवायु परिवर्तन संकट।

ज़ूनोटिक संक्रमण को रोकने के उपाय:

- रिपोर्ट के अनुसार 'एक स्वास्थ्य पहल' (One Health Initiative) एक अनुकूलतम विधि है जिसके माध्यम से महामारी से निपटने के लिये मानव स्वास्थ्य, पशु एवं पर्यावरण पर एक साथ ध्यान दिया जाता है।
- इस रिपोर्ट में 10 ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया है जो भविष्य में ज़ूनोटिक संक्रमण को रोकने में सहायक हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं-
    - 'एक स्वास्थ्य पहल' पर बहुविषयक/अंतर्विषयक (Interdisciplinary) तरीकों से निवेश पर ज़ोर देना।
    - ज़ूनोटिक संक्रमण/पशुजनित बीमारियों पर वैज्ञानिक खोज को बढावा देना।
    - पशुजनित बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल।
    - बीमारियों के संदर्भ में जवाबी कार्रवाई के लागत-मुनाफा विश्लेषण को बेहतर बनाना और समाज पर बीमारियों के फैलाव का विश्लेषण करना।
    - पशुजनित बीमारियों की निगरानी और नियामक तरीकों को मज़बूत बनाना।
    - भूमि प्रबंधन की टिकाऊशीलता को प्रोत्साहन देना तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिये वैकल्पिक उपायों को विकसित करना ताकि आवास स्थलों एवं जैवविविधिता का संरक्षण किया जा सके।
    - जैव सुरक्षा एवं नियंत्रण को बेहतर बनाना, पशुपालन में बीमारियों के होने के कारणों को पहचानना तथा उचित नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना।
    - कृषि और वन्यजीव के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिये भूदृश्य (Landscape) की टिकाऊशीलता को सहारा देना।
    - सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हिस्सेदारों की क्षमताओं को मज़बूत बनाना।
    - अन्य क्षेत्रों में भूमि-उपयोग एवं सतत् विकास योजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिये एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण (One Health approach) का संचालन करना।

अफ्रीकी देशों की भूमिका:

- रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश देश इबोला तथा अन्य पशु-जनित महामारियों से जूझ रहे हैं।
- अफ्रीकी महाद्वीप में बड़े पैमाने पर दुनिया के वर्षावनों के साथ-साथ दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही जनसंख्या भी विद्यमान है जिसके चलते पशुओं, वन्यजीवन एवं मनुष्यों में संपर्क के कारण संक्रमण के मामले बढ़े हैं।
- इन सबके बावजूद अफ्रीकी देश इबोला और अन्य उभरती बीमारियों से निपटने के रास्ते भी सुझा रहे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, बीमारियों पर नियंत्रण के लिये अफ्रीकी देश नियम आधारित तरीकों के बजाय जोखिम आधारित तरीके अपना रहे हैं जो उन क्षेत्रों में अधिक कारगर है जहाँ संसाधनों की कमी है।
- इस समस्या के समाधन के तौर पर अफ्रीकी देशों द्वारा 'एक स्वास्थ्य पहल' (One Health Initiative) को अपनाया जा रहा है जिनमें मानव स्वास्थ्य , पशु व पर्यावरण तीनों पर ध्यान दिया जाता है।

निष्कर्ष:

अगर वन्यजीवों के दोहन तथा पारिस्थितिकी तंत्र में समन्वय नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पशुओं से मनुष्यों को होने वाली बीमारियाँ इसी प्रकार लगातार सामने आती रहेंगी। वैश्विक महामारियाँ मानव जीवन एवं एवं अर्थव्यवस्था दोनों को नष्ट कर रही हैं जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों से COVID-19 महामारी के के संदर्भ में देख रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा असर निर्धन एवं निर्बल समुदायों पर होता हैं अत: हमें भविष्य में महामारियों को रोकने के लिये अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिये विचार करने की और अधिक आवश्यकता है।

मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रूबेला की समाप्ति

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार, मालदीव और श्रीलंका वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा (Measles) और रूबेला (Rubella) को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में मालदीव और श्रीलंका को बधाई देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि 'इस प्रकार के रोगों के विरुद्ध बच्चों की रक्षा करना, स्वस्थ आबादी प्राप्त करने के वैश्विक प्रयास का एक महत्त्वपूर्ण कदम है।'
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नियमों के अनुसार, एक देश को खसरा (Measles) और रूबेला (Rubella) मुक्त तब माना जाता है, जब वहाँ कम-से-कम तीन वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण (Endemic Transmission) का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
  - उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2015 में सामने आया था।
  - वहीं जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था।

इस उपलब्धि का महत्त्व

- ऐसे समय में जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से जूझ रहा है, तो यह सफलता काफी उत्साहजनक है और संयुक्त प्रयासों के महत्त्व को प्रदर्शित करती है।
- इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को COVID-19 महामारी से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी।

दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला के उन्मूलन की रणनीति

- हाल के कुछ वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के लगभग सभी देशों ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में खसरा के टीके की दो खुराकों और रूबेला के टिके की कम-से-कम एक खुराक को शामिल किया है।
- WHO द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से अब तक इस क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया गया है।
- इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में खसरा और रूबेला के निगरानी तंत्र को मज़बूत करने का कार्य भी किया गया है।
- गौरतलब है कि WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (WHO South-East Asia Region) के सदस्य देशों ने बीते वर्ष सितंबर माह में खसरा (Measles) और रूबेला (Rubella) के उन्मूलन के लिये वर्ष 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया था और मालदीव तथा श्रीलंका ने इससे पूर्व ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

भारत में खसरा और रूबेला

- वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, मई, 2018 से अप्रैल, 2019 की अवधि के बीच भारत में खसरे के कुल 47,056 और रूबेला के कुल 1,263 मामले सामने आए थे।

नोट :

- गौरतलब है कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े खसरा-रूबेला (MR) उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के 410 मिलियन बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

COVID-19 - टीकाकरण अभियान में बाधा

- एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण मार्च और अप्रैल माह के दौरान विश्व के अधिकांश देशों ने आंशिक अथवा पूर्ण रूप से टीकाकरण सेवाओं को निलंबित कर दिया था।
- इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF) ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं के कारण एक वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों का जीवन जोखिम में है।
    - WHO के अनुसार, खसरा, पोलियो और हैजा जैसे रोगों के उन्मूलन हेतु दशकों से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होने से संपूर्ण विश्व को आगामी दिनों में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- WHO द्वारा जारी की गई प्राथमिक सूचना के मुताबिक मौजूदा महामारी के कारण टीकाकरण अभियान की कवरेज और निगरानी दोनों ही काफी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
- हालाँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व के अधिकांश देश महामारी के कारण प्रभावित हुए टीकाकरण अभियानों को पुन: शुरुआत करने पर ज़ोर दे रहे हैं, जिससे मौजूदा टीकाकरण अंतराल को जल्द-से-जल्द भरा जा सके।

खसरा (Measles)

- खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग होता है, जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।
- यह संक्रामक रोग विशेष रूप से मोर्बिलीवायरस (Morbillivirus) के जीन्स पैरामिक्सोवायरस (Paramicovirus) के संक्रमण से होता है।
- इसके लक्षणों में बुखार, खाँसी और आँखों का लाल हो जाना आदि शामिल हैं।
- WHO के अनुसार, खसरे (Measles) का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और अधिकतर लोग 2-3 सप्ताह में स्वत: ही ठीक हो जाते हैं।
- हालाँकि कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिरक्षा क्षमता (Immunity) वाले लोगों में खसरा गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसमें अंधापन, मस्तिष्क में सूजन और निमोनिया आदि शामिल हैं। खसरे को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है।

रूबेला (Rubella)

- रूबेला को 'जर्मन खसरे' (German Measles) के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है, हालाँकि इसके लक्षण काफी सामान्य सामान्य होते हैं।
- वायरस श्वसन मार्ग के माध्यम से प्रेषित होता है और इसके लक्षण सामान्यत: संक्रमण के 2-3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि रूबेला उन अजन्मे शिशुओं के लिये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है जिनकी माताएँ गर्भावस्था के दौरान इस रोग से संक्रमित हो जाती हैं।

एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs- MoHUA) द्वारा 'प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी' (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये 'एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़' (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) अर्थात 'कम किराये वाले आवासीय परिसरों' के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदुः

- इस योजना के तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौतों के माध्यम से एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) अर्थात किफायती किराये के आवासीय परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
- इन सरकारी परिसरों की मरम्मत, पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क इत्यादि आधारभूत ढाँचे से जुड़ी कमियों को दूर करके इन्हें रहने लायक बनाया जाएगा ।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन आवासीय परिसरों का चयन करना होगा।
- योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा।
- तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस योजना पर 600 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

लाभान्वित समूहः

- इस योज़ना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश लोग, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित समूह को शामिल किया गया है जो बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं।

पृष्ठभूमिः

- COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे।
- सामान्यत ये प्रवासी किराया बचाने के लिये झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अल्प विकसित शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- ये लोग कार्यस्थलों पर जाने के लिये अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/साइकिल चलाकर बिताते है और खर्च बचाने के लिये अपने जीवन को ज़ोखिम में डालते रहे हैं।
- इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 14 मई, 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप-योज़ना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये कम किराये वाले आवासीय परिसरों (ARHC) योजना की शुरुआत की गई है।

योज़ना का महत्त्वः

- ARHC के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता हो सकेगी।
- ARHC के अंतर्गत निवेश से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ARHC द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उपयोग के लिये ARHC में कवर किया जाएगा।
- इस योज़ना के तहत सरकार की खाली पड़ी ज़मीन पर ARHC का निर्माण करने से विकास करने की दिशाओं में निर्माण इकाइयों के लिये अनुकूल माहौल तैयार होगा।
- यह योज़ना 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को पूरा करेगी।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate- ED) द्वारा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (Fugitive Economic Offender Act-FEO) के तहत हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति ज़ब्त कर ली गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदुः

- देश में पहली बार 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' के तहत किसी संपत्ति को ज़ब्त किया गया है।
- मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिये 'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो' को अधिकृत किया गया है।
- इन संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत ज़ब्त किया गया है।
- जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई में प्रतिष्ठित इमारत समुद्र महल, अलीबाग में समुद्र किनारे फार्म हाउस और भूमि, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट, बैंक जमा तथा शेयर शामिल हैं।
- 'प्रवर्तन निदेशालय' द्वारा अब तक 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न/ज़ब्त कर ली गई है।
- वर्तमान में नीरव मोदी मार्च, 2019 से लंदन में गिरफ्तार होने के बाद ब्रिटेन की जेल में बंद है।

कानून का उद्देश्यः

- वर्ष 2018 में इस कानून को लाने का मूल उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिये देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है।

क्या है आरोप?

- नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में दो अरब डॉलर से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाया गया हैं।
- नीरव मोदी को 5 दिसंबर, 2019 में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया था।

नीलाम होगी संपत्तिः

- नीरव मोदी की संपत्ति को FEO अधिनियम के सेक्शन Section 12(2) और (8) के तहत ज़ब्त किया गया है।
- FEO अधिनियम के तहत,ज़ब्त की गई संपत्ति को आदेश जारी होने के 90 दिन बाद नीलामी के लिये रखा जाता है।
- नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी कोष या अकाउंट में डिपॉज़िट किया जाता है।

आंध्र प्रदेश राज्य निवार्चन आयुक्त विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के नेता अतलुरी रामकृष्ण (Atluri Ramakrishna) द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई करने और निर्णय देने की बात की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते माह 10 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1994 के आंध्रप्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
- अब इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी।

क्या था मामला?

- दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने बीते दिनों 10 अप्रैल को आंध्रप्रदेश पंचायत राज कानून, 1994 में संशोधन कर राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner-SCE) के कार्यकाल को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया था, साथ ही इस संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त (SCE) के पद को केवल सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक ही सीमित कर दिया गया था।
- ध्यातव्य है कि संशोधन से पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाह भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति होने के पात्र थे।

- इस अध्यादेश के लागू होते ही, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनगराज (V Kanagaraj) को राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया और तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त निम्मागड्डा रमेश कुमार को अचानक पद से हटा दिया गया।
- जिसके पश्चात् स्वयं रमेश कुमार तथा कई अन्य लोगों द्वारा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और राज्य सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
- 29 मई को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अध्यादेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K और 243 ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है।
- राज्य के निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है।
- साथ ही आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटकर 3 वर्ष करना पूर्ण रूप से एक मनमाना कदम है।
- जिसके पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लेकर गई और 11 जून, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालाँकि मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्त्व वाली खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए आंध्रप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और निम्मगड्डा रमेश कुमार से इस संबंध में अपनी प्रतिकिया मांगी थी।

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

- राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ निर्वाचन कराना।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K तथा 243ZA में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- SEC का गठन 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (Constitutional Amendments Act, 1992) के तहत किया गया था।
- SEC भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

कार्य:

- SEC का गठन प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र के निगम, नगरपालिकाओं, ज़िला परिषदों, ज़िला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन के लिये किया गया है।
- अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन तथा निर्वाचन नामावली तैयार करने के दौरान अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगे।

राज्यपाल की भूमिका:

- राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के अनुसार, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की अवधि तथा सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

भारत में सर्पदंश से हुई मौत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कनाड़ा स्थित 'टोरंटो विश्वविद्यालय' (University of Toronto) के 'सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च' (Centre for Global Health Research-CGHR) द्वारा यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom-UK) के सहयोग से भारत में पिछले 2 दशकों (20 वर्षों) में सर्पदंश/सांप के काटने से होने वाली मौतों का अध्ययन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन के अनुसार, भारत में पिछले 20 वर्षों अर्थात वर्ष 2000 से वर्ष 2019 की अवधि में सर्पदंश से मरने वालों की संख्या 1.2 मिलियन (12 लाख) दर्ज की गई है।

- 'भारत में वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों के बारे में एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मृत्यु दर अध्ययन' (Trends in Snakebite deaths in India from 2000 to 2019 in a Nationally Representative Mortality Study) शीर्षक में बताया गया है कि भारत में अधिकांश मृत्यु ज़हरीले रसेल वाइपरस (Russell's Viper) क्रिटस (kraits) तथा कोबरा (Cobras) साँपों के काटने से होती हैं।

रसेल वाइपर:

- रसेल वाइपर वाइपरिडे परिवार में विषैले सांप की एक प्रजाति है।
- इस परिवार जिसमें विश्व के पुराने विषैले वाइपर शामिल हैं।
- यह प्रजाति एशिया में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन और ताइवान में पाई जाती है।

क्रेट:

- इसे भारतीय क्रेट या ब्लू क्रेट के रूप में भी जाना जाता है।
- यह भारतीय में पाई जाने वाली विषैले सांप की एक प्रजाति है।

कोबरा:

इसे नागराज भी कहा जाता है।

- यह विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है।
- सांप की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत में पाई जाती जाती है।
- यह एशिया के सर्वाधिक खतरनाक सापों में से एक है।

भारत में सर्पदंश का क्षेत्रवार विवरण:

- अध्ययन में बताया गया है कि इस अवधि (वर्ष 2000-वर्ष 2019) के दौरान सर्पदंश से होने वाली वार्षिक मौतों का औसत 58 हज़ार रहा है।
- देश के आठ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के कारण लगभग 70% मौतें देखी गई है, जिनमें शामिल राज्य हैं-
  - बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र।
- अध्ययन के अनुसार, सर्पदंश के कारण आधे से अधिक मौतें जून से सितंबर माह में मानसून की अवधि के दौरान हुई हैं।
- सर्पदंश से सर्वाधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं जो 97% हैं।
- पुरुषों में सर्पदंश के कारण मृत्यु का प्रतिशत 59% है जो महिलाओं की तुलना में 41% अधिक है।
- सर्पदंश के कारण मरने वालों की सर्वाधिक संख्या 15-29 वर्ष के बीच के लोगों की रही है जो 25% है।
- सर्पदंश के कारण वार्षिक आधार पर सर्वाधिक मृत्यु वाले राज्य:
  - उत्तर प्रदेश-8,700 हज़ार
  - आंध्र प्रदेश-5,200 हज़ार
  - बिहार-4,500 हज़ार

भारत में सर्पदंश के उपचार में समस्या:

- खराब प्रशिक्षित डॉक्टर तथा एंटी- वेनम की कमी का होना।
- एंटी- वेनम के निर्माण के लिये वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता जो कि कई चरणों की लंबी प्रक्रिया है।
- एंटी-वेनम के निर्माण/परीक्षण के लिये घोड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके लिये एक बड़ी जगह की आवश्यक होती है। निजी कंपनियों के लिये यह एक खर्चीली प्रक्रिया है।

नोट :

सर्पदंश से सुरक्षा हेतु उपाय:

- सर्पदंश के सर्वाधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं जिनमें कृषक समुदाय शामिल हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों को लक्षित करना एवं सुरक्षा के संदर्भ में सरल तरीकों से लोगों को शिक्षित करना जैसे- रबर के जूते, दस्ताने, मच्छरदानी और रिचार्जेबल मशालों (या मोबाइल फोन फ्लैशलाइट) का उपयोग कर सर्पदंश के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- लोगों को विषैले सर्पों की प्रजातियों के बारे में बताना तथा सांप के काटने के कारण मानव स्वास्थ पर पड़ने वाले हानिकारक एवं जानलेवा प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
- Indiansnakes.org वेबसाइट पर सांपों के निवास स्थान का विवरण, भौगोलिक वितरण एवं स्पष्ट तस्वीरें उपलब्ध होती हैं जिसे एंड्रॉइड फोन के माध्यम से डाउनलोड करके ज़हरीले साँपों के बारे में जाना जा सकता है।

इस दिशा में विश्व स्वास्थ्य संघठन का प्रयास:

- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization- WHO) सर्पदंश को एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease- NTD) के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा वर्ष 2030 तक सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- एंटीवेनम को सुलभ और सस्ती बनाने के लिये WHO की योजना गुणवत्ता एंटीवेनम्स का उत्पादन बढ़ाने की है।
- एंटीवेनम के लिये स्थायी बाज़ार उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2030 तक एंटीवेनम निर्माण में 25% वृद्धि की आवश्यकता है।
- WHO द्वारा वैश्विक एंटीवेनम के उत्पादन/स्टॉक के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई।

वेनम (Venoms) और एंटी-वेनम्स (Anti-Venoms):

- वेनम:
  - विष/वेनम एक प्रकार का स्राव है।
  - इसमें एक जानवर द्वारा उत्पादित एक या एक से अधिक विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं।
  - इसका स्राव कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों तरह के जानवरों में अपनी रक्षा के दौरान या फिर शिकार करते समय किया जाता है।
  - सांप का विष एक उच्च संशोधित लार है जिसमें ज़ूटॉक्सिन होता है जो शिकार को मारने एवं उसे पचाने में सहायक होता है।
- एंटी-वेनम्स:
  - एंटीवेनम, विष या विष घटकों के खिलाफ शुद्ध एंटीबॉडी है।
  - एंटीवेनम का उत्पादन जानवरों द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी से किया जाता है।
  - इसका उपयोग वेनम के असर को समाप्त करने के लिये किया जाता है।

निष्कर्ष:

भारत में पर्याप्त मात्रा में एंटी-वेनम बनाने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। अत: ऐसे में भारत में विषैले सांप प्रजातियों के वितरण की बेहतर समझ विकसित कर और अधिक उपयुक्त एंटी-वेनम को विकसित किया जा सकता है।

Cycles4Change चैलेंज

चर्चा में क्यों?

भारतीय शहरों में साइकिल चालन संबंधी पहलों को जल्द लागू करने की दिशा में भारतीय शहरों का समर्थन करने के लिये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने Cycles4Change चैलेंज के लिये पंजीकरण की शुरुआत की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- शहरों के सतत् विकास के उद्देश्य से शुरू किये जा रहे इस चैलेंज में स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission) के तहत सभी शहर, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी शहर हिस्सा ले सकेंगे।
- गौरतलब है कि इस चैलेंज की शुरुआत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा 25 जून, 2020 को की गई थी।

Cycles4Change चैलेंज

- यह चैलेंज आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज़ मिशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में साइकिल चालन संबंधी पहलों को जल्द लागू करने के लिये भारतीय शहरों को प्रेरित करना और उनका समर्थन करना है।
- इस चैलेंज का उद्देश्य शहरों को अपने आम नागरिकों तथा विशेषज्ञों के साथ जुड़ने में मदद करना है, जिससे साइकिल चलाने की प्रथा को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।
- इस चैलेंज के तहत शहरों को नागरिक समाज संगठनों (CSOs), विशेषज्ञों और स्वयंसेवकों के साथ सहयोग कर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इस पहल के तहत आम नागरिकों का सहयोग शहरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- इस चैलेंज का कार्यान्वयन मुख्यत: दो चरणों में किया जाएगा।
- चैलेंज का पहला चरण अक्तूबर, 2020 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें सभी शहर साइकिल चलाने की प्रथा को बढ़ावा देने और इस संबंध में आवश्यक रणनीति तैयार करने के लिये त्वरित हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- इसके पश्चात् दूसरे चरण में कुल 11 शहरों का चयन किया जाएगा और उनकी संबंधित योजनाओं को आगे बढाने तथा उनमें आवश्यक सुधार करने के लिये 1 करोड़ रुपए की राशि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से दिशा-निर्देश प्रदान किया जाएगा, चैलेंज का दूसरा चरण मई, 2021 तक कार्यान्वित किया जाएगा।

महत्त्व

- चैलेंज को लॉन्च करते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि 'भारत सरकार उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन प्रणाली विकसित करने में शहरों की सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध है।'
- विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का यह चैलेंज आम नागरिकों, विशेषज्ञों, शहर के साइक्लिंग समूहों, साइकिलों का निर्माण और उनकी बिक्री करने वाले व्यापारियों आदि को एक इकाई में जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है।
- इसके माध्यम से शहरों में सतत् परिवहन की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- यह पहल शहरों में सक्रिय गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के साथ ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।

आवश्यकता

- इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डवलपमेंट पॉलिसी (Institute for Transportation and Development Policy-ITDP) द्वारा किये गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 जनित लॉकडाउन के पूरी तरह से समाप्त होने के पश्चात् विश्व भर के बड़े शहरों में साइकिल के प्रयोग में 50-60 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है।
- इस अवसर का उठाने के उद्देश्य से विश्व भर के बड़े शहर अपने साइकिल नेटवर्क के विस्तार पर विचार कर रहे हैं, उदाहरण के लिये पेरिस ने अप्रैल माह में तकरीबन 650 किलोमीटर लंबे साइकिल मार्ग के निर्माण की घोषणा की थी।
- गौरतलब है कि भारतीय शहरों के लिये भी यह एक बड़ा अवसर है, वे साइकिल जैसे स्वच्छ और स्वस्थ परिवहन साधन का उपयोग करने के लिये आम लोगों को प्रोत्साहित करें और इस संबंध में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करें।

नोट :

चुनाव स्थगन से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?

देश भर में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के आँकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लगातार बढ़ती महामारी के बीच बिहार में चुनाव आयोजित करने को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ रही है। बिहार में कई राजनीतिक दल COVID-19 महामारी के प्रकोप की समाप्ति तक राज्य चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग और चुनाव निलंबन

- निवार्चन आयोग (Election Commission-EC) के लिये कानून के तहत यह अनिवार्य है कि वह लोकसभा या विधानसभा के पाँच वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व छह माह के भीतर किसी भी समय चुनाव आयोजित कराए।
- निर्वाचन आयोग के लिये यह आवश्यक है कि चुनावों की तारीख इस तरह निर्धारित की जाए कि जब निवर्तमान सदन विघटन हो तो नई विधानसभा अथवा लोकसभा मौजूद हो।
- इस प्रकार बिहार के मामले में चुनाव आयोग को 29 नवंबर को निवर्तमान सदन की समाप्ति से पूर्व विधानसभा चुनाव कराना चाहिये।
- वहीं यदि विधानसभा अथवा लोकसभा का विघटन अपने निर्धारित समय से पूर्व हो जाता है तो जहाँ तक संभव हो निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विघटन के छह माह के भीतर एक नई लोकसभा अथवा विधानसभा स्थापित हो जाए।
- नियमों के अनुसार, आमतौर पर एक बार चुनावों की घोषणा के बाद वे तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किये जाते हैं।
- हालाँकि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में असाधारण परिस्थितियों के मद्देनज़र इस प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है अथवा इसे रोका जा सकता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के अनुसार, निवार्चन आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित तिथि में परिवर्तन करके चुनाव आयोजित कराने की समय सीमा में विस्तार कर सकता है, हालाँकि इस तरह के विस्तार को लोकसभा या विधानसभा के सामान्य विघटन की तारीख से पूर्व होना अनिवार्य है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153 के इसी प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ प्रयोग करते हुए तमिलनाडु में चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या के बाद तीन सप्ताह के लिये तत्कालीन संसदीय चुनावों को स्थगित कर दिया था।
  - विदित हो कि मार्च 2020 में ही COVID-19 महामारी के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा 18 राज्यसभा सीटों के चुनाव स्थगित कर दिये गए थे।

निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों का संचालन करता है।
- संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। प्रारम्भ में, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं।

बिहार में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153 का प्रयोग?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत चुनाव की समय सीमा में विस्तार करने की शक्ति का प्रयोग केवल चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद ही किया जा सकता है।
- इस प्रकार यदि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करना होगा।

नोट :

- निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोजित न करा पाने की अपनी असमर्थता के बारे में सरकार को अधिसूचित करना होगा, जिसके पश्चात् भारत सरकार और राष्ट्रपति इस संबंध में आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे।
  - गौरतलब है कि इस संबंध में मुख्यत: दो निर्णय लिये जा सकते हैं, पहला यह कि राज्य में मौजूदा सदन की समाप्ति पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और दूसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को विघटन के बाद भी कुछ समय तक कार्य जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

चुनाव आयोग पर निर्भर है चुनाव का स्थगन

- भारतीय संविधान अथवा किसी अन्य कानून में ऐसे कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता हो, जिनके तहत चुनाव स्थगित किये जा सकते हैं।
- हालाँकि कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि 'अशांति और अव्यवस्था, भूकंप और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य किसी ऐसे परिस्थिति में, निर्वाचन आयोग चुनाव को स्थगित करने का निर्णय ले सकता है, जो कि आयोग के नियंत्रण में नहीं हैं।
- आमतौर पर निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद और तत्कालीन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही चुनाव की समय सीमा में विस्तार संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता है।

'सोरायसिस की दवा- इटोलिज़ुमैब'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की दवा, इटोलिज़ुमैब (Itolizumab) जो त्वचा संबंधित सोरायसिस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है COVID-19 महामारी से मध्यम/कम रूप से बीमार और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के सफलतापूर्वक इलाज़ को लेकर सुर्खियों में है।

प्रमुख बिंदु:

- इटोलिज़ुमैब दवा का कुछ COVID-19 मरीज़ों पर परीक्षण किया गया, विशेषज्ञों के अनुसार यह परीक्षण पूर्ण रूप से सफल रहा है।
- 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (Drug Controller General of India-DCGI) द्वारा COVID-19 महामारी के इलाज के लिये इटोलिज़ुमैब इंजेक्शन के सीमित आपातकालीन उपयोग को मंज़ूरी दे दी गई है।
- इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों के इलाज के लिये किया जाएगा, जिन्हें COVID-19 संक्रमण के दौरान श्वास लेने से संबंधी समस्या है।
- बायोकॉन लिमिटेड की इटोलिज़ुमैब दवा को बायोकॉन पार्क में एक इंजेक्शन के रूप में निर्मित किया जाएगा।

दवा हेतु परीक्षण:

- इस दवा का परीक्षण करने के लिये, बायोकॉन लिमिटेड कंपनी द्वारा चार अस्पतालों में 30 रोगियों को भर्ती किया गया।
- 30 में से 20 रोगियों को 'देखभाल उपचार के मानक' (Standard of Care Treatment') अर्थात देखभाल के साथ इटोलिज़ुमैब का सेवन कराया गया जबकि 10 अन्य रोगियों को केवल देखभाल के मानकों (Standard of Care) अर्थात दवा के बिना रखा गया।
- दवा का सेवन करने वाले वाले 20 मरीज़ों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जबकि जिन 10 लोगों को दवा नहीं मिली, उनमें से तीन की मौत हो गई थी।

नियामक मंज़ूरी:

- बायोकॉन लिमिटेड द्वारा COVID-19 के क्लीनिकल ट्रायल के दूसरे चरण के परिणामों को 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- विस्तृत विचार-विमर्श के बाद DCGI द्वारा COVID-19 महामारी से मध्यम/कम रूप से बीमार और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिये दवा के उपयोग को सशर्त मंज़ूरी प्रदान की गई है।

नोट :

- इसका प्रयोग उन मरीज़ों के लिये किया जाएगा जो COVID-19 से संक्रमित होने के बाद 'तीव्र श्वास संकट सिंड्रोम' (Acute respiratory distress syndrome- ARDS) से पीड़ित हैं।
    - 'तीव्र श्वास संकट सिंड्रोम' की स्थिति में फेफड़े कार्य करना बंद कर देते हैं।
    - रोगी को श्वास लेने में दिक्कत होती है।
    - इसमें ऑक्सीजन शरीर के अन्य अंगों तक नहीं पहुँच पाती है।

इटोलिज़ुमैब इंजेक्शन:

- वर्ष 2013 से एल्ज्यूमैब ब्रांड (Alzumab Brand) नाम के तहत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
- अब इस स्वदेशी दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिये प्रयोग किया जाएगा।
- इटोलिज़ुमैब इंजेक्शन को बायोकॉन लिमिटिड द्वारा तैयार किया गया है।
- इसका इस्तेमाल प्लेग या सोरायसिस के इलाज के लिये किया जाता है।

दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलेगा SC/ST उम्मीदवारों के समान लाभ

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में पुष्टि की है कि दिव्यांग व्यक्ति भी देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिये वे सार्वजनिक रोज़गार तथा शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस रोहिंटन नरीमन (Rohinton Nariman) की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि वह पिता/प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से अनमोल भंडारी (नाबालिग) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के वर्ष 2012 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांत का 'अनुसरण' कर रही है।

विवाद

- गौरतलब है कि याचिकाकर्त्ता, जो कि बौद्धिक रूप से 50 प्रतिशत तक अक्षम है, ने शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिये डिज़ाइन किये गए फाइन आर्ट डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदन किया था।
- उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कॉलेज की विवरण-पुस्तिका (Prospectus) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्त्ता ने मांग की थी कि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों और मानसिक/बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के बीच, कुल सीटों का द्विभाजन किया जाना चाहिये।
    - याचिकाकर्त्ता ने रिट याचिका के माध्यम से बौद्धिक/मानसिक रूप से विकलांग छात्र को एप्टीट्यूड टेस्ट में छूट प्रदान करने की भी मांग की थी।
- हालाँकि सुनवाई के पश्चात् उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को खारिज़ कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि द्विभाजन के पहलू पर उच्च न्यायालय का निर्णय एकदम सही है।
- इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर भी उच्च न्यायालय के निर्णय पर सहमति व्यक्त की, जिसमें उच्च न्यायालय ने एप्टीट्यूड टेस्ट में छूट देने से इनकार कर दिया था।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 के अनमोल भंडारी (नाबालिग) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) वाद में दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए सिद्धांत का अनुसरण करने की बात की, जिसमें उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि दिव्यांग व्यक्तियों सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिये वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

- विवरण-पुस्तिका (Prospectus) का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिये 35 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है, इसलिये यह नियम अब दिव्यांग छात्रों के मामले में भी लागू होगा।

नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता

- न्यायमूर्ति नरीमन की खंडपीठ ने अनमोल भंडारी (नाबालिग) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय को रेखांकित करते हुए कहा कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिये।
  - गौरतलब है कि अनमोल भंडारी (नाबालिक) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को ऐसा पाठ्यक्रम बनाने के निर्देश दिये थे, जो बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करते हुए कहा कि 'हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि बौद्धिक/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट सीमाएँ होती हैं, जो सामान्यत: शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है।

आगे की राह

- विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय, खासतौर पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि आने वाले समय में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
- सामान्य मानकों को पूरा न करने के कारण अक्सर दिव्यांग उम्मीदवारों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। है
- अब न्यायालय के इस निर्णय से सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं और कॉलेजों तथा विश्विद्यालयों को दिव्यांग व्यक्तियों को भी SC/ST उम्मीदवारों के समान छूट प्रदान करनी होगी।
- आवश्यक है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की दिशा में और अधिक कार्य किया जाए तथा न्यायालय के हालिया निर्णय के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

नौवहन सहायता विधेयक, 2020 का मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने विभिन्न हितधारकों एवं आम जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिये नौवहन सहायता विधेयक-2020 (The Aids to Navigation Bill, 2020) का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- नौवहन सहायता, एक प्रकार का निशान या संकेत है जो यात्री को नेवीगेशन में (आमतौर पर समुद्री या विमानन यात्रा में) सहायता करता है। इस तरह की सहायता के सामान्य प्रकारों में प्रकाशस्तंभ, प्लाव (Buoys), कोहरे के संकेत एवं दिन के दीपस्तंभ शामिल हैं।
- नौवहन सहायता विधेयक, 2020 का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 (Lighthouse Act, 1927) को प्रतिस्थापित करने के लिये लाया गया है ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके।
  - इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है जो पहले लाइटहाउस अधिनियम, 1927 के वैधानिक प्रावधानों में उलझी हुई थी।
  - लाइटहाउस अधिनियम, 1927 नौवहन के दौरान प्रकाशस्तंभ के रख-रखाव एवं नियंत्रण के प्रावधानों से संबंधित एक अधिनियम है। इसे वर्ष 1927 में अंग्रेज़ों द्वारा अधिनियमित किया गया था।

- दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (Directorate General of Lighthouses and Lightships) का शक्तिकरण:
  - यह अधिनियम अतिरिक्त अधिकार एवं कार्यों जैसे- पोत यातायात सेवा, जहाज़ के मलबे को हटाना, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अन्य दायित्वों का कार्यान्वयन जहाँ भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, के साथ 'दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय' (DGLL) को सशक्त बनाने का प्रावधान करता है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशाल (Directorate General of Lighthouses and Lightships-DGLL):

- यह जहाज़रानी मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय है जो भारतीय तट से संबंधित समुद्री नेवीगेशन के लिये सामान्य सहायता प्रदान करता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जल में सुरक्षित जल यात्रा के लिये नाविकों को नौवहन सहायता प्रदान करना है।
- इस मसौदे में अपराधों की एक नई अनुसूची भी शामिल की गई है। जिसके तहत नौवहनीय सहायता में बाधा डालने एवं नुकसान के लिये तथा केंद्र सरकार एवं अन्य निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
- नौवहनीय उपकर के लिये सहायता: भारत में किसी भी बंदरगाह से आने या जाने वाले प्रत्येक जहाज़ को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर उपकर का भुगतान करना होगा।
  - वर्तमान में केंद्र सरकार लाइटहाउस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत में किसी भी बंदरगाह से आने या जाने वाले सभी विदेशी जहाज़ों से प्रकाश देयताओं (Light Dues) की वसूली करती है।
  - प्रकाश देयताएँ (Light Dues), प्रकाशस्तंभों के रखरखाव एवं नेवीगेशन हेतु अन्य सहायता के लिये जहाज़ों पर लगाए गए शुल्क हैं।

महत्त्व:

- यह मसौदा पुराने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करके तथा समुद्री उद्योग की आधुनिक एवं समकालीन ज़रूरतों के साथ प्रतिस्थापित करके जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
- अक्सर यह देखा जाता है कि वर्ष 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कस्टम विभाग द्वारा लाइटहाउस अधिनियम की गलत व्याख्या की गई है जिससे अधिक मात्रा में बकाया प्रकाश देयताओं का गलत तरीके से संग्रह हुआ जिससे नागरिकों पर वित्तीय एवं आर्थिक बोझ बढ़ा है।
- आधुनिक तकनीक के कारण समुद्री नेवीगेशन को विनियमित एवं संचालित करने वाले अधिकारियों की भूमिका में तेज़ी से बदलाव आया है और साथ ही समुद्री नेवीगेशन के आवागमन में सुधार हुआ है। नए कानून में 'लाइटहाउस' से लेकर 'नेवीगेशन में आधुनिक सहायता' तक प्रमुख बदलाव शामिल किये गए हैं।
- आम नागरिक एवं विभिन्न हितधारकों के सुझाव इस कानून के प्रावधानों को मज़बूत करेंगे। यह शासन में लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार, अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी, शबैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है।

- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को लेकर सरकार और त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के सदस्यों के बीच चल रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है।

मंदिर के प्रबंधन का इतिहास:

- वर्ष 1949 में त्रावणकोर और कोचीन की रियासत तथा भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन (Instrument of Accession-IOA) यानी किसी रियासत के देश में शामिल होने के लिखित पत्र पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके अनुसार श्री
- पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार 'त्रावणकोर के शासक' में निहित था।
- वर्ष 1956 में नए केरल राज्य का निर्माण कर दिया गया, किंतु मंदिर का प्रबंधन अभी भी पूर्ववर्ती राजशाही परिवार द्वारा ही किया जाता रहा।
- वर्ष 1971 में सरकार ने संविधान संशोधन के माध्यम से 'प्रिवी पर्स' (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय के बाद दिया जाता था) को समाप्त कर दिया।
- जुलाई, 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु हो गई और मंदिर का प्रबंधन अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई उत्रेदम थिरुनल मार्तण्ड वर्मा के पास चला गया।

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

- पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है।
- मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के 'अनंत' नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को 'पद्मनाभ' कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभस्वामी के नाम से विख्यात हैं।
- पद्मनाभस्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अदभुत उदाहरण है, इसका निर्माण राजा मार्तण्ड वर्मा द्वारा करवाया गया था।

क्या है विवाद ?

- वर्ष 2007 में उत्रेदम थिरुनल मार्तण्ड वर्मा ने दावा किया कि मंदिर का खजाना त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है।
- इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कई मुकदमे दायर किये गए और केरल की एक निचली अदालत ने दोषियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित कर दी।
- वहीं उत्रेदम थिरुनल मार्तण्ड वर्मा और कुछ अन्य लोग इस मामले को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लेकर गए, न्यायालय ने सभी मामलों की एक साथ सुनाई की और इस विषय पर विचार किया कि क्या त्रावणकोर के अंतिम शासक के छोटे भाई,
- वर्ष 1991 में अंतिम शासक की मृत्यु के बाद 'त्रावणकोर के शासक' होने का दावा कर सकते हैं अथवा नहीं।
- वर्ष 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने शाही परिवार के विरुद्ध निर्णय देते हुए मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिये एक बोर्ड के गठन का आदेश पारित कर दिया।

सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय:

- केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक
- लगा दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में वर्ष 2011 के केरल उच्च न्यायलय के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि एक शासक की मृत्यु से शाही परिवार की मंदिर की विरासत प्रभावित नहीं होती है।
- वर्ष 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि वर्ष 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मंदिर पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च
- न्यायालय के इस तर्क को खारिज कर दिया।

नोट :

- यह स्वीकार करते हुए कि प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक 'सार्वजनिक मंदिर' है, सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में इसके पारदर्शी प्रशासन के लिये कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं-
  - न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम ज़िला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति के गठन का निर्देश दिया है।
  - इस प्रशासनिक समिति में अन्य सदस्यों के तौर पर ट्रस्टी (शाही परिवार) द्वारा नामित व्यक्ति, मंदिर का मुख्य थानश्री अथवा पुजारी, राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे।
  - इसके अलावा न्यायालय ने नीतिगत मामलों पर प्रशासनिक समिति को सलाह देने के लिये एक अन्य समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इन समितियों का प्राथमिक कार्य मंदिर के खजाने और संपत्ति का संरक्षण करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ:

- गौरतलब है कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर वर्ष 2011 में अपने भूमिगत तहखानों में आभूषण, जवाहरात और अन्य कीमती सामान के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खजाने की खोज के बाद चर्चा में आया था।
- तभी से इस विषय पर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है कि इस मंदिर पर किसका स्वामित्त्व है और इसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिये।
- त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है, वहीं केरल सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने की बात की है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, 'यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है और यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु चाहते थे कि इस मंदिर का प्रबंधन शाही परिवार द्वारा किया जाए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय मुख्यत: श्रद्धालुओं के पक्ष में दिया है।'
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई पाँच सदस्यीय समिति आगामी समय में मंदिर के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

नए वाहन पंजीकरण के लिये FATag विवरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक्त और राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग (FASTag) विवरण दर्ज करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इससे सुगम आवाजाही/पारगमन की सुविधा के साथ-साथ COVID-19 नियंत्रण का कार्य भी होगा।
  - FASTag भुगतान के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे टोल प्लाजा पर किये जाने वाले नकद भुगतान से बचा जा सकता है।
- MoRTH ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) को निर्देशित किया है कि वह वाहन (VAHAN) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह डिवाइस का विवरण सुनिश्चित करे।
  - VAHAN पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है।
  - VAHAN पोर्टल: वाहन पंजीकरण सेवा को ऑनलाइन संचालित करने हेतु पोर्टल है।
  - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह: इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा वर्ष 2016 में FASTag का उपयोग करके टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिये विकसित किया गया था।

फास्टैग क्या है?

- फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड होता है जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है।

- वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग (Radio Frequency Tag) जारी किया जाता है।
- प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जाँच करता है।
- यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वत: ही कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर रुके बिना वहाँ से गुज़र जाता है।
- 1 दिसंबर, 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाज़ा पर सभी लेन को 'फास्टैग लेन' (FASTag Lanes) घोषित कर दिया गया है।
    - राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार टोल प्लाज़ा में फास्टैग लेन केवल फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं की आवाजाही के लिये आरक्षित होती है। इस नियम के अंतर्गत प्रावधान है कि गैर-फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं द्वारा फास्टैग लेन से गुज़रने पर उनसे दोहरा शुल्क वसूला जाता है।

सतत् विकास लक्ष्यों की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने सतत् विकास, 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (United Nations High-level Political Forum-HLPF) पर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review-VNR) जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि भारत के अलावा बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइज़र, नाइजीरिया और युगांडा जैसे अन्य देश ने भी अपनी-अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) प्रस्तुत की।

भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR):

- इस प्रस्तुति में एक लघु फिल्म भी शामिल थी जिसमें दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) को तैयार करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं को समझाया गया था और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के कुछ क्षेत्रों में भारत की प्रमुख प्रगति के बारे में भी बताया गया था।
- इस अवसर पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि 'आयोग दीर्घकालिक बदलाव लाने और SDG लक्ष्यों पर प्रगति में तेज़ी लाने के लिये मौजूदा प्रयासों को दुरुस्त करने और एक नई पहल शुरू करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
- नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के अनुसार, भारत में विश्व आबादी का छठवाँ हिस्सा निवास करता है, जिसके कारण भारत वर्ष 2030 एजेंडा की सफलता के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- नीति आयोग की इस समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अतिरिक्त 6.2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है, साथ ही भारत को अपनी सांख्यिकीय प्रणाली के उन्नयन, निगरानी तंत्र में सुधार और सभी हितधारकों को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में भी कार्य करना होगा।
- इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि बजट आवंटन SDG प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो।

स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) का महत्त्व:

- यह समीक्षा स्वैच्छिक और सदस्य देशों द्वारा स्वयं की जाती है। इसका उद्देश्य एजेंडा को लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है।
- किसी देश द्वारा VNR तैयार करने की प्रक्रिया उससे संबंधित विभिन्न साझीदारों के लिये एक मंच प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल होती है।

- गौरतलब है कि नीति आयोग ने वर्ष 2017 में भारत का पहला स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) तैयार किया और उसे इसी मंच पर प्रस्तुत किया गया था।

उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF):

- उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council) के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) की जुलाई माह में आठ दिनों के लिये वार्षिक बैठक होती है।
- यह मंच सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करता है।

सतत् विकास का अर्थ ?

- सतत् विकास का अभिप्राय आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है।

सतत् विकास लक्ष्य ?

- वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक के दौरान आगामी 15 वर्षों के लिये अर्थात् वर्ष 2030 तक के लिये सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDG) निर्धारित किये गए थे।
- इससे पूर्व वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक की अवधि के लिये सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals-MDG) की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी।
- सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का उद्देश्य सबके लिये समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

COVID-19 महामारी के बाद की चिकित्सा जटिलताएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services - DGHS) द्वारा सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital), राम मनोहर लोहिया अस्पताल (Ram Manohar Lohia Hospital) तथा 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (All India Institute Of Medical Sciences-AIIMS) के साथ-साथ भारत के प्रमुख केंद्रीय सरकारी अस्पतालों से COVID-19 के बाद की चिकित्सा जटिलताओं (Medical Complications) से संबंधित डेटा एकत्र करने का कार्य शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी से ठीक हुए उन मरीज़ों का डेटा देश भर से एकत्र किया जा रहा है जो COVID-19 महामारी के साथ-साथ मधुमेह, फेफड़े, हृदय, यकृत एवं मस्तिष्क संबंधी अन्य चिकित्सा जटिलताओं से भी पीड़ित थे।
- इस डेटा को एकत्र करने का उद्देश्य आगे की देखभाल और उपचार के लिये दिशा-निर्देश जारी करना है क्योंकि महामारी का प्रभाव लोगों पर देखा जा रहा है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में COVID-19 के 86% मामले देश के 10 राज्यों में देखे गए हैं।
- जिसमें 50% मामले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं।
- वर्तमान में (31 मई तक) कुल रिकवरी रेट (Recovery Rate) 47.6% से बढ़कर 63.02% हो गया है।

सही होने की स्थिति:

- COVID-19 के साथ-साथ अन्य चिकित्सा जटिलता से पीड़ित व्यक्तियों को सुस्ती की शिकायत, मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता तथा उदासी की स्थिति से पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लगा है।
- जिन लोगों में निमोनिया के लक्षण विद्यमान थे उनके फेफड़े की कार्य क्षमता में कुछ महीनों के भीतर ही सुधार देखा गया है लेकिन कुछ लोगों में फाइब्रोसिस के कारण ऐसे नहीं हो पाया।
  - फाइब्रोसिस एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो शरीर के किसी हिस्से में चोट या क्षति के दौरान विकसित होता है।
  - यह शरीर के किसी अंग में चोट लगने या कट जाने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है।
- चिकित्सा जटिलताओं से पीड़ित व्यक्तियों में लंबे समय तक फेफड़ों के संक्रमित होने के कारण संवहनी रोगों (Vascular Diseases) के होने का खतरा बना रहता है।
  - संवहनी रोगों को 'पेरिफेरल आर्टरी ऑक्ल्यूसिव डिज़ीज़' भी कहा जाता है।
  - इसमें हाथ एवं पैरों में बड़ी धमनियों के संकरा होने के कारण रक्त के प्रवाह में रुकावट हो जाती है।
- COVID-19 के रोगियों में मधुमेह से पीड़ित चिकित्सा जटिलता वाले लोग भी शामिल थे।

COVID-19 के बाद के प्रभाव:

- महामारी के बाद के प्रभाव जो मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है फिर भी चिकित्सा समुदाय के अनुसार इस महामारी में फेफड़े प्रभावित होते हैं।
- फेफड़ों के प्रभावित होने पर थ्रोंबोसिस (Thrombosis) के कारण शरीर की भीतरी धमनियों में रक्त थक्के के रूप में जम जाता है ये थक्के फेफड़ों में पहुँचकर रक्त प्रवाह को अवरूद्ध कर सकते हैं। जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज़्म (Pulmonary Embolism) कहा जाता है।पल्मोनरी एंबोलिज़्म (Pulmonary Embolism) एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में एक या एक से अधिक धमनियाँ रक्त के थक्के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं।

भारत में गरीबी की स्थिति दर्शाती VNR रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नीति आयोग' ने सतत् विकास, 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (United Nations High-level Political Forum-HLPF) पर दूसरी 'स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा' (Voluntary National Review-VNR) जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- VNR समीक्षा रिपोर्ट स्वैच्छिक रूप से देशों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है, जिसका उद्देश्य 'सतत विकास एजेंडा' को लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है।
- 'सतत् विकास लक्ष्य'- 1 अर्थात गरीबी की समाप्ति (NO POVERTY) है, जिसका लक्ष्य गरीबी को इसके सभी रूपों में हर जगह से समाप्त करना है।
- VNR रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमान, जुलाई 2019 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index-MPI) के आधार पर तैयार किये गए थे।

VNR रिपोर्ट और 'बहुआयामी गरीबी':

- भारत द्वारा प्रस्तुत VNR रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2016-17 के बीच की अवधि में कम-से-कम 271 मिलियन लोगों को 'बहुआयामी गरीबी' (Multi-dimensional Poverty) से बाहर निकाला गया है।
- वैश्विक MPI के अनुसार, वर्ष 2005-2006 में पूरे भारत में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में थे। वर्ष 2016-2017 तक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या घटकर 369.55 मिलियन हो गई।

- अनुमान के मुताबिक वर्ष 2016-17 में भारत की 27.9 फीसदी आबादी गरीब थी।
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से गरीबी में कमी आई है।

विश्व बैंक के अनुमान:

- विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो; 'अत्यधिक गरीबी' (Extreme Poverty) का आकलन करती है, के अनुसार यह भारत में वर्ष 2011 के 21.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015 में 13.4 प्रतिशत हो गई।
- विश्व बैंक गरीबी को निरपेक्ष रूप से परिभाषित करता है। विश्व बैंक के अनुसार, प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर आय स्तर पर जीवन को अत्यधिक गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI):

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 'गैर-आय आधारित आयामों' (Non-income Based Dimensions) के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है, ताकि गरीबी और अभाव की स्थिति का अधिक व्यापक मूल्यांकन किया जा सके।
- इस सूचकांक को 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Programme- UNDP) और 'ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल' (Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे UNDP के 'मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय' द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो तीन आयामों और 10 संकेतकों की वंचनाओं पर आधारित है;

आयाम	संकेतक
स्वास्थ्य	बाल मृत्यु दर
	पोषण
शिक्षा	स्कूली शिक्षा
	नामांकन
जीवन स्तर	जल
	स्वच्छता
	बिजली
	खाना पकाने का ईंधन
	फर्श
	संपत्ति।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत त्वरित आर्थिक विकास और व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने के लिये एक व्यापक विकास रणनीति लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:

- भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' के तहत कई लक्षित पेंशन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों सहित विकलांग वर्गों, बच्चों, महिलाओं और विधवाओं को कवर किया जा रहा है।

नोट :

रोज़गार सुरक्षा:

- भारत की ग्रामीण आबादी को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' के तहत एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोज़गार प्रदान किया गया है।
- मनरेगा योजना के तहत अब तक 136 मिलियन जॉब कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

आधारभूत सेवाओं तक पहुँच:

- सभी लोगों की आधारभूत न्यूनतम सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके इसके लिये निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ किया गया है:
  - प्रधानमंत्री जन-धन योजना;
  - सभी के लिये आवास योजना;
  - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना;
  - आयुष्मान भारत।

आजीविका और कौशल संबंधी कार्यक्रम:

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना;
- राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम;
- राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन।

गरीबी समाप्ति के समक्ष चुनौतियाँ:

क्षेत्रीय भिन्नता:

- भारत की अधिकांश गरीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले राज्यों में निवास करती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात के मामले में राज्यों के बीच अंतर है। छत्तीसगढ़ में 39.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह मात्र 1 प्रतिशत है।

गरीबी का महिलाकरण (Feminisation of Poverty):

- गरीबी का महिलाकरण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की एक और चुनौती है। गरीबी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि महिलाओं के पास संसाधनों तक सीमित पहुँच होती है, चाहे वह खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा हो, या स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच या संपत्ति में स्वामित्त्व हो।

तीव्र शहरीकरण:

- तीव्र नगरीकरण अपने साथ अनेक आर्थिक संभावाओं के साथ अनेक चुनौतियाँ लेकर आया है। आवास, बुनियादी ढाँचे, रोज़गार और अन्य आर्थिक अवसरों तथा सेवाओं में मांग-आपूर्ति अंतराल लगातार बढ़ रहा है।

मानव संसाधन विकास:

- नवीन ज्ञान और प्रौद्योगिकी कौशल, कार्य और रोज़गार की पारंपरिक संरचनाओं को बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, अत: शिक्षा और कौशल विकास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- भारत को SDG लक्ष्य-1 की प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयासों को अधिक तेज़ी से चलाने की आवश्यकता है। SDG लक्ष्य- 1 के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति में तेज़ी लाने में निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और 'सहकारी संघवाद' प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

नोट :

वन नेशन वन वोटर कार्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते जोखिम को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में 80 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग नागरिकों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
- कोरोना संकट का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और बूथों पर भीड़ कम करने के लिये चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु को 80 वर्ष से घटाकर अब 65 वर्ष कर दी है।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को अनुमति देने के बाद अब 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

पोस्टल बैलेट से तात्पर्य

- जो व्यक्ति किसी निर्दिष्ट सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ हैं। उन लोगों को डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है।
- भारत निर्वाचन आयोग 'अनुपस्थित मतदाता' की सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिये सरल तथा सहज मताधिकार प्रयोग करने की प्रकिया उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इस पहल से इस बात की आश्वस्तता बढ़ी है कि वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग व्यक्ति भी अपने मताधिकार का सहज रूप से प्रयोग कर सकेंगे।

प्रवासियों के मताधिकार का मुद्दा

- विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार करने की सुविधा का विस्तार प्रवासी मज़दूरों तक किया जाए।
- वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, घरेलू प्रवासियों की संख्या तकरीबन 13.9 करोड़ है। यह भारत की श्रमशक्ति का लगभग एक-तिहाई है।
- घरेलू प्रवासी श्रमिक बेहतर कार्य की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते हैं, उनका महानगरों में स्थायी निवास का लक्ष्य नहीं होता है परिणामस्वरूप महानगरों के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत न होने के कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
- जनप्रतिनिधियों को चुनने में प्रवासी श्रमिकों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है इसलिये इस वर्ग की समस्याओं को किसी भी प्रकार की तवज्जों नहीं मिल पाती है।
- बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग न कर पाने के कारण प्रवासी श्रमिकों को 'विस्मृत मतदाता' की संज्ञा दी गई है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका

- वर्तमान में भारतीय पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 91.05 करोड़ है, जो वास्तव में गर्व का विषय है।
- वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में लगभग 67.4 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग को अपना ध्यान 29.68 करोड़ उन मतदाताओं पर लगाना चाहिये जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
- राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 10 प्रतिशत पंजीकृत मतदाता राजनीति में रुचि की कमी के कारण मतदान करने से बचते हैं।
- लगभग 20 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान करना चाहते हैं परंतु अनुकूल परिस्थितियाँ न होने के कारण वे मतदान नहीं कर पाते हैं। इनमें घरेलू प्रवासी और अनिवासी भारतीय शामिल हैं।
- वस्तुत: अनिवासी भारतीयों को मताधिकार उपलब्ध कराने के लिये निर्वाचन आयोग ने अधिकृत व्यक्ति (Authorised proxies) के माध्यम से मत देने की व्यवस्था की है।

नोट :

मतदाता वहनीय सुविधाएँ

- अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र से दूर सेवा दे रहे सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
- वर्गीकृत सेवा मतदाता (सैन्य कर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल) अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह आधार-लिंक्ड मतदान पहचान पत्र के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी का परीक्षण कर रहा है। यह मतदाताओं को देश में किसी भी स्थान से डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए मतदान करने में सक्षम बनाएगा।

आगे की राह

- भारतीय निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान योग्य कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में पीछे न छूट जाए।
- निर्वाचन आयोग को पोस्टल बैलेट की सुविधा में विस्तार करते हुए इसे प्रवासी श्रमिकों तक ले जाना चाहिये।
- COVID-19 संकट ने सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रवासी श्रमिकों तक पहुँचने के लिये विभिन्न पोर्टल व एप स्थापित करने के लिये प्रेरित किया है। निर्वाचन आयोग को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।
- मतदान को न केवल नागरिक कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिये, बल्कि नागरिक अधिकार के रूप में भी देखा जाना चाहिये।

सक्रिय दवा सामग्री पर TIFAC की सिफारिशें

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन 'प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद' (Technology Information Forecasting and Assessment Council- TIFAC) द्वारा हाल ही में 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredients- API): स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी की तत्परता और चुनौतियाँ' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- यह रिपोर्ट 'पोस्ट COVID-19 पीरियड' में 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत जारी श्वेत पत्र; 'हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र' के तहत सुझाव देने की दिशा में है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और बदलते व्यापार परिदृश्य के मद्देनज़र भारत को API के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है।

'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API):

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लिये आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को 'सक्रिय दवा सामग्री' के नाम से जाना जाता है।

भारत में दवा उद्योग:

- कुल आयतन के अनुसार, भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग चीन और इटली के बाद विश्व में तीसरे जबकि मूल्य के संदर्भ में चौदहवें स्थान पर है।
- भारत में 3,000 दवा कंपनियों का मज़बूत नेटवर्क है। वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, 20.03 बिलियन डॉलर के घरेलू टर्नओवर के साथ लगभग 10,500 विनिर्माण इकाइयाँ देश में कार्यरत हैं, जो दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात करती हैं।

API उद्योग के साथ समस्या:

- बहुत मज़बूत आधार के बावजूद कम-लाभ होने के कारण घरेलू दवा कंपनियों ने धीरे-धीरे API का उत्पादन बंद कर दिया है और API का आयात करना शुरू कर दिया है, जो दवाओं पर बढ़ते लाभ मार्जिन के कारण एक सस्ता विकल्प था।
- चीन से भारत का API का आयात लगातार बढ़ रहा है, जो वर्तमान में भारत कुल API आयात का लगभग 68% है।

प्रमुख सिफारिशें:

- चीन के साथ बढ़ते API आयात को कम करने तथा देश को दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद' (TIFAC) ने निम्नलिखित सिफारिश की है:

व्यापक पैमाने पर उत्पादन:

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विकास के मुख्य ध्यान 'व्यापक पैमाने पर उत्पादन' पर केंद्रित करना चाहिये।
- API के संश्लेषण के लिये परिभाषित लक्ष्य के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में 'मिशन मोड परियोजना' की आवश्यकता है।
- 'मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स' बनाए जाने की आवश्यकता है।
- API के उत्पादन में लागत अनुकूलन के लिये प्रक्रिया चरणों को कम करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

चिरल बिल्डिंग ब्लॉक का उत्पादन:

- चिरल बिल्डिंग ब्लॉक (Chiral Building Blocks) दवाओं के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मूल्यवान मध्यवर्ती होते हैं।
- भारतीय API उद्योग को अधिकतम सफल बनाने के लिये जैव उत्प्रेरकों के माध्यम से चिरल बिल्डिंग ब्लॉक के उत्पादन पर बल देने की आवश्यकता है। क्योंकि अनेक एंटीवायरल दवाओं के उत्पादन में 'न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉकों' की आवश्यकता होती है।

अकादमिक-उद्योग संपर्क:

- प्रौद्योगिकी विकास, त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा दवा उद्योग के व्यवसायीकरण के लिये अकादमिक/शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों के मध्य बेहतर संपर्क की आवश्यकता है।

सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता:

- कुछ क्षेत्रों जैसे रासायनिक खंडों जैसे स्टेरॉयड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोसाइड्स आदि में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

'प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद' (Technology Information Forecasting and Assessment Council- TIFAC):

- वर्ष 1985 में 'प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति' (Technology Policy Implementation Committee- TPIC) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1986 में कैबिनेट द्वारा TIFAC के गठन को मंज़ूरी दी गई।
- 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में फरवरी, 1988 प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) का गठन किया गया।
- इसका गठन एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया है।
- यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करने और महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भारत में भविष्य के तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करने में कार्य करता है।

दल बदल विरोधी कानून और न्यायिक समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों को 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-defection Law) के तहत अयोग्यता नोटिस जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- बागी कॉन्ग्रेसी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों ने अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
- इन बागी विधायकों का तर्क है विधानसभा के बाहर कुछ नेताओं के निर्णयों और नीतियों से असहमत होने के आधार पर उन्हें संसदीय 'दलबदल विरोधी कानून' के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

- संविधान के 52वें सविधान संशोधन के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून, 1985 में पारित किया गया तथा भारतीय संविधान में 'दसवीं अनुसूची' को जोड़ा गया।

क्या था मामला?

- उपमुख्यमंत्री सहित कॉंग्रेस के कुछ बागी विधायक हाल ही में 'कॉन्ग्रेस विधायक दल' (Congress Legislature Party-CLP) की बैठकों में बार-बार निमंत्रण देने के बावजूद शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद राज्य में पार्टी के मुख्य सचेतक (Whip) की अपील पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया गया।

बागी विधायकों का पक्ष:

- बागी विधायकों ने अपनी रिट याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि:
  - प्रथम, उनके द्वारा सदन की सदस्यता का त्याग नहीं किया गया है, अत: 'दल बदल विरोधी कानून' का उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता।
  - द्वितीय, CLP की बैठकों में शामिल न होने में विफल रहने के आधार पर उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- रिट याचिका 'राजस्थान विधानसभा सदस्यों की वैधता (पार्टी बदलने के आधार पर अयोग्यता) नियम', 1989 और संविधान की दसवीं अनुसूची के क्लॉज़ 2(1)(a) को चुनौती देने के लिये दायर की गई है।
  - इस प्रावधान के अनुसार "स्वेच्छा से एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता का त्याग करने पर सदस्य दलबदल कानून के तहत अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होगा।"

विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष:

- इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के भी उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करते हुए अपील की है कि किसी भी प्रकार आदेश जारी करने से पहले पार्टी के पक्ष को भी सुनना चाहिये।

न्यायिक समीक्षा और दलबदल विरोधी कानून:

- दल बदल विरोधी कानून के अनुसार, दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाना है।
  - हालाँकि पीठासीन अधिकारी के निर्णय की उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- जब तक कि विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत सदस्यों को अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक न्यायपालिका अयोग्यता कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती हैं।
- वर्ष 2015 में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई में देरी की गई।

'किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (Kihoto Hollohan vs Zachillhu) और अन्य वाद' (वर्ष 1992):

- इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि "अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून' के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्यवाही की बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और न ही न्यायपालिका के कार्यवाही के बीच में कोई हस्तक्षेप करना अनुमेय होगा।"
- इसका एकमात्र अपवाद 'अंतर्वर्ती अयोग्यता' (Interlocutory Disqualifications) या निलंबन के ऐसे मामले हैं जिनके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय नतीजे और परिणाम हो सकते हैं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इसी वाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिये गए निर्णय में त्रुटियों की जाँच का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

नोट :

'न्यायिक समीक्षा' का दायरा भी बहुत सीमित:

- संसदीय परंपराओं में अध्यक्ष के कार्यालय को सर्वोच्च सम्मान और मान्यता प्राप्त है। संसदीय लोकतांत्रिक संस्था की धुरी (Pivot) अध्यक्षीय परंपरा पर आधारित है। उसे औचित्य और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है।
- 'दल बदल विरोधी कार्यवाही' में अध्यक्ष या सभापति के निर्णय के 'न्यायिक समीक्षा' का दायरा बहुत सीमित है। न्यायपालिका केवल संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन पर आधारित दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करने और दुराग्रह के मामलों में ही न्यायिक समीक्षा करेगा।

भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (Fundamental Right to Free Speech):

- बागी विधायकों द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के क्लॉज़ 2(1)(a) को चुनौती देने के लिये याचिका दायर की गई है।
- विधायकों के अनुसार, यह प्रावधान असंतोष व्यक्त करने के उनके अधिकार और स्वतंत्र भाषण के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

भाषण की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक अनुशासन:

- 'किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य वाद' में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक राजनीतिक दल साझा विश्वासों के बल पर कार्य करता है। इसकी दलों की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता इन्ही साझा मान्यताओं पर आधारित होती है, और आमतौर पर आयोजित सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में इसके सदस्यों पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।
- लेकिन एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा असमान स्थिति या मनमुटाव की एक सार्वजनिक छवि को राजनीतिक परंपरा में वांछनीय स्थिति के रूप में नहीं देखा जाता है। हालाँकि जब सरकार के गठन में अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं तो वहाँ दलों के बीच मनमुटाव को उचित ठहराया जा सकता है।

आगे की राह:

- ऐसे समय में जब भारत की रैंक 'नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक' (2019) में गिर गई है, संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अध्यक्ष की संस्था को सुधारने और मज़बूत करने के लिये कदम उठाए।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दलबदल कानून में संतुलन बनाए रखने के लिये कानून में आवश्यक बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।

केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1968

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1968 (Kerala Animals and Bird Sacrifices Prohibition Act, 1968) की संवैधानिकता की जाँच करने पर सहमति व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1968 (Kerala Animals and Bird Sacrifices Prohibition Act,1968) राज्य के अंतर्गत 'देवता' को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगाता है।
- इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केरल के पशु संरक्षण कानून में 'विरोधाभास' को रेखांकित किया, जो कि भोजन के लिये जानवरों को मारने की अनुमति देता है, किंतु देवता के लिये जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देता है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार, केंद्र सरकार और पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board) को नोटिस जारी किया है।

विवाद

- सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर अपील के अनुसार, पशु बलि उसकी धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार केरल सरकार का अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- गौरतलब है कि इससे पूर्व 16 जून, 2020 को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
    - इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि यह सिद्ध करने के लिये कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि हिंदू अथवा किसी अन्य धर्म के अंतर्गत किसी समुदाय विशेष के लिये धार्मिक सिद्धि हेतु बलि देना अनिवार्य है।

याचिकाकर्त्ता का पक्ष

- मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप
    - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया है कि पशु बलि, शक्ति पूजा (Shakthi Worship) का एक अभिन्न अंग है और चूँकि वह इस प्रथा को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिये मान्यताओं के अनुसार उसे 'देवी के क्रोध' का सामना करना पड़ सकता है।
    - याचिकाकर्त्ता के मुताबिक, केरल सरकार का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।

अनुच्छेद 25 (1)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार समानता के अधिकार से पूरकता रखता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
    - याचिकाकर्त्ता के अनुसार, केरल सरकार का यह नियम संविधान के अनुच्छेद-14 (विधि के समक्ष समता) का भी उल्लंघन करता है।
    - याचिकाकर्त्ता के मुताबिक, यदि केरल के इस कानून का उद्देश्य जानवरों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो इसे सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिये।
    - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया है कि यह कानून केवल किसी देवता के लिये जानवरों को मारने पर रोक लगाता है, जबकि मंदिर परिसर में व्यक्तिगत उपभोग के लिये किसी जानवर को मारने के लिये इस अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- केंद्र सरकार के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के विपरीत है यह नियम
    - याचिकाकर्त्ता ने रेखांकित किया कि, जहाँ एक ओर केंद्र सरकार का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 धार्मिक उद्देश्य से किसी पशु के वध को अपराध नहीं मानता, वहीं राज्य का कानून इस कृत्य को अपराध मानता है, इस प्रकार राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रावधानों को खंडित करता है।
    - गौरतलब है कि भारत के संवैधानिक ढाँचे के तहत पशुओं के साथ क्रूरता के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारें, दोनों ही कानून बना सकती हैं, परंतु यदि किसी कारण दोनों के मतों में भिन्नता उत्पन्न होती है तो ऐसे अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये सुरक्षित रख दिया जाता है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये सहायता अनुदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies-RLBs) को 15187.50 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों में विस्तृत 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये यह अनुदान राशि जारी की गई है।

- वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60,750 करोड़ रुपए तय किया है जो वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है।
- आयोग ने 28 राज्यों में, पंचायती राज के सभी स्तरों के लिये, पाँचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित, दो भागों में, अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। अर्थात्-

  (i) बेसिक (Untied) अनुदान

  (ii) बद्ध (Tied) अनुदान
- अनुदान का 50% बेसिक ग्रांट होगा और 50% बद्ध अनुदान होगा।
  - बेसिक अनुदान (Basic Grant): बेसिक अनुदान अबद्ध हैं और वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप RLBs द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं।
  - बद्ध अनुदान (Tied Grants): बद्ध अनुदान का उपयोग निम्न मूल सेवाओं के लिये किया जाना है:
    - (क) स्वच्छता और ODFs स्थिति का अनुरक्षण।
    - (ख) पेयजल, वर्षा-जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति।
    - RLBs, जहाँ तक संभव हो सके, इन दो महत्त्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिये इन बद्ध अनुदानों में से एक को चिन्हित करेगा।
    - हालाँकि यदि किसी RLBs ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है तो वह अन्य श्रेणी के लिये धन का उपयोग कर सकता है।

वित्त आवंटन

- राज्य सरकारें नवीनतम राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों- गाँव, ब्लॉक और ज़िले तथा पाँचवीं एवं छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान वितरित करेंगी, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होना चाहिये-
- ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिये 70-85%
- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के लिये 10-25%
- ज़िला/ज़िला पंचायतों के लिये 5-15%
- दो-स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में केवल ग्राम और ज़िला पंचायतों के मध्य यह वितरण ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिये 70-85% और ज़िला/ज़िला पंचायतों के लिये 15-30%।

प्रशासनिक सहायता

- इसके लिये RLBs को वेब/आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिनसे योजना निर्माण, निगरानी, लेखा/लेखा परीक्षा के कार्यों के लिये प्रत्येक स्तर पर धन प्रवाह सुनिश्चित हो सकें।

महत्त्व

- इस फंड को इस समय RLBs को जारी करना नि:संदेह सर्वाधिक उपयुक्त है, विशेषकर तब जब RLBs COVID-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कोष की उपलब्धता RLBs के ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देगी और उन्हें प्रवासी मज़दूरों को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने में भी सशक्त बनाएगी जो COVID-19 के कारण मूल स्थानों पर लौट आए हैं।
- साथ ही रचनात्मक तरीके से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने में भी सहयोगी होगी।

पंचायती राज मंत्रालय सक्रिय रूप से राज्यों को उपरोक्त कार्यों में समर्थन देगा, जिनसे 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया में नई बाधाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चुनाव आयोग से जुड़े एक पूर्व कानूनी सलाहकार ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नगालैंड के लिये परिसीमन आयोग गठित किये जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक और अवैध बताया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि देश में पिछले परिसीमन (वर्ष 2002-08) के दौरान पूर्वोत्तर के इन चार राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।
- मार्च, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के चार राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिये परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी।
- उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के अनुसार, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Public Representation Act, 1950) की धारा 8A में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वोत्तर के चार राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड) में परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाएगी।
- अत: परिसीमन आयोग द्वारा इन चार राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया न्यायालय में अमान्य घोषित कर दी जाएगी, जिससे भारी सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी।

परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखने का कारण?

- पिछली परिसीमन प्रक्रिया (2002-08) के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के कई संगठनों ने परिसीमन प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2001 की जनगणना को आधार के रूप में प्रयोग किये जाने को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
- असम से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की, क्योंकि उस समय तक 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens - NRC) के आँकड़ों को अद्यतन/अपडेट नहीं किया गया था।

परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन:

- 14 जनवरी, 2008 को 'परिसीमन अधिनियम, 2002' में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को इन राज्यों में परिसीमन विलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- 8 फरवरी, 2008 राष्ट्रपति द्वारा इन चार राज्यों में परिसीमन स्थगित करने का आदेश जारी किया गया।
- इसके पश्चात संसद द्वारा इन चार राज्यों में परिसीमन के लिये अलग आयोग की स्थापना करने के स्थान पर चुनाव आयोग (Election commission) के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया गया।
- इस विचार को वैधानिक मान्यता देने के लिये 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' में 'धारा-8A' को जोड़ दिया गया।
  - संसद का यह फैसला इस तथ्य से प्रेरित था कि पूर्व में भी निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार दिया गया था।
  - उदाहरण के लिये- वर्ष 1991-92 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों का परिसीमन और वर्ष 2000 में उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों का परिसीमन।

निर्वाचन सीटों की संख्या पर परिसीमन का प्रभाव:

- वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के माध्यम से परिसीमन के तहत वर्ष 2026 तक किसी भी राज्य में लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन सीटों की संख्या में परिवर्तन किये जाने पर रोक लगा दी गई थी।
- वस्तुत: परिसीमन के पश्चात भी पूर्वोत्तर के चार राज्यों में निर्वाचन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा।

नोट :

- प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के तहत राज्यों में सिर्फ निर्वाचन सीटों की सीमाओं और संबंधित राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को पुन: निर्धारित किया जा सकता है।

परिसीमन (Delimitation):

- परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के अनुरूप विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है।

उद्देश्य:

- परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
- अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिये आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है।
- परिसीमन की प्रक्रिया में नवीनतम जनगणना के आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):

- परिसीमन आयोग को सीमा आयोग (Boundary Commission) के नाम से भी जाना जाता है।
- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था/निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है।

परिसीमन आयोग की संरचना:

- सामन्यत: परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- इसके साथ ही इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होते हैं।

कार्य:

- जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है।
  - देश की स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया वर्ष 1950-51 में निर्वाचन आयोग के सहयोग से राष्ट्रपति द्वारा संपन्न कराई गई थी।
  - वर्ष 1952 में परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग के द्वारा देश में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई।
  - वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया।

हरियाणा की समय पूर्व रिहाई संबंधी नीति

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समय पूर्व रिहाई से संबंधित हरियाणा सरकार की नीति की वैधता के विषय को एक बड़ी खंडपीठ को हस्तांतरित किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 में संस्थापित हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार, हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पुरुष कैदियों को 75 वर्ष की आयु होने और कम-से-कम 8 वर्ष की सज़ा पूरी करने के पश्चात् रिहा कर कर दिया जाएगा।
- इससे पूर्व न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर अपनी नीति के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिये कहा था।

विवाद

- गौरतलब है कि न्यायालय एक हत्या के दोषी (आजीवन कारावास की सज़ा) के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जो कि राज्य द्वारा गठित एक क्षमा नीति (Remission Policy) के लागू होने के पश्चात् 8 वर्ष की सज़ा पूरी होने पर रिहा हो गया था।
- अब न्यायालय की बड़ी खंडपीठ इस तथ्य की जाँच करेगी कि हरियाणा सरकार की यह नीति आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433-A के विपरीत है अथवा नहीं।
    - उल्लेखनीय है कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433-A के अनुसार, यदि किसी दोषी को उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसे कारावास से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है, जब तक वह कम-से-कम 14 वर्ष की सज़ा पूरी न कर ले।
    - इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति स्पष्ट तौर पर CrPC की धारा 433-A का उल्लंघन करती है।
- इसके अलावा इस नीति का प्रयोग करते हुए मामले से संबंधित कोई भी तथ्य अथवा सामग्री राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, इस प्रकार राज्यपाल को अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका और समाज पर इसके प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-161 राज्य के राज्यपाल को ही क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है।
    - इस प्रकार हरियाणा सरकार की क्षमा नीति (Remission Policy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 का भी उल्लंघन करती है।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को क्षमादान देने अर्थात् दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रपति को संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में और मृत्यदंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में क्षमादान देने का अधिकार है।
- वहीं राज्य के राज्यपाल को दंडादेश को निलंबित करने, दंड अवधि को कम करने एवं दंड का स्वरूप बदलने का अधिकार प्राप्त है।
- ध्यातव्य है कि क्षमादान का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाना है।

समाधान से विकास'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने वाह्य विकास शुल्क (External Development Charges-EDC) और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क (Infrastructural Development Charges-IDC) की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिये 'समाधान से विकास' नामक योजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को केंद्रीय योजना 'विवाद से विश्वास' के तर्ज़ पर विकसित किया गया है।
- इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था।
- हरियाणा में सैकड़ों रियल एस्टेट निर्माताओं को राज्य सरकार को वाह्य विकास शुल्क व अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष है।

वाह्य विकास शुल्क

- यह शुल्क भवन निर्माताओं द्वारा विकसित सड़कें, पानी और बिजली की आपूर्ति, भू-निर्माण, जल निकासी, सीवेज सिस्टम के रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विकसित परियोजनाओं की परिधि के भीतर नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के लिये विकास प्राधिकरणों को भुगतान किया जाता है।
- वाह्य विकास शुल्क का निर्धारण विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अवसंरचनात्मक विकास शुल्क

- यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं के विकास के लिये भुगतान किये जाने वाले शुल्क हैं। जिसमें राजमार्ग, पुल सहित परिवहन नेटवर्क का निर्माण शामिल है।

हरियाणा में विधिक प्रावधान

- हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules), 1976 के अनुसार, एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा।
- यदि भवन निर्माता वाह्य विकास शुल्क/ अवसंरचनात्मक विकास शुल्क जमा नहीं करता है और न ही वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति का लाभ उठाता है, तो नगर एवं ग्राम नियोजन विकास विभाग द्वारा एक कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किया जाता है, जिसमें ऐसे डिफॉल्टरों को EDC/IDC का भुगतान न करने पर बैंक गारंटी को रद्द करने की चेतावनी दी जाती है।
- भवन खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने और भविष्य में किसी भी कदाचार व् धोखाधड़ी से निपटने के लिये परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भवन निर्माताओं को 15 प्रतिशत की बैंक गारंटी का दावा प्रस्तुत करना पड़ता है।

कोरोनावायरस वैक्सीन के विकास में प्राथमिक सफलता

चर्चा में क्यों?

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (Oxford University) के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित एक प्रायोगिक कोरोनावायरस वैक्सीन के शुरूआती परीक्षण के दौरान सैकड़ों लोगों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (Protective Immune Response) में वृद्धि देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु:

- 20 जुलाई, 2020 को 'लैंसेट' (Lancet) जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में पाया कि यह प्रायोगिक वैक्सीन 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में एक दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।
- इस वैक्सीन के उपयोग से परीक्षण में शामिल लगभग सभी लोगों में एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
- ब्रिटिश शोधकर्त्ताओं ने सबसे पहले अप्रैल 2020 में लगभग 1000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण प्रारंभ किया था, जिनमें से आधे लोगों को इस वैक्सीन के टीके दिये गए थे।
- सामान्यत: इस तरह के शुरूआती परीक्षणों का उद्देश्य वैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन करना होता है, परंतु इस परीक्षण के दौरान विशेषज्ञ इस बात का भी अध्ययन कर रहे थे कि यह वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है।
- इस परीक्षण के दौरान लोगों को चार सप्ताह के अंतराल पर इस वैक्सीन की दो खुराक दी गई।

कार्य प्रणाली:

- इस परीक्षण के दौरान देखा गया कि यह वैक्सीन लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय/प्रेरित करती है।
- परीक्षण में पाया गया कि किसी व्यक्ति को यह वैक्सीन दिये जाने के बाद उसमें लगभग 56 दिनों तक यह मज़बूत एंटीबॉडी और टी-सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, संक्रमण को रोकने में टी-सेल की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

टी सेल (T Cell):

- टी सेल, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है।
- टी सेल मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और ये अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में स्टेम सेल (Stem cell) से विकसित होती हैं।
- यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करती है।
- टी सेल शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देती हैं।

नोट :

लाभ:

- वैज्ञानिकों के अनुसार, हाल के दिनों में इस बात के अनेक प्रमाण मिले हैं कि COVID-19 को नियंत्रित करने में टी-सेल और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया क्षमता अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- इस वैक्सीन के प्रभाव से परीक्षण में शामिल लोगों में COVID-19 से ठीक हुए मरीज़ों के समान ही एंटीबाडी का विकास देखने को मिला।
- वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार, इस वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- इस वैक्सीन के माध्यम से COVID-19 तथा इसके प्रसार को रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है।
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक स्तर पर इस दवा के निर्माण के लिये 'एस्ट्राज़ेनेका' (AstraZeneca) नामक दवा निर्माता कंपनी के साथ साझेदारी की है।
- 'एस्ट्राज़ेनेका ने पहले ही इस वैक्सीन की 2 अरब खुराक बनाने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

चुनौतियाँ:

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिना किसी वैक्सीन के इस बीमारी को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- कोरोनावायरस को नियंत्रित करने के लिये कई खुराक की आवश्यकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान में इस वैक्सीन की 2 अरब खुराक भी पर्याप्त नहीं होगी।

अन्य प्रयास:

- जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने इस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, हालाँकि अभी इस वैक्सीन को बाज़ार में लाने की अनुमति नहीं प्राप्त है।
- पिछले सप्ताह अमेरिकी शोधकर्त्ताओं ने घोषणा की थी कि अमेरिका में किये गए पहले वैक्सीन परीक्षण में वैज्ञानिकों की उम्मीदों के अनुरूप ही लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली में बढ़ावा देखने को मिला, अब इस वैक्सीन को अंतिम चरण के परीक्षण के लिये भेजा जाएगा।
  - इस वैक्सीन को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान' (National Institutes of Health) और 'मॉडर्ना' (Moderna) नामक कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में लगभग 12 अलग-अलग प्रायोगिक वैक्सीन पर मानव परीक्षण या तो प्राथमिक स्तर पर हैं या इनके परीक्षण की तैयारी की जा रही है।
- ब्रिटिश सरकार ने 'फाईज़र' (Pfizer) और अन्य कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही COVID-19 की प्रायोगिक वैक्सीन की 90 मिलियन खुराक खरीदने के लिये समझौते किये हैं।

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ वैक्सीन को इस बीमारी के नियंत्रण के हेतु अंतिम विकल्प बताया जाता रहा है। ऐसे में प्रायोगिक परीक्षणों के सकारात्मक परिणामों से इस महामारी को रोकने की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन यदि भविष्य में भी अन्य सभी आवश्यक परीक्षणों में भी सफल होती है तो यह COVID-19 महामारी को रोकने की दिशा में एक बड़ी सफलता होगी।

आगे की राह:

- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम COVID-19 की अनिश्चितता को कुछ सीमा तक दूर करने में सफल रहे है, परंतु अभी भी इस वैक्सीन को बाज़ार में उपलब्ध होने में लंबा समय लग सकता है।
- साथ ही इस वैक्सीन के प्रभाव की अवधि या किसी दुष्प्रभाव आदि का पता लगाने के लिये अभी कई शोध आवश्यक होंगे।
- अत: लोगों को विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप 'सोशल डिस्टेंसिंग' और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन करते हुए इस महामारी के प्रसार को रोकने में अपना योगदान देना चाहिये।

नोट :

गरीबी के संदर्भ में UNDP रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Programme-UNDP) तथा 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव' (Oxford Poverty and Human Development Initiative-OPHI) द्वारा 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index, 2020-GMPI) से संबंधित आँकड़े जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- बहुआयामी गरीबी से संबंधित इस अध्ययन का शीर्षक 'चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पावर्टी: अचिएविंग द एसडीजी' (Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs') है।
  - यह अध्ययन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित था, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है।

रिपोर्ट का सार:

- प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, 107 विकासशील देशों में, 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं।
- बच्चों में बहुआयामी गरीबी की उच्च दर देखी गई है:
  - बहुआयामी गरीबी आयु से ग्रसित गरीब लोगों (644 मिलियन) में आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं।
- सब-सहारा अफ्रीका (558 मिलियन) और दक्षिण एशिया (530 मिलियन) में लगभग 84.3 प्रतिशत बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं।
- बहुआयामी गरीबी से प्रभावित 67 प्रतिशत लोग मध्यम आय वाले देशों से संबंधित हैं। जहाँ बहुआयामी गरीबी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर 0 प्रतिशत से 57 प्रतिशत और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 0 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक है।
- प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के मध्य 75 में से 65 देशों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में कमी देखी गई है।
- इस अध्ययन में पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उप-सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को शामिल किया गया है।
- इस अध्ययन में वैश्विक स्तर पर पाँच अरब लोगों की बहुआयामी गरीबी की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।
- आँकड़ों के अनुसार, 65 देश ऐसे हैं जिनके 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' के स्तर में कमी आई है।
  - 65 देशों में 50 ऐसे देश हैं जहाँ गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत समेत चार देशों ने 5.5 से 10.5 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है।
- चीन में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के मध्य 70 मिलियन लोग तथा भारत के एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के मध्य 19 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं।

सतत विकास लक्ष्य और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक

- यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 वर्ष पहले ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है , जो कि सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal-SDG) को प्राप्त करने की नियत वर्ष है, जिसका पहला लक्ष्य हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है।

GMPI 2020 : आयाम, संकेतक

- यह बताता है कि लोग तीन प्रमुख आयामों में किस प्रकार पीछे रह जाते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें 10 संकेतक शामिल हैं। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई में अभाव का अनुभव करते हैं, वे बहुआयामी रूप से गरीब की श्रेणी में आते हैं।

भारत की स्थिति:

- अध्ययन के अनुसार, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है।
- भारत में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2015-16 के मध्य 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2005-06 में भारत में 55.1 प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी के अधीन थे जबकि वर्ष 2015-16 में यह स्तर घटकर 27.9 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2018 तक भारत में लगभग 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे।
- वर्ष 2015-16 तक, लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों के अभाव की प्रतिशतता 43.9 थी, जबकि वर्ष 2015-16 में 8.8 प्रतिशत जनसंख्या गंभीर बहुआयामी गरीबी के कुचक्र में शामिल थी।
- वर्ष 2016 तक, भारत में 21.2 प्रतिशत लोग पोषण से वंचित थे।
  - 26.2 प्रतिशत लोग के पास भोजन पकाने के ईंधन का अभाव रहा।
  - 24.6 प्रतिशत लोग स्वच्छता और 6.2 प्रतिशत लोग पेयजल से वंचित रहे।
  - 8.6 प्रतिशत लोग बिजली के अभाव में एवं 23.6 प्रतिशत लोग आवास के अभाव में रहे हैं ।
- भारत तथा निकारगुआ द्वारा क्रमश पिछले 10 वर्षों एवं 10.5 वर्षों के दौरान बच्चों के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी आधा कर लिया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार तीन दक्षिण एशियाई देश - भारत, बांग्लादेश और नेपाल - अपने MPI मूल्य को तीव्रता से कम करने वाले उन 16 देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे तीव्र गति से MPI के मूल्य को कम किया है।

'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव' (OPHI):

- यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के तहत स्थापित एक आर्थिक अनुसंधान और नीति केंद्र है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।
- OPHI का उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों के आधार पर बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिये एक अधिक व्यवस्थित पद्धति एवं आर्थिक ढाँचे का निर्माण एवं प्रगति करना है।
- इस अध्ययन में कोरोना महामारी के संदर्भ में भी ज़िक्र किया गया है
  - इसमे यह बताने की कोशिश की गई है कि यह अध्ययन महामारी के बाद दुनिया भर में गरीबी के बढ़ने का अनुमान नहीं लगा सकता परंतु यदि हम इस वैश्विक महामारी संकट को छोड़ दें तो आने वाले 3 से 10 वर्षों में 70 विकासशील देश पुन: वैश्विक प्रगति पर वापस आ सकते हैं।

प्रतिरक्षा:

- अध्ययन में बहुआयामी गरीबी और टीकाकरण के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है।
- डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस टीकों की तीन खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत इस बात का सूचक था कि विभिन्न देशों द्वारा नियमित टीकाकरण को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।
- अध्ययन के अनुसार, 10 देशों में 60 प्रतिशत बच्चों में डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस के लिये टीकाकरण नहीं हुआ है।
- अध्ययन में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि घनी आबादी वाले विकासशील देशों में उच्च प्रतिरक्षण कवरेज होने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों की संख्या मौजूद है जो टीकाकरण से छूट सकते हैं।
- अध्ययन में भारत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहाँ 2.6 मिलियन बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं।

बहुआयामी गरीबी:

- 'ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव' के अनुसार, बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/कमी को समाहित किया जाता है।
  - अध्ययन के अनुसार, ये वो गरीब एवं वंचित लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक पीड़ित हैं, यही वजह है कि वे एक 'दोहरा बोझ' उठाते हैं।

नोट :

- वे पर्यावरण में गिरावट, वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी और अस्वस्थ स्वच्छता की स्थिति के प्रति कमज़ोर/ भेद्य हैं जिन्हें पर्याप्त पोषण या उचित आवास सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हैं।
- इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिये खतरनाक होते हैं जैसे कारकों को शामिल किया जाता है।

गरीबी:

गरीबी से आशय उस सामाजिक अवस्था से है जब समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

गरीबी के प्रकार:

गरीबी को 2 रूपों में देखा जा सकता है- सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी।

1. सापेक्ष गरीबी

- सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता विद्यमान है।
- सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिये लॉरेंज वक्र विधि तथा गिन्नी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है।
  - लॉरेंज वक्र विधि के माध्यम से आय तथा जनसंख्या के संचयी प्रतिशत को अभिव्यक्त किया जाता है।
  - यदि सभी की आय बराबर हो अर्थात 10% लोगों के पास 10% हिस्सा हो तो एक विशेष प्रकार का लॉरेंज वक्र प्राप्त होगा जिसे निरपेक्ष समता रेखा कहते है।
  - लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा लोगों के बीच आय में असमानता उतनी ही अधिक होगी और यह वक्र निरपेक्ष समता रेखा के जितने पास होगा आय में असमानता उतनी ही कम होगी।
- गिनी गुणांक विधि का प्रयोग आय या संपत्ति की असमानता को मापने के लिये किया जाता है।
- गिनी गुणांक लारेंज वक्र, निरपेक्ष समता रेखा (45 डिग्री) के बीच का क्षेत्रफल होता है।
- गिनी गुणांक का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है जहाँ 1 निरपेक्ष असामनता की स्थिति तथा 0 निरपेक्ष समानता को स्थिति को दर्शाता है।

2. निरपेक्ष गरीबी:

- निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है।
- इसका निर्धारण करते समय मनुष्यों की पोषण आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय या उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है।
- इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कहा जाता है।
- गरीबी के इस प्रतिमान में हेड काउंट अनुपात (Head Count Ratio- HCR) का प्रयोग किया जाता है।
  - हेड काउंट अनुपात समाज में लोगों का वह अनुपात या प्रतिशत है जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार के प्रयास:

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये कई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं-

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-PMJDY):
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों एवं कमज़ोर वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ यथा- मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act-MGNREGA):
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को स्वेच्छा से मांगने पर 100 दिनों का अकुशल रोज़गार प्रदान करने की गारंटी दी गई है।
- इनके अलावा ग्रामीण श्रम रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme-RLEGP), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme-NFBS), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana) आदि योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

- वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा गरीबी दूर करने के लिये एक विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार भारत में वर्ष 2032 तक गरीबी दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आगे की राह:

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक चुनौती को संबोधित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की अपनाने की आवश्यकता होती है, जिनमें से कई चुनौतियों के समाधान के लिये लोगों की आय में सुधार करके समाप्त किया जा सकता है, ।

दिल्ली सीरो-सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल' (National Centre for Disease Control-NCDC) ने नई दिल्ली में COVID-19 के लिये एक सीरो निगरानी अध्ययन का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- सीरो निगरानी अध्ययन
  - विशिष्ट एंटीबॉडी की पहचान करना: सीरो-सर्वेक्षण अध्ययनों में लोगों के ब्लड सीरम की जाँच करके किसी आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं।
  - सीरो-निगरानी सर्वेक्षण इसलिये किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दिल्ली की कुल आबादी में से कितने अनुपात में लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और प्रत्येक ज़िले से लिये गए नमूनों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में थी।
  - यह शरीर में सक्रिय संक्रमण का पता लगाने में काम नहीं आता है बल्कि यह पूर्व में हुए संक्रमण (जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर वार करता है) को इंगित करता है।
  - एलिसा का प्रयोग करके इम्युनोग्लोबुलिन G का परीक्षण करना: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा अनुमोदित COVID कवच एलिसा किट के माध्यम से IgG एंटीबॉडीज़ और कोविड-19 संक्रमण के लिये सेरा (रक्त का एक हिस्सा) नमूनों का परीक्षण किया गया।
    - IgG (इम्यूनोग्लोबुलिन G) एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो संक्रमण होने के लगभग दो सप्ताह में COVID-19 रोगियों में विकसित होता है और ठीक होने के बाद भी रक्त में मौजूद रहता है।
    - एलिसा (एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट एसे) एक परीक्षण है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है, उनकी माप करता है।
- यह अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा एक अत्यंत बहु-स्तरीय नमूना अध्ययन डिज़ाइन करने के बाद किया गया है। समय-समय पर बार-बार किया जाने वाला एंटीबॉडी परीक्षण यानी सीरो-निगरानी महामारी के प्रसार का आकलन करने के लिये महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराता है।
- नवीनतम अध्ययन का कवरेज:
  - यह अध्ययन 27 जून, 2020 से 10 जुलाई, 2020 तक कराया गया था।
  - दिल्ली के सभी 11 ज़िलों से 21,387 नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण किया गया। इन नमूनों को दो समूहों 18 वर्ष तक की आयु और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले समूह में विभाजित किया गया था।
- परिणाम:
  - सर्वेक्षण में शामिल 23.48% लोगों के शरीर ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली, जो यह दर्शाता है कि वे नोवल कोरोनोवायरस (SARS-CoV-2) के संपर्क में आए।
  - औसतन पूरी दिल्ली में IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी लगभग 23.48% आबादी में पाई गई, इस अध्ययन के अनुसार कई संक्रमित लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी के 11 ज़िलों में से आठ में 20 प्रतिशत से अधिक आबादी के शरीर में COVID-19 से लड़ने वाली एंटीबॉडी थी।

- सरकार की प्रतिक्रिया:
  - महामारी के लगभग छह महीने में दिल्ली में केवल 23.48% लोग ही COVID-19 से प्रभावित हुए जो घनी आबादी वाले कई जगहों में से एक है।
  - इसके लिये बीमारी का पता लगते ही लॉकडाउन लागू करना, रोकथाम के लिये प्रभावी उपाय करना और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने सहित कई निगरानी उपायों तथा सरकार द्वारा उठाए गए कई सक्रिय प्रयासों को श्रेय दिया जा सकता है। इसमें नागरिकों द्वारा COVID-19 से बचने के लिये उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन की भी कम भूमिका नहीं है।
  - हालाँकि जनसंख्या का एक अहम हिस्सा आज भी संक्रमण की संभावना के लिहाज से आसान लक्ष्य है। इसलिये रोकथाम के उपायों को उसी कड़ाई के साथ जारी रखने की आवश्यकता है।
  - एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, फेस मास्क/कवर का उपयोग, हाथों की साफ-सफाई, खांसी के संबंध में शिष्टाचार का पालन और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना आदि गैर-चिकित्सकीय उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
- चिंता के कारण:
  - शेष 77 प्रतिशत लोगों के लिये कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिये रोकथाम के उपाय समान कठोरता के साथ जारी रहने चाहिये।
  - इसके अलावा, किसी व्यक्ति के COVID पॉज़िटिव होने के बाद उसके शरीर में मौजूद एंटीबॉडी के स्तर और अवधि में क्या परिवर्तन आया होगा इसके बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है।
- पूर्व के सीरो-निगरानी सर्वेक्षण:
  - इससे पहले अप्रैल 2010 में ICMR ने देश के 21 राज्यों के 83 ज़िलों में एक प्रारंभिक सीरो-प्रीवलेंस अध्ययन आयोजित किया था।
  - इस सीरो-प्रीवलेंस अध्ययन के शुरुआती परिणामों के अनुसार, 0.73 फीसदी आबादी के संक्रमित होने की संभावना है जिसमें शहरी आबादी की संख्या 1.09 फीसदी है।

आगे की राह:

- अध्ययन के माध्यम से एकत्र किये गए आँकड़ों से रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मदद मिलेगी।
- इस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं, भविष्य में संबंधित विषय पर रणनीतियाँ तैयार करते समय इन अध्ययनों को आधार बनाकर संभावित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका को DDT की आपूर्ति

चर्चा में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (Hindustan Insecticides Limite-HIL) ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मिट्रिक टन DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) की आपूर्ति की है।

प्रमुख बिंदु

- HIL इंडिया वित्त वर्ष 2020-21 में ज़िम्बाब्वे को 128 मीट्रिक टन DDT 75%WP (Wettable Powder) तथा जाम्बिया को 113 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है।
- DDT:
  - यह एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है।
  - इसे पहली बार वर्ष 1874 में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ ओथमार ज़ाइडलर (Othmar Zeidler) द्वारा संश्लेषित किया गया था।
  - इसके कीटनाशक प्रभाव की खोज स्विस रसायनज्ञ पॉल हरमन मुलर ने वर्ष 1939 में की थी।
  - वर्ष 1948 में इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित DDT अपने पर्यावरणीय प्रभावों के लिये चर्चा में रहता है।
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) के तहत कृषि में DDT के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
- हालाँकि रोग वेक्टर नियंत्रण में इसका सीमित उपयोग अभी भी जारी है, क्योंकि मलेरिया संक्रमण को कम करने में यह काफी प्रभावी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से निपटने के लिये DDT को एक प्रभावी रसायन (Indoor Residual Spraying-IRS) के रूप में मानते हुए इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ऐसे में इसका उपयोग ज़िम्बाब्वे, जांबिया, नामीबिया, मोज़ाम्बिक आदि दक्षिणी अफ्रीकी देशों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में भी मलेरिया से निपटने के लिये DDT का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है।
- दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित मोज़ाम्बिक से सटे तीन प्रांतों में DDT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।
- इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में मलेरिया का काफी प्रकोप रहा है और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है।

- दूसरे देशों को आपूर्ति:
  - HIL इंडिया ने गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट स्तर पर ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम (Locust Control Programme) के तहत 25 मीट्रिक टन मैलाथियान (Malathion) की तथा लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को 32 मीट्रिक टन फंफूद नाशक कृषि रसायनों (Agrochemical-fungicide) की आपूर्ति की है।

मलेरिया

- मलेरिया पूरी दुनिया में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या रहा है।
  - यह प्लास्मोडियम परजीवियों (Plasmodium Parasites) के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है।
  - यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर (Anopheles Mosquitoes) के काटने से फैलता है।
  - यह रोग मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रभावी होता है।
  - वेक्टर नियंत्रण (Vector Control) मलेरिया संचरण को रोकने और कम करने का मुख्य तरीका है।
- प्रभाव:
  - वर्ष 2018 में दुनिया में मलेरिया के अनुमानित 228 मिलियन मामले हुए।
  - इससे अधिकांश मौतें (93%) अफ्रीकी क्षेत्र में हुई।
  - दक्षिण पूर्व एशिया में, मलेरिया के अधिकांश मामले भारत में रहे और यहाँ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी सबसे अधिक रही।
  - मानव आबादी वाले क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव (IRS) मच्छरों को खत्म करने का प्रभावी माध्यम साबित हुआ है।
  - विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 2.6 मिलियन कम मामले दर्ज किये गए। इस प्रकार देश में मलेरिया के कुल मामलों में कमी देखने को मिली है।
  - हालाँकि भारत में दर्ज किये जाने वाले कुल मामलों में से लगभग 90%, 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और मध्य प्रदेश) से हैं।

HIL इंडिया

- HIL (इंडिया) विश्व में DDT का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है।
- भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को DDT की आपूर्ति के लिये वर्ष 1954 में इस कंपनी का गठन किया गया था।

महामारी में ग्राम पंचायतों का प्रशासन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को ग्राम पंचायतों के लिये प्रशासक की नियुक्ति करते समय निजी व्यक्तियों की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों को प्राथमिकता देने का अंतरिम आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 14000 ग्राम पंचायतों के चुनाव कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण स्थगित कर दिये गए हैं, ऐसे में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य भर में ग्राम पंचायतों के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह अंतरिम आदेश दिया है।
- हालाँकि इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सामूहिक तौर पर जल्द ही की जाएगी।
- विवाद
  - दरअसल बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ राज्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 25 जून को जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 151 (1) (a) में संशोधन किया था।
  - राज्य सरकार के इस अध्यादेश के पश्चात् राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13 जुलाई को एक सरकारी संकल्प जारी किया गया, जिसके द्वारा संबंधित ज़िला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के लिये किसी भी व्यक्ति को ग्राम प्रशासक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया।
  - साथ ही इस सरकारी प्रस्ताव में ज़िला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) को यह भी निर्देश दिया गया कि वे इस कार्य के लिये ज़िला संरक्षक मंत्री (District Guardian Minister) की भी सहायता लें।
  - इसके बाद राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14 जुलाई को एक अन्य सरकारी संकल्प (GR) जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पूर्व अनुभव के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
  - इन आदेशों के बाद राज्य की कई ग्राम पंचायतों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें सरकार के इन आदेशों को चुनौती दी गई।

पृष्ठभूमि

- देश भर में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का प्रसार तेज़ी से होता जा रहा है और महाराष्ट्र इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, राज्य में वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3 लाख को भी पार कर गई है।
- महामारी की इस गंभीर स्थिति में ग्राम पंचायतों के चुनावों का संचालन करना संभव नहीं है, किंतु यदि चुनाव नहीं किये जाते हैं तो इससे राज्य की ग्राम पंचायतों का संचालन और उनका कामकाज प्रभावित होगा, ऐसे में सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रशासन के लिये प्रशासक की नियुक्ति का निर्णय लिया था।
- गौरतलब है कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कारणवश निवर्तमान ग्राम पंचायत स्थगित हो जाती है, तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत के प्रशासन के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी और यह प्रशासक तब तक कार्य करेगा जब तक नई पंचायत गठित नहीं हो जाती है।
- याचिकाकर्त्ताओं का पक्ष
  - याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, कानून में कहीं भी ग्राम पंचायत के प्रशासक के तौर पर निजी प्रशासकों की नियुक्तियों की अनुमति नहीं दी गई है और इस तरह की सामूहिक नियुक्तियों का स्थानीय शासन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न विभागों में पर्याप्त मात्रा में सरकारी अधिकारी मौजूदा हैं, जिन्हें इस कार्य के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, किंतु इसके बावजूद निजी प्रशासकों की नियुक्ति की अनुमति देना ज़ाहिर तौर पर एक राजनीतिक कदम प्रतीत हो रहा है।
  - राज्य में सदैव ही सरकारी अधिकारियों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने की प्रथा रही है।

नोट :

- राज्य सरकार का पक्ष
    - इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए राज्य के महाधिवक्ता (Advocate-General) ने कहा कि यदि प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो इससे ग्राम पंचायतों के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
    - सरकार का प्रतिनिधित्त्व कर रहे राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में काफी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें मौजूद हैं और राज्य के सरकारी अधिकारी पहले से ही काम के अत्यधिक बोझ के तले दबे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय का निर्णय
    - न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव कराना संभव नहीं है, ऐसे में यदि ग्राम पंचायत के प्रशासक की नियुक्त नहीं की जाती है, तो इससे ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रभावित होगा।
    - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस बात का कोई भी कारण नहीं है कि सरकारी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में क्यों न नियुक्त किया जाए।
    - न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत नियुक्त किया जाने वाला प्रशासक, सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्रशासन का अधिकारी होना चाहिये।
    - न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के अनुसार, यदि इस कार्य के लिये किसी भी ग्राम पंचायत में निजी प्रशासक की नियुक्ति जाती है तो राज्य को इस संबंध में एक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
    - हालाँकि यह उच्च न्यायालय का केवल अंतरिम आदेश (Interim Order) है और इस मामले की सुनवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जल्द ही की जाएगी।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायतों के लिये प्रशासकों को नियुक्त करने का निर्णय राज्य में ग्राम पंचायतों का सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करेगा, किंतु राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश राजनीतिक मंशा से प्रेरित प्रतीत होते हैं, आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए और ग्राम पंचायत के प्रशासक की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

न्यायेत्तर हत्याएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को एक मुठभेड़ (न्यायेत्तर हत्या) में मार गिराया। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए और मामले की न्यायिक जाँच की मांग की।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस के अधिकार:
    - पुलिस बल को आत्मरक्षा के वैयक्तिक एवं एकमात्र उद्देश्य के लिये या जहाँ शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है, अपराधी को घायल करने या जान से मारने का अधिकार है।
        - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-96 के तहत, प्रत्येक मनुष्य को निजी रक्षा का अधिकार है जो कि एक प्राकृतिक और एक अंतर्निहित अधिकार है।
        - आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-46 पुलिस को बल प्रयोग करने के लिये अधिकृत करती है, एक ऐसा अपराधी जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकती है, के संदर्भ में यदि बल का प्रयोग, यहाँ तक कि हत्या भी, आवश्यक हो जाता है तो पुलिस कर सकती है।
- न्यायेत्तर हत्या की संख्या बढ़ने के कारण:
    - जन समर्थन: ऐसे मामले लोगों के न्यायपालिका में विश्वास की कमी से उभरते हैं क्योंकि कई लोग मानते हैं कि न्यायालय समय पर न्याय प्रदान नहीं करेंगे।

- राजनीतिक समर्थन: कई नेता कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी उपलब्धि के रूप में एनकाउंटर की संख्या को प्रमुखता देते हैं।
- पुरस्कार: बहुत बार मुठभेड़ों के लिये पुलिस बलों को पुरस्कृत किया जाता है।
- सरकार मुठभेड़ों में शामिल टीमों को पदोन्नति और नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- अप्रभावी संस्थाएँ: इस संदर्भ में मानवाधिकारों की रक्षक संस्थाएँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग कई वर्षों से निरर्थक साबित हो रही हैं।
- हालाँकि इस तरह के मामलों को न्यायपालिका के समक्ष उठाया जा सकता है, हालाँकि अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
- एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की नायक की भाँति पूजा की जाती है: अक्सर ऐसा देखेने को मिलता है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी समाज में नायक के रूप में उभरकर सामने आते हैं क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि ये पुलिसकर्मी अपराधियों को मारकर समाज की सफाई का काम कर रहे हैं।
- कई बार उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर हीरो के रूप में भी पेश किया जाता है, और उनके कृत्यों को "वीर" कृत्य के रूप में दर्शाया जाता है, जिन पर बड़े-बड़े बजट की फिल्में बनती हैं।
- हालाँकि लोग, मीडिया और यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इस तथ्य को दरकिनार कर देते हैं कि जब तक किसी मुद्दे की पूर्ण रूप से जाँच नहीं होती है और वास्तविक कहानी का पता नहीं चलता है तब तक ये सभी हत्याएँ संदिग्ध हैं।

- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारत के संविधान में भारत के लिये कानून के शासन द्वारा शासित देश का प्रयोजन किया गया है।
  - विधि के शासन के अनुसार, भारत में संविधान सर्वोच्च शक्ति है और विधायिका एवं कार्यपालिका संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं।
  - आपराधिक जाँच के लिये कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में अंतर्निहित है। यह मौलिक अधिकार है और यह हर व्यक्ति के लिये उपलब्ध है। यहाँ तक कि राज्य भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
  - इसलिये यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बनाए रखे, चाहे वह निर्दोष हो या अपराधी।
- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:
  - PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं के जवाब में कुछ दिशा-निर्देश जारी किये. इन याचिकाओं को मुंबई पुलिस द्वारा की गई 99 मुठभेड़ों की वास्तविकता पर सवाल उठाए गए थे, वर्ष 1995 और 1997 के बीच हुई इन मुठभेड़ों में 135 कथित अपराधियों को गोली मार दी गई थी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ों के दौरान हुई मौत के मामलों में पूरी तरह से प्रभावी और स्वतंत्र जाँच के लिये मानक प्रक्रिया के रूप में 16 दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
  - आपराधिक गतिविधियों के बारे में टिप-ऑफ (खुफिया):
    - FIR दर्ज करना: यदि किसी टिप-ऑफ (खुफिया) जानकारी के अनुसरण में, पुलिस आग्नेयास्त्रों का उपयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उचित आपराधिक जाँच शुरू करने संबंधी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिये और बिना किसी देरी के उसे अदालत में भेज दिया जाना चाहिये।
    - स्वतंत्र जाँच: इस प्रकार की मौतों के संदर्भ में एक स्वतंत्र CID टीम या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की टीम द्वारा जाँच की जानी चाहिये. इस प्रकार की जाँच में निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिये-पीड़ित की पहचान करना, संबंधित साक्ष्यों को खोजना और उन्हें सुरक्षित रखना, घटना स्थल पर मौजूद गवाहों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित करना, आदि
    - NHRC को सूचित करना: किसी भी एनकाउंटर के विषय में NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोग (जैसा भी मामला हो) को तत्काल सूचित किया जाना चाहिये
    - त्वरित कार्रवाई: IPC के तहत अपराध के रूप में, अगर कोई पुलिस अधिकारी झूठी मुठभेड़ का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये और उस समय के लिये उस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाना चाहिये।

- न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन आवश्यकताओं/मानदंडों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित एक कानून मानते हुए पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली मौत और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्ती का रवैया अपनाया जाना चाहिये।
- NHRC दिशा-निर्देश:
  - मार्च 1997 में न्यायाधीश एम.एन. वेंकटाचलैया (तत्कालीन NHRC अध्यक्ष) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा कि मुठभेड़ों से संबंधित मामलों में पुलिस निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करे:
    - FIR को रजिस्टर करना: जब किसी थाने के मुख्य अधिकारी को मुठभेड़ में हुई हत्या के संबंध में सूचना मिलती है तो उसे उपयुक्त रजिस्टर में उस सूचना को दर्ज करना होगा।
    - जाँच करना: प्राप्त जानकारी को संदिग्ध जानकारी माना जाएगा, मौत को संदर्भित करने वाले तथ्यों (जैसे कि क्या अपराध हुआ है, यदि हुआ है तो किसके द्वारा) एवं परिस्थितियों की जाँच के लिये तत्काल कदम उठाए जाने चाहिये।
    - मुआवज़ा देना: मृतक के आश्रितों को मुआवज़ा दिया जा सकता है यदि मुठभेड़ से संबंधित जाँच से प्राप्त परिणामों के आधार पर पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है तो मृतक के आश्रितों को मुआवज़ा दिया जा सकता है।
    - स्वतंत्र एजेंसी: जब भी किसी एनकाउंटर दल में एक ही पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, तो उचित यह होगा कि जाँच के लिये मामलों को किसी अन्य स्वतंत्र जाँच एजेंसी जैसे कि राज्य की CID को मामले भेज दिये जाए।
- वर्ष 2010 में NHRC ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए उक्त दिशा-निर्देशों में वृद्धि कर दी:
  - मजिस्ट्रियल जाँच: पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली सभी मौतों के मामलों में जितनी जल्दी हो सके (अधिमानत: तीन महीने के भीतर) एक मजिस्ट्रियल जाँच होनी चाहिये।
  - आयोग को रिपोर्ट करना: राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में होने वाली सभी मौतों के विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 48 घंटे के भीतर आयोग को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजनी होगी।
  - सभी मामलों में आयोग को तीन महीने के भीतर दूसरी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिये, जिसके माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जाँच/मजिस्ट्रियल जाँच के निष्कर्ष आदि समाहित हो।

आगे की राह

- एनकाउंटर में होने वाली मौतों की स्वतंत्र जाँच की जानी चाहिये क्योंकि इनसे विधि के शासन का नियम प्रभावित होता है। यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि समाज में एक कानून व्यवस्था विद्यमान है जिसका प्रत्येक राज्य प्राधिकरण और जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिये।
- पुलिस कर्मियों पर हो सकने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिये अभियुक्तों की उचित हिरासत की व्यवस्था करना।
- इसके अलावा, आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करने और अपेक्षित पुलिस सुधार किये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने और उन्हें सभी प्रासंगिक कौशल से युक्त करने के लिये मानक दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी भयानक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सकें।
  - गिरफ्तारी के समय/गिरफ्तार व्यक्तियों के संदर्भ में मानव अधिकारों के पक्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

प्ली बारगेनिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विभिन्न देशों से संबंधित तब्लीगी जमात के कई सदस्यों को 'प्ली बारगेनिंग'/दलील सौदेबाज़ी (Plea Bargaining) प्रक्रिया के माध्यम से अदालती मामलों से रिहा/मुक्त कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इन विदेशी नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के दौरान जारी दिशा-निर्देशों और वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप था।
- इन आरोपों के निपटान में 'प्ली बारगेनिंग' इस्तेमाल किया गया ताकि ट्रायल में लगने वाले समय को बचाया जा सके। हालाँकि भारत में एक दशक से अधिक समय से आपराधिक मामलों में फंसे आरोपियों के पास 'प्ली बारगेनिंग' का विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद इसका प्रयोग अभी भी सामान्य/आम नहीं है।

प्ली बारगेनिंग क्या है?

- एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर 'प्ली बारगेनिंग' की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सज़ा से कम सज़ा प्राप्त करने के लिये अभियोजन से सहायता लेता है।
- इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त (Accused) और अभियोजक (Prosecutor) के बीच ट्रायल के पूर्व वार्ता (Pre-trial Negotiations) को शामिल किया जाता है।

भारत में क्या प्रावधान है?

- वर्ष 2006 तक भारत में 'प्ली बारगेनिंग' की अवधारणा कानून का हिस्सा नहीं थी।
- भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में एक अभियुक्त के पास एक पूर्ण मुकदमे की पैरवी करने के बजाय 'दोषी' की पैरवी करने का प्रावधान है, हालाँकि यह 'प्ली बारगेनिंग' के समान नहीं है।
- भारत विधि आयोग ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में, उन लोगों के लिये 'रियायती उपचार' (Concessional Treatment) प्रक्रिया पर विचार विमर्श प्रस्तुत किया है जो स्वयं को अपनी इच्छा से 'दोषी' मानते हैं लेकिन विधि आयोग द्वारा इस बात के प्रति भी सावधानी बरती गई है कि इसमें अभियोजन के साथ कोई सौदेबाजी/बारगेनिंग शामिल नहीं होनी चाहिये।
- वर्ष 2006 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- CrPC) के अध्याय XXI-A में संशोधन कर 'प्ली बारगेनिंग' को एक भाग के रूप में शामिल किया गया।
  - इसमें धारा 265A से 265L को शामिल किया गया है।

किन परिस्थितियों में इसकी अनुमति है?

- अमेरिकी और अन्य देशों के विपरीत, जहाँ अभियोजक संदिग्ध अपराधी के साथ बारगेनिंग/सौदेबाजी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भारतीय सहिता में एक ऐसी प्रक्रिया की दलील प्रस्तुत की गई है जिसे केवल आरोपी द्वारा ही शुरू किया जा सकता है।
- अभियुक्त को 'प्ली बारगेनिंग' के लिये अदालत में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- भारत में बहुत ही सीमित मामलों के लिये 'प्ली बारगेनिंग' के अभ्यास की अनुमति है, केवल एक ऐसा अपराधी जिसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की सज़ा दी गई है, वह अध्याय XXI-A के तहत 'प्ली बारगेनिंग' का उपयोग नहीं कर सकता है।
- यह उन निजी शिकायतों पर भी लागू होता है जिन्हें एक आपराधिक अदालत द्वारा संज्ञान में लिया गया है।
- कुछ ऐसे मामलें भी हैं जिनका दलीलों के माध्यम से निपटारा नहीं किया जा सकता है जिनमें शामिल है-
  - देश की 'सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों' को प्रभावित करने वाले अपराध।
  - 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या किसी महिला के विरुद्ध किया गया कोई अपराध।

यह कैसे कार्य करता है?

- आवेदक अदालत में एक याचिका एवं हलफनामा प्रस्तुत करता है। इस याचिका एवं हलफनामे में आवेदक द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि याचिकाकर्त्ता स्वेच्छा से इसे प्राथमिकता दे रहा है और वह अपराध के लिये कानून में प्रदान की गई सज़ा की प्रकृति और प्रभाव को समझता है।
- इसके बाद अदालत अभियोजक और शिकायतकर्त्ता या पीड़ित को सुनवाई के लिये नोटिस जारी करती है।
- आवेदन की स्वैच्छिक प्रकृति का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा कैमरे के समक्ष किया जाता है जहाँ दूसरा पक्ष मौजूद नहीं होता है।
- इसके बाद अदालत अभियोजक, जाँच अधिकारी और पीड़ित को 'मामले के संतोषजनक निपटान' के लिये बैठक आयोजित करने की अनुमति देती है जिसमें आरोपी द्वारा पीड़ित को मुआवज़े का भुगतान और अन्य खर्च देना होता है।
- एक बार आपसी संतुष्टि हो जाने के बाद, अदालत सभी पक्षों और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट के माध्यम से व्यवस्था को औपचारिक बना देती है।
  - आरोपी को एक निश्चित अवधि के कारावास की सज़ा हो सकती है जो अपराध के लिये निर्धारित मूल सज़ा की अवधि की आधी होती है।

- यदि किस अपराध के संदर्भ में सज़ा की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं है, तो कानून में निर्धारित अधिकतम सज़ा की एक-चौथाई अवधि तक की सज़ा दी जाती है।

- प्ली बारगेनिंग के पक्ष और विपक्ष में तर्क
- पक्ष
    - अपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर वर्ष 2000 में गठित जस्टिस मलिमथ कमेटी ने प्ली बारगेनिंग के संबंध में विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन किया।
        - आपराधिक मामलों के परिणाम पर बनी रहने वाली अनिश्चितता की स्थिति को खत्म करना संभव होगा।
        - मामलों की सुनवाई में तेज़ी आएगी।
        - मुकदमेबाज़ी पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।
        - इससे सज़ा/दंड की दरों पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में यह बेहद आम है, लंबे और जटिल ट्रायल से बचने का यह एक सफल तरीका है। नतीजतन, वहाँ सज़ा की दर काफी अधिक है।
        - लंबे समय से विचाराधीन मुकदमों के चलते कैदी वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ती जा रही हैं, इस प्रकार के विकल्पों से लंबित मामलों के निपटान में भी मदद मिलेगी।
        - यह अपराधियों को जीवन में एक नई शुरुआत करने में भी मददगार साबित हो सकता है।
- विपक्ष
    - जिन लोगों को प्ली बारगेनिंग के लिये मजबूर किया जाता है उन लोगों के पास ज़मानत कराने का विकल्प भी मौजूद नहीं होता हैं।
    - यहाँ तक कि ऐसे मामलों में अदालत भी अपनी स्वैच्छिक प्रकृति का परिचय देती है क्योंकि गरीबी, अज्ञानता और अभियोजन पक्ष के दबाव के कारण किसी को उस अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये जो उसने किया ही नहीं है।
    - न्यायपालिका ने अपने पूर्व के फैसलों में (विशेषकर इस प्रक्रिया के लागू होने से पहले) अपराधियों के साथ प्ली बारगेनिंग को यह कहकर अस्वीकार किया है कि एक नियमित ट्रायल के बाद मामले को परिस्थितियों के हिस्से के रूप में उदार वाक्य माना जा सकता है।
    - इसके अलावा, यह निष्पक्ष जाँच के पीड़ित के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है, इस प्रकिया में जाँच एजेंसियों द्वारा ज़बरदस्ती किये जाने और भ्रष्टाचार जैसे उपकरण बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
    - कुछ लोगों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के विरुद्ध है जो आत्म-उत्पीड़न के खिलाफ एक अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

- यहाँ इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि प्ली बारगेनिंग आरोपी और पीड़ित के लिये भले ही फायदेमंद हो, लेकिन इस प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाना बेहद आवश्यक है।
- प्ली बारगेनिंग आपराधिक अदालतों में बढ़ते मामलों की संख्या को नियंत्रित करने और न्यायिक संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और खर्चों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक संभावित उपाय है।

सामुदायिक कैंटीन 2.0

चर्चा में क्यों?

कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana) को और तीन महीने के लिये विस्तारित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिये सब्सिडी युक्त अनाज तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 'वन नेशन, वन राशन' (One Nation, One Ration-ONOR) योजना के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID- 19 महामारी के दौर में मार्च माह में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री 'गरीब कल्याण अन्न योजना' की घोषणा की गई थी।
  - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से सरकार पूरे देश में लगभग 800 मिलियन लाभार्थियों को हर माह 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलो चना प्रदान कर रही है।
- महामारी के चलते लॉकडाउन अवधि के दौरान जो लाखों लोग/प्रवासी अपने पैतृक गाँवों में वापस चले गए हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन का अभाव बना हुआ है।
- मौजूदा समस्या के समाधान के तौर पर समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिये पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक कैंटीन (Community Canteens) एक सस्ता एवं बेहतर विकल्प है।

सामुदायिक कैंटीन:

- सामुदायिक कैंटीन/रसोई बहुत सस्ती कीमत पर लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती हैं।
- इनमें खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा के मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में सामुदायिक कैंटीन की स्थिति:

- देश के लगभग 10 से अधिक राज्यों में सामुदायिक कैंटीन चलाई जा रही हैं।
  - कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन शामिल हैं।
  - राजस्थान में जून 2020 में महामारी के संकट की स्थिति में तमिलनाडु की अम्मा रसोई की तर्ज पर 'इंदिरा रसोई योजना' की शुरुआत की गई।
    - इस योजना के माध्यम से गरीबों और ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर दिन में दो बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
    - वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' की शुरुआत की गई थी जिसमें 5 रुपए में नाश्ता एवं 8 रुपए में दोपहर का भोजन देने का प्रावधान किया गया था।
  - मध्य प्रदेश की दीनदयाल कैंटीन भी सामुदायिक कैंटीन का ही उदाहरण हैं।

सामुदायिक कैंटीन का महत्त्व:

- इनके माध्यम से समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लिये सुरक्षित, पौष्टिक और सस्ती दरों पर भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- सामुदायिक कैंटीन रोज़गार के नए अवसर सृजित करने में सहायक हो सकती हैं। क्योंकि इन कैंटीनों के माध्यम से एक दिन में लगभग 90 मिलियन लोगों को भोजन परोसने के लिये लोगों की ज़रुरत होती है।
- यह खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

वर्तमान स्थिति:

- सामान्यत इन कैंटीनों में 5-10 रुपए प्रति प्लेट की दर से सस्ता खाना मिलता है।
- प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस तरह की कैंटीन में पौष्टिक भोजन की कीमत 15-20 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से स्वत धारणीय (Self-Sustainable) हो सकती है जो सड़क किनारे स्थित उन ढाबे द्वारा लिये जाने वाले भोजन शुल्क से काफी कम हैं।
- एक विश्लेषण के अनुसार, 26,500 करोड़ के शुरुआती सामाजिक निवेश के साथ 60,000 कैंटीन तथा 8,200 रसोईघरों के माध्यम से 30 मिलियन शहरी गरीब श्रमिकों को (मुख्य रूप से प्रवासियों को) एक दिन में तीन पौष्टिक भोजन दिये जा सकते हैं।
- यदि सभी शहरी प्रवासी श्रमिक 'वन नेशन, वन राशन' योजना की बजाय सामुदायिक कैंटीनों पर भरोसा करे तो निवेशक इनमें किये गए अपने निवेश को छह वर्ष से भी कम की समयावधि में वापस प्राप्त कर सकते हैं।
- यह 'वन नेशन, वन राशन' योजना के संभावित खाद्य सब्सिडी परिव्यय को कम करने में भी सहायक है, जिससे लगभग 4,500 करोड़ की वार्षिक बचत होने की संभावना है।

नोट :

आगे की राह:

वर्तमान समय में अधिकांश कैंटीन सुचारु रूप से कार्य करने के लिये निरंतर सरकारी सहायता पर निर्भर है। केंद्र सरकार को सामुदायिक कैंटीन के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक पूंजी सहायता का विस्तार करना चाहिये तथा राज्य स्तर पर सेवा प्रदाताओं के रूप में इन कैंटीनों का नेतृत्व निजी संस्थाओं के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों या नगर निगमों द्वारा किया जाना चाहिये।

डिजिटल जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियमः डेटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नियंत्रक और महालेखा परीक्षक' (Comptroller and Auditor General-CAG) ने 'डिजिटल जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम' (Digital Accountability and Transparency Act-DATA) नामक एक प्रस्तावित परियोजना एवं कानून के तहत केंद्र सरकार के लिये अनिवार्य डिजिटल भुगतान, लेखांकन एवं लेन देन हेतु डिजिटलीकरण के माध्यम से तीन चरण के ट्रांज़िशन (Three-Phase Transition) का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- तीन चरण के ट्रांज़िशन (Three-Phase Transition) के सुझाव में डिजिटल सार्वजनिक उपयोगिताओं की आवश्यकता को चिह्नित किया गया हैं।
  - इन सुझावों में न केवल ई-सेवाएँ शामिल हैं, बल्कि सभी सरकारी राजस्व एवं व्यय आँकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक, मशीनी माध्यम से पढ़ने योग्य, गैर-प्रतिकारक, विश्वसनीय, सुलभ और खोजने योग्य बनाया गया है।
- डिजिटलीकरण के लिये 100% एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर अर्थात् डेटा तक शुरु से लेकर अंत तक इलेक्ट्रॉनिक पहुँच आवश्यक है।
  - इसमें सभी रसीदें एवं व्यय का लेन देन शामिल हैं। एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर में माँगों, मूल्यांकन और चालान की प्राप्ति (Received), संसाधित (Processed) एवं भुगतान (Paid) इत्यदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल किया जाना है।
- सभी सरकारी संस्थाओं में डेटा गवर्नेंस के लिये निर्धारित मानक ज़रुरी है।
  - डेटा मानक का अर्थ है डेटा के घटकों का वर्णन एवं रिकॉर्डिंग करने के नियम जो डेटा के एकीकरण (Integration), साझाकरण (Sharing) और अंतर-सक्षमता (Interoperability) के लिये आवश्यक हैं।
- प्रौद्योगिकी वस्तुसंरचना
  - इसके तहत मजबूत सुरक्षा के साथ-साथ गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए सभी आईटी सरकारी प्रणालियों को एक निर्धारित स्वतंत्र वस्तुसंरचना ढाँचे के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

डिजिटलीकरण के लाभ:

- डिजिटलीकरण के माध्यम से बजट के अलावा किये गए लेनदेन, व्यावसायिक निरंतरता (जैसे फ़ाइलों या पेपर रिकॉर्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खो नहीं सकते हैं) एवं असंगत लेखापरीक्षण की पहचान की जा सकती है।
- यह संसद और विधान सभाओं को यह आश्वासन देने में सक्षम बनाएगा कि सरकार के द्वारा एकत्र किया गया प्रत्येक रुपया/धनराशि उसी उद्देश्य के लिये खर्च की गई है जिसके लिये इसे आवंटित किया गया था।
- डिजिटलीकरण द्वारा लेन-देन में डेटा मानकीकरण के निर्धारण से डेटा की अस्पष्टता दूर होगी साथ ही अनावश्यक डेटा को कम किया जा सकेगा जिससे विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण के लिये प्रोटोकॉल बनाने में आसानी होगी।
- यह संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता उपकरणों जैसे एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के उपयोग को सक्षम बनाएगा जिसका उपयोग बजट आधार स्थापित करने में , त्रुटियों का पता लगाने में , डेटा-संचालित योजना के क्रियान्वयन में तथा विभागों एवं एजेंसियों के तुलनात्मक प्रदर्शन हेतु मानक स्थापित करने में किया जा सकता है ।

स्थानीय निकायों के लिये ऑडिट ऑनलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिये देश की ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats- GP) का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा विकसित ऑडिट ऑनलाइन एप द्वारा की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रक्रिया के पहले चरण में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 20% ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
  - चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन ऑडिट के लिये लगभग 50,000 पंचायतों को शामिल किये जाने की संभावना है।
  - इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा।
- चालू बीते वर्ष में पंचायतों के लेखा-जोखा खातों का ऑडिट इस बात पर केंद्रित होगा कि उन्होंने वित्त (Finance commission-FS) आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया।
  - 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये लगभग 60, 750 करोड़ रुपए आवंटन की सिफारिश की थी जो पिछले वर्ष 14वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित की गई राशि के लगभग समान थी।

लाभ

- हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन ऑडिट भौतिक सत्यापन के विकल्प के साथ अधिक प्रासंगिक है।
- ऑफलाइन प्रणाली में समय पर आँकड़ों की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा था।
- ऑनलाइन ऑडिट आँकड़ों तक पहुँच को आसान बनाएगा जिससे ज़िला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी की जा सकेगी।
  - इसके अलावा पहले किए गए कार्यों की तस्वीर अपलोड करके परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने में सहायक होगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में ऑडिटर कर स्वीकृति और भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ऑनलाइन देख सकेंगे।
  - साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों से अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग भी कर सकते हैं।

ऑडिट ऑनलाइन

- यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-panchayat Mission Mode Project-MMP) के तहत पंचायत इंटरप्राइजेज़ सूट (Panchayat Enterprise Suite- PES) में एक भाग के रूप में विकसित एक ओपन सोर्स ऐप है।
- यह लेखा परीक्षकों द्वारा पंचायतों के तीनों स्तरों पर ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) तथा विभागों में खातों की वित्तीय ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है।
- यह न केवल खातों की ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है बल्कि ऑडिट टीम में शामिल किए गए सभी लेखा परीक्षकों से संबंधित सूची का पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य से भी कार्य करता है।
- इसके अलावा यह सूचना सार्वजनिक डोमेन और अन्य अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग करने के लिये भी उपलब्ध रहती है।

पंचायत इंटरप्राइजेज सूट- PES

- पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के पंचायती राज्य संस्थानों में ई-गवर्नेंस को शुरू करने तथा मज़बूत करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस पहल को प्रभावी रूप से अपनाने के लिये पंचायती राज्य संस्थानों से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु MMP शुरू किया था।
- ई-पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन एप तैयार किये गये थे, जो पंचायतों के पूरे कामकाज को जैसे- नियोजन, निगरानी, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण संचालन जैसे- प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि को अभिलक्षित करते हैं।
- इन 11 सॉफ्टवेयर एप को मिलाकर पंचायत इंटरप्राइजेज सूट का निर्माण होता है।

आगे की राह

- यदि पंचायतों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से दिनों दिन बढ़ रहे सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से करना है तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है।
- ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj) और स्वामित्व कार्यक्रम (Swamitva Programme) को लॉन्च करना इसी उद्देश्य को रेखांकित करता है।
- इसके अलावा एक ऐसे डिजिटल समावेशी समाज बनाने की एक मज़बूत आवश्यकता है जहाँ ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा तकनीक का लाभ उठा सकें तथा स्वतंत्र रूप से सेवाओं और सूचनाओं को साझा व उनका उपयोग कर सकें एवं विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0 के अनुरूप होगा।

मानव परीक्षण

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के उपचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली संभावित दवाएँ तथा वैक्सीन विश्व स्तर पर शोधकर्त्ताओं के लिये अनुसंधान का विषय बनी हुई है। भारत सहित विश्व के कुछ अन्य देशों में इसके उपचार के लिये प्रयुक्त होने वाली संभावित वैक्सीन 'मानव परीक्षण' (Human Trials) के विभिन्न चरणों में है जिस कारण वर्तमान समय में 'मानव परीक्षण' चर्चाओं में बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस से संबंधित 18 वैक्सीन 'मानव परीक्षण' के विभिन्न चरणों में है जिनमे भारत की दो वैक्सीन भी शामिल हैं।
  - इनमे से एक को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक (Bharat Biotech) कंपनी द्वारा तथा दूसरी को अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल फर्म ज़ाइडस कैडिला (Zydus Cadila) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- मानव परीक्षण किसी वैक्सीन को विकसित करने के क्रम में अंतिम चरण होता है। हालाँकि इसमें भी कई चरण होते हैं जिस कारण इसे सफलतापूर्वक पूर्ण होने में लंबा समय या फिर कुछ वर्षों का समय भी लग सकता है।

मानव परीक्षण:

- मानव परीक्षण में दवा या वैक्सीन का मनुष्यों पर प्रयोग किया जाता है।
- हालांकि परीक्षण के दौरान मनुष्यों पर वैक्सीन का प्रयोग पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है फिर भी
- मनुष्यों पर दवा या वैक्सीन के परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से दो पहलुओं की जांच की जाती हैं-
  - क्या दवा या वैक्सीन प्रयोग के लिये सुरक्षित है?
  - क्या दवा या वैक्सीन वही कार्य करने में सक्षम है जिसके लिये इसका परीक्षण किया जा रहा है अर्थात् क्या यह रोगजनक (Pathogen) के विरुद्ध प्रतिरक्षा (Immunity) क्षमता विकसित करने में कारगर है?

मानव परीक्षणों की आवश्यकता:

- कोई वैक्सीन या दवा मनुष्य के शरीर पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा इसे सिर्फ मानव परीक्षण के द्वारा ही जाना जा सकता है।
- मानव परीक्षण में शोधकर्त्ताओं द्वारा न केवल एक टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण किया जाता है, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रयोग के दौरान इसका कोई दुष्प्रभाव होगा या नहीं?,
- मानव परीक्षण से प्राप्त सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के आधार पर ही शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने कार्य की प्रगति को आगे निर्धारित किया जाता है अर्थात् यदि परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो परीक्षण को आगे बढ़ाया जाता है और यदि परिणाम नकारात्मक होते हैं तो इसे यही समाप्त कर दिया जाता है।

मानव परीक्षण का आधार:

- किसी भी दवा या वैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण करने से पूर्व उसमें प्रयोग होने वाले यौगिकों की प्रयोगशाला में जांच की जाती है तथा जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इस चरण को पूर्व-नैदानिक परीक्षण (Pre-Clinical Trials) के रुप में जाना जाता है।
- पूर्व-नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि क्या यह वैक्सीन मानव परीक्षण की दृष्टि से सुरक्षित है या नहीं?
  - इसके अलावा इसका उद्देश्य यह भी देखना है कि क्या वैक्सीन उस कार्य को करने में सक्षम है जिसके लिये इसे विकसित किया जा रहा है?
- यदि शोधकर्त्ताओं को पूर्व-नैदानिक परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो वे अगले चरण अर्थात् मानव परीक्षण के लिये नियामक संस्था (भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया) से अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

भारत में मानव परीक्षण हेतु नियामक संस्थान:

- ब्रिटिश समय से ही 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research- ICMR) भारत में मानव परीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों की एक विस्तृत सूची जारी करती है।
  - 187 पृष्ठों की यह सूची/दस्तावेज़ जिसका शीर्षक 'नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वोल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंटस ' (National Ethical Guidelines For Biomedical And Health Research Involving Human Participants) है को अंतिम बार वर्ष 2017अद्यतन (Update) किया गया है जिसमे मानव परीक्षण से संबंधित प्रत्येक पक्ष को शामिल किया गया है।
- भारत में मानव परीक्षणों का निरीक्षण करने वाली संस्था 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSO) है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करती है।
  - यह केंद्रीय संस्था नई दवा या वैक्सीन को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है जिसे मानव परीक्षणों के लिये प्रयोग किया जाता है।
- मानव परीक्षणों के लिये मंज़ूरी प्रदान करने वाली संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) है जो CDSO के अंतर्गत कार्यरत है।
- ज़मीनी स्तर पर प्रत्येक मानव परीक्षण का निरीक्षण करने के लिये एक नैतिक समिति (Ethics Committee- EC) का गठन किया जाता है।
  - इस समिति का गठन चिकित्सा संस्थान अर्थात चिकित्सीय कॉलेज या फिर अस्पताल के स्तर पर किया जाता।
  - यदि मानव परीक्षण किसी गैर चिकित्सीय संस्थान (जैसे-निजी कंपनी के अनुसंधान केंद्र) द्वारा किया जा रहा है तो किसी पास के अस्पताल की नैतिक समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है।
  - ICMR के अनुसार, नैतिकता समिति संस्थागत स्तर पर मानव परीक्षण को शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है तथा इस बात को सुनिश्चित करती है कि मानव परीक्षण उचित वैज्ञानिक-सांख्यिकीय अभ्यासों (Sound Scientific-Statistical Practices) पर आधारित है जो नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करता है।
  - समिति द्वारा मानव परीक्षणों के प्रत्येक पहलू पर नज़र रखी जाती है।

मानव परीक्षण में शामिल व्यक्ति:

- मानव परीक्षण में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाना होता हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्त्ताओं द्वारा किस उद्देश्य के लिये मानव परीक्षण किया जाना है।
  - उदाहरण के तौर पर COVID- 19 के परीक्षण में वो लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जो COVID- 19 से संक्रमित थे या है क्योंकि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति द्वारा वायरस के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता विकसित होने के कारण वैक्सीन की प्रभावकारिता को सही ढंग से नहीं पहचाना जा सकता है।
  - ठीक इसके विपरीत कैंसर के लिये मानव परीक्षण में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता हैं जो पहले से ही कैंसर से पीड़ित है।

- मानव परीक्षण के लिये चयनित व्यक्ति को परीक्षणों के हर संभावित जोखिमों से अवगत कराया जाता है जिसके बाद ही परीक्षण में शामिल व्यक्ति को परीक्षण के लिये अपनी सहमति से देनी होती है।
- मानव परीक्षण के दौरान व्यक्ति को न केवल निश्चित मानदंडों का पालन करना होता है बल्कि कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों, दवा का सेवन एवं गर्भ धारण न करने इत्यादि के लिये भी मानदंड निर्धारित किये जाते हैं।

मानव परीक्षण का प्रभाव:

- व्यक्ति पर पड़ने वाले मानव परीक्षण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण किस उद्देश्य के लिये किया जा रहा है।
- मानव परीक्षण में शामिल व्यक्ति को यादृच्छिक andomly) तरीके से 'प्रायोगिक समूह' (Experimental Group) या फिर 'नियंत्रण समूह' (Control Group) में रखा जाता है।
  - 'प्रायोगिक समूह' में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनपर अभी उपचार (Treatment) के लिये अध्ययन किया जाना है, जबकि 'नियंत्रण समूह' में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें ऐसे उपचार से उपचारित (Treated) किया जाता है जो व्यक्ति के लिये पहले से ही सुरक्षित और प्रभावी होता है।
  - 'प्रायोगिक समूह' या फिर 'नियंत्रण समूह' शोधकर्ता को प्रयोगात्मक दवा या वैक्सीन की प्रभावकारिता का उचित उपचार करने के लिये तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है।
- हालांकि COVID-19 एक नए वायरस की वजह से हो रहा है जिसे उपर्युक्त वर्णित (प्रायोगिक समूह/नियंत्रण समूह) किसी भी तरीके से उपचारित नहीं किया जा सकता है। अत: COVID-19 वैक्सीन के लिये मानव परीक्षण में 'नियंत्रण समूह' को संभवत: एक 'प्लेसबो' (Placebo) दिया जाता है।
  - 'प्लेसबो' एक ऐसा पदार्थ है जो स्वास्थ्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।
  - मानव परीक्षण के दौरान प्रायोगिक वैक्सीन या प्लेसबो को मनुष्य के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर एक खुराक के रूप में प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद रक्त, मूत्र, आदि के नमूने को चिकित्सीय परीक्षण के लिये एकत्र किया जाता है।

मानव परीक्षण के चरण:

कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान में शोधकर्ताओं द्वारा 3 चरणों को शामिल किया गया है ये चरण मानव परीक्षण की ही 3 अलग-अलग अवस्थाएँ है।

- प्रथम चरण
  - प्रथम चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्या वैक्सीन मनुष्य के लिये सुरक्षित है या नहीं? क्या मानव शरीर इसे सहन करने में सक्षम है?
  - इसके अलावा प्रथम चरण में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या वैक्सीन प्रतिरक्षा क्षमता के कुछ स्तरों को विकसित करने में सक्षम है या नहीं?
- द्वितीय चरण:
  - द्वितीय चरण में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि वैक्सीन प्रतिरक्षा क्रिया के वांछित स्तर को उत्पन्न करने के लिये कितनी प्रभावी है?
  - इस चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की सही मात्रा उत्पन्न करने के लिये वैक्सीन की सही खुराक के स्तर को तैयार किया जाता है।
  - मानव परीक्षण में शामिल लोगों पर वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभावों का समग्र रूप से एवं सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है।
- तृतीय चरण:
  - इस चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा द्वितीय चरण से प्राप्त परिणामों की पुष्टि की जाती है तथा यह बताने का प्रयास किया जाता है कि लोगों को दी जाने वाली प्रायोगिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है?
  - यह मानव परीक्षणों का अंतिम महत्वपूर्ण चरण है जिसमे टीका की प्रभावकारिता एवं सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से तीन जांच शामिल की जाती है।

- उपर्युक्त तीन चरणों के बाद ही वैक्सीन बाजार में उपयोग के लिये उपलब्ध होगी जिसे अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।
- सार्वजनिक उपयोग के लिये वैक्सीन स्वीकृत होने के बाद नैदानिक अनुसंधान का एक और चरण होता है। जो मानव परीक्षण का चुतर्थ चरण है।
    - इस चरण में मुख्य रूप से वैक्सीन निर्माताओं एवं शोधकर्त्ताओं द्वारा विश्व में प्रयोग की जाने वाली वैक्सीन के प्रभावों अर्थात सुरक्षा और प्रभावकारिता पर निरंतर नजर रखी जाती हैं।

मानव परीक्षण में शामिल लोगों की संख्या:

- मानव परीक्षण के किसी विशेष चरण में कितने लोगों को शामिल किया जाना चाहिये इसके लिये कोई अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है।
- सामान्यत चरण 1 में बहुत कम लोग, जबकि चरण 2 और 3 में लोगों के एक बड़े समूह को शामिल किया जाता है।

वैक्सीन प्राप्त करने में लगने वाला समय:

- यदि रोग के लिये किसी गलत वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है तो वह बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता का निर्माण नहीं करेगा या सबसे खराब स्थिति में वह संक्रमण को और अधिक बढ़ा सकता है। अत: किसी भी वैक्सीन के अनुसंधान एवं परीक्षण में वर्षों का समय लग सकता है।
- उदाहरण के लिये एचआईवी की खोजे को लगभग चार दशक हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है।
- वर्तमान अभिलेखों के आधार पर, सबसे तीव्र गति से विकसित की जाने वाली वैक्सीन गलदण्ड रोग/ मम्प्स शॉट (Mumps Shot) रोग के लिये है जिसे लिये 4 वर्ष के मानव परीक्षण को अनुमोदित किया गया है।
- COVID-19 की वैक्सीन को आने में कितना समय लगेगा निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है वैज्ञानिक लगातार शोध कार्य में लगे हुए हैं।
    - हालाँकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2021 के मध्य तक या फिर अंत तक वैक्सीन सार्वजनिक उपयोग के लिये तैयार हो जाएगी।
    - हालाँकि कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस समय सीमा को अतिआशावादी बताया जा रहा है।

भारत में मानव परीक्षण की स्थिति:

भारत की दो वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में हैं जिनमें एक को परंपरागत सूत्र (Traditional Formulation) द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, जबकि दूसरी को रेडिकल टेक्नोलॉजी (Radical Technology) के आधार पर अहमदाबाद स्थित निजी फार्मा कंपनी ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है।

- भारत बायोटेक:
    - भारत बायोटेक वैक्सीन के मानव परीक्षण जुलाई के मध्य में शुरू हुए।
    - इसके चरण I में 375 लोग शामिल हैं, जबकि चरण II में 750 लोग शामिल होंगे।
    - शोधकर्ताओं का अनुमान है कि सभी चरणों के सयुक्त परीक्षणों को पूर्ण होने में एक वर्ष तीन माह का समय लगेगा।
- ज़ाइडस कैडिला:
    - ज़ाइडस कैडिला फर्म द्वारा निर्मित कोरोनावायरस वैक्सीन ZyCoV-D के लिये जुलाई के मध्य से मानव परीक्षण शुरू किया जा चुके है।
    - इसके संयुक्त चरण I एवं चरण II में मानव परीक्षणों में कुल 1048 लोगों को शामिल किया जाएगा जिसे पूरा होने का अनुमानित समय एक वर्ष का है।

आगे की राह:

- हालाँकि यह अभी निश्चित तौर पर नहीं कहाँ जा सकता कि कोरोना के उपचार के लिये उपयुक्त वैक्सीन प्राप्त करने में कितना और समय लगेगा क्योंकि यह पूर्ण रुप से 'मानव परीक्षण' के परिणामों पर निर्भर करेगा जो वर्तमान में भारत सहित विश्व के अन्य देशों में विभिन्न चरणों में हैं।
- बावजूद सभी संभावित संभावनाओं के महामारी के उपचार के लिये एक उचित वैक्सीन प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विभिन्न चरणों में वैक्सीन के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

नोट :

- फिर भी जब तक अंतिम रूप से कोई वैक्सीन प्राप्त नहीं होती है तब तक सभी आवश्यक बातों पर ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण को एक सीमित स्तर पर रोका जा सके।
- विश्व के सभी देशों को WHO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को जागरूकता एवं ईमानदारी से पालन करने की भी आवश्यकता है।
- यह एक वैश्विक महामारी है जिसका समाधान वैश्विक प्रयासों एवं पहलों के से ही संभव है।

राज्यपाल और उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिये की गई सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के कारण राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्य विधानमंडल के मामलों में उसकी भूमिका चर्चित मुद्दा बनी हुई हैं।
- राज्यपाल केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है (मंत्रियों की सलाह के बगैर) अपनी शक्ति/कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।
    - राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में हैं।
        - राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।
        - राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
        - पड़ोसी केंद्रशासित राज्यों के प्रशासक (अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में) के रूप में कार्य करते समय।
        - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रोयल्टी के रूप में जनजातीय ज़िला परिषद् को देय राशि का निर्धारण।
        - राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।
    - इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है।
        - विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने एवं उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में।
        - राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में।
        - मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मामले में।
- विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 163 तथा 174 राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में महत्त्वपूर्ण हैं।
    - अनुच्छेद 163- अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिये राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी।
    - अनुच्छेद 174- राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य विधान मंडल या विधान परिषद के सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिये।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:

- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार
    - सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्णय हैं, जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक है 11 मार्च, 1994 को दिया गया ऐतिहासिक निर्णय जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है।
    - गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले से संबंधित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था।

- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद-356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया।
- इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि "किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।"

- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार
  - वर्ष 2006 में दिये गए इस निर्णय में पाँच सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो।
- नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष
  - वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिये। अपनी कार्रवाई के लिये राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिये और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिये।

राज्यपाल से संबंधित विभिन्न समितियाँ और उनकी सिफारिशें:

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग-
  - वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन किया गया था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जो किसी दल विशेष से न जुड़ा हो।
- राजमन्नार समिति-
  - वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर विचार करने के लिये राजमन्नार समिति का गठन किया गया था।
  - गौरतलब है कि इस समिति ने भारतीय संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 के विलोपन (Deletion) की सिफारिश की थी।
  - संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है।
  - संविधान के अनुसार, इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सरकारिया आयोग-
  - वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग की केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएँ हैं, उसके भाग-1 और अध्याय-4 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है।

निष्कर्ष:

- राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय में राज्यपाल के पद को लेकर प्रश्न उठे हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा सभी हितधारकों से बात कर इसमें सुधार का प्रयास किया जाना चाहिये। चूँकि राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र को आहूत करने से संबंधित विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है इसलिये वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा सदन का विश्वास खोने संबंधी मामलों में, वह मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिये कह सकता है।

स्थानीय निकायों के लिये ऑडिट ऑनलाइन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिये देश की ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats- GP) का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा विकसित ऑडिट ऑनलाइन एप द्वारा की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- इस प्रक्रिया के पहले चरण में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 20% ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
  - चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन ऑडिट के लिये लगभग 50,000 पंचायतों को शामिल किये जाने की संभावना है।
  - इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा।
- चालू बीते वर्ष में पंचायतों के लेखा-जोखा खातों का ऑडिट इस बात पर केंद्रित होगा कि उन्होंने वित्त (Finance commission-FS) आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया।
  - 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये लगभग 60, 750 करोड़ रुपए आवंटन की सिफारिश की थी जो पिछले वर्ष 14वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित की गई राशि के लगभग समान थी।

लाभ

- हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन ऑडिट भौतिक सत्यापन के विकल्प के साथ अधिक प्रासंगिक है।
- ऑफलाइन प्रणाली में समय पर आँकड़ों की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा था।
- ऑनलाइन ऑडिट आँकड़ों तक पहुँच को आसान बनाएगा जिससे ज़िला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी की जा सकेगी।
  - इसके अलावा पहले किए गए कार्यों की तस्वीर अपलोड करके परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने में सहायक होगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में ऑडिटर कर स्वीकृति और भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ऑनलाइन देख सकेंगे।
  - साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों से अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग भी कर सकते हैं।

ऑडिट ऑनलाइन

- यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-panchayat Mission Mode Project-MMP) के तहत पंचायत इंटरप्राइजेज़ सूट (Panchayat Enterprise Suite- PES) में एक भाग के रूप में विकसित एक ओपन सोर्स ऐप है।
- यह लेखा परीक्षकों द्वारा पंचायतों के तीनों स्तरों पर ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) तथा विभागों में खातों की वित्तीय ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है।
- यह न केवल खातों की ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है बल्कि ऑडिट टीम में शामिल किए गए सभी लेखा परीक्षकों से संबंधित सूची का पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य से भी कार्य करता है।
- इसके अलावा यह सूचना सार्वजनिक डोमेन और अन्य अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग करने के लिये भी उपलब्ध रहती है।

पंचायत इंटरप्राइजेज सूट- PES

- पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के पंचायती राज्य संस्थानों में ई-गवर्नेंस को शुरू करने तथा मज़बूत करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस पहल को प्रभावी रूप से अपनाने के लिये पंचायती राज्य संस्थानों से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु MMP शुरू किया था।
- ई-पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन एप तैयार किये गये थे, जो पंचायतों के पूरे कामकाज को जैसे- नियोजन, निगरानी, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण संचालन जैसे- प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि को अभिलक्षित करते हैं।
- इन 11 सॉफ्टवेयर एप को मिलाकर पंचायत इंटरप्राइजेज सूट का निर्माण होता है।

नोट :

आगे की राह

- यदि पंचायतों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से दिनों दिन बढ़ रहे सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से करना है तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है।
- ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj) और स्वामित्व कार्यक्रम (Swamitva Programme) को लॉन्च करना इसी उद्देश्य को रेखांकित करता है।
- इसके अलावा एक ऐसे डिजिटल समावेशी समाज बनाने की एक मज़बूत आवश्यकता है जहाँ ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा तकनीक का लाभ उठा सकें तथा स्वतंत्र रूप से सेवाओं और सूचनाओं को साझा व उनका उपयोग कर सकें एवं विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0 के अनुरूप होगा।

मानव परीक्षण

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के उपचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाली संभावित दवाएँ तथा वैक्सीन विश्व स्तर पर शोधकर्त्ताओं के लिये अनुसंधान का विषय बनी हुई है। भारत सहित विश्व के कुछ अन्य देशों में इसके उपचार के लिये प्रयुक्त होने वाली संभावित वैक्सीन 'मानव परीक्षण' (Human Trials) के विभिन्न चरणों में है जिस कारण वर्तमान समय में 'मानव परीक्षण' चर्चाओं में बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस से संबंधित 18 वैक्सीन 'मानव परीक्षण' के विभिन्न चरणों में है जिनमे भारत की दो वैक्सीन भी शामिल हैं।
  - इनमे से एक को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक (Bharat Biotech) कंपनी द्वारा तथा दूसरी को अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल फर्म ज़ाइडस कैडिला (Zydus Cadila) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- मानव परीक्षण किसी वैक्सीन को विकसित करने के क्रम में अंतिम चरण होता है। हालाँकि इसमें भी कई चरण होते हैं जिस कारण इसे सफलतापूर्वक पूर्ण होने में लंबा समय या फिर कुछ वर्षों का समय भी लग सकता है।

मानव परीक्षण:

- मानव परीक्षण में दवा या वैक्सीन का मनुष्यों पर प्रयोग किया जाता है।
- हालांकि परीक्षण के दौरान मनुष्यों पर वैक्सीन का प्रयोग पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है फिर भी
- मनुष्यों पर दवा या वैक्सीन के परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से दो पहलुओं की जांच की जाती हैं-
  - क्या दवा या वैक्सीन प्रयोग के लिये सुरक्षित है?
  - क्या दवा या वैक्सीन वही कार्य करने में सक्षम है जिसके लिये इसका परीक्षण किया जा रहा है अर्थात् क्या यह रोगजनक (Pathogen) के विरुद्ध प्रतिरक्षा (Immunity) क्षमता विकसित करने में कारगर है?

मानव परीक्षणों की आवश्यकता:

- कोई वैक्सीन या दवा मनुष्य के शरीर पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा इसे सिर्फ मानव परीक्षण के द्वारा ही जाना जा सकता है।
- मानव परीक्षण में शोधकर्त्ताओं द्वारा न केवल एक टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण किया जाता है, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रयोग के दौरान इसका कोई दुष्प्रभाव होगा या नहीं?,
- मानव परीक्षण से प्राप्त सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के आधार पर ही शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने कार्य की प्रगति को आगे निर्धारित किया जाता है अर्थात् यदि परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो परीक्षण को आगे बढ़ाया जाता है और यदि परिणाम नकारात्मक होते हैं तो इसे यही समाप्त कर दिया जाता है।

मानव परीक्षण का आधार:

- किसी भी दवा या वैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण करने से पूर्व उसमें प्रयोग होने वाले यौगिकों की प्रयोगशाला में जांच की जाती है तथा जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इस चरण को पूर्व-नैदानिक परीक्षण (Pre-Clinical Trials) के रुप में जाना जाता है।
- पूर्व-नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि क्या यह वैक्सीन मानव परीक्षण की दृष्टि से सुरक्षित है या नहीं?
  - इसके अलावा इसका उद्देश्य यह भी देखना है कि क्या वैक्सीन उस कार्य को करने में सक्षम है जिसके लिये इसे विकसित किया जा रहा है?
- यदि शोधकर्त्ताओं को पूर्व-नैदानिक परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो वे अगले चरण अर्थात् मानव परीक्षण के लिये नियामक संस्था (भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया) से अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

भारत में मानव परीक्षण हेतु नियामक संस्थान:

- ब्रिटिश समय से ही 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research- ICMR) भारत में मानव परीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों की एक विस्तृत सूची जारी करती है।
  - 187 पृष्ठों की यह सूची/दस्तावेज़ जिसका शीर्षक 'नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वोल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंटस ' (National Ethical Guidelines For Biomedical And Health Research Involving Human Participants) है को अंतिम बार वर्ष 2017अद्यतन (Update) किया गया है जिसमे मानव परीक्षण से संबंधित प्रत्येक पक्ष को शामिल किया गया है।
- भारत में मानव परीक्षणों का निरीक्षण करने वाली संस्था 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSO) है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करती है।
  - यह केंद्रीय संस्था नई दवा या वैक्सीन को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है जिसे मानव परीक्षणों के लिये प्रयोग किया जाता है।
- मानव परीक्षणों के लिये मंज़ूरी प्रदान करने वाली संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) है जो CDSO के अंतर्गत कार्यरत है।
- ज़मीनी स्तर पर प्रत्येक मानव परीक्षण का निरीक्षण करने के लिये एक नैतिक समिति (Ethics Committee- EC) का गठन किया जाता है।
  - इस समिति का गठन चिकित्सा संस्थान अर्थात चिकित्सीय कॉलेज या फिर अस्पताल के स्तर पर किया जाता।
  - यदि मानव परीक्षण किसी गैर चिकित्सीय संस्थान (जैसे-निजी कंपनी के अनुसंधान केंद्र) द्वारा किया जा रहा है तो किसी पास के अस्पताल की नैतिक समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है।
  - ICMR के अनुसार, नैतिकता समिति संस्थागत स्तर पर मानव परीक्षण को शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है तथा इस बात को सुनिश्चित करती है कि मानव परीक्षण उचित वैज्ञानिक-सांख्यिकीय अभ्यासों (Sound Scientific-Statistical Practices) पर आधारित है जो नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करता है।
  - समिति द्वारा मानव परीक्षणों के प्रत्येक पहलू पर नज़र रखी जाती है।

मानव परीक्षण में शामिल व्यक्ति:

- मानव परीक्षण में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाना होता हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्त्ताओं द्वारा किस उद्देश्य के लिये मानव परीक्षण किया जाना है।
  - उदाहरण के तौर पर COVID- 19 के परीक्षण में वो लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जो COVID- 19 से संक्रमित थे या है क्योंकि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति द्वारा वायरस के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता विकसित होने के कारण वैक्सीन की प्रभावकारिता को सही ढंग से नहीं पहचाना जा सकता है।
  - ठीक इसके विपरीत कैंसर के लिये मानव परीक्षण में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता हैं जो पहले से ही कैंसर से पीड़ित है।

नोट :

- मानव परीक्षण के लिये चयनित व्यक्ति को परीक्षणों के हर संभावित जोखिमों से अवगत कराया जाता है जिसके बाद ही परीक्षण में शामिल व्यक्ति को परीक्षण के लिये अपनी सहमति से देनी होती है।
- मानव परीक्षण के दौरान व्यक्ति को न केवल निश्चित मानदंडों का पालन करना होता है बल्कि कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों, दवा का सेवन एवं गर्भ धारण न करने इत्यादि के लिये भी मानदंड निर्धारित किये जाते हैं।

मानव परीक्षण का प्रभाव:

- व्यक्ति पर पड़ने वाले मानव परीक्षण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण किस उद्देश्य के लिये किया जा रहा है।
- मानव परीक्षण में शामिल व्यक्ति को यादृच्छिक andomly) तरीके से 'प्रायोगिक समूह' (Experimental Group) या फिर 'नियंत्रण समूह' (Control Group) में रखा जाता है।
  - 'प्रायोगिक समूह' में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनपर अभी उपचार (Treatment) के लिये अध्ययन किया जाना है, जबकि 'नियंत्रण समूह' में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें ऐसे उपचार से उपचारित (Treated) किया जाता है जो व्यक्ति के लिये पहले से ही सुरक्षित और प्रभावी होता है।
  - 'प्रायोगिक समूह' या फिर 'नियंत्रण समूह' शोधकर्ता को प्रयोगात्मक दवा या वैक्सीन की प्रभावकारिता का उचित उपचार करने के लिये तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है।
- हालांकि COVID-19 एक नए वायरस की वजह से हो रहा है जिसे उपर्युक्त वर्णित (प्रायोगिक समूह/नियंत्रण समूह) किसी भी तरीके से उपचारित नहीं किया जा सकता है। अत: COVID-19 वैक्सीन के लिये मानव परीक्षण में 'नियंत्रण समूह' को संभवत: एक 'प्लेसबो' (Placebo) दिया जाता है।
  - 'प्लेसबो' एक ऐसा पदार्थ है जो स्वास्थ्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।
  - मानव परीक्षण के दौरान प्रायोगिक वैक्सीन या प्लेसबो को मनुष्य के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर एक खुराक के रूप में प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद रक्त, मूत्र, आदि के नमूने को चिकित्सीय परीक्षण के लिये एकत्र किया जाता है।

मानव परीक्षण के चरण:

कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान में शोधकर्ताओं द्वारा 3 चरणों को शामिल किया गया है ये चरण मानव परीक्षण की ही 3 अलग-अलग अवस्थाएँ है।

- प्रथम चरण
  - प्रथम चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्या वैक्सीन मनुष्य के लिये सुरक्षित है या नहीं? क्या मानव शरीर इसे सहन करने में सक्षम है?
  - इसके अलावा प्रथम चरण में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या वैक्सीन प्रतिरक्षा क्षमता के कुछ स्तरों को विकसित करने में सक्षम है या नहीं?
- द्वितीय चरण:
  - द्वितीय चरण में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि वैक्सीन प्रतिरक्षा क्रिया के वांछित स्तर को उत्पन्न करने के लिये कितनी प्रभावी है?
  - इस चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की सही मात्रा उत्पन्न करने के लिये वैक्सीन की सही खुराक के स्तर को तैयार किया जाता है।
  - मानव परीक्षण में शामिल लोगों पर वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभावों का समग्र रूप से एवं सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है।
- तृतीय चरण:
  - इस चरण में शोधकर्त्ताओं द्वारा द्वितीय चरण से प्राप्त परिणामों की पुष्टि की जाती है तथा यह बताने का प्रयास किया जाता है कि लोगों को दी जाने वाली प्रायोगिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है?
  - यह मानव परीक्षणों का अंतिम महत्वपूर्ण चरण है जिसमे टीका की प्रभावकारिता एवं सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से तीन जांच शामिल की जाती है।

नोट :

- उपर्युक्त तीन चरणों के बाद ही वैक्सीन बाजार में उपयोग के लिये उपलब्ध होगी जिसे अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।
- सार्वजनिक उपयोग के लिये वैक्सीन स्वीकृत होने के बाद नैदानिक अनुसंधान का एक और चरण होता है। जो मानव परीक्षण का चुतर्थ चरण है।
    - इस चरण में मुख्य रूप से वैक्सीन निर्माताओं एवं शोधकर्त्ताओं द्वारा विश्व में प्रयोग की जाने वाली वैक्सीन के प्रभावों अर्थात सुरक्षा और प्रभावकारिता पर निरंतर नजर रखी जाती हैं।

मानव परीक्षण में शामिल लोगों की संख्या:

- मानव परीक्षण के किसी विशेष चरण में कितने लोगों को शामिल किया जाना चाहिये इसके लिये कोई अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है।
- सामान्यत चरण 1 में बहुत कम लोग, जबकि चरण 2 और 3 में लोगों के एक बड़े समूह को शामिल किया जाता है।

वैक्सीन प्राप्त करने में लगने वाला समय:

- यदि रोग के लिये किसी गलत वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है तो वह बेहतर प्रतिरक्षा क्षमता का निर्माण नहीं करेगा या सबसे खराब स्थिति में वह संक्रमण को और अधिक बढ़ा सकता है। अत: किसी भी वैक्सीन के अनुसंधान एवं परीक्षण में वर्षों का समय लग सकता है।
- उदाहरण के लिये एचआईवी की खोजे को लगभग चार दशक हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है।
- वर्तमान अभिलेखों के आधार पर, सबसे तीव्र गति से विकसित की जाने वाली वैक्सीन गलदण्ड रोग/ मम्प्स शॉट (Mumps Shot) रोग के लिये है जिसे लिये 4 वर्ष के मानव परीक्षण को अनुमोदित किया गया है।
- COVID-19 की वैक्सीन को आने में कितना समय लगेगा निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है वैज्ञानिक लगातार शोध कार्य में लगे हुए हैं।
    - हालाँकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2021 के मध्य तक या फिर अंत तक वैक्सीन सार्वजनिक उपयोग के लिये तैयार हो जाएगी।
    - हालाँकि कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस समय सीमा को अतिआशावादी बताया जा रहा है।

भारत में मानव परीक्षण की स्थिति:

भारत की दो वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में हैं जिनमें एक को परंपरागत सूत्र (Traditional Formulation) द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, जबकि दूसरी को रेडिकल टेक्नोलॉजी (Radical Technology) के आधार पर अहमदाबाद स्थित निजी फार्मा कंपनी ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है।

- भारत बायोटेक:
    - भारत बायोटेक वैक्सीन के मानव परीक्षण जुलाई के मध्य में शुरू हुए।
    - इसके चरण I में 375 लोग शामिल हैं, जबकि चरण II में 750 लोग शामिल होंगे।
    - शोधकर्ताओं का अनुमान है कि सभी चरणों के सयुक्त परीक्षणों को पूर्ण होने में एक वर्ष तीन माह का समय लगेगा।
- ज़ाइडस कैडिला:
    - ज़ाइडस कैडिला फर्म द्वारा निर्मित कोरोनावायरस वैक्सीन ZyCoV-D के लिये जुलाई के मध्य से मानव परीक्षण शुरू किया जा चुके है।
    - इसके संयुक्त चरण I एवं चरण II में मानव परीक्षणों में कुल 1048 लोगों को शामिल किया जाएगा जिसे पूरा होने का अनुमानित समय एक वर्ष का है।

आगे की राह:

- हालाँकि यह अभी निश्चित तौर पर नहीं कहाँ जा सकता कि कोरोना के उपचार के लिये उपयुक्त वैक्सीन प्राप्त करने में कितना और समय लगेगा क्योकि यह पूर्ण रुप से 'मानव परीक्षण' के परिणामों पर निर्भर करेगा जो वर्तमान में भारत सहित विश्व के अन्य देशों में विभिन्न चरणों में हैं।
- बावजूद सभी संभावित संभावनाओं के महामारी के उपचार के लिये एक उचित वैक्सीन प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विभिन्न चरणों में वैक्सीन के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

नोट :

- फिर भी जब तक अंतिम रूप से कोई वैक्सीन प्राप्त नहीं होती है तब तक सभी आवश्यक बातों पर ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण को एक सीमित स्तर पर रोका जा सके।
- विश्व के सभी देशों को WHO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को जागरूकता एवं ईमानदारी से पालन करने की भी आवश्यकता है।
- यह एक वैश्विक महामारी है जिसका समाधान वैश्विक प्रयासों एवं पहलों के से ही संभव है।

राज्यपाल और उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिये की गई सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के कारण राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्य विधानमंडल के मामलों में उसकी भूमिका चर्चित मुद्दा बनी हुई हैं।
- राज्यपाल केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है (मंत्रियों की सलाह के बगैर) अपनी शक्ति/कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।
  - राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में हैं।
    - राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।
    - राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
    - पड़ोसी केंद्रशासित राज्यों के प्रशासक (अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में) के रूप में कार्य करते समय।
    - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रोयल्टी के रूप में जनजातीय ज़िला परिषद् को देय राशि का निर्धारण।
    - राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।
  - इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है।
    - विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने एवं उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में।
    - राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में।
    - मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मामले में।
- विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 163 तथा 174 राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अनुच्छेद 163- अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिये राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी।
  - अनुच्छेद 174- राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य विधान मंडल या विधान परिषद के सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिये।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:

- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार
  - सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्णय हैं, जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक है 11 मार्च, 1994 को दिया गया ऐतिहासिक निर्णय जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है।
  - गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले से संबंधित होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था।

- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद-356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया।
- इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि "किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।"

- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार
    - वर्ष 2006 में दिये गए इस निर्णय में पाँच सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो या न हो।
- नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष
    - वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिये। अपनी कार्रवाई के लिये राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिये और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिये।

राज्यपाल से संबंधित विभिन्न समितियाँ और उनकी सिफारिशें:

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग-
    - वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) का गठन किया गया था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जो किसी दल विशेष से न जुड़ा हो।
- राजमन्नार समिति-
    - वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर विचार करने के लिये राजमन्नार समिति का गठन किया गया था।
    - गौरतलब है कि इस समिति ने भारतीय संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 के विलोपन (Deletion) की सिफारिश की थी।
    - संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है।
    - संविधान के अनुसार, इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सरकारिया आयोग-
    - वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग की केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएँ हैं, उसके भाग-1 और अध्याय-4 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है।

निष्कर्ष:

- राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय में राज्यपाल के पद को लेकर प्रश्न उठे हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा सभी हितधारकों से बात कर इसमें सुधार का प्रयास किया जाना चाहिये। चूँकि राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र को आहूत करने से संबंधित विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है इसलिये वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा सदन का विश्वास खोने संबंधी मामलों में, वह मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिये कह सकता है।

मराठा कोटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court-SC) महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions-SLPs: अनुच्छेद 136) पर दैनिक आधार पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिये तैयार हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- शीर्ष न्यायालय राज्य में इस कोटा के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
- SLPs द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court-HC) के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 (Socially and Educationally Backward Classes-SEBC) के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।
  - SEBC अधिनियम के तहत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये तथा राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिनमें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है।
  - महाराष्ट्र में आरक्षण की उच्चतम सीमा तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना से भी अधिक है।
  - इंदिरा साहनी मामले, 1992 के निर्णय के अनुसार, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है।

पृष्ठभूमि:

- मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा SEBC, Act 2018 में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो वर्ष 2019-2020 में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में मराठा आरक्षण की अनुमति प्रदान करता है।
- जुलाई 2019 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कोटे पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेडिकल छात्रों द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक न लगाते हुए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये 12% कोटा व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा।

मराठा:

- यह महाराष्ट्र का एक राजनीतिक रूप से सशक्त समुदाय है जिसमें मुख्य रूप से किसान और भू स्वामी शामिल हैं। इस समुदाय का राज्य की कुल आबादी में लगभग एक तिहाई हिस्सा है।
- वर्ष 1960 में राज्य गठन के बाद से ही राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही हैं।
- अधिकांश मराठा लोग मराठी भाषी हैं लेकिन सभी मराठी भाषी लोग मराठा समुदाय से नहीं हैं।
- ऐतिहासिक दृष्टि से, इस समुदाय को बड़े भू-स्वामी होने के साथ- साथ एक 'योद्धा' जाति के रूप में भी पहचाना जाता है।
- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में भूमि के विभाजन तथा कृषि समस्याओं के कारण मध्य वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग मराठा समुदायों की समृद्धि में गिरावट आई है फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मराठा समुदाय एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय:

- जुलाई 2019 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि राज्य द्वारा प्रदान किया गया 16% कोटा 'न्यायसंगत' नहीं था जिसे 11-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Maharashtra State Backward Class Commission-MSBCC) की अनुसंशा पर शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% तक घटा दिया गया था।
- आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में, इस सीमा को समकालीन डेटा की उपलब्धता के आधार पर, जो पिछड़ेपन के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाती है, प्रशासन में दक्षता को प्रभावित किये बिना बढ़ाया जा सकता है।
- जबकि समुदाय के पिछड़ेपन की तुलना अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SCs) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes-STs) के साथ नहीं की गई थी बल्कि इसकी तुलना मंडल आयोग की अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC) की सूची में शामिल कई अन्य पिछड़े वर्गों के साथ की गई।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वेक्षण:

- महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दो गाँवों के लगभग 45,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें प्रत्येक गाँव के 355 तालुकों में 50% से अधिक मराठा आबादी थी।
- सामाजिक पिछड़ापन
  - 76.86% मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिये कृषि एवं श्रम में लगे हुए हैं।
  - लगभग 70% मराठा परिवार कच्चे आवासों में निवास करते हैं।
  - केवल 35-39% मराठा घरों में व्यक्तिगत नल के पानी का कनेक्शन है।
  - वर्ष 2013-2018 के दौरान कुल 13,368 किसानों ने आत्महत्या की जिनमें 23.56% मराठा किसान शामिल थे।
  - घर के कामकाज़ के अलावा 88.81% मराठा महिलाएँ आजीविका के लिये शारीरिक श्रम में शामिल हैं।
- शैक्षिक पिछड़ापन
  - 13.42% मराठा निरक्षर हैं, 35.31% प्राथमिक शिक्षित, 43.79% माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षित, 6.71% स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवं 0.77% तकनीकी और पेशेवर रूप से योग्य हैं।
- आर्थिक पिछड़ापन:
  - 93% मराठा परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है जो मध्यम वर्गीय परिवारों की औसत आय से कम है।
  - 37.38% मराठा परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL) हैं जो राज्य के औसत (24%) से अधिक है।
  - 71% मराठा किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है जबकि केवल 2.7% बड़े किसानों के पास ही 10 एकड़ जमीन उपलब्ध है।
  - आयोग ने 15 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह बताया गया कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछडा हुआ है और साथ ही राज्य में सार्वजनिक रोज़गार में मराठा समुदाय के प्रतिनिधित्व का अभाव है।

महाराष्ट्र में मौजूद कुल आरक्षण:

- वर्ष 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% था।
  - इसमें SC (13%), STs (7%), OBC (19%), विशेष पिछड़ा वर्ग (2%), विमुक्त जाति (3%), घुमंतू जनजाति (2.5%), घुमंतू जनजाति धनगर के लिये (3.5%)और घुमंतू जनजाति वंजारी (2%) के कोटा शामिल थे।
  - घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़े वर्गों के लिये कोटा कुल ओबीसी कोटा से बाहर किया गया है।
- 12-13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64-65% है।
- 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS) के लिये भी राज्य में कोटा प्रभावी है।

सरकारी विज्ञापनों का विनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 'कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइज़िंग' (Committee on Content Regulation in Government Advertising-CCRGA) द्वारा दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों के मुंबई संस्करणों में दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिये गए विज्ञापन पर स्पष्टीकरण माँगा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली सरकार CCRGA के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली सरकार की विज्ञापन सामग्री राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियंत्रित की जाती है।

- कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइज़िंग:
    - वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों में सरकारी वित्त पोषित विज्ञापन सामग्री के विनियमन को देखने के लिये वर्ष 2016 में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
    - इस समिति के पास सामान्य जनता की शिकायतों को दूर करने का अधिकार है।
    - यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ आत्म-संज्ञान ले सकती है तथा इसके विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:

- सरकारी विज्ञापनों की सामग्री नागरिकों एवं उनके अधिकारों के साथ-साथ सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के लिये भी प्रासंगिक होनी चाहिये।
- विज्ञापन सामग्री को अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने तथा लागत प्रभावी तरीके से अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
- विज्ञापन सामग्री सही होनी चाहिये तथा इसके द्वारा पहले से मौजूद नीतियों और उत्पादों को नए ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।
- विज्ञापन सामग्री द्वारा सत्ता पक्ष के राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही के केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020' (National Education Policy- 2020) को मंज़ूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' [National Policy on Education (NPE),1986] को प्रतिस्थापित करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था।
    - 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

MHRD के नाम में परिवर्तन

- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंज़ूरी दी गई है।
    - NEP-2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने का उद्देश्य 'शिक्षा और सीखने (Education and Learning)' पुन: अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

नोट :

प्रारंभिक शिक्षा:

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन-
    - 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री-स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education- ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा।

'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन'

- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण:

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian Sign Language- ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- NEP-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' (Indian Institute of Translation and Interpretation- IITI), 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' [National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit] स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव:

- NEP-2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' [National Curricular Framework for School Education, (NCFSE, 2020-21) तैयार की जाएगी।

नोट :

- NEP-2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छात्र कक्षा-3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार:

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), 2021] का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा:

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (जैसे- 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।
- भारत उच्च शिक्षा आयोग
  - चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा।
  - HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
    - विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)
    - मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)
    - वित पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
    - प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)

नोट :

- महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU) की स्थापना की जाएगी।

अन्य सुधार:

- शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum- NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।

डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा डिजिटल शिक्षा, 2020 पर भारत रिपोर्ट (India Report on Digital Education, 2020) जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह रिपोर्ट MHRD के डिजिटल शिक्षा प्रभाग (Digital Education Division) द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से तैयार की गई है।
- यह घर पर बच्चों के लिये सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने के अंतराल को कम करने के लिये MHRD द्वारा अपनाई गई अभिनव विधियों को संदर्भित करती है।

MHRD की पहलें:

- DIKSHA मंच, स्वंय प्रभा टीवी चैनल, ऑन एयर-शिक्षा वाणी, ई-पाठशाला और टीवी चैनलों के प्रसारणों के माध्यम से शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों की सहायता के लिये कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।
- इसके अलावा डिजिटल शिक्षा पर 'PRAGYATA' नामक दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

राज्य सरकारों की पहलें:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न पहलों के माध्यम से छात्रों को घर बैठे डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
  - सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेज़मेंट (Social Media Interface for Learning Engagement- SMILE)- राजस्थान
  - प्रोजेक्ट होम क्लासेस (Project Home Classes)- जम्मू
  - पढाई तोहार द्वार- छत्तीसगढ़
  - उन्नयन पहल- बिहार
  - मिशन बुनियाद (Mission Buniyaad)- NCT दिल्ली
  - केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल- काइट विक्टर्स (KITE VICTERS)
  - ई-स्कोलर पोर्टल (E-scholar Portal) और शिक्षकों के लिये मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम- मेघालय
- इसके अलावा सोशल मीडिया टूल्स जैसे- व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएँ और छात्रों से जुड़ने के लिये गूगल मीट (Google Meet) का प्रयोग किया जा रहा है।
- कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों जैसे- लक्षद्वीप, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर ने छात्रों को ई-सामग्री से युक्त (E-contents Equipped) टैबलेट, DVD और पेनड्राइव वितरण जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई हैं।

नोट :

- इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये दूरदराज के क्षेत्रों, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है, में छात्रों के आवासों पर ही पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया है।
- इसके अलावा कई राज्यों द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्त्व देते हुए कुछ विशिष्ट कक्षाएँ, जैसे- दिल्ली में हेप्पीनेस (Happiness) कक्षाएँ भी संचालित की गई हैं।
  - MHRD ने 'मनोदर्पण' पहल की भी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

आगे की राह:

- यह रिपोर्ट देश भर में क्रॉस-लर्निंग (Cross Learning) [अर्थात् अध्ययन के साथ-साथ प्रशिक्षण भी], सीखने और शिक्षा से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य को पूरा इंगित करेगी।
- चूँकि भारत की शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से मिश्रित शिक्षा की ओर बढ़ रही है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सभी हितधारकों को यह प्रयास करना होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच से कोई भी छात्र अछूता न रहे।

विरोध करना एक मौलिक अधिकार है: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति' (UN Human Rights Committee- UNHRC) ने इस बात की पुष्टि की है कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का एक 'मौलिक मानवीय अधिकार' है।

प्रमुख बिंदु:

- UNHRC स्वतंत्र विशेषज्ञों वाला एक निकाय है जो 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम' (The International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- 18 सदस्यीय मानवाधिकार समिति ने ICCPR के अनुच्छेद- 21; जो शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार की गारंटी देता है, के संबंध में एक नवीनतम व्याख्या जारी की है।

ICCPR के अनुच्छेद- 21 की नवीनतम व्याख्या:

- शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार एक मूल अधिकार:
  - जश्न मनाने या असंतुष्टि प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक या निजी स्थानों पर, घर के अंदर या बाहर या फिर ऑनलाइन रूप से एकत्रित होना मानव का एक मौलिक अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार:
  - बच्चों, विदेशी नागरिकों, महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, शरण चाहने वालों (Asylum seekers) और शरणार्थियों सहित प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार का उपयोग कर सकता है।
- शारीरिक सुरक्षा का अधिकार:
  - प्रदर्शनकारियों को अपना चेहरा ढँकने के लिये मास्क या हुड पहनने का अधिकार है।
- डिजिटल अधिकार:
  - शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार का विस्तार 'डिजिटल गतिविधियों' पर भी होगा।
  - सरकारों को प्रदर्शनकारियों को डराने के लिये उनके व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित नहीं करना चाहिये।
- अनुच्छेद-21 के तहत सरकारों को निर्देश:
  - सरकारें सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा या संभावित हिंसा के अनिर्दिष्ट जोखिम के किसी सामान्यीकृत संदर्भ को आधार बनाकर विरोध प्रदर्शन को रोक नहीं सकती है।

- सरकारें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये इंटरनेट नेटवर्क को ब्लॉक नहीं कर सकती हैं।
- शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के आयोजन में किसी वेबसाइट की भूमिका होने के आधार पर सरकारें इन वेबसाइटों को बंद नहीं कर सकती हैं।

नवीनतम व्याख्या का महत्त्व:

- एक लंबे समय से इस मुद्दे पर बहस चल रही थी कि क्या शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार का विस्तार ऑनलाइन गतिविधियों तक भी है अथवा नहीं। नवीनतम व्याख्या ने इसमें स्पष्टता लाकर इस बहस को समाप्त कर दिया है।
- दुनिया भर के राष्ट्रीय न्यायालयों में मौलिक अधिकारों की व्याख्या में नवीनतम व्याख्या महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगी।

भारतीय संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 19(1)(b) में सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान है।
  - इस प्रकार विरोध के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- संविधान के अनुच्छेद- 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत पूर्वोक्त अधिकार अपने दायरे में अछूता और असीमित नहीं हैं तथा इन पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं।
- राज्य दो आधारों पर एकत्रित होने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है:
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता
  - संबंधित क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR):

- ICCPR नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2200A (XXI) द्वारा इसे 16 दिसंबर, 1966 को हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और परिग्रहण के लिये प्रस्तुत किया गया। 23 मार्च, 1976 को यह संधि प्रभावी हुई।
- भारत सहित कुल 173 देशों ने इस संधि के नियमों की अभिपुष्टि की है।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR), 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights) और 'आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) को संयुक्त रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक' (International Bill of Human Rights) के रूप में माना जाता है।
- ICCPR के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकार:
  - अनुच्छेद-7 यातना, क्रूरता या अपमानजनक उपचार से स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद-9 व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद-18 के तहत सभी को धर्म अपनाने का अधिकार है।
  - अनुच्छेद-24 प्रत्येक बच्चे को विशेष सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद-26 सभी व्यक्तियों के लिये 'कानून के समान संरक्षण का अधिकार' Equal Protection of the Law- EPL) प्रदान करता है।
- ICCPR, संधि के तहत अपनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिये सरकारों को प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी उपाय करने के लिये विवश करती है।

उपभोक्ता आहार पर महामारी का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

न्यूयॉर्क स्थित टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन (Tata-Cornell Institute for Agriculture and Nutrition) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, कोरोना काल के दौरान भारत में आम लोगों की खाद्य आदतें (Food Habits) विविध एवं पोषक आहार से हटकर स्टेपल आहार (Staple Foods) जैसे- गेहूं और चावल आदि की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन के दौरान अध्ययनकर्त्ताओं ने 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान भारत के 11 टियर-1 और टियर-2 शहरों में अनाज (गेहूं और चावल) और गैर-अनाज (प्याज़, टमाटर, आलू, दाल और अंडे) की कीमतों का बीते वर्ष की कीमतों के साथ विश्लेषण किया।
- अध्ययन के दौरान यह सामने आया कि देश में लागू किये गए लॉकडाउन के बाद दोनों ही समूहों (अनाज और गैर-अनाज) की कीमतों में वर्ष 2019 की अपेक्षा बढ़ोतरी दर्ज की गई, किंतु यह बढ़ोतरी अनाज की अपेक्षा गैर-अनाज समूह में काफी अधिक थी।
    - हालाँकि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद से अनाज, अंडे, आलू, प्याज़ और टमाटर आदि की कीमतें तो स्थिर हो गईं, किंतु प्रोटीन युक्त दालों की कीमतें अभी भी उच्च बनी हुई हैं।

महामारी-जनित लॉकडाउन और खाद्य कीमतें

- अध्ययन के मुताबिक, लॉकडाउन अवधि के दौरान गेहूं और चावल की खुदरा कीमतें बीते वर्ष की अपेक्षा या तो स्थिर रहीं या फिर उससे भी कम रहीं।
- बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश के कई शहरों में आलू की कीमतों में 30-90 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली, हालाँकि मई माह के पहले सप्ताह में कीमतें स्थिर हो गईं।
- देश के अधिकांश शहरों में प्याज की कीमतों में 200-250 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली, कई शहरों में यह बढ़ोतरी इससे भी अधिक थी, हालाँकि अप्रैल के अंत तक प्याज की कीमतें भी स्थिर हो गई हैं।
- अध्ययन के अनुसार, देश में अंडों की कीमतों में पूर्णतः विपरीत प्रवृत्ति देखने को मिली, और लॉकडाउन के शुरुआती दौर में इसकी कीमतें काफी नीचे गिर गईं, हालाँकि मार्च का अंत आते-आते इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी और आगामी 2 माह में यह पूर्णतः स्थिर हो गईं।
    - अध्ययनकर्त्ताओं का मानना है कि शुरुआत में अंडों की कीमतों में कमी का मुख्य कारण है कि लोगों में यह भय था कि कोरोना वायरस (COVID-19) मुर्गियों और मांसाहारी भोजन से भी प्रसारित हो सकता है।
- लॉकडाउन की अवधि के दौरान दाल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और इनकी कीमतों में अभी भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज (गेहूं और चावल) की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता और प्रोटीन युक्त दालों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं खासतौर पर भारत के मध्यम और निम्न आय वाले वर्ग के खपत निर्णय (Consumption Decisions) को प्रभावित करेगी।
- इस प्रकार देश के आम उपभोक्ता अनाज आधारित कम प्रोटीन युक्त भोजन की ओर प्रेरित हो सकते हैं।
- पौष्टिक भोजन की अपेक्षाकृत उच्च कीमतें भारत के आम लोगों खास तौर पर गरीब और संवेदनशील वर्ग पोषक के समक्ष तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करने में बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा।
- नतीजतन, लोगों के आहार में खाद्य पौष्टिक युक्त पदार्थों का अनुपात कम हो जाएगा और लोगों इसकी पूर्ति के लिये इसे कम पौष्टिक वाले भोजन के साथ प्रतिस्थापित करेंगे।
    - इससे देश भर में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति बिगड़ने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी, साथ ही इसका मुख्य प्रभाव देश के पिछड़े क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।

सुझाव

- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दालों आदि की कीमतों में वृद्धि को स्थिर करने का प्रयास कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक प्रोटीन के अभाव वाला भोजन ग्रहण करने के लिये मज़बूर न हो।
- रिपोर्ट के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरकार के हालिया संशोधन की आलोचना की गई है, जिसके द्वारा सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज़ और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त करने की घोषणा की थी।

दसवीं अनुसूची के तहत विलय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने राजस्थान विधानसभा मे व्हिप (Whip) जारी कर अपने छह विधान सभा सदस्यों (Member of Legislative Assemblies-MLAs) को बहुमत परीक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध मतदान करने के लिये कहा है। हालाँकि BSP के ये 6 विधायक विलय घोषणा के साथ सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे।

प्रमुख बिंदु:

- BSP का तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विलय किये बिना किसी राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई का विलय नहीं किया जा सकता है।
- BSP द्वारा इन 6 विधानसभा सदस्यों के विलय को अवैध और असंवैधानिक करार दिया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया गया है-
  - जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2006: इस वाद में, हरियाणा विधानसभा में एकल सदस्यीय दलों (Single-Member Parties) के चार विधायकों द्वारा कहा गया कि उनकी पार्टियाँ विभाजित हो गईं है और वे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। न्यायालय ने इस मामले में सदस्यों को अयोग्यता ठहराने के अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा।
  - राजेंद्र सिंह राणा और अन्य बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य, 2007: वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिये BSP से 37 विधानसभा सदस्य सरकार गिराने के उद्देश्य से अपनी पार्टी से अलग हो गए जिनकी कुल संख्या दल की सदस्य संख्या की एक-तिहाई थी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय यह कहते हुए इस विभाजन को अमान्य घोषित करार दिया कि ये सभी विधायक एक साथ पार्टी से अलग नहीं हुए हैं।
- ध्यातव्य है कि उपर्युक्त दोनों मामले 91वें संवैधानिक संशोधन, 2003 से पूर्व हुए थे जिसके द्वारा दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 को हटा दिया गया था।
- विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा 'हॉर्स ट्रेडिंग' (सदन के सदस्यों की खरीद-फरोख्त) द्वारा एक-तिहाई विभाजन के नियम के दुरुपयोग को रोकने के लिये यह संशोधन लाया गया। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा दल-बदल हेतु एक-तिहाई सदस्यों के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान था जबकि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार दलीय विभाज़न की स्थिति में दल के कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें दल-बदल के नियमों से छूट प्रदान की गई है।

विलय के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान:

- पी.डी.टी. आचार्य के अनुसार, दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत विलय केवल दो मूल राजनीतिक दलों (Original Political Parties) के मध्य हो सकता है जिसके लिये दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है-
  - विलय दो मूल राजनीतिक दलों के बीच होना चाहिये।
  - इसके बाद सदन के दो-तिहाई सदस्य जो उस पार्टी से संबंधित है उन्हें इस विलय को स्वीकार करना होगा यदि दो-तिहाई सदस्य इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इस विलय को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- आचार्य के अनुसार, दलबदल विरोधी कानून केवल दल बदल पर अंकुश नहीं लगता है बल्कि मूल रूप से यह दलीय प्रणाली की भी रक्षा करता है।

- संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पी.डी.टी. आचार्य के इस मत से सहमत हैं कि वह पार्टी चुनाव के लिये उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती है जिसका विलय दसवीं अनुसूची के तहत हुआ हो तथा एक आवश्यक शर्त यह है कि उस पार्टी के दो-तिहाई विधानसभा सदस्य विलय के लिये सहमत हों।
  - हालाँकि, फैजान मुस्तफा ने उपरोक्त स्थिति से असहमति व्यक्त करते हुए दो मूल दलों के बीच विलय की अवधारणा पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, इसका मतलब यह होगा कि विधायक दल को किसी भी राज्य में किसी के साथ विलय करने का कोई अधिकार नहीं है।
  - उन्होंने दसवीं अनुसूची के तहत 'विधानमंडल दल' की परिभाषा का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने 'उस सदन के सभी सदस्यों से युक्त समूह' (group consisting of all the members of that House) के रूप में परिभाषित किया है
  - फैजान मुस्तफा के अनुसार, विलय को स्थानीय स्तर पर देखा जाना चाहिये न कि राष्ट्रीय स्तर पर। इन्होंने इस तथ्य की और ध्यान दिलाया कि दसवीं अनुसूची 'राष्ट्रीय पार्टी' या क्षेत्रीय पार्टी के विभाजन के विषय में सूचित नहीं करती है।

पूर्व निर्णय:

- जून 2019 में, तेलुगु देशम पार्टी (Telugu Desam Party-TDP) के पाँच में से चार संसद सदस्यों द्वारा भाजपा में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति द्वारा तेलुगु देशम पार्टी को राज्यसभा में सत्तारुढ़ भाजपा के साथ 'विलय' करने के आदेश जारी किया गया था।
  - हालाँकि अभी भी उच्च सदन में अपने एक सांसद के माध्यम से तेलुगु देशम पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ की हुई है।
  - तेलुगु देशम पार्टी ने भी बसपा की तरह ही अपनी दलील दी थी कि 'विलय' केवल पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर हो सकता है न कि सदन में।

एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

देश भर के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने की प्रमुख पहल के तहत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) ने एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र हेतु एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह कार्यक्रम मुख्य तौर पर उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप के सृजन पर केंद्रित है। गौरतलब है कि भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिये यह अपनी तरह की पहली कोशिश है।
- इस कार्यक्रम के लिये अटल नवाचार मिशन (AIM) ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) और वाधवानी फाउंडेशन (Wadhwani Foundation) के साथ साझेदारी की है।
  - ये संगठन उद्यमिता एवं नवाचार के क्षेत्र में विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं। इस साझेदारी के माध्यम से अटल नवाचार मिशन (AIM) के इनक्यूबेटर नेटवर्क हेतु वैश्विक विशेषज्ञता हासिल हो सकेगी।

एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम:

- एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम को देश के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और देश भर में अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत अटल और स्थापित इनक्यूबेटर केंद्रों (AIM's Atal and Established
- Incubators) के लिये विकास कारक के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनक्यूबेटरों को अपग्रेड किया जाएगा और इनक्यूबेटर उद्यम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये उन्हें अपेक्षित मदद प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- मौजूदा महामारी संकट को देखते हुए यह कार्यक्रम ज्ञान सृजन और उसके प्रसार में स्टार्ट-अप उद्यमियों की मदद करने के साथ-साथ एक मज़बूत एवं सक्रिय नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

महत्त्व:

- भारत को अपने देश की बेहतरीन नवाचार प्रतिभा का लाभ उठाने के लिये विश्व स्तर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले विश्व स्तरीय इनक्यूबेटरों की आवश्यकता है।
- यह कार्यक्रम देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

इनक्यूबेटर का अर्थ ?

- सामन्यत: इनक्यूबेटर केंद्रों का अभिप्राय उन संस्थानों से होता है, जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को विकसित करने में उद्यमियों की मदद करती हैं, खासतौर पर व्यवसाय शुरू के आरंभिक चरणों में। इस प्रकार का कार्य सामान्यत: उन संस्थानों द्वारा
- किया जाता है, जिनके पास व्यापार और प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव होता है।
- इनक्यूबेटर्स द्वारा दी जानी वाली सहायता में आमतौर पर तकनीकी सुविधाएँ एवं सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और लिंक, कार्यस्थल की सुविधा और प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएँ, शामिल होती हैं।
- अटल इनक्यूबेशन केंद्र
  - अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का उद्देश्य अटल इनक्यूबेशन केंद्रों (Atal Incubation Centres-AICs) की स्थापना करना है, जो कि सतत् व्यावसायिक उद्यमों के निर्माण के लिये नवीन स्टार्ट-अप्स का पोषण करेंगे।
- स्थापित इनक्यूबेशन केंद्र
  - अटल इनक्यूबेशन केंद्र (AICs) की स्थापना के अलावा अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत देश में पहले से स्थापित इनक्यूबेशन केंद्रों, जिन्हें स्थापित इनक्यूबेशन केंद्र (Established Incubation Centres) के रुप मे पहचाना गया है, को विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर अपग्रेड करना है।
  - गौरतलब है कि हाल के वर्षों में उद्योग, निवेशकों, छोटे और बड़े उद्यमियों, सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों ने देश भर में कई इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किये हैं, जिन्हें ही स्थापित इनक्यूबेशन केंद्रों के रूप में पहचाना गया है।

डेयरी क्षेत्र में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में डेयरी (दुग्ध उत्पादन) क्षेत्र में एंटीबायोटिक के अनियंत्रित प्रयोग पर चिंता ज़ाहिर की गई है।

प्रमुख बिंदु :

- हाल के वर्षों में डेयरी क्षेत्र में बड़े पैमाने में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग देखा गया है।
- गौरतलब है कि दूध भारतीय आहार (विशेषकर बच्चों के लिये) का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।
- वर्ष 2018 में 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) द्वारा किये गए 'राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण ' में देश के कई राज्यों से लिये गए प्रसंस्कृत दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक अवशेष मिले थे।

भारतीय डेयरी क्षेत्र:

- भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, वर्ष 2018-19 में भारत में लगभग 188 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था।
- भारत में उत्पादित 52% दूध की खपत शहरी क्षेत्रों में होती है।
- भारतीय बाज़ार में दूध की कुल मांग में से 60% की आपूर्ति असंगठित क्षेत्र के छोटे दूध विक्रेताओं और ठेकेदारों द्वारा की जाती है तथा शेष मांग की आपूर्ति संगठित क्षेत्र की डेयरी सहकारी समितियों (Dairy Cooperatives) और निजी डेयरियों द्वारा की जाती है।

एंटीबायोटिक का दुरुपयोग:

उपलब्धता:

- एंटीबायोटिक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी एंटीबायोटिक दवाएँ किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक के परामर्श के बगैर भी बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं।

चिंता का कारण:

- CSE की रिपोर्ट के अनुसार, किसान अक्सर किसी पशु चिकित्सक का परामर्श लिये बगैर अनुमान के आधार पर पशुओं को एंटीबायोटिक दवाएँ दे देते हैं।
- किसानों द्वारा पशुओं में 'स्तन संक्रमण/सूजन' या 'मास्टिटिस' (Mastitis) जैसे रोगों के मामलों में बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है।
- इनमें कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दवाएँ भी शामिल हैं जिन्हें मनुष्यों के लिये 'अतिमहत्त्वपूर्ण एंटीबायोटिक' [Critically Important Antibiotics (CIAs) for humans] की श्रेणी में रखा गया है।
    - गौरतलब है कि 'एंटीबायोटिक प्रतिरोध' (Antibiotic Resistance) के बढ़ते संकट को देखते हुए 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization-WHO) ने CIA के अनियंत्रित प्रयोग को रोकने के लिये चेतावनी जारी की है।
- WHO के अनुसार, CIA के निर्धारण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है-
    - ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं से है जो मनुष्यों में होने वाले किसी गंभीर जीवाणु संक्रमण के सीमित (या एकमात्र) विकल्पों में से एक हैं।
    - साथ ही ऐसा जीवाणु संक्रमण मनुष्यों में गैर-मानव स्रोत (जैसे-पशु) से हुआ हो या वह गैर-मानव स्रोत से प्रतिरोधी जीन प्राप्त कर सकता हो।
- ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब किसी पशु का इलाज चल रहा होता है तब भी किसान उससे प्राप्त दूध की बिक्री जारी रखते हैं। इससे दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

अपर्याप्त परीक्षण:

- किसानों से सीधे ग्राहकों को प्राप्त होने वाले दूध के साथ पैकेट में मिलने वाले प्रसंस्कृत दूध में भी अधिकांशत: एंटीबायोटिक अवशेषों की कोई जाँच नहीं होती है।
- राज्य दुग्ध संघों द्वारा इकट्ठा किये गए दूध में उपस्थित एंटीबायोटिक अवशेषों की जाँच पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

दुष्परिणाम:

- हाल के वर्षों में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में रसायनों के उपयोग में भारी वृद्धि देखी गई है।
- खाद्य पदार्थों (जैसे-दूध आदि) में एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थित से 'एंटीबायोटिक प्रतिरोध' (Antibiotic Resistance) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

समाधान:

- सरकार को डेयरी क्षेत्र में CIA और 'सर्वाधिक प्राथमिकता वाले अति महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक' (Highest Priority Critically Important Antimicrobials- HPCIA) के उपयोग को कम करने का प्रयास करना चाहिये।
- दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों के वर्तमान मानकों को संशोधित किया जाना चाहिये।
- बगैर चिकित्सीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ बेहतर पशु प्रबंधन और किसानों में एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

सीमा पर स्थित ग्रामों में पर्यटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

प्रमुख बिंदु:

- गलवान घाटी में उत्पन्न गतिरोध की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार पर्यटन संबंधी गतिविधियों के नियमों में लोचशीलता लाकर उत्तराखंड के सीमावर्ती गाँवों में 'रक्षा की एक दूसरी पंक्ति' (Second Line of Defence) के निर्माण की योजना बना रही है।
- केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गाँवों को सुरक्षित बनाने के लिये 'जनजातीय पर्यटन' की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
- लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये 'इनर लाइन परमिट' (ILP) प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा।

इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली

- इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज़ है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है।
- इनर लाइन परमिट उन सभी के लिये अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं।
- यह सिर्फ यात्रा के प्रयोजनों के लिये संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है।
- इनर लाइन परमिट की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से की जनजातियों की सुरक्षा के लिये की थी।
- जब ILP प्रणाली को हटा दिया जाएगा, तो 'राज्य पर्यटन विभाग' ग्रामीण क्षेत्र के घरों को 'होमस्टे' के रूप में विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा जो सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और नागरिक बस्तियों को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाने की घोषणा की है

सीमा पर्यटन का महत्त्व:

- सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गाँवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- यह सीमावर्ती गाँवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और रोज़गार सृजन करेगा।
- यह बाहर की ओर पलायन को भी रोकने में मदद करेगा।
    - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अधिकांश सीमावर्ती गाँवों में आजीविका के अवसरों की कमी होने के कारण बाहरी प्रवासन देखने को मिलता है।

आर्थिक घटनाक्रम

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिये विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 सदन में पेश किया है।

प्रमुख बिंदु

- विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को कमज़ोर करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया गया है।
- विद्युत क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियाँ संरचनात्मक मुद्दों को दूर करने में हुई लापरवाही से उत्पन्न हुई हैं।
- इनमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपयोगिताओं, बिजली आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप, निजी निवेश की कमी, अपर्याप्त सार्वजनिक अवसंरचना और उपभोक्ता भागीदारी की कमी तथा परिचालन और वित्तीय अक्षमताएँ शामिल हैं।

उद्देश्य

- उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा सुनिश्चित करना।
- विद्युत क्षेत्र की स्थिरता में वृद्धि करना।
- हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करना।

मुख्य संशोधन

- राष्ट्रीय चयन समिति: अलग चयन समिति (अध्यक्ष और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति के लिये) के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव है।
  - हालाँकि केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य के लिये मौजूदा चयन समितियों को बनाए रखने पर विचार कर रही है लेकिन उन्हें स्थायी चयन समितियाँ में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि हर बार पद रिक्त होने पर उन्हें नए सिरे से गठित करने की आवश्यकता न हो।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रयोग: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों दोनों के लिये लाभदायक होगा।
  - यह राज्य सरकार के लिये लाभदायक होगा क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी उन लोगों तक पहुँच रही है जो वास्तव में पात्र हैं।
  - यह वितरण कंपनी को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार, प्राप्त होने वाली सब्सिडी सुनिश्चित करके लाभान्वित करेगा।
- राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति: भारत पेरिस जलवायु समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के विकास और संवर्द्धन के लिये एक अलग नीति का प्रस्ताव करता है।
- कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ: निर्धारित किये गए टैरिफ को अपनाने में विभिन्न राज्य आयोग लापरवाही करते हैं, जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है।
  - इस समस्या को हल करने के लिये प्रस्तावित संशोधन ने निर्धारित टैरिफ को अपनाने के लिये 60 दिनों की अवधि निर्धारित कर दी है।
- विद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना: इस प्राधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी जो अपनी शक्तियों को दीवानी न्यायालय की डिक्री की भाँति निष्पादित करेंगे।
  - यह प्राधिकरण विद्युत उत्पादक कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के बीच विद्युत की खरीद या बिक्री या प्रसारण से संबंधित अनुबंधों को क्रियान्वित करेगा।

- ◆ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission-CERC) और राज्य विद्युत नियामक आयोगों (State Electricity Regulatory Commissions-SERCs) के पास अपने आदेशों को निष्पादित करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि किसी दीवानी न्यायालय के पास डिक्री जारी करने की शक्ति होती है।
- सीमा पार व्यापार विद्युत व्यापार: विधेयक में अन्य देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिये कई प्रावधान जोड़े गए हैं।
- वितरण उप-लाइसेंस: आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये राज्य विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के साथ डिस्कॉम को अपने क्षेत्र के किसी विशेष हिस्से में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने का अधिकार डिस्कॉम को एक विकल्प के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण को मज़बूत करना: मामलों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।
  - ◆ अपने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट (Contempt of Courts Act) के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ देने का भी प्रस्ताव है।

आगे की राह

- प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को विद्युत क्षेत्र में टैरिफ और नियमों को निर्धारित करने के लिये और अधिक शक्ति प्रदान करेगा।
- चूँकि विद्युत समवर्ती सूची का विषय है, इसलिये राज्यों को इस संशोधन के माध्यम से उनकी शक्तियों से वंचित नहीं करना चाहिये।

ICDS, PDS योजनाओं में मोटे अनाज का वितरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित रागी को 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (Integrated Child Development Services- ICDS) योजना तथा 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Public Distribution System-PDS) में शामिल करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख:

- यह पहल उड़ीसा राज्य द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ मिलेट मिशन (Millet Mission) का हिस्सा है।
- मिलेट मिशन के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ICSD तथा PDS योजना के तहत रागी का वितरण राज्य के कुछ ज़िलों में क्रमश: जुलाई तथा सितंबर माह से शुरू किया जाएगा।

मोटे अनाज का महत्त्व:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना:

- ICDS, PDS, मिड-डे मील और सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में सार्वजनिक खाद्य प्रणालियों के हिस्से के रूप में मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा।

मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन:

- फसल प्रतिरूप में बदलाव के कारण मोटे अनाजों के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। अत: किसानों के बीच मोटे अनाज के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन उपायों का सहारा लिया जा रहा है।

पोषण सुरक्षा:

- 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (National Family Health Survey- NFHS), 2015-16 के अनुसार, ओडिशा में लगभग 45% बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं तथा लगभग 41% महिलाओं का 'बॉडी मास इंडेक्स' (Body Mass Index- BMI) सामान्य से कम है।

- मोटे अनाज प्रोटीन, वसा, खनिज तत्त्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फोलिक ऐसिड, जिंक तथा एमिनो एसिड आदि के बेहतर स्रोत माने जाते हैं।
- अत: बेहतर आहार विविधता तथा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से मोटे अनाज का बहुत महत्त्व है।

पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि प्रणाली:

- मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे:
  - सूखा सहन करने की क्षमता;
  - फसल पकने की कम अवधि;
  - जलवायु सुनम्य कृषि प्रणाली;
  - कृषि-पारिस्थितिकी (Agroecological) के अनुकूल;
  - कम रासायनिक तत्त्वों की मांग;
  - स्थानीय रूप से सतत् खाद्य प्रणाली।

रागी के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा प्रोत्साहन:

- उड़ीसा में रागी की जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये किसानों को जैव-आदानों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
  - प्रथम वर्ष में 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर,
  - दूसरे वर्ष में 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
  - तीसरे वर्ष में 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उड़ीसा में रागी का उत्पादन:

- वर्तमान में चार ज़िलों- कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगडा- में अतिरिक्त रागी का उत्पादन होता है। इस अतिरिक्त रागी को राज्य के अन्य ज़िलों में आवश्यकता के अनुसार पुनर्वितरित किया जाएगा।

निष्कर्ष:

- सामान्यत: कृषि में हस्तक्षेप कार्यक्रम बाज़ार को ध्यान में रखकर लागू किये जाते हैं और घरेलू पोषण और खाद्य सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है। परंतु उड़ीसा सरकार का यह कदम पोषण तथा खाद्य सुरक्षा को भी उतना ही महत्त्व देता है।

मोटा अनाज:

- ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्त्वों की मात्रा अत्यधिक होती है।
- रागी:
  - रागी शुष्क प्रदेशों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है।
  - रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं।
  - रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्व होते हैं।
  - यह कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है।
- ज्वार:
  - क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है।
  - अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिये सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
  - प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हैं।
  - ज्वार में प्रोलमिन (कैफिरिन) नामक प्रोटीन प्राप्त होता है जिसका भोजन के पाचन क्षमता की दृष्टि से महत्त्व है।

नोट :

- बाजरा:
  - यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं।
  - इसमें प्रोटीन का उच्च अनुपात (12-16%) के साथ ही लिपिड (4-6%) तथा फाइबर 11.5% पाया जाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यों द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana-PMGKAY) के विस्तार की मांग को देखते हुए योजना की अवधि को नवंबर, 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार द्वारा योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा।
- 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' का लाभ देश के सभी नागरिकों की प्राप्त हो सके इसके लिये 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था का विस्तार शीघ्र ही पूरे देश में किया जाएगा।
- 1 जून, 2020 तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना को 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है। 31 मार्च, 2021 तक सभी शेष राज्य भी इस योजना से जुड़ जाएंगे।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):

- PMGKAY, COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package-PMGKP) का एक हिस्सा है।
- योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को कवर किया गया है।
- योजना की घोषणा तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) के लिये की गई थी।
- योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (National Food Security Act- NFSA) के तहत प्रदान किये 5 किलो अनुदानित अनाज (गेहूं या चावल) के अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
- क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, लाभार्थियों को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की गई है।

योजना का प्रदर्शन:

- केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Union Ministry of Food and Public Distribution) के अनुसार, योजना के तहत कुल 116.02 लाख मीट्रिक टन (LMT) खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

माह	वितरण लक्ष्य की प्राप्ति (प्रतिशत में)	लाभार्थियों की संख्या
अप्रैल	93%	74.05 करोड़
मई	91%	72.99 करोड़
जून	71%	56.81 करोड़

खाद्य स्टॉक की उपलब्धता:

- केंद्र सरकार के अनुसार, 'भारतीय खाद्य निगम' (Food Corporation of India- FCI) के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है। FCI के पास 266.29 LMT चावल और 550.31 LMT गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है (जून 2020)।
- जबकि प्रत्येक महीने, राशन कार्डधारकों को वितरण के लिये केवल 55 LMT खाद्यान्न की आवश्यकता होती है।

नोट :

समस्या के बिंदु:

- पर्याप्त खाद्यान स्टॉक होने के बावजूद अप्रैल, 2020 में PMGKAY के तहत लगभग 200 मिलियन लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न और दालों के वितरण का लाभ नहीं मिला।
- अप्रैल, 2020 में सरकार द्वारा अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिये अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की अनुमति दी गई थी।
- मानसून की शुरुआत के साथ, खाद्यान्नों के खराब होने का खतरा है।

आगे की राह:

- PMGKAY के तहत किये जाने वाले खाद्यान्न वितरण को तब तक जारी रखना चाहिये जब तक कि COVID-19 महामारी का प्रभाव कम न हो जाए।
- 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी प्रवासित श्रमिक योजना का लाभ उठा सके।

विशेष तरलता योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' (Special Purpose Vehicle- SPV) के माध्यम से 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों' (Non-Banking Finance Companies- NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies- HFCs) के लिये एक 'विशेष तरलता योजना' (Special Liquidity Scheme) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना को वित्तीय क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के उद्देश्य से शुरु किया गया है।
- सरकार द्वारा मई, 2020 में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिये 3000 करोड़ रुपए की 'विशेष तरलता योजना' की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी 'भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड' (SBICAP) द्वारा 'SLS ट्रस्ट' नाम से 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' को स्थापित किया गया है।
- इस 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' के माध्यम से ही गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विशेष तरलता योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल':

- 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' पात्र NBFCs और HFCs से अल्पकालिक दस्तावज़ों/कागज़ों की खरीदेगा जिनमें केवल 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर' (Non-convertible debentures- NCDs) तथा 'वाणिज्यिक पत्र' (Commercial paper- CP) को ही खरीदा जाएगा।
- 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' के द्वारा खरीदे गए दस्तावज़ों की शर्त यह होगी कि इनकी परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक न हो तथा इनकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिये।
- 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किये गए किसी भी दस्तावेज़ के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि 'स्पेशल पर्पज़ व्हीकल' 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करने के लिये बंद हो जाएगा।

NBFCs एवं HFCs के लिये निर्धारित मानदंड:

- इस योजना का लाभ केवल NBFCs और HFCs को ही मिलेगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (Core Investment Companies) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों Non-Banking Financial Companies-NBFC) को इस योजना से बाहर रखा गया है।

- इस योजना के माध्यम से केवल वे ही कंपनियाँ धन जुटाने की पात्र है जो निम्नलिखित व्यापक शर्तों को पूरा करती हैं-
  - पिछले दो वित्तीय वर्षों (2017-2018 और 2018-2019) में कंपनी किसी एक वर्ष में मुनाफे में रही हो।
  - रेटिंग एजेंसी (Rating Agency) द्वारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो।
  - 31 मार्च, 2021 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 6 प्रतिशत से अधिक न हो।
  - 1 अगस्त, 2018 से पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी बैंक द्वारा उसके उधार के लिये एसएमए -1 या एसएमए -2 श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं की गई हो।

योजना का महत्त्व:

- इसके माध्यम से NBFCs, HFCs तथा म्युचुअल फंड में चल रही तरलता की कमी को दूर किया जा सकेगा।
- तरलता की कमी दूर होने पर निवेशकों का बाज़ार की तरफ रुझान बढ़ेगा।

रेलवे में निजी ट्रेनों का परिचालन

चर्चा में क्यों:

हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिये निजी क्षेत्र हेतु 'अर्हता के लिये अनुरोधों' (Request for Qualifications- RFQ) को आमंत्रित कर रेलवे परिचालन के निजीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया है।

प्रमुख बिंदु:

- RFQ के तहत कम-से-कम 151 आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी और 109 दोहरी रेल लाइनों/रेल मार्गों को निजी ट्रेनों के परिचालन हेतु तैयार किया जाएगा।
- रेल मंत्रालय के अनुसार, फरवरी-मार्च 2021 तक परियोजना के लिये वित्तीय बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तथा अप्रैल 2021 तक उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
- परियोजना में 30,000 करोड़ रुपए तक का निजी निवेश होने की संभावना है।

चिंता के विषय:

- ऐसी आशंका है कि निजी ट्रेनों के परिचालन से रेल यात्रा की कीमतों में वृद्धि होगी।
- इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें सरकारी नौकरियों के तहत आरक्षण मिल हुआ है, उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।

निजी ट्रेनों के पक्ष में तर्क:

- मांग तथा आपूर्ति में अंतर:
  - आज़ादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी सभी यात्रियों को यात्रा सेवाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास नहीं हो पाया है।
  - प्रतीक्षा-सूची में टिकट कराने वाले अनेक यात्रियों के (व्यस्त मौसम के दौरान लगभग 13.3% यात्रियों) के टिकट की कंफर्म बुकिंग नहीं हो पाती है।
  - निजी ट्रेनों के परिचालन द्वारा यात्रियों द्वारा की जा रही ट्रेन सेवाओं की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- किराए में वृद्धि नहीं:
  - निजी ट्रेन संचालकों द्वारा यात्रा किराया तय करते समय बस तथा हवाई यात्रा किराये के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। अत: निजी ऑपरेटरों के लिये बहुत अधिक किराया वसूलना व्यवहार्य नहीं होगा।
  - चूँकि निजी ट्रेनों के संचालन के बाद भी रेलवे द्वारा 95% ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा इसलिये इन ट्रेनों के किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी, साथ ही इन ट्रेनों में बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में कार्य किये जाएँगे। इससे आम जन को कम कीमत पर बेहतर सुविधाएँ मिल सकेंगी।

- नौकरियों को कोई खतरा नहीं:
  - रेलवे द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों के अलावा नवीन निजी ट्रेनें चलाई जाएँगी। रेलवे को वर्ष 2030 तक अनुमानित 13 बिलियन यात्रियों के लिये और अधिक ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता होगी।
  - निजी ट्रेनों के परिचालन से नौकरी खोने का तर्क आधारहीन है।
- तकनीकी महत्त्व:
  - वर्तमान समय 4000 किमी. दूरी तय करने के बाद ट्रेनों के कोचों के रख-रखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक कोचों को हर 40,000 किमी के बाद या 30 दिनों में एक या दो बार ही रख-रखाव की आवश्यकता होगी।
  - इसके अलावा ये कोच गति, सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।
- रेलवे को राजस्व की प्राप्ति:
  - निजी संस्था रेलवे को तय ढुलाई शुल्क, ऊर्जा शुल्क और बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान रेलवे को करेगी। अत: वर्तमान में यात्री ट्रेनों को जहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है भविष्य में उसे राजस्व की प्राप्ति होगी।
- मेक इन इंडिया के अनुकूल:
  - RFQ 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत जारी किया गया है। इसलिये कोचों का निर्माण भारत में किया जाएगा तथा इसके लिये स्थानीय घटकों का उपयोग किया जाएगा।
- ट्रेनों की गति में वृद्धि:
  - पूरे रेल नेटवर्क में ट्रेनों की गति बढ़ाने पर बल दिया जाएगा तथा अगले 5-10 वर्षों के भीतर अधिकांश रेल-मार्ग 160 किमी./घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिये अनुकूल होंगे।
  - वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक 'स्वर्णिम चतुर्भुज' (Golden quadrilateral) विकर्ण (Diagonal) मार्गों पर 130 किमी./घंटे की गति से ट्रेनें चल सकेगी।

निष्कर्ष:

- रेलवे का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है, इसलिये इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक लागतों की प्रतिपूर्ति के भी उपाय किये जाने चाहिये ताकि रेलवे के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में संकुचन

चर्चा में क्यों ?

आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (IHS Markit India Services Purchasing Managers' Index) के आधार पर COVID-19 महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरेलू मांग एवं निर्यात आर्डर में कमी के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र में लगातार जून के चौथे माह में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- लंदन स्थित IHS मार्किट (IHS Markit) द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार, इंडिया सर्विसेज़ 'पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स' (Purchasing Managers' Index-PMI) में यह संकुचन लगातार बना हुआ है।
- हालांकि जून में पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 33.7 पर पहुँच गया है, जो मई में 12.6% तथा अप्रैल माह में 5.6 अंकों पर था लेकिन PMI अगर 50 अंकों से ऊपर है तो यह प्रसार की स्थिति तथा यदि यह 50 अंकों से नीचे है तो संकुचन की स्थिति को दर्शाता है।
- IHS मार्किट सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कोरोना संकट गहराने के साथ जून माह में भी सेवा क्षेत्र में गिरावट जारी है।
- सर्वेक्षण के अनुसार कुछ कंपनियों/फर्मों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को स्थिर रखा है जो गिरावट की धीमी दर के स्तर को प्रतिबिंबित करती हैं।

- लगभग 59 प्रतिशत फर्मों ने मई के बाद से अपने उत्पादन कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जिसके चलते केवल 4% फर्मों की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई जबकि 37% में कमी दर्ज की गई है।
- सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट देखी गई है जिसका मुख्य कारण क्षेत्रीय लॉकडाउन में विस्तार के कारण मांग में गिरावट तथा श्रम लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ हैं ।

कमी का मुख्य कारण एवं इसका प्रभाव:

- जून माह में फर्मों को मिलने वाले ऑर्डर में कमी का होना।
- प्रतिकूल वातावरण के कारण ग्राहकों द्वारा अपने व्यवसाय बंद करना।
- निर्यात बिक्री में गिरावट।
- उपभोक्ताओं की आवाजाही पर रोक के चलते मांग का कम होना कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण सेवा क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, यदि देश में संक्रमण की दर नियंत्रित नहीं की गई तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की चपेट में जा सकता है जो निश्चित रूप से इस वर्ष की दूसरी छमाही में देखी जा सकती है।

पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स:

- पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों को मापने का एक इंडिकेटर है।
- इसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है।
- यह इंडेक्स सेवा क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है।
- इंडेक्स में शामिल सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों की तुलना एक जैसे नियम से की जाती है।
- इसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी एवं आँकड़े उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।

'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा 'विश्व बैंक' (World Bank) के साथ 'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' (MSME Emergency Response Programme) के लिये 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों' (Micro, Small, and Medium Enterprises- MSMEs) में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन MSMEs की नकदी एवं ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि मौजूदा प्रभावों को कम करने के साथ-साथ लाखों नौकरियों को सुरक्षित किया जा सके।
- विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली शाखा 'अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक' (International Bank for Reconstruction and Development -IBRD) से मिलने वाले 750 मिलियन डॉलर के इस ऋण की परिपक्वता अवधि 19 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
- COVID-19 महामारी से MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है जिसके चलते यह क्षेत्र आजीविका एवं रोज़गार दोनों ही मोर्चों पर व्यापक नुकसान उठा रहा है।
    - भारत सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करने पर है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (Non-Banking Financial Companys -NBFCs) की तरफ बना रहे।

- इसके लिये बैंकिंग क्षेत्र जो जोखिम लेने के डर से बच रहा है वह NBFCs को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रखेगा।

- विश्व बैंक समूह अपनी 'अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम' (International Finance Corporation-IFC) शाखा के माध्यम से MSMEs क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिये भारत सरकार को निम्नलिखित प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा-

1. तरलता को उन्मुक्त करके (Unlocking liquidity)

- इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की ओर से MSMEs को दिये जाने वाले ऋणों में अंतर्निहित जोखिम को ऋण गारंटी सहित विभिन्न प्रपत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।

2. NBFCs तथाऔर MSMEs को मज़बूत करना (Strengthening NBFCs and SFBs)

- NBFCs तथा 'स्मॉल फाइनेंस बैंक' की वित्त पोषण (फंडिंग) क्षमता बढ़ाने से उन्हें MSMEs की तात्कालिक एवं विविध आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद मिलेगी।
- इसमें MSMEs के लिये सरकार की पुनर्वित्त सुविधा द्वारा आवश्यक सहयोग देना भी शामिल होगा।

3. वित्तीय नवाचारों को मज़बूत करना (Enabling financial innovations)

- इसके माध्यम से MSMEs को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाना है।

'एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' का महत्त्व:

- MSMEs क्षेत्र भारत के विकास एवं रोज़गार सृजन के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं जो COVID-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह कार्यक्रम लक्षित गारंटी/ऋण प्रदान करने में सरकार को आवश्यक सहयोग देगा, जिसके माध्यम से लाभप्रद MSMEs को उधार देने के लिये NBFCs तथा बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- इससे लाभप्रद MSMEs को मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में मदद मिलेगी।
- यह MSMEs क्षेत्र को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की कुल खरीद में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र राहत उपायों के कारण राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद में तेज़ी आई है।

- केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से खरीदे जाने वाले चावल की कुल मात्रा वर्ष 2019 में 90.71 लाख टन की तुलना में वर्ष 2020 में 192.34 लाख टन है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि देश में प्राथमिक परिवारों (Priority Household-PHH) एवं अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana- AAY) कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज मिलेगा। शुरू में यह घोषणा सिर्फ तीन महीने (अप्रैल से जून) तक के लिये की गई थी किंतु अब इसे नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया।
    - यह कार्डधारकों को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013) के तहत मिलने वाले अनाज के अलावा दिया गया अधिकार था।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर नहीं किये गए राशन कार्डधारकों या गैर-प्राथमिकता वाले परिवारों (Non-Priority Household- NPHH) को 21 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूँ और 22 रुपए प्रति किलोग्राम चावल प्रदान करने की भी घोषणा की है।

- केंद्र सरकार की इस घोषणा का उपयोग तमिलनाडु सरकार ने लगभग 85.99 लाख ऐसे कार्डधारकों को चावल का अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने के लिये किया है।

- प्रवासी मज़दूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जिन्हें NFSA या राज्यों की किसी भी योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा था उनके लिये केंद्र सरकार ने एक अन्य योजना (मई एवं जून महीने के लिये प्रति माह 5 किलो. प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज का वितरण) की घोषणा की है।
- FCI के आँकड़ों से पता चला है कि सात राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक ने COVID-19 महामारी के दौरान चावल की कुल मात्रा का 60% से अधिक उपयोग किया।
- गेहूँ के संदर्भ में कुल खरीद की वृद्धि दर इतनी अधिक नहीं थी। वर्ष 2019 के शुरुआती तीन महीनों में यह 59.45 लाख टन की तुलना में वर्ष 2020 में 78.16 लाख टन थी।
  - राज्यों के संदर्भ में राजस्थान ने सबसे अधिक 14.84 लाख टन गेहूँ की खरीद की इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 14.01 लाख टन गेहूँ की खरीद की।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो. चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
- समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो. क्रमशः चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।
- पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।
- जुलाई 2016 तक वैध एनएफएसए के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत – चावल 3 रुपए प्रति किग्रा, गेहूँ 2 रुपए प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किग्रा को जून 2018 तक जारी रखा गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 (13-12-2017 तक) के दौरान खाद्यान्नों के अंतर-राज्य आवागमन पर किये गए व्यय और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 2959.22 करोड़ रुपए जारी किये गए। एनएफएसए के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई।

CBDT और EBIC का विलय नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' (Central Board of Direct Taxes- CBDT) और 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) के विलय का अप्रमाणित समाचार प्रकाशित होने के बाद केंद्र सरकार को मामलें में स्पष्टीकरण देना पड़ा।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दो बोर्डों के विलय का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।
- CBDT और CBIC बोर्डों का गठन 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम' (Central Board of Revenue Act)- 1963 के तहत किया गया है।
- प्रकाशित अप्रमाणित न्यूज़, पत्रकारिता में निम्न स्तरीय गुणवत्ता को दर्शाता है।

क्या था मामला?

- एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिये 'कर प्रशासनिक सुधार आयोग' (Tax Administrative Reforms Commission- TARC) की सिफारिशों को आधार बनाया तथा न्यूज़ से जुड़े तथ्यों को वित्त मंत्रालय के आवश्यक सत्यापन के बिना मुख्य पेज पर प्रकाशित किया।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सरकार द्वारा TARC के दोनों बोर्डों के विलय की सिफारिश को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था।

TARC की सिफरिशें:

- वर्ष 2014 में 'कर प्रशासनिक सुधार आयोग' (TARC) ने CBDT तथा CBEC (वर्ष 2014 में CBIC को CBEC के रूप में जाना जाता था) के विलय की सिफारिश की थी।
- TARC द्वारा CBDT और CBEC को अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से एकीकृत किये जाने की सिफारिश की गई थी।
- TARC ने अगले 5 वर्षों में केंद्रीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के तहत एक एकीकृत प्रबंधन संरचना को अपनाने की भी सिफारिश की थी।

TARC का अवलोकन:

- वर्तमान संगठनात्मक संरचना में 'केंद्रीय प्रशासन प्रत्यक्ष कर बोर्ड' (CBDT) और 'केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) में शीर्ष कर प्रशासक राजस्व सचिव होता है। राजस्व सचिव एक कर प्रशासन विशेषज्ञ न होकर समान्यज्ञ होता है।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के बीच एक कृत्रिम अलगाव है। CBDT और CBEC के बीच सहयोग का अभाव है।
- भारत में कर प्रशासन और करदाताओं के बीच सबसे अधिक कर विवाद देखने को मिलते हैं जिसमें बकाया कर की वसूली का अनुपात बहुत कम है।
- CBDT और CBEC सदस्यों का चयन विशेषज्ञता, नीति अनुभव आदि पर विचार किये बिना वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है।

सरकार का पक्ष:

- सरकार द्वारा दोनों बोर्डों के विलय के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया तथा करदाताओं के लिये अन्य मैत्रीपूर्ण सुधारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन या लेन-देन को लागू करना आदि के कार्यान्वयन पर बल दिया गया।

CBIC और CBDT:

- 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' और 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' का गठन वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम'- 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया गया था।
- ये दोनों ही संस्थाएँ सांविधिक निकाय (Statutory Body) हैं।

CBIC के कार्य:

  - 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBIC) को पूर्व में 'केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) के रूप में जाना जाता था।
  - CBIC के कार्यों में लेवी और सीमा शुल्क संग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 'केंद्रीय माल और सेवा कर' (CGST) और 'एकीकृत माल और सेवा कर' (IGST) के संग्रह तथा संबंधित कार्यों के संबंध में नीति तैयार करना शामिल है।
- CBDT के कार्य:
  - CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है।

मनरेगा: कार्य दिवसों में वृद्धि की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

मनरेगा से संबंधित नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश भर के लगभग 1.4 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों ने मौजूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है, जिसके कारण वे अब शेष वर्ष में योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं रह गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- वहीं देश भर के तकरीबन 7 लाख ग्रामीण गरीब परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने मौजूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में अपने कोटे के कुल 80 दिन पूरे कर लिये हैं और अब उनके पास पूरे वर्ष के लिये तकरीबन 20 दिन ही शेष बचे हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ कुल 60000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है और वे इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं है।
  - इसके पश्चात् आंध्रप्रदेश का स्थान है जहाँ कुल 24,500 परिवारों ने अपना 100-दिवस का कोटा पूरा कर लिया है।

कारण

- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में बेरोज़गार प्रवासी श्रमिक अपने गाँवों में लौट रहे हैं और वे अब पूर्ण रूप से मनरेगा मज़दूरी पर निर्भर हैं।
- मानसून अभी तक सही दिखाई दे रहा है और जो लोग कृषि कार्य कर सकते हैं, उनके लिये यह आगामी कुछ महीनों में कार्य का एक विकल्प हो सकता है।
- हालाँकि सबसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति दिसंबर माह के आस-पास उत्पन्न होगी जब ग्रामीण गरीब परिवारों के पास न तो कृषि कार्य होगा और न ही मनरेगा कार्य।

प्रभाव

- यदि महामारी के दौरान ग्रामीण गरीब परिवारों को इस आधार पर मनरेगा के तहत कार्य प्रदान करना बंद कर दिया जाता है कि उन्होंने अपना 100 दिन का कोटा पूरा कर लिया है, तो उन परिवारों के समक्ष एक बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा।
- 1.4 लाख परिवारों की संख्या मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या की अपेक्षा काफी कम है, किंतु वर्तमान समय में इन परिवारों के पास मनरेगा के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

कार्य दिवस में वृद्धि की आवश्यकता

- मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ज़िलों के लिये प्रावधान है कि वे अपने क्षेत्र में प्रति दिन 150 दिनों के कार्य की अनुमति देने के लिये संबंधित प्राधिकरण से योजना के विस्तार का अनुरोध कर सकते हैं।
  - यह देखते हुए कि देश में COVID-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने मनरेगा के उपरोक्त प्रावधान को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।
- स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्त्ता सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ग्रामीण गरीब परिवारों की सहायता करने के लिये कार्य दिवस की सीमा को प्रति परिवार कम-से-कम 200 दिन तक बढ़ाया जाए।
- इसके अलावा सरकार से यह भी मांग की जा रही है कि मनरेगा के तहत प्रतिदिन मिलने वाली मज़दूरी दर में भी बढ़ोतरी की जाए।

मनरेगा (MGNREGA)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक व्यस्क सदस्यों के लिये 100 दिवस के गारंटीयुक्त रोज़गार का प्रावधान किया गया है।
  - वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोज़गार का प्रावधान है।

आगे की राह

- मौजूदा COVID-19 महामारी का देश की अर्थव्यवस्था खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण देश के ग्रामीण गरीब परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
- इस स्थिति में अधिकांश ग्रामीण गरीब परिवार मनरेगा को आय के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, किंतु चूँकि मनरेगा के तहत केवल 100 दिवस के कार्य की ही मांग की जा सकती है, इसलिये जिन परिवारों ने अपने 100 दिवस पूरे कर लिये हैं उन्हें आने वाले समय में संकट का सामना करना पड़ सकता है।
- आवश्यक है कि एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास किया जाए और इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
- इसके अलावा सरकार को देश के शहरी गरीबों और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरों में भी किसी व्यक्ति को रोज़गार के संकट का सामना न करना पड़े।

भारतीय रेलवे का 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने 'भारतीय रेल परिवहन नेटवर्क' को वर्ष 2030 'नेट ज़ीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन वाली इकाई बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रेलवे द्वारा पूरे रेल नेटवर्क को वर्ष 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने तथा वर्ष 2030 तक नेट-शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार इन पहलों को 'मिशन मोड कार्यक्रम' के तहत क्रियान्वित कर रही है।
- भारत इसके लिये ब्राज़ील जैसे देशों के सहयोग स्थापित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके।

भारतीय रेलवे से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी:

- भारतीय रेलवे लाइनों की कुल लंबाई लगभग 125,000 किमी. तथा रेलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 68,000 किमी. है।
- मार्च 2019 तक केवल 35,488 किमी. लंबाई के रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो पाया है।

पहल के उद्देश्य:

- 'अत्मानिर्भार भारत अभियान' इस पहल में मुख्य प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
- भारतीय रेलवे को पूरी तरह से हरित परिवहन बनाने के लिये सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।

रेलवे द्वारा उठाए गए कदम:

- हरित ऊर्जा खरीद:
  - भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा खरीद के मामले में अग्रणी रहा है। इसने विभिन्न सौर परियोजनाओं यथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थापित 3 मेगावाट के सौर संयंत्र से ऊर्जा खरीद शुरू कर दी है।
- सौर परियोजनाओं की स्थापना:
  - भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और भवनों पर लगभग 100 मेगावाट वाले सौर पैनल स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।
- खाली पड़ी भूमि का उपयोग:
  - भारतीय रेलवे की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भूमि आधारित सौर संयंत्रों के निर्माण पर भी कार्य कर रहा है। ऐसी दो पायलट परियोजनाएँ भिलाई (छत्तीसगढ़) तथा दीवाना (हरियाणा) में कार्यान्वित की जा रही हैं। जिनके 31 अगस्त, 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है।

डायरेक्ट करंट (DC) को अल्टरनेटिंग करंट (AC) में बदलने की विशेष तकनीक:

- बीना (मध्य प्रदेश) में ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम पर आधारित विशेष संयत्र स्थापित किया गया है। इसके 15 दिनों के भीतर चालू होने की संभावना है।
- यह 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' तथा भारतीय रेलवे की पहल है।
- रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिये DC को सिंगल फेज़ AC में बदलने के लिये अभिनव तकनीक को अपनाया गया है।
- यह परियोजना BHEL द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत शुरू की गई थी।
- इसे BHEL द्वारा 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी' (CSR) योजना के तहत शुरू किया गया है।

रेलवे के समक्ष चुनौतियाँ:

- रूफटॉप सोलर मॉड्यूल को बारिश, धूल भरी आँधी और बर्फ जैसी चरम मौसम स्थितियों में सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल है।
- उत्पादित सौर ऊर्जा के भंडारण तथा इसके उपयोग करने के समक्ष अनेक तकनीकी चुनौतियाँ हैं।
- 'नेट शून्य' उत्सर्जन एक दूरगामी लक्ष्य है, वर्तमान में रेलवे लाइनों का 100%विद्युतीकरण ही एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

पहल का महत्त्व:

- भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ 'नेट शून्य' उत्सर्जन पहल भारत की जलवायु परिवर्तन की चुनौती के खिलाफ प्रारंभ पहलों में से एक है।
- रेलवे की पहल से भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDCs) लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।
- रेलवे लाइनों के साथ सौर परियोजनाओं की स्थापना रेलवे लाइनों के अतिक्रमण को रोकने, गाड़ियों की गति और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लघु जोतधारक तथा कृषि विपणन

चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है, ऐसे में कृषि को पुन: आर्थिक विकास के इंजन और महत्त्वपूर्ण उपशामक के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- वित्त मंत्री द्वारा COVID-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिये कृषि अवसंरचना को मज़बूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिये अहम उपायों की घोषणा की गई थी।
- इस आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन से संबंधित भी अनेक सुधारों की घोषणा की गई थी।

कृषि संबंधी सुधारों की घोषणा:

- हाल ही में कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित व्यापक परिवर्तनकारी सुधारों को लागू किया है:
- 'आवश्यक वस्तु अधिनियम'-1955 में संशोधन;
- 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अध्यादेश', (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance)- 2020;
- कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन;
- कृषि विपणन सुधार।

कृषि सुधारों का उद्देश्य:

- कृषि सुधारों के माध्यम 'किसान प्रथम' (Farmer First) अर्थात किसान को नीतियों के केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - कृषि-सेवाओं में रोज़गार उत्पन्न करना;
  - विपणन चैनलों में विकल्पों को बढ़ावा देना;
  - 'एक राष्ट्र एक बाज़ार' की दिशा में कार्य करना;
  - अवसंरचना का विकास;
  - मार्केट लिंकेज;
  - फिनटेक और एगटेक में निवेश आकर्षित करना;
  - खाद्य फसलों के स्टॉक प्रबंधन में पूर्वानुमान पद्धति को अपनाना।

लघु जोतधारकों की स्थिति:

- सामान्यत: 2 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु जोतधारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	समूह	भूमि धारण (हेक्टेयर में)
1	सीमांत	< 1.0 हेक्टेयर
2	लघु	1.0 < 2.0 हेक्टेयर
3	अर्द्ध-मध्यम	2.0 < 4.0 हेक्टेयर
4	मध्यम	4.0 < 10.0 हेक्टेयर
5	वृहद	10.0 हेक्टेयर से अधिक

- लगभग 85% किसान लघु तथा सीमांत जोतधारक हैं।

लघु जोतधारकों की समस्याएँ:

- किसानों के लिये अपनाई जाने सार्वजनिक नीति के प्रभाव तथा खेत के आकार में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात इन नीतियों का छोटे जोतधारक किसानों पर विपरीत प्रभाव होता है।
- खाद्य सुरक्षा प्रभावित:
  - कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अपनाई गई नीतियों यथा- कृषि आगतों को आपूर्ति, कृषि विस्तार सेवाएँ आदि लघु जोतधारकों की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता तथा खुद को बाज़ार में बनाए रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। जिससे देश की खाद्य प्रणाली भी प्रभावित होती है।
- कम आय की प्राप्ति:
  - लघु जोतधारकों की आय राष्ट्रीय औसत आय से बहुत कम है। लघु जोतधारकों की प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए प्रति वर्ष है। यह राष्ट्रीय औसत आय के पाँचवे हिस्से के बराबर है।
- औपचारिक बाज़ार तक पहुँच का अभाव:
  - भारत में लगभग लगभग 220 बिलियन डॉलर के वार्षिक कृषि उत्पाद सीमांत खेतों पर उगाया जाता है तथा इसे लगभग 50 किमी. के दायरे में अनौपचारिक बाज़ारों में बेच दिया जाता है।
  - औपचारिक (सार्वजनिक खरीद सहित) और अनौपचारिक बाज़ारों के सह-अस्तित्त्व के कारण कृषि उत्पादों तक पहुँच और मूल्य स्थिरता दोनों प्रभावित होती है।
  - लघु जोतधारक किसानों को फसलों का अच्छा बाज़ार मूल्य तथा खरीददारों के विकल्प नहीं मिल पाते हैं।

नोट :

- अवसंरचना का अभाव:
  - 'बाज़ार तक फसल उत्पादों को लाने के लिये पर्याप्त लॉजिस्टिक संरचना का अभाव है। बड़े बाज़ारों और नगरों से भौतिक दूरी अधिक होने पर लघु जोतधारकों की आय में कमी होती है।

सुधारों की आवश्यकता:

विपणन प्रणाली तथा अवसंरचना में सुधार:

- अच्छी तरह से विनियमित बाज़ार की दिशा में निम्नलिखित सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है:
  - सुरक्षित और सस्ती भंडारण सुविधा;
    - भंडारण सुविधाओं में वृद्धि, बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों, खुदरा विक्रेताओं को आकर्षित करेगी।
  - गुणवत्ता प्रबंधन प्रौद्योगिकी;
    - कार्यशील पूंजी;
    - कृषि उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों से सुरक्षा की व्यवस्था ।
    - उदाहरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म आधारित कृषि प्रबंधन प्रणाली सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म ऋण पहुँच , जोखिम प्रबंधन, मौसम जानकारी, फसल प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    - 10,000 'किसान उत्पादक संगठनों' (Farmer Producer Organisations- FPOs) की स्थापना जैसे मिशन लघु जोतधारकों को 'बाज़ार आधारित कृषि' उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

ई-मार्केटप्लेस जैसी पहलों की आवश्यकता:

- ज़िला प्रशासन पर वाणिज्यिक विवाद निपटानों का समाधान करने के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।
- प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन के लिये एक उचित समाशोधन और निपटान तंत्र की आवश्यकता है। इस दिशा में ई-मार्केटप्लेस जैसी पहल को लागू किया जाना चाहिये।

उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण:

- ऑनलाइन बिक्री की दिशा में छोटे जोतधारकों को मानक ग्रेड और गुणवत्ता-आधारित संदर्भ मूल्य अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिये कृषि विपणन विस्तार सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये।
- सभी खाद्य मानक कानूनों और विभिन्न व्यापार मानकों को अच्छे उत्पादों की आपूर्ति की समझ के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

गैर-अनाज फसलों संबंधी पहल:

- गैर-अनाज फसलों के साथ जुड़े जोखिमों और ऋण का प्रबंधन करने के लिये नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिये ताकि इसका लाभ लघु जोत धारकों को मिल सके।

पशुधन को महत्त्व:

- पशुधन का भारत की कृषि जीडीपी में 30% योगदान है, अत: बाज़ार तथा पशुधन के मध्य भी बेहतर समन्वय बनाने की आवश्यकता है।

अंतर-राज्य समन्वय:

- कृषि राज्य सूची का विषय है, अत: कृषि क्षेत्र में बेहतर अंतर-राज्य समन्वय को लागू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

- कृषि क्षेत्र में नवीन सुधारों को लागू करने से कृषि उत्पादकों, मध्यस्थों तथा उपभोक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय हो पाएगा तथा लघु जोतधारकों को भी अपने उत्पादों पर बेहतर रिटर्न मिल सकेगी तथा इससे भूगोल द्वारा उत्पन्न सीमाएँ महत्त्वहीन हो जायेगी।

चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण की पद्धति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब, हरियाणा में श्रमिकों की कमी के बाद धान के बुवाई के लिये 'पारंपरिक रोपण' (Traditional Transplanting) पद्धति के स्थान पर 'चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण' (Direct Seeding of Rice- DSR) पद्धति का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर मज़दूरों का 'प्रति-प्रवास' (Reverse Migration) देखने को मिला है। जिससे पंजाब-हरियाणा जैसे क्षेत्रों में धान के रोपण के लिये श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- पंजाब में लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई गई है, जिसमें से लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 'प्रत्यक्ष बीजारोपण की तकनीक' को अपनाया गया है।
- विगत वर्ष लगभग 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में DSR पद्धति के तहत धान रोपण किया गया था।

चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (Direct Seeding of Rice- DSR):

- DSR तकनीक में पूर्व-अंकुरित बीजों (Pre-germinated Seeds) को ट्रैक्टर चालित मशीन द्वारा सीधे खेत में ड्रिल कर दिया जाता है।
- इस पद्धति में धान की बुवाई से पूर्व नर्सरी तैयार करने या रोपण की आवश्यकता नहीं होती है।
- किसानों को केवल अपनी भूमि को समतल बनाना होता है और धान की बुवाई से पूर्व एक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- DSR पद्धति के माध्यम से धान का बीजारोपण अप्रैल-मई में तथा फसल की कटाई अगस्त-सितंबर में की जाती है।

पारंपरिक धान की रोपाई (Traditional Transplanting of Paddy):

- धान की पारंपरिक रोपाई में किसानों द्वारा धान की नर्सरी तैयार की जाती है।
    - धान के खेत की तुलना में नर्सरी का आकार लगभग 5-10% होता है।
- धान के बीजों की बुवाई करके धान के रोपों (युवा पौधों) को तैयार किया जाता है। धान के इन रोपों को बाद में उखाड़ कर धान के खेतों में रोपण किया जाता है।
- सामान्यत: पंजाब और हरियाणा में धान की फसल का रोपण मई-जून में तथा कटाई अक्तूबर के प्रथम सप्ताह से अक्तूबर के अंत तक की जाती है, जबकि गेहूं की फसल की बुवाई सामान्यतया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होती है।

चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का महत्त्व:

श्रम लागत में कमी:

- पारंपरिक धान की रोपाई की तुलना में चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण की तकनीक में श्रम की लागत लगभग एक तिहाई तक रहती है।
- उदाहरणत: 8 एकड़ धान की पारंपरिक धान रोपण प्रक्रिया में श्रम लागत 30,000 रुपए तक होती है, वहीं चावल की प्रत्यक्ष बीजारोपण तकनीक में यह लागत केवल 10,000 रुपए तक होती है।

  जल की बचत:
- DSR तकनीक में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, अत: पानी की बचत होती है।

अवशिष्ट दहन समस्या का समाधान:

- सामान्यत धान की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच 'विंडो पीरियड' (Window Period) 20-25 दिनों का होता है, अत: किसान अपने खेतों को साफ करने के लिये 'फसल अवशेष दहन' का सहारा लेते हैं।
    - सामान्यत: एक फसल की कटाई तथा दूसरी फसल के बुवाई के बीच के समय को 'विंडो पीरियड' कहा जाता है।

नोट :

- DSR तकनीक में फसल 10-11 दिन पहले परिपक्व हो जाती है। जिससे रबी की फसल की तैयारी तथा धान की कटाई के बीच किसानों को पर्याप्त समय मिल सकेगा। अत: फसल अवशेष दहन की घटनाओं में भी कमी देखने को मिलेगी।

चुनौतियाँ:

- पारंपरिक धान रोपाई में जहाँ 4-5 किग्रा./एकड़ बीज की आवश्यकता होती है वही DSR पद्धति में 8-10 किग्रा./एकड़ बीज आवश्यक होता है। अत: DSR पद्धति में बीज की लागत अधिक है।
- DSR पद्धति में भूमि का समतल/लैंड लेवलिंग किया जाना अनिवार्य है, जबकि पारंपरिक धान रोपाई में ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

आगे की राह:

- चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण पर आधारित DSR पद्धति आर्थिक दृष्टि से वहनीय, पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल तथा तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक पद्धति है, अत: अधिक से अधिक किसानों को इस तकनीक को अपनाने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

चावल:

मौसमी दशाएँ:

- यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिये उच्च तापमान (25°C से अधिक तापमान) तथा उच्च आर्द्रता (100 सेमी. से अधिक वर्षा) की आवश्यकता होती है।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की फसल के उत्पादन के लिये सिंचाई की आवश्यकता होती है।

उत्पादन क्षेत्र:

परंपरागत उत्पादन क्षेत्र:

- चावल का अधिकांश उत्पादन क्षेत्र उत्तर और उत्तर-पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में है।

गैर- परंपरागत उत्पादन क्षेत्र:

- नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है।
- इन क्षेत्रों में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है।

बहुफसलीय उत्पादन:

- दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण चावल की दो या तीन फसलों का उत्पादन किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल के किसान चावल की तीन फसलों का उत्पादन करते हैं जिन्हें 'औस', 'अमन और 'बोरो' कहा जाता है।

खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (Ministry of Statistics & Programme Implementation-MoSPI) द्वारा जारी किये गए नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत की 'खुदरा मुद्रास्फीति' (Retail Inflation) वृद्धि दर जून के महीने में 6.09% के स्तर पर पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर को 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (Consumer Price Index-CPI) के आधार पर मापा जाता है।

- यह खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन की माप करता है।
- यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं।
- CPI का आधार वर्ष 2012 है।

- सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के चलते देशव्यापी 'लॉकडाउन' के कारण अप्रैल और मई माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर के आंकड़ें जारी नहीं किये गए हैं।
- हालांकि, अप्रैल में CPI आँकड़ों को मार्च महीने के आँकड़ों के आधार पर संशोधित कर 5.84% कर दिया गया था।
- मई माह में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)का स्तर 9.20 % था।
- सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति (Inflation) की दर को 4% (2% ऊपर या नीचे) पर रखने का निश्चित किया गया है।
- CPI के महँगाई दर के आँकड़े रिज़र्व बैंक के मध्यम अवधि लक्ष्य 4% के ऊपर अर्थात खुदरा मुद्रास्फीति दर भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्जिन से 6%अधिक हो गई है।

खुदरा मुद्रास्फीति दर:

- जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज़ की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं।
- मुद्रास्फीति को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह महंगाई दर या खुदरा मुद्रास्फीति दर कहलाती है।
- सरल शब्दों में कहें तो यह कीमतों में उतार-चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाती है।

खुदरा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण:

- खाद्यान पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि देखी गई है ।
- मुख्य रूप से दालों तथा अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है जो जून में 16.68 प्रतिशत बढ गई है।
- मांस और मछली उत्पादों पर 16.22 %की वृद्धि, तेल एवं वसा उत्पादों पर 12.27 %की वृद्धि तथा मसालों की कीमतों पर 11.74 % की वृद्धि देखी गई है।

संभावित प्रयास:

अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करके, उत्पादन में वृद्धि दर को बढ़कर, उत्पादों का आयात करके तथा उत्पादन तकनीक में सुधार कर उत्पादों की लागत कम करके कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से खुदरा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित किया जा सकता है ।

धान-कृषि की निगरानी के लिये एप: पैडी वॉच

चर्चा में क्यों ?

'यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी' (University of Sydney) तथा अन्य कुछ संस्थाओं के शोधकर्त्ता एक साथ मिलकर चावल के खेतों की 'वास्तविक-समय निगरानी मंच' (Real-time Monitoring Platform) के रूप में पैडी वॉच (Paddy watch) नामक एक एप विकसित कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यह परियोजना 'गूगल अर्थ' (Google Earth) और 'ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्ज़र्वेशन' (Group on Earth Observations-GEO) के सहयोग से शुरू की गई है।
- एप के विकास में भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी सहयोग कर रहे हैं।

पैडी वॉच (Paddy watch):

- यह धान के खेत की 'वास्तविक समय पर निगरानी' करने वाला प्रथम एप है, जो धान के रोपण तथा कटाई की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा।
- किसी फसल मौसम में कितनी धान की फसल का रोपण किया गया है, इसकी सटीक और अद्यतित जानकारी एप पर उपलब्ध होगी।
- इसके लिये 'गूगल अर्थ' के माध्यम से वास्तविक समय पर 'भू-उपयोग' का डेटा प्राप्त किया जाएगा जिसका एप निर्माण में सहयोगी देशों जैसे भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में क्षेत्र आधारित अवलोकनों के द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

एप का महत्त्व:

- सटीक जानकारी:
  - एप के माध्यम से धान की रोपाई और काटे गए धान के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  - किसी फसल मौसम में चावल की फसल के अंतर्गत कितना कृषि क्षेत्र है, इसकी वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी।
- खाद्य एवं जल सुरक्षा:
  - 'गूगल अर्थ' और 'क्लाउड कंप्यूटिंग' तकनीक का उपयोग करके फसल की पैदावार और पानी की खपत का पूर्वानुमान किया जा सकेगा। संभावित उपज तथा जल उपयोग का पूर्वानुमान लगाने से 'खाद्य सुरक्षा' एवं 'जल सुरक्षा' का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
  - संयुक्त राष्ट्र के 'सतत विकास लक्ष्य'- 2 अर्थात 'ज़ीरो हंगर' (Zero Hunger) को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:
  - धान के खेत मीथेन; जो की एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है, के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। एप के माध्यम से इस ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन तथा प्रभाव की निगरानी करने में मदद मिलेगी
- डिजिटल कृषि (Digital Agriculture):
  - फसल की पैदावार और पानी की खपत का अनुमान लगाने के लिये एप द्वारा 'डीप-लर्निंग तकनीक' का प्रयोग किया जाएगा
  - खेत से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादन को एकीकृत करने के लिये डिजिटल तकनीक का उपयोग करना ही डिजिटल कृषि है।
  - ये डिजिटल तकनीक कृषि क्षेत्र में वास्तविक समय पर सूचना देने का कार्य करती हैं। जिससे अधिक सटीक निर्णय लेने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

पृथ्वी अवलोकन पर समूह (Group on Earth Observations- GEO):

- GEO पृथ्वी अवलोकन की दिशा में कार्य करने वाला एक अद्वितीय वैश्विक नेटवर्क है, जो 100 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों और 100 से अधिक संगठनों, संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, डेटा प्रदाताओं और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ता है।
- यह 'ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ' (Global Earth Observation System of Systems- GEOSS) के निर्माण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय करने का कार्य करता है।
- GEOSS एक स्वतंत्र पृथ्वी अवलोकन, सूचना और प्रसंस्करण प्रणालियों का एक समूह है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्त्ताओं की व्यापक श्रेणी के लिये विविध जानकारी तक पहुँच और संपर्क प्रदान करता है।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 15000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund-AHIDF) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) की स्थापना की बात की गई थी।

- इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, किसान उत्पादक संगठन (FPO), MSMEs, कंपनी अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियाँ, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) से संबंधित प्रावधान देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होंगे।

उद्देश्य

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) का प्रमुख उद्देश्य दूध और माँस प्रसंस्करण की क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं असंगठित दुग्ध और माँस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और माँस बाज़ार तक अधिक पहुँच प्रदान की जा सके।
- उत्पादकों को उनके उत्पाद की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करना।
- स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और माँस उपलब्ध कराना।
- देश की बढ़ती आबादी के लिये प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकना।
- देश भर में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और संबंधित क्षेत्र में रोज़गार सृजित करना।
- दुग्ध और माँस उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

कोष के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत सभी पात्र परियोजनाएँ अनुमानित परियोजना लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक ऋण के रूप में अनुसूचित बैंकों से प्राप्त करने में सक्षम होंगी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थिति में पात्र लाभार्थियों का योगदान 10 प्रतिशत, मध्यम उद्यम इकाई की स्थिति में 15 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों में यह 25 प्रतिशत हो सकता है।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत 15000 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि बैंकों द्वारा 3 वर्ष की अवधि में वितरित की जाएगी।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत मूल ऋण राशि के लिये 2 वर्ष की ऋण स्थगन (Moratorium) अवधि और उसके पश्चात् 6 वर्ष के लिये पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाएगी, इस प्रकार कुल पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की ऋण स्थगन (Moratorium) अवधि भी शामिल है।
- संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण के वितरण के पश्चात् पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो, जिसमें ऋण स्थगन (Moratorium) अवधि भी शामिल है।
- इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से प्रबंधित 750 करोड़ रुपए के ऋण गारंटी कोष की भी स्थापना की जाएगी।
  - इसके तहत उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी जो MSMEs की परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं।
  - ऋण गारंटी की सीमा उधारकर्त्ता द्वारा लिये गए ऋण के अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का महत्त्व

- आँकड़ों के अनुसार, भारत द्वारा वर्तमान में, 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और वर्ष 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 330 मिलियन टन तक होने की संभावना है।
- वर्तमान में केवल 20-25 प्रतिशत दूध ही प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हालाँकि सरकार ने इसे 40 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस कोष के माध्यम से बुनियादी ढाँचा तैयार होने के पश्चात् लाखों किसानों को इससे फायदा पहुँचेगा और दूध का प्रसंस्करण भी अधिक होगा।
  - इससे डेयरी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा जो कि वर्तमान समय में नगण्य है। गौरतलब है कि डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुँचने की आवश्यकता है।

- चूँकि, भारत में डेयरी उत्पादन का लगभग 50-60 प्रतिशत अंतिम मूल्य प्रत्यक्ष रूप से किसानों को वापस मिल जाता है, इसलिये इस क्षेत्र में होने वाले विकास से किसान की आय पर प्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- ध्यातव्य है कि भारत में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, आँकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 53.5 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का निर्णय लिया गया है, वहीं 4 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
  - हालाँकि अभी भी भारत प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी पीछे है, इस कोष के माध्यम से विभिन्न प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किये जाएंगे।
- इस कोष के माध्यम से भारत के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी और यह 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- अनुमान के अनुसार, सरकार द्वारा गठित इस कोष और इसके तहत स्वीकृति उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाखों लोगों के लिये आजीविका का निर्माण होगा।

बासमती चावल को GI टैग देने की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से राज्य के 13 ज़िलों में उत्पादित बासमती चावल के लिये भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) या 'जीआई टैग' (GI Tag) प्राप्त करने के बढ़ते दबाव के बाद 'अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ' (All India Rice Exporters' Association- AIREA) ने केंद्र सरकार से बासमती चावल की प्रतिष्ठा को संरक्षित और सुरक्षित करने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी भी अन्य देश (पाकिस्तान में 18 ज़िलों को छोड़कर) में बासमती चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है।
- AIREA के अनुसार, यदि मध्य प्रदेश को बासमती चावल की 'जीआई सूची' (GI List) में शामिल किया जाता है, तो यह न केवल भारतीय बासमती की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाएगा, बल्कि राष्ट्रीय हित को भी प्रभावित करेगा।

क्या है 'जीआई टैग' (GI Tag)?

- 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) के अनुसार, जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है।
- जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है।
- भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा हैं, जो 'औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय' (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) का तहत आते हैं।
- भारत में, भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को 'माल के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' ('Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act,1999') द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - यह अधिनियम 13 सितंबर, 2003 को प्रभाव में आया था।
  - इसका विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार (Registrar of Geographical Indications) द्वारा किया जाता है।
  - भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।
  - एक भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिये वैध होता है।

बासमती चावल को 'जीआई टैग':

- मई 2010 में APEDA द्वारा हिमालय की तलहटी से नीचे सिंधु-गंगा के मैदान (Indo-Gangetic Plains-IGP) में स्थित क्षेत्र में उत्पादित बासमती चावल के लिये यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।
  - इसमें 7 राज्यों [हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी यूपी के 26 जिले) और दिल्ली] के क्षेत्र शामिल हैं।
- APEDA के अनुसार, लंबे अनाज और सुगंधित चावल के रूप में सिंधु-गंगा क्षेत्र में बासमती चावल की उत्पत्ति और इसकी प्रतिष्ठा का जिक्र लोक कथाओं, परंपराओं के साथ वैज्ञानिक, पाक साहित्य (Culinary literature), राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिलेखों में पाया जाता है।
- मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत पठार क्षेत्र में आता है और इस राज्य में बासमती चावल की प्रजातियों की खेती की शुरुआत इसी इस सदी के पहले दशक के मध्य के आसपास ही हुई थी।
- मध्य प्रदेश का दवा है कि राज्य में उत्पादित बासमती चावल में IGP क्षेत्र के बासमती चावल के जैसी ही विशेषताएँ और गुण हैं।
- साथ ही राज्य के अनुसार, राज्य के 13 ज़िलों में लगभग 80 हज़ार किसान बासमती चावल की खेती करते हैं, जिससे राज्य से प्रतिवर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का निर्यात किया जाता है।

मध्य प्रदेश को बासमती चावल की 'जीआई सूची' में जोड़ने में बाधाएँ:

- AIREA के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं' (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) या ट्रिप्स समझौते के तहत जीआई टैग अर्जित करने के लिये किसी उत्पाद की केवल भौतिक विशेषताएँ (Physical attributes) पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र (Geographic Region) से जुड़ी प्रतिष्ठा आवश्यक और अनिवार्य है।
- 'माल भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' के अनुसार, किसी उत्पाद की जीआई मान्यता के लिये उसका भौगोलिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।
- वर्तमान में बासमती चावल के संदर्भ में देश के मात्र 7 राज्यों को ही यह प्रतिष्ठा प्राप्त है।
- यद्यपि मध्य प्रदेश उत्पादित चावल की प्रजाति में सभी आवश्यक (या पारंपरिक रूप से बासमती चावल उगाए जाने के लिये प्रचलित क्षेत्रों से बेहतर) विशेषताएँ मौजूद हो सकते हैं, परंतु इसे फिर भी बासमती के समान पात्रता नहीं दी जा सकती।

अन्य प्रयास:

- मध्य प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के अतिरिक्त मद्रास उच्च न्यायालय में एक अपील दायर दी गई थी, जिसे फरवरी, 2020 में रद्द कर दिया गया था।
- इससे पहले वर्ष 2006 में 'बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड' (Intellectual Property Appellate Board- IPBA) ने APEDA के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिये जाने जा समर्थन नहीं करता है।
- इन निर्णयों के बाद भी मध्य प्रदेश द्वारा अलग-अलग माध्यमों और मंचों से से यह माँग लगातार उठाई जाती रही है।
- यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारियों ने अपने राज्य में उत्पादित चावल को बेचने के लिये पैकेजिंग पर IGP की तस्वीरों का प्रयोग करते हैं, यद्यपि मध्य प्रदेश IGP क्षेत्र से काफी बाहर है।

मध्य प्रदेश को जीआई सूची में शामिल करने के प्रभाव:

- निर्यातकों के अनुसार, मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल करने के परिणाम बहुत ही क्षतिकारक हो सकते हैं।
- भारत के लिये अब तक 'बासमती' नाम को अन्य कई देशों (जो बासमती के अपने संस्करणों के साथ सामने आते रहे हैं) के अतिक्रमण से बचाए रखने की लड़ाई बहुत ही कठिन रही है।
- केवल जीआई टैग के कारण ही बासमती चावल को बचाए रखने में सफलता प्राप्त हो सकी है क्योंकि यह क्योंकि यह भारत के IGP क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब के 18 ज़िलों में पुराने समय से उगाया जाता रहा है।

नोट :

- इस निर्विवाद तथ्य के बल पर ही भारत दुनिया भर में इससे जुड़े विवादों को जीतने में सफल हुआ है।
- यदि मध्य प्रदेश को शामिल करने की अनुमति दी जाती है, तो यह 1995 से भारतीय बासमती को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये APEDA के प्रयासों को निरर्थक बना देगा।
- बासमती चावल की पहचान को बचाए रखने के लिये APEDA द्वारा वर्ष 1995 से लेकर आजतक लगभग 50 देशों के खिलाफ 1,000 से अधिक कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं।
- APEDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यदि मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान भी तुरंत पूरे देश में बासमती की खेती प्रारंभ कर देगा और इससे चीन को भी लाभ होगा।
- साथ ही वे सभी 50 से अधिक देश जिन्हें अपने चावलों को बासमती से मिलते-जुलते नाम रखने पर प्रतिबंधित किया गया है, वे भी इस निर्णय का दुरुपयोग प्रारंभ कर देंगे।

निष्कर्ष:

बासमती चावल देश के 7 राज्यों में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों की आय एक महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ इन क्षेत्रों के सांस्कृतिकऔर आर्थिक विकास का हिस्सा रहा है। ऐसे में यदि बासमती चावल की प्रतिष्ठा को क्षति होती है तो इन किसानों के परिवारों के लिये एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

आगे की राह:

- जीआई टैग प्राप्त बासमती चावल के क्षेत्रफल के विस्तार के समय इसे जुड़े आर्थिक हितों के साथ अन्य पहलुओं को देखना भी बहुत आवश्यक है।
- जीआई टैग प्राप्त बासमती चावल से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि विशेषज्ञों, निजी संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में उत्पादित चावल पर उचित मूल्य प्रदान कराने के प्रचार-प्रसार से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

ट्रेनों की वास्तविक समय निगरानी के लिये रणनीति

चर्चा में क्यों?

रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों की 'वास्तविक समय की निगरानी' (Surveillance) के लिये एक प्रबंधन रणनीति तैयार की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- यह रणनीति एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा यात्री कोचों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार की जा रही है।
- भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों की 'वीडियो निगरानी प्रणाली' (Video Surveillance System) की दिशा में मार्च 2021 तक 7,000 कोचों में निगरानी कैमरे लगाने की योजना है।
- कोच में वीडियो निगरानी प्रणाली के लिये एक 'मानक संचालन प्रक्रिया' (Standard Operating Procedure- SOP) को अपनाया जाएगा।
  - SOP में डेटा की अपलोडिंग, रिटेंशन और रिट्रीवल से संबंधित विवरण को शामिल किया जाएगा।
  - सुरक्षा कर्मियों और रेलवे अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया की जाएगी।

वर्तमान निगरानी क्षमता:

- वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा 6,049 स्टेशनों पर 'वीडियो निगरानी प्रणाली' स्थापित की जा रही है, जिसमें उत्तर रेलवे के 725 स्टेशन तथा दक्षिण रेलवे के 573 स्टेशन शामिल है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस एवं उपनगरीय ट्रेनों के कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है।

सरकार द्वारा किये गए अन्य प्रयास:

- वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिये 'निर्भया फंड' का गठन किया गया था। शुरुआत में इसके तहत तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी।
- स्टेशनों और ट्रेनों के 'लेडीज़ कोच' में निगरानी बढ़ाने के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये निर्भया फंड का प्रयोग किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश:

- अगस्त 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने दक्षिणी रेलवे की निगरानी प्रणाली के सर्वेक्षण के लिये विशेषज्ञों की एक टीम के गठन तथा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा के लिये ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिये थे।

निगरानी प्रणाली का महत्त्व:

- वीडियो निगरानी प्रणाली को अपनाने से रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में हिंसक घटनाओं एवं अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी तथा रेलवे परिसर में महिलाओं और बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

तमिलनाडु शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'प्रोजेक्ट्स टुडे' जो कि देश में निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखने वाली एक स्वतंत्र फर्म है, के अनुसार तमिलनाडु इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य के रूप में उभरा है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रोजेक्ट्स टुडे के अनुसार तमिलनाडु की पहली तिमाही में देश में 97,859 करोड़ रुपए की कुल 1,241 परियोजनाओं को निष्पादित/संचालित करने में 18.63% की हिस्सेदारी है।
- वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान भारत में समग्र निवेश घोषणाएँ पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम हो गई हैं।
- खास बात यह है कि इस तिमाही के हर माह में तमिलनाडु में निवेश का स्तर बढ़ा है।
  - अप्रैल में पूर्ण लॉकडाउन के पहले माह में, 1, 20,181.6 करोड़ की 260 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी।
  - मई में 22 37,922 करोड़ की 436 नई परियोजनाओं की ओर घोषणा की गई।

समझौतों पर हस्ताक्षर:

- तमिलनाडु सरकार द्वारा मई, 2020 में निवेशकों के साथ 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिनमें अप्रैल से जून के मध्य तिमाही में निवेशकों द्वारा 18,236 करोड़ रुपए निवेश किया गया।
- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सबसे बड़ी घोषित परियोजना 3,000 करोड़ रूपए की गैस आधारित बिजली परियोजना थी।
- पवन चक्की उपकरण और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिये राज्य में 2,900 करोड़ रुपए की दो निजी क्षेत्र की परियोजनाएँ संचालित हैं।

अन्य राज्यों की स्थिति:

- महाराष्ट्र 11,228.8 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव के साथ दूसरे स्थान पर है।
- महाराष्ट्र ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और यू.एस. की कई निवेशक फर्मों के साथ एक आभासी महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन के माध्यम से 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये थे।
- तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने निवेशकों से मुलाकात की और एमओयू पर हस्ताक्षर किये
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने श्रम कानूनों को फिर से लागू किया, है और विदेशी कंपनियों को अपने राज्यों में निवेश के लिये आमंत्रण भेजा है।

नोट :

राज्य में नया निवेश:

- मई माह में प्रोजेक्ट्स टुडे द्वारा 39% प्रतिभागियों के साथ कराए गए सर्वे के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाने की उम्मीद की गई है।
- अर्थव्यवस्था में 1.0 अनलॉक की घोषणा के साथ ही जून माह में नई परियोजनाओं की संख्या में और वृद्धि देखी गई है जिसके चलते जून माह में 39,755.43 करोड़ के कुल निवेश के साथ 545 और नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

आगे की राह:

भारत में ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूंजीगत सामान, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन आदि क्षेत्रों में दुनिया का अनुबंध निर्माता होने की अपार संभावनाएँ हैं। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में आवश्यक श्रम शक्ति भी शामिल है।

हालांकि, देश की धीमी गति से चलने वाली आधिकारिक मशीनरी, पुरातन भूमि और श्रम कानून कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी तकनीक और पूंजी निवेश करने से रोकती हैं ऐसे में आवश्यकता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने-अपने स्तर पर जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने के लिये प्रयास करने चाहिये ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

चर्चा में क्यों ?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में न्याय के लिये एकल बिंदु पहुँच दी गई थी जिसमें काफी समय लग जाता है।
- पुराने अधिनियम में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र [राष्ट्रीय (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य और ज़िला स्तर पर] की व्यवस्था मौजूद थी।

नए अधिनियम की विशेषताएँ

- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) के गठन का प्रस्ताव करता है। विधेयक के अनुसार, CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जाँच करना।
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना।
  - भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर ज़ुर्माना लगाना।

ई-कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम:

- सरकार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी जिसके व्यापक प्रावधान निम्नलिखित हैं:
  - प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है।
    - ये सभी सूचनाएँ उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीददारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिये ज़रूरी है।
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा।

- नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवज़े के किसी भी दावे के लिये उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अनिवार्य हैं, ये केवल परामर्श नहीं हैं।

- उत्पाद दायित्व (Product Liability):
  - यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता/विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार, किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है:
    - उत्पाद/सेवा के निर्माण में दोष।
    - डिज़ाइन में दोष।
    - उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना।
    - निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना।
    - प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना।
- मिलावटी/नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सज़ा:
  - इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिये सज़ा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत दो साल तक की अवधि के लिये व्यक्ति को जारी किये गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उस लाइसेंस को रद्द कर सकती है।
- मध्यस्थता के लिये संस्थागत व्यवस्था:
  - नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये इस अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा।
  - जहाँ भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हों, वहां मध्यस्थता के लिये उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्त्वावधान में स्थापित किये जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी।
  - मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।
- उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण:
  - राज्य और ज़िला आयोगों का सशक्तीकरण करना ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें।
  - उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है।
  - सुनवाई के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अगर 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा।
- अन्य नियम और विनियम:
  - उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार, 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिये भी इसमें प्रावधान है, न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund -CWF) में जमा किया जाएगा।
  - नौकरियों, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मसलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देंगे।
  - उक्त सामान्य नियमों के अलावा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (Central Consumer Protection Council-CCPC) के गठन के लिये नियम भी प्रदान किये गए हैं।
    - ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य होंगे।
    - इस परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, और इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और NER, प्रत्येक क्षेत्र से दो राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिये इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है।

- इस नए अधिनियम के तहत सामान्य नियमों के अलावा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, राज्य/ज़िला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम, मध्यस्थता नियम, मॉडल नियम, ई-कॉमर्स नियम और उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया विनियम, मध्यस्थता विनियम और राज्य आयोग एवं ज़िला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी विनियम भी निहित हैं।

घाटे के वित्तीयन का एक उपकरण: प्रत्यक्ष मौद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारतीय स्टेट बैंक' (State Bank of India- SBI) की एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के घाटे के वित्तपोषण के संभावित तरीके के रूप में 'प्रत्यक्ष मौद्रीकरण' (Direct Monetisation) को अपनाए जाने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट SBI की 'अर्थशास्त्र अनुसंधान टीम' द्वारा तैयार की गई है।
- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वर्तमान में देश के आर्थिक विकास पर राजकोषीय संरक्षण (घाटे का प्रबंधन) उपायों की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये।

प्रत्यक्ष मौद्रीकरण (Direct Monetisation):

- मौद्रीकरण से तात्पर्य है कि 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (Reserve Bank of India-RBI) सीधे तौर पर केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करता है। वर्ष 1997 तक सरकार प्रतिभूतियों को सीधे RBI को बिक्री करती थी।
- यह सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिये तकनीकी रूप से समतुल्य मुद्रा को छापने की अनुमति देता है।
- वर्ष 1997 के बाद में इसके मुद्रास्फीति प्रभाव तथा राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर करने के लिये इसका प्रयोग बंद कर दिया गया।
- यह RBI द्वारा अपनाई जाने वाली 'अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण' से उपायों जैसे; 'खुला बाज़ार परिचालन' (Open Market Operations-OMOs) या द्वितीयक बाज़ार के संबंध में अपनाई जाने वाली बॉन्ड खरीद प्रक्रियाओं से भिन्न है।
- वर्ष 1997 में सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी अंतर को पूरा करने के लिये 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances) उपायों को प्रारंभ किया गया।

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances):

- प्रथम, अर्थोपाय अग्रिम (WMA) उपाय बजट के घाटे के वित्तीयन के स्रोत नहीं है। यह केवल सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में दिन-प्रतिदिन के बेमेल (Mismatch) को कवर करने के लिये एक तंत्र है।
- द्वितीय, WMA पर राशि तथा समय की सीमा तय होती है।
- तृतीय, WMA को बाज़ार से संबंधित ब्याज दर पर लिया जाता है।

प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के लाभ:

- घाटे के मौद्रीकरण से केंद्र सरकार बॉन्ड बाज़ारों पर दबाव डाले बिना कम लागत पर धन जुटा सकेगी जिससे निजी क्षेत्र के वित्तीयन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- सरकार द्वारा बाज़ार से कोई तरलता अवशोषित नहीं की जाती है, अत: ब्याज दर पर प्रत्यक्ष विमौद्रीकरण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।

प्रत्यक्ष मौद्रीकरण से नुकसान:

- आदर्श रूप से प्रत्यक्ष मौद्रीकरण उस समय समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आई है, परंतु यह मुद्रास्फीति तथा सरकारी ऋण के स्तर को बढ़ाता है जिससे मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- पूर्व में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 के बाद प्रत्यक्ष मौद्रीकरण उपायों को अपनाया गया परंतु वर्ष 1997 में इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया।

नोट :

प्रत्यक्ष मौद्रीकरण और FRBM अधिनियम:

- 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन' (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम कुछ असाधारण परिस्थितियों में घाटे के प्रत्यक्ष मौद्रीकरण की अनुमति देता है।
- COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति भी असाधरण है, अत: प्रत्यक्ष मौद्रीकरण को अनुमति दी जा सकती है।

राजकोषीय घाटा बनाम आर्थिक वृद्धि:

- हाल ही में भारत की 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। GDP पतन से ऋण-से-जीडीपी अनुपात के कम-से-कम 4% तक बढ़ने की संभावना है।
- वित्त वर्ष 2021 में भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2020 के 72.2% (146.9 लाख करोड़ रुपए) से बढ़कर लगभग 87.6% (170 लाख करोड़ रुपए) होने का अनुमान है।
- अधिकांश आर्थिक एजेंसियों के पूर्वानुमान बताते हैं कि वर्ष 2020 में भारत की GDP में 5 प्रतिशत तक या इससे अधिक की गिरावट देखने को मिल सकती है।
- बढ़ता ऋण-से-जीडीपी अनुपात इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को राजकोषीय संरक्षण (घाटे को बढ़ने से रोकना) के स्थान पर आर्थिक विकास पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

- किसी भी देश के ऋण की स्थिरता के लिये कम ब्याज दर और उच्च जीडीपी का होना महत्त्वपूर्ण हैं। अत: वर्तमान COVID-19 महामारी संकट में प्रत्यक्ष मौद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कारगर उपाय हो सकता है।

छोटे हथियारों के आयात पर चिंता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छोटे हथियारों के घरेलू निर्माताओं ने भारत सरकार द्वारा छोटे हथियारों के आयात को जारी रखने पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- घरेलू निर्माताओं के लिये कोई बड़ा ऑफर नहीं:
  - पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय कंपनियों ने छोटे हथियारों के क्षेत्र में निवेश किया है। सरकार ने छोटे हथियारों की बड़ी मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए गोला-बारूद क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को भी अनुमति दे रखी है।
    - भारत सरकार ने 74% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दे रखी है और कुछ विशिष्ट मामलों में यह 100% भी है।
  - भारतीय कंपनियाँ 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ छोटे हथियार बनाने में सक्षम हैं और इनकी कीमत तथा निर्माण एवं आपूर्ति की समय-सीमा भी मांग के अनुरूप हैं।
  - हालाँकि किसी भी बड़े ऑर्डर की कमी में, भारतीय कंपनियाँ अब पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के छोटे ऑर्डर की तलाश कर रही हैं।
  - इसके अलावा भारतीय कंपनियों को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट (Fast Track Procurement- FTP) के माध्यम से होने वाले सौदों में शामिल नहीं किया जाता है, वर्तमान में ऐसे सभी सौदे विदेशी विक्रेताओं तक ही सीमित है।
- छोटे शस्त्रों का आयात:
  - हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरीका के सिग सॉयर को 72,400 SIG-716 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया है।
    - सेना स्वदेशी भारतीय राष्ट्रीय लघु शस्त्र प्रणाली (Indian National Small Arms System-INSAS) राइफल को आधुनिक राइफल से बदलने का प्रयास कर रही है।

- इससे पहले, फरवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरीका के सिग सॉयर से 72,400 SIG-716 असॉल्ट राइफलें खरीदी थीं, जिनमें से अधिकांश सेना के लिये थीं।
- 7 लाख से अधिक राइफलों की शेष मांग को आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में रूसी AK-203 राइफल्स के लाइसेंस प्राप्त निर्माण के माध्यम से पूरा किया जाना था। हालाँकि मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर अंतिम सौदा पूरा नहीं हो सका।

- घरेलू निर्माताओं की मांग:
  - घरेलू कंपनियाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और मेक इन इंडिया का समर्थन करने के लिये विदेशी कंपनियों के समान अवसर प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं।

आगे की राह

- अपने घरेलू विनिर्माण को समर्थन प्रदान करके, भारत छोटे हथियारों के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बन सकता है। यह हथियारों और गोला-बारूद के आयात पर देश की निर्भरता को भी कम करेगा।
- छोटे हथियारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप है।
- हथियारों के घरेलू विनिर्माण से भारतीयों के लिये रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

रूसी मूल के भारतीय सैन्य उपकरण

चर्चा में क्यों?

स्टिमसन सेंटर (Stimson Center) द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में भारत में सैन्य सेवा में 86% हथियार रूस से आयातित हैं। स्टिम्सन सेंटर वाशिंगटन (अमेरिका) में स्थित एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य विश्लेषण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु

- डेटा विश्लेषण (Data Analysis):
  - स्टिम्सन सेंटर के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2014 के बाद से 55% से अधिक भारतीय रक्षा आयात रूस से हुआ है।
  - नौसेना के 41% से अधिक उपकरण, जबकि भारतीय वायु सेना (IAF) के दो-तिहाई उपकरण रूस से आयातित हैं।
  - थल सेना के संदर्भ में बात करें तो यह आँकड़ा 90% के पार चला जाता है।
  - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूस 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है।
  - इस सूची में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा आपूर्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है।
- रूसी सैन्य उपकरण:
  - नौसेना का एकमात्र सक्रिय विमान वाहक INS विक्रमादित्य और एकमात्र सक्रिय परमाणु पनडुब्बी भी रूसी है।
  - इसी प्रकार सेना के T-90 और T-72 मुख्य युद्धक टैंक और वायुसेना का Su30 MKI फाइटर प्लेन भी रूसी हैं।
  - देश की एकमात्र परमाणु-सक्षम सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस को रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा तैयार किया गया है।
  - हालाँकि भारत इज़राइल, अमेरिका और फ्राँस जैसे देशों से भी हथियारों का आयात कर रहा है, इसके बावजूद रूस अभी भी प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है। यदि नवीनतम घटनाक्रम पर नज़र डाले तो यह तस्वीर और भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है:
    - भारत ने रूस से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर के 21 मिग29 और 12 Su30 MKI लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।
    - वर्ष 2007 में भारत और रूस ने पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम (Fifth Generation Fighter Aircraft Programme-FGFA) के एक संस्करण को विकसित करने के लिये एक संयुक्त कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की थी।
    - हालाँकि भारत रूस के साथ पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम (एफजीएफए) के लिये वचनबद्ध नहीं है।

- मेक इन इंडिया के तहत AK103 राइफल्स की कीमत पर वार्ता चल रही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य उपकरण: अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, सेना के लिये M777 हॉवित्जर तोपें।
  - नौसेना के लिये- P8I सबमरीन, हंटर एयरक्राफ्ट और वायुसेना के लिये बोइंग C-17 और C-130J।
- कारण: सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिये रूस पर भारत की निर्भरता के कई कारण हैं:
  - विरासत का मुद्दा: भारत और रूस के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध हैं और दोनों देश एक-दूसरे की प्रक्रियाओं और प्रणालियों से भली-भाँति परिचित हैं।
  - विशेष उपकरण: जिस प्रकार के विशेष उपकरण रूस भारत को उपलब्ध करा रहा है उदाहरण के लिये-S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी और विमान वाहक। ये सभी उपकरण अन्य देशों से मिलने वाली आपूर्ति से भिन्न हैं, यही रूस और अन्य देशों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बीच अंतर पैदा करते हैं।
  - युद्धक क्षमता: रूस से मिलने वाली प्रत्येक युद्धक प्रणाली के अपने लाभ और उपयोग हैं, क्योंकि भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण विशेष रूप से अधिकतम लड़ाकू क्षमता विकसित करने के लिये किया गया है।
- महत्त्व:
  - चीन के साथ सीमा विवाद: लद्दाख सीमा पर हाल के तनावों के बाद चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ बढ़ती भारत की नज़दीकी के बावजूद, भारत का सशस्त्र बल रूसी मूल के उपकरणों, हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
  - अमेरिका का CAATSA: हाल ही में USA ने भारत सहित अपने सभी सहयोगियों और साथी देशों से रूस के साथ लेन-देन बंद करने को कहा है। USA द्वारा CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका भी बनी हुई है।

कृषि अवशेषों का दहन और प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

हालिया अध्ययन के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाले समय के चुनाव की अपेक्षा दिल्ली की मौसम संबंधी परिस्थितियाँ और हरियाणा तथा पंजाब में जलाए जाने वाले भूसे की मात्रा प्रदेश में वायु गुणवत्ता को खराब करने में अधिक भूमिका निभाती हैं।

प्रमुख बिंदु

- फसल जलना (Crop Burning):
  - पंजाब और हरियाणा में पराली को जलाकर सर्दियों के मौसम में होने वाली बुआई के लिये खेतों को तैयार किया जाता है।
  - खेतों को अक्तूबर-नवंबर के आसपास तैयार किया जाता है, यही वह समय होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही होती है।
  - ऐसे में पराली (भूसे) के जलने से निष्कासित होने वाले प्रदूषक और पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में प्रदूषण के अन्य स्रोतों के साथ-साथ मिलकर वातावरण की निचली परत में रह जाते हैं और सर्दियों के मौसम में दिल्ली और इसके आस-पास की वायु गुणवत्ता को बुरी से प्रभावित करते हैं।

क्या होते हैं पार्टिकुलेट मैटर?

पीएम-1.0:- इसका आकार एक माइक्रोमीटर से कम होता है। ये छोटे पार्टिकल बहुत खतरनाक होते हैं। इनके कण साँस के द्वारा शरीर के अंदर पहुँचकर रक्तकणिकाओं में मिल जाते हैं। इसे पार्टिकुलेट सैंपलर से मापा जाता है।

पीएम-2.5:- इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये आसानी से साँस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों को नुकसान, जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बियंट फाइन डस्ट सैंपलर पीएम-2.5 से मापते हैं।

पीएम-10:- रिसपाइरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये भी शरीर के अंदर पहुँचकर बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं।

नोट :

- कारण:
  - धान की फसल को मिलने वाली सब्सिडी और सुनिश्चित खरीद के कारण किसान धान की पैदावार को बढ़ाने की दिशा में निरंतर मेहनत कर रहा है, अधिक पैदावार से अधिक अवशेष उत्पन्न हो रहे हैं।
  - कृषि के बढ़ते आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के चलते किसान खेत में ही धान की फसल से दाने निकाल लेते हैं जिससे बड़ी मात्रा में धान की ठूंठ खेतों में ही छूट जाती हैं, परिणामत: खेतों को साफ करने के लिये किसान ठूंठों को जला देते हैं।
  - पंजाब भूजल संरक्षण अधिनियम (Punjab Preservation of Subsoil Water Act), 2009:
    - इसने भूजल निकासी को हतोत्साहित करने के लिये किसानों को धान की बुवाई में देरी करने (जून के अंत तक) के लिये बाध्य किया है।
    - इसके कारण धान की बुवाई में वर्ष 2002-2008 की तुलना में औसतन 10 दिन की देरी होती है, इससे फसल में होने वाली देरी के कारण, पराली के दहन का समय लगभग वही होता है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी हो रही होती है।
- अध्ययन के परिणाम:
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2016 में दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण में फसल अवशेषों के दहन का योगदान लगभग 40% था।
  - यह अध्ययन काफी हद तक गणितीय प्रतिरूपण पर निर्भर करता है।
    - फसल के जलने और PM स्तर के एकत्रित डेटा को गणितीय मॉडल में प्रदर्शित किया गया।
    - अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण के संदर्भ में बात करें तो हम पाते हैं कि यदि किसान निर्धारित समय से 10 दिन पहले फसल अवशेषों का दहन करते तो संभवत: दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण में फसला दहन का योगदान बेहद मामूली (1%) होता।

आगे की राह

- फसल अवशेषों को जलाए जाने से रोकने से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक वार्षिक PM सांद्रता में 20-30% तक की कमी लाना है।
- इसके अलावा, सरकार प्रोत्साहन और अभियोजन के संयोजन के माध्यम से लोगों को इस संबंध में जागरूक कर सकती है। हरित विधियों का उपयोग करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- हालाँकि इस संदर्भ में कानून की भूमिका न्यूनतम प्रतीत होती है, फिर भी यह मौसम संबंधी स्थितियों के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर वायु गुणवत्ता की समस्याओं को कम करने या बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सोने की कीमतों में वृद्धि और महामारी

क्यों?

सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, हाल ही में भारत में सोने की कीमतें 50000 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गईं, ऐसे में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है तब सोने की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है?

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है।
- कीमतों में बढ़ोतरी के कारण
  - वर्ष 2020 की पहली छमाही में सोने (Gold) का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और मार्च माह में इसके निचले स्तर से लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
  - हाल ही में लंदन में सोने का वायदा बाज़ार भाव 9 वर्ष के उच्च स्तर 1,856.60 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस (Troy Ounce) हो गया था, जो कि वर्ष 2011 के सितंबर माह में सोने के रिकॉर्ड स्तर 1,920 प्रति डॉलर औंस के करीब था।

- ध्यातव्य है कि एक ट्रॉय औंस 31.1034768 ग्राम के बराबर होता है।
- जानकारों का मानना है कि सोने की कीमत और मांग में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर का कमज़ोर होना, ब्याज़ दर में कमी और दुनिया भर की विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू किये गए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को शामिल किया जा सकता है।
- इसके अलावा कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लगातार बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिका तथा चीन के मध्य उत्पन्न हुए तनाव ने भी इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- सोने के कई विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 18-24 महीनों में सोने की कीमतें लगभग 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं।

- सोना: निवेश का एक सुरक्षित मार्ग
  - भारत में शादी जैसे सामाजिक समारोहों का एक अभिन्न अंग माना जाने वाला सोना पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव के रूप में उपयोग किया जाता रहा है और अनिश्चितता (Uncertainty) के दौरान इसे निवेशकों के लिये एक सुरक्षित मार्ग माना जाता है।
  - जब भी दुनिया भर के शेयर बाज़ार, रियल एस्टेट और बॉण्ड आदि के मूल्य में गिरावट देखने को मिलता है, तो निवेशक निवेश के लिये सोने का रुख करते हैं।
  - इसका मुख्य कारण है कि सोना अत्यधिक तरल (Highly Liquid) होता है और उसमें नुकसान का जोखिम काफी कम होता है। अत्यधिक तरल होने का अर्थ है कि सोने को इसकी कीमत में परिवर्तन किये बिना काफी जल्दी बेचा और खरीदा जा सकता है।
  - सोने के इस मज़बूत प्रदर्शन के पीछे एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि सोने की आपूर्ति में बीते कुछ वर्षों में समय के साथ थोड़ा बदलाव आया है - पिछले कुछ वर्षों में सोने की आपूर्ति में प्रति वर्ष लगभग 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सोने पर निवेश में प्रतिफल (Return)
  - ऐतिहासिक तौर पर सोने पर किये जाने वाले निवेश पर निवेशकों को काफी अच्छा प्रतिफल प्राप्त हुए हैं।
  - वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की समाप्ति के बाद वर्ष 1973 से अब तक सोने की कीमत में औसतन 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - पिछले एक वर्ष में सोने की कीमतों में तकरीबन 40 प्रतिशत का उछाल आया है, जबकि इस अवधि में सेंसेक्स (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स) ने 0.41 प्रतिशत का नुकसान दर्ज किया है।
- भारत का सोना (Gold) बाज़ार
  - विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council-WGC) के अनुमान के अनुसार, भारतीय घरों में लगभग 24,000-25,000 टन सोना जमा हो सकता है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न मंदिरों में भी सोने की काफी भारी मात्रा मौजूद है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में तकरीबन 40.45 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास मौजूदा सोने की कुल मात्रा 653.01 टन हो गई थी।
  - वर्ष 2019 में भारत में सोने की मांग 690.4 टन थी, जबकि वर्ष 2018 में यह 760.4 टन थी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में सोने की मांग में काफी कमी आई है।
  - एक अनुमान के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 120-200 टन सोने की तस्करी की जाती है। सरकार ने बीते वर्ष सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) का 21वाँ अंक जारी किया है

प्रमुख बिंदु

- RBI ने COVID-19 महामारी और राष्ट्रीयव्यापी लॉकडाउन के प्रभावस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के लिये गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets) में काफी वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है।
- रिपोर्ट जारी करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेतावनी दी है कि RBI द्वारा क्रेडिट जोखिम के आधार पर किये गए परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात मौजूदा परिस्थितियों के तहत मार्च 2020 में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5 प्रतिशत हो सकता है।
  - उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, यह अनुपात मार्च 2000 के सकल NPA अनुपात (12.7 प्रतिशत) के बाद सबसे अधिक है।
  - गौरतलब है कि बीते माह में एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) नामक निजी कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि बैंकों का सकल NPA अनुपात 13-14 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- RBI की इस अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यदि आर्थिक स्थितियाँ और अधिक बिगड़ती हैं, तो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 14.7 प्रतिशत तक भी पहुँच सकता है।
- RBI की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (SCBs) का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) घटकर 14.8 प्रतिशत हो गया है, जो कि सितंबर 2019 में 15 प्रतिशत था।
  - RBI के अनुमान के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में मार्च 2021 तक यह अनुपात 13.3 प्रतिशत पर पहुँच सकता है, और यदि आर्थिक परिस्थितियाँ और बिगड़ती हैं तो यह अनुपात 11.8 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।
  - पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) को पूँजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान बैंक ऋण काफी कमजोर रहा था, और मार्च 2020 तक में भी यह 5.9 प्रतिशत तक नीचे गिर गया।
- रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ और म्यूचुअल फंड वित्तीय प्रणाली में सबसे बड़े फंड प्रदाता रहे, जिनके बाद बीमा कंपनियों का स्थान है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) ने वित्तीय प्रणाली में सबसे अधिक उधार प्राप्त किया था।
- वित्तीय प्रणाली पर COVID-19 का प्रभाव
  - RBI ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि COVID-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में भारी गिरावट देखने को मिली है और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 से मुकाबले में एक अभूतपूर्व पैमाने पर राजकोषीय, मौद्रिक और नियामक हस्तक्षेपों के संयोजन ने वित्तीय बाज़ारों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित किया है।
  - RBI ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के वित्त में कुछ गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि COVID-19 महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण सरकार का राजस्व भी काफी प्रभावित हुआ है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- साथ ही यह वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है।

आगे की राह

- RBI द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नियामक संस्थाओं और सरकार ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये कई नीतिगत उपाय किये हैं और देश के वंचित तथा संवेदनशील वर्ग के समक्ष मौजूद संकट को कम किया है, किंतु इसके बावजूद अल्पकाल में अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिनसे निपटना अभी शेष है।

नोट :

RBI की स्वायत्तता में कमी: उर्जित पटेल

चर्चा में क्यों?

'भारतीय रिज़र्व बैंक' के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी नई किताब 'ओवरड्राफ्ट: सेविंग द इंडियन सेवर' में 'दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड' (IBC) और बेड लोन के मामले में केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कम करने के लिये वर्तमान सरकार की आलोचना की है।

प्रमुख बिंदु:

- उर्जित पटेल एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 24 वें गवर्नर के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने सितंबर 2019 में अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए, 10 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।

जून, 2019 के सर्कुलर की आलोचना:

- उर्जित पटेल ने अपनी किताब में RBI के 7 जून, 2019 के सर्कुलर की आलोचना की है।
- जून 2019 के सर्कुलर के माध्यम से RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त या 'गैर निष्पादित परिसंपत्तियों' (NPA) से निपटने के लिये मानदंडों का एक नया सेट जारी किया गया।
    - जून 2019 का सर्कुलर फरवरी 2018 के सर्कुलर के स्थान पर जारी किया गया था।
- पूर्व RBI गवर्नर के अनुसार, जून 2019 के सर्कुलर में दिवालियापन से जुड़े प्रावधान को सरकार द्वारा कमज़ोर बनाया गया है।
- नवीन सर्कुलर ऋणदाताओं को एक संकल्प रणनीति तैयार करने के लिये 30 दिन की समीक्षा अवधि प्रदान करता है, जबकि पूर्व का सर्कुलर (फरवरी 2018) ऋणदाताओं को एक दिन का डिफ़ॉल्ट होने पर भी एक संकल्प रणनीति शुरू करने के लिये मज़बूर करता है। इस प्रकार नवीन सर्कुलर डिफ़ॉल्टरों को बच निकलने में मदद करता है।
- RBI के फरवरी 2018 के सर्कुलर को सरकार द्वारा इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया कि इस सर्कुलर से 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (MSMEs) को विशेष रूप से नुकसान होगा। जबकि वास्तविकता में उधारकर्त्ताओं के इस वर्ग को नए नियमों में स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था।

RBI की शक्तियों में कमी:

- वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने (Preserving Financial Stability) से संबंधित कई विषयों पर RBI की वास्तविक शक्तियों (De Facto Powers) को कम कर दिया गया है।
- सरकार का मानना था कि फरवरी 2018 का सर्कुलर तथा 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई '(PCA) ढाँचा उच्च ऋण वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधक है।

भ्रामक योजनाओं की शुरुआत (Smoke-and-Mirrors Schemes):

- पूर्व RBI गवर्नर के अनुसार, सरकार की अनेक योजनाएँ अस्पष्ट सूचनाओं पर आधारित है।
- वर्ष 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को, वित्त मंत्रालय द्वारा समस्याग्रस्त रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए के फंड को जारी करने के लिये निर्देशित किया गया।
- सरकार द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के ऋण के 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण भार का दायित्त्व लेने (Underwrite) पर सहमति व्यक्त की गई है।

सरकारी स्वामित्त्व के बैंकों का दुरुपयोग:

- सरकारी स्वामित्व के बैंकों का प्रयोग जहाँ मुख्य रूप से बचतकर्त्ताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच कुशल मध्यस्थता के लिये किया जाना चाहिये, सरकार द्वारा इन बैंकों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन के व्यापक आर्थिक प्रबंधन (Macroeconomic Management) के लिये किया गया है।

नोट :

- बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के तीन दशक के बाद, अभी भी 'राज्य-प्रायोजित ऋण निर्माण' की प्रमुख हिस्सेदारी है।
- सरकार अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लिये पूंजीगत गहनता वाले तथा संवेदनशील क्षेत्रों यथा; रियल एस्टेट, निर्माण आदि को अधिक ऋण देने के लिये इन बैंकों पर दबाव बनती है।
- इससे बैंकों का NPA समय के साथ बढ़ता है। सरकार भी इन क्षेत्रों में आवश्यक मदद करती है जिससे अंतत: सरकार का राजकोषीय घाटा और संप्रभु देनदारियाँ बढ़ती है।

7 जून, 2019 के सर्कुलर के प्रमुख ऋण समाधान मानदंड:

- किसी भी फर्म के डिफ़ॉल्ट होने पर ऋणदाता 30 दिन की समीक्षा अवधि में एक संकल्प रणनीति तैयार करेंगे।
- संकल्प योजना को लागू करने के लिये उधारदाताओं को 30 दिन की समीक्षा अवधि में 'अंतर लेनदार समझौते' (Inter Creditor Agreement- ICA) पर हस्ताक्षर करना होगा।
- इसके बाद ऋण को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

SMA-0:

- यदि फर्म 0-30 दिनों के भीतर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में विफल रही हो।
- इन्हे दिवालियापन संकल्प (Insolvency Resolution) के तहत कार्यवाही के तहत डिफॉल्ट केस माना जाएगा।

SMA-1

- यदि फर्म 31-60 दिनों के भीतर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती हैं।
- डिफॉल्टरों के खिलाफ IBC के तहत कार्यवाही की जाएगी।

SMA-3:

- यदि उदारकर्त्ता 61-90 दिनों के भीतर मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में विफल रहते हैं।
- फर्मों के खिलाफ NCLT के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- संकल्प योजना में उन खातों के स्वामित्त्व में पुनर्गठन/परिवर्तन करना शामिल है, जहाँ उधारदाताओं का कुल जोखिम 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
- इसके लिये विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अवशिष्ट ऋण के स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

भारत-श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय समझौता

चर्चा में क्यों?

श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय (Currency Swap) समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि यह मुद्रा विनिमय समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा।
- कारण
  - श्रीलंका द्वारा यह समझौता मुख्य तौर पर COVID-19 के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात् अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- महत्त्व
  - यह समझौता COVID-19 महामारी के बीच श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा और उसे कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की समाप्ति के बाद अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में सहायता करेगा।

नोट :

- यह समझौता COVID-19 महामारी और उसके बाद आर्थिक विकास की दिशा में श्रीलंका के साथ कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है।

- मुद्रा विनिमय समझौता और उसका महत्त्व
  - सामान्य शब्दों में मुद्रा विनिमय (Currency Swap) एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिये किया जाता है।
  - मुद्रा विनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाज़ार और विनिमय दर में स्थिरता तथा अन्य जोखिमों से बचना होता है।
  - सामन्यत: किसी देश का केंद्रीय बैंक और वहाँ की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिये विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते में संलग्न होते हैं।
- भारत-श्रीलंका संबंधों के हालिया घटनाक्रम
  - ध्यातव्य है कि बीते वर्ष जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लिये 450 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit) की घोषणा की थी।
  - विशेषज्ञों ने भारत सरकार के इस निर्णय को 'संबंध मज़बूत करने के सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया था।
  - आँकड़ों के अनुसार, श्रीलंका ने अब तक भारत से कुल 960 मिलियन डॉलर का क़र्ज़ लिया है, उल्लेखनीय है कि हालिया मुद्रा विनिमय समझौता भी इसी ऋण से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है।
  - विदित हो कि बीते ही वर्ष श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ कोलंबो बंदरगाह पर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (East Container Terminal) बनाने को लेकर एक समझौता किया था। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण पर सहमति व्यक्त की थी।
    - हालाँकि कोलंबो बंदरगाह पर स्थिति इस परियोजना को लेकर हो रहे विरोध के चलते श्रीलंका ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
  - भारत ने COVID-19 से निपटने में भी श्रीलंका की सहायता की है और एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने में भी श्रीलंका की मदद की है। भारत द्वारा प्रदान की गई यह सहायता दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे संबंधों को दर्शाती है।
  - श्रीलंका में आज भी लोकप्रिय तमिल नेता तमिल प्रश्न के लंबित राजनीतिक समाधान पर भारत का आह्वान करते हैं।
    - गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 1983 में श्रीलंकाई तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के बीच हुए गृह युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और श्रीलंका के संघर्ष को एक राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गए थे।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका दोनों ही देश कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कृषि व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई दिशा तलाश सकते हैं, इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें भारत की स्थिति काफी अच्छी है।
- श्रीलंका को भारतीय निवेशकों के लिये एक उदार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिये और उसकी रक्षा तथा उसे बढ़ावा देना का कार्य करना चाहिये।
- भारत और श्रीलंका के मध्य एक साझा संस्कृति है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के साथ एक प्रमुख एशियाई राष्ट्र होने नाते के भारत पर अपने निकटतम पड़ोस में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की विशेष ज़िम्मेदारी है।
  - अत: आवश्यक है कि भारत और श्रीलंका एक मंच पर आकर विभिन्न मुद्दों पर विचार कर अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने का प्रयास करें।

नोट :

ई-कॉमर्स के लिये 'उत्पादों के मूल देश'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को (एक हलफनामे के माध्यम से) बताया है कि सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों के मूल देश की घोषणा सुनिश्चित करनी होगी

प्रमुख बिंदु:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मूल देश के नाम को प्रदर्शित करने का प्रावधान है।
- यह हलफनामा एक जनहित याचिका के जवाब में आया जिसमें केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देश मांगे गए थे कि विनिर्माण देश/मूल देश का नाम ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जा रहे उत्पादों पर प्रदर्शित हो।
- याचिकाकर्ता ने लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेड उत्पाद) नियम, 2011 को लागू करने की मांग की है।
  - ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जा रहे उत्पाद पर 'मूल देश' के नाम को को प्रदर्शित करने हेतु बाध्य करता है।
  - उक्त नियमों और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों पर निर्भर करता है।
- याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि उक्त नियमों/ अधिनियमों का प्रवर्तन भारत सरकार की हालिया पहलों जैसे- 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) तथा आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप ही है।
  - इससे पहले भी केंद्र सरकार ने सभी विक्रेताओं को ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace- GeM) पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय 'मूल देश' को सूचीबद्ध करने के लिये अनिवार्य किया है।
    - GeM सार्वजनिक खरीदारी हेतु एक मंच है।

मुद्दे:

- अधिकांश ई-कॉमर्स साइट, मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें वह केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं।
- अर्थात् यह अपने संभावित उपभोक्ताओं के साथ तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को जोड़ने के लिये केवल अपना सूचना प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करते हैं।
  - ई-कॉमर्स मॉडल का दूसरा रूप 'इन्वेंटरी आधारित' है जहाँ इकाइयाँ अपनी स्वयं की इन्वेंटरी से बिक्री के लिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- ई-कॉमर्स संस्थाओं का कहना है कि उत्पादों के मूल देश से संबंधित आँकड़े उनकी प्रणाली/व्यवस्था/साइट पर उपलब्ध हैं जिसे एक विक्रेता द्वारा नए उत्पाद सूची बनाते समय भरा जा सकता है।
- हालाँकि ई-कॉमर्स संस्थाओं ने इसे अनिवार्य नहीं किया है क्योंकि कानून भारत निर्मित उत्पादों के संदर्भ में 'मूल देश' को प्रदर्शित करने का आदेश नहीं देता है।
  - कई मामलों में उत्पादों के भारत में शिपमेंट से पहले उन्हें अन्य किसी देश में एकत्रित करके पैक किया जाता है।
  - इसलिये निर्यात के अंतिम देश को 'मूल देश' घोषित करने को परिकल्पित नहीं कर सकते जब तक कि कानून में संशोधन या स्पष्ट रूप से राज्य को स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

NRIs के लिये FDI मापदंडों में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन (Civil Aviation) से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 'अनिवासी भारतीयों' (Non-Resident Indian-NRIs) को एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- सरकार ने यह अधिसूचना एयर इंडिया (Air India) के रणनीतिक विनिवेश की मौजूदा प्रक्रिया के बीच जारी की है।
- ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी वर्ष मार्च माह में अनिवासी भारतीयों (NRIs) को अनुमति देने के लिये FDI मानदंडों में बदलावों को मंज़ूरी दी थी।
- इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि 'अनिवासी भारतीयों (NRIs) के अतिरिक्त एयर इंडिया में कोई भी विदेशी निवेश, जिसमें विदेशी एयरलाइंस द्वारा किया जाने वाला निवेश भी शामिल है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।'
- इस अधिसूचना से पूर्व अनिवासी भारतीय (NRIs) भी एयर इंडिया में केवल 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये ही बोली लगा सकते थे।
- इस निर्णय का महत्त्व
  - ध्यातव्य है कि सरकार के इस हालिया निर्णय का मुख्य उद्देश्य एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा आकर्षक बनाना है।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह निर्णय एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम होगा, अनुमान के अनुसार विनिवेश की प्रक्रिया मौजूदा वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगी।
  - गौरतलब है कि बीते माह केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई बाधा के मद्देनज़र तीसरी बार एयर इंडिया के लिये बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ा दिया था।
    - बोली लगाने की समय सीमा को 2 माह के लिये 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था।
- एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश
  - गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने घाटे और कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को इसी वर्ष जनवरी माह में एक नए प्रस्ताव के साथ पुन: शुरू किया था।
  - इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में सरकार ने एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव रखा था, किंतु विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप सरकार को इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिये कोई भी बोलीदाता नहीं मिला था।
  - हालाँकि इस नए प्रस्ताव के बाद भी सरकार को खरीदारों अथवा बोलीदाताओं को आकर्षित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बोली की अवधि को कई बार बढ़ाया गया है।
  - आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2007 में एयर इंडिया (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन) के साथ तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस (घरेलू संचालन) के विलय के बाद से अब तक एयर इंडिया ने कभी भी लाभ दर्ज नहीं किया है।
  - एयर इंडिया के विनिवेश का एक मुख्य कारण उसके कर्ज के निपटान में सरकार की असमर्थता भी है, आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 तक एयर इंडिया पर कुल 52000 करोड़ रुपए का ऋण मौजूद था।
- विनिवेश में COVID-19 की चुनौती
  - गौरतलब है कि एयर इंडिया पहले से ही नुकसान और कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है और ऐसे में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने एयर इंडिया समेत भारत के संपूर्ण विमानन क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है।
  - COVID-19 के संक्रमण के कारण दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने आंशिक अथवा पूर्व लॉकडाउन लागू किया था और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, ऐसे में भारत की सभी विमानन कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा था।
  - वहीं दूसरी ओर COVID-19 से संबंधित प्राथमिक जाँच उपकरण स्थापित करने के कारण कंपनियों की लागत में काफी वृद्धि हुई है तथा उनके लिये सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानकों का पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
    - घरेलू स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों को भी काफी नुकसान हुआ है।
  - ऐसी स्थिति में एयर इंडिया हेतु बोलीदाताओं की खोज करना सरकार के लिये काफी संघर्षपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है, और इस स्थिति में कोई भी निवेश एक भारी भरकम कर्ज के तले दबी कंपनी में निवेश क्यों ही करना चाहेगा।

नोट :

- हालाँकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के विमानन क्षेत्र की स्थिति सदैव ऐसी नहीं रहेगी और इसलिये एयर इंडिया में निवेश दीर्घकाल के लिये काफी अच्छा अवसर हो सकता है।

एयर इंडिया- इतिहास

- एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्तूबर, 1932 को जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा (JRD Tata) द्वारा 'टाटा एयर सर्विसेज़' के रूप में की गई थी। वर्ष 1938 में टाटा एयर सर्विसेज़ का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 29 जुलाई, 1946 को टाटा एयरलाइंस एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एयर इंडिया की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके पश्चात् वर्ष 1953 में भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम (Air Corporations Act) के माध्यम से एयर इंडिया की अधिकांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया और इसे 'एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड' नया नाम दिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर आयात शुल्क संबंधी विवाद

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) ने हाल ही में जापान और ताइवान के अनुरोध पर दो और विवाद निपटान पैनल (Dispute Settlement Panels) गठित किये हैं, जो कि भारत द्वारा मोबाइल फोन समेत कुछ विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क की जाँच करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- भारत द्वारा अधिरोपित शुल्क के इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा गठित कुल विवाद निपटान पैनलों की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है।
  - इससे पूर्व विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने यूरोपीय संघ (EU) के अनुरोध पर इसी मुद्दे को लेकर भारत के विरुद्ध एक विवाद निपटान पैनल का गठन किया था।

विवाद

- सर्वप्रथम बीते वर्ष मई माह में, जापान और ताइवान ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के विरुद्ध कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर एक मामला दर्ज कराया था और परामर्श (Consultations) की मांग की थी।
  - इन देशों द्वारा जिन उत्पादों के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, उनमें टेलीफोन; ट्रांसमिशन मशीने और टेलिफोन आदि के कुछ कलपुर्जे शामिल हैं।
- इन देशों ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने से विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन होता है क्योंकि भारत ने इन उत्पादों पर शून्य प्रतिशत बाध्य शुल्क (Bound Tariffs) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - बाध्य शुल्क (Bound Tariffs) का अभिप्राय उस अधिकतम शुल्क सीमा से होता है, जिससे अधिक आयात शुल्क विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों द्वारा नहीं लगाया जा सकता है।

भारत का पक्ष

- भारत ने जापान और ताइवान द्वारा लगाए गए आरोप का कड़ा विरोध किया है।
- भारत ने कहा है कि उसके द्वारा जिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबंधी विशिष्ट उत्पादों पर आयात शुल्क अधिरोपित किया गया है, वे सभी सूचना प्रौद्योगिकी समझौते- 2 (ITA-2) का हिस्सा हैं, किंतु भारत इस समझौता का हिस्सा नहीं है।
  - गौरतलब है कि भारत वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित किये गए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद- 1 (ITA-1) समझौते का हिस्सा है।
- अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए भारत ने कहा कि वह ITA-1 के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और वर्षों से इस समझौता का पालन कर रहा है।
- इस संबंध में आयोजित बैठक में भारत ने दोहराया कि भारत ITA-1 के दायरे से बाहर किसी भी प्रकार के दायित्त्व के लिये प्रतिबद्ध नहीं है।

WTO का विवाद निपटान तंत्र

- WTO की विवाद निपटान प्रणाली में किसी भी व्यापार विवाद को आरंभ में संबंधित सदस्य देशों के बीच परामर्श के माध्यम से निपटाने की कोशिश की जाती है।
- यदि यह उपाय सफल नहीं होता है तो मामला एक विवाद पैनल (Dispute Panel) के पास जाता है। विवाद पैनल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उसके निर्णय के खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Body-AB) के समक्ष की जा सकती है।
  - ध्यातव्य है कि विवाद निपटान पैनल के गठन के बाद भी अंतिम निर्णय आने में 1 से 1.5 वर्ष के समय लग सकता है, हालाँकि मौजूद महामारी के दौर में यह समय और अधिक बढ़ सकता है।
- अपीलीय प्राधिकरण (AB) द्वारा विवाद पैनल के निर्णय की समक्ष की जाती है और इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और सदस्य देशों के लिये बाध्यकारी होता है।
  - हालाँकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) का अपीलीय प्राधिकरण बीते वर्ष दिसंबर माह से कार्य नहीं कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता

- मूल सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) सिंगापुर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 13 दिसंबर, 1996 को हुआ था और 1997 को हस्ताक्षित किया गया था।
- WTO सूचना प्रौद्योगिकी समझौता मुख्य तौर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबंधी उत्पादों पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करता है।
- इस समझौते के तहत मुख्य प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनमें कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्द्ध-चालक, परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक उपकरण और साथ ही इन उत्पादों के अधिकांश हिस्सों और सहायक उपकरण शामिल हैं।
- वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA) में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कुल 81 सदस्य शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA) को अपग्रेड किया गया था और इसमें कुछ उत्पाद शामिल किये गए थे।

राज्यों को GST क्षतिपूर्ति का भुगतान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त पर गठित संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया गया है कि वर्तमान सरकार राजस्व बँटवारे के फार्मूले के अनुसार राज्यों को 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax-GST) के हिस्से का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिये राज्यों GST की क्षतिपूर्ति के लिये 13,806 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
  - इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बेहतर करने तथा कोविड-19 महामारी हेतु राहत कार्यों को त्वरित करने में जुटे राज्यों को सहायता मिलेगी।
- महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व में कमी होने वाली है। यहाँ तक कि मार्च 2020 में भी GST संग्रह में भी गिरावट देखी गई है।
- यदि राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये फॉर्मूले पर फिर से निर्धारित करने का GST अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

GST के तहत मुआवज़ा:

- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई, 2017 से GST व्यवस्था को लागू को लागू किया गया जिसमे बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर एकल GST में शामिल कर लिये गए।
- GST कार्यान्वयन से कर राजस्व में कमी होने पर केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का वायदा किया गया है। इसी कारण GST व्यवस्था के लिये अनिच्छुक कई राज्यों ने भी इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये थे।

- GST अधिनियम के अनुसार यदि प्रथम पाँच वर्षों तक राजस्व संग्रहण में संवृद्धि 14% (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे आने पर राज्यों को इसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा किया जाएगा।
  - क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रति दो माह पर GST क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
  - इस उपकर को 1 जुलाई, 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं (विलासिता और उपभोग की वस्तु) और/या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाकर एकत्र किया जाएगा।
  - विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करने वाले तथा 'GST कंपोज़िशन योजना' (GST Composition Scheme) का विकल्प चुनने वालों के अलावा, सभी करदाता केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रहण एवं प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं।

चिंताएँ:

- प्राथमिकताओं से विचलन: समिति द्वारा लॉकडाउन के बाद अपनी पहली बैठक आयोजित की गई जिसमे वर्तमान महामारी और इसके विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के बजाय 'नवाचार पारितंत्र एवं भारत की विकास कंपनियों का वित्तीयन' जैसे विषय पर चर्चा की गई।
- अस्पष्ट वित्त: वर्ष 2020-21 का बजट अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह राजस्व संग्रह के बारे में कुछ अनुमानों पर आधारित था और इस वर्ष समग्र राजस्व कमी पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
  - विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिये सरकार द्वारा किसी राहत पैकेज की प्रभावकारिता पर भी कोई स्पष्टता व्यक्त नहीं की गई है।
- बढ़ता अंतराल: क्षतिपूर्ति उपकर तथा केंद्र द्वारा राज्यों को किये जाने वाले भुगतान के बीच अंतराल संभावित आर्थिक संकुचन के साथ बढ़ने की आंशका है और इससे GST संग्रह भी प्रभावित हो सकता है।
  - महामारी के दौरान लोगों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति से क्षतिपूर्ति उपकर अंतर्वाह में कमी आ सकती है।
- भुगतान की समस्या: इस वर्ष राज्यों को मुआवजा देना केंद्र के लिये और भी कठिन होने वाला है क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में राज्यों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान लगभग 70,000 करोड़ रुपए कम है।
  - GST लागू होने के पहले दो वर्षों में उपकर राशि एवं भारत की संचित निधि से एकीकृत GST (Integrated Goods and Service Tax-IGST) निधियों का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान किया गया था।
  - IGST को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा वर्ष 2017-18 में एकत्र किये गए इसके कुछ हिस्से का अभी तक राज्यों को आवंटन नहीं किया गया है।
- बैठकों में विलंब: क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर कार्य करने के लिये GST परिषद (GST Council) की बैठक जुलाई में प्रस्तावित थी लेकिन अभी तक बैठक आयोजित नहीं की गई है।

आगे की राह:

- राज्यों को क्षतिपूर्ति के वायदे को पूरा करने के लिये केंद्र द्वारा भविष्य में GST उपकर संग्रहण की गारंटी पर विशेष ऋण लेने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है।
- केंद्र एवं राज्यों दोनों को महामारी के कारण पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिये नकदी पर स्पष्टता और निश्चितता की आवश्यकता है ताकि महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके।
- देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सरकार को उन तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है जिनके माध्यम से GST संग्रह को बढ़ाया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

विवादित क्षेत्र: गलवान घाटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गलवान घाटी (Galwan Valley) भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को भारी जान-माल के नुकसान का सामना करना पड़ा। ध्यातव्य है कि गलवान घाटी वर्ष 1962 से ही दोनों देशों के बीच तनाव का एक विषय बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में दावा किया है कि संपूर्ण गलवान घाटी 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control-LAC) के चीनी पक्ष पर स्थित है और इसलिये यह चीन का हिस्सा है।
- वहीं भारत ने चीन के इस दावे को 'अतिरंजित और असमर्थनीय' बताया है।

कहाँ है गलवान घाटी?

- गलवान घाटी सामान्यत: उस भूमि को संदर्भित करती है, जो गलवान नदी (Galwan River) के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चल कर यह भारत की श्योक नदी (Shyok River) से मिलती है।
- ध्यातव्य है कि यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है।
- इसका पूर्वी हिस्सा चीन के झिंजियांग तिब्बत मार्ग (Xinjiang Tibet Road) से काफी नज़दीक है, जिसे G219 राजमार्ग (G219 Highway) कहा जाता है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र और चीनी-नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है।
- जहाँ एक ओर भारत मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की लंबाई लगभग 3,440 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को तकरीबन 2,000 किलोमीटर लंबा मानता है।

चीन का दावा

- ध्यातव्य है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) गलवान घाटी और श्योक नदियों के संगम के पूर्व में स्थित है, जिस पर भारत और चीन दोनों हाल के वर्षों में पेट्रोलिंग (Patrolling) कर रहे हैं।
- 15 जून 2020 को हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने दावा किया है कि संपूर्ण गलवान घाटी चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है।
- गौरतलब है कि बीते महीनों से चीन गालवान घाटी और श्योक नदी के संगम तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बीच के क्षेत्र में भारत की सड़क निर्माण गतिविधियों पर आपत्ति जता रहा है। भारत ने चीन के दावे को सिरे से खारिज़ कर दिया है।
    - चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखा जाता है।

मानचित्र के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण

- विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के मानचित्र के आधार पर इस विवाद को सुलझाना काफी जटिल कार्य है, जानकारों के अनुसार 1956 का मानचित्र दोनों देशों के बीच सीमा का एकदम सही निर्धारण करता है।

- ध्यातव्य है कि वर्ष 1956 का मानचित्र संपूर्ण गलवान घाटी को भारत के एक हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है, हालाँकि जून 1960 में चीन ने गलवान घाटी पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रस्तुत प्रस्तुत किया, जिसमें गलवान घाटी को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।
- इसके पश्चात् नवंबर 1962 में भी एक नया मानचित्र जिसमें संपूर्ण गलवान घाटी पर दावा प्रस्तुत किया गया, किंतु इसके बाद चीन की सरकार द्वारा जारी किये गए नक्शों में गलवान नदी के पश्चिमी सिरे को चीन के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया।

चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी

चर्चा में क्यों ?

हालिया सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटा (Trade Deficit) में कमी देखने को मिली है और यह घटकर 48.66 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा चीन को लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि भारत ने चीन से लगभग 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिसके कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 48.66 बिलियन रहा।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.56 बिलियन डॉलर था, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह कुल 63 बिलियन डॉलर रहा था।
- भारत में चीन से आयातित मुख्य वस्तुओं में घड़ी, संगीत वाद्ययंत्र, खिलौने, खेल संबंधी उपकरण, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा एवं इस्पात वस्तुएँ, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातु आदि शामिल हैं।
- हालाँकि चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में बीते कुछ वर्षों में कमी देखने को मिली है, इसके बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे की इतनी बड़ी मात्रा सरकार के लिये चिंता का कारण बनी हुई है।
- ज्ञातव्य है कि भारत में आयातित कुल वस्तुओं में से लगभग 14 प्रतिशत वस्तुएँ चीन से आती हैं और चीन मोबाइल फोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौने और दवाई सामग्री जैसे क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है।

व्यापार घाटे में कमी हेतु सरकार के प्रयास

- भारत सरकार चीन के उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से कई उत्पादों हेतु तकनीकी नियमों और गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करने की योजना बना रही है।
- इसके अलावा हाल ही में भारत द्वारा चीन समेत कुल 3 देशों से कुछ विशिष्ट प्रकार के इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) लगाने की घोषणा की गई है।
  - ध्यातव्य है कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने अपनी जाँच में यह निष्कर्ष निकाला था कि उक्त देशों (चीन, वियतनाम और कोरिया) द्वारा भारत में अपने उत्पादों का निर्यात सामान्य से भी से कम मूल्य पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।
- चीन के लगभग 371 उत्पादों की पहचान तकनीकी नियमों (Technical Regulations) के लिये की गई है, जिसमें से 47 अरब डॉलर की कीमत पर आयातित 150 उत्पादों हेतु तकनीकी विनियम तैयार कर लिये गए हैं।
- सरकार के अनुसार, बीते एक वर्ष में 50 से अधिक उत्पादों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order-QCO) और अन्य तकनीकी नियम अधिसूचित किये गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, एयर कंडीशनर, साइकिल के हिस्से, रसायन, सुरक्षा काँच, प्रेशर कुकर और स्टील तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि शामिल हैं।

व्यापार घाटा

- सामान्य शब्दों में व्यापार घाटे (Trade Deficit) का अर्थ निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता से होता है। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, तो वह व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है।

- उल्लेखनीय है कि व्यापार घाटे का स्पष्ट प्रभाव उस देश की मुद्रा पर देखने को मिलता है, जब आयात अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर, में भुगतान होने के कारण देश की विदेशी मुद्रा (डॉलर) में कमी आती है। जब विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है, तो उसकी मांग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमज़ोर हो जाता है।

चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कमी

- आँकड़ों के अनुसार, भारत में चीन से 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment- FDI) वित्तीय वर्ष 2018-19 में 229 मिलियन डॉलर से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 163.78 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
  - भारत ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में चीन से FDI के रूप में 350.22 मिलियन डॉलर और वित्तीय 2016-17 में 277.25 मिलियन डॉलर प्राप्त किये थे।
- आँकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, भारत ने चीन से लगभग 2.38 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया है।
- अप्रैल 2000 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान चीन से अधिकतम FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ऑटोमोबाइल (987.35 मिलियन डॉलर), धातु-उद्योग (199.28 मिलियन डॉलर), विद्युत उपकरण (185.33 मिलियन डॉलर), सेवा क्षेत्र (170.18 मिलियन डॉलर) और इलेक्ट्रानिक्स (151.56 मिलियन डॉलर) आदि शामिल थे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी एक समूह अथवा व्यक्ति द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय अथवा निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया निवेश होता है।

FDI संबंधित नियमों में सरकार की सख्ती

- गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में भारत सरकार ने देश के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI मानदंडों को और कड़ा कर दिया था।
  - संशोधित FDI नियमों के अनुसार, भारत से भूमि साझा करने वाले देश की कंपनी अथवा किसी व्यक्ति को भारत में निवेश करने के लिये सर्वप्रथम सर्वप्रथम सरकार से अनुमोदन लेना होगा।
  - भारत चीन समेत कुल 7 देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्याँमार) के साथ अपनी थल सीमाएँ साझा करता है।
- फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि चीन की कई बड़ी कंपनियों जैसे अलीबाबा (Alibaba) और टेंसेंट (Tencent) ने लगभग 92 भारतीय स्टार्टअप (Startup) में निवेश किया हुआ। यह संख्या स्पष्ट रूप से भारतीय बाज़ारों में चीन की अत्यधिक पहुँच को दर्शाती हैं, जो कि भारतीय घरेलू उद्योगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक अच्छी खबर नहीं है।

हागिया सोफिया संग्रहालय: इतिहास और विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्की के शीर्ष न्यायालय ने इस्तांबुल (Istanbul) के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय (Hagia Sophia museum) को मस्जिद में बदलने अथवा इसे संग्रहालय ही बने रहने के संबंध में सुनवाई पूरी कर ली है। अनुमानतः आगामी दो हफ्तों में न्यायालय अपना निर्णय स्पष्ट कर देगा।

प्रमुख बिंदु

- तकरीबन 1500 वर्ष पुराना यह ढाँचा (Structure) यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, गौरतलब है कि इस इमारत का निर्माण सर्वप्रथम एक गिरजाघर (Cathedral) के रूप में किया गया था, हालाँकि कुछ समय पश्चात् इसे मस्जिद के रूप में बदल दिया गया।
- जब आधुनिक तुर्की का जन्म हुआ तो, वहाँ के धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस ईमारत को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया।

- गौरतलब है कि तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग कर रहे थे।
- ध्यातव्य है कि बीते वर्ष चुनावों से पूर्व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन (Recep Erdoğan) ने कहा था कि हागिया सोफिया को एक संग्रहालय में बदलना 'बहुत बड़ी गलती' थी और वे इस निर्णय को बदलने पर विचार कर रहे हैं।

हागिया सोफिया का ऐतिहासिक दृष्टिकोण

- इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइज़ेंटाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टिनियन (Justinian) के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, उस समय इस शहर को कॉन्सटेनटिनोपोल (Constantinople) या कस्तुनतुनिया (Qustuntunia) के रूप में जाना जाता था।
- इस प्रतिष्ठित इमारत को बनाने के लिये काफी उत्तम किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था और इस कार्य में उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लगाया गया था, वर्तमान में यह एक संग्रहालय के रूप में तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।
- गिरजाघर के रूप में इस ढाँचे का निर्माण लगभग पाँच वर्षों यानी 537 ईस्वी में पूरा हो गया। यह इमारत उस समय ऑर्थोडॉक्स इसाईयत (Orthodox Christianity) के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र थी, और कुछ ही समय में यह बाइज़ेंटाइन साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक बन गया।
- यह इमारत लगभग 900 वर्षों तक ऑर्थोडॉक्स इसाईयत के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रही, किंतु वर्ष 1453 में जब इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) के सुल्तान मेहमत द्वितीय (Sultan Mehmet II) ने कस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया, तब इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया।
- हमलावर ताकतों ने हागिया सोफिया में काफी तोड़फोड़ की और कुछ समय बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया, मस्जिद के रूप में परिवर्तन होने के पश्चात् स्मारक की संरचना में कई आंतरिक और बाह्य परिवर्तन किये गए और वहाँ से सभी रूढ़िवादी प्रतीकों को हटा दिया गया था, साथ ही इस संरचना के बाहरी हिस्सों में मीनारों का निर्माण किया गया।
    - एक लंबे अरसे तक हागिया सोफिया इस्तांबुल की सबसे महत्त्वपूर्ण मस्जिद रही।
- 1930 के दशक में आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क (Mustafa Kemal Ataturk) ने तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रयासों के तहत मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया।
    - वर्ष 1935 में इसे एक संग्रहालय के रूप में आम जनता के लिये खोल दिया गया।

संबंधित विवाद

- विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन ने तुर्की की राजनीति में प्रवेश किया था तो उनके प्रमुख एजेंडे में हागिया सोफिया की तत्कालीन स्थिति शामिल नहीं थी।
    - तुर्की के आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, रेसेप एरदोगन ने अपनी राजनीति के शुरुआत दौर में एक बार हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग पर आपत्ति भी ज़ाहिर की थी।
- हालाँकि राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन ने इस्तांबुल में नगरपालिका चुनावों में हार के बाद अपना पक्ष पूरी तरह से बदल दिया।
- इसके पश्चात् जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा येरुशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी गई, तब रेसेप एरदोगन ने भी हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया।
- जानकार मानते हैं कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर रेसेप एरदोगन का पक्ष राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से काफी हद तक जुड़ हुआ है। अपने इस कदम के माध्यम से वह पुन: अपना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस्तांबुल के नगरपालिका चुनावों के बाद लगातार कम हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- गौरतलब है कि हागिया सोफिया को लेकर यह विवाद ऐसे समय में आया है जब तुर्की और ग्रीस के बीच विभिन्न मुद्दों पर कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है।

- इसी वर्ष मई माह में ग्रीस ने पूर्व बाइज़ेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण की 567वीं वर्षगांठ पर हागिया सोफिया संग्रहालय के अंदर कुरान के अंशों को पढ़ने पर आपत्ति जताई थी।
    - ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा था कि तुर्की का यह कदम यूनेस्को के 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन' (UNESCO's Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) का उल्लंघन है।
- इस विषय पर ग्रीस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाईयों के लिये आस्था का केंद्र और तुर्की में इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है।
- इससे पूर्व अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने अपने एक बयान में कहा था कि हागिया सोफिया को तुर्की की परंपराओं और उसके विविध इतिहास के एक उदाहरण के रूप में बनाए रखा जाना चाहिये।
    - उन्होंने चेताया था कि हागिया सोफिया संग्रहालय की स्थिति में कोई भी बदलाव करने से अलग-अलग परंपराओं और संस्कृतियों के बीच एक 'सेतु' के रूप में सेवा करने की उसकी क्षमता को कमज़ोर करेगा।

आगे की राह

- तुर्की के के कानून विशेषज्ञों मानते हैं कि राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन को हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के लिये न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय का यह निर्णय केवल एक प्रतीकात्मक निर्णय होगा।
- गौरतलब है कि तुर्की के भीतर राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन की इस योजना का काफी कम विरोधी हो रहा है।
- बीते माह ग्रीस ने यूनेस्को से अपील की थी कि वह इस आधार पर तुर्की के कदमों पर आपत्ति जताए कि यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का उल्लंघन करता है।
- ऑर्थोडॉक्स इसाईयत के प्रतिनिधि ने तुर्की के इस निर्णय पर चिंता ज़ाहिर करते हुए दु:ख व्यक्त किया है, ऐसे में तुर्की सरकार का यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दो पक्षों में विभाजित करता दिखाई दे रहा है।

नैटान्ज़: ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, ईरान की एक भूमिगत परमाणु सुविधा; जो यूरेनियम को समृद्ध करने के लिये कार्य करती है, में आग लगने की दुर्घटना हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- समृद्ध यूरेनियम, यूरेनियम का एक विशेष प्रकार है, जिसमें यूरेनियम-235 की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है।

नैटान्ज़ (Natanz):

- नैटान्ज़, ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक 'यूरेनियम संवर्द्धन' केंद्र है।
- नैटान्ज़ को ईरान के प्रथम पायलट ईंधन संवर्द्धन संयंत्र के रूप में जाना जाता है।
- यह ईरान के साथ वर्ष 2015 में किये गए 'संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना' (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) परमाणु समझौते के बाद 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (International Atomic Energy Agency-IAEA) द्वारा निगरानी की गई साइटों में से एक है।

यूरेनियम संवर्द्धन (Uranium Enrichment):

- यूरेनियम संवर्द्धन एक संवेदनशील प्रक्रिया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये ईंधन का उत्पादन करती है। सामान्यत: इसमें यूरेनियम-235 और यूरेनियम-238 के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है।
- यूरेनियम संवर्द्धन के लिये सेंट्रीफ्यूज (Centrifuges) में गैसीय यूरेनियम को शामिल किया जाता है।

नैटान्ज़ विवाद:

- IAEA का निरीक्षण:
  - नैटान्ज़ तब चर्चा में आया जब IAEA ने यहाँ विस्फोटक नाइट्रेट्स के सफल परीक्षण की आशंका के बाद अक्तूबर, 2019 में निरीक्षण का निर्णय किया परंतु ईरान ने IAEA इंस्पेक्टर को सुविधा के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
    - नाइट्रेट एक सामान्य उर्वरक हैं, हालाँकि जब इसे उचित मात्रा में ईंधन के साथ मिलाया जाता है, तो सामग्री ट्राईनाईट्रोटॉलूइन (Trinitrotoluene- TNT) के रूप में शक्तिशाली विस्फोटक बन सकती है।
- स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस (Stuxnet Computer Virus):
  - इसे वर्ष 2010 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी देशों अमेरिका तथा इज़राइल द्वारा निर्मित वायरस माना जाता है, जिसका उद्देश्य ईरान के नैटान्ज़ परमाणु कार्यक्रम को बाधित और नष्ट करना था।

ईरान की प्रतिक्रिया:

- ईरान ने इसे गैस रिसाव विस्फोट की सामान्य 'घटना' (Incident) माना है जिससे केवल एक निर्माणाधीन 'औद्योगिक शेड' प्रभावित हुई है।
- हालाँकि कुछ पत्रकारों ने फोटो के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि यह सामान्य घटना नहीं है तथा इससे व्यापक निर्माण सामग्री प्रभावित हुई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया:

- अमेरिका ने मई 2018 में परमाणु समझौते से खुद को एकतरफा वापस ले लिया है क्योंकि उसका मानना था कि ईरान लगातार JCPOA द्वारा निर्धारित सभी उत्पादन सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है।

भूटान के क्षेत्र पर चीन का दावा

चर्चा में क्यों?

अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए, चीन ने भारत के पारंपरिक सहयोगी भूटान के साथ एक नया सीमा विवाद पैदा कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते माह आयोजित 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा' (Global Environment Facility- GEF) की एक ऑनलाइन बैठक में पूर्वी भूटान स्थित 'सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य' (Sakteng Wildlife Sanctuary) के विकास से संबंधित एक परियोजना पर आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा था कि यह चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है।
- हालाँकि भूटान ने चीन के दावे पर आपत्ति जताई और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) ने भूटान की परियोजना के वित्तपोषण के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

- वर्ष 1992 में स्थापित वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) पर्यावरण क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिये एक US-आधारित वैश्विक निकाय है।
- अपने रणनीतिक निवेश के माध्यम से GEF प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिये भागीदारों के साथ कार्य करता है।

चीन का दावा

- 'सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य' चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में शामिल है।
- चीन के अनुसार, चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद चल रहे हैं।
- चीन ने स्पष्ट किया है कि चीन सदैव दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुद्दों को लेकर बातचीत का पक्षधर रहा है और इस कार्य हेतु हमेशा तत्पर है।

भूटान का पक्ष

- वहीं परिषद में चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है और भूटान तथा चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान यह कभी भी एक विवाद का विषय नहीं रहा है।
- ध्यातव्य है कि चीन और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध न होने के कारण भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति से अवगत कराया।

चीन के दावे का निहितार्थ

- विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन द्वारा किया गया यह दावा दोनों द्वारा सीमा विवाद को लेकर सुलझाने को लेकर चल रहे राजनयिक प्रयासों को कमज़ोर करता है।
- चीन द्वारा भूटान के पूर्वी हिस्से पर दावा करने का एक कारण भारत पर दबाव बनाना भी हो सकता है, गौरतलब है कि भूटान का यह पूर्वी हिस्सा भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है, जिस पर चीन 'दक्षिणी तिब्बत' के एक हिस्से के रूप में अपनी संपूर्णता का दावा करता है।
- भले ही चीन का दावा नया न हो, किंतु इसे मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से भारत और भूटान पर दबाव बनाने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

चीन-भूटान संबंध और सीमा विवाद

- भूटान और चीन के बीच संबंधों में एक स्पष्ट विरोधाभास है। भूटान की भौगोलिक स्थिति इसे हिमालयी क्षेत्र में राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बना देती है।
- भूटान और तिब्बत के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों की एक लंबी परंपरा रही है, इसके बावजूद भूटान चीन का एकमात्र पड़ोसी देश है, जिसके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China- PRC) के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।
    - यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संपर्क भी काफी कम हैं।
- लगभग 500 किमी. क्षेत्र में फैली भूटान और चीन के बीच की सीमा के क्षेत्रीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है।
- हालाँकि दोनों देशों के बीच अब तक केवल मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर ही सीमा विवाद, किंतु चीन के नए दावे के साथ ही यह विवाद पूर्वी क्षेत्र तक विस्तारित हो गया है।
- चीन और भूटान ने वर्ष 1984 से वर्ष 2016 के बीच सीमा वार्ता के कुल 24 दौर आयोजित किये हैं। वर्ष 2017 में डोकलाम सीमा विवाद के बाद से दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है।

सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य

- उल्लेखनीय है कि सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य (Sakteng Wildlife Sanctuary) भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किमी. का क्षेत्र कवर करता है।
    - इससे पूर्व यह क्षेत्र कभी भी चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र नहीं रहा है।
- भूटान के पूर्वी क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में भूटानी लोग रहते हैं।
- यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थान है।

एनरिका लेक्सी' विवाद का अंतिम निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हेग स्थित 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (Permanent Court of Arbitration-PCA) ने 'एनरिका लेक्सी' (Enrica Lexie Case) मामले में निर्णय देते हुए इटली के दो नौसेनिकों पर भारतीय मछुआरों की हत्या का आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर भारत के तर्क को खारिज़ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पाँच सदस्यों वाले 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (PCA) ने भारत को इटली के दोनों नौसेनिकों के विरुद्ध सभी प्रकार की आपराधिक कार्यवाहियों को रोकने का आदेश दिया है।
- PCA ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास इटली के नौसेनिकों पर आपराधिक मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

'एनरिका लेक्सी' विवाद की पृष्ठभूमि

- दरअसल वर्ष 2012 में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने 'एनरिका लेक्सी' नामक तेल टैंकर जहाज़ पर तैनात इटली के दो नौसैनिकों को हिरासत में लिया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने दो भारतीय मछुआरों को गोली मार कर हत्या कर दी थी।
  - इस संबंध में इटली के नौसेनिकों ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें यह गलतफहमी हुई कि वे दोनों मछुआरे समुद्री लुटेरे हैं और इसलिये दोनों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी चली गई थी।
- इस घटना की खबर होते ही भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने इटली के दोनों सैनिकों को हिरासत में लिया, हालाँकि उन पर उस समय कोई मुकदमा दायर नहीं किया।
- भारतीय नौसेना के अनुसार, जब यह घटना हुई तब इटली का 'एनरिका लेक्सी' तेल टैंकर भारत के तट से लगभग 20.5 नॉटिकल माइल (Nautical Miles) दूर था।
- इस घटना के तीन वर्षों बाद इटली ने 'इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी' (International Tribunal for Law of the Sea-ITLOS) के समक्ष याचिका दायर की और यह अनुरोध किया कि भारत इस संबंध में इटली के दोनों सैनिकों के विरुद्ध चल रहे सभी मुकदमों को तुरंत रोक दे और दोनों लोगों को वापस इटली भेज दे।
- तब तक भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के अनुरूप आपराधिक न्यायालय क्षेत्र के निर्धारण हेतु एक विशेष रूप से नामित अदालत की स्थापना कर दी थी।
  - वहीं राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने भी दोनों लोगों के विरुद्ध हत्या से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
- वर्ष 2015 में ITLOS ने अपना निर्णय दिया और भारत तथा इटली को 'एनरिका लेक्सी' मामले के संबंध में घरेलू स्तर पर चल रहे सभी मामलों को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही ITLOS ने दोनों देशों को इस मामले में कोई और कदम न उठाने का भी आदेश दिया था।
- ITLOS के निर्णय के बाद इटली इस मामले को 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (PCA) के समक्ष लेकर गया।
- गौरतलब है कि इस विवाद ने भारत और इटली दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिये राजनयिक तनाव को काफी अधिक बढ़ा दिया था।

PCA का निर्णय

- PCA ने अपने निर्णय में कहा कि भारत के पास इटली के दोनों नौसेना पर 'एनरिका लेक्सी' मामले में किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे दोनों नौसैनिक एक राष्ट्र की ओर से कार्य कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत तौर पर।
- PCA ने माना कि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्यवाही ने भारत के नेविगेशन की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का उल्लंघन किया है, जिसके कारण भारत मुआवज़े का हकदार है, क्योंकि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्यवाही के कारण भारत को जान-माल का नुकसान हुआ है।

भारत के लिये इस निर्णय के निहितार्थ

- PCA के हालिया निर्णय को भारत के लिये आंशिक जीत और आंशिक हार के तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ एक ओर भारत को इस संबंध में मुआवज़े प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं अब भारतीय नागरिकों की मृत्यु के लिये उत्तरदायी लोगों को भारतीय न्याय क्षेत्र में सज़ा नहीं दी जा सकेगी।
- भारत सरकार ने PCA के निर्णय को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को 'एनरिका लेक्सी' विवाद से संबंधित सभी मामलों को निलंबित करने को लेकर सूचित किया है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि PCA के हालिया निर्णय का प्रभाव आने वाले समय में ऐसे ही किसी अन्य मामले पर देखने को मिल सकता है और अपराधी इसी प्रकार PCA के हालिया निर्णय का सहारा लेकर आसानी से बच सकते हैं।

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA)

- परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के लिये समर्पित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) की स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है।
- PCA में एक प्रशासनिक परिषद होती है जो नीतियों और बजट का प्रबंधन करती है और साथ ही इसमें स्वतंत्र मध्यस्थों का पैनल भी होता है जिन्हें न्यायालय के सदस्य के रूप में जाना जाता है।

इतालवी मरीन मामला: एक सबक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (Permanent Court of Arbitration-PCA) ने 'एनरिका लेक्सी मामला' (Enrica Lexie Case) मामले में अपना अंतिम निर्णय देते हुए इटली के दो नौसेनिकों पर भारतीय मछुआरों की हत्या का आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर भारत के तर्क को खारिज़ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (PCA) ने भारत को इटली के दोनों नौसेनिकों के विरुद्ध सभी प्रकार की आपराधिक कार्यवाहियों को रोकने का आदेश दिया है।
- PCA ने, 'एनरिका लेक्सी' नामक तेल टैंकर जहाज़ पर तैनात इटली के दो नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों को गोली मार कर हत्या करने के आरोप पर सुनवाई पर करते हुए यह निर्णय दिया है।

PCA का निर्णय:

- PCA ने अपने निर्णय में कहा कि भारत के पास इटली के दोनों नौसेना अधिकारियों पर 'एनरिका लेक्सी' मामले में किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे दोनों नौसैनिक एक राष्ट्र की ओर से कार्य कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत तौर पर।
- PCA ने माना कि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्यवाही ने भारत के नेविगेशन की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का उल्लंघन किया है, जिसके कारण भारत मुआवज़े का हकदार है, क्योंकि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्यवाही के कारण भारत को जान-माल का नुकसान हुआ है।

'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) तथा PCA के बीच संबंध:

- UNCLOS-1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिये एक नियामक ढाँचा प्रदान करती है, जिसे 16 नवंबर, 1994 से प्रभावी बनाया गया।
- यह समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है।
- UNCLOS निम्नलिखित मामलों को भी संबोधित करता है:
  - देशों की संप्रभुता से जुड़े मामले;
  - विभिन्न सामुद्रिक ज़ोनों में उपयोग के अधिकारों का निर्धारण;
  - देशों के नौसैनिक अधिकार;
- UNCLOS का भाग XV, संबंधित देशों के बीच विवादों के समाधान के लिये नियम निर्धारित करता है।
- UNCLOS के अनुच्छेद 287 (1) के अनुसार, संबधित देश ऐसे विवादों को निपटाने के लिये निम्नलिखित में से एक या अधिक साधनों का चयन करने की घोषणा कर सकता है:
  - 'समुद्र के कानून के लिये अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण' (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS)- हैम्बर्ग, जर्मनी;

- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (International Court of Justice-ICJ)- हेग;
- 'तदर्थ मध्यस्थता' (UNCLOS के अनुबंध VII के अनुसार);
  - मध्यस्थता विवाद निपटान प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब विवाद में शामिल देशों द्वारा उपलब्ध विवाद समाधान साधनों के संबंध में कोई वरीयता व्यक्त नहीं की गई है।
- या विवादों की कुछ श्रेणियों के लिये एक 'विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण' का गठन।

UNCLOS में 'एनरिका लेक्सी' विवाद:

- वर्ष 2012 में 'एनरिका लेक्सी' घटना के बाद प्रारंभ में दोनों देशों द्वारा घरेलू स्तर पर मामले को निपटाने का प्रयास किया गया।
- इटली द्वारा वर्ष 2015 में 'इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी' (International Tribunal for Law of the Sea-ITLOS) के समक्ष याचिका दायर की गई , ITLOS ने वर्ष 2015 में मामले में अपना निर्णय सुनाया।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ITLOS ने अपने निर्णय में भारत तथा इटली को 'एनरिका लेक्सी' मामले के संबंध में घरेलू स्तर पर चल रहे सभी मामलों को निलंबित करने का आदेश दिया था।
- ITLOS के निर्णय के बाद इटली इस मामले को 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (PCA) के समक्ष लेकर गया।

UNCLOS का अनुच्छेद 100:

- यह अनुच्छेद सामुद्रिक पायरेसी के संबंध में देशों पर सहयोग करने का दायित्त्व आरोपित करता है।
- PCA ने इटली के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भारत ने इतालवी पोत को अपने क्षेत्राधिकार में ले जाकर नौसैनिकों को गिरफ्तार कर अनुच्छेद- 100 का उल्लंघन किया है। अर्थात मामले को एक पायरेसी की घटना के रूप में नहीं देखा गया है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में लोगों द्वारा घटना को एक निर्दयी हत्याकांड के रूप में देखा गया था, जबकि इटली द्वारा इसे समुद्री डकैती की घटना के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया गया था।

UNCLOS के नियम तथा सामुद्रिक सीमा:

- UNCLOS के तहत समुद्र के संसाधनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है-

आधार रेखा (Baseline)

- यह तट के साथ-साथ तटवर्ती देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न-जल रेखा है।

आंतरिक जल (Internal Waters):

- यह बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल हैं।

प्रादेशिक सागर (Territorial Sea):

- यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित होता होता है।
- प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र है।
- ये अधिकार न केवल समुद्री सतह पर बल्कि समुद्री आधार, हवाई क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं।
- लेकिन तटीय देशों के अधिकार प्रादेशिक समुद्र से गुजरने वाले सामुद्रिक मार्गों के मामलों में सीमित होते हैं।

सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone):

- सन्निहित क्षेत्र का विस्तार बेसलाइन से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है।
- तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आव्रजन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार होता है।
- इसमें संबंधित देश को अपनी सीमा में न्याधिकारिता का अधिकार होता है। लेकिन यह हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ):

- EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

UNCLOS तथा देश का न्याधिकरण:

- भारतीय नौसेना के अनुसार, जब यह घटना हुई तब इटली का 'एनरिका लेक्सी' तेल टैंकर भारत के तट से लगभग 20.5 नॉटिकल माइल (Nautical Miles) दूर था।
- चूंकि यह घटना सन्निहित क्षेत्र (बेसलाइन से 24 नॉटिकल मील) की सीमा में हुई थी, अत: स्पष्ट था कि घरेलू कानून के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी की होती तथा मुकदमा चलाया जाता।

भारत के लिये सीख (Lesson for india):

- मामले की सुनवाई में देरी के कारण प्रारंभ में इतावली नागरिक भारत से बाहर निकलने में सफल रहे । अत: ऐसे मामलों में मुकदमा सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में चलाना चाहिये और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिये।
- 'राष्ट्रीय जाँच एजेंसी' (National Investigation Agency- NIA) ने 'सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ़्टी ऑफ़ मैरीटाइम नेविगेशन एण्ड फिक्स्ड प्लेटफ़ॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट' (Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act)- 2002 को लागू किया। जिससे देशों के मध्य कूटनीतिक रोष पैदा हो गया क्योंकि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान शामिल है। अत: इस प्रकार की त्वरित कार्यवाई से बचना चाहिये।

SUA कन्वेंशन:

- 'कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ वॉइलेंस अगेंस्ट द सेफ़्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन' (CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS OF VIOLENCE AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION) को SUA कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है।
- इसे 10 मार्च, 1988 को अपनाया गया तथा 1 मार्च 1992 से यह प्रभावी हुआ।
- यह समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने तथा दंडित करने से संबंधित कन्वेंशन है।

निर्णय के निहितार्थ:

- PCA का निर्णय अंतिम है और भारत द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। अत: अब दोनों नौसैनिकों को अब भारत में आपराधिक मुकदमे का सामना नहीं करना होगा। अब मामले की सुनवाई इटली में घरेलू कानूनों के तहत की जाएगी।
- विशेषज्ञ का मानना है कि PCA के हालिया निर्णय का प्रभाव आने वाले समय में ऐसे ही किसी अन्य मामले पर देखने को मिल सकता है और अपराधी इसी प्रकार PCA के हालिया निर्णय का सहारा लेकर आसानी से बच सकते हैं।

अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से संबंधित नए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि आगामी समय में यदि अमेरिका के विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाते हैं तो संभवत: अमेरिका में पढाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।

प्रमुख बिंदु

- US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (US Department of Homeland Security-DHS) द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, उन F-1 और M-1 (गैर-शैक्षणिक और व्यावसायिक छात्र) वीज़ा धारकों को अमेरिका में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।
- गौरतलब है कि COVID-19 के कारण अमेरिका के कई विश्वविद्यालय आगामी सेमेस्टर के लिये अपनी सभी कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं।

नोट :

F-1 वीज़ा

- F-1 वीज़ा एक प्रकार का स्टूडेंट वीज़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक छात्र के रूप में दाखिला लेने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- F-1 वीज़ा धारकों को पहले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कैंपस के बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है, किंतु कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के तहत वे कैंपस के अंदर कार्य कर सकते हैं। हालाँकि पहले शैक्षणिक वर्ष के बाद छात्र कैंपस के बाहर भी कार्य कर सकते हैं।

M-1 वीज़ा

- M-1 भी एक प्रकार का स्टूडेंट वीज़ा है, जो मुख्य तौर पर गैर-शैक्षणिक या पेशेवर अध्ययन के लिये जारी किया जाता है। तकनीकी और पेशेवर कार्यक्रमों के लिये M -1 वीज़ा धारकों को अपने अध्ययन के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

भारतीय छात्रों पर इस निर्णय का प्रभाव

- आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान समय में अमेरिका में तकरीबन 2 लाख भारतीय छात्र हैं, इस लिहाज़ से भारत अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि चीन पहले स्थान पर है।
- अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय का स्पष्ट प्रभाव उन भारतीय छात्रों पर देखने को मिलेगा, जिन्होंने अमेरिका के किसी ऐसे विद्यालय अथवा विश्विद्यालय में दाखिला लिया है, जो आगामी सेमेस्टर (सितंबर-दिसंबर) में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा अपनाने पर विचार कर रहे हैं।
    - ऐसे छात्रों को अमेरिका द्वारा वापस भारत भेजा जा सकता है।
- वहीं अमेरिका में महामारी की शुरुआत के बाद महामारी के बाद मज़बूरन भारत लौटे छात्रों को भी वापस अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन का यही नियम आगामी सेमेस्टर में अमेरिका में पढ़ने पर विचार कर रहे नए छात्रों पर भी लागू होता है।

कुछ छात्रों के लिये नियम में अपवाद

- अमेरिका के इस नियम से उन छात्रों को छूट प्रदान की गई है, जिनके विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय ने 'व्यक्तिगत कक्षाओं' (In-Person Classes) की घोषणा की है।
    - ऐसे विदेशी छात्रों को अमेरिका में रुकने की अनुमति दे जाएगी और साथ ही उन छात्रों को भी वापस अमेरिका आने की अनुमति दी जाएगी, जो महामारी के कारण वापस अपने देश चले गए थे।
- हालाँकि विश्वविद्यालय या कॉलेज को अमेरिकी प्रशासन के समक्ष यह प्रमाणित करना होगा कि इस प्रकार का छात्र पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएँ नहीं ले रहा है।
    - साथ ही विश्वविद्यालय या कॉलेज को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्र अपने डिग्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आवश्यक न्यूनतम कक्षाएँ ले रहा है।

इस निर्णय के कारण

- नियमों के अनुसार, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी अधिकांश शिक्षा 'व्यक्तिगत कक्षाओं' के माध्यम से ही पूरी करनी होती हैं। हालाँकि महामारी और उसके बाद लागू किये गए लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने विश्वविद्यालयों को अस्थायी तौर पर ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित कराने की छूट प्रदान की थी।
    - किंतु यह छूट केवल स्प्रिंग और समर सेमेस्टर (Spring and Summer Semesters) के लिये प्रदान की गई थी।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, 'अमेरिका में आगामी सेमेस्टर में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी गतिविधियों को पुन: संचालित करने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण इन संस्थाओं में सामाजिक दूरी और अन्य आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर इस नियम का प्रभाव

- उल्लेखनीय है कि अधिकांश अमेरिकी विश्विद्यालयों ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले से संबंधित प्रस्ताव जारी कर दिया है, ऐसे में अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय अमेरिका के भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आगामी सेमेस्टर में प्रवेश लेने हेतु हतोत्साहित करेगा।

नोट :

- वहीं इस नियम से पूर्व ही अमेरिका में दाखिला ले चुके छात्र सेमेस्टर छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे अमेरिका में पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में कमी होगी।
- यदि अमेरिका में दाखिला ले चुके छात्र सेमेस्टर छोड़ने के विकल्प का चुनाव करते हैं तो इससे अमेरिकी विश्वविद्यालयों के राजस्व में कमी देखने को मिल सकती है, खासकर उन विश्वविद्यालयों में जिन्होंने आगामी सेमेस्टर के ऑनलाइन होने की घोषणा कर दी है।

हॉन्गकॉन्ग विधायिका द्वारा राष्ट्रगान विधेयक पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विरोध प्रदर्शन के बीच हॉन्गकॉन्ग विधायिका ने एक राष्ट्रगान विधेयक (National Anthem Bill) पारित किया जो चीन के राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को अपराधी घोषित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस कदम को आलोचकों द्वारा हॉन्गकॉन्ग पर बीजिंग (चीन) की मज़बूत पकड़ के नवीनतम संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
- इस विधेयक को 41:1 के बहुमत से पारित किया गया।
- यह विधेयक उन लोगों को सजा (3 वर्ष तक की जेल या $ 6450 तक का जुर्माना) देने की अनुमति देता है जो चीन के राष्ट्रगान का अपमान करते हैं।
- इस बिल में कहा गया है कि 'सभी व्यक्तियों एवं संगठनों' को चीनी राष्ट्रगान का सम्मान एवं इसकी गरिमा को बनाये रखना चाहिये और इसे "उचित अवसरों" पर बजाना एवं गाना चाहिये।

हॉन्गकॉन्ग में बिल के विरोध में प्रदर्शन:

- पहली बार हॉन्गकॉन्ग पुलिस ने यहाँ के विक्टोरिया पार्क में आमतौर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को चिन्हित करते हुए एक वार्षिक जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया।
- राष्ट्रगान विधेयक आने से एक सप्ताह पहले चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर पहले से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान अलगाववाद, तोड़-फोड़ और विदेशी हस्तक्षेप से निपटने का संकेत मिलने के बाद हॉन्गकॉन्ग में तनाव बढ़ गया है।

वैश्विक देशों द्वारा आलोचना:

- चीन के इस कदम की संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और कुछ व्यावसायिक लॉबी ने भी निंदा की क्योंकि यह नियम वैश्विक वित्तीय हब के रूप में प्रसिद्ध हॉन्गकॉन्ग में स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा।

चीन समर्थित हॉन्गकॉन्ग सरकार का मत:

- हॉन्गकॉन्ग में चीनी अधिकारियों एवं चीन समर्थित हॉन्गकॉन्ग सरकार का कहना है कि ये कानून (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं राष्ट्रगान विधेयक) हॉन्गकॉन्ग की उच्च स्तर की स्वायत्तता के लिये कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे और आने वाले समय में नए सुरक्षा कानून पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- राजनीतिक तटस्थता की अपनी सामान्य नीति को तोड़ते हुए HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) ने हॉन्गकॉन्ग में नए कानून को अपना समर्थन दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका का हॉन्गकॉन्ग को लेकर दृष्टिकोण:

- गौरतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव होना है परिणामत: 'लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानवाधिकार' के परिप्रेक्ष्य में हॉन्गकॉन्ग में हो रहा विरोध प्रदर्शन अमेरिका के चुनावी समय में एक अहम मुद्दा बन गया है।
- राष्ट्रपति पद के दावेदार जो बिडेन (Joe Biden) ने हॉन्गकॉन्ग में चीन के दबदबे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वे आगामी चुनाव जीतते हैं तो मानवाधिकारों को लेकर चीन पर सख्त रुख अपनाएंगे।
    - उन्होंने कहा कि बीजिंग का नये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गुप्त एवं व्यापक रूप से लागू किया गया है। जो चीन के बाकी हिस्सों के अलावा हॉन्गकॉन्ग को पहले से ही मिलने वाली स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के लिये एक झटका है।

- शिनजियांग (Xinjiang) क्षेत्र में जबरन श्रम से होने वाले उत्पादों के आयात को रोकने के लिये मजबूत कदम उठाए जाने चाहिये।
- गौरतलब है कि शिनजियांग चीन का वह क्षेत्र है जहाँ संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यहाँ के शिविरों में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।

शिनजियांग (Xinjiang) क्षेत्र:

- शिनजियांग को आधिकारिक तौर पर शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) कहा जाता है।
- यह चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
- इसकी सीमा मंगोलिया, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताज़िकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं से मिलती है।
- काराकोरम, कुनलुन और तियान-शान पर्वत शिनजियांग क्षेत्र की सीमाओं के साथ-साथ इसके दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में भी व्याप्त हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष और चीन में लंबे समय तक मानवाधिकारों के लिये कार्य करने वाली वकील नैन्सी पेलोसी (Nancy Pelosi) ने राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह किया कि वर्ष 2019 के कानून के तहत और अधिक दबाव बनाने की आवश्यकता है जो हॉन्गकॉन्ग की स्वतंत्रता पर उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
  - उन्होंने कहा कि यदि हम वाणिज्यिक हितों के कारण चीन में मानवाधिकारों पर बात करने से इनकार करते हैं तो हम दुनिया के किसी भी स्थान पर मानवाधिकारों के लिये बोलने का सारा नैतिक अधिकार खो देते हैं।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक बिल पारित किया था जिसमें हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता के उल्लंघन पर 'अनिवार्य प्रतिबंध' का प्रावधान किया गया है।
  - इस बिल के दायरे में चीनी अधिकारियों से सौदा करने वाले बैंक एवं हॉन्गकॉन्ग पुलिस को भी शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि यह राष्ट्रगान विधेयक ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच 'व्यापार तथा COVID-19 की उत्पत्ति' जैसे मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर चीन का मत:

- हॉन्गकॉन्ग को लेकर चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 7 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो चुका है।
- वहीं चीन के इस कदम को लेकर हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हॉन्गकॉन्ग एवं चीनी अधिकारियों का कहना है कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हॉन्गकॉन्ग सरकार और चीन विरोधी प्रदर्शनों की खाई को उजागर करेगा।

नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में प्रमुख प्रावधान:

1. आतंकी गतिविधियों एवं विदेशी सुरक्षा बलों के साथ मिलीभगत करने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।
2. चीनी सरकार के पास हॉन्गकॉन्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में दखलंदाज़ी करने का अधिकार रहेगा।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हॉन्गकॉन्ग का कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. अधिकार एवं स्वतंत्रता जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी शामिल हैं, वे नए कानून के अनुसार संरक्षित होंगे।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों या समूहों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका संचालन निलंबित किया जा सकता है।
6. कुछ विशेष परिवहन वाहनों एवं उपकरणों को नुकसान पहुँचाना आतंकवादी कृत्य माना जाएगा।
7. स्थानीय अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों की जाँच कर सकते हैं और उनका फोन टेप कर सकते हैं।
8. यह कानून हॉन्गकॉन्ग के स्थायी एवं गैर-स्थायी निवासियों पर लागू होगा।
9. इस कानून के तहत अपराधों से संबंधित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

नोट :

आगे की राह:

- गौरतलब है कि चीन का यह नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं राष्ट्रगान विधेयक चीनी सरकार को लक्षित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा और साथ ही हॉन्गकॉन्ग के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित अथवा दंडित करेगा।
- विश्लेषकों का मानना है कि चीन द्वारा उठाए गए हालिया कदम हॉन्गकॉन्ग के 'एक देश, दो व्यवस्था' के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं जो हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।

कुवैत में एक्सपैट (प्रवासी) कोटा बिल को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, कुवैत की नेशनल असेंबली की 'कानूनी और विधायी समिति' ने ड्राफ्ट एक्सपैट (प्रवासी) कोटा बिल को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- ड्राफ्ट एक्सपैट (प्रवासी) कोटा बिल कुवैत में प्रवासियों की संख्या को सीमित करने से संबधित है।
- ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल एक संवैधानिक बिल है अत: इसे संबंधित समिति को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि आगे एक व्यापक योजना बनाई जाए।

एक्सपैट बिल के प्रमुख प्रावधान:

- बिल के अनुसार, भारतीयों की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- मसौदा कानून के तहत प्रवासियों की संख्या पर एक सीमा आरोपित की जाएगी तथा प्रवसियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 5% की कमी की जाएगी।
- कुवैत के प्रधानमंत्री सहित कानूनविद् और सरकारी अधिकारी कुवैत की आबादी को 70% से 30% तक कम करना चाहते हैं।

निर्णय के कारण:

प्रवासी विरोधी आकांक्षा:

- COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से कुवैत में प्रवासी विरोधी आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है।
- कुवैत में अधिकतर COVID-19 संक्रमण के मामले विदेशी प्रवासियों में देखने को मिले हैं क्योंकि ये प्रवासी श्रमिक भीड़-भाड़ वाले आवास में निवास करते हैं, जिससे उनके मध्य वायरस संक्रमण आसानी से प्रसारित होता है।

खुद के देश में अल्पसंख्यक:

- कुवैत, विदेशी श्रमिकों पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कुवैती नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक के रूप में हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कुवैत की 4.3 मिलियन की कुल आबादी में से 3 मिलियन बाहरी नागरिक हैं।

अन्य देशों का प्रभाव:

- वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित अनेक देश संरक्षणवादी नीतियों को अपना रहे हैं।
- यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के उस निर्णय के समान है, जिसके तहत अप्रवासी और गैर-अप्रवासी श्रमिकों के वीज़ा पर 60-दिवसीय प्रतिबंध का विस्तार किया गया है।

जनसंख्या संरचना पर दबाव:

- बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण कुवैत को अपनी जनसंख्या संरचना में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग एक तिहाई प्रवासी या तो अनपढ़ हैं या बहुत कम पढे-लिखे हैं। उनका कुवैत के विकास में नगण्य योगदान है अत: उनकी कुवैत को और अधिक आवश्यकता नहीं है।

नोट :

कुवैत की जनसांख्यिकी में भारतीय:

- कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय की जनसंखया 1.45 मिलियन है। यह कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
- लगभग 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में में कार्य करते हैं।
- अधिकांश भारतीय (लगभग 5 लाख) निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- कुल भारतीय प्रवासियों में लगभग 1.16 लाख लोग आश्रित हैं, जिनमें लगभग 60,000 छात्र भी शामिल हैं।

भारतीयों का योगदान:

- भारत-कुवैत द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में भारतीय समुदाय हमेशा से ही एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है।
- वर्तमान में कुवैत के लगभग सभी सामाजिक क्षेत्रों में भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं।
- कुवैत में भारतीय समुदाय को काफी हद तक अनुशासित, मेहनती और कानूनी का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में देखा जाता है।

भारत के लिये योगदान:

- कुवैत भारत के लिये प्रेषण (Remittance) का एक शीर्ष स्रोत है। वर्ष 2018 में भारत ने कुवैत से प्रेषण के रूप में लगभग 4.8 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त किये।

भारत पर निर्णय के संभावित प्रभाव:

- बिल के अनुसार, भारतीयों की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।अगर कानून को लागू किया जाता है, तो इससे 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से वापस भारत आना पड़ सकता है।
- खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार काम करते हैं। इन देशों में यह संख्या लगभग 90 लाख है। अन्य देश भी कुवैत से प्रेरित होकर ऐसे ही कदम उठा सकते हैं।
- भविष्य में खाड़ी देशों तथा भारत के मध्य प्रवासियों को लेकर व्यापक टकराव देखने को मिल सकता है, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- केरल जैसे राज्यों को विपरीत-प्रवास तथा COVID-19 महामारी जैसी दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह:

- भारत को खाड़ी देशों के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य सेवा, दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, कम विकसित देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
- खाड़ी देश वर्तमान में अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वे वर्तमान में पेट्रोलियन उत्पादन के अलावा अन्य क्षेत्रों की और अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में भारत यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाकर प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष:

- भारतीय दूतावास प्रस्तावित कानून से जुड़े घटनाक्रमों का बारीकी से अनुसरण कर रहा है। हालाँकि अभी तक भारत द्वारा इस मुद्दे कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

'फारस की खाड़ी क्षेत्र' (Persian Gulf Region):

- आठ देशों बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा फारस की खाड़ी के आसपास की भूमि साझा की जाती हैं।

'खाड़ी सहयोग परिषद' (Gulf Cooperation Council- GCC):

- UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत GCC के सदस्य हैं।

'पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन' (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC):

- फारस की खाड़ी के देशों में से ईरान, इराक, कुवैत, UAE और सऊदी अरब 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन' (OPEC) के सदस्य हैं।

ओपन स्काई समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) ने भारत के साथ एक 'खुला आकाश समझौता' या 'ओपन स्काई समझौता' (Open Sky Agreement) करने की इच्छा व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु:

ओपन स्काई समझौता (Open Sky Agreement) क्या है?

- ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी-अपनी एयरलाइंस के लिये अधिकार प्रदान करने के लिये आपस में बातचीत करते हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है।

वायु सेवा समझौता (Air Service Agreement):

- भारत ने 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता (Air Service Agreement) किया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है।
  - इस समझौते में उड़ानों, सीटों, लैंडिंग बिंदुओं एवं कोड-शेयर की संख्या से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल किये जाते हैं किंतु यह समझौता दो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 'ओपन स्काई समझौता' दोनों देशों के चयनित शहरों के मध्य असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा।

भारत की ओपन स्काई नीति (India's Open Sky Policy):

- भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) देशों के साथ-साथ नई दिल्ली से 5,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर 'खुले आकाश' (Open Sky) हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है।
  - इसका तात्पर्य है कि नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की दूरी वाले देश एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं और आपस में उन उड़ानों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं जिसे उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित करती हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने ग्रीस, जमैका, गुयाना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि के साथ ओपन स्काई समझौते (Open Sky Agreement) किये हैं।

पाँचवीं एवं छठवीं फ्रीडम ऑफ एयर (Fifth and Six Freedoms of Air):

- भारतीय एयरलाइंस के हितों को अन्य एयर कैरियर से खतरे के मद्देनज़र संयुक्त अरब अमीरात ने यह भी उल्लेख किया है कि वह पाँचवीं एवं छठवीं 'फ्रीडम ऑफ एयर' को लागू करने का इच्छुक नहीं है।
  - 'फ्रीडम ऑफ एयर' की अवधारणा वर्ष 1944 के 'कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन' (Convention on International Civil Aviation) जिसे शिकागो कन्वेंशन (Chicago Convention) भी कहा जाता है, में विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति के परिणामस्वरूप तैयार की गई थी।
  - शिकागो कन्वेंशन (Chicago Convention) वर्ष 1947 से प्रभावी हुआ था।
  - 'फ्रीडम ऑफ एयर' एक वाणिज्यिक विमानन अधिकारों का एक समूह है जो किसी देश की एयरलाइनों को किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने एवं उतरने का विशेषाधिकार प्रदान करता है।
  - पाँचवीं 'फ्रीडम ऑफ एयर' में दो देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार शामिल है जो अपने ही देश से शुरू या समाप्त होने वाली उड़ान का संचालन करते हैं।
  - छठवीं 'फ्रीडम ऑफ एयर' में गैर-तकनीकी कारणों से अपने देश में रुकने के अलावा एक विदेशी देश से दूसरे देश में उड़ान भरने का अधिकार शामिल है।

आगे की राह:

- वर्तमान में द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते (Air Service Agreement) के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सप्ताह में लगभग 1068 उड़ानें संचालित की जाती हैं।
- इसलिये भारत और संयुक्त अरब अमीरात को एक 'ओपन स्काई नीति' बनाने की आवश्यकता है जो भविष्य में भारत को एक वाणिज्यिक केंद्र बनने में मदद करेगी।

हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे की समाप्ति

चर्चा में क्यों?

हॉन्गकॉन्ग के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉन्गकॉन्ग स्वायत्तता अधिनियम (Hong Kong Autonomy Act) पर भी हस्ताक्षर किये हैं, जो कि उन चीनी अधिकारियों और हॉन्गकॉन्ग पुलिस के अधिकारियों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा, जो हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता को नष्ट करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं।।
  - इसके अलावा उन बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो प्रतिबंधित लोगों के साथ आर्थिक लेन-देन में शामिल होंगे।
- इस संबंध में घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब हॉन्गकॉन्ग को मुख्य चीन का एक हिस्सा माना जाएगा और उसे किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा और न ही उसे संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का निर्यात किया जाएगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 'चीन द्वारा इस कानून के माध्यम से हॉन्गकॉन्गवासियों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है और उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है।

हॉन्गकॉन्ग के विशेषाधिकार

- वर्ष 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हॉन्गकॉन्ग द्वीप सौंप दिया था, उसके बाद हॉन्गकॉन्ग का (एक अलग भू-भाग) अस्तित्त्व सामने आया।
- लगभग एक शताब्दी तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहने के पश्चात् वर्ष 1997 में यह क्षेत्र चीन को वापस सौंप दिया गया और इसी के साथ ही एक देश दो व्यवस्था (One Nation Two System) की अवधारणा भी सामने आई।
  - इस व्यवस्था के अनुसार हॉन्गकॉन्ग को विशेष दर्जा दिया गया अर्थात् हॉन्गकॉन्ग की शासन व्यवस्था चीन के मुख्य क्षेत्र से अलग होनी थी।
- अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अपनी कूटनीति में हॉन्गकॉन्ग और चीन के बीच अंतर को मान्यता दी, जिसे अमेरिका-हॉन्गकॉन्ग नीति अधिनियम, 1992 के तहत शामिल किया गया।
- तदनुसार, हॉन्गकॉन्ग को अमेरिका के साथ लेन-देन में उन सभी तरजीहों का फायदा मिलता है जो या तो चीन को नहीं मिलता या चीन के लिये प्रतिबंधित है।
  - इसमें न्यून व्यापार शुल्क और एक अलग आव्रजन नीति जैसे विषय शामिल हैं।

चीन का पक्ष

- अमेरिका के इस कदम का विरोध करते हुए चीन ने कहा कि अमेरिका का यह हॉन्गकॉन्ग स्वायत्तता अधिनियम स्पष्ट तौर पर हॉन्गकॉन्ग में चीन के कानून को दुर्भावनापूर्ण रूप से बदनाम करने का कार्य कर रहा है।
- चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 'चीन अपने हितों की रक्षा के लिये आवश्यक प्रतिक्रिया देगा और इस संबंध में आवश्यक पड़ने पर अमेरिका के अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा भी करेगा।'

- कड़े शब्दों में अमेरिका का विरोध करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को चीन के घरेलू मामले में 'अमेरिकी हस्तक्षेप' के रूप में परिभाषित किया है।

इस कदम के निहितार्थ

- हॉन्गकॉन्ग के संबंध में अमेरिका द्वारा चीन के अधिकारियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध और अमेरिका के नए कानून को लेकर चीन की धमकी स्पष्ट तौर पर दोनों देशों के संबंधों में पहले से मौजूद तनाव को और अधिक बढ़ाएगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम के कारण सबसे अधिक नुकसान 'हॉन्गकॉन्ग' को झेलना पड़ेगा और इस कदम से चीन के हित काफी सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित होंगे।
- हॉन्गकॉन्ग में बीजिंग की कार्रवाई के अलावा डोनल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने, दक्षिण चीन सागर में सैन्य निर्माण, उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन और कई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार अधिशेषों को लेकर भी चीन की आलोचना की।
- हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे को रद्द करने के निर्णय से गैर-चीनी कंपनियां हॉन्गकॉन्ग में अपने कार्य को संचालित करने पर विचार करने के लिये बाध्य होंगी।
- गौरतलब है कि अधिकांश पश्चिमी देशों की कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में हॉन्गकॉन्ग को चुना है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन के साथ-साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों को भी कवर किया जा सकता है।
    - अनुमान के अनुसार, हॉन्गकॉन्ग में 1,500 से भी अधिक विदेशी व्यवसायों का एशियाई मुख्यालय स्थित है, जिसमें से 300 अमेरिकी कंपनियाँ हैं, यही कारण है कि यह स्थान काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- यदि कुछ कंपनियाँ भी अपने व्यवसाय को किसी अन्य क्षेत्र पर हस्तांतरित करती हैं, तो इससे हॉन्गकॉन्ग की स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- हालाँकि विशेषज्ञों के मतानुसार, अमेरिका के इस निर्णय का चीन की अर्थव्यवस्था पर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि जब ब्रिटेन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में हॉन्गकॉन्ग को चीन को दिया था, तब चीन की अर्थव्यवस्था में हॉन्गकॉन्ग की काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी और हॉन्गकॉन्ग चीन के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 18 प्रतिशत हिस्से का उत्तरदायी था।
    - हालाँकि वर्तमान में यह आँकड़ा पूरी तरह से बदल चुका है, चीन ने बीते 25 वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर विकास किया है और अब हॉन्गकॉन्ग चीन की अर्थव्यवस्था में केवल 2-3 प्रतिशत का ही योगदान देता है।

आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (Pakistan Occupied Kashmir-PoK) के सुधोटी ज़िले (Sudhoti District) में 700 मेगावाट की 'आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना' (Azad Pattan Hydel Power Project) के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदुः

- झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रॉजेक्ट है।
- इस परियोजना का निर्माण 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (China Pakistan Economic Corridor-CPEC) जो कि चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative) का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है।
- 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' के तहत PoK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है।
- CPEC के तहत पाकिस्तान- चीन में बीच पहली परियोजना 'कोहाला परियोजना' (Kohala project) है। 1,100 मेगावाट की 'कोहाला परियोजना' को लेकर जून 2020 में पाकिस्तान- चीन के मध्य हस्ताक्षर किये गए थे।
    - 2.3 अरब डॉलर की 'कोहाला परियोजना', मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी पर विकसित की जाएगी।

- आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की पाँच जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है।
- आज़ाद पट्टन से ऊपर की ओर महाल (Mahl), कोहाला (Kohala) और चकोथी हट्टियन (Chakothi Hattian) परियोजनाएँ हैं, जबकि करोट (Karot) परियोजना नीचे की ओर अवस्थित है।

आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में:

- ईपीसी (Engineer, Procurement and Contract-EPC) समझौते/ कंस्ट्रक्शन के अनुसार, यह परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है।
    - 'रन ऑफ द रिवर' जल-विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है, जिसमें घाटी/वादियों के प्रवाहित जल को बाधित करते हुए जल-विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
    - रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना में नदी के मार्ग में बड़े बांध बनाए बनाए बिना ही प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है।

ईपीसी कंस्ट्रक्शन:

- ईपीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीमेंट का एक प्रमुख रूप है।
- इंजीनियरिंग और ठेकेदार परियोजना के डिज़ाइन को पूरा करते हैं तथा परियोजना के लिये आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री की खरीद करते हैं।
- इस परियोजना का जलाशय मुस्लिमबाद गाँव के पास आजाद पट्टन पुल से 7 किमी. दूर PoK के सुद्धोटी ज़िले (Sudhnoti district) में स्थित है।
- इस परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।
- इस परियोजना में 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3.8 वर्ग किमी का जलाशय होगा।
- जून 2016 में PoK सरकार द्वारा 'निजी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड' (Private Power Infrastructure Board) के माध्यम से इस परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की गई थी -
    - यह बिजली परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1994 में पाकिस्तान की सरकार द्वारा बनाई गई एकल-खिड़की सुविधा है
    - 'पावर यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड' पूर्ण रुप से चीन के जियज़ोबा समूह (Gezhouba Group) के स्वामित्त्व एवं नियंत्रण में है।
    - जियज़ोबा समूह द्वारा लाराब समूह (Laraib Group) के साथ जो एक पाकिस्तानी अक्षय ऊर्जा विकास समूह है, परियोजना के लिये एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है।
    - 30 वर्षों के बाद इस परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में चीन- भारत सामरिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाए तो पाकिस्तान भारत-चीन विवाद का लाभ अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों को पूर्ण करने में कर रहा है। भारत द्वारा PoK क्षेत्र में पाकिस्तान की आर्थिक, सामरिक या किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधियों का विरोध हमेशा ही किया गया है।आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना भी PoK क्षेत्र में है, जिस पर भारत द्वारा निकट भविष्य में भारत का विरोध देखा जा सकता है।

भारत-EU समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आगामी पाँच वर्षों 2020-2025 के लिये वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने पर सहमत हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने वर्ष 2001 में हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के अनुरूप आपसी लाभ और पारस्परिक सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।
- ज्ञात है कि वर्ष 2001 में हुआ यह समझौता 17 मई 2020 को समाप्त हो गया था।
- दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से नवीनीकृत प्रक्रिया शुरू करने और अनुसंधान एवं नवाचार में 20 वर्षों के मज़बूत सहयोग को अंगीकृत करने के लिये वचनबद्ध हैं।

इस समझौते का महत्त्व

- इससे जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक, जैव स्वायत्ता, एकीकृत साइबर-भौतिक प्रणाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा अनुसंधान, शोधकर्त्ताओं के आदान-प्रदान, छात्रों, स्टार्टअप और ज्ञान के सह-सृजन के लिये संसाधनों के सह-निवेश में संस्थागत संबंधों को और मज़बूती मिलेगी।

भारत-यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: दोनों देशों के मध्य स्थापित वैज्ञानिक सहयोग की समीक्षा के लिये भारत-यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की वार्षिक बैठक आयोजित होती है।
  - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences-MoES) और यूरोपीय आयोग (European Commission-EC) ने जलवायु परिवर्तन एवं ध्रुवीय अनुसंधान से संबंधित यूरोपीय रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क कार्यक्रम 'Hoizon 2020' के तहत चयनित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये एक सह-निधि तंत्र (Co-Funding Mechanism-CFM) की स्थापना की है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: 1970 के दशक से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूरोपीय संघ के साथ सहयोग कर रहा है।
  - इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन में सहयोग बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित कॉपरनिकस कार्यक्रम (Copernicus Programme) भी शामिल है।
  - कॉपरनिकस यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम (Earth Observation Programme) है।

यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ 27 देशों (पूर्व में इस संघ में 28 देश शामिल थे) की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएँ और एकजुट होकर एक व्यापार समूह का हिस्सा बनें।
- इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। वर्ष 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ।
- यूरोपीय संघ मास्ट्रिच संधि द्वारा बनाया गया था, जो 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई थी।

अमेरिका-भारत रणनीति ऊर्जा भागीदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही अमेरिकी ऊर्जा सचिव और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा 'अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी' (Strategic Energy Partnership- SEP) की एक आभासी (Virtual) बैठक की सह-अध्यक्षता की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस आभासी बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य; दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा प्रगति की समीक्षा करना, प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालना और सहयोग के नवीन क्षेत्रों में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना था।
- अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा के रणनीतिक महत्त्व को मान्यता देते हुए अप्रैल 2018 में रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी (SEP) को स्थापित किया गया।
- SEP की स्थापना का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी का निर्माण करना तथा सरकार-से-सरकार के बीच सहयोग एवं उद्योगों के बीच बेहतर जुड़ाव की दिशा में मज़बूत मंच का निर्माण करना था।

सहयोग के चार प्राथमिक स्तंभ (Four Primary Pillars of Cooperation):

- अमेरिका-भारत रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी में सहयोग के चार प्राथमिक स्तंभ का निर्धारण किया गया है:
  - पॉवर और ऊर्जा दक्षता;
  - तेल और गैस;
  - नवीकरणीय ऊर्जा;
  - सतत् विकास।
- इन चार स्तंभों के माध्यम से दोनों देश स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता, पावर ग्रिड और वितरण का आधुनिकीकरण करने, पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।

SEP के तहत उपलब्धियाँ और प्राथमिकताएँ:

पॉवर और ऊर्जा दक्षता:

पॉवर सिस्टम का आधुनिकीकरण:

- दोनों देश स्मार्ट ग्रिड में नई तकनीकों के एकीकरण पर सहयोग कर रहे हैं जैसे विद्युत वितरण क्षेत्र आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरों की तैनाती आदि।

  'उन्नत स्वच्छ ऊर्जा-अनुसंधान के लिये भागीदारी' (PACE-R):
- दोनों देश 'उन्नत स्वच्छ ऊर्जा-अनुसंधान के लिये भागीदारी' (Partnership to Advance Clean Energy-Research-PACE-R) के माध्यम से विद्युत ग्रिड के लचीलापन और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये संयुक्त अनुसंधान और विकास (R&D) का नेतृत्व कर रहे हैं।

सुपर क्रिटिकल CO_2 (sCO_2) विद्युत चक्र और कार्बन भंडारण:

- sCO_2 कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरल अवस्था है जिसके लिये क्रिटिकल ताप और दाब का होना महत्त्वपूर्ण होता है।
- सुपर क्रिटिकल CO_2 (sCO_2) बिजली चक्रों और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (Carbon Capture, Utilization and Storage- CCUS) सहित विद्युत उत्पादन अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत की गई।

स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर:

- स्मार्ट ग्रिड के लिये निर्माण के लिये 'ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में" भारत में 'स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर' की स्थापना पर सहमति बनी है।

RAISE पहल:

- 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' (USAID) और 'ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड' (EESL) द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये RAISE (Retrofit of Air Conditioning to Improve Air Quality for Safety and Efficiency) पहल की शुरुआत की गई है।

तेल और गैस;

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार:

- 'रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार' (Strategic Petroleum Reserves) के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MOU) पर हस्ताक्षर।
- अमरीका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में भारत के तेल भंडारण की संभावना पर भी चर्चा की गई।

हाइड्रोजन टास्क फोर्स:

- अक्षय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये 'हाइड्रोजन टास्क फोर्स' का गठन।

नवीकरणीय ऊर्जा:

'सोलर डेकाथलॉन इंडिया':

- वर्ष 2021 में भारत के पहले 'सोलर डेकाथलॉन® इंडिया' (Solar Decathlon® India) पर सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी:

- उन्नत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों पर सहमति बनी है।
- सतत् जैव ईंधन (मुख्यत: बायोइथेनॉल) के उत्पादन और उपयोग पर संयुक्त गतिविधियों और सूचना विनिमय के माध्यम से सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।

AsiaEDGE पहल:

- SEP के माध्यम से 'AsiaEDGE पहल' में भी सहयोग किया जाता है। AsiaEDGE पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक मज़बूत ऊर्जा भागीदार के रूप में भारत को मान्यता प्रदान करता है।
- 'AsiaEDGE (ऊर्जा के माध्यम से विकास और वृद्धि को बढ़ाना); अमेरिका द्वारा प्रारंभ एक पहल है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिये मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करती है।

सतत् विकास:

- दोनों देश ऊर्जा डेटा प्रबंधन; ऊर्जा मॉडलिंग और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन में क्षमता निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य कर रहे हैं।

भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम:

- इस दिशा में USAID और नीति आयोग ने मिलकर 'भारत एनर्जी मॉडलिंग फोरम' (India Energy Modeling Forum) का शुभारंभ किया।

ऊर्जा में दक्षिण एशिया महिला प्लेटफ़ॉर्म:

- USAID ने पॉवर सेक्टर पर केंद्रित 'ऊर्जा में दक्षिण एशिया महिला' (South Asia Women in Energy- SAWIE) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत-अमेरिका दोनों देश मिलकर तकनीकी स्तंभों में लिंग-केंद्रित गतिविधियों को शामिल करने के लिये कार्य कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

- वर्तमान में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के कारण भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये न केवल अपने ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण अपितु ऊर्जा के आयात के विविधीकरण पर भी बल दे रहा है। अमेरिका-भारत रणनीति ऊर्जा भागीदारी न केवल बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों से साम्यता रखती है अपितु भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

कतर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ) ने बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक अपील को खारिज़ कर दिया है, जिसमें चारों देशों द्वारा कतर (Qatar) पर अधिरोपित प्रतिबंधों की वैधता पर निर्णय देने के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization- ICAO) के अधिकार को चुनौती दी गई थी।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को इस मामले की सुनवाई करने का पूरा अधिकार है।
- ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के इस निर्णय को कतर और उसके विमानन उद्योग के लिये काफी बड़ी जीत माना जा रहा है।

क्या है विवाद?

- उल्लेखनीय है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने 5 जून, 2017 को कतर के साथ अपने सभी प्रकार के आर्थिक और राजनयिक संबंध समाप्त करते हुए समुद्री और हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिये।
  - साथ ही इन देशों ने कतर के नागरिकों को भी देश को छोड़ने के लिये 14 दिन का समय दिया गया और उन्होने अपने नागरिकों पर भी कतर की यात्रा या निवास करने संबंधी प्रतिबंध लगा दिये।
- उपरोक्त तीन देशों का अनुसरण करते हुए मिस्र ने भी कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिये, किंतु मिस्र ने कतर में रह रहे अपने 180,000 नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं लगाए।
- ध्यातव्य है कि कतर केवल सऊदी अरब के साथ ही भू-सीमा साझा करता है और इन प्रतिबंधों के बाद इस भू-सीमा को भी बंद कर दिया, साथ ही कतर के जहाज़ों पर इन देशों के बंदरगाहों में डॉकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रतिबंधों का कारण

- कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंध समाप्त करने वाले चारों देशों ने दावा किया कि कतर क्षेत्र विशिष्ट में 'आतंकवाद' समर्थक के रूप में कार्य कर रहा है।
  - साथ ही इन देशों ने दावा किया कि कतर ने इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है।
- हालाँकि कतर ने इस्लामी चरमपंथ का समर्थन करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है और चारों देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की व्यापक आलोचना की।
  - कतर ने चारों देशों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कहा कि इसका कोई भी 'वैध औचित्य नहीं' है।
- इससे पूर्व इन देशों के बीच वर्ष 2014 में तब राजनयिक तनाव पैदा हुआ था, जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने यह दावा करते हुए कतर से अपने राजनयिकों को वापस बुला दिया था कि कतर सशस्त्र समूहों का समर्थन कर रहा है।
  - हालाँकि उस समय न तो सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा को बंद किया था और न ही कतर के निवासियों को देश से बाहर किया गया था।

वित्तीय प्रभाव

- आँकड़ों के अनुसार, प्रतिबंधों के समय कतर अधिकांशत: अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों के लिये भू और समुद्री आयात पर निर्भर करता है और इसका लगभग 40 प्रतिशत खाद्य सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा के माध्यम से आता था।
  - हालाँकि इन प्रतिबंधों के कुछ समय पश्चात् ही तुर्की और ईरान ने कतर को बुनियादी वस्तुओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया था।

- चारों देशों के इन प्रतिबंधों का सबसे अधिक प्रभाव कतर की राष्ट्रीय विमानन कंपनी कतर एयरवेज़ (Qatar Airways) पर देखने को मिला, जिसे इन प्रतिबंधों के बाद कुल 18 क्षेत्रीय शहर के लिये उड़ानों को रद्द करना पड़ा और कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े।

चारों देशों की मांग

- कतर पर प्रतिबंध अधिरोपित करने वाले चारों देशों ने संबंधों को बहाल करने के लिये मांगों की एक 13 सूत्रीय सूची जारी की।
- इस सूची में अल-जज़ीरा जैसे समाचार वेबसाइटों को बंद करना, मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) जैसे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ अपने संबंधों को समाप्त करना, शिया-बहुसंख्यक ईरान के साथ संबंधों को कम करना और अपने देश में तैनात तुर्की सैनिकों को हटाना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवाद

- कतर ने, यह आरोप लगाते हुए कि नागरिक उड्डयन पर वर्ष 1944 के कन्वेंशन में दिये गए उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया, इसी कन्वेंशन के तहत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के समक्ष इस मुद्दे को प्रस्तुत किया।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के समक्ष सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने तर्क दिया कि विवाद को निपटाने का अधिकार केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के पास है क्योंकि यह मामला सिर्फ विमानन से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवाद जैसे कई विषय भी शामिल हैं।
- हालाँकि वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने सऊदी और उसके सहयोगी देशों के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संगठन को इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार है।
- जिसके बाद चारों देश इस मामले को ICJ के समक्ष ले गए और हाल ही में ICJ ने अपना निर्णय सुनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के निर्णय को सही ठहराया है।
- चूँकि अब यह तय हो गया है कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को है, इसलिये अब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) जल्द ही कतर पर लगे प्रतिबंधों को लेकर अपना निर्णय सुनाएगा।

संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र संघ की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'संयुक्त राष्ट्र 'यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन' (UN Draft Declaration) के पूरा होने की उम्मीद है, परंतु इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार प्रक्रिया के धीमे होने की संभावना भी है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर किये जाने थे लेकिन घोषणा में देरी हुई क्योंकि सभी सदस्य देश अभी तक किसी एक समझौते तक नहीं पहुंच सके।
- संयुक्त राष्ट्र यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन का एक शक्तिशाली उपकरण है।
- 75 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में 'नवीन विश्व व्यवस्था' (New World Order) की दिशा में 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी।

यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन:

- यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में 12 ऐसी प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया है;
  - हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे;
  - हम अपने ग्रह की रक्षा करेंगे;
  - हम शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कार्य करेंगे;
  - हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का पालन करेंगे;

- हम महिलाओं और लड़कियों को केंद्र में रखेंगे;
- हम विश्वास पैदा करेंगे;
- हम सभी के लाभ के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देंगे;
- हम संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक सुधार करेंगे;
- हम वित्तपोषण सुनिश्चित करेंगे;
- हम साझेदारी को बढ़ावा देंगे;
- हम युवाओं को सुनेंगे तथा उनके साथ कार्य करेंगे;
- हम भविष्य में अधिक तैयार रहेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार:

- संयुक्त राष्ट्र संघ मसौदे के माध्यम के संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख अंगों के सुधार की मांग की जा रही है:
  - सुरक्षा परिषद (Security Council)
  - महासभा (General Assembly)
  - आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)।

महासभा द्वारा सुधारों को पहल:

- वर्ष 1992 का प्रस्ताव:
  - वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव में तीन मुख्य शिकायतें उल्लिखित है:
  - सुरक्षा परिषद् अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधितत्त्व नहीं करती।
  - इसके निर्णयों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों का प्रभाव होता है।
  - सुरक्षा परिषद् में समान प्रतिनिधित्त्व का अभाव है।
- वर्ष 2005 का संकल्प:
  - सितंबर, 2005 में महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की सैन्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के प्रति मज़बूत इच्छा व्यक्त की गई ।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यह संकल्प इराक युद्ध (वर्ष 2003) के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिये गए एकतरफा निर्णयों की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग के बाद अपनाया गया था।
- वर्ष 2008 का प्रस्ताव:
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2008 को होने वाली अपनी पूर्ण बैठक (Plenary Meeting) में विगत प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि के सवाल पर अंतर-सरकारी वार्ता को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया।

सुधारों की आवश्यकता:

- अपर्याप्त प्रतिनिधितत्त्व:
  - संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकायों जैसे सुरक्षा परिषद आदि में विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व नहीं है। विकासशील देशों में केवल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।
- सदस्यों की संख्या में वृद्धि:
  - संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में इसकी स्थापना के बाद से लगातार विस्तार देखने को मिला है तथा यह वर्तमान में 193 तक बढ़ गई है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया है।
- एक तरफा सैन्य-अभियान:
  - संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य मिशनों में पश्चिमी देशों का प्रभुत्त्व देखने को मिलता है, अत: इस संबंध में अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार की नवीन पहल:

- हाल ही में भारत वर्ष 2021-22 के लिये 'सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य' चुना गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- हाल ही में 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद' (United Nations Economic and Social Council-ECOSOC) की 'उच्च-स्तरीय आभासी बैठक' में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'पोस्ट COVID-19 पीरियड' में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस आभासी बैठक की थीम; 'COVID-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है' ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों पर केंद्रित थी।

निष्कर्ष:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बहस काफी समय से चल रही है किंतु अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति का न होना चिंता का विषय है। कथनों को मूर्त रूप देने और संयुक्त राष्ट्र की बहुसंख्यक सदस्यता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है।

PASSEX नौसैनिक मार्ग अभ्यास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के 'USS निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' के साथ एक मार्ग अभ्यास (PASSEX) का आयोजन किया। जब भी अवसर मिलता है, पूर्व नियोजित समुद्री ड्रिल के विपरीत, एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जापानी नौसेना और फ्राँसीसी नौसेना के साथ एक ऐसे ही PASSEX का संचालन किया था।

प्रमुख बिंदु

- PASSEX:
  - चार फ्रंटलाइन भारतीय नौसैनिक जहाज़ों में INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कामोर्ता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने अभ्यास का संचालन करने के लिये 'कैरियर USS निमित्ज' और तीन अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर काम किया।
  - USS निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक है।
- लक्ष्य:
  - अमेरिकी और भारतीय समुद्री बलों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना, एवं प्रशिक्षण तथा अंतर्समन्वयता को बढ़ावा देना, जिसमें वायु रक्षा भी शामिल है।
- प्रभाव:
  - यह समुद्री डकैती से लेकर हिंसक अतिवाद तक, समुद्री क्षेत्र में मौजूद संकट का सामना करने के लिये दोनों पक्षों की क्षमता को बढ़ाएगा।
    - एक स्वतंत्र और खुला समुद्री क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित आदेश को बढ़ावा देता है जिसमें प्रत्येक देश राष्ट्रीय संप्रभुता का त्याग किये बिना अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम होता है।
  - यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच पहले से मौजूद मज़बूत संबंधों को और दृढ़ बनाएगा और दोनों देशों को एक-दूसरे से सीखने के अवसर भी देगा।
- चीनी संदर्भ:
  - वर्तमान में भारत लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमाई गतिरोध का सामना कर रहा है, ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना द्वारा PASSEX का आयोजन काफी अहम् है।
    - इस अभ्यास का आयोजन ऐसे समय पर किया गया है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता जा रहा है, और अमेरिकी नौसेना ने USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन को शामिल करते हुए एक प्रमुख अभ्यास का भी आयोजन किया है।

- भारतीय नौसेना IOR में चीनी नौसैनिक जहाज़ों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रख रही है, एंटी-पायरेसी गश्ती के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2017 में चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला था।

तीसरी G-20 FMCBG बैठक

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई को भारत ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित हुई G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (Finance Ministers and Central Bank Governors-FMCBG) की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान COVID-19 महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ ही साल 2020 के लिये अन्य G20 वित्तीय प्राथमिकताओं पर भी बात की गई। पहली बैठक फरवरी 2020 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुई थी।

प्रमुख बिंदु

- G-20 कार्ययोजना:
  - G-20 कार्य योजना के महत्त्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया।
  - G-20 कार्ययोजना का 15 अप्रैल, 2020 को आयोजित बैठक में समर्थन किया गया था।
  - G-20 कार्ययोजना में स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, आर्थिक कदम, मज़बूत और सतत् रिकवरी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय के स्तंभों के तहत सामूहिक प्रतिबद्धताओं की एक सूची प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य महामारी से लड़ने में G-20 के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है।
- भारत की प्रतिक्रिया:
  - भारत ने COVID-19 के जवाब में आपूर्ति पक्ष और मांग के उपायों को संतुलित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
  - भारत ने रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करने की नीति और विशेष रूप से इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी (ईएमई) जैसे नीतिगत विकल्पों पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में भी चर्चा की।
  - COVID-19 लॉकडाउन से संबंधित एक्ज़िट रणनीतियों के दुष्प्रभावों को संबोधित करने में आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय पर भी चर्चा की गई।
- G-20 वित्तीय ट्रैक डिलिवरेबल्स (Finance Track deliverables): FMCBG ने सऊदी अरब प्रेसीडेंसी के तहत G-20 फाइनेंस ट्रैक डिलिवरेबल्स के घटनाक्रम पर चर्चा की। भारत ने ऐसे दो डिलिवरेबल्स पर चर्चा की:
  - पहला, महिलाओं, युवाओं और SME के लिये अवसरों तक पहुँच बढ़ाना और पहुँच के लिये नीतिगत विकल्पों का एक मेन्यू तैयार करना।
  - दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के एजेंडे और डिजिटल कराधान से संबंधित चुनौतियों का समाधान सरल, समावेशी और एक मज़बूत आर्थिक प्रभाव के आकलन पर आधारित हो।
  - महामारी से लड़ने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत कदमों को भी साझा किया गया, जिनमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कृषि और MSME क्षेत्रों को विशेष सहायता, ग्रामीण रोजगार गारंटी उपाय, आदि शामिल हैं।
  - भारत ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल पेमेंट ढाँचे (जो भारत ने पिछले पाँच वर्षों में तैयार किया है) का दोहन कर प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक नियोजित किया है।
  - यह संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative-USTR) के हालिया निर्णय के अनुरूप है, जिसमें नेटफ्लिक्स, Airbnb आदि अमेरिकी डिजिटल सेवा कंपनियों के राजस्व के संबंध में भारत सहित 10 देशों के विचाराधीन अथवा स्वीकृत कर के विषय में जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
    - डिजिटल कंपनियों के व्यवसाय पर कराधान इसलिये कठिन होता है क्योंकि सामान्यत: जिस अर्थव्यवस्था में ये व्यवसाय कर रही होती हैं वहाँ पर इनकी भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होती है।

- ये प्राय: कम कर प्रणालियों में (कम कर वाले देशों में) पंजीकृत होती हैं, जिससे ये अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभावित करती रहती हैं अर्थात् अधिक व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने के बाद भी उपरोक्त अर्थव्यवस्था में कम कर का भुगतान करती हैं।
- वर्तमान समय में विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ बहुत कम कर भुगतान कर रही हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है।

G-20

- G-20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- सामूहिक रूप से G-20 सदस्य विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत, वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करते हैं।
- G-20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। संयुक्त राष्ट्र (United Nation), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक (World Bank) के स्टाफ स्थायी होते हैं और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जबकि G20 का न तो स्थायी स्टाफ होता है और न ही हेड क्वार्टर, यह एक फोरम मात्र है।
- वर्ष 2020 में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है।
- वर्ष 2021 में इसका आयोजन इटली में किया जाएगा।

उत्पत्ति

- वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।

सदस्य:

- इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल है। जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

G20 समूह के उद्देश्य:

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत् आर्थिक संवृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना।
- वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना जो कि जोखिम (Risk) को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट (Financial Crisis) को रोकते हैं।
- एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर बनाना।

अमेरिका-चीन तकनीक युद्ध

चर्चा में क्यों?

बीते कुछ वर्षों में उद्योग विकास और तकनीक के मुद्दे पर अमेरिका तथा चीन के मध्य तनाव में काफी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, बीते एक दशक में वैश्विक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो दिग्गज देशों के बीच यह एक द्वंद्वयुद्ध के रूप में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मई माह में चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किये जाने पर अंकुश लगाते हुए अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध अधिरोपित किये थे।
- चीन के लिये यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है, जब वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों में 5G को शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सामान्यत: यह माना जा रहा है कि हुआवे 5G की इस इस प्रतियोगिता में सबसे आगे है।
- गौरतलब है कि विश्व के अधिकांश देशों को व्यावहारिक तौर पर 5G शुरू करने के लिये चीन की तकनीक की आवश्यकता होगी।
- किंतु चीन में 5G नेटवर्क अमेरिका से आए प्रमुख घटकों पर निर्भर करता है और चिपमेकिंग टूल के उपयोग पर नए अमेरिकी प्रतिबंध का अर्थ है कि हुआवे विशिष्ट प्रकार की चिप्स की आपूर्ति में कमी का सामना कर सकती है।

नोट :

अमेरिका-चीन तकनीक युद्ध

- अमेरिका में चीन की कंपनी हुआवे (Huawei) को लेकर सदैव से ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठते रहे हैं। वर्ष 2011 में हुआवे कंपनी ने अमेरिकी सरकार को एक खुला पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें कंपनी या उसके उपकरणों के बारे में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं से स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए अपने कॉर्पोरेट संचालन में संपूर्ण जाँच का अनुरोध किया गया था।
- इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी प्रशासन ने नवंबर 2011 में अमेरिका में व्यापार कर रही चीन की दूरसंचार कंपनियों के कारण उत्पन्न खतरों की जाँच शुरू की।
- वर्ष 2012 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में संबंधित समिति ने उल्लेख किया था कि हुआवे और चीन की एक अन्य दूरसंचार कंपनी ज़ेडटीई (ZTE) को विदेशी राष्ट्र जैसे चीन आदि के प्रभाव से मुक्त नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार ये कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती हैं।
- गौरतलब है अमेरिका के संघीय संचार आयोग (FCC) ने अमेरिका के सुरक्षा संबंधी हितों को ध्यान में रखते हुए चीन की कंपनी हुआवे और ज़ेडटीई (ZTE) के उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही आयोग ने दोनों कंपनियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरे के रूप में भी नामित किया था।
- अधिकांश विशेषज्ञ अमेरिका और चीन के बीच इस तनाव को एक 'तकनीकी शीत युद्ध' के रूप में देख रहे हैं और उनका मानना है कि यह तकनीक युद्ध अमेरिका-चीन की परिधि से भी आगे जा सकता है और भारत समेत विभिन्न देशों के हितों को प्रभावित कर सकता है।
- इसे प्रौद्योगिकी पर एक भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जो कि संपूर्ण विश्व को मुख्यत: दो अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
- अमेरिका ने हुआवे को इस आधार पर प्रतिबंधित किया है कि उसके द्वारा विकसित किये गए उपकरणों का प्रयोग जासूसी के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाज़ार में चीन का वर्चस्व

- प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाज़ार में चीन की यात्रा की शुरुआत टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) के साथ ही हुई थी, इस प्रकार प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाज़ार में चीन के वर्चस्व को समझने के लिये आवश्यक है कि चीन की टेक कंपनी हुआवे की विकास यात्रा को समझा जाए।
- असल में हुआवे (Huawei) कंपनी की शुरुआत ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक पूर्व डिप्टी रेजिमेंटल चीफ द्वारा 1980 के दशक के अंत में की गई थी।
- हुआवे ने अपने कार्य की शुरुआत हॉन्गकॉन्ग से आयातित PBX स्विच (PBX Switches) के पुनर्विक्रेता के रूप में की थी।
- कंपनी ने धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया और अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को 170 से अधिक देशों तक पहुँचा दिया।
  - वर्ष 2012 में चीन की कंपनी हुआवे (Huawei) ने विश्व की सबसे बड़े टेलीकॉम उपकरण निर्माता के रूप में एरिक्सन (Ericsson) को पीछे छोड़ दिया।
- वहीं कंपनी ने वर्ष 2018 में विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता के रूप में एप्पल (Apple) को पीछे छोड़ दिया।
- आँकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष 2019 में कंपनी का कुल वार्षिक राजस्व 122 बिलियन डॉलर था, वहीं कंपनी में लगभग 194,000 कर्मचारी कार्यरत थे।
- इस प्रकार कंपनी के विकास के साथ प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बाज़ार में चीन का वर्चस्व बढ़ता गया। वर्तमान में हुआवे कंपनी वैश्विक स्तर पर चीन के उदय का प्रतिक बनी हुई है।

चीन-अमेरिका तकनीक युद्ध में भारत की स्थिति

- दिसंबर 2009 में दूरसंचार विभाग (DoT) ने चीन के उपकरणों पर लगे जासूसी के आरोप के बाद भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनियों से स्पष्ट तौर पर कहा था कि चीन की उपकरण निर्माता कंपनियों के साथ सभी सौदों को निलंबित कर दिया जाए।
- हालाँकि इसके बाद से भारत तटस्थ स्थिति में रहा है और भारत ने कभी भी अपने टेलीकॉम उपकरण उद्योग से चीनी कंपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है।

- दरअसल, भारत की अधिकतर टेलीकॉम कंपनियों के विकास में चीन की कंपनियों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्तर पर काफी समर्थन किया है।
- हालाँकि लद्दाख में हुए गतिरोध के पश्चात् भारत ने राज्य के स्वामित्त्व वाले सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क अनुबंध के दायरे से चीनी कंपनियों को बाहर करने के लिये कहा था।
    - सरकार के इस निर्णय को भारतीय बाज़ार में चीन से आने वाली तकनीक और निवेश के वर्चस्व पर अंकुश लगाने के व्यापक निर्णय के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत ने चीन कुल 59 एप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
- हालाँकि भारत ने अभी तक चीन की कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके कारण भारतीय बाज़ार को भी काफी नुकसान पहुँच सकता है, किंतु भारत और चीन के बीच हो रहा सीमा संघर्ष तथा इस विषय में अमेरिका की कार्रवाई भारत को भी चीन के विरुद्ध कार्रवाई करने अथवा कोई बड़ा कदम उठाने के लिये मज़बूर कर सकता है।

आगे की राह

- इस संबंध में उपलब्ध डेटा के अनुसार, विश्व के कई देशों में चीन की दिग्गज टेक कंपनी हुआवे को या तो पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है अथवा उसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वर्जित कर दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने चीन की कंपनी को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- ऐसे में आवश्यक है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच की जाए और इस जाँच के दौरान सभी हितधारकों को अपना प्रतिनिधित्त्व करने का अवसर दिया है।
- जानकर मानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे इस तकनीकी द्वंदयुद्ध से विश्व के कई अन्य देश भी प्रभावित हो सकते है, ऐसे में अमेरिका और चीन दोनों ही देशों को यह ध्यान रखना चाहिये कि उनके व्यक्तिगत हितों के टकराव में विश्व के छोटे और विकासशील देशों को समस्या का सामना न करना पड़े।

'क्वाड पहल' को पुनर्जीवित और विस्तारित करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

चीन के साथ भारत तथा अन्य देशों जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि के बढ़ते तनाव के बीच भारत को अपनी सामुद्रिक रक्षा रणनीतियों जैसे क्वाड आदि को नए तथा विस्तारित स्वरूप में प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिये इन देशों को एक साथ लाता है।

क्वाड की पृष्ठभूमि:

वर्ष 2004 की सुनामी और क्वाड:

- क्वाड अवधारणा की उत्पत्ति 26 दिसंबर, 2004 को आई एशियाई सुनामी से मानी जा सकती है।
- भारत सेना ने अपने जहाज़ों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों को सहायता प्रदान करके अपनी विश्वसनीयता साबित की।

ओकिनावा तट पर सैन्य अभ्यास:

- वर्ष 2007 में मालाबार अभ्यास पहली बार हिंद महासागर के बाहर जापान के ओकिनावा द्वीप के पास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भाग लिया।

- इस अभ्यास के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसे 'चतुर्भुज पहल' (Quadrilateral Initiative) नाम दिया गया।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास:

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।
- भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 'मालाबार नौसैनिक अभ्यास' में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

क्वाड के समक्ष चुनौतियाँ:

- चीन के क्षेत्रीय दावे तथा देशों के साथ विवाद;
- आसियान देशों के साथ चीन की निकटता;
- चीन की आर्थिक शक्ति;
- क्वाड देशों के बीच व्यापार जैसे अनेक मामलों को लेकर टकराव;

क्वाड में नवीन सुधारों की आवश्यकता:

औपचारिक स्वरूप देने की आवश्यकता:

- क्वाड को औपचारिक स्वरूप देकर इसके पुनरुद्धार और पुन: स्फूर्ति के साथ प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

विस्तार की आवश्यकता:

- समूह में समान विचारधारा रखने वाले अन्य देशों को भी शामिल करने की आवश्यकता है।
- ऐसे देश जिनका चीनी के साथ समुद्री सीमा विवाद है तथा शांति बनाए रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र के समुद्र संबंधी कानून के पालन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन देशों को मिलाकर 'इंडो-पैसिफिक समझौते' जैसी पहल प्रारंभ की जा सकती है।

निष्कर्ष:

- भारत एक परमाणु-हथियार संपन्न, प्रमुख भूमि/वायु शक्ति, साथ ही बढ़ती अर्थव्यवस्था और आकर्षक बाज़ार के रूप में भारत की पहचान से पूरा विश्व परिचित है। वर्तमान में भारत इंडो-पैसेपिक में अपनी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है, इसके लिये भारत को समुद्र आधारित शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्र में प्रभावी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।

LAC के संदर्भ में चीन के दावे में अंतर

चर्चा में क्यों?

वर्ष 1960 की भारत-चीन सीमा वार्ता के आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, वर्तमान में चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) और गलवान घाटी (Galwan Valley) में वर्ष 1960 के अपने दावे वाले क्षेत्र से बहुत आगे आ गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 15 जून, 2020 को गलवान नदी के घुमाव के पास चीनी सैनिकों द्वारा टेंट लगाने के कारण दोनों पक्षों में हुई हिंसक झड़पों में 20 भारतीय और कई (संख्या अज्ञात) चीनी सैनिकों की मृत्यु हो गई।
- आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, यह स्थान वर्ष 1960 में क्षेत्र में चीन के दावे से बहुत बाहर है।
- आधिकारिक दस्तावेज़ 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) की स्थिति के संदर्भ में चीन के दावे का खंडन करते हैं।

- साथ ही यह हाल ही में कुछ शीर्ष भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान पर भी प्रश्न उठाते हैं, जिसमें कहा गया कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में नहीं मौजूद है।

वर्तमान सीमा समस्या:

- पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) क्षेत्र में LAC के संदर्भ में चीन की वर्तमान दावे और आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज इसकी अवस्थिति की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1960 के बाद से चीन LAC से 8 किमी पश्चिम के क्षेत्र में दाखिल हो चुका है।
- चीन के हालिया दावे के अनुसार, फिंगर 4 (Finger 4) तक का हिस्सा चीनी अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि भारत फिंगर 8 को LAC की वास्तविक भौतिक स्थिति बताता है।
  - पैंगोंग झील के तट पर स्थित पर्वत स्कंदों (Mountain Spurs) को 'फिंगर' के नाम से संबोधित किया जाता है। इस क्षेत्र में ऐसे 8 पर्वत स्कंद हैं जो 1-8 तक पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ फैले हैं।
- इससे पहले भी चीन ने वर्ष 1999 में फिंगर-4 तक एक सड़क का निर्माण कर क्षेत्र पर अपने प्रभुत्त्व को स्थापित किया था, परंतु हाल ही में चीन फिंगर-8 पर स्थित LAC तक भारत के संपर्क को पूरी तरह रोकते हुए प्रभावी रूप से 8 किमी पश्चिम की तरफ आ गया है।
- चार दौर की कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता के बाद चीन की सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 पर पीछे हट गई है, जबकि भारतीय सेना पश्चिम की तरफ आते हुए फिंगर 2 पर आ गई।

सीमा वार्ता:

- केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ों के अनुसार, वर्ष 1960 की सीमा वार्ता के समय चीन ने क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र के दावे को रेखांकित/स्पष्ट किया था।
- वर्ष 1960 में दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के शीर्ष नेता 'झोउ एनलाई' (Zhou Enlai) के बीच हुई सीमा वार्ता के दौरान इस गतिरोध को रोकने में असफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के अधिकारी दोनों पक्षों के दावों के समर्थन के लिये एक दूसरे के तथ्यात्मक दस्तावेज़ों की जाँच के लिये पुन: मिलेंगे।
- इसके पश्चात दोनों पक्षों के बीच 3 दौर की बैठकों का आयोजन किया गया।
- इसके तहत 15 जून, 1960 से 25 जुलाई, 1960 के बीच बीजिंग में पहले दौर की बैठक , 19 अगस्त, 1960 से 5 अक्तूबर, 1960 तक दिल्ली में दूसरे दौर की बैठक का आयोजन किया गया।
- 12 दिसंबर, 1960 को रंगून (वर्तमान यांगून) में आयोजित तीसरे दौर की बैठक में एक आधिकारिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गए ।
- इस रिपोर्ट में चीन द्वारा LAC की अवस्थिति के संदर्भ में स्वीकार किये गए निर्देशांक (देशांतर 78 डिग्री 49 मिनट पूर्व, अक्षांश 33 डिग्री 44 मिनट उत्तर) फिंगर 8 के क्षेत्र के आस-पास के हैं।
- इसी प्रकार वर्तमान में चीन वर्ष 1960 की रिपोर्ट में गलवान घाटी में LAC की अवस्थिति के संदर्भ में गए निर्देशांक वाले क्षेत्र से काफी आगे आ चुका है।
- वर्ष 1960 के दस्तावेजों के अनुसार, गलवान घाटी में LAC गलवान नदी के मोड़ जिसे Y-नाला (Y-Nallah) भी कहते हैं, के पूर्वी भाग से होकर गुजरती थी।
  - भारत और चीन के सैनिकों के बीच हालिया झड़प Y-नाला क्षेत्र में ही हुई थी।

चीन की बढती आक्रामकता का कारण:

- भारत और अमेरिका के बीच परस्पर सहयोग में वृद्धि को सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता का एक कारण माना जा सकता है।
- पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने और अप्रैल 2020 में भारत की थल सीमा से सटे देशों से आने वाले 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment- FDI) पर नियम सख्त करने के भारत सरकार के निर्णय से भारत-चीन तनाव में वृद्धि हुई थी।
- भारत द्वारा सीमा से सटे क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने (जैसे-दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' सड़क का निर्माण) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते वर्चस्व से भी चीन संतुष्ट नहीं रहा है।

नोट :

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में LAC के आस-पास रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे सीमा पर स्थिति सुदूर और दुर्गम गश्ती इलाकों में सेना का वर्चस्व बड़ा है।
- भारत को इलेक्ट्रानिक उत्पादों और 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API) जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी आयात पर निर्भरता को शीघ्र ही कम करने का प्रयास करना चाहिये।
- सीमा पर हिंसक झड़पों को रोकने के लिये द्विपक्षीय बैठकों के अतिरिक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिये 'क्वाड' (QUAD) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमता और सक्रियता को बढ़ाया जाना चाहिये

चीन द्वारा भूटान को भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने एक बार पुन: वर्ष 1996 के भू-हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए भूटान और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के लिये भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन ने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र (डोकलाम सहित) के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया है ।
- गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1996 में चीन ने भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किमी. की चारागाह भूमि के बदले उत्तर में 495 वर्ग किमी के घाटियों वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था।
- इस समझौते से भूटान को दोहरा लाभ प्राप्त हो सकता था। इस समझौते से भूटान को पहले से अधिक भूमि प्राप्त होती और साथ ही चीन के साथ उसके सीमा विवाद का भी अंत हो जाता।
- परंतु यह समझौता भारत के लिये एक बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि डोकलाम क्षेत्र के चीन के अधिकार में आने के बाद यह चीनी सेना को 'सिलीगुड़ी गलियारे' (Siliguri Corridor) के रणनीतिक रूप से संवेदनशील 'चिकन नेक' (Chicken Neck) तक की सीधी पहुँच प्रदान करेगा।

भूटान की पूर्वी सीमा पर अधिकार का दावा:

- इस प्रस्ताव के अतिरिक्त हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय ने भूटान के 'सकतेंग' (Sakteng) शहर के निकट स्थित पूर्वी सीमा पर भी अपने अधिकार के दावे को दोहराया है।
- चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, चीन और भूटान के बीच सीमा का निर्धारण किया जाना बाकी है तथा वर्तमान में दोनों देशों की सीमा पर मध्य, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से विवादित हैं।
- हालाँकि भूटान ने 'सकतेंग' क्षेत्र में चीन के दावे का विरोध किया है। भूटान के अनुसार, वर्ष 1984 से भूटान और चीन की सीमा वार्ताओं में सिर्फ दो क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
  - पहला उत्तर (जिसे चीन मध्य क्षेत्र बताता है) में पसमलंग (Pasamlung) और जकरलुंग (Jakarlung) घाटी।
  - दूसरा पश्चिम में डोकलाम और अन्य चारागाह।
- अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई भूटान की पूर्वी सीमा पर चीन और भूटान के बीच कोई विवाद नहीं रहा है।
- वर्ष 1984 से वर्ष 2014 के बीच भूटान और चीन के बीच हुई 24 दौर की सीमा वार्ताओं में भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित 'सकतेंग' क्षेत्र के मुद्दे को कभी भी नहीं उठाया गया था।

उद्देश्य:

- विशेषज्ञों के अनुसार, चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने की एक नई रणनीति हो सकती है।

- साथ ही चीन ने भूटान को इस बात का भी संकेत देने का प्रयास किया है कि यदि भूटान चीन के प्रस्ताव को नहीं मानता है, तो भविष्य में चीन का दावा बढ़ सकता है।
- गौरतलब है कि 2-3 जून, 2020 को आयोजित 'वैश्विक पर्यावरण सुगमता' (Global Environment Facility- GEF) की एक ऑनलाइन बैठक में भूटान के सकतेंग क्षेत्र को विवादित क्षेत्र बताते हुए 'सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य' (Sakteng Wildlife Sanctuary) के विकास हेतु आर्थिक सहायता को रोकने का प्रयास किया था।
- इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में भी भारत के समक्ष इसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके बाद वर्ष 1985 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 'तवांग' क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया।

भारत पर प्रभाव:

- डोकलाम क्षेत्र में चीन की पहुँच भारत के लिये एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती है।
- वर्ष 2017 के डोकलाम विवाद के समय भी भारतीय सेना की कार्रवाई का उद्देश्य भूटान की सहायता के साथ-साथ रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र को चीनी हस्तक्षेप से बचाना था।
- हालाँकि भूटान ने डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण के प्रयास को भूटान और चीन के बीच 1988 और 1998 की संधि का उल्लंघन बताया था।
- वर्ष 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के तहत दोनों ही देशों ने राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत-भूटान मैत्री संधि:

- इस संधि पर 8 अगस्त, 1949 को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस संधि के तहत भारत को विदेश मामलों (अनुच्छेद-2) और रक्षा से जुड़े मामलों में भूटान को सलाह देने पर सहमति व्यक्त की गई थी।
- अगस्त 2007 में इस संधि में सुधार करते हुए दोनों देशों के बीच एक नई संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2007 की संधि में भूटान की संप्रभुता जैसे मुद्दों को सम्मान देने की बात कही गई।
- इस संधि में भारत द्वारा भूटान को अनिवार्य सैन्य सहायता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु वास्तव में आज भी भारतीय सेना भूटान को चीन की किसी आक्रामकता से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।

आगे की राह:

- भूटान के एक अधिकारी के अनुसार, भूटान की सीमा में चीन के किसी नए दावे से जुड़े मुद्दे को दोनों देशों की अगली सीमा वार्ता में उठाया जाएगा।
    - गौरतलब है कि वर्ष 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए 90 दिनों के गतिरोध के बाद से भूटान-चीन वार्ता को स्थगित कर दिया गया है।
- भारत के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए डोकलाम क्षेत्र को चीनी हस्तक्षेप से दूर रखना बहुत ही आवश्यक है।

G-20 वर्चुअल बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'G-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों' (G-20 Digital Economy Ministers) की एक वर्चुअल बैठक के दौरान केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सभी डिजिटल प्लेटफार्मों को नागरिकों के डेटा (Data) की गोपनीयता और इसकी रक्षा से जुड़ी चिंताओं के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी होने की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- 22 जुलाई, 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G-20 समूह के तहत 'G-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों' की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वर्तमान में डेटा के क्षेत्र में नवाचार और डेटा के स्वतंत्र प्रवाह के साथ-साथ हमें डेटा की संप्रभुता को समझना बहुत ही आवश्यक है।

- साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि डेटा पर पूर्ण रूप से संबंधित संप्रभु राष्ट्र का अधिकार होना चाहिये।
- हालाँकि सुरक्षा के साथ-साथ डेटा क्षेत्र में नवाचारों को अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है अत: दोनों में संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है।
- इन चिंताओं को देखते हुए विश्व भर में उपस्थिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को विश्वसनीय और सुरक्षित होना चाहिये।
  - गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन से जुड़े हुए 59 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया था।

COVID-19 और डिजिटल तकनीकी:

- इस बैठक में केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने COVID-19 के नियंत्रण हेतु भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। '
- उन्होंने इस महामारी को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु एप, क्वारंटाइन चेतावनी प्रणाली (COVID-19 Quarantine Alert System- CQAS) और COVID-19 सावधान (बल्क मैसेजिंग प्रणाली) के महत्त्वपूर्ण योगदान से जुड़े अनुभव साझा किये।

डेटा (Data):

- सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में डेटा से आशय जानकारियों और सूचनाओं के ऐसे स्वरूप से है जो कंप्यूटर के पढ़ने या प्रसंस्करण (Processing) के लिये उपयुक्त होता है।
- सामान्य भाषा में देखा जाए तो दैनिक जीवन में लोगों द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा भेजे जाने वाले संदेश, चित्र, सोशल मीडिया की गतिविधियाँ और ऑनलाइन खरीद की जानकारी से लेकर फिंगर प्रिंट, संवेदनशील सरकारी दस्तावेज़ आदि डेटा का उदाहरण हैं।

डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता क्यों?

- हाल के वर्षों में वैश्विक बाज़ार में डेटा नईं पूंजी बनकर उभरा है, डेटा स्थानीयकरण के कुछ महत्त्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं-
  - राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता: डेटा के स्थानीयकरण के माध्यम से राष्ट्रीय हितों (आर्थिक और रणनीतिक) में इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही डेटा से जुड़ी किसी गैर-कानूनी गतिविधि की स्थिति में भारतीय कानूनों के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  - आर्थिक हित: डेटा स्थानीयकरण से स्थानीय उद्योगों को बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा में मज़बूत बढ़त प्राप्त होगी जिससे देश में आधारभूत संरचना के विकास के साथ स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न किये जा सकेंगे। साथ ही यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) जैसे तकनीकी क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देनी में भी सहायक होगा।
  - नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण: डेटा के स्थानीयकरण से लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों की गोपनीयता और सुरक्षा (Privacy and Security) को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आसानी से कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

G-20 देश और डेटा सुरक्षा:

- 22 जुलाई की बैठक के अंत में एक मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र जारी किया गया।
- इसके अनुसार- डेटा, सूचना, विचारों और ज्ञान का सीमा पार प्रवाह से उच्च उत्पादकता, उन्नत नवाचार और बेहतर सतत् विकास को को बढ़ावा मिलता है।
- हालाँकि इस घोषणापत्र में इस बात को स्वीकार किया गया कि डेटा का मुक्त प्रवाह कुछ चुनौतियों (जैसे-गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा) को बढ़ाता है।
- इस घोषणापत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने और मापने के लिये "डिजिटल अर्थव्यवस्था को मापने हेतु सामान्य रूपरेखा" (Common Framework for Measuring the Digital Economy) नामक G-20 रोडमैप को शामिल किया गया।
  - इसमें शामिल संकेतक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और नवाचारों, समाज को सशक्त बनाने, नौकरियों और कौशल विकास से संबंधित हैं।
  - इस घोषणा-पत्र में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये मानव केंद्रित दृष्टिकोण' (human-centered approach to AI) पर बल दिया गया।

डेटा सुरक्षा से जुड़े मतभेद:

- राष्ट्रीय सीमाओं के बीच डेटा के प्रवाह को प्रतिबंधित करने और डेटा संरक्षण कानूनों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर देशों के बीच बड़ा मतभेद रहा है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जापान के ओसाका शहर में आयोजित G-20 देशों के 14 वें शिखर सम्मेलन के दौरान G-20 देशों ने 'ओसाका ट्रैक' (Osaka track) फ्रेमवर्क के तहत राष्ट्रीय सीमाओं के बीच डेटा के प्रवाह को प्रोत्साहित किया था।
- परंतु भारत ने डेटा-स्थानीयकरण की विचारधारा का समर्थन करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।

डेटा सुरक्षा हेतु भारत सरकार के प्रयास:

- भारत में शीघ्र ही एक मज़बूत व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जो न सिर्फ नागरिकों की डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगा बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास के लिये डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- भारत में किसी व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर में सग्रहित डेटा से छेड़छाड़, किसी की निजता का उल्लंघन, डेटा का अनधिकृत उपयोग, फर्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में 'सूचना तकनीक अधिनियम, 2000' के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

अन्य प्रयास:

- वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने डेटा संरक्षण पर एक मसौदा प्रस्तुत किया था।
- इस मसौदे के तहत व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के संदर्भ में कड़े नियमों का सुझाव दिया गया था।

आगे की राह:

- इस बैठक के दौरान G-20 देशों के सदस्यों ने डेटा के मुक्त प्रवाह से जुड़ी चुनौतियों को उपयुक्त कानूनों के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। जिससे बिना किसी पक्षपात के डेटा के मुक्त प्रवाह को अधिक सुविधाजनक बनाते हुए उपभोक्ता और व्यापार के विश्वास (Consumer and Business Trust)को मज़बूत किया जा सके।
- वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ डेटा का महत्त्व हर क्षेत्र के भविष्य के लिये निर्णायक हो गया है ऐसे में नागरिकों की निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी विकास आदि जैसे पहलुओं को देखते हुए डेटा सुरक्षा और इसका स्थानीयकरण बहुत ही आवश्यक है।

इंडिया आइडियाज़ समिट

चर्चा में क्यों

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा आयोजित 'इंडिया आइडियाज़ समिट' (India Ideas Summit) को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया आइडियाज़ समिट
  - 'इंडिया आइडियाज़ समिट' (India Ideas Summit) की मेजबानी अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा की गई और इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'बेहतर भविष्य का निर्माण' (Building a Better Future) है।
  - उद्देश्य: इस समिट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) द्वारा मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है।
  - इस वर्ष का समिट 21 और 22 जुलाई, 2020 को आभासी तौर पर आयोजित किया गया। इस समिट के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किये गए जिसमें प्रत्येक सत्र भारत से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित था।
  - इस दौरान प्रत्येक सत्र में राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि को अपने विचार और राय साझा करने के लिये आमंत्रित किया गया था।

अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC)

- अमेरिका और भारतीय सरकारों के अनुरोध पर वर्ष 1975 में गठित अमेरिका-भारत व्यापार परिषद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है, जिसमें 300 से अधिक शीर्ष स्तरीय अमेरिकी और भारतीय कंपनियाँ शामिल हैं, जो अमेरिका-भारत के व्यापारिक संबंधों को आगे बढाने की दिशा में कार्य रही हैं।
- अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (USIBC) का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
- अमेरिका-भारत व्यापार परिषद का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच एक समावेशी द्विपक्षीय व्यापार तंत्र का निर्माण करना है, ताकि दोनों देशों में उद्यमिता की भावना को पोषित किया जा सके और रोज़गार सृजित किया जा सके।

अमेरिका- भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
- संबंधित आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था, इस प्रकार बीते वर्ष के मुकाबले वर्ष 2019-20 में भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
- अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। गौरतलब है कि अमेरिका वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना था।
- प्रधानमंत्री का संबोधन
  - 'इंडिया आइडियाज़ समिट' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे के मूल में गरीबों और कमज़ोरों को रखने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि 'ईज़ ऑफ लिविंग' भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना 'ईज़ ऑफ बिज़नेस' है।
  - प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान के ज़रिये एक समृद्ध एवं सशक्त दुनिया बनाने में अपना योगदान दे रहा है।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का आदर्श सम्मिश्रण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते छह वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा खुला और सुधार उन्मुख बनाने के प्रयास किये गए हैं। साथ ही इन सुधारों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता, अधिक पारदर्शिता, डिजिटलीकरण का विस्तार, ज़्यादा नवाचार और ज़्यादा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
  - प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने हाल ही में कृषि क्षेत्र में किये गए ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और कृषि सुधार

- आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त के तहत कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ प्रमुख घोषणाएँ की गई थी, इसमें शामिल थीं-
  - सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (MFE) को औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ 'वैश्विक पहुँच वाली वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local with Global Outreach) योजना शुरू की जाएगी।
  - समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिये 20,000 करोड़ रुपए की 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा' योजना की घोषणा।
  - पशु संबंधी रोगों को समाप्त करने के लिये सरकार 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' शुरू करेगी।
  - इसके अलावा सरकार द्वारा कई अन्य घोषणाएँ भी की गई थीं, जिनमें मधुमक्खी पालन संबंधी पहल और पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष आदि शामिल थे।

सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने संबंधी नियमों में सख्ती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (General Financial Rules 2017) में संशोधन करते हुए भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों की ओर से सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर कुछ प्रतिबंध अधिरोपित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध
  - वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों का कोई भी बोलीदाता भारत की किसी भी सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने के लिये तभी पात्र होगा, जब वह बोलीदाता उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत होगा।
  - इसके अलावा क्रमशः विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मंज़ूरी भी अनिवार्य होगी।
  - कारण: भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं पर इस प्रकार के प्रतिबंध मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हितों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अन्य कारणों के मद्देनज़र लिया गया है।
- राज्यों पर भी लागू होगा आदेश
  - वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश राज्य सरकारों पर भी लागू होगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
  - गौरतलब है कि राज्य सरकार के संबंध में मंज़ूरी के लिये सक्षम प्राधिकरण का गठन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, किंतु इस स्थिति में भी क्रमशः गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मंज़ूरी अनिवार्य होगी।
  - उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जारी यह आदेश सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएँ आदि पर लागू होगा।
- नियम में अपवाद और छूट
  - ध्यातव्य है कि सरकार ने कुछ सीमित मामले में इस नियम के तहत छूट भी प्रदान की है, जिसमें 31 दिसंबर, 2020 तक COVID-19 से संबंधित चिकित्सा आपूर्ति की खरीद शामिल है।
  - सरकार द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, जिन देशों को भारत सरकार द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit) प्रदान किया है अथवा जिन्हें सरकार विकास संबंधी सहायता प्रदान करती है, उन्हें पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।
  - सरकार का प्रतिबंध संबंधी आदेश सभी नई निविदाओं (Tenders) पर लागू होगा।
  - वहीं पहले से आमंत्रित निविदाओं के मामले में, यदि मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, तो नए आदेश के तहत पंजीकृत न होने वाले बोलीदाताओं को योग्य नहीं माना जाएगा।
  - यदि पहला चरण पूरा कर लिया गया है, तो नियमों के अनुसार, आमंत्रित निविदाओं को रद्द कर दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को पुनः नए सिरे से शुरू किया जाएगा।
- इस कदम के निहितार्थ
  - वर्तमान में भारत कुल 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्याँमार के साथ थल सीमाएँ साझा करता है।
  - गौरतलब है कि भारत सरकार ने अपने आदेश के माध्यम से बांग्लादेश, नेपाल और म्याँमार जैसे देशों को छूट प्रदान की है, जिन्हें या तो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit) प्रदान किया है या फिर भारत उनको विकास संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है।
  - ऐसे में इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव चीन और पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा और इन देशों के बोलीदाताओं को अब सार्वजनिक खरीद में हिस्सा लेने से पूर्व सरकार से मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी।
  - कई विशेषज्ञ भारत सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई को चीन के विरुद्ध एक बड़ी दंडात्मक व्यापार कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीन के बोलीदाताओं को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

FDI संबंधी नियमों पर भी प्रतिबंध

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा (Land Border) से जुड़े पड़ोसी देशों से 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment- FDI) के लिये सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया था।

- संबंधित आदेश के अनुसार, ऐसे सभी विदेशी निवेश के लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी जिनमें निवेश करने वाली संस्थाएँ या निवेश से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से हो।
- केंद्र सरकार के इस इस नियम का मुख्य उद्देश्य COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' को रोकना है।

श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंकाई मछुआरों ने अपने प्रादेशिक जल (श्रीलंका के पश्चिमी क्षेत्र) में भारतीय ट्रोलर्स की संख्या में अचानक वृद्धि होने की सूचना दी।

- प्रादेशिक प्रदेश आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। इसके हवाई क्षेत्र, समुद्र, सीबेड और सबसॉइल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है।

पृठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के बारे में
  - वर्ष 1974 तक बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से स्वतंत्र रूप से भारतीय नाविक इस विवादित समुद्री जलक्षेत्र में मछली पकड़ थे।
  - विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line-IMBL) का सीमांकन करने के लिये संधियों पर हस्ताक्षर किये गए।
    - हालाँकि ये संधियाँ उन पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों के हितों को नज़रअंदाज़ करती है जो मत्स्यन हेतु स्वयं को एक सीमित क्षेत्र तक रखने के लिये बाध्य है।
- कच्चातिवु द्वीप विवाद:
  - इस द्वीप का उपयोग मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को छाँटने और अपना जाल सुखाने के लिये किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के दूसरी तरफ स्थित हैं।
  - ऐसे करने में पारंपरिक मछुआरे अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते हैं क्योंकि गहरे समुद्र से खाली हाथ लौटने के बजाय मछली पकड़ने के लिये वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार कर जाते हैं उनके ऐसा करने पर श्रीलंकाई नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले भारतीय मछवारों को पकड़कर या तो उनके जाल को नष्ट कर देती है या फिर उनके जहाज़ों को हिरासत में ले लेती हैं।
- समझौतों का व्यावहारिक कार्यान्वयन:
  - दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा दोनों ओर के मछुआरों की समस्या के समाधान के लिये कुछ व्यावहारिक तरीकों पर सहमति व्यक्त की गई है। जिनके माध्यम से मछुआरों को मानवीय तरीके से हिरासत में लिया जायेगा।
  - दोनों देशों के मछुआरों की इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने एवं उनकी मदद करने के लिये भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare of India) और मत्स्य मंत्रालय (Ministry of Fisheries) तथा श्रीलंका के जलीय संसाधन विकास मंत्रालय के मध्य मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह (Joint Working Group- JWG) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदम:

- पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका द्वारा गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर कड़े प्रतिबंध एवं कानून लागू किये गए हैं इसके अलावा विदेशी जहाज़ों को नष्ट करने के साथ-साथ उनपर भारी जुर्माना भी आरोपित किया गया है।
- श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अवैध शिकार के आरोप में वर्ष 2017 में 450 से अधिक भारतीय मछुआरों तथा वर्ष 2018 में 156 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वर्ष 2019 में कुल 210 गिरफ्तारियां की गईं, जबकि 2020 में अब तक 34 मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं।

- कोविड-19 का खतरा:
  - श्रीलंकाई मछुआरों का आरोप हैं कि वर्तमान में भारत में COVID-19 महामारी के कारण, श्रीलंकाई नौसेना तमिलनाडु से आने वाले मछुआरों को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं।
  - हालाँकि, श्रीलंका नौसेना द्वारा इस बात का खंडन करते हुए कहा गया है कि श्रीलंका समुद्री सीमा क्षेत्र में न केवल अवैध तरीके से मछली पकड़ने वालों पर बल्कि नशीले पदार्थों के व्यापार जैसी किसी भी अवैध गतिविधि पर भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा नज़र रखी जा रही है।

आगे की राह

- भारत को श्रीलंका के साथ अपने पारंपरिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
- भारत और श्रीलंका के मध्य फेरी सेवा शुरू करके दोनों देशों के लोगों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा दोनों देशों को पारस्परिक हितों और समस्याओं को संबोधित करने पर बा देना चाहिये

मुक्त व्यापार समझौता: भारत और ब्रिटेन

चर्चा में क्यों?

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee-JETCO) की 14वीं बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreeme-FTA) के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच हाल ही में आयोजित 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee-JETCO) की बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा की गई।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री एलिज़ाबेथ ट्रस (Elizabeth Truss) ने संयुक्त तौर पर इस बैठक की अध्यक्षता की।
- 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति- मुख्य निर्णय
  - संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की 14वीं बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार बाधाओं को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
  - बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में प्रारंभिक उपायों के तौर पर दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से सीमित व्यापार समझौते करेंगे।
  - बैठक में यह भी तय किया गया है कि मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संबंध में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिये पीयूष गोयल और एलिज़ाबेथ ट्रस के नेतृत्व में आगामी दिनों में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ब्रिटेन में उनके समकक्ष रानिल जयवर्धने (Ranil Jayawardena) इस संबंध में वार्ता को आगे बढाने के लिये मासिक बैठकों का आयोजन भी करेंगे।

संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति

- संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) ब्रिटेन की कंपनियों को अपनी पहुँच बढ़ाने और भारतीय व्यवसायों तथा नीति निर्माताओं के साथ नई साझेदारी विकसित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- JETCO के माध्यम से सरकार-से-सरकार के स्तर की वार्ता का आयोजन किया जाता है और इन वार्ताओं में बाज़ार उदारीकरण तथा बाज़ार पहुँच के मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

मुक्त व्यापार समझौता और भारत

- सामन्यत: मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का प्रयोग दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।
  - मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात-निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा (Quotas) आदि को सरल बनाया जाता है।
- गौरतलब है कि मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, सार्वजनिक खरीद तथा प्रतिस्पर्द्धा संबंधी नीतियों को भी कवर किया जाता है।
- बीते कुछ दिनों में भारत की मुक्त व्यापार संबंधी नीति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) तथा ब्रिटेन जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि भारतीय निर्यातकों के लिये एक प्रमुख बाज़ार हैं।
- बीते दिनों विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा था कि 'मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) ने भारत के क्षमता निर्माण में कुछ खास मदद नहीं की है।'
  - हालाँकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि सभी FTAs एक समान नहीं है।

भारत और ब्रिटेन- आर्थिक संबंध

- भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और भारत में एक बड़ी संख्या में मौजूद मध्य वर्ग ब्रिटिश निर्यातकों के लिये एक मुख्य आकर्षण है।
- आँकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष भारत और ब्रिटेन के बीच कुल 24 बिलियन पाउंड (Pound) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
- बीते दिनों ब्रिटेन सरकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (DIT) द्वारा जारी आँकड़ों में सामने आया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत, ब्रिटेन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया था।
- ध्यातव्य है कि भारत और ब्रिटेन एक मज़बूत और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं।
- ब्रिटेन, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रिटेन, भारत के शीर्ष 25 व्यापारिक भागीदारों की सूची में 15वें स्थान पर था।

भारत-इंडोनेशिया: सैन्य संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योगों एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग के विस्तार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

- भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व देश के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबिआंतो (General Prabowo Subianto) ने किया, जो दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के पारस्परिक संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से वर्तमान में भारत की यात्रा पर हैं।
- इस वार्ता के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवाने, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारियों ने भी इस द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया।
- रक्षा और सैन्य संबंधों के विस्तार पर चर्चा
  - रक्षा मंत्रियों के बीच इस संवाद के दौरान दोनों ही देशों द्वारा रक्षा उद्योगों एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की गई।
    - दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और भी अधिक मज़बूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने सैन्य स्तर की पारस्परिक वार्ताओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दोनों पक्षों के बीच 'व्यापक सामरिक साझेदारी' के अनुरूप है।

भारत-इंडोनेशिया: रक्षा संबंध

- भारत एवं इंडोनेशिया का रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में काफी मज़बूत सहयोग है, मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मज़बूत करना और संबंधों में हो रही बढ़ोतरी को प्रतिबिंबित करने हेतु एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- गौरतलब है कि नवंबर 2018 में आयोजित इंडोनेशियाई रक्षा एक्सपो (Indonesian Defence Expo) में भारतीय रक्षा उद्योग ने भी भाग लिया था।
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में गहरा और मज़बूत सहयोग है। दोनों देशों की तीन सेवाओं के बीच परिचालन स्तर पर नियमित रूप से वार्ता की जाती हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की जाती है।
- इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच 'गरुड़ शक्ति' नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है।

इंडोनेशिया

- इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक अनूठा देश है, जो कि मुख्य तौर पर अपने द्वीपों और सुंदर परिदृश्य के लिये विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है।
- हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक द्वीपसमूह (Archipelago) के रूप में इंडोनेशिया, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
- इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, इस देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी मिलते हैं।
- गौरतलब है कि इंडोनेशिया में एक बड़ी मुस्लिम आबादी तो रहती है, किंतु इसे भारत की तरह ही एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में देखा जाता है।
- 1,919,443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस देश में वर्ष 2014 की गणना के अनुसार, कुल 253,609,643 लोग निवास करते हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंध

- उल्लेखनीय है कि भारत और इंडोनेशिया घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों का दो सदियों से भी लंबा इतिहास साझा करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि अतीत में हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम धर्म के तमाम लोगों ने भारत के तटों से इंडोनेशिया की यात्रा की।
- इंडोनेशिया की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। रामायण और महाभारत जैसे महान भारतीय महाकाव्यों की कहानियाँ इंडोनेशियाई लोक कला और नाटकों का स्रोत हैं।
    - इंडोनेशिया के उत्सवों और झाँकियों आदि में रामायण और महाभारत के पात्र कठपुतलियों के रूप में नज़र आते हैं।
- साझा संस्कृति, औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्र विदेश नीति के साझा लक्ष्यों ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर काफी गहरा प्रभाव डाला है।
- व्यापारिक संबंध
    - आसियान (ASEAN) क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2005-06 में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, हालाँकि बीते एक वर्ष में इस द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी देखने को मिली है। ध्यातव्य है कि भारत, इंडोनेशिया के कोयले और कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।
- सांस्कृतिक संबंध
    - ऐतिहासिक रूप से ही दोनों देशों के बीच एक सक्रिय सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता रहा है। इंडोनेशिया में भारत के दूतावास द्वारा जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (JNICC) का संचालन किया जाता है, जो नियमित तौर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य (कथक और भरतनाट्यम), योग और हिंदी एवं तमिल भाषा से संबंधित कक्षाओं का आयोजन करता है।

- वर्ष 1989 में अपनी स्थापना के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (JNICC) इंडोनेशिया में भारतीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- भारतीय डायस्पोरा
    - अनुमान के अनुसार, इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लगभग 100,000 इंडोनेशियाई नागरिक रहते हैं, वहीं इंडोनेशिया में 8500 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बैंकर और अन्य पेशेवर शामिल हैं।

हॉन्गकॉन्ग प्रत्यर्पण संधि का निलंबन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने साथ ' हॉन्गकॉन्ग प्रत्यर्पण संधि' तथा 'आपराधिक न्याय सहयोग समझौते' (Criminal Justice Cooperation Agreement) को निलंबित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन के इस निर्णय को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा पहले ही हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किये जाने की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
    - गौरतलब है कि इससे पहले चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किये जाने के विरोध में ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था।
- ध्यातव्य है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन 'फाइव आइज़' (Five Eyes) नामक सूचना गठबंधन का हिस्सा हैं। इस समझौते के अन्य दो सदस्यों में से एक न्यूज़ीलैंड ने 28 जुलाई को हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था तथा अमेरिका ने भी इस संधि को निलंबित करने के संकेत दिये हैं।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1842 में चीन ने 'प्रथम अफीम युद्ध' के शंति समझौते के अंतर्गत 'नानकिंग संधि' (Treaty of Nanking) के तहत हॉन्गकॉन्ग को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था।
- वर्ष 1997 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हॉन्गकॉन्ग को चीन वापस दे दिया गया और हॉन्गकॉन्ग चीन के 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों' (Special Administrative Regions) का हिस्सा बन गया।
- हॉन्गकॉन्ग में 'बेसिक लॉ' (Basic Law) नामक एक लघु संविधान द्वारा प्रशासन का कार्य संपादित होता है, जो हॉन्गकॉन्ग में 'एक देश दो प्रणाली' (One Country, Two Systems) की पुष्टि करता है।
- वर्ष 1984 की 'चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा' के तहत चीन ने वर्ष 1997 से लेकर अगले 50 वर्षों तक हॉन्गकॉन्ग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने की घोषणा की थी।
- 30 जून, 2020 को चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग में एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया गया, यह कानून चीन को हॉन्गकॉन्ग में किसी न्याय पीठ या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को शामिल किये बगैर किसी व्यक्ति पर मामले चलाने का अधिकार देता है।

चीन के विरूद्ध अन्य देशों/समूहों की कार्रवाई:

- हाल ही में यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने हॉन्गकॉन्ग में चीन की कार्रवाई के बाद हॉन्गकॉन्ग को ऐसे उपकरणों के निर्यात को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था, जिनका प्रयोग लोगों की निगरानी और दमन के लिये किया जा सकता है।
- हालाँकि चीन के विरूद्ध कार्रवाई के लिये सभी EU सदस्यों को सहमत कर पाने का कार्य बहुत आसान नहीं रहा है, क्योंकि कई यूरोपीय देशों के लिये चीन एक बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है।
- इससे पहले इसी महीने यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में फ्राँस और जर्मनी ने 'दोहरी उपयोग तकनीक' या 'डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी' (Dual-Use Technology) के निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसपर 30 जुलाई को हस्ताक्षर किये जाएँगे।

- दोहरी उपयोग तकनीक' या 'डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी से आशय ऐसी तकनीक से है जिनका उपयोग सामान्य नागरिक (असैनिक) उद्देश्यों के साथ ही सैनिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। जैसे- रेडियो नेविगेशन सिस्टम और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तकनीकी आदि।

हॉन्गकॉन्ग निवासियों को सहयोग:

- निर्यात पर प्रतिबंधों के साथ ही EU द्वारा हॉन्गकॉन्ग निवासियों को सहयोग प्रदान करने के लिये कुछ विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।
- इसके तहत वीजा, छात्रवृत्ति और अकादमिक दौरों के माध्यम से हॉन्गकॉन्ग के नागरिकों के लिये यूरोप यात्रा को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।

कार्रवाई का कारण:

- ब्रिटेन के अनुसार, यह सुरक्षा कानून हॉन्गकॉन्ग में स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन करता है, जो वर्ष 1997 से हॉन्गकॉन्ग को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में बनाए रखने में सहायक रहे हैं।
- साथ ही ब्रिटेन ने चीन पर COVID-19 के बारे में सही जानकारी न देने का आरोप लगाया है।

चीन की प्रतिक्रिया:

- चीन ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित उसके विरोध में खड़े अन्य देशों पर चीन के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।
- साथ ही चीन ने हॉन्गकॉन्ग में लागू किये गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बचाव करते हुए इसे हॉन्गकॉन्ग में शांति स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बताया है।
- चीन के अनुसार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यू.के ने इस मामले में हॉन्गकॉन्ग के साथ न्यायिक सहयोग के राजनीतिकरण करने के गलत निर्णय से न्यायिक सहयोग के आधार को गंभीर क्षति पहुँचाई है।
- चीन के अनुसार, इन देशों ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को एकतरफा रूप से निलंबित करने के लिये 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' को एक बहाने के रूप में प्रयोग किया है।

यूरोपीय यूनियन रिकवरी डील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ द्वारा एक लंबी परिचर्चा के बाद सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों का सामना करने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में COVID-19 महामारी के कारण लगभग 130,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है तथा महामारी के प्रभाव के कारण यूरोपीय यूनियन की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2020 में 8 प्रतिशत पर संकुचित हो गई है।
- महामारी के कारण विशेषकर इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कई देश में निवेशकों की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- इस समझौते के तीन मुख्य प्रावधान हैं-
  - अगले सात वर्षों में यूरोपीय संघ के लिये यूरो 1.1 ट्रिलियन का बजट।
  - COVID-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिये 360 बिलियन यूरो के कम ब्याज वाले ऋण का वितरण।
  - सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को 390 बिलियन यूरो ऋण का वितरण।

रिकवरी फंड की विशेषताएँ:

हॉलाकि इस राहत पैकेज को लागू करना अभी दूर की बात लग रहा है फिर भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- इसका आकार जो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है या 150 लाख करोड़ रुपये है जो भारत की वार्षिक जीडीपी का 75 प्रतिशत है।
- देशों से व्यक्तिगत स्तर पर धन जुटाने के बजाय इस समय यूरोपीय संघ अनुदान और ऋण के लिये (कुल 750 बिलियन यूरो) बाज़ारों से पैसा उधार लेगा।

- यूरोपीय संघ की नई पीढ़ी के लिये इस समझौते को आकार एवं संभावनाएँ देने के कारण कई विश्लेषकों ने इस समझौते की तुलना 'हैमिल्टन' से की है।
- 'अलेक्जेंडर हैमिल्टन'अमेरिका के पहले ट्रेज़री सचिव थे तथा जिनका चेहरा 10 डॉलर बिल पर अंकित है।
- इन्होनें उन सभी राज्यों से उन ऋणों को पुन प्राप्त/अवशोषित किया जो राज्यों द्वारा क्रांति के दौरान संघीय सरकार से लिये गए थे।

- यूरोपीय संघ फंड राशि के भुगतान के लिये इस क्षेत्र में आंशिक रूप से कर लगाने में सक्षम होगा।
  - जिससे अगले सात वर्षों के लिये बजट विवरण के साथ, सदस्य राज्यों के बीच राजकोषीय समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
- समग्र राहत पैकेज की लगभग एक तिहाई अर्थात 500 बिलियन यूरो राशि को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये निर्धारित किया गया है।
  - इसका उपयोग उत्सर्जन-मुक्त कारों का निर्माण करने तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली तकनीकी के निर्माण में किया जाना है।

समझौते का निहितार्थ:

- यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, इस समझौते का आकार लगभग 5 प्रतिशत है।
- अभी यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के और अधिक अनुबंधित/संकुचित होने की संभावना बनी हुई है ऐसी स्थिति में यह समझौता कमज़ोर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिये एक बेहतर कदम है।
- समझौते को अनुसमर्थन मिलने के बाद इसके कार्यान्वयन में भी कठिनाई आ सकती है क्योंकि हंगरी और पोलैंड जैसे देशों द्वारा सस्ते ऋण और अनुदान न प्राप्त होने के कारण इस सुधार एजेंडे का विरोध किया जा सकता हैं।हालाँकि इस सौदे का राजनीतिक महत्व अधिक नहीं दिख रहा है।

क्रियान्वयन में समस्या:

वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिये यूरोपीय संघ द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों के दौरान यूरोपीय संघ की मज़बूत अर्थव्यवस्था (जर्मनी) एवं कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं (ग्रीस) के मध्य मतभेद और अधिक बढ़ गया है ।

- इस दौरान कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को अपने व्यय में कटौती करने तथा समय पर ऋण का भुगतान करने के लिये आवश्यक वस्तुओ पर करों का भार बढ़ाने के लिये कहा गया जिसके परिणाम स्वरूप कई देशों में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया।
- वर्ष 2016 में ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय इसी अस्थिरता का परिणाम है।
- यह समझौता काफी हद तक फ्रेंको-जर्मन के बीच सहमति पर भी निर्भर है क्योंकि दोनों देशों के बीच एक दशक से सहयोग का अभाव बना हुआ है।
  - जहाँ फ्रांस द्वारा सभी यूरोपीय संघ के देशों में लोकलुभावनवाद (Populism) को कम करने के लिये वित्त राशि को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया वहीं जर्मन द्वारा उन उपायों का विरोध किया गया जिन्हें 'हेडआउट्स' अर्थात शासकीय सूचनाओं के रूप में देखा जा रहा है।
  - जर्मनी के साथ-साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन ने भी एक बड़ी राशि उधार देने का विरोध किया क्योंकि इनका तर्क है कि इसके चलते करदाताओं को एक लंबे समय तक राशि का भुगतान करना होगा।
- वर्तमान मौजूदा समझौते के तहत वर्ष 2023 तक ऋण दिया जाना है, जिसका वापस भुगतान वर्ष 2058 तक किया जाएगा।
- दूसरी तरफ इटली और स्पेन जैसी अर्थव्यस्थाएँ हैं जो महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं, इनके लिये कम रिकवरी वाले पैकेज के संदर्भ में आग्रह किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 के यूरोपीय संघ के आर्थिक उपायों एवं वर्तमान समझौते में अंतर:

- वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद कई यूरोपीय संघ के देशों द्वारा महसूस किया गया कि राष्ट्रीय ऋण के उच्च स्तर एवं निम्न रेटिंग के कारण वे सस्ती ब्याज दरों पर बाज़ारों से ऋण नहीं जुटा पा रहे हैं।
  - इस स्थिति से निपटने के लिये यूरोपीय संघ द्वारा एक 'यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा' (European Financial Stability Facility- EFSF) का निर्माण किया गया जिसने निवेशकों (जिनके निवेश के लिये अधिक सुरक्षा मिली) और यूरोपीय संघ के बड़े देशों (जिन्हें कम दरों पर ऋण मिला था) के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया।

- ‘यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा’ तथा यूरोपीय स्थिरता तंत्र, द्वारा वर्ष 2013 तक मिलकर सफलतापूर्वक 255 बिलियन यूरो ऋण का वितरण किया गया।
- वर्तमान ऋण वितरण संरचना काफी भिन्न है क्योंकि इसके द्वारा 360 बिलियन यूरो के अलावा लगभग 400 बिलियन यूरो का अनुदान भी आवंटित किया जाना है।
    - इसके अलावा, ऋण वितरण को कठोर राजकोषीय बाध्यताओं के साथ नहीं जोड़ा गया है बल्कि इसके लिये कुछ बुनियादी क़ानूनी नियम का पालन करने के लिये पूछा जा सकता है।

भारत के COVID-19 राहत पैकेज से तुलना:

- भारत के COVID-19 राहत पैकेज की मुख्य कमी अपर्याप्त सरकारी राजकोषीय वितरण है जो भारत के सकल घरलू उत्पाद (10%) का केवल 1% ही है।
    - भारत सरकार को अधिक खर्च करने के लिये, अधिक उधार लेना होगा हालांकि अधिक खर्च के बिना, अर्थव्यवस्था को संभवत: लंबे समय तक संघर्ष करना होगा।
- यूरोपीय संघ के राहत पैकेज में प्रमुख घटक 390 बिलियन यूरो की अनुदान राशि है।
- सस्ते ऋण और ऋण गारंटी अर्थव्यवस्था के लिये उपयोगी होते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था तथा MSME क्षेत्र में तीव्र आर्थिक तनाव के साथ, अनुदान और मजदूरी पर मिलने वाली सब्सिडी अधिक कारगर साबित हो सकती है।

निष्कर्ष:

यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को बचाने से अधिक, यह समझौता यूरोपीय संघ की राजनीतिक विचार को सुरक्षित करता है ऐसा इसलिये है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतर एवं मतभेदों के बावजूद यह समझौता संपन्न हुआ है।

यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में यह स्थिति वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई है फिर भी इन समझौते में उन सभी बातों एवं उपायों का भी ध्यान रखा गया है जो यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिये अपनायए गए थे। समझौते में पर्यावरणीय विकास को महत्त्व दिया गया है जो सतत् विकास को प्राप्त करने में सहायक है।

हाँलाकि यह कह पाना अभी जल्दबाज़ी होगी कि यह समझौता अपने उद्देश्यों में कितना सफल होगा लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह यूरोपीय संघ के देशों की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करने में सहायक ज़रूर साबित होगा।

मॉरीशस का नया सर्वोच्च न्यायालय भवन

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री 30 जुलाई, 2020 को मॉरीशस के नए सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर भारत के द्वारा सहायता प्राप्त पहली बुनियादी ढाँचा परियोजना होगी।

प्रमुख बिंदु

- दोनों देशों के बीच मज़बूत द्विपक्षीय साझेदारी के प्रतीक के रूप में यह नया भवन एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
- यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मॉरीशस में विस्तारित 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ‘विशेष आर्थिक पैकेज’ के तहत कार्यान्वित पाँच परियोजनाओं में से एक है।

भारत-मॉरीशस संबंध

- भारत-मॉरीशस संबंध दोनों देशों के बीच मौजूद ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को संदर्भित करते हैं।
- भारत और मॉरीशस के बीच के संबंध वर्ष 1730 से स्थापित है, हालाँकि दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध मॉरीशस के एक स्वतंत्र राज्य (1968) बनने से पहले वर्ष 1948 में ही स्थापित हुए।

- प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में बात करें तो मॉरीशस भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। संभवत: इसका एक स्वाभाविक कारण यह है कि इस द्वीप पर भारतीय मूल के समुदाय काफी अधिक संख्या में रहते हैं। मॉरीशस की 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है, जिसे आमतौर पर इंडो-मॉरीशस के रूप में जाना जाता है।
- यह भारत के 'प्रवासी भारतीय दिवस' उत्सव का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार देश है, इस मंच पर प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

महत्त्व:

- भू-रणनीतिक: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत द्वारा स्वयं को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मॉरीशस के साथ मज़बूत संबंधों का विशेष रणनीतिक महत्त्व है।
    - वर्ष 2015 में भारत ने मॉरीशस के साथ आठ भारतीय नियंत्रित तटीय निगरानी रडार स्टेशनों की स्थापना के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - मॉरीशस भारत के सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है, जिसमें भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Indian Navy's National Command Control Communication Intelligence Network) के तटीय निगरानी रडार (CSR) स्टेशन शामिल हैं।
    - वर्ष 2015 में भारत ने SAGAR-Security and Growth for All नामक एक महत्वाकांक्षी नीति का अनावरण किया।
        - यह कई दशकों में हिंद महासागर के संबंध में भारत का पहला महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम था।
        - SAGAR के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता पर बल दे रहा है।
    - वर्ष 2015 में भारत और मॉरीशस के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जो भारत को मॉरीशस के द्वीपों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना करने हेतु बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है।
        - समझौते के उद्देश्यों के तहत एंटी-पायरेसी ऑपरेशंस मे दोनों देशों के साझा प्रयासों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने, अवैध शिकार, ड्रग और मानव तस्करी में लिप्त लोगों सहित संभावित आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones-EEZ) में निगरानी बढ़ाना है।
- भू-आर्थिक (Geo-Economic):
    - विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस का वाणिज्यिक एवं कनेक्टिविटी के लिहाज़ से विशेष महत्त्व है।
    - अफ्रीकी संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के तौर पर भी मॉरीशस की भौगोलिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है।
    - SIDS (Small Island Developing States) के संस्थापक सदस्य के रूप में यह एक विशेष पड़ोसी राष्ट्र है।
    - भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है जो वर्ष 2007 से मॉरीशस में वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है।
    - मॉरीशस भारत के लिये सिंगापुर के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- क्षेत्रीय केंद्र के रूप में: मॉरीशस में नए निवेश अफ्रीका से आते हैं, अत: मॉरीशस भारत की अपनी अफ्रीकी आर्थिक आउटरीच के लिये सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है।
    - भारत तकनीकी नवाचार के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मॉरीशस के विकास में योगदान दे सकता है। अत: भारत को उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिये मॉरीशस की माँगों पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिये।
    - मॉरीशस क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र साबित हो सकता है।
- द्वीप नीति का केंद्र बिंदु: अभी तक भारत दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के वैनिला द्वीप (Vanilla islands) कहे जाने वाले देशों; जिनमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, मैयट, रीयूनियन और सेशेल्स शामिल हैं, का द्विपक्षीय रणनीतिक आधार पर सामना करने का प्रयास कर रहा है।

- यदि भारत मॉरीशस के विकास में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो आने वाले समय में मॉरीशस दिल्ली की द्वीपीय नीति का केंद्र बिंदु बन जाएगा।
- यह दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में एक बैंकिंग गेटवे और पर्यटन के केंद्र के रूप में भारत की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

- चीन के संदर्भ में बात करें तो: चीन ने "स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स" की अपनी नीति के तहत ग्वादर (पाकिस्तान) से लेकर हम्बनटोटा (श्रीलंका), यौप्यु (म्यांमार) तक हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण संबंध स्थापित किये हैं।
  - ऐसे में भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने में और क्षमता वृद्धि करने के लिये मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स जैसे हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों की सहायता करनी चाहिये।

चुनौतियाँ:

- अवधारणा बदलने की ज़रूरत है: भारत को मॉरीशस के संबंध में अपनी इस अवधारणा में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है कि मॉरीशस केवल भारत की विस्तारवादी नीति का एक भाग है।
  - मॉरीशस एक संप्रभु इकाई है, हिंद महासागर में अपनी विशेष स्थिति के चलते यह आर्थिक रूप से संपन्न केंद्र और एक आकर्षक रणनीतिक स्थान के कारण एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है।
- चीन की ओर केंद्रित: हिंद महासागर के उत्तरी भाग में चीन की तेज़ी से बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों की तैनाती भारत के लिये एक चुनौती है।
  - हालाँकि भारत पर अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में आत्म-केंद्रित होने का आरोप लगाया जाता रहा है।
  - अक्सर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से पड़ोसी देशों तक अपनी पहुँच का विस्तार करने के भारत के कदम को चीन की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित माना जाता है।
- अति-उत्साही सुरक्षा नीति: अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की एक अति-उत्साही सुरक्षा संचालित नीति से अतीत में भारत को कोई विशेष मदद नहीं मिली है।
  - जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसी कुछ सामान्य चुनौतियों पर भारत को मॉरीशस के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिये।
- वैश्विक एकीकरण: मॉरीशस एक द्वीपीय राष्ट्र होने के नाते दुनिया के बाकी हिस्सों से भौतिक रूप से कटा हुआ है, हालाँकि इसके बावजूद दुनिया में जो कुछ भी होता है, जैसे- विश्व आर्थिक संकट, FDI में गिरावट, व्यापार युद्ध आदि से मॉरीशस भी प्रभावित होता है।
  - इसलिये, भारत के लिये IOR के समुद्री सुरक्षा के दायरे से परे अपने दृष्टिकोण को व्यापक करना बहुत ज़रूरी हो गया है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region): जैसे-जैसे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया ने मॉरीशस को नए सुरक्षा प्रारूप के अभिन्न अंग के रूप में देखना शुरू कर दिया है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और छोटे देशों का लाभ उठाने के लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और यू.के. जैसे देशों की निरंतर बढ़ती कोशिशें भारत के लिये चिंताजनक हैं।

आगे की राह:

- मॉरीशस में पंजीकृत कंपनियाँ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment-FDI) का सबसे बड़ा स्रोत हैं, जिससे भारत के लिये अपनी द्विपक्षीय कर संधि का फिर से उन्नयन करना आवश्यक हो गया है।
- जैसा कि भारत दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें मॉरीशस का स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है इसलिये, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighbourhood First policy) में सुधार करना आवश्यक हो गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गोल्ड नैनोपार्टिकल्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय शोधकर्त्ताओं ने 'साइक्रोटॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया' (Psychrotolerant Antarctic Bacteria) का प्रयोग करते हुए पर्यावरण अनुकूल तरीके से, गैर विषैले तथा कम लागत वाले गोल्ड नैनोपार्टिकल्स अर्थात सोने के नैनोकणों (Gold Nanoparticles- GNPs) को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह अध्ययन जर्नल ऑफ प्रिपेरेटिव बायोकैमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी (Journal of Preparative Biochemistry & Biotechnology) में प्रकाशित हुआ है।
- शोधकर्त्ताओं ने नियंत्रित वातावरणीय दशाओं में 20 से 30 नैनो मीटर के गोलाकार गोल्ड नैनोपार्टिकल्स को संश्लेषित किया है।
- शोध के दौरान 'सल्फेट रीडयूसिंग बैक्टीरिया' (Sulphate Reducing Bacteria-SRB) पर गोल्ड नैनोपार्टिकल्स के जीनोटॉक्सिसिटी (Genotoxicity) प्रभाव को देखा गया।
  - जीनोटॉक्सिसिटी द्वारा ऐसे रासायनिक एजेंटस को वर्णित किया जाता है जो DNA की आनुवंशिक जानकारी (Genetic Information of DNA) को उत्परिवर्तन द्वारा नष्ट करने में सक्षम है।
  - सल्फेट रीडयूसिंग बैक्टीरिया या सल्फर को कम करने वाले बैक्टीरिया सल्फेट/सल्फर की खपत कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- शोध में देखा गया कि गोल्ड नैनोपार्टिकल्स 'सल्फेट रीडयूसिंग बैक्टीरिया' की वृद्धि को रोकने तथा इसकी कोशिका के DNA की आनुवंशिक जानकारी को नष्ट करने में सक्षम है और बैक्टीरियारोधी गुण प्रदर्शित करता है।
- गौरतलब है कि शोधकर्त्ताओं ने 'साइक्रोटॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया' का उपयोग करके गोल्ड आयन को GNPs में बदलने के लिये पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य हरित रसायन प्रक्रियाओं का सहारा लिया है।
  - साइक्रोटॉलरेंट सूक्ष्मजीवों की वृद्धि 20-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छी होती है हालाँकि ये कम तापमान को भी सहन करने में सक्षम होते हैं।

नैनोटेक्नोलॉजी और नैनोपार्टिकल

- नैनोटेक्नोलॉजी: नैनोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत 1 नैनोमीटर (nm) से लेकर 100 नैनोमीटर तक के आकार की सीमा तक नियंत्रित बदलाव के माध्यम से नई एवं अभिनव सामग्रियाँ विकसित की जाती हैं।
- नैनोपार्टिकल: नैनोपार्टिकल वो पदार्थ हैं जो 100 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं। नैनोपार्टिकल का सतह-आयतन अनुपात उच्च होता है।

गोल्ड नैनोपार्टिकल एवं इनका महत्त्व

- गोल्ड नैनोपार्टिकल को 'थोक सोने' (1064° सेल्सियस) की तुलना में बहुत कम तापमान (300° सेल्सियस) पर पिघलाया जा सकता है।
  - गोल्ड नैनोपार्टिकल में पारंपरिक थोक सोने की तुलना में अधिक सौर विकिरण अवशोषित करने की क्षमता पाई गई है, जो फोटोवोल्टिक सेल निर्माण उद्योग में उपयोग के लिये बेहतर साबित हो सकती है।
- इनमें विशेष प्रकाशीय गुण भी विद्यमान होते है। जैसे- 100nm से अधिक आकार के गोल्ड नैनोपार्टिकल कण पानी में नीले या बैंगनी रंग का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि 100 nm आकर के कण सोने के कोलाइडल कणों के साथ लाल रंग के दिखाई देते हैं।
  - इस प्रकार चिकित्सीय इमेजिंग के निर्माण में इनका उपयोग किया जा सकता है।
- गोल्ड नैनोपार्टिकलस में अद्वितीय भौतिक रासायनिक गुण भी पाये जाते हैं।

- उनकी जैव-रासायनिकता, उच्च सतही क्षेत्र, स्थिरता और गैर-विषाक्तता (नॉनटॉक्सीसिटी) उन्हें चिकित्सीय उपयोग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त बनाती है जिसमें बीमारियों का पता लगाना और उनका निदान करना, बायो-लेबलिंग तथा लक्षित दवा वितरण इत्यादि शामिल हैं।

- ये कण पेप्टाइड्स, प्रोटीन, प्लाज्मिड डीएनए और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंटों से बनी विभिन्न दवाओं को स्थानांतरित करने में भी सक्षम हैं जिनके प्रयोग से मानव शरीर की कोशिकाओं को उपचारित किया जा सकता है।
- इन गोल्ड नैनोपार्टिकल्स का उपयोग समग्र चिकित्सीय एजेंट नैदानिक परीक्षणों यथा कैंसर-रोधी, विषाणु-रोधी, मधुमेह-रोधी और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं इत्यादि में किया जा सकता है।
- गोल्ड नैनोपार्टिकलस को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी उपयोगी पाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा 'नॉमफेट' नाम का एक ट्रांज़िस्टर बनाया है।
  - जिसका पूरा नाम 'नैनोपार्टिकल ऑर्गेनिक मैमोरी फील्ड-इफेक्ट ट्रांज़िस्टर' (Nanoparticle Organic Memory Field-Effect Transistor) है।
  - इसे विकसित करने के लिये कमरे के तापमान पर उत्प्रेरक के रूप में मैंगनीज़ ऑक्साइड में गोल्ड नैनोपार्टिकलस को अंत:स्थापित (Embedding) किया गया, ताकि हवा में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक को तोड़ा जा सके तथा कार्बनिक अणुओं के साथ गोल्ड नैनोपार्टिकलस को संयोजित किया जा सके।
- नॉमफेट न्यूरॉन से न्यूरॉन की ओर जाने वाले सिग्नल की गति एवं शक्ति की भिन्नता/प्लास्टिसिटी के रूप में पहचाने जाने वाले 'मानव सूत्रयुग्मन' (Human Synapse) की नकल कर सकने में सक्षम हैं।

भारत का पहला प्लाज़्मा बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली स्थित 'यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान' (The Institute of Liver and Biliary Sciences- ILBS) में भारत के प्रथम प्लाज़्मा बैंक (India's first plasma bank) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- कोरोना महामारी के इलाज़ में प्लाज़्मा थेरेपी की उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली में इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है।
- COVID-19 के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीज़ 14 दिनों के बाद अपना प्लाज़्मा इस प्लाज़्मा बैंक में दान कर सकते हैं।
- प्लाज़्मा दनकर्त्ताओं को 1031 या व्हाट्सएप 8800007722 पर कॉल करना होगा जिसके बाद सरकार दानकर्त्ताओं से संपर्क करके यह सुनिश्चित करेगी कि क्या वे प्लाज़्मा दान करने के लिये पात्र हैं अथवा नहीं।

प्लाज़्मा दानकर्त्ता:

- 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग, जिनका वज़न 50 किलोग्राम से कम नहीं है कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं।
- प्लाज़्मा दनकर्त्ता के कोरोना सक्रमण से ठीक होने के 14 दिन बाद ही प्लाज्मा दान कर सकते हैं।

कौन नहीं दे सकता प्लाज़्मा?

- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर से ठीक हुए लोग, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, लिवर, फेफड़े एवं किडनी की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते हैं।
- इसके अलावा वे महिलाएँ जो अपने संपूर्ण जीवनकाल में कभी भी गर्भवती हुई हो वो भी अपना प्लाज़्मा दान नहीं कर सकती है।

प्लाज्मा बैंक का महत्त्व:

- ऐसा माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आ सकती है।
- ऐसे समय में जब विश्व स्तर पर इस महामारी की कोई एक दवा मौज़ूद नहीं है, प्लाज़्मा थेरेपी एक बेहतर विकल्प के रुप में प्रयोग की जा सकती है तथा प्लाज्मा बैंक इसमें एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नोट :

अकार्बनिक-कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology) के अधीन मोहाली स्थित स्वायत्त संस्थान, 'नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' (Institute of Nano Science & Technology- INST) के वैज्ञानिकों द्वारा अकार्बनिक-कार्बनिक संकर यौगिक का संश्लेषण किया गया है जो स्तन, फेफड़े एवं यकृत में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक है।

प्रमुख बिंदु:

- फोस्फोमोलीबिक एसिड का यह अकार्बनिक लवण 'फॉस्फोमोलीबडेट क्लस्टर' (phosphomolybdate cluster) पर आधारित ठोस यौगिक पोलीओक्सोमेटलेट (Polyoxometalates- POMs) परिवार से संबंधित है।
- इस अकार्बनिक लवण में एंटीट्यूमर गुण की पहचान की गई है। इन यौगिकों की सहायता से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है।
- पोलीओक्सोमेटलेट अकार्बनिक धातु ऑक्साइड का एक विकसित वर्ग है, जो कई प्रकार की जैविक गतिविधियों को संपन्न करता है तथा उनकी संरचनाओं और गुणों में अत्यधिक विविधता उत्पन्न करता है।
- यह शोध डाल्टन ट्रांजेक्शंस (Dalton Transactions) नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

शोध कार्य:

- वैज्ञानिकों द्वारा अपने शोध कार्य में हाइड्रोथर्मल विधि का प्रयोग करते हुए 'पोलीओक्सोमेटलेट' यौगिक का संश्लेषण किया गया तथा इस बात का पता लगाया गया कि यौगिक द्वारा कैंसर कोशिकाओं को किस प्रकार नष्ट किया जाता है।
  - हाइड्रोथर्मल विधि जलीय माध्यम में एक निश्चित ताप और दाब पर अकार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की एक प्रक्रिया है।
- हाइड्रोथर्मल विधि का प्रयोग करते हुए सोडियम मोलिब्डेट, फॉस्फोरस एसिड तथा बाइपिरिडीन के जलीय मिश्रण को pH 4 के एसीटेट बफर घोल में 160 डिग्री सेल्सियस पर 72 घंटों के लिये गर्म किया गया।
- स्तन कैंसर (MCF-7), फेफड़े के कैंसर (A549) तथा यकृत कैंसर (HepG2) कोशिकाओं को नष्ट करने वाले तंत्र का मूल्यांकन किया गया।
- शोध के इन विट्रो (In Vitro) परिणामों से पता चला कि यह हाइब्रिड ठोस यौगिक सामान्य कोशिकाओं के प्रति कम विषाक्त गुण प्रदर्शित करता है।

शोध का महत्त्व:

- कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में इस शोध का विशेष महत्त्व है।
- यह शोध कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली मेटलोड्रग्स (Metallodrugs) के लिये संभावनाओं के नए मार्ग खोलता है।
- इस यौगिक की एंटीट्यूमर गतिविधि नियमित इस्तेमाल किए जाने वाले कीमोथैरेप्यूटिक एजेंट, मैथोट्रेक्सेट (MTX) के समान ही महत्त्वपूर्ण है।

ड्रग डिस्कवरी हैकेथोन 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 (Drug Discovery Hackathon) की शुरुआत की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन MHRD, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की एक संयुक्त पहल है।
- यह हैकथॉन COVID-19 की दवा की खोज प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है।
- इस पहल के माध्यम से विश्व स्तर पर जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन को निर्मित करेगी उसे पुरस्कृत किया जायेगा।
- यह हैकथॉन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिये दुनिया भर के कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, चिकित्सा विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों, प्राध्यापकों, शोधकर्त्ताओं एवं छात्रों के लिये खुला रहेगा।

हैकथॉन की कार्यप्रणाली:

- हैकथॉन के माध्यम से MHRD तथा AICTE, सार्स–सीओवी-2 (SARS-CoV-2) की संभावित दवा के अणुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि CSIR इन पहचाने गए अणुओं के प्रभाव, विषाक्तता, संवेदनशीलता एवं उनके संश्लेषण तथा प्रयोगशाला में परीक्षण का कार्य करेगा।
- हैकथॉन के माध्यम से 'इन-सिलिको ड्रग खोज' (In-Silico Drug Discovery) द्वारा सार्स–सीओवी-2 (SARS-CoV-2) के लिये दवा का परीक्षण करने वालों की पहचान करना एवं रासायनिक संश्लेषण एवं जैविक परीक्षण करना भी इसमें शामिल है।
  - दवा की खोज में कम्प्यूटेशनल (सिलिको में) विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - इस विधि में उपयुक्त दवा की पहचान करना सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कार्य है।
- यह हैकथॉन मुख्य रूप से दवा की खोज के कम्प्यूटेशनल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमे तीन ट्रैक्स शामिल है-
  - ट्रैक -1 ड्रग डिज़ाइन के लिये कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग या मौजूदा डेटाबेस से प्रमुख यौगिकों की पहचान करने से संबंधित होगा,जिसमें (SARS-CoV-2) को रोकने की क्षमता हो ।
  - ट्रैक -2 प्रतिभागियों को न्यूनतम विषाक्तता और अधिकतम विशिष्टता एवं चयनात्मकता के साथ दवा जैसे यौगिकों की भविष्यवाणी के लिये डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग का उपयोग करके नए टूल और एल्गोरिदम विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
  - ट्रैक- 3 जिसे "मून शॉट" कहा जाता है। यह उन समस्याओं पर काम करने की अनुमति देता है जो 'आउट ऑफ द बॉक्स' की प्रवृत्ति के होंगे।
- प्रत्येक चरण के अंत में सफल टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। चरण 3 के अंत में पहचाने गए प्रथम 3 प्रमुख यौगिकों को CSIR एवं अन्य इच्छुक संगठनों में प्रायोगिक स्तर के लिये आगे ले जाया जाएगा।

महत्त्व:

- यह हैकथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये भारत को नए मॉडल स्थापित करने में मदद करेगा।
- इसके माध्यम से (SARS-CoV-2) की दवा को विकसित करने में तेज़ी आएगी।

जैव ईंधन आपूर्ति शृंखला

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IIT) हैदराबाद के शोधकर्त्ताओं द्वारा 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) पर आधारित ऐसी कम्प्यूटेशनल विधियों (Computational Methods) को विकसित किया जा रहा है जो देश में जैव ईंधन को शामिल करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं को समझने में मददगार साबित हो सकती हैं।

प्रमुख बिंदुः

- इस शोध कार्य की एक विशेषता यह है कि इसके ढाँचे में केवल जैविक ईंधन की बिक्री को राजस्व सृजन का आधार नहीं माना गया है, बल्कि इस चक्र में 'ग्रीनहाउस गैस' (Greenhouse Gas) के उत्सर्जन में कटौती के माध्यम से प्राप्त 'कार्बन क्रेडिट' (Carbon Credit) को भी राजस्व सृजन में शामिल किया गया है।
- शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मॉडल से पता चला है कि मुख्यधारा में उपयोग होने वाले ईंधन में बायो-एथेनॉल क्षेत्र को शामिल करने पर इससे जुड़े खर्च लागत इस प्रकार हैं-
  - उत्पादन पर सबसे अधिक 43% खर्च का आकलन किया गया है।
  - आयात पर 25% खर्च का आकलन किया गया है।
  - परिवहन पर 17% खर्च का आकलन किया गया है।
  - ढाँचागत संसाधनों पर 15% खर्च का आकलन किया गया है।
  - इन्वेंटरी पर 0.43% खर्च का आकलन किया गया है।
- अपने इस शोध कार्य के दौरान शोधकर्त्ताओं द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिये प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का भी विश्लेषण किया है जिसमे शोधकर्त्ताओं द्वारा आपूर्तिकर्ताओं, परिवहन, भंडारण एवं उत्पादन के आँकड़ों का उपयोग करके जैव ईंधन की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है।
- इस शोध कार्य में जैव ईंधन के आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को समझने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता /मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- इस शोध कार्य को क्लीनर प्रोडक्शन (Cleaner Production) पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

शोध का महत्त्वः

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी पर आधारित देशव्यापी बहुस्तरीय जैवईंधन आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क तकनीकी-आर्थिक-पर्यावरणीय विश्लेषण, मांग पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला मापदंडों में विद्यमान अनिश्चितता को दूर करने में सहायक होगा।
- जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क परिचालन पर पड़ने वाले प्रभाव एवं दूरगामी निर्णय लेने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- गैर-खाद्य स्रोतों से उत्पन्न जैविक ईंधन कार्बन-न्यूट्रल नवीकरणीय ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। जिनमें कृषि अपशिष्ट जैसे- पुआल, घास और लकड़ी जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार तथा इसके उपयोग से होने वाले प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं का समाधान के तौर पर जैव ईंधन के क्षेत्र में इस शोध कार्य का खासा महत्त्व हो जाता है।

राष्ट्रीय भू-अनुसंधान विद्वान बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भू-अनुसंधान विद्वानों द्वारा चौथे राष्ट्रीय भू-अनुसंधान विद्वान बैठक (National Geo-research Scholars Meet-NGRSM) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में प्राकृतिक संसाधनों, जल प्रबंधन, भूकंप, मानसून, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, नदी प्रणालियों जैसे कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 'समाज के लिये भू-विज्ञान' विषय पर चर्चा की गई।
- इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (Wadia Institute of Himalayan Geology-WIHG), देहरादून द्वारा किया गया।
- इस वर्ष वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण चौथे NGRSM का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया गया जो WIHG की ओर से ऐसा पहला कार्यक्रम था।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी Wadia Institute of Himalayan Geology

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।

उद्देश्य:

- हिमालय के भू-विज्ञान में अनुसंधानों को शुरू करना, सहायता एवं बढ़ावा देना, मार्गदर्शन और समन्वय करना तथा छात्रवृत्ति की परंपरा को बढ़ावा देना।
- हिमालयी भू-विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले देश के विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करना।
- हिमालय के भू-विज्ञान के लिये नेशनल रेफरेंस सेंटर के रूप में सेवा प्रदान करना और विभिन्न संस्थानों, सार्वजनिक एजेंसियों और उद्योगों को उच्च स्तरीय परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- नए उपकरणों, कार्य प्रणालियों और विश्लेषणात्मक तकनीकों के आवेदन पर विशेष बल देने के साथ-साथ संस्थान के उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक क्षेत्रों में विदेशी अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना।
- हिमालय में मोनोग्राफ, शोध-पत्र, मानचित्र, वैज्ञानिक रिपोर्ट आदि के प्रकाशन के माध्यम से भू-वैज्ञानिक और संबद्ध अनुसंधानों से संबंधित ज्ञान और सूचना का प्रसार करना।
- हिमालयी भू-विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केंद्रों के साथ मिलकर कार्य करना।
- हिमालय के भू-विज्ञान के अध्ययन में युवा भू-वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
- संस्थान में शोध कार्य करने के लिये हिमालयन भू-विज्ञान में एक वाडिया राष्ट्रीय फेलोशिप संस्थान स्थापित करना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की स्थापना 3 मई, 1971 को हुई थी।
- DST विभिन्न गतिविधियों जैसे- व्याख्यान श्रृंखला, प्रकाशनों, वृत्तचित्रों को जारी करना, DST के तहत भारतीय सर्वेक्षण के विकिपीडिया पृष्ठ को अपडेट करना आदि के साथ 3 मई, 2020 से 2 मई, 2021 की अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव वर्ष की समीक्षा कर रहा है।
- DST भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के तहत कार्य करता है।

DST का लक्ष्य:

- भारत सरकार के इस विभाग का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। यह भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों को व्यवस्थित, समन्वित करने एवं बढ़ावा देने वाला नोडल विभाग है।
- उल्लेखनीय है कि DST भारत में विभिन्न स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिये धन भी प्रदान करता है। यह विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रायोगिक कार्यों के लिये भारत में शोधकर्त्ताओं का समर्थन करता है।

पृष्ठभूमि

- WIHG के नियमित आयोजन के रूप में राष्ट्रीय भू-अनुसंधान विद्वान बैठक (NGRSM) की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य युवा शोधार्थियों और छात्रों को अपने अनुसंधान कार्यों को साझा करने, समकक्ष लोगों की उस पर राय जानने और इस आधार पर अपने कार्यों को पहले से और बेहतर बनाने के लिये एक उचित मंच प्रदान करते हुए अनुसंधान में उनकी रूचि को और प्रगाढ़ करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- यह कार्यक्रम उन्हें प्रख्यात भू-वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर उनका अनुभव हासिल करने और भू-विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र के नवीनतम रुझानों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है।

नोट :

कुइझोउ-11

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुइझोउ-11 (Kuaizhou-11) नाम का चीनी रॉकेट उड़ान के दौरान आई खराबी के कारण विफल हो गया जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जाए जा रहे दो उपग्रह भी नष्ट हो गए।

प्रमुख बिंदु:

- चीनी भाषा में कुइझोउ (Kuaizhou) का अर्थ 'तेज़ जहाज़' (Fast Ship) होता है। यह एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है।
- इस चीनी रॉकेट का वाणिज्यिक लॉन्च 'फर्म एक्सपेस' (Firm Expace) द्वारा संचालित किया गया था। गौरतलब है कि इसे वर्ष 2018 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी।
- इसे KZ-11 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 70.8 टन की वहनीय भार क्षमता थी और इसे पृथ्वी की निचली एवं सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।

चीन के अन्य महत्त्वपूर्ण मिशन:

- तियानवेन-1 (Tianwen-1): चीन का यह मंगल मिशन जुलाई, 2020 तक शुरू किया जाएगा। चीन का पिछला यिंगहुओ-1 (Yinghuo-1) मंगल मिशन जिसे रूस द्वारा समर्थन दिया गया था, वर्ष 2012 में विफल हो गया था। तियानवेन-1 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट (Long March 5 Rocket) का प्रयोग किया जाएगा।
- लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट (Long March 5 Rocket): इसे एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिये चीन के सफल कदम के रूप में माना जाता है।
- तियांगोंग (Tiangong): वर्ष 2022 तक चीन अपना स्पेस स्टेशन (तियांगोंग) बनाने का कार्य पूरा कर लेगा। चीनी भाषा में तियांगोंग (Tiangong) का अर्थ 'हैवेनली पैलेस' (Heavenly Palace) है।

महत्त्व:

- यद्यपि यह प्रक्षेपण विफल रहा किंतु यह चीन में तेज़ी से बढ़ते वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग (Commercial Space Industry) को दर्शाता है।
- विश्लेषक बताते है कि वाणिज्यिक प्रक्षेपण चीन में एक उभरता हुआ उद्योग है। चीनी सरकार द्वारा वर्ष 2014 में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश के लिये आसान बनाये गए नियमों के बाद अस्तित्त्व में आई एक्सपेस (Expace), आईस्पेस (iSpace) और लैंडस्पेस (Landspace) जैसी कंपनियाँ अपने पारंपरिक लॉन्च ऑपरेशन के लिये प्रक्रिया क्षमताओं का तीव्र विकास करने पर ज़ोर दे रही हैं।
    - इसने चीनी सरकार एवं वाणिज्यिक ग्राहकों दोनों के लिये अधिक लाभ प्रदान किया है।

अंतरिक्ष का व्यावसायीकरण एवं भविष्य में भारत और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा की संभावना:

- कम लागत वाले वाहक रॉकेटों के विकास को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये कि चीन 'वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाज़ार' को आकर्षित करने हेतु भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये तैयार है।
- वर्ष 2017 में चीनी मुख्य पत्र 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, चीन का वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग भारत से पीछे है।
- गौरतलब है कि भविष्य में चीनी रॉकेटों को उपग्रह बाज़ार में अपने लिये एक जगह बनानी होगी जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) पहले ही एक मुकाम हासिल कर चुका है।
    - इसरो के प्रयासों एवं विश्वसनीय 'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) से अब तक 297 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है और इसके विभिन्न संस्करण हैं जो विभिन्न आकार के पेलोड और भिन्न-भिन्न कक्षाओं में उपग्रहों को ले जाने की क्षमता रखते हैं।

- लघु उपग्रह क्रांति (Small Satellite Revolution):
  - गौरतलब है कि इस समय वैश्विक स्तर पर 'लघु उपग्रह क्रांति' (Small Satellite Revolution) चल रही है जिसके तहत वर्ष 2020 और वर्ष 2030 के बीच 17000 छोटे उपग्रहों को लॉन्च किये जाने की उम्मीद है।

अंतरिक्ष पर्यटन एवं भारत:

- अंतरिक्ष पर्यटन क्या है?
  - अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिये मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। अंतरिक्ष पर्यटन के कई अलग-अलग प्रकार हैं जिसमें कक्षीय (Orbital), उप-कक्षीय (Suborbital) और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन (Lunar Space Tourism) शामिल हैं।
    - वर्तमान में कक्षीय (Orbital) अंतरिक्ष पर्यटन के लिये केवल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ही कार्य कर रही है।
- भारत के लिये अवसर:
  - आर्थिक तौर पर कुशल लॉन्च वाहनों के अलावा भारत को निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाओं की तलाश करनी चाहिये।
  - इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिये एक नीतिगत ढाँचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाना चाहिये।
  - अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में भारत यदि नीतिगत दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है तो यह क्षेत्र आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक अहम क्षेत्र साबित होने के साथ-साथ भारत को 'वैश्विक/क्षेत्रीय सामरिक भागीदारी' में बढ़त दिला सकता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा:

- संयुक्त राज्य अमेरिका: हाल ही में स्पेसएक्स (SpaceX) 'मानव स्पेसफ्लाइट' को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक ले जाने के लिये अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन (Crew Dragon) का उपयोग किया गया।
- सिंगापुर: यह पूर्वी एशियाई देश अपने वैध वातावरणीय क्षेत्र, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता एवं भूमध्यरेखीय स्थान की अनुकूलता के आधार पर अंतरिक्ष उद्यमिता के एक केंद्र के रूप में खुद को पेश कर रहा है।
- न्यूज़ीलैंड: यह प्रशांत महासागरीय देश निजी रॉकेट लॉन्च के लिये सटीक अवस्थिति होने के कारण स्वयं को वैश्विक स्तर पर आगे कर रहा है।

भारत द्वारा अंतरिक्ष उद्यमिता के लिये उठाए गए कदम:

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorization Centre- IN-SPACe) द्वारा निजी कंपनियों को अवसर प्रदान करने के लिये स्वीकृति देना।
- 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' (New Space India Limited- NSIL), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation) की नव निर्मित दूसरी वाणिज्यिक शाखा है।
  - यह 'एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन' के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को मुख्य रूप से वर्ष 1992 में इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था।
- इसरो वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों में अंतरिक्ष मिशनों के लिये कम लागत में मिशन पूरा करने वाला अग्रणी संस्थान है। लागत-प्रभावशीलता ने इसे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के वाणिज्यिक क्षेत्र में एक अलग बढ़त दी है।
- देश के भीतर विशेषज्ञता के ऐसे मूल्यवान आधार के साथ एक निजी अंतरिक्ष उद्योग के उद्भव की उम्मीद करना स्वाभाविक है जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी साबित हो सकता है।

आगे की राह:

- अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा, जटिलता एवं मांग के साथ यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय कानून होना चाहिये।
- भारत के लिये एक नया राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून आने वाले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पूरा किया जाना चाहिये।

गैर-व्यक्तिगत डेटा

चर्चा में क्यों?

इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया है कि देश की विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को भारत में उत्पन्न होने वाले गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data) के दोहन की अनुमति दी जानी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते वर्ष नवंबर माह में सरकार ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और अकादमिक जगत के विशेषज्ञों को मिलाकर एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
- इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्पन्न होने वाले डेटा के संग्रहण से संबंधित नियम कानूनों का खाका (Blueprint) तैयार करना था।
- इस समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया है, जिसके पास मुख्य तौर पर भारत में उत्पन्न हुआ गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और दोहन की निगरानी करने से संबंधित अधिकार होंगे।
- फिलहाल समिति की इस मसौदा रिपोर्ट को आम जनता की टिप्पणी और सुझावों के लिये सार्वजनिक मंच पर जारी कर दिया गया है।

गैर-व्यक्तिगत डेटा का अर्थ?

- सरल और बुनियादी रूप में गैर-व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैर-व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होता है।
- उदाहरण के लिये किसी खाद्य वितरण सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग और अन्य संपर्क (Contact) संबंधी जानकारी मांगी जाती है।
    - अब यदि डेटा के इस समूह से नाम और संपर्क संबंधी सूचना हटा दी जाए तो यह गैर-व्यक्तिगत डेटा बन जाएगा और इसके आधार पर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होगा।
- सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में डेटा के स्रोत और इस तथ्य के आधार पर कि डेटा के माध्यम से व्यक्ति विशिष्ट की पहचान की जा सकती है अथवा नहीं, गैर-व्यक्तिगत डेटा को मुख्यत: तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-
    - सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Public Non-Personal Data)
    - सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data)
    - निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data)

सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Public Non-Personal Data)

- समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र किये गए सभी प्रकार के डेटा जैसे कि जनगणना, नगर निगम द्वारा कर रसीद के माध्यम एकत्र डेटा और सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के निष्पादन के दौरान एकत्र की गई जानकारी को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा में शामिल किया है।

सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data)

- सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित डेटा को शामिल किया गया है, जैसे- एक ही भौगोलिक स्थिति साझा करने वाले लोगों का डेटा, किसी एक विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों का डेटा अथवा एक जैसा रोज़गार करने वाले लोगों का डेटा आदि।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र डेटा, सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में आता है।

नोट :

निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data)

- अंततः निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में उस डेटा को शामिल किया गया है, जो कि एक व्यक्ति विशिष्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है।

कितना संवेदनशील है गैर-व्यक्तिगत डेटा?

- व्यक्तिगत डेटा के विपरीत, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, बॉयोमीट्रिक्स और अन्य आनुवंशिक विवरण शामिल होते हैं, गैर-व्यक्तिगत डेटा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव नहीं होता है।
- हालाँकि, कुछ श्रेणियों में जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डेटा या रणनीतिक हित जैसे सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुसंधान सुविधाओं से संबंधित डेटा, यदि गलत हाथों में लग जाता है और इसका अनुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है तो यह भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है।
- इसके अलावा समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य से संबंधित गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुक्त प्रवाह भी खतरनाक साबित हो सकता है।
- मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के नुकसान की संभावनाएँ तब और अधिक प्रबल हो जाएंगी जब मूल व्यक्तिगत डेटा संवेदनशील प्रकृति का हो, इसलिये ऐसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से उत्पन्न होने वाले गैर-व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशील गैर-व्यक्तिगत डेटा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये और इसकी सुरक्षा पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये।

डेटा और इसका महत्त्व

- सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रायः मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर और सर्च हिस्ट्री आदि के लिये डेटा शब्द का उपयोग किया जाता है।
- तकनीकी रूप से डेटा को किसी ऐसी जानकारी के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके।
- गौरलतब है कि यह जानकारी दस्तावेज़, चित्र, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी अन्य प्रारूप में हो सकती है।
- वर्तमान समय में व्यक्तिगत जानकारी का यह भंडार मुनाफे का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है और विभिन्न कंपनियाँ अपने उपयोगकर्त्ताओं के अनुभव को सुखद बनाने के उद्देश्य से इसे संग्रहीत कर इसका प्रयोग कर रही हैं।
- सरकार एवं राजनीतिक दल भी नीति निर्माण एवं चुनावों में लाभ प्राप्त करने के लिये सूचनाओं के भंडार का उपयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डेटा का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है।

गैर-व्यक्तिगत डेटा से संबंधित वैश्विक मानक

- मई 2019 में यूरोपीय संघ (European Union-EU) ने गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह के लिये एक विनियमन ढाँचा प्रस्तुत किया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि डेटा साझाकरण के मुद्दे पर संघ के अभी सदस्य देश एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।
- हालाँकि यूरोपीय संघ (EU) के इस विनियमन में गैर-व्यक्तिगत डेटा को स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था, इस विनियमन में केवल इतना कहा गया था कि वह डेटा जो व्यक्तिगत डेटा नहीं है, वह गैर-व्यक्तिगत डेटा में शामिल है।
- इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देश ऐसे हैं, जिनमें न तो व्यक्तिगत और न ही गैर-व्यक्तिगत डेटा के लिये कोई राष्ट्रव्यापी डेटा संरक्षण कानून बनाया गया है।

समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट में निहित समस्याएँ

- विशेषज्ञों के अनुसार, गैर-व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण से संबंधित इस मसौदा रिपोर्ट में ऐसे डेटा की शक्ति, भूमिका और उपयोग की पहचान करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है, हालाँकि इस मसौदा रिपोर्ट में कई बिंदु ऐसे हैं, जिन्हें और अधिक स्पष्ट किया जा सकता था।
    - इस मसौदा रिपोर्ट में सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा के संबंध में चर्चा करते हुए सामुदायिक अधिकारियों के मुद्दे को और सही ढंग से संबोधित किया जा सकता था।

ब्लैकरॉक एंड्रॉइड मैलवेयर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में थ्रेटफैब्रिक (ThreatFabric) नामक एक निजी कंपनी ने एंड्रॉइड फोन उपयोगकर्त्ताओं के लिये ब्लैकरॉक (BlackRock) नाम के एक नए एंड्रॉइड मैलवेयर से संबंधित चेतावनी जारी की है, जो कि मोबाइल फोन उपयोगकर्त्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु

- इस मैलवेयर को लेकर जारी सूचना के अनुसार, यह अमेज़न, फेसबुक, जी-मेल (Gmail) और टिंडर (Tinder) समेत लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लिकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है।
- चूँकि उपरोक्त सभी स्मार्टफोन एप्लिकेशन आम उपयोगकर्त्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, इसलिये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस मैलवेयर से उत्पन्न खतरे को काफी गंभीर मान रहे हैं।

ब्लैकरॉक एंड्रॉइड मैलवेयर

- साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लैकरॉक एंड्रॉइड मैलवेयर कोई नया मैलवेयर नहीं है, बल्कि यह 'ज़ेरेस मैलवेयर (Xeres Malware) के लीक हुए सोर्स कोड (Source Code) पर आधारित है।
- ब्लैकरॉक और अन्य एंड्रॉइड बैंकिंग मैलवेयर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये पहले से मौजूद सभी मैलवेयरों की तुलना में अधिक एप्स को लक्षित कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि यह मैलवेयर किसी नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय ही उसी के साथ हमारे फोन में प्रवेश करता हैं।

ब्लैकरॉक एंड्रॉइड मैलवेयर का इतिहास

- दरअसल सबसे पहले वर्ष 2016 के अंत में लोकीबॉट (LokiBot) नाम से एक मैलवेयर सामने आया था, कुछ समय पश्चात् जब मैलवेयर के निर्माता को विभिन्न मंचों पर प्रतिबंधित कर दिया गया तो उसने इस मैलवेयर के सोर्स कोड (Source Code) को लीक कर दिया।
- वर्ष 2018 के शुरुआती माह में मिस्ट्रीबॉट (MysteryBot) मैलवेयर को सक्रिय होते हुए देखा गया, यद्यपि यह लोकीबॉट मैलवेयर पर ही आधारित था, किंतु इसे नए एंड्रॉइड संस्करणों (Android Versions) पर कार्य करने के लिये अपग्रेड किया गया था, साथ ही इसमें व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिये नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था।
- वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में मिस्ट्रीबॉट मैलवेयर के उत्तराधिकारी के रूप में पैरासाइट (Parasite) नाम से एक नया मैलवेयर सामने आया, जिसमें कुछ नए फीचर शामिल थे।
- मई 2019 में एक्सरेस (Xeres) नाम से एक नया मैलवेयर आया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से पैरासाइट मैलवेयर पर और अप्रत्यक्ष रूप से लोकीबॉट मैलवेयर पर आधारित थे, जब साइबर सुरक्षा से संबंधी विभिन्न मंचों पर यह मैलवेयर असफल रहा तो इसके निर्माता ने भी इसके सोर्स कोड (Source Code) को सार्वजनिक कर दिया।
- अंततः एक्सरेस मैलवेयर के सोर्स कोड का प्रयोग करते हुए ब्लैकरॉक नाम का मैलवेयर बनाया गया, इस मैलवेयर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सोशल मीडिया एप्स जैसे- फेसबुक तथा जी-मेल और नेटवर्किंग एप्स जैसे- टिंडर आदि को लक्षित करता है।

कैसे कार्य करता है यह मैलवेयर?

- ब्लैकरॉक मैलवेयर भी अधिकांश एंड्रॉइड मैलवेयर की तरह ही कार्य करता है, एक बार फोन मंर इनस्टॉल (Install) होने के पश्चात् यह लक्षित एप की निगरानी करता है और जब उपयोगकर्त्ता लॉगिन अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी का प्रयोग करता है, तो यह मैलवेयर इस संवेदनशील जानकारी को अपने सर्वर के पास भेज देता है।
- यह मैलवेयर किसी भी एंड्रॉइड फोन के 'एक्सेसिबिलिटी फीचर' (Accessibility Feature) का उपयोग करता है।

नोट :

- जब मैलवेयर पहली बार एंड्राइड फोन पर लॉन्च किया जाता है, तो यह स्वयं ही एप्स की सूची से अपने आइकन (Icon) छिपा लेता है, जिसके कारण फोन उपयोगकर्त्ता के लिये यह अदृश्य हो जाता है और एक आम उपयोगकर्त्ता के लिये इसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता है।
- साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लैकरॉक मैलवेयर केवल ऑनलाइन बैंकिंग एप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य श्रेणियों से संबंधित एप्स जैसे- व्यवसाय, कम्युनिकेशन, मनोरंजन, संगीत और समाचार एवं पत्रिका आदि को भी लक्षित कर सकता है।

क्या होता है मैलवेयर?

- मैलवेयर, किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे-धीरे कंप्यूटर को धीमा कर सकता है।
- इस प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण ही किसी कंप्यूटर उपकरणों को नुकसान पहुँचाने और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी चुराने के उद्देश्य से किया जाता है।
- आमतौर पर मैलवेयर का निर्माण हैकर के समूहों द्वारा किया जाता है, जो कि अधिकांशत: इसका प्रयोग अधिक-से-अधिक पैसा कमाने के लिये करते हैं। इस कार्य के लिये वे या तो स्वयं मैलवेयर को अन्य कंप्यूटरों तक फैला सकते हैं अथवा वे इसे डार्क वेब (Dark Web) पर बेंच सकते हैं।
- हालाँकि यह ज़रूरी नहीं है कि मैलवेयर का निर्माण सदैव नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ही किया जाए, कभी-अभी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा संबंधी परीक्षण करने के लिये भी मैलवेयर का निर्माण करते हैं, जिसे कार्य पूरा होने के पश्चात् नष्ट कर दिया जाता है।

बचाव संबंधी उपाय

- यह नया मैलवेयर इतना शक्तिशाली है कि यह एंटी-वायरस एप्लीकेशन को भी असफल कर सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, मैलवेयर इनस्टॉल होने के पश्चात् यदि फोन उपयोगकर्त्ता किसी एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है तो यह मैलवेयर उसे वापस होम स्क्रीन (Home Screen) पर रीडायरेक्ट कर देगा अर्थात उसे वापस होम स्क्रीन पर पहुँचा देगा।
- आवश्यक है कि किसी भी एप को विश्वसनीय स्रोतों जैसे गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) आदि से ही डाउनलोड किया जाए, अथवा इस कार्य के लिये कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग किया जाए।
- इसके अलावा एक मज़बूत पासवर्ड का प्रयोग किया जाए, स्पैम और फिशिंग आदि से सावधानी बरती जाए और किसी भी एप्लीकेशन को अनुमति देने से पूर्व उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए।

काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयत्र की तीसरी इकाई [Kakrapar Atomic Power Project (KAPP-3)] में पहली बार क्रांतिकता (Criticality) प्राप्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है।
- इस संयंत्र की पहली दो इकाइयाँ कनेडियन (Canadian) तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्णरूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है।
- इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले 'दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर' (Pressurized Heavy Water Reactor- PHWR) के निर्माण को 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट के ही दूसरी इकाई के निर्माण को 1 सितंबर, 1995 को अधिकृत किया गया था।
- इस संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई के निर्माण का कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ था।

क्रांतिकता (Criticality) :

परमाणु ऊर्जा संयत्र की क्रांतिकता से आशय संयंत्र में पहली बार नियंत्रित स्व-संधारित नाभिकीय विखंडन (Controlled Self-sustaining Nuclear Fission) श्रृंखला की शुरुआत से है।

काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई (KAPP-3):

- KAPP-3 भारतीय घरेलू असैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- KAPP-3 भारत पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई है।
- PHWR प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन और भारी जल (D_2O) को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- अब तक भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई मात्र 540 मेगावाट की थी, इस प्रकार की दो इकाइयाँ महाराष्ट्र के तारापुर संयत्र में स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2011 में इस संयंत्र की तीसरी इकाई के निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद मार्च 2020 के मध्य में इसमें ईंधन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

विशेषताएँ:

- भारत में स्वदेशी निर्मित इस 700 मेगावाट के PHWR में 'स्टील लाइंड इनर कंटेंटमेंट', निष्क्रिय क्षय ऊष्मा निष्कासन प्रणाली, रोकथाम स्प्रे प्रणाली, हाइड्रोजन प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में योगदान:

- गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6,780 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की तैयारी की जा रही है।
- ऐसे में 700 मेगावाट के इस परमाणु संयंत्र की सफलता भारतीय ऊर्जा विस्तार योजना में एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करेगी।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता [लगभग 371,054 मेगावाट (जुलाई 2020 तक)] में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 2% ही है।
- वर्तमान में जब देश में 900 मेगावाट क्षमता के 'दाबयुक्त जल रिएक्टर' (Pressurised Water Reactor- PWR) के विकास की तैयारी की जा रही है, ऐसे में KAPP-3 से प्राप्त हुआ अनुभव इस योजना में भी उपयोग किया जा सकेगा।
- वर्तमान में देश में '4700 मेगावाट' क्षमता के परमाणु संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें से दो काकरापार (KAPP-3 और KAPP-4) तथा रावतभाटा (राजस्थान) में स्थित हैं।
  - KAPP-3 और KAPP-4 का निर्माण 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (Nuclear Power Corporation of India Limited) द्वारा किया गया है।

'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (Nuclear Power Corporation of India Limited- NPCIL):

- NPCIL, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (Public Sector Enterprise- PSE) है।
- इसका मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है।
- NPCIL, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। NPCIL को सितंबर, 1987 में 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था

नोट :

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अक्तूबर माह तक भारत की पाँचवीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (Science, Technology and Innovation Policy-STIP) के पहले मसौदे को प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- नीति संबंधी प्रमुख तथ्य
  - गौरतलब है कि किसी भी समस्या के समाधान की प्रक्रिया आमतौर पर बहुआयामी एवं अंतर-संस्थागत होती है और कोई भी वैज्ञानिक किसी एक बहुआयामी समस्या को हल नहीं कर सकता है, इसलिये भारत की पाँचवीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास कर रही है।
  - उदाहरण के लिये उन किसानों से भी सुझाव प्राप्त किया जाएगा, जिनके पास या तो कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं अथवा किसी विशिष्ट समस्या का समाधान मौजूद है।
  - उल्लेखनीय है कि यह नीति नए भारत के लिये COVID-19 से मिले सबक को एकीकृत करने के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन आदि के क्षेत्र में जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर का लाभ उठाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी साकार करेगी।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, इस नीति की निर्माण प्रक्रिया में मुख्यत: चार ट्रैक शामिल किये गए हैं:
    - ट्रैक 1: इस ट्रैक में मुख्य तौर पर 'विज्ञान नीति फोरम' के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक एवं विशेषज्ञ परामर्श की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 'विज्ञान नीति फोरम' नीति की प्रारूपण प्रक्रिया के दौरान तथा उसके बाद विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करने के लिये एक समर्पित मंच है।
    - ट्रैक 2: इस ट्रैक के अंतर्गत सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये विशेषज्ञों के विषयगत (Thematic) परामर्श शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिये 21 मुख्य विषयगत समूहों का गठन किया गया है।
    - ट्रैक 3: इस ट्रैक के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श करना शामिल है।
    - ट्रैक 4: इस ट्रैक के अंतर्गत उच्च स्तरीय बहु-हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शामिल है।
- उद्देश्य और महत्त्व
  - वर्ष 2003 के वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक में भारत 56वें स्थान पर था, जबकि इस सूचकांक में चीन 44वें स्थान पर था, किंतु इस सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत 71वें स्थान पर आ गया और चीन 28वें स्थान पर पहुँच गया।
  - इसी बीच वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2014 (Global Innovation Index 2014) में भारत 76वें स्थान पर पहुँच गया, जबकि चीन 29वें स्थान पर।
  - भारत की पाँचवीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय समस्याओं और संकटों के लिये वैज्ञानिक समाधानों की आवश्यकता को पूरा करते हुए इसी अंतर को कम करना है, जो कि वर्तमान समय में भी इसी प्रकार मौजूद है।
  - भारत की यह पाँचवीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (STIP) एक ऐसे समय में तैयार की जा रही है, जब भारत समेत संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का सामना कर रहा है और आशा भरी नज़रों से विज्ञान की ओर देख रहा है।
- पूर्व की नीतियों में निहित कमियाँ
  - विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्व में बनाई गई कई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी नीतियों में सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि उन्हें सही ढंग से कार्यान्वयित नहीं किया गया था।
  - उदाहरण के लिये नीति किसी एक सरकार द्वारा बनाई गई, किंतु उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ गई, जिसके कारण नीति के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।
  - इस प्रकार इन नीतियों पर अधिक ध्यान न देने के कारण उनका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी पूर्व की नीतियाँ

- देश में अब तक कुल चार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी नीतियाँ बनाई गई हैं।
  - वैज्ञानिक नीति संकल्प (1958): इस संबंध में भारत द्वारा पहली नीति वर्ष 1958 में बनाई गई थी, इस नीति का निर्माण होमी जहाँगीर भाभा द्वारा किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक नीति संकल्प (1958) ने भारत में विज्ञान और वैज्ञानिक उद्यम की नींव रखी थी।
  - प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (Technology Policy Statement) 1983: प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य, 1983 की प्राथमिक विशेषता स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रचार एवं विकास के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना थी। इस नीति में यह स्वीकार किया गया कि भारत को आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में कुशलता दिखानी चाहिये, किंतु यह राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं किया जा सकता।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003: इस नीति का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखना था, ताकि तेज़ी से भूमंडलीकृत हो रहे विश्व में दुनिया में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने और सतत् विकास के प्राथमिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013: इस नीति के तहत वर्ष 2010 से वर्ष 2020 के दशक को नवाचार के दशक के रूप में परिभाषित किया गया। नीति के तहत यह स्वीकार किया गया कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है। यह नीति एक मज़बूत राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक कदम था।

आगे की राह

- चूँकि वैश्विक स्तर पर तकनीक तेज़ी से बदल रही है, इसलिये आवश्यक है कि भारत की इस नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार संबंधी नीति को इस प्रकार बनाया जाए कि वह स्वयं को इस परिवर्तन के अनुरूप ढाल सके, साथ ही प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ तालमेल स्थापित करने के लिये आवश्यक है कि प्रतिवर्ष इस नीति की समीक्षा की जाए।
  - ध्यातव्य है कि अब तक जो नीतियाँ बनाई गई हैं, वे स्वयं को परिवर्तन के अनुकूल ढालने में सक्षम नहीं रही हैं, साथ ही उनकी समीक्षा भी दशकों बाद ही की जाती थी।

अंतर-ग्रहीय संदूषण: अंतरिक्ष मिशन संबंधी एक बड़ा खतरा

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के साथ, खगोल जीव वैज्ञानिकों (Astrobiologists) ने संभावित 'अंतर-ग्रहीय संदूषण' (Interplanetary Contamination) को लेकर चिंता ज़ाहिर की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बीते दिनों मंगल ग्रह से संबंधी दो मिशन लॉन्च किये गए, जिसमें पहला चीन का तियानवेन-1 (Tianwen-1) जो कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा, वहीं दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का 'होप मिशन' है, जो कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसके वातावरण का अध्ययन करेगा।
  - आगामी दिनों में अमेरिका भी मंगल ग्रह के लिये एक मिशन लॉन्च करेगा, ऐसे में यदि सब कुछ सही रहता है तो वर्ष 1975 से अब तक मंगल ग्रह पर यह राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) की 10वीं सफल लैंडिंग होगी।
- खगोल जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रकार का संदूषण मुख्य तौर पर दो प्रकार हो सकता है, इसमें पहला फॉरवर्ड कंटैमिनेशन (Forward Contamination) और दूसरा बैक कंटैमिनेशन (Back Contamination) शामिल है।

फॉरवर्ड कंटैमिनेशन (Forward Contamination)

- यहाँ फॉरवर्ड कंटैमिनेशन (Forward Contamination) का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाणुओं (Microbes) का किसी अन्य खगोल-काय (Celestial Bodies) पर पहुँचने से है।

- इतिहास में कई अंतरिक्ष मिशनों ने धूमकेतु (Comets) और क्षुद्रग्रह (Asteroid) जैसे खगोल-कायों के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित किया है।
    - चूँकि इन खगोल-कायों के संबंध में यह सिद्ध है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है, इसलिये यहाँ पर फॉरवर्ड कंटैमिनेशन एक चिंतनीय विषय नहीं है।
- हालाँकि मंगल ग्रह के मामले में स्थितियाँ अलग हैं और मंगल से संबंधी कई अंतरिक्ष मिशनों ने ग्रह पर पहले से ही तरल रूप में जल के भंडार खोज लिये हैं और वहाँ सक्रिय रूप से जीवन की खोज की जा रही है।
- खगोल जीव वैज्ञानिक (Astrobiologists) मानते हैं कि यदि मंगल पर जीवन की कोई भी संभावना है तो चाहे वह अपने सबसे आदिम रूप में ही क्यों न हो, मानवता पर एक नैतिक दायित्त्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु मंगल ग्रह के जैवमंडल (Biosphere) तक न पहुँच सकें ताकि वहाँ जीवन प्राकृतिक रूप से विकसित हो सके।
- खतरा: इसके अलावा वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणु यदि मंगल ग्रह पर पहुँच जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह के जीवाणुओं की प्रमाणिकता (Integrity) को नष्ट कर देंगे अथवा सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर मौजूदा जीवाणु मंगल ग्रह के जीवाणुओं में मिलावट कर सकते हैं।
    - यह उन वैज्ञानिकों के लिये काफी चिंताजनक होगा, जो मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने हेतु मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं।

बैक कंटैमिनेशन (Back Contamination)

- बैक कंटैमिनेशन (Back Contamination) का अर्थ अंतरिक्ष में विभिन्न खगोल-कायों पर मौजूद ऐसे जीवाणुओं के पृथ्वी पर आने से है, जो अभी तक पृथ्वी के जैवमंडल (Biosphere) में मौजूद नहीं थे।
- नासा (NASA) मंगल ग्रह के नमूनों जैसे वहाँ की मिट्टी और चट्टान आदि को पृथ्वी पर वापस लाने से संबंधी एक मिशन की योजना बना रहा है। अनुमान के अनुसार, इस मिशन के तहत संभवत: वर्ष 2031 तक मंगल ग्रह के नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा।

ग्रहों की सुरक्षा

- संयुक्त राष्ट्र की बाहरी अंतरिक्ष संधि-1967, अंतरिक्ष के सैन्यीकरण (Militarisation) के विरुद्ध एक बाधक के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, इसमें शामिल सभी राष्ट्रों को अंतरिक्ष के संदूषण जोखिमों के बारे में चिंता करना और विचार करना अनिवार्य बनाती है।
    - अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर बाहरी अंतरिक्ष संधि, 1967 में हुई थी, जिसमें भारत शुरू से ही शामिल रहा है। यह संधि अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगाती है, जो जनसंहारक हों।
- इस संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (Committee on Space Research) ने एक 'ग्रह सुरक्षा नीति' (Planetary Protection Policy) का निर्माण किया है जिसका उद्देश्य अन्य ग्रहों पर भेजे गए जीवाणुओं की संख्या को सीमित करना है।
- नासा के अनुसार, 'ग्रह सुरक्षा नीति' में दिये गए दिशा-निर्देशों का मानव अंतरिक्ष यान के डिज़ाइन, उसकी परिचालन प्रक्रियाओं और समग्र मिशन संरचना पर काफी दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

ग्रह सुरक्षा नीति

- पृथ्वी की सीमा से परे और उसमें मौजूद विभिन्न तत्वों को जानने के लिये विभिन्न देशों द्वारा अब लगातार नए-नए अंतरिक्ष मिशन चलाए जा रहे हैं, किंतु यह मानवता का नैतिक दायित्त्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इस दौरान हम बाह्य अंतरिक्ष में उपस्थित किसी खतरनाक पदार्थ को पृथ्वी पर न ले आएँ, साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हम पृथ्वी के किसी जीवाणु को बाह्य अंतरिक्ष में न जाने दें।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) ने एक ग्रह सुरक्षा नीति तैयार की है।

आगे की राह

- फॉरवर्ड कंटैमिनेशन से बचाव के लिये अंतरिक्ष संबंधी सभी मिशनों में यह ध्यान रखा जाता है कि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से जीवाणुरहित (Sterilised) हो।
    - नासा के अनुसार, मंगल ग्रह से संबंधी बीते लगभग सभी मिशनों में अंतरिक्ष यान को पूरी तरह से जीवाणुरहित करने के बाद ही अंतरिक्ष में भेजा गया था।

नोट :

- गौरतलब है कि बीते सप्ताह नासा के ही एक मिशन को संभावित संदूषण की समस्या को हल करने के लिये दूसरी बार स्थगित किया गया था।

- हालाँकि बैक कंटैमिनेशन के मामले में अंतरिक्ष यान को कीटाणुरहित करना एक विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इससे मंगल ग्रह अथवा किसी अन्य खगोल-काय से प्राप्त नमूने की मूल प्रकृति नष्ट हो जाएगी।
- इस प्रकार पृथ्वी पर अंतरिक्ष के किसी अन्य खगोल निकाय के जीवाणुओं को आने से रोकने के लिये अथवा बैक कंटैमिनेशन को रोकने के लिये आवश्यक एहतियात बरतना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।

चेचक की उत्पत्ति पर नवीनतम शोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में में शोधकर्त्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा किये गए अध्ययन में चेचक रोग (Smallpox Disease) की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने अध्ययन में बताया गया कि चेचक रोग का अस्तित्व 8 वीं शताब्दी ई.पू. के वाइकिंग युग (Viking age) में भी विद्यमान था।
- वाइकिंग युग मध्य युग के दौरान की वह अवधि थी जब नूरमेन्स (Norsemen) ने पूरे यूरोप में उपनिवेशीकरण, विजय और व्यापार किया तथा वह 9 वीं और 10 वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका तक पहुँच गया था।
- चेचक की उत्पत्ति के बारे में हमेशा ही अस्पष्टता की स्थिति बनी रही है।
- अभी तक, लिखित रिकॉर्ड के आधारों पर 17 वीं शताब्दी के लिथुआनिया के एक बच्चे के प्राप्त ममीकृत अवशेषों में चेचक की बीमारी का सबसे पहला प्रमाणित मामला सामने आया था।

चेचक:

- चेचक एक संक्रामक रोग है जो वैरियोला वायरस (Variola Virus-VARV) के कारण होता है।
- प्रसार: यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है।
- उन्मूलन: चेचक मानव जाति के लिये सबसे घातक ज्ञात बीमारियों में से एक है जिसे केवल टीकाकरण के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है।
- वर्ष 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में वैश्विक चेचक टीकाकरण अभियान के बाद इसे पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया था।
- वैक्सीन: चेचक के लिये सबसे प्रभावी टीका/वैक्सीन की खोज वर्ष 1796 में एडवर्ड जेनर (Edward Jenner) द्वारा की गई थी।

नवीनतम शोध के प्रमुख निष्कर्ष:

- विषाणु के अनुक्रम का पता लगाना: वैरियोला वायरस अनुक्रम को उत्तरी यूरोप के 13 व्यक्तियों से प्राप्त किया गया था जिसमें से 11 व्यक्ति 600–1050 CE से संबद्ध हैं।
- संपूर्ण यूरोप में वायरस की उपस्थित: शुरुआती लिखित रिकॉर्ड के आधार पर 6 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वायरस का अनुक्रम दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में सयुक्त रूप से महामारी के रूप में सभी यूरोपीय (Pan European) लोगों में चेचक के रूप में उपस्थित था।
  - अध्ययन के अनुसार, लगभग 1700 वर्ष पहले जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तथा लोग द्वारा यूरेशिया में पलायन किया गया उस वक्त भी चेचक का वायरस लोगों के बीच मौज़ूद था।
- अनुवांशिक संरचना: अध्ययन के अनुसार 11 व्यक्तियों से प्राप्त किये गए वायरस के स्ट्रेन की आनुवंशिक संरचना वायरस के आधुनिक/वर्तमान संस्करण से अलग है, जिसका उन्मूलन वर्ष 1979-80 में ही किया जा चुका है।

- वायरस का वाइकिंग प्रकार पहले अज्ञात था लेकिन अब यह वायरस का एक विलुप्त समूह या क्लेड है।
- क्लेड एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक सामान्य पूर्वज और उस पूर्वज के सभी वंशज (जीवित और विलुप्त) शामिल होते हैं।.
- आधुनिक चेचक तथा इसके प्राचीन वैरिएंट/प्रकार दोनों की उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है जिनमें 1700 वर्ष पूर्व अलगाव/विचलन हो गया था।

शोध का महत्त्व:

- वायरस के बारे में जानकारी: हालाँकि अध्ययन के परिणामों का COVID -19 महामारी के मौजूदा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी यह इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि समय के साथ एक वायरस किस प्रकार घातक हो सकता है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चेचक उन कई अन्य बीमारियों के बीच नवीनतम बीमारी है जिसका इतिहास हाल के कुछ वर्षों में उनके प्राचीन डीएनए विश्लेषण के द्वारा फिर से लिखा गया है।
  - इससे पहले वर्ष 2015 में, एक अध्ययन में बताया गया कि मध्ययुगीन यूरोप में 3000 और 1000 ईसा पूर्व के बीच कांस्य युग में लाखों लोगों को मारने वाले प्लेग का पता लगाया गया है।
  - दूसरी ओर वर्ष 2018 में, हेपेटाइटिस बी की उत्पत्ति भी कांस्य युग में ही देखी गई थी।
- प्रसार के तरीके: अध्ययन के निष्कर्ष उन तरीकों को समझने में मदद करेंगे जिनसे बीमारियों ने अतीत में मानव आबादी को प्रभावित किया है।
  - डीएनए से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्लेग और हेपेटाइटिस बी जैसे प्रमुख रोगों की उत्पत्ति इनके प्रागैतिहासिक प्रवास/स्थानांतरण से संबंधित है। जो कि चेचक रोग के बारे में भी सत्य प्रतीक होती है।
  - यह अध्ययन इस बात को भी जानने में मदद करेगा कि क्या पलायन ने बीमारियों को नए क्षेत्रों में फैलाया है या बीमारी के उदगम ने लोगों को स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित किया है।

PLpro प्रोटीन और SARS-CoV-2 वायरस

चर्चा में क्यों ?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में उत्पन्न विशेष प्रोटीन पीएलप्रो (PLpro) की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के दौरान मानव में उत्पन्न होता है तथा वायरस के प्रतिकृति निर्माण में मदद करता है।

प्रमुख बिंदु:

- जब कोरोनावायरस- SARS-CoV-2 मानव कोशिका में प्रवेश करता है तो यह शरीर के कोशिका तंत्र को नियंत्रित कर लेता है।
- इस वायरस के शरीर में प्रवेश करने पर मानव कोशिका तंत्र द्वारा विशेष प्रकार का प्रोटीन; जिन्हें PLpro कहा जाता है, निर्मित होता है।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वायरस की प्रतिकृति निर्माण के लिये यह PLpro प्रोटीन आवश्यक होता है।

SARS-CoV-2 के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा प्रणाली:

- जब SARS-CoV-2 वायरस से मानव शरीर संक्रमित होता है, तो संक्रमित शरीर की कोशिकाओं द्वारा 'टाइप-1 इंटरफेरॉन' नामक संदेशवाहक पदार्थ मुक्त किया जाता है। ये संदेशवाहक पदार्थ शरीर की मारक कोशिकाओं (Killer Cells) या NK सेल को आकर्षित करते हैं और संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करते हैं।
- मानव कोशिकाओं द्वारा PLpro प्रोटीन का उत्पादन प्रारंभ होने पर SARS-CoV-2 वायरस पुन: प्रतिरक्षा प्रणाली के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि PLpro प्रोटीन टाइप 1 इंटरफेरॉन के निर्माण को प्रभावित करता है। इससे शरीर की मारक कोशिकाओं या NK कोशिकाओं को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है तथा शरीर वायरल से रोग ग्रस्त हो जाता है।

शोध का महत्त्व:

- वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि यदि PLpro प्रोटीन निर्माण को औषधीय तरीकों से रोक (ब्लॉक) दिया जाता है तो वायरस की प्रतिकृति निर्माण प्रक्रिया भी रुक जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली भी मज़बूत होती है।
- शोधकर्त्ता अब 'सेल कल्चर' (कृत्रिम वातावरण) में इन प्रक्रियाओं की निगरानी कर सकते हैं।

वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (Immune Responses to Viruses):

T सेल:

- जब एक वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, तो यह जीवित रहने और अपनी प्रतिकृति निर्माण के लिये मेज़बान कोशिकाओं पर हमला करता है।
- इस दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली की विशेष कोशिकाएँ; जिन्हें T सेल कहा जाता है, संक्रमित कोशिकाओं की तलाश करती है।
- 'T सेल रिसेप्टर' वायरस से उत्पन्न पेप्टाइड (संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कारक) का पता लगाता है तथा T सेल को संक्रमण की चेतावनी देता है।
- 'T सेल' संक्रमित कोशिका को नष्ट करने के लिये साइटोटोक्सिक कारक (Cytotoxic Factors) नामक प्रोटीन मुक्त करता है जो वायरस को नष्ट कर देता है।

NK सेल:

- वायरस में अनुकूलन की अत्यधिक क्षमता होती हैं जो 'T सेल' की पहचान से बचने के लिये नवीन तरीके विकसित कर लेता हैं तथा T सेल संक्रमित कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाती है।
- जब T सेल संक्रमित कोशिकाओं का पता नहीं लगा पाती है तो यह कार्य शरीर की विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं; जिन्हें 'प्राकृतिक मारक कोशिका' (Natural Killer Cell) या संक्षेप में NK सेल कहा जाता है, द्वारा संपन्न किया जाता है।

इंटरफेरॉन (Interferons):

- वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिका में वायरस की प्रतिकृति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके इसे रोकते हैं।
- इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिकाओं के संकेतक अणुओं के रूप में भी कार्य करते हैं तथा निकट की कोशिकाओं में वायरस की उपस्थिति के संबंध में चेतावनी देते हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority-CZA) का पुनर्गठन करते हुए, इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (दिल्ली) के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीवविज्ञानी (Molecular Biologist) को शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- पुनर्गठन के बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (दिल्ली) के निदेशक पी. एस. एन. राव (P.S.N. Rao) तथा कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (The Centre for Cellular & Molecular Biology-CCMB) के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक कार्तिकेयन वासुदेवन (Karthikeyan Vasudevan) को 'सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी' (CZA) के नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

- स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (School of Planning and Architecture) की शुरुआत वर्ष 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक (Delhi Polytechnic) के आर्किटेक्चर विभाग के रूप में की गई थी।
- कुछ समय पश्चात् इसे वर्ष 1955 में स्थापित स्कूल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एकीकृत कर दिया गया और वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कर दिया गया।
- इसके अंतर्गत मानव आवास और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जानवरों को लेकर चिंता

- विदित हो कि 01 जून से 'सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी' (CZA) ने चिड़ियाघर को आगंतुकों के लिये खोलने की अनुमति दे दी थी।
- हालाँकि इसके बावजूद जानवरों और चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए देश के अधिकांश चिड़ियाघरों ने अब तक आगंतुकों के लिये इन्हें नहीं खोला है।
- ध्यातव्य है कि मई माह में दुनिया भर के कई जानवरों के कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित होने के बाद से जानवरों खासकर चिड़ियाघर घर में रहने वाले जानवरों में संक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी।
- 'सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी' (CZA) ने भी निगरानी बढ़ाने और जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखने समेत कई अन्य परामर्श जारी किये थे।
- CZA द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, चिड़ियाघर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा महामारी के दौरान जानवरों को सुरक्षित करने के लिये सही कदम उठा सकें।

सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (Central Zoo Authority-CZA)

- सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA), एक सांविधिक निकाय (statutory body) है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जानवरों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिये न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है।
  - सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में इस निकाय की स्थापना के लिये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया था।
- इस प्राधिकरण का मुख्य लक्ष्य देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को और मज़बूत करना है, विशेष रूप से पशुओं के संबंध में।

नोट :

- ध्यातव्य है कि भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1992 द्वारा निर्देशित किया जाता हैं।
- गौरतलब है कि भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान-प्रदान के लिये भी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

'सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी' की संरचना

- सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी के अंतर्गत एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होता है। इसमें से कुछ सदस्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी होते हैं, जबकि शेष गैर-सरकारी सदस्य वन्यजीव संरक्षणवादी या सेवानिवृत्त वन अधिकारी होते हैं।
- इस प्राधिकरण की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।

शिवालिक वन को टाइगर रिज़र्व घोषित करने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

सहारनपुर मंडल के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहारनपुर मंडल में आने वाले शिवालिक वन को टाइगर रिज़र्व (Tiger Reserve) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिज़र्व (Tiger Reserve) होगा।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल तीन टाइगर रिज़र्व हैं जिसमें पीलीभीत टाइगर (Pilibhit Tiger Reserve), अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व (Amangarh Tiger Reserve) और दुधवा टाइगर रिज़र्व (Dudhwa Tiger Reserve) शामिल हैं।

कारण

- इस क्षेत्र में बाघों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपने आवास की रक्षा करने हेतु बाघों के बीच झड़पों की संख्या भी बढ़ रही है। कमज़ोर बाघ अक्सर छिपने के उद्देश्य से आस-पास के खेतों में चले जाते हैं, हालाँकि इससे इससे मानव-पशु संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।
  - ऐसे में बाघों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये इस क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व घोषित करना काफी महत्त्वपूर्ण है।

महत्त्व

- इस कदम से न केवल बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को कम किया जा सकेगा बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता के पोषण में भी मदद मिलेगी।
- इस क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व घोषित करने से यहाँ बाघों के सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान प्रदान की जा सकेगी।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है और इसे ईको-टूरिज़्म (Eco-Tourism) के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

शिवालिक वन

- 33,220-हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला शिवालिक वन उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे में शिवालिक श्रेणी (Shivalik Range) की तलहटी में स्थित है, शिवालिक श्रेणी देश के चार राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) को जोड़ती है।

भारत में बाघों की स्थिति

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2018 के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई थी। यह भारत के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को चार वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है।

नोट :

- सर्वेक्षण के अनुसार, देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। हालाँकि, बाघों की संख्या में हुई वृद्धि उन सभी 18 राज्यों में एक समान नहीं हुई है जहाँ बाघ पाए जाते हैं।
- तीन टाइगर रिज़र्व बक्सा (पश्चिम बंगाल), डंपा (मिज़ोरम) और पलामू (झारखंड) में बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई है।

बाघ संरक्षण की चुनौतियाँ

- अवैध बाज़ारों में बाघ के शरीर के प्रत्येक हिस्से का कारोबार होता है, जिसके कारण बाघों का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जो कि भारत में बाघ संरक्षण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
- एक अनुमान के अनुसार, विश्व भर के बाघों ने अपने प्राकृतिक वास स्थान का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा खो दिया है, जो कि मौजूदा दौर में बाघों के लिये सबसे मुख्य खतरा है।
- बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण अधिकांश बाघ पशुधन को मारने के लिये मज़बूर है और जब वे ऐसा करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्रवाई करते हैं और बाघों को मार देते हैं।

ई-कचरा और भारत

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (United Nations University-UNU) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 और वर्ष 2030 की अवधि में वैश्विक ई-कचरे (E-Waste) में तकरीबन 38 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में एशिया में ई-कचरे की सर्वाधिक मात्रा (लगभग 24.9 मीट्रिक टन) उत्पन्न हुई, जिसके पश्चात् अमेरिका (13.1 मीट्रिक टन) और यूरोप (12 मीट्रिक टन) का स्थान है।
    - इस अवधि के दौरान अफ्रीका (Africa) और ओशिनिया (Oceania) में क्रमश: 2.9 मीट्रिक टन और 0.7 मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ।
- रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में अधिकांश ई-कचरे में छोटे उपकरण (लगभग 17.4 मीट्रिक टन), बड़े उपकरण (13.1 मीट्रिक टन) और तापमान विनिमय उपकरण (10.8 मीट्रिक टन) शामिल थे।
- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) की रिपोर्ट के अनुसार, कुल ई-कचरे में स्क्रीन और मॉनिटर (6.7 मीट्रिक टन), लैंप (4.7 मीट्रिक टन), IT और दूरसंचार उपकरण (0.9 मीट्रिक टन) शामिल थे।
- वर्ष 2019 में उत्पन्न कुल ई-कचरे के 18 प्रतिशत से भी कम हिस्से का पुनर्नवीनीकरण (Recycled) किया जा सका था।
- इसका अर्थ है कि सोना, चाँदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य उच्च-मूल्य वाली सामग्री को अधिकांशत: जला दिया गया, जबकि इसे एकत्र कर इसका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता था।
    - रिपोर्ट के अनुसार, यदि इस सामग्री का पुनर्नवीनीकरण किया जाता तो इससे कम-से-कम 57 बिलियन डॉलर प्राप्त किये जा सकते थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अब वैश्विक स्तर पर उन देशों की संख्या 61 से बढ़कर 78 हो गई है जिन्होंने ई-कचरे से संबंधित कोई नीति, कानून या विनियमन अपनाया है।
    - ध्यातव्य है कि इसमें भारत भी शामिल है।

ई-कचरे का अर्थ?

- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टी.वी., वाशिंग मशीन एवं फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन/उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है।
- देश में जैसे-जैसे डिजिटाइज़ेशन (Digitisation) बढ़ रहा है, उसी अनुपात में ई-कचरा भी बढ़ रहा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल हैं।

नोट :

- ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी चीजें जिन्हें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, उनमें भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ तो जुड़ी हैं ही, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है।
- चीन में प्रतिवर्ष लगभग 61 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होता है और अमेरिका में लगभग 72 लाख टन तथा पूरी दुनिया में कुल 488 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न हो रहा है।

ई-कचरा और स्वास्थ्य

- ई-कचरे में मरकरी (Mercury), कैडमियम (Cadmium) और क्रोमियम (Chromium) जैसे कई विषैले तत्त्व शामिल होते हैं, जिनके निस्तारण के असुरक्षित तौर-तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं।
- लैंडफिल में ई-वेस्ट, मिट्टी और भूजल को दूषित करता है, जिससे खाद्य आपूर्ति प्रणालियों और जल स्रोतों में प्रदूषकों का जोखिम बढ़ जाता है।

भारत में ई-कचरा और उसका पुनर्नवीनीकरण

- ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2017 के अनुसार, भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई-कचरे का उत्पन्न करता है तथा अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई-कचरा उत्पादक देशों में यह 5वें स्थान पर है।
  - हालाँकि सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए आँकड़े बताते हैं कि भारत में उत्पादित ई-कचरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान से काफी कम है।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत में ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण करने वाली कुल 312 अधिकृत कंपनियाँ हैं, जो कि प्रतिवर्ष 800 किलो टन ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण कर सकती हैं।
- हालाँकि अभी भी भारत में औपचारिक क्षेत्र की पुनर्चक्रण क्षमता का सही उपयोग संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ई-कचरे का बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश का लगभग 90 प्रतिशत ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU)

- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (United Nations University-UNU) एक वैश्विक थिंक टैंक और स्नातकोत्तर (Postgraduate) शिक्षण संगठन है जिसका मुख्यालय जापान में स्थित है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की अकादमिक और अनुसंधान शाखा है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) का उद्देश्य सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से मानव विकास तथा कल्याण से संबंधित वैश्विक समस्याओं को हल करना है।

वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने के लिये विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों के मध्य वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग (Virtual Climate Action Meeting) के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की प्रगति को सुनिश्चित करना था।
- बैठक में शामिल सभी पक्षों द्वारा 'पेरिस समझौते' (Paris Agreement) के अनुरूप आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

नोट :

- इस बैठक में 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के तहत पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- यूरोपीय संघ, चीन तथा कनाड़ा द्वारा इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई।
- भारत द्वारा विकसित देशों से अनुरोध किया गया कि वे UNFCCC तथा पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए।
- भारत द्वारा इस और भी ध्यान आकर्षित किया गया कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की मदद का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
- बैठक में लगभग 30 देशों के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई।

भारत का प्रयास:

- बैठक में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अब तक की गई अपनी महत्त्वपूर्ण कार्यवाहियों के बारे में जानकारी साझा की गई है तथा भविष्य में भी इस दिशा में प्रयास जारी रखने की बात कही गई ।
- भारत ने वर्ष 2005 और वर्ष 2014 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन गहनता में 21% की कमी की है।
- पिछले 5 वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में 226% की वृद्धि हुई है जो वर्तमान में 87 गीगावॉट से अधिक है।
- बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी मार्च 2015 के 30.5% से बढ़कर मई 2020 में 37.7% हो गई है।
- वर्तमान सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य 450 गीगावॉट तक बढ़ाने की आकांक्षा व्यक्त की गई है।
- सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किये गए हैं जो ग्रामीण लोगों को खाना पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं।
- देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है।
- उजाला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 47 अरब यूनिट बिजली की बचत हुई है तथा प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में 38 मिलियन टन की कमी आई है।
- बैठक में स्वच्छ ईंधन की दिशा में भारत के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए बताया गया कि भारत द्वारा 1 अप्रैल, 2020 तक भारत स्टेज-VI (Bharat Stage-VI) उत्सर्जन मानकों को पूरे देश में लागू कर लिया गया है जबकि इसके लिये वर्ष 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
- देश के हरित पहलों का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसके तहत देश में कोयला उपकर लगाया गया है।
  - इसमें वस्तु एवं सेवा कर को समाहित किया गया है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क' 2019 शुरू किया गया है।
  - यह शहरों तथा शहरी क्षेत्रों के लिये शमन एवं अनुकूलन उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।

कार्बन उत्सर्जन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी (Australian National University- ANU) तथा मैक्वेरी विश्वविद्यालय (Macquarie University) के शोधकर्त्ताओं द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण (Carbon Pricing Works) एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका को लेकर अब तक के सबसे बड़े शोध कार्य को प्रकाशित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने अध्ययन में 142 देशों को शामिल किया गया।
- अध्ययन में 1990 के दशक से कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका को कार्बन के कम उत्सर्जन के संदर्भ में देखा गया।
- शोध में शामिल 142 देशों में से 43 देशों में इस अध्ययन की समाप्ति तक कार्बन मूल्य का निर्धारण सामान ही रहा।
- अध्ययन से पता चलता है कि कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले देशों में जीवाश्म ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की औसतन वार्षिक वृद्धि दर उन देशों से 2% कम है जिन देशों में कार्बन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है।
- कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले देशों में औसतन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2007 से वर्ष 2017 की अवधि में दो प्रतिशत प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज़ की गई है।
    - जबकि अन्य देश जिनमें वर्ष 2007 से वर्ष 2017 की अवधि में कार्बन मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ उनमें प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में 3% की वृद्धि देखी गई है।
- यह शोध कार्य पर्यावरण और संसाधन अर्थशास्त्र पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

कार्बन मूल्य निर्धारण सभी देशों में प्रभावी नहीं:

- कार्बन मूल्य निर्धारण कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक कारगर उपाय है जिसके प्रभाव विभिन्न देशों पर देखे गए है।
- वर्ष 2012-14 के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया में जीवाश्म ईंधन के दहन में कार्बन मूल्य निर्धारण को शामिल किया गया तो वहाँ कार्बन उत्सर्जन स्तर में कमी देखी गई, लेकिन वर्ष 2019 से वहाँ कार्बन उत्सर्जन में एक निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

कार्बन उत्सर्जन:

- कार्बन उत्सर्जन/फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से है।
- यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के रूप में होता है।
- ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है।
- कार्बन फुट प्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है।
    - कार्बन फुट प्रिंट को ज्ञात करने के लिये 'लाइफ साइकल असेसमेंट' (Life Cycle Assessment- LCA) विधि का प्रयोग किया जाता है।
    - इस विधि में व्यक्ति तथा औद्योगिक इकाईयों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण/ कार्बन क्रेडिट

- कार्बन मूल्य निर्धारण/ कार्बन क्रेडिट का निर्धारण किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले अधिकतम कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है।
- किसी देश द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

कार्बन मूल्य/ कार्बन क्रेडिट का निर्धारण:

- कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किफायती साधनों को विकसित करने के लिये वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विकसित देशों को तीन विकल्प दिये गए जो इस प्रकार है-
    - अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार
    - क्लीन डवलपमेंट मेकनिज़्म
    - संयुक्त क्रियान्वयन
- क्लीन डवलपमेंट मेकनिज़्म विकसित देशों में सरकार या कंपनियों को विकासशील देशों के लिये किये गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश पर ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है इस ऋण को ही कार्बन क्रेडिट कहा जाता है।

नोट :

शोध का महत्त्व:

- यह अध्ययन विश्व के सभी देशों एवं वहां की सरकारों को एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये कार्बन मूल्य निर्धारण उनकी विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिये ।
- कार्बन उत्सर्जन पर कीमतों को निर्धारित करके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- कार्बन टैक्स के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले संगठन एवं कंपनियों की संख्या कम हो सकती है जो पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।

काज़ीरंगा नेशनल पार्क और असम की बाढ़

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में असम एक भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, जिससे राज्य में भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, इस दौरान अब तक कुल 73 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और राज्य के लगभग 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अनुमान के अनुसार, वर्तमान में काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व का लगभग 85 फीसदी हिस्सा जलमग्न है।

प्रमुख बिंदु

- असम की इस भयावह बाढ़ से काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में कुल 125 जानवरों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि इस दौरान कुल 86 जानवरों की मृत्यु हो गई है, जिसमें गैंडे, हिरन और जंगली सूअर आदि शामिल हैं।
- हालाँकि कई विशेषज्ञ असम में आने वाली वार्षिक बाढ़ को काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व के अस्तित्त्व के लिये आवश्यक मानते हैं।

काज़ीरंगा के पारिस्थितिकी तंत्र में बाढ़ की भूमिका

- गौरतलब है कि असम पारंपरिक रूप से एक बाढ़ प्रवण (Flood Prone) क्षेत्र है, और ब्रह्मपुत्र नदी तथा कार्बी आंगलोंग (Karbi Anglong) पहाड़ियों के बीच स्थित काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व भी इसका अपवाद नहीं है।
- विशेषज्ञों के बीच यह आम सहमति है कि काज़ीरंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिये बाढ़ काफी महत्त्वपूर्ण है।
- ध्यातव्य है कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व का पारिस्थितिकी तंत्र एक नदी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, न कि ठोस भू-भाग आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके कारण यह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है।
- बाढ़ की पुन:पूर्ति (Replenish) वाली प्रकृति काज़ीरंगा के जल निकायों को फिर से भरने और इसके परिदृश्य को बनाए रखने में मदद करती है, जो कि आर्द्रभूमि (Wetlands), घास के मैदान और अर्द्ध-सदाबहार जंगलों का मिश्रण है।
- गौरतलब है कि बाढ़ का पानी मछलियों के प्रजनन में भी काफी महत्त्वपूर्ण होता है। इन्ही मछलियों को पानी ब्रह्मपुत्र नदी की ओर ले जाता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काजीरंगा, ब्रह्मपुत्र नदी को मछलियों की आपूर्ति भी करता है।
- बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में अवांछित पौधों जैसे-जलकुंभी (Water Hyacinth) आदि से छुटकारा पाने में भी मदद करता है।
- काजीरंगा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में भारतीय गैंडों (Indian Rhinoceros) की सबसे अधिक आबादी निवास करती है, ऐसे में इस क्षेत्र में घास के मैदानों को बनाए रखना काफी महत्त्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस क्षेत्र में बाढ़ न आए तो यह एक वुडलैंड (Woodland) बन जाएगा।
- इसके अतिरिक्त कई विशेषज्ञ क्षेत्र में आने वाली इन बाढ़ों को प्राकृतिक चयन का एक तरीका भी मानते हैं, अक्सर जानवरों की एक बड़ी संख्या विशेष तौर पर वृद्ध और कमज़ोर जानवर बाढ़ का सामना नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि ताकतवर और युवा जानवर ही बाढ़ से बच पाते हैं।

काज़ीरंगा: समस्या के रूप में बाढ़

- काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में कार्यरत विशेषज्ञों के अनुसार, पहले इस तरह की भयानक बाढ़ 10 वर्षों में एक बार आती थी, जबकि अब इस तरह की बाढ़ प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आ जाती है, जिससे इस क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।

- अनुमान के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और निर्वनीकरण जैसे कारकों के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ तेज़ी से विनाशकारी होती जाएगी।
- वर्ष 2018 को छोड़कर, वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच आई सभी बाढ़ें विनाशकारी और भयानक प्रकृति की थीं, अर्थात इनमें काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जलमग्न हो गया था, इन बाढ़ों के कारण सैकड़ों जानवरों की मृत्यु हो गई थी और हज़ारों जानवर घायल हो गए थे।
- यद्यपि पशु प्राकृतिक रूप से स्वयं को बाढ़ के अनुकूल ढाल लेते हैं, किंतु जब पानी एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाता है, तो जानवरों को कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान की ओर जाना पड़ता है।
    - गौरतलब है कि पहले काज़ीरंगा नेशनल पार्क से कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों पर जाना काफी आसान था, किंतु अब इस कार्य के लिये जानवरों को राष्ट्रीय राजमार्ग 37 (NH-37) को पार करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार जानवर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
- जानकारों के अनुसार, इस क्षेत्र में कुल 9 वन्यजीव गलियारे भी हैं, किंतु वे सदैव भारी यातायात के कारण बंद रहते हैं।
- नतीजतन, पार्क से बाहर निकलने वाले जानवरों की या तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर शिकारी उनकी भेद्यता का लाभ उठाकर उन्हें मार देते हैं।
    - हालाँकि बीते कुछ वर्षों में सतर्क निगरानी के कारण जानवरों की मृत्यु की संख्या मं् कमी आई है।

आस-पास के गाँवों पर बाढ़ का प्रभाव

- अनुमान के अनुसार, असम की बाढ़ से काज़ीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिणी छोर पर स्थित लगभग 75 में से 25 गाँव मौजूदा बाढ़ से काफी अधिक प्रभावित हुए हैं।
- अक्सर बाढ़ के कारण जानवर अपना रास्ता भटकर मानवीय क्षेत्र में पहुँच जाते हैं, जिसके कारण पशु-मानव संघर्ष में वृद्धि होती है।

काज़ीरंगा में बाढ़ से निपटने के उपाय

- अक्सर बाढ़ आने से लगभग एक माह पूर्व ही बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो जाती है, राज्य के अधिकारी केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त अपडेट का ट्रैक रखते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र सहायक नदियों के जल स्तर की निगरानी करते हैं।
- बाढ़ आने की स्थिति में इस क्षेत्र का प्रशासन, पार्क प्राधिकरण, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और स्थानीय समुदाय बाढ़ से निपटने की स्थिति में मिलकर कार्य करते हैं।
- इसके अलावा बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार के रोग के प्रकोप से बचने के लिये प्रत्येक वर्ष टीकाकरण अभियान भी आयोजित किया जाता है।
- इस क्षेत्र में समय-समय पर शिकार करने और वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिये शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- साथ ही इस क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर धारा 144 लागू कर दी जाती है और गतिसीमा (Speed Limits) जैसे नियम लागू कर दिये जाते हैं।

आगे की राह

- विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्षेत्र में जानवरों की रक्षा के लिये पशु गलियारों को सुरक्षित करने और कार्बी आंगलोंग (Karbi Anglong) पहाड़ियों में आवागमन के लिये एक सुरक्षित मार्ग बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- अप्रैल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पार्क की दक्षिणी सीमा और काज़ीरंगा नेशनल पार्क से बहने वाली सभी नदियों के आस-पास सभी प्रकार के खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) को सूचित किया है कि देश भर में तकरीबन 1.60 लाख से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (HCF) इकाइयाँ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (Bio-medical Waste Management Rules) के तहत अपेक्षित अनुमति के बिना ही कार्य कर रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि देश भर के कुल 2,70,416 स्वास्थ्य देखभाल सुविधा इकाइयों में से केवल 1,11,122 इकाइयों ने अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अपेक्षित अनुमति के लिये आवेदन किया है और मात्र 1,10,356 इकाइयों को इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हुई है।
  - इस प्रकार देश भर में कुल 2,70,416 स्वास्थ्य सुविधा इकाइयों में से केवल 1,10,356 इकाइयाँ ही वर्ष 2019 तक अधिकृत हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक देश भर में लगभग 50 हज़ार इकाइयाँ ऐसी हैं, जिन्होंने न तो अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अपेक्षित अनुमति के लिये आवेदन किया है और न ही उन्हें इस संबंध में पहले से कोई अनुमति प्राप्त है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा इकाइयाँ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा इकाइयों में सभी प्रकार के अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और आइसोलेशन कैंप आदि को शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि आपातकालीन स्थितियों में प्राय: स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में रोगियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिनमें से कुछ को विशिष्ट चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।
- संबंधित आँकड़ों पर गौर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्यों को इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने और 31 दिसंबर, 2020 तक इसे पूरा का निर्देश दिया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश भर के कुल सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिये कोई भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ (Common Biomedical Waste Treatment Facilities-CBWTF) नहीं है।
  - इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप, नगालैंड, सिक्किम शामिल हैं।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनमें से अधिकांश राज्यों ने स्वीकार किया है कि वे नए CBWTF की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पतालों में अलग-अलग रंग के डिब्बों के माध्यम से कचरे का पृथक्करण भी नहीं किया जा रहा है।

कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ (CBWTF)

- कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) का अभिप्राय एक ऐसे ढाँचे से होता है, जहाँ विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा इकाइयों से उत्पन्न बायो-मेडिकल अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु उसे आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है, जिससे इस अपशिष्ट का सही ढंग से निपटान किया जा सके।

NGT का निर्णय

- NGT ने एक बार पुन: महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करने वाली ज़िला पर्यावरण योजनाओं की निगरानी के लिये ज़िला योजना समितियों (District Planning Committees) के गठन के निर्देश को दोहराया।
- NGT ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिये आवश्यक है कि वे राज्य में CBWTFs द्वारा पालन किये जा रहे मानदंडों की स्थिति की जाँच करें।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका के संबंध में प्रदान किये गए हैं, जिसमें उन सभी अस्पतालों, चिकित्सा सुविधा इकाइयों और अपशिष्ट निपटान संयंत्रों को बंद करने की मांग की गई की गई थी, जो अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित आवश्यक नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
- याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि देश के कई अस्पतालों में कचरा चुनने वाले लोगों (Rag-Pickers) को जैव अपशिष्ट के अनधिकृत परिवहन की अनुमति दी जाती है और वे अवैज्ञानिक तरीके से इसका निपटान करते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचता है।

राष्ट्रीय उद्यानों में ड्रिलिंग: चिंता का विषय

चर्चा के लिये?

हाल ही में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) ने असम के 'डिब्रू-सैखोवा राष्टीय उद्यान' में प्रस्तावित सात उत्खनन ड्रिलिंग साइटों को पर्यावरणीय मंजूरी दिये जाने पर संबंधित संस्थाओं/इकाइयों से जवाब तलब किया है।

प्रमुख बिंदु:

- NGT द्वारा इस संबंध में 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC), 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' (Oil India Limited- OIL) और असम राज्य के 'प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' एवं 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' से जवाब तलब किया गया है।
- NGT के ये निर्देश असम के दो पर्यावरण संरक्षणवादियों की याचिका पर आधारित थे।

याचिकाकर्त्ताओं का पक्ष:

- NGT ने याचिकाकर्त्ताओं के इस तर्क पर ध्यान दिया कि OIL द्वारा 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' (Environment Impact Assessment- EIA)-2006, अधिसूचना के तहत सभी चरणों यथा; सार्वजनिक सुनवाई' (Public Hearing) तथा 'जैव विविधता मूल्यांकन' (Biodiversity Assessment) अध्ययन, का पालन नहीं किया गया है।
- याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट सितंबर 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में राष्ट्रीय उद्यान में खनन तथा उत्खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सरकार को निर्देश दिये थे।
- इन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के संदर्भ में प्रस्तुत EIA रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ड्रिलिंग परियोजनाओं में विस्फोट (Blowout) की नगण्य संभावना है, जबकि असम के बागान (Baghjan) में हुई गैस विस्फोट की घटनाओं ने इस तर्क को गलत साबित किया है।

OIL का पक्ष:

- OIL ने स्पष्ट किया है कि उसकी 'उत्खनन ड्रिलिंग परियोजना' डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत (अंडर द नेशनल पार्क) आती है न कि राष्ट्रीय उद्यान में (इन द नेशनल पार्क)।
- इन परियोजनाओं को 'एक्स्टेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) पर आधारित माना गया है जो संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किये बिना मौजूदा कुएँ से लगभग 4 किमी की गहराई तक ड्रिलिंग करने में सक्षम होती है।
- OIL ने ERD तकनीक के आधार पर वर्ष 2016 में सात कुओं की अनुमति प्राप्त की थी।
  - ERD तकनीक के आधार पर किसी क्षेत्र की सतह पर प्रवेश किये बिना ही दूर से ही हाइड्रोकार्बन का उत्खनन करना संभव हो पाता है।

असम में खनन गतिविधियाँ तथा पर्यावरण:

- अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। वर्ष 1956 तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। असम में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं।
- असम राज्य विश्व के समृद्धतम जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्णपाती वन, नदी के घास के मैदान, बाँस के बगीचे और कई आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
- असम में अनेक समृद्ध वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं।
  - ऐसे में राज्य में खनन गतिविधियाँ जैव-विविधता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

नोट :

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (Dibru-Saikhowa National Park):

- डिब्रू-सैखोवा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिज़र्व है।
- ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदान में स्थित डिब्रू-सैखोवा वन्यजीवों की कई अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये एक सुरक्षित आश्रय है।
- डिब्रू-सैखोवा में अर्द्ध-सदाबहार, पर्णपाती , दलदलीय/स्वॉम्प वनों के अलावा आर्द्र सदाबहार वनों के कुछ पैच (लघु वन क्षेत्र) पाए जाते हैं।
- इसे 'महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' (Important Bird Area- IBA) के रूप में पहचान प्राप्त है। यहाँ 382 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ जिनमें ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क, ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रीब आदि शामिल हैं।
- यहाँ टाइगर, छोटे भारतीय सिवेट, गंगा डॉल्फिन, स्लो लोरिस, रीसस मैकाक, होलॉक गिब्बन, जंगली सुअर जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं।

तिलारी संरक्षण रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग ज़िले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'तिलारी संरक्षण रिजर्व' (Tillari Conservation Reserve) घोषित किया है।

तिलारी संरक्षण रिजर्व:

- तिलारी महाराष्ट्र राज्य का सातवाँ वन्यजीव गलियारा है जिसे 'संरक्षण रिज़र्व' के रूप में घोषित किया गया है।
- अपने वन क्षेत्र (Range) में नौ गांवों को आच्छादित (Cover) करने वाले इस क्षेत्र को एक गलियारे के रूप में जाना जाता है और यहाँ तक कि तीन राज्यों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विचरण करने वाले बाघों और हाथियों की आबादी के लिये एक निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है।
- यह गोवा के महादेई अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ से जोड़ता है।
- इसमें अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और कई अद्वितीय वृक्ष, तितलियाँ और फूल पाए जाते हैं।

महाराष्ट्र में संरक्षण रिज़र्व:

- महाराष्ट्र में 62 संरक्षण रिज़र्व हैं, जिनमें से 13 पश्चिमी घाट में हैं।
    - तिलारी संरक्षण रिज़र्व पश्चिमी घाट में अवस्थित है।

भारत में संरक्षण रिज़र्व:

- संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व देश के उन संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जो आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित तथा संरक्षित जंगलों के मध्य बफर ज़ोन के रूप में या कनेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है जो निर्जन (Uninhabited) और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिये उपयोग किया जाता है यदि भूमि का हिस्सा निजी स्वामित्व में है।
- इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन) में पेश किया गया था।
- इन श्रेणियों को भूमि और भूमि के उपयोग के निजी स्वामित्व के कारण मौजूदा और प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।
- जुलाई 2019 तक, भारत में 88 संरक्षण रिज़र्व और 127 सामुदायिक रिज़र्व थे।

मौसम आधारित आपदाओं की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

'AON केटास्ट्रॉफी' (Catastrophe) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 की पहली छमाही में विश्व स्तर पर कम-से-कम 207 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गईं। यह 21वीं सदी में अब तक की औसत (वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक) 185 आपदाओं से अधिक है।

प्रमुख बिंदु:

- AON एक प्रमुख वैश्विक व्यावसायिक सेवा फ़र्म है जो जोखिम, सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य समाधानों के संबंध में विस्तृत सेवाएँ प्रदान करती है।
- वर्ष 2020 में प्रथम छमाही में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में कम-से-कम 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में जनवरी से जून के बीच 163 प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में वर्ष 2020 में कम-से-कम 207 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गईं हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ और आर्थिक नुकसान:

- इन आपदाओं से विश्व में लगभग 75 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, यह वर्ष 1980-2019 के दौरान हुए 78 बिलियन डॉलर के औसत नुकसान के करीब है।
- इन आपदाओं में से 92 प्रतिशत मौसम से संबंधित थी जबकि कुल आर्थिक नुकसान का लगभग 95 प्रतिशत मौसम से संबंधित आपदाओं के कारण हुआ है।

चक्रवातों की संख्या में वृद्धि:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान वर्ष 2000-2019 के औसत से 270 प्रतिशत अधिक हुआ है।
- चक्रवात अम्फान के कारण लगभग 15 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह उन 20 आपदाओं में शामिल है जिनके कारण होने वाला आर्थिक नुकसान बिलियन डॉलर में है।

मौसम आधारित आपदाओं की संख्या में वृद्धि:

वर्ष 2020 में आई 20 बड़ी आपदाओं में से पोर्टो रीको और जाग्रेब (क्रोएशिया) ने भूकंप को छोड़कर शेष 18 मौसम से संबंधित थीं।

इन 20 आपदाओं में से 12 से अमेरिका प्रभावित हुआ जबकि एशियाई देशों में भारत और चीन को इन मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।

मौसम आधारित प्रमुख आपदाएँ:

चक्रवात ईदाई (Cyclone Idai):

- मार्च 2019 में चक्रवात ईदाई के कारण अफ्रीका के ज़िम्बाब्वे, मलावी और मोज़ाम्बिक में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे लाखों लोगों की आजीविका तथा बुनियादी सेवाएँ प्रभावित हुई थी।

चक्रवात केनेथ (Cyclone Kenneth):

- इससे उत्तरी मोज़ाम्बिक का वह क्षेत्र प्रभावित हुआ जहाँ उपग्रह युग के बाद से कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं देखा गया।

ऑस्ट्रेलियाई वनाग्नि:

- ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 की शुरुआत में ही वनाग्नि (बुशफायर) से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे सैकड़ों स्थानीय प्रजातियों की मृत्यु हो गई जिनको पारिस्थितिक तंत्र में पुन: स्थापित करना (Restoration) संभव नहीं है।

पूर्वी अफ्रीका में सूखा:

- जलवायु परिवर्तन ने 'हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका' क्षेत्र में सूखे की संभावना को दोगुना कर दिया है। सूखे की वजह से इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में 15 मिलियन लोगों को आर्थिक तथा खाद्यान सहायता की ज़रूरत है।

दक्षिण एशिया में बाढ़:

- हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 12 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण एशिया में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण मानसून की तीव्रता में वृद्धि हुई है।

मध्य अमेरिका में शुष्क गलियारा:

- अलनीनो के प्रभाव के कारण मध्य अमेरिका के शुष्क गलियारे लगातार 6 वें वर्ष सूखे से प्रभावित रहा है।

वैश्विक स्तर पर 2,200 लोगों की मृत्यु:

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 की पहली छमाही के दौरान लगभग 2,200 लोगों मौत हुई है। बाढ़ का इसमें सर्वाधिक 60 प्रतिशत मौतें हुई है।
- एशिया-प्रशांत और अफ्रीका में इस प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 71 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई है।

वैश्विक तापन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात:

- अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) AR5 के अनुसार, वैश्विक तापन में मानव-निर्मित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख योगदान है। पूर्व-औद्योगिकीकरण युग से पहले वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में 1-10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
- इसका मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विनाशकारी क्षमता में आगे और भी अधिक प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

IPCC AR5 और चक्रवात:

- समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी।
- वायुमंडलीय नमी की मात्रा में वृद्धि के कारण भविष्य में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा की दर में वृद्धि होगी।
- वैश्विक तापन के कारण चक्रवातों की विनाशकारी क्षमता में वृद्धि होगी।
- 21 वीं सदी में बहुत तीव्र (Very intense) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी।

भारत का जलवायु पूर्वानुमान मॉडल:

- भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान' (IITM)- पुणे, द्वारा तैयार एक 'जलवायु पूर्वानुमान मॉडल' के अनुसार, भारत में वर्षा के प्रतिरूप में व्यापक बदलाव देखने को मिला है।
- वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हुई है लेकिन वर्षा-अंतराल में लगातार वृद्धि हुई है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक गंभीर चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन के कारण देश के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि उत्पादकता और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा।

आगे की राह:

- चरम मौसमी घटनाओं; विशेष रूप से चक्रवात और बाढ़ के कारण होने वाली आर्थिक क्षति को कम करने के लिये प्रभावी शमन और जलवायु-सुनम्य क्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- चरम मौसमी आपदाओं के कारण विकसित और विकासशील सभी देश प्रभावित होते हैं, परंतु विकसित तकनीकी विकास के कारण इनके प्रभावों को कम करने में सक्षम होते हैं। अत: विकासशील देशों को मौसम पूर्वानुमान तकनीकें उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

बाघ संगणना- 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री' (MoEFCC) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस' के अवसर पर 'बाघ संगणना-2018' की विस्तृत स्थिति (Detail Status of Tigers Census- 2018) रिपोर्ट जारी की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- 'भारत में बाघों की स्थिति' की सारांश रिपोर्ट जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी।
- विस्तृत रिपोर्ट में, वर्ष 2018-19 सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी कि तुलना पूर्व के तीन सर्वेक्षणों (वर्ष 2006, वर्ष 2010 और वर्ष 2014) के साथ की गई है।

सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration):

- ' प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस' आयोजित किया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में 'सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट' के समय की गई थी।
- 'सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट' के दौरान बाघ संरक्षण पर 'सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा' (Petersburg Declaration) पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें सभी 'टाइगर रेंज कंट्रीज़' द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था।
  - वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देश 'टाइगर रेंज कंट्रीज़' में शामिल है।
- 2,967 बाघों की संख्या के साथ भारत ने चार वर्ष पूर्व ही 'सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा' के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्ष 2006 में भारत में बाघों की संख्या 1,400 के आसपास थी।

विस्तृत रिपोर्ट की अद्वितीयता:

- बाघ के अलावा अन्य सह-शिकारियों और प्रजातियों के लिये 'बहुतायत सूचकांक' (Abundance Index) तैयार किये गए हैं।
  - 'बहुतायत सूचकांक' किसी क्षेत्र में सह-शिकारियों और प्रजातियों के सापेक्षिक वितरण को दर्शाता है।
- पहली बार 'सभी कैमरा ट्रैप साइट्स' पर बाघों का लिंगानुपात दर्ज़ किया गया है।
- रिपोर्ट में पहली बार बाघों की आबादी पर मानव-जनित प्रभाव के संबंध में विस्तृत वर्णन दिया गया है।
- किसी टाइगर रिज़र्व के विशेष हिस्से में (Pockets) में बाघ की बहुतायतता को पहली बार दर्शाया गया है।
- बाघ संगणना-2018 को दुनिया के सबसे बड़े 'कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्डलाइफ' के रूप में 'गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड' के रूप में दर्ज किया गया है।
- रिपोर्ट में प्रमुख 'बाघ गलियारों' की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और सुभेद्य क्षेत्रों; जहाँ विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, पर प्रकाश डाला गया है।
- बाघ संगणना के लिये 'मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स (Monitoring system for Tigers' Intensive Protection and Ecological Status) अर्थात M-STrIPES का इस्तेमाल किया गया।

रिपोर्ट संबंधी तथ्यात्मक जानकारी:

- राष्ट्रीय विश्लेषण:
  - रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2006-2018 के बीच भारत में बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है।
  - वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - वैश्विक बाघों की आबादी की लगभग 70 प्रतिशत भारत में है।
  - पश्चिमी घाट, लगभग 724 बाघों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सतत् बाघ आबादी वाला क्षेत्र है।
  - इसमें सतत् क्षेत्र नागरहोल-बांदीपुर-वायनाड-मुदुमलाई- सत्यमंगलम-बीआरटी ब्लॉक शामिल हैं।
- क्षेत्रीय विश्लेषण:
  - बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में (526) पाई गई, इसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड का स्थान (442) है।
  - पूर्वोत्तर भारत के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बाघों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है, जो चिंता का विषय है।
  - गौरतलब है कि इस नई रिपोर्ट में तीन टाइगर रिज़र्व बुक्सा (पश्चिम बंगाल), डंपा (मिज़ोरम) और पलामू (झारखंड) में बाघों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

बाघों की बढ़ती संख्या का महत्त्व:

- बाघ और अन्य वन्य-जीव किसी भी देश की 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) के रूप में कार्य करते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है।
- वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में किये गए प्रयास भारत को 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' में रैंकिंग सुधारने में मदद करेंगे।

बाघ संरक्षण के समक्ष चुनौतियाँ:

- बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष देखने को मिलता है।
- बाघ निवास स्थानों को अधिकांशत: मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वनों और घास के मैदानों को कृषि ज़रूरतों के लिये परिवर्तित किया जा रहा है।
- कुछ टाइगर रिज़र्व बाघों की संख्या के हिसाब से पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। इन टाइगर रिज़र्व में अतिरिक्त बाघों के लिये कोई आवास स्थान उपलब्ध नहीं है।
- कुछ टाइगर रिज़र्वों में गिरती बाघों की संख्या भी चिंता का एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

सरकार की नवीन पहल:

- सरकार मानव-पशु संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिये एक कार्यक्रम पर कार्य कर रही है, जिसके तहत वनों में ही जानवरों को जल और चारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
- इसके लिये पहली बार LiDAR (Light Detection and Ranging) आधारित सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट: एक चुनौती के रूप में

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, यदि तत्काल प्रभाव से कोई निरंतर कार्रवाई नहीं की गई तो वर्ष 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक का वार्षिक प्रवाह तकरीबन 3 गुना बढ़कर 29 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुँच सकता है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, यह आँकड़ा दुनिया भर के सभी समुद्र तटों पर प्रति मीटर 50 किलोग्राम प्लास्टिक के बराबर है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में तकरीबन दो बिलियन लोगों की अपशिष्ट संग्रह प्रणाली तक पहुँच नहीं है, और वर्ष 2040 तक यह आँकड़ा दोगुना होकर चार बिलियन हो जाएगा, जिनमें से अधिकतर लोग मध्य एवं निम्न-आय वाले देशों के ग्रामीण इलाकों से होंगे।
    - रिपोर्ट में पाया गया कि यदि इस अंतराल को कम करना है तो हमें वर्ष 2040 तक प्रतिदिन 500,000 लोगों को इस प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता होगी।
- रिपोर्ट में दिये गए अनुमान के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 22 प्रतिशत अपशिष्ट का संग्रहण संभव नहीं हो पाता है और यदि इस संबंध में कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो यह 34 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 20 वर्षों में समुद्र में मौजूद प्लास्टिक की कुल मात्रा 450 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच सकती है, जिसका जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और समुद्रों के पारिस्थितिकी तंत्र पर कई गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो हम पेरिस समझौते में वर्णित उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे।
- रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वर्तमान प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रणाली पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है।
    - रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में कुल वैश्विक अपशिष्ट का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही रीसाइक्लिंग केंद्रों तक पहुँच पाता है और उसमें से भी मात्र 15 प्रतिशत ही असल में रिसाइकल हो पाता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट में भारत की स्थिति

- वर्ष 2019 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक दिन में करीब 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 40 प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक कचरा असंग्रहीत ही रह जाता है।

- भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किग्रा. से कम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का लगभग दसवाँ हिस्सा है।

प्लास्टिक: एक वैश्विक चुनौती के रूप में

- प्लास्टिक का आविष्कार सर्वप्रथम 19वीं सदी में किया गया था, किंतु 20वीं सदी तक यह एक बड़ी समस्या नहीं बना था।
- समय के साथ प्लास्टिक की समस्या भी गंभीर होती गई और प्लास्टिक का उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगा, आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में 348 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया था, जो कि वर्ष 1950 से पूर्व मात्र में 2 मिलियन मीट्रिक टन था।
- वर्तमान में प्लास्टिक उद्योग वैश्विक स्तर पर काफी बड़ा उद्योग बन गया है और वर्तमान में इसका उपयोग पैकेजिंग से लेकर विनिर्माण तक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2040 तक प्लास्टिक का उत्पादन लगभग दोगुना हो जाएगा।
- जैसे-जैसे प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि हुई है, उसी प्रकार प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है।
- प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव
  - प्लास्टिक अपशिष्ट का जलीय, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जानवरों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक जानवरों के पाचन तंत्र को खराब कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
  - एक अनुमान के अनुसार, 800 से अधिक प्रजातियाँ पहले से ही समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावित हैं।
  - प्लास्टिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर भी काफी गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है, प्लास्टिक से निकलने वाले तमाम तरह के रसायनों में ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित अवांछित परिवर्तन और आनुवंशिक विकारों को बढ़ावा देते हैं।
  - प्लास्टिक का कुप्रबंधन भी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  - अकसर प्लास्टिक जल निकास के लिये मौजूद प्रणालियों में फँस जाता है और उस क्षेत्र में पानी एकत्रित होने लगता है, जिससे आस-पास के इलाकों में अपशिष्ट-जनित रोगों का प्रसार हो सकता है।

सुझाव

- वर्ष 2040 तक प्लास्टिक के अनुमानित उत्पादन और खपत में वृद्धि को लगभग एक तिहाई कम किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2040 तक प्लास्टिक अपशिष्ट के छठवें हिस्से को अन्य सामग्रियों के साथ प्रतिस्थापित करना।
- वर्ष 2040 तक मध्य और निम्न-आय वाले देशों में शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक अपशिष्ट संग्रह दरों का विस्तार करना और अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र का समर्थन करना।

ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 के मसौदे पर जनता की प्रतिक्रिया के लिये समयसीमा बढ़ा दी है।

प्रमुख बिंदु:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 के मसौदे पर जनता की प्रतिक्रिया की समय सीमा 11 अगस्त तक बढ़ा दी। सरकार द्वारा 10 अगस्त से 30 जून तक की समयसीमा में बदलाव करने के बाद ऐसा हुआ।
- COVID-19 के करण राजपत्र में मसौदे के प्रकाशन में 19 दिनों की देरी हुई थी। इसलिये जब हज़ारों लोगों ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिये अनिवार्य 60-दिवसीय खिड़की के विस्तार के निवेदन के लिये ईमेल किया तो पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने 10 अगस्त तक 60 अतिरिक्त दिनों को अनुमति देने के लिये उपयुक्त माना।
- लेकिन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 जून की नई समय-सीमा निर्धारित की गई। यह उन कार्यकर्ताओं के हित में नहीं था, जो ड्राफ्ट की वापसी के लिये पूरा ज़ोर लगा रहे थे।

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये जल्द ही कानून बनाए। लेकिन वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाया।

स्टॉकहोम घोषणा (1972)

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया और एक ही धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने 1994 में अपने पहले ईआईए मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और (प्रदूषण) को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक कानूनी तंत्र स्थापित करता है। हर विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये ईआईए प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है।
- 1994, ईआईए अधिसूचना को वर्ष 2006 में संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया था। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने वर्ष 2006 से जारी संशोधनों और प्रासंगिक न्यायालय के आदेशों को शामिल करने और ईआईए की प्रक्रिया को "और अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिये इसे फिर से तैयार किया।"

विवाद

- हालांकि कार्यकर्ताओं के अनुसार, पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्थापित ईआईए प्रक्रिया ने, उद्योगों को दी गई वास्तविक रियायतों की एक श्रृंखला के लिये कानूनी कागजी कार्रवाई का मुखौटा पेश करके अक्सर विपरीत काम किया है।
- उदाहरण के लिये, पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित (हानिकारक) प्रभावों की रिपोर्ट जो ईआईए प्रक्रिया का आधार है, अक्सर संदेहपूर्ण और सलाहकार एजेंसियाँ होती हैं जो उन रिपोर्टों को एक शुल्क के बदले तैयार करती हैं जिन्हें शायद ही कभी विश्वसनीय माना जाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रशासनिक क्षमता का अभाव अक्सर निकासी अनुमति के शर्तों की लंबी सूचियों को अर्थहीन बना देता है। फिर समय के साथ किये गए संशोधन, उद्योगों के किसी वर्ग को जांच में छूट देते हैं।
- दूसरी ओर, डेवलपर्स की शिकायत है कि ईआईए काल ने उदारीकरण की भावना को ठंडा कर दिया, जिससे लालफीताशाही और किराए के काम को बल मिल गया। UPA-II के कार्यकाल के दौरान प्रोजेक्ट क्लीयरेंस में देरी वर्ष 2014 में एक चुनावी मुद्दा बन गया।

समस्या

- वर्ष 2020 का मसौदा ईआईए प्रक्रिया पर राजनीतिक और नौकरशाही के लिये कोई उपाय नहीं करता है, और न ही उद्योगों के लिये। इसके बजाय, यह पर्यावरण की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति का बढ़ाया जाना प्रस्तावित करता है।
- जबकि राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को स्वाभाविक रूप से रणनीतिक माना जाता है, सरकार अन्य परियोजनाओं के "रणनीतिक" टैग पर विचार करती है। 2020 के मसौदे में "ऐसी परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने" जैसी कोई जानकारी नहीं है। यह वैसे किसी भी रणनीतिक योग्य समझे जाने वाले परियोजनाओ के अविलंबित क्लियरेंस के लिये एक रास्ता खोल देता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के।
- इसके अतिरिक्त, नया मसौदा परियोजनाओं की एक लंबी सूची को सार्वजनिक परामर्श से मुक्त करता है। उदाहरण के लिये, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पाइपलाइन जैसी अनुक्रमिक परियोजनाओं को किसी भी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी। 'सीमा क्षेत्र' को "भारत के सीमावर्ती देशों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर हवाई दूरी के भीतर गिरने वाले क्षेत्र" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पूर्वोत्तर के अधिकांश भाग जो देश की सबसे समृद्ध जैव विविधता के भंडार है, उनको कवर करेगा।

किसे छूट है?

- सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार/चौड़ीकरण जो सरकार द्वारा मुख्य रूप से केंद्रित क्षेत्र हैं, इन संबंधित क्षेत्रों को पूर्व अनुमति प्रदान किये जाने से छूट दी जाएगी। इनमें वे सड़कें शामिल हैं जो जंगलों से गुजरती हैं और प्रमुख नदियों को विभाजित करती हैं।

नोट :

- वर्ष 2020 के मसौदे में 1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित अधिकांश भवन निर्माण परियोजनाओं को भी छूट दी गई है। यह पर्यावरण मंत्रालय के दिसंबर 2016 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है जिसे दिसंबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अस्वीकार किया गया था।

बड़ा परिवर्तन

- नए मसौदे में दो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कार्योत्तर परियोजना की मंज़ूरी और जन विश्वास के सिद्धांत को छोड़ने के प्रावधान हैं। पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली परियोजनाएँ भी अब मंज़ूरी के लिये आवेदन कर सकेंगी। यह बिना मंज़ूरी के संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिये मार्च, 2017 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है।
- सभी उल्लंघनकर्ता को सुधार करने और संसाधन वृद्धि के लिये "उल्लंघन के कारण व्युत्पन्न पारिस्थितिक क्षति और आर्थिक लाभ" के 1.5-2 गुना के बराबर दो योजनाओं की आवश्यकता होगी।
- 1 अप्रैल को एक आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के विपरीत "कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी" को लागू किया था।
- वर्ष 2020 के मसौदे में यह भी बताया गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का कैसे संज्ञान लेगी। इसकी रिपोर्ट या तो सरकारी प्राधिकरण या स्वयं डेवलपर्स को करनी होती है। उल्लंघन के बारे में किसी भी सार्वजनिक शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।

कानूनी प्रश्न

- नई परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत एक ईआईए अधिसूचना जारी की जाती है। धारा यह निर्धारित करता है कि ऐसे उपायों से पर्यावरण को लाभ होना चाहिए।
- 1 अप्रैल के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा: "धारा 3 के संदर्भ में की जाने वाली केंद्र सरकार की कार्रवाई , पर्यावरण के गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक होने या वांछनीय होने के वैधानिक आवश्यकता का पालन करता हो ।
- इसके विभिन्न प्रावधान जो सरकार के "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" सिद्धांत को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हैं, इस प्रश्न को प्रासंगिक बनाए रखते है कि क्या यह अधिसूचना पर्यावरण अधिनियम के उद्देश्य से जुड़ी है ?

हरियाणा में एरियल सीडिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिये एरियल सीडिंग ड्रोनों को तैनात किया है। अरावली और शिवालिक पहाड़ियों के दुर्गम और कठिन स्थलों पर कम वनस्पति घनत्व या खंडहर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिये इस परियोजना को पायलट आधार पर संचालित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

एरियल सीडिंग (Aerial Seeding)

- विवरण:
  - एरियल सीडिंग, रोपण की एक तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है, इसके बाद हवाई
  - उपकरणों जैसे- विमानों, हेलीकाप्टरों या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों को लक्षित क्षेत्रों में फेंका जाता है/छिड़काव किया जाता है।
- कार्य:
  - बीजों से युक्त इन गेंदों को निचली उड़ान भरने में सक्षम ड्रोनों द्वारा एक लक्षित क्षेत्र में फैलाया जाता है, इससे बीज हवा में तैरने की बजाय लेपन में युक्त मिश्रण के वज़न से एक पूर्व निर्धारित स्थान पर जा गिरते हैं।

- इसका एक अन्य लाभ है कि जल और मिट्टी में घुलनशील इन पदार्थों के मिश्रण से पक्षी या वन्य जीव इन बीजों को क्षति नहीं पहुँचाते हैं, जिससे इनके लाभाकारी परिणाम प्राप्त होने की उम्मीदें भी बढ़ जाती है।
- लाभ:
  - इस विधि के माध्यम से ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम हैं, जिनमें खड़ी ढलान या कोई वन मार्ग नहीं होने के कारण, पहुँचना बहुत कठिन है, उन्हें आसानी से लक्षित किया जा सकता है।
  - बीज के अंकुरण और वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी है कि मैदानों में इसके छिड़काव के बाद इस पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह बीजों को छिड़ककर भूल जाने के तरीके के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
  - न इन्हें जुताई की आवश्यकता होती हैं और न ही रोपण की, क्योंकि वे पहले से ही मिट्टी, पोषक तत्त्वों और सूक्ष्मजीवों से घिरे होते हैं। मिट्टी का खोल उन्हें पक्षियों, चींटियों और चूहों जैसे कीटों से भी बचाता है।
- सीडिंग ड्रोन का उपयोग:
  - इस विधि के अंतर्गत 25 से 50 मीटर की ऊँचाई से विभिन्न आकारों के बीज के छिड़काव के लिये एक सटीक वितरण तंत्र से सुसज्जित ड्रोन इस्तेमाल किये जा रहे हैं।
  - एक एकल ड्रोन एक दिन में 20,000-30,000 बीज रोपित कर सकता है।
  - क्रियान्वयन:
  - इस तकनीक की प्रभावशीलता का परीक्षण और सफलता दर की समीक्षा करने के लिये 100 एकड़ भूमि पर इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है।
    - इसके अलावा, विशिष्ट घास के बीजों के मिश्रण को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि ये मिट्टी को बांधे रखने में सहायक होते हैं।
- महत्त्व:
  - यह स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को काम के अवसर प्रदान करेगा, जो इन बीजों की गेंद/सीड बॉल तैयार कर सकती हैं।
  - यह विधि इसलिये भी उपयोगी साबित होगी क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जो या तो पूरी तरह से दुर्गम है, या जहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के पारंपरिक तरीकों को सफल बनाना कठिन हो जाता हैं।
- एरियल सीडिंग के लिये उपयोग की जाने वाली प्रजातियाँ:
  - इस तकनीक के तहत इस्तेमाल होने वाली पौधों की प्रजातियाँ, क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजातियाँ होती हैं।
  - एरियल सीडिंग के माध्यम से जो प्रजातियाँ रोपित की जाएंगी, उनमें एकेसिया सेनेगल (खैरी), ज़िज़िफस मौरिटिआना (बेरी) और होलेरेना एसपीपी (इंद्रजो) शामिल हैं, इन प्रजातियों का इस्तेमाल इसलिये किया जा रहा है क्योंकि इनमें बगैर किसी देख-रेख के भी इन दुर्गम क्षेत्रों में जीवित रहने की संभावना अधिक है।

यमुना में अमोनिया का उच्च स्तर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर (लगभग 3 पार्ट पर मिलियन) का पता चला है जिसके कारण दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) केअनुसार, पीने के पानी में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम सीमा 0.5 पार्ट पर मिलियन (Parts Per Million-ppm) है।

प्रमुख बिंदु:

- अमोनिया:
  - इसका रासायनिक सूत्र NH_3 है।
  - यह एक रंगहीन गैस है जिसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है।

- इसका निर्माण पर्यावरण में जैविक अपशिष्ट पदार्थ के टूटने से स्वाभाविक रूप से होता है तथा ज़मीन और सतह के जल स्रोतों में यह औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज द्वारा संदूषण या कृषि अपवाह के माध्यम से रिसकर अपना मार्ग स्वयं बना लेता है।

- अमोनिया के उच्च स्तर का प्रभाव:
  - अमोनिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है।
  - यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण रूप को परिवर्तित कर देता है जिससे 'जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग' (Biochemical Oxygen Demand- BOD) बढ़ जाती है।
  - अगर जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक है तो यह जल मछलियों के लिये विषाक्त है।
  - मनुष्यों द्वारा 1 ppm या उससे ऊपर के अमोनिया स्तर वाले जल के दीर्घकालिक अंतर्ग्रहण से आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है।
- उपचार:
  - मीठे पानी का प्रदूषित अमोनिया पानी के साथ मिश्रण।
  - क्लोरीनीकरण।
  - क्लोरीनीकरण पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे क्लोरीन या क्लोरीन यौगिकों को जोड़ने की प्रक्रिया है।
  - इस विधि का उपयोग नल के पानी में कुछ बैक्टीरिया एवं अन्य रोगाणुओं को मारने के लिये किया जाता है हालांकि क्लोरीन अत्यधिक विषाक्त है।
- दीर्घकलिक उपचार:
  - हानिकारक कचरे को नदी में फेंकने के खिलाफ के खिलाफ जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि अनुपचारित सीवेज/वाहित मल पानी में प्रवेश न करे।
  - जल के एक स्थायी न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखना जिसे पारिस्थितिक प्रवाह कहा जाता है।
  - पारिस्थितिक प्रवाह पानी की वह न्यूनतम मात्रा है जो हर समय नदी में नदी के मुहाने पर स्थित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव आजीविका तथा स्वत: नियमित को बनाए रखने के लिये प्रवाहित होनी चाहिये।

यमुना

- यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूँछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
- यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में (संगम) में गंगा नदी से मिल जाती है।
- युमना की कुल1376 किमी. है।
- महत्वपूर्ण बांध: लखवार-व्यासी बांध (उत्तराखंड), ताजेवाला बैराज बांध (हरियाणा) आदि।
- युमना की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन है।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भूकंप और दिल्ली-एनसीआर

चर्चा में क्यों ?

'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' (Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG) के अनुसार, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली' (National Capital Region-Delhi- NCR Delhi) में हाल ही में आए भूकंप के झटकों की श्रृंखला असामान्य नहीं है और इस क्षेत्र में मौजूद तनाव ऊर्जा (Strain Energy) की और संकेत करती है।

प्रमुख बिंदु:

- WIGH संस्थान 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science & Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- WIGH द्वारा दिल्ली-एनसीआर को दूसरे उच्चतम भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र (ज़ोन IV) के रूप में पहचाना गया है।

भूकंपीय तीव्रता का निर्धारण:

- सामान्यत: किसी भी क्षेत्र में भूकंपीय तीव्रता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखा जाता है:
  - अतीत में आए भूकंप;
  - तनाव ऊर्जा बजट की गणना;
    - महाद्वीपीय विस्थापन के धरातलीय प्लेटों के विरूपण के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में संग्रहीत ऊर्जा को तनाव ऊर्जा (Strain energy) कहा जाता है।
  - सक्रिय भ्रंश की मैपिंग।

Delhi-NCR में भूकंप के संभावित कारण:

- ऊर्जा का मुक्त होना (Release of Energy):
  - कमज़ोर क्षेत्रों या फॉल्ट के माध्यम से तनाव ऊर्जा का मुक्त होना, जो भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने तथा यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी टक्कर के परिणामस्वरूप जमा होती है।
- प्लेटों का खिसकना (Movement of Plates):
  - हिमालय भूकंपीय बेल्ट, भारतीय तट यूरेशियन प्लेट से अभिसरण क्षेत्र में स्थित है।
  - हिमालयी क्षेत्र में भूकंप मुख्यत: मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) से बीच ही आते हैं। इन भूकंपों का कारण द्विध्रुवीय सतह पर प्लेटों का आपस में खिसकना है।
- हिमालय से निकटता (Proximity to Himalayas):
  - Delhi-NCR, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हिमालय बेल्ट जो भूकंपीय संभावित क्षेत्र V और IV से बहुत दूर स्थित नहीं है।
- फॉल्ट (Faults) और कगार (Ridges):
- Delhi-NCR में निम्नलिखित कमज़ोर क्षेत्र और फॉल्ट स्थित हैं:
  - दिल्ली-हरिद्वार कगार,
  - महेंद्र गढ़-देहरादून भ्रंश,
  - मुरादाबाद भ्रंश,

- सोहना भ्रंश,
- ग्रेट बाउंड्री भ्रंश,
- दिल्ली-सरगोडा कगार,
- यमुना तथा यमुना गंगा नदी की दरार रेखाएँ (lineament)।

- इन कमज़ोर क्षेत्रों तथा भ्रंशों से आंतरिक तनाव ऊर्जा बाहर निकल सकती है तथा किसी बड़े भूकंप का कारण बन सकती है।

पूर्वाघात (Foreshocks):

- किसी क्षेत्र में बड़े भूकंप के आने से पूर्व आने वाले कम तीव्रता के भूकंपों को पूर्वाघात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- हालाँकि इस बात का स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इन कम तीव्रता के भूकंपीय झटकों के बाद कोई बड़ा भूकंप आएगा हालाँकि एक मजबूत भूकंप की संभावना को खारिज भी नहीं किया जा सकता है।

Delhi-NCR में अतीत के भूकंप का परिदृश्य:

भूकंप स्थान	वर्ष	भूकंप की तीव्रता
दिल्ली	1720	6.5
मथुरा	1803	6.8
मथुरा	1842	5.5
बुलंदशहर	1956	6.7
फरीदाबाद	1960	6.0
मुरादाबाद	1966	5.8

भारत में भूकंपीय ज़ोन (Seismic Zones in India):

- भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक व्यवस्था के आधार भारत को चार 'भूकंपीय ज़ोनों' में (II, III, IV और V) वर्गीकृत किया गया हैं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है पूर्व भूकंप क्षेत्रों को, उसकी गंभीरता के आधार पर पाँच ज़ोनों में विभाजित किया गया था, लेकिन 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of Indian Standards- BIS) ने प्रथम 2 ज़ोनों का एकीकरण करके देश को चार भूकंपीय ज़ोनों में बाँटा गया है।
- BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे (Hazard Maps) और कोड प्रकाशित करने के लिये आधिकारिक एजेंसी है।

भूकंपीय तीव्रता का मापन:

रिक्टर पैमाना (Richter Scale):

- परिमाण पैमाने (Magnitude scale) के रूप में भी जाना जाता है।
- भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का मापन से संबंधित है।
- इसे 0-10 तक पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है। हालाँकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन सामान्य संभव नहीं है।

मरकली पैमाना (Mercalli Scale):

- इसे तीव्रता पैमाने (Intensity Scale) के रूप में भी जाना जाता है।
- घटना के कारण दिखाई देने वाले नुकसान का मापन।
- पैमाने की परास 1-12 तक होती है।

आगे की राह:

- भूकंप का सामान्यत: पूर्वानुमान संभव नहीं हैं। हालाँकि भूकंपीय ज़ोन V और IV में बड़े भूकंप की संभावना है जो पूरे हिमालय तथा Delhi-NCR क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।
- अत: संभावित जीवन तथा संपत्तियों के नुकसान को कम करने का एकमात्र समाधान भूकंप के खिलाफ प्रभावी तैयारी है। इस मामले में जापान जैसे देशों के साथ बेहतर सहयोग स्थापित किया जा सकता है।
- नगरीय नियोजन तथा भवनों के निर्माण में आवश्यक भूकंपीय मानकों को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
- भूकंपीय आपदा के प्रबंधन की दिशा में लोगों की भागीदारी, सहयोग और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

असम में बाढ़: कारण और प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ दिनों से असम में बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है, इससे राज्य के 20 ज़िलों में 35 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई तथा 13.27 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के अनुसार, असम के बारपेटा, दक्षिण सल्मारा, गोलपारा, नलबाड़ी, और मोरीगांव ज़िले बाढ़ के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
- ब्रह्मपुत्र और उसकी तीन सहायक नदियों में आई बाढ़ तथा भू स्खलन से सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

असम में बाढ़ के कारण:

- भौगोलिक स्थिति:
  - असम घाटी एक U आकर की घाटी है इससे आसपास के सभी क्षेत्रों से पानी की निकासी का मार्ग केवल असम की ओर होता है, जो असम में आने वाली बाढ़ का एक बड़ा कारण है।
- भूकंप/भूस्खलन:
  - असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य क्षेत्र मुख्यत: उच्च भूकंप ज़ोन में अवस्थित है, जो भूस्खलन का कारण बनता है।
  - भूस्खलन और भूकंप के कारण नदियों के तल में अवसादों के जमाव से नदियों का तल ऊँचा हो जाता है, जिससे नदियों की जल बहाव क्षमता में कमी आती है।
- तटीय कटाव:
  - ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के तेज़ बहाव के कारण तटीय भूमि कटाव के कारण नष्ट हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के तटों के कटाव के कारण इस घाटी की चौड़ाई 15 किमी. तक बढ़ गई है।
- बांधों का निर्माण:
  - असम की नदियों के ऊपरी अपवाह क्षेत्र में अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। चीन द्वारा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं। इन बांधों के जल की अनियमित रिहाई से मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- अतिक्रमण:
  - पर्यावरणीय वन भूमि और जल निकायों में अतिक्रमण भी राज्य में बाढ़ का कारण बनता है।
  - आर्द्रभूमि अतिरिक्त पानी की मात्रा को अवशोषित कर लेती थी, लेकिन इनकी कम होती संख्या ने बाढ़ की प्रभाविता को और बढ़ा दिया है।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अभाव:
  - राज्य में बाढ़ की विकट स्थिति को देखते हुए ब्रह्मपुत्र नदी ड्रेज़िंग की परियोजना को मंज़ूरी दी गई थी, जिसके कार्यान्वयन में लगातार देरी की जा रही है।

नोट :

- आवासित नदीय द्वीप:
  - ब्रह्मपुत्र नदी में माजूली जैसे मानव अधिवासित द्वीप स्थित हैं, अत: नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने पर ये लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

बाढ़ के प्रभाव:

- पारिस्थितिकी पर प्रभाव:
  - वन विभाग द्वारा 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान' में अवैध शिकार रोकने के लिये अनेक शिविरों को स्थापित किया गया है, ये शिविर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
  - बाढ़ के समय राज्य में जानवरों की मृत्यु संख्या तथा शिकार की गतिविधियों में भी वृद्धि देखी जाती है।
- कृषि क्षेत्र में कमी:
  - तटीय कटाव के कारण प्रतिवर्ष लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है, इससे भविष्य में कृषि क्षेत्रों का ह्रास होने की संभावना है।
- जान-माल की नुकसान:
  - लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण लोगों का व्यापक स्तर पर विस्थापन तथा पुनर्वास किया जाता है, इससे न केवल को लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है अपितु राज्य को भी आपदा प्रबंधन पर बहुत अधिक आर्थिक व्यय करना पड़ता है।

आगे की राह:

- सरकार और संबंधित एजेंसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है, तथा रुकी हुई परियोजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
- भौगोलिक स्थलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए बांधों का निर्माण, जल संरक्षण प्रबंधन प्रणालियों तथा लोगों की भागीदारी आधारित परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिये।
- चीन, भूटान तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ नदीय जल उपयोग संबंधी आँकड़ों के साझाकरण की दिशा में सामूहिक पहल किये जाने की आवश्यकता है।

चंद्रमा पर विशाल मात्रा में धातु की उपस्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के 'लूनर रिकॉनेनेस ऑर्बिटर' (Lunar Reconnaissance Orbiter- LRO) अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की उप-सतह में विशाल मात्रा में लोहे एवं टाइटेनियम जैसी धातुओं के उपस्थित होने अनुमान लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह शोध कार्य 1 जुलाई, 2020 को 'पृथ्वी और ग्रह विज्ञान पत्र' (Earth and Planetary Science Letters- EPSL) पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
- EPSL पृथ्वी और ग्रहों विज्ञान के शोधकर्त्ताओं के लिये एक प्रमुख पत्रिका है।

मिशन LRO:

- LRO नासा का रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जो वर्तमान में चंद्रमा के ध्रुवों का मानचित्रण कर रहा है।
- इसे चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटरों में हिम की उपस्थिति का पता लगाने के लिये वर्ष 2009 में भेजा गया था।

LRO मिशन का उद्देश्य:

- चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिये वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर उपस्थित धातु का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने समय के साथ उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर अपनी परिकल्पना को और अधिक परिष्कृत करने का प्रयास किया है।

‘द बिग स्प्लैट’ संकल्पना ('The Big Splat' Hypothesis):

- चंद्रमा के निर्माण के बारे में सबसे लोकप्रिय संकल्पना यह है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से के टूटने से चंद्रमा का निर्माण हुआ।
- इस संकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की रासायनिक संरचना में व्यापक समानता।

LRO द्वारा हाल ही में की गई खोज:

- ‘लूनर रिकॉनेनेस ऑर्बिटर’ (LRO) के एक 'मिनी-आरएफ उपकरण' (Mini-RF Instrument) ने चंद्रमा के उत्तरी गोलार्द्ध के क्रेटरों की मिट्टी में विद्युत गुणों का मापन किया है।
- इन विद्युत गुणों को संपत्ति ‘विसंवाहक स्थिरांक’ (Dielectric Constant) के रूप में जाना जाता है।
    - यह किसी पदार्थ की विद्युत पारगम्यता तथा निर्वात में विद्युत पारगम्यता के अनुपात को दर्शाता है।
- शोध के अनुसार, जैसे-जैसे चंद्रमा के बड़े क्रेटरों में इस गुण का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि क्रेटरों के आकार में वृद्धि होने के साथ मृदा में उपस्थित विद्युत गुणों में वृद्धि हुई।

खोज के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष:

- क्रेटरों के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ता ‘विसंवाहक स्थिरांक’ यह बताता है कि चंद्रमा का निर्माण जिन उल्काओं के टकराव के कारण हुआ होगा, उनके कारण चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड युक्त धूल भी बाहर निकले हैं ।
- अध्ययन के निष्कर्ष इस सामान्य अनुमान के विपरीत है कि चंद्रमा की उप-सतह में अपेक्षाकृत कम धातु के भंडार हैं। अध्ययन चंद्रमा की उप-सतह में बड़ी मात्रा में लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति को बताता है।
- पूर्व में लगाए गए अनुमान; जो चंद्रमा की सतह से 0.5 से 2 किमी. की गहराई में अधिकतम लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति मानता है, के विपरीत धातुओं की अधिकतम मात्रा 0.2 से 0.5 किमी. की गहराई में उपस्थित होती है।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह खोज पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा।
- पृथ्वी की भू-पर्पटी में चंद्रमा की तुलना में कम लौह ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। चंद्रमा की सतह पर धातु की अधिक मात्रा की नई खोज उनके समक्ष नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

भूकंप की भविष्यवाणी के लिये नया गणितीय मॉडल

चर्चा में क्यों?

हैरियट-वॉट यूनिवर्सिटी (Heriot-Watt University), स्कॉटलैंड के शोधकर्त्ताओं ने भूकंप की भविष्यवाणी की प्रक्रिया में सुधार करने के लिये एक नए गणितीय मॉडल का विकास किया है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित किये गए इस नए गणितीय समीकरण ने भूकंप की भविष्यवाणी के मुद्दे को एक बार पुन: चर्चा में ला दिया है।
- गौरतलब है कि भूकंप की भविष्यवाणी से संबंधित इस नए मॉडल में शोधकर्त्ताओं ने प्रयोगशालाओं में किये जाने वाले अध्ययन के स्थान पर गणितीय समीकरणों का प्रयोग किया है।

नया गणितीय मॉडल

- शोधकर्त्ताओं ने अपनी खोज इस तथ्य के साथ शुरू की कि कुछ विशिष्ट प्रकार की चट्टाने भूकंप के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन चट्टानों को सामूहिक तौर पर फीलोसिलीकेटस (Phyllosilicates) कहा जाता है। चट्टानों के एक दूसरे से टकराने के पश्चात् भूकंप की उत्पत्ति होती है।

- इस प्रकार चट्टानों के टकराने अथवा फिसलन में घर्षण शक्ति (Frictional Strength) एक महत्त्वपूर्ण कारक होती है।
  - घर्षण शक्ति (Frictional Strength) को एक प्लेट के विरुद्ध दूसरी प्लेट को धकेलने के लिये आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - गौरतलब है कि घर्षण शक्ति एक ऐसा कारक है जिसकी गणितीय माध्यम से गणना की जा सकती है।
- इस अध्ययन के दौरान शोधकर्त्ताओं ने फीलोसिलीकेटस (Phyllosilicates) की घर्षण शक्ति (Frictional Strength) की भविष्यवाणी करने की कोशिश की।
- इसके पश्चात् शोधकर्त्ताओं ने यह अनुमान लगाने के लिये गणितीय समीकरणों का एक समूह विकसित किया कि आर्द्रता और फॉल्ट अथवा भ्रंश (Fault) की गति की दर जैसी स्थितियों में परिवर्तन का फीलोसिलीकेटस की घर्षण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- इसके माध्यम से शोधकर्त्ताओं के लिये प्राकृतिक स्थितियों जैसे- भूकंप आदि में फॉल्ट अथवा भ्रंश (Fault) की गति को समझना काफी आसान हो गया है।

शोध का महत्त्व

- गौरतलब है कि बीते कई दशकों में भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिये एक तरीका विकसित करने पर काफी अधिक समय और धन राशि खर्च की गई है, किंतु इस तरह के प्रयासों की सफलता दर काफी कम रही है।
- भूकंप का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल होता है, जिसके कारण आम लोगों की जान बचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- बीते 30 वर्षों में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में दो भूकंप भी शामिल हैं, जिनके कारण लाखों लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी।
  - सर्वप्रथम वर्ष 2004 में आए भूकंप और सुनामी के कारण 220,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसके पश्चात् वर्ष 2010 में आए भूकंप में 1, 59,000 लोगों की जान गई थी।
- संयुक्त राज्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1990 और वर्ष 2019 के मध्य विश्व भर में भूकंप के कारण 923,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

भूकंप का अर्थ

- साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
- भूपर्पटी (Earth's Crust) की शैलों (Rocks) में कुछ गहन दरारें होती हैं, जिन्हें भ्रंश (Fault) कहा जाता है, प्राय: ऊर्जा भ्रंश के किनारे ही निकलती है।
  - भ्रंश के दोनों ओर शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं।
- जहाँ ऊपर के शैलखंड में दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें बाँधे रखता है।
- किंतु अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं।
- भू-पर्पटी के नीचे वह स्थान, जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है, जबकि उद्गम केंद्र (Focus) के भूसतह पर उसके निकटम स्थानों पर अधिकेंद्र (Epicenter) कहते हैं।

भूकंप का मापन

- भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती हैं, जिन्हें भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves) कहा जाता है।
- वैज्ञानिक इन भूकंपीय तरंगों को भूकंपमापी (Seismometer) नामक उपकरण से मापते हैं।
- वैज्ञानिक भूकंपमापी (Seismometer) उपकरण में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर भूकंप के समय, स्थान और तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं।

नोट :

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्था से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान/अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है।

प्रमुख बिंदु

- गठन:
    - इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
    - वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (National Calamity Contingency Fund-NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund-NDRF) कर दिया गया।
    - इसे भारत सरकार के 'लोक लेखा' (Public Account) में शामिल किया गया है।
        - लोक लेखा: इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत किया गया था। जहाँ सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही होती है ऐसे लेन-देन के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये; भविष्य निधि, छोटी बचत, आदि।
        - इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- भूमिका:
    - इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
    - यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund-SDRF) की सहायता करता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।
        - SDRF, राज्य सरकार के पास अधिसूचित आपदाओं के लिये उपलब्ध प्राथमिक निधि है, तत्काल राहत प्रदान करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है।
        - केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के लिये 90% योगदान देता है।

वित्तीयन:

- कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाकर तथा उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से इसका वित्त पोषण होता है और वित्त विधेयक के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुमोदित किया जाता है।
- वर्तमान में, NDRF को वित्त प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty-NCCD) लगाया जाता है और आवश्यक होने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
    - NCCD को सातवीं अनुसूची (निर्मित या उत्पादित माल) में निर्दिष्ट वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है।
- नियंत्रण/निगरानी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखा, ओलावृष्टि, कीटों के हमलों और शीत लहर/ठंढ से जुड़ी आपदाओं के लिये निर्धारित राहत गतिविधियों की निगरानी करता है जबकि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की जाती है।
    - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) NDRF के खातों को ऑडिट करता है।

नोट :

अरुणाचल हिमालय का भूकंपीय अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' (WIHG) द्वारा भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में अरुणाचल हिमालय (Arunachal Himalaya) के चट्टानों की लोचशीलता और भूकंपीयता के अध्ययन से पता चला है कि यह क्षेत्र दो अलग-अलग गहराई पर मध्यम तीव्रता के भूकंप उत्पन्न कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- WIGH भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science & Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह हिमालय के भू-आवेग संबंधी विकास के संबंध में नई अवधारणाओं और मॉडलों के विकास के लिये अनुसंधान कार्यों को संपन्न करता है।
- अरुणाचल हिमालय को भूकंपीय ज़ोन-V में रखा गया है, इस प्रकार यह भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

शोध के निष्कर्ष:

- अरुणाचल हिमालयी क्षेत्र की भू-पर्पटी में दो अलग-अलग गहराईयों पर मध्यम तीव्रता के भूकंपीय क्षेत्र अवस्थित है।
  - कम परिमाण (Low magnitude) के भूकंप, जो कि 1-15 किमी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।
  - 4.0 से अधिक परिमाण वाले भूकंप, जो अधिकतर 25-35 किमी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।
- मध्यवर्ती गहराई का क्षेत्र भूकंपीयता से रहित है तथा यह आंशिक रूप से पिघलित अवस्था में है।
- इस क्षेत्र में भू-पर्पटी की मोटाई ब्रह्मपुत्र घाटी में 46.7 किमी. से लेकर अरुणाचल हिमालय में लगभग 55 किमी. तक विस्तृत है और सीमांत पर उत्थान के कारण भू-पर्पटी और मेंटल के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे मोहो असंबद्धता (Moho D) कहा जाता है।
- लोहित घाटी के उच्च भागों में अत्यधिक उच्च पॉइसन अनुपात (High Poisson's Ratio) दर्ज किया गया है, जो अधिक गहराई पर भू-पर्पटी की आंशिक पिघलित अवस्था को दर्शाता है।

  पॉइसन अनुपात (Poisson's Ratio):
- पॉइसन अनुपात पॉइसन प्रभाव का एक मापक है, जो लोडिंग या बल की दिशा की लंबवत दिशाओं में किसी सामग्री के विस्तार या संकुचन का वर्णन करता है।
- सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी सामग्री का जितना अधिक पॉइसन अनुपात होगा, वह सामग्री उतनी ही लोचदार विरूपण प्रदर्शित करती है।
- रबड़ का पॉइसन अनुपात उच्च जबकि कॉर्क में शून्य के करीब होता है।

शोध की प्रक्रिया:

- WIHG ने भारत के पूर्वी भाग में चट्टानों और भूकंपीय गुणों को समझने के लिये अरुणाचल हिमालय की लोहित नदी घाटी के किनारे ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) के माध्यम से जुड़े हुए 11 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशन स्थापित किये हैं।
- शोध के लिये टेलिसिस्मिक (Teleseismic) और सिस्मोमीटरों (Seismometers) की मदद से मापे गए स्थानीय भूकंप डेटा का उपयोग किया गया।
  - टेलिसिस्मिक ऐसे भूकंपों के विषय में जानकारी देता है जो माप स्थल से 1000 किमी. से अधिक दूरी पर उत्पन्न होते हैं।

शोध का महत्त्व:

क्षेपण प्रक्रिया को समझने में सहायक:

- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच लगभग 50-60 मिलियन वर्ष पूर्व टकराव के कारण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट का निरंतर क्षेपण हो रहा है जिसके कारण अभी भी हिमालय का उत्थान जारी है।

नोट :

- यह अध्ययन, ट्यूटिंग-टिडिंग सेचर जोन (Tuting-Tidding Suture Zone) में भारतीय प्लेट की क्षेपण प्रक्रिया को समझने में मदद करता है।
  - ट्यूटिंग-टिडिंग सेचर जोन (TTSZ) पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ हिमालय अक्षसंघीय मोड़ (Syntaxial Bend) अर्थात् हेयरपिन मोड़ बनाता हुआ दक्षिण की तरफ इंडो-बर्मा श्रेणी से जुड़ जाता है।
- क्षेपण प्रक्रिया के क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप तथा स्थलाकृतियों में बदलाव आता है जिसके कारण हिमालय पर्वत बेल्ट और आसपास के क्षेत्रों में बड़े भूकंप आने का खतरा रहता है। अत: ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को शुरू करने से पूर्व भूकंप की संभावित गहराई और तीव्रता की जानकारी होना आवश्यक है।

अवसंरचनात्मक विकास:

- भारत पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास कार्यों जैसे सड़कों और पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण पर जोर दे रहा है, अत: इस क्षेत्र में भूकंपीयता के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है।

भूकंप की गहराई (Depth of an Earthquake):

- भूकंप, पृथ्वी की सतह तथा सतह से लगभग 700 किमी. की गहराई तक कहीं भी उत्पन्न हो सकते है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये 0-700 किमी. की इस भूकंप की गहराई की सीमा को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है; उथला, मध्यवर्ती और गहरा।
- उथले भूकंप 0-70 किमी. के बीच, मध्यवर्ती भूकंप 70-300 किमी. की गहराई पर और गहरे भूकंप 300-700 किमी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।

कम-वेग का क्षेत्र (Low-Velocity Zone- LVZ):

- ऊपरी मेंटल में कम भूकंपीय तरंगों के कम वेग के आधार पर LVZ की पहचान की जाती है। यह 180–220 किमी. की गहराई का क्षेत्र होता है।
- इस क्षेत्र में उच्च भूकंपीय ऊर्जा में कमी हो जाती है।
- यह क्षेत्र आंशिक पिघलित अवस्था में पाया जाता है, अत: यह उच्च विद्युत चालकता वाला क्षेत्र होता है।
- LVZ के निचले भाग की असम्बद्धता को लेहमान की असम्बद्धता भी कहा जाता है।

सामाजिक न्याय

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2020 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड' (The United Nations Population Fund- UNFPA) द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2020 (State of the World Population 2020) रिपोर्ट जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन (14.2 करोड़) लड़कियों की मृत्यु हो रही है।
- रिपोर्ट से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है वर्ष 1970 में यह संख्या 61 मिलियन (6.10 करोड़) थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ पर पहुँच गई है।
- इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ-साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जाँच की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर 3 % से कम है।
- पाँच वर्ष की अवधि (वर्ष 2013-17) के औसत के अनुसार, हर वर्ष वैश्विक स्तर पर जन्म के समय 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है, वहीं भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन हो गई है वही चीन में यह आँकड़ा 72.3 मिलियन है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग दो-तिहाई है तथा जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर लगभग एक-तिहाई है।
- लैंगिकआधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12-15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है जिनमें से 90%- 95% भारत और चीन में होती हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन (4.6 करोड़)लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया कि भारत में प्रति 1,000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसवपूर्व लिंग चयन के कारण हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है जो सर्वाधिक है।

कमी के कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार, बल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा तथा लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे है।
- हाल ही के एक विश्लेषण द्वारा पता चला है कि COVID-19 महामारी के कारण छह महीने तक यदि सेवाएँ और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिये मज़बूर किया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुँचाती हैं।

गुजरात का राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात सरकार ने कहा कि राबरी (Rabari), भारवाड़ (Bharvad) एवं चारण (Charan) समुदायों के सदस्यों की पहचान करने के लिये एक पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा जो गुजरात के गिर, बरदा एवं एलेच (Alech) इलाकों में रहते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि ये तीनों समुदाय भारतीय संविधान के दायरे में अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
- पाँच सदस्यीय आयोग:
    - इस पाँच सदस्यीय आयोग में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो ज़िला न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी और एक सेवानिवृत्त्व राजस्व अधिकारी शामिल होंगे।
- अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) का दर्जा:
    - केंद्र सरकार ने 29 अक्तूबर, 1956 की एक अधिसूचना के माध्यम से गुजरात के राबरी (Rabari), भारवाड़ (Bharvad) एवं चारण (Charan) समुदायों के लोगों को अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) का दर्जा दिया जो गुजरात में गिर, बरदा और एलेच के इलाकों में नेस्सेस (Nesses) में रहते थे।

नेस्सेस (Nesses):

- नेस्सेस (Nesses) मिट्टी से बने छोटे, अंडाकार आकार के झोपड़े होते हैं।

अन्य जनजाति समुदायों द्वारा विरोध:

- हालाँकि कई आदिवासी समुदाय काफी समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि इन समुदायों से संबंधित कई लोग जो नेस्सेस में नहीं रहते हैं तथा ST प्रमाण पत्रधारक हैं और मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों में अनुचित आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
- इस मुद्दे को हल करने और तीन समुदायों के सदस्यों के बीच अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) प्राप्त दर्जे के तहत वैध लाभार्थियों का निर्णय करने के लिये पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है।

राबरी (Rabari):

- राबरी जिन्हें 'रेवारी' या 'देसाई' भी कहा जाता है, एक घुमंतू चरवाहा जनजाति है।
- यह जनजाति पूरे उत्तर-पश्चिम भारत (मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब और राजस्थान के राज्यों में) में फैली हुई हैं।
- यह जनजाति अपने पशुओं के साथ मुख्य रूप से राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों में चारे की तलाश में घूमने के बाद वर्ष में एक बार अपने गाँव वापस आती है और दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती है।
- ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और 'शिव' और 'शक्ति' (देवी पार्वती) की पूजा करते हैं।

भारवाड़ (Bharvad):

- 'भारवाड़' शब्द को 'बाड़ावाड़' (Badawad) का संशोधित रूप माना जाता है। गुजराती भाषा में 'बाड़ा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'भेड़' तथा 'वाड़ा' का अर्थ 'अहाता' (भेड़ पालने की जगह) से है।
- भारवाड़ समुदाय के लोग मूल रूप से गुजरात राज्य में निवास करते है और पशुपालन में संलग्न हैं।
- पश्चिमी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वे दो अंतर्विवाही समूहों के रूप में मौजूद हैं जिन्हें 'मोटा भाई' और 'नाना भाई' के नाम से जाना जाता है।
- यह जनजाति हिंदू धर्म में विश्वास करती है।

नोट :

चारण (Charan):

- चारण (Charan) गुजरात की कम आबादी वाली जनजाति है। इन्हें गढ़वी (Gadhvi) भी कहा जाता है।
- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, गुजरात के बरदा, गिर एवं एलेच क्षेत्रों में चारण की आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- ये गुजराती भाषा बोलते हैं और गुजराती लिपि का उपयोग करते हैं।
- ये लोग शाकाहारी होते हैं और इनका मुख्य भोजन अरहर, मूंग एवं मोठ और कभी-कभार मौसमी सब्जियों के साथ ज्वार या बाज़रे की रोटी है।
- ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं।

अनुसूचित जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान:

- स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1950 में संविधान (अनुच्छेद 342) के अंगीकरण के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में चिह्नित व दर्ज समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया।
  - जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियाँ संख्यात्मक रूप से प्रभावी हैं, उनके लिये संविधान में पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के रूप में दो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अंतर्गत 'पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र' (Fifth Schedule Areas) ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।
  - पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' के रूप में और विधिक व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण प्रदान किया गया।
- छठी अनुसूची के क्षेत्र (Sixth Schedule areas) कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो पूर्ववर्ती असम और अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भारत सरकार अधिनियम, 1935 से पहले तक बाहर रखे गए थे तथा बाद में अलग राज्य बने। इन क्षेत्रों (छठी अनुसूची) को भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत भी विशेष प्रावधान प्रदान किये गए हैं।
- अनुच्छेद-17: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है।
- अनुच्छेद-46: भारतीय संविधान के 'राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों' के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे।
- अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो सके इसके लिये वर्ष 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' की स्थापना भी की गई।

महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेना में शामिल 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (Short Service Commission-SSC) महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन' (Permanent commission) देने के मामले में सरकार को आदेश लागू करने के लिये एक महीने की समय-सीमा दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के कारण भारतीय सेना में महिलाओं को 'स्थायी कमीशन' (Permanent commission) देने तथा कमांड पोस्ट में उनकी तैनाती के संबंध में प्रावधान तैयार करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई है।
- इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को एक माह का और समय दिया गया है।

स्थायी कमीशन:

- अभी तक सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है।
- शार्ट सर्विस कमीशन से भर्ती होने के बाद वो 14 साल तक सेना में नौकरी करती थीं।
- 14 वर्ष के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था।
- सेना में पेशन पाने के लिये 20 वर्ष तक नौकरी पूरी करने का नियम है।
- स्थायी कमिशन के तहत कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का हकदार भी होगा।
- स्थायी कमीशन से महिला अधिकारी 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है ।

पृष्ठभूमि:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में सरकार को आदेश दिया था कि महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों से बाहर रखने के नीतिगत फैसले को बरकरार रखते हुए सभी शॉर्ट-सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए।
- 17 फरवरी 2020 में सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह कहकर याचिका दायर कि गई थी कि महिलाएँ शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है।
- 17 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारी सेना में स्थायी आयोग और कमांड पदों के लिये योग्य हैं, चाहे उनकी सर्विस की समयावधि कितनी भी हो।

निर्णय का सवैधानिक आधार:

- न्यायालय के अनुसार, महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन तक सीमित रखना अर्थात स्थायी कमीशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो कि देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।

सीमाएँ:

- सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कॉम्बैट विंग में लागू नहीं किया जाएगा।
- सेना में कॉम्बैट विंग वो विंग होता है जो युद्ध के दौरान फ्रंटफुट पर होता है।

निर्णय का महत्त्व:

- महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करना देश में विद्यमान लैंगिक असमानता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- इससे महिलाओं को उनकी उचित स्थिति और अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी
- जो सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
- यह निर्णय सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी/संख्या को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है ।

जनसंख्या वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लैंसेट द्वारा 195 देशों एवं क्षेत्रों के लिये वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन आबादी के साथ अपने शीर्ष स्तर पर होगी।

प्रमुख बिंदु:

- लैंसेट अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व सर्वाधिक होने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2017 की 1.38 बिलियन जनसंख्या से बढ़कर लगभग 1.6 बिलियन हो जाएगी।
- वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1.09 बिलियन अनुमानित की गई है।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2100 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में 20-64 वर्ष की आयु के कामकाजी वयस्कों की संख्या में गिरावट का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2100 में वर्ष 2017 के लगभग 762 मिलियन से घटकर 578 मिलियन संभावित है।
    - हालांकि, भारत में वर्ष 2100 तक विश्व की सर्वाधिक कामकाजी उम्र की जनसंख्या अनुमानित की गई है।
- चीन में कार्यबल/कामकाजी जनसंख्या वर्ष 2100 में वर्ष 2017 के 950 मिलियन से घटकर 357 मिलियन के स्तर पर पहुँच सकती है।
- अध्ययन के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) वर्ष 2019 में घटकर 2.1 से नीचे आ गई जो वर्ष 2100 में 1.29 के स्तर पर होगी।
    - कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो औसतन किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल (सामान्यत 15 से 49 वर्ष के बीच) में पैदा होते हैं। अर्थात यह प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है।
    - अध्ययन में वर्ष 2040 तक भारत की कुल प्रजनन दर गिरावट के साथ स्थिर होने का अनुमान है।

वैश्विक संदर्भ:

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की जनसंख्या वर्ष 2064 में लगभग 9.7 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।
- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2100 में कुल 195 देशों में से 183 देशों में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जाने का अनुमान है।
- विश्व स्तर पर कुल प्रजनन दर वर्ष 2100 में 1.66 होने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2017 में 2.37 थी।
    - वर्ष 2100 में कुल प्रजनन दर वर्ष 2017 की तुलना में - 2.1 की न्यूनतम दर से कम होगी।
- लैंसेट अध्ययन के अनुसार, वैश्विक आयु संरचना में भारी बदलाव का अनुमान लगाया गया है।
    - 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2100 में 1.7 अरब से बढ़कर 2.37 बिलियन के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है ।
- रिपोर्ट में भारत एवं चीन जैसे देशों में कामकाजी उम्र की आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट होना का भी पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया है जिसके चलते आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी जो वैश्विक शक्तियों में बदलाव को इंगित करेगा।

वृद्धि के प्रमुख कारण:

- चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, कम आयु में विवाह, निम्न साक्षरता, परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि ने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान किया है।

जनसंख्या के संदर्भ में वृद्धि वक्र:

- वृद्धि वक्र के माध्यम से एक निश्चित समय एवं संख्या में जनसंख्या के बढ़ने की दर को अभिव्यक्त किया जाता है।
- समय के साथ किसी देश की बढ़ती आबादी को वृद्धि वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है।
- वृद्धि वक्र का उपयोग जनसंख्या जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी से लेकर वित्त और अर्थशास्त्र तक के विभिन्न अनुप्रयोगों में आसानी से किया जाता है।

जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण:

- जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, जबकि जनसांख्यिकीय रूपांतरण का आशय उच्च प्रजनकता और मृत्यु दर की स्थिति से जनसंख्या की नई स्थिर स्थिति की ओर रूपांतर से है जिसमें प्रजनकता और मृत्यु दर निम्न रहे।

नोट :

- जनसांख्यिकीय रूपांतर चार चरणों में संपन्न होता है जिसमें से पहले तीन चरण जनसंख्या वृद्धि वाले होते हैं। मृत्यु दर और दीर्घायु सुधार में कमी पहला चरण होता है। दूसरे चरण में, जन्म दर कम हो जाती है लेकिन जन्म दर में गिरावट मृत्यु दर की गिरावट से कम तीव्र होती है।
- प्रजनकता का प्रतिस्थापन स्तर तीसरे चरण में प्राप्त किया जाता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहती है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या प्रजननशील आयु वर्ग में होती है। चौथे चरण में जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ जाती है और प्रजननशील आयु वर्ग में उपस्थित जनसंख्या भी कम हो जाती है; परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है और जनसंख्या स्थिर हो जाती है।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत:

- इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस द्वारा अपने लेख 'प्रिंसपल ऑफ पॉपुलेशन' में किया गया इसमें जनसंख्या वृद्धि तथा इसके प्रभावों की व्याख्या की गई है।
- माल्थन का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबधों की व्याख्या करता है।
- माल्थस के अनुसार, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात दोगुनी गति (1, 2, 4, 8, 16, 32) से बढ़ती है, जबकि संसाधनों यह वृद्धि समानान्तर श्रेणी अर्थात सामान्य गति (1, 2, 3, 4, 5) से ही होती है।
- इस सिद्धांत के अनुसार यदि जीवन निर्वहन के संसाधनों में अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है।

जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ:

- पर्यावरण पर प्रभाव
  - तेजी से जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न होता है।
  - जनसंख्या वृद्धि से बेरोज़गार पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जिसके चलते पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय जंगलों इत्यादि को कृषि कार्यों के लिये काटा जाता है।
  - बढ़ती जनसंख्या वृद्धि से औद्योगीकरण के साथ बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों का प्रवास/विकास होता है जिससे बड़े शहरों एवं कस्बों में प्रदूषित हवा, पानी, शोर इत्यादि में वृद्धि होती है।
- खद्यानों पर प्रभाव:
  - तेज़ी से बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भोजन एवं खाद्यानों के उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बनाता है।
  - तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों को आम तौर पर भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- सामाजिक प्रभाव:
  - तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मतलब श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या से है।
  - ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी की समस्या और अधिक उत्पन्न हो सकती है।
  - बेरोज़गारी के चलते व्यक्तियों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी।
  - जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, आवास और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर और अधिक बोझ उत्पन्न होगा।

जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं को रोकने हेतु प्रयास:

- सभी के लिये खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि को लाभकारी बनाया जाए एवं खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न किया जाए
- वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सतत विकास पर बल दिया जाए तथा सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति किसी भी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु हो।
- जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकारों और मज़बूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अधिक बच्चों के जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। इत्यादि कुछ ऐसे उपाय है जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

नोट :

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000:

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ-निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढाँचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतृप्त मांगों को पूरा करने के अविलम्ब लक्ष्य को हासिल करने के लिये की गई थी।
- इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है जो इसका मध्य-सत्रीय लक्ष्य है। वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था।
- नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियाँ भी बताई गई हैं, जिनमें पंचायतों और ज़िला परिषदों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने पर पारितोषिक देना, बाल विवाह विरोधी कानून और प्रसव-पूर्व गर्भ जाँच तकनीक कानून का कड़ाई से पालन, दो बच्चों के प्रतिमान को प्रोत्साहन और नसबंदी की सुविधा को पारितोषिक और प्रोत्साहनों के जरिये मज़बूती प्रदान करना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

- मई, 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- आयोग को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने और निर्देश देने, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने का शासनादेश प्राप्त है।
- इस आयोग के अंतर्गत, द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ेशन फंड (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष) की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया।

निष्कर्ष:

लैंसेट अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार एवं गर्भनिरोधक कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुँच के चलते प्रजनन क्षमता एवं जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आएगी। चीन और भारत जैसे कई देशों में प्रतिस्थापन स्तर से कम TFR के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेंगे । महिला प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में आने वाले वर्ष जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

ज़ीरो हंगर' प्राप्त करने की चुनौती और कुपोषण की समस्या

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बीते पाँच वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं, और विश्व भर के लगभग सभी देश कुपोषण के कई विभिन्न रूपों से जूझ रहे हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा, गौरतलब है कि यह संख्या वर्ष 2018 से 10 मिलियन अधिक है।
- वर्ष 2019 में लगभग 750 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति का सामने कर रहे थे।
- मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित लोगों की स्थिति पर गौर करें तो विश्व में अनुमानित 2 बिलियन लोगों तक वर्ष 2019 में सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की नियमित पहुँच नहीं थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर अपने सभी रूपों में कुपोषण का बोझ विश्व के सभी देशों के लिये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 21.3 प्रतिशत (144.0 मिलियन) बच्चे स्टंटिंग (Stunting) से, 6.9 प्रतिशत (47.0 मिलियन) बच्चे वेस्टिंग और 5.6 प्रतिशत (38.3 मिलियन) बच्चे अत्यधिक वजन की समस्या का सामना कर रहे थे।
- आँकड़ों के अनुसार, एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक तकरीबन 381 मिलियन है, जबकि दूसरे स्थान पर अफ्रीका है जहाँ कुपोषितों की कुल संख्या 250 मिलियन है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लगातार भुखमरी और कुपोषण की समस्या के कारण 'ज़ीरो हंगर' (Zero Hunger) के सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

खाद्य सुरक्षा COVID-19 का प्रभाव :

- रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि COVID-19 महामारी का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है और इसके कारण वैश्विक खाद्य प्रणाली काफी कमज़ोर हो गई है।
- प्रारंभिक आकलन से ज्ञात होता है कि COVID-19 महामारी के पश्चात् आर्थिक विकास परिदृश्य के आधार पर वर्ष 2020 में विश्व में कुल कुपोषित लोगों की संख्या में 83 मिलियन से 132 मिलियन की वृद्धि हो सकती है।
- COVID-19 के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण सबसे कमज़ोर आबादी समूहों की पोषण स्थिति और अधिक खराब होने की संभावना है।

भारत के संबंध में रिपोर्ट:

- भारत में कुल जनसंख्या में अल्पपोषण की व्यापकता वर्ष 2004-06 के 21.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-19 में 14 प्रतिशत हो गई है, गौरतलब है कि यह भारतीय नीति निर्माताओं के लिये काफी अच्छी खबर है, हालाँकि COVID-19 ने भारत के समक्ष भी खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती उत्पन्न की है।
  - रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या वर्ष 2004-09 के 249.4 मिलियन से घटकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है।

भुखमरी- एक गंभीर समस्या के रूप में:

- भुखमरी से हमारा आशय भोजन की अनुपलब्धता से होता है, किंतु खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ऐसे लोगों को भुखमरी का शिकार मानता है, जो प्रतिदिन 1800 किलो से कम कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
- गोदामों और शीत-गृहों (Cold Storage) की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत में कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत तथा फल एवं सब्ज़ियों का लगभग 30 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है।
- हालाँकि अन्य देशों में भी समान स्थिति है और अफ्रीका में तो अनुमानत: इतना खाद्यान्न बर्बाद होता है कि उससे लगभग 40 मिलियन लोगों को खाना खिलाया जा सकता है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझाव:

- संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में दुनिया भर की सरकारों से देश के सभी स्थानीय लघु-स्तरीय उत्पादकों का समर्थन करने का आग्रह किया है, ताकि वे अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकें और देश में खाद्य सुरक्षा की चुनौती को संबोधित किया जा सके।
  - इसके अलावा रिपोर्ट में सरकार से खाद्य पदार्थों की बाज़ारों में आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।
- रिपोर्ट के अंतर्गत देश में बच्चों की पोषण स्थिति को प्राथमिकता देने और शिक्षा तथा संचार के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने की बात कही गई है।
- दुनिया भर में लगभग तीन बिलियन लोग स्वस्थ आहार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे में आवश्यक है कि COVID-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेपों को मज़बूत करने के प्रयास किये जाएँ।

राजस्व गाँव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 के तहत पाँच आदिवासी वन गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में रूपांतरित करने के लिये एक अधिसूचना जारी की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- अधिसूचना में गंगामुंडा (Gangamunda), खजुरिनाली (Khajurinali), चालुझरन (Chalujharan), कंकड़गढ़ तहसील में भालुतांगर (Bhalutangar) तथा कामाख्यायनगर तहसील में करदाबानी गाँव (Karadabani) को शामिल किया गया है।
- इन गाँवों की कुल आबादी लगभग 3,000 के आस-पास है।

वन गाँव:

- वन संसाधन मूल्यांकन (Forest Resources Assessment-FRA) के अनुसार, वन गाँव उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिये वन के अंदर स्थापित किये गए हैं या फिर इन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गाँवों में बदल दिया गया है।
- वन गाँव में सरकार द्वारा फिक्स डिमांड होल्डिंग (Fixed Demand Holdings) एवं अनुमति दी गई खेती योग्य भूमि और अन्य उपयोग के लिये सभी प्रकार की तुंग्या बस्तियाँ (Taungya Settlements) तथा भूमि शामिल होती हैं ।
    - तुंग्या वन प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसमें भूमि को साफ किया जाता है और उसपर शुरू में खाद्य फसलों को लगाया जाता है।

राजस्व गाँव:

- 'महापंजीयक और जनगणना आयुक्त' के अनुसार, एक राजस्व गाँव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा होती है।
- एक राजस्व गाँव में कई गाँव शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गाँव का नेतृत्व गाँव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता होता है।
    - केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में वन गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में रूपांतरित करने के लिये दिशा-निर्देश बनाए गए थे। ओडिशा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपने स्वयं के दिशा-निर्देश जारी किये परंतु वे बहुत स्पष्ट नहीं थे।
    - वर्ष 2017 में दोबारा राज्य द्वारा दिशा-निर्देशों का एक और सेट जारी किया गया जिसके बाद से रुपांतरण का काम शुरू किया गया।
    - वर्ष 2017 के जारी दिशा-निर्देशों के बाद, राज्य में राजस्व गाँव में परिवर्तित होने वाला पहला वन गाँव अंगुल ज़िले का बादामुल गाँव (Badmul in Angul District) था।

राजस्व गाँव का महत्त्व:

- वन भूमि पर होने के कारण ये गाँव सभी सरकारी सुविधाओं जैसे- स्वच्छ पानी और बिजली इत्यादि से वंचित हैं अत: राजस्व गाँव के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर ये सभी गाँव सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे- बिजली पानी इत्यादि की सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना आदिवासी को आजीविका के लिये स्व–कृषि या निवास के लिये व्यक्ति विशेष या समान पेशा के तहत वन भूमि पर रहने का अधिकार देगा।
- राजस्व गाँव में रूपांतरित होने के बाद वन अधिकार समिति का निर्माण किया जाता है जो आदिवासी समुदायों के हितों के संरक्षण के लिये कार्य करती है।

भारत में जनजातीय समुदाय की समस्या:

- सामान्यतया जनजातियाँ ऐसे ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं की पहुँच मुश्किल है।
- जनजातीय समुदाय अपनी अलग सामाजिक सांस्कृतिक, भूमि से अलगाव, अस्पृश्यता की भावना इत्यादि के कारण सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने-आप को असहज महसूस करती हैं।
- इस समुदाय में शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं का अभाव देखा जाता है।
- जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिसके चलते सरकार की योजनाओं इत्यादि की जानकारी इन तक नहीं पहुँच पाती है जो इस समुदाय के सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है।

नोट :

जनजाति समुदाय से संबंधित मुद्दे:

- 'इनर लाइन परमिट' (ILP) का मुद्दा छठी अनुसूची में शामिल पूर्वोत्तर भारत के जनजाति बहुल राज्य असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में एक ज्वलंत समस्या बनकर उभरा।
    - कोई भी भारतीय नागरिक इन राज्यों में बिना परमिट के प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं हो और न ही वह ILP में निर्दिष्ट अवधि से अधिक रह सकता है। ILP जनजातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है।
- मणिपुर राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पारित गया जो राज्य में बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने या बसने, या स्वदेशी लोगों को अधिक अधिकार देने से संबंधित था।
    - इस विधेयक के विरोध में मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली कुकी और नागाओं जनजाति समुदाय द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया।
- त्रिपुरा में 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम' (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA) को हटाना के फैसले के चलते पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इसे हटाने को लेकर विवाद बना हुआ है।
- नक्सलवाद की समस्या झारखंड, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजातीय समुदाय के विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
- 'ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' (All Bodo Students Union- ABSU) द्वारा असम से अलग जनजाति बहुल बोडोलैंड की माँग।

जनजाति समुदाय के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण के लिये अनुच्छेद 338 तथा (338-क) में प्रावधान किया गया है-
    - संबंधित अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण के लिये आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
    - आयोग का कार्य अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना, उन पर निगरानी रखना तथा उनके रक्षोपायों का मूल्यांकन करना है।
    - अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उस पर सलाह देना तथा प्रगति का मूल्यांकन करना इत्यादि।
- संवैधानिक की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है वही अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है।
- अनुच्छेद 17 समाज भी इस समुदाय के हितों को अस्पृश्यता की भावना से सुरक्षा प्रदान करता है।
- नीति निदेशक तत्त्वों का अनुच्छेद 46 राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे।

प्रमुख योजनाएँ:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- ओडिशा राज्य सरकार शीघ्र ही आदिवासी समुदाय की विशेष भाषा के संरक्षण के किये शब्दकोश (डिक्शनरी) जारी की जाएगी जिसका प्रयोग आदिवासी बाहुल इलाकों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने में किया जा सकेगा।

अनुसूची 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वेंकटचलिया आयोग की सिफारिशें

- अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा उपाय करें तथा केंद्रीय धन का प्रयोग राज्य सरकारों के माध्यम से फंडिंग करने के बजाय योजना के व्यय पर किया जाए।
- ज़िला परिषदों को विभिन्न सरकारी विभागों से केंद्र पोषित परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति दें।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के माध्यम से ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना।
- राष्ट्रीय आव्रजन परिषद की स्थापना जो कार्य परमिट, राष्ट्रीय प्रवासन कानून और नागरिकता अधिनियम से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट करे।

नोट :

अनुसूची 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये रामचंद्रन समिति की सिफारिशें:

- ज़िला परिषद की शक्तियों की न्यूनतम सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन और भागीदारी में सभी हितधारकों के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है।
- राज्यों एवं ज़िला परिषदों के बीच कार्यात्मक जिम्मेदारियों में टकराव की स्थिति को खत्म करना।
- गाँव और बस्ती के स्तर पर विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना बनाने के लिये लगभग 10-20 सदस्यों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई ग्राम विकास समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय परिषदों को वित्त पोषित करने के लिये राज्य वित्त आयोग को गठित करने की आवश्यकता।
- राज्यपाल द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार और ज़िला परिषद की एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का नेतृत्व करना चाहिये।
- निरंतर निगरानी, लेखा परीक्षा और सुधार के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली की आवश्यकता व्यक्त की।
- छठी अनुसूची क्षेत्र में विभिन्न निकायों के कामकाज की समीक्षा, निरीक्षण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करें।

राजस्थान में अपूर्ण शिक्षा दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर जारी नए दिशा-निर्देशों के लिये राज्य सरकार की आलोचना की है। आयोग के अनुसार, ये नए दिशा-निर्देश शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि RTE अधिनियम, 2009 के तहत 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिये निजी स्कूलों में केवल कक्षा 1 या उससे ऊपर के बच्चों को प्रवेश कराया जाएगा, जिसमें प्री-स्कूलर्स (नर्सरी के बच्चे) शामिल नहीं हैं।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवेश की आयु "5 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 31 मार्च 2020 तक 7 वर्ष से कम" है।

नियमों का उल्लंघन:

- ये दिशा-निर्देश RTE अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित होनी चाहिये।
- ये दिशा-निर्देश केवल 7 साल से कम उम्र के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं लेकिन RTE अधिनियम में प्रवेश के लिये "छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे" का प्रावधान शामिल है।

NCPCR's की प्रतिक्रिया

- NCPC ने RTE अधिनियम के आलोक में नए दिशा-निर्देशों की फिर से जाँच करने और आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश की है ताकि नए नियमों के चलते बच्चों की शिक्षा को कोई नुकसान न होने पाए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
National Commission for Protection of Child Rights - NCPCR

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

अधिदेश

- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियाँ कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (कन्वेशन) में प्रतिपादित किया गया है।
- बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।
- यह आयोग राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में निहित अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं मज़बूतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य, ज़िला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया गया है।

आयोग के कार्य

- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये उस समय मौजूद कानून के तहत बचाव की स्थिति संबंधी जाँच और समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।
- इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
- उक्त मामलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और कार्यवाही के संबंध में सिफारिश करना।
- उन सभी कारकों की जाँच करना जो आंतकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साधनों का अध्ययन करना तथा मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें करना।
- किशोर संरक्षण गृह या निवास के अन्य किसी स्थान, बच्चों के लिये बनाए गए संस्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन हैं (इनमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामिल है, जहाँ बच्चों को इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन से रखा या रोका जाता है) तथा इनके संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करना और निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की स्वप्रेरणा से जानकरी लेना:
  - बाल अधिकारों से वंचित रखना और उल्लंघन।
  - बच्चों के संरक्षण और विकास के लिये बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन नहीं करना।
  - नीति निर्णयों, दिशा-निर्देशों या कठिनाई के शमन पर लक्षित अनुदेशों का गैर-अनुपालन और बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना।

शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

संवैधानिक पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान का भाग IV, राज्य नीति (DSDP) के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्त पोषित और समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज़ 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में पेश किया गया था।
- उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार है।
- इसी संबंध में तापस मजूमदार समिति (1999) की स्थापना की गई, जिसमें अनुच्छेद 21-A के सम्मिलन को शामिल किया गया।
- 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग III में एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया।
  - अनुच्छेद 21-A में शिक्षा के अधिकार को 6-14 साल के बच्चों के लिये एक मौलिक अधिकार बनाया गया है।
  - इसने शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिये अनुवर्ती कानून प्रदान किया जिसने 2009 में अधिनियम का रूप धारण दिया।

RTE अधिनियम, 2009 की विशेषताएँ:

- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (the Right of Children to Free and Compulsory Education Act) पारित किया।
- इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 फीसदी सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित करना एक अनिवार्य शर्त है, इनमें शामिल हैं:
    - अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs)
    - सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग
    - नि:शक्तजन

बच्चों से संबंधित प्रावधान:

- यह गैर-प्रवेश दिये गए बच्चे को उचित आयु कक्षा में प्रवेश किये जाने का प्रावधान करता है।
- इसमें 'नो डिटेंशन पॉलिसी' का भी एक खंड शामिल था, जिसे बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत हटा दिया गया।
- यह बच्चे को बाल-सुलभ और बाल-केंद्रित शिक्षा की प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।

अध्यापकों से संबंधित प्रावधान:

- यह स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों, आपदा राहत कार्यों तथा जनगणना के अलावा गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिये शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने को भी निषिद्ध करता है।
- यह शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी चर्चा करता है।
- यह निम्नलिखित मानदंडों और मानकों से संबंधित है:
    - शिष्य-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratios-PTR)
    - स्कूलों के भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्थाएँ करना
    - शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिये काम के घंटे तय करना

यह निम्नलिखित को निषिद्ध करता है:

- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
- बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
- प्रति व्यक्ति शुल्क (Capitation fee)।
- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
- बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन।

आगे की राह:

RTE अधिनियम के लागू होने के बाद दस साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी इस अधिनियम को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। एक अनुकूल वातावरण का निर्माण और संसाधनों की आपूर्ति देशवासियों के साथ-साथ पूरे देश के लिये एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।

नोट :

मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (Office of the Registrar General's Sample Registration System-SRS) के कार्यालय ने भारत में वर्ष 2016-18 में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio-MMR) पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया है।

मातृ मृत्यु क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, MMR गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से (आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर) प्रति 100,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या है।
- मातृ मृत्यु दर दुनिया के सभी देशों में प्रसव के पूर्व या उसके दौरान या बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिये एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।

रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय (The Office of the Registrar General)

- यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- जनसंख्या की गणना करने और देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा, यह नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System-SRS) का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करता है।
- SRS देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है जिसमें अन्य संकेतक राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं।
- वर्बल ऑटोप्सी (Verbal Autopsy-VA) उपकरणों को नियमित आधार पर SRS के तहत दर्ज मौतों के लिए प्रबंधित किया जाता है, ताकि देश में एक विशिष्ट कारण से होने वाली मृत्यु दर का पता लगाया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- देश में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio):
  - MMR वर्ष 2015-17 के 122 और वर्ष 2014-2016 के 130 के स्तर से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है।

विभिन्न राज्यों का MMR:

- असम (215), उत्तर प्रदेश (197), मध्य प्रदेश (173), राजस्थान (164), छत्तीसगढ़ (159), ओडिशा (150), बिहार (149), और उत्तराखंड (99)।
- दक्षिणी राज्यों में निम्न MMR दर्ज की गई हैं- कर्नाटक (92), आंध्र प्रदेश (65), तमिलनाडु (60), तेलंगाना (63) और केरल (43)।
- MMR में कमी के कारण
  - पिछले एक दशक में किये गए सुधारों की वजह से MMR में लगातार कमी आई है। इसके अंतर्गत देश के सबसे पिछड़े तथा सीमान्त क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव, आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान तथा अंतर-क्षेत्रक कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा है।
- भारत में ऊँची मातृत्व मृत्यु दर के कारण
  - भारत में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में असुरक्षित गर्भपात, प्रसव-पूर्व और प्रसवोपरांत रक्त स्राव, अरक्तता, विघ्नकारी प्रसव वेदना, उच्च रक्त चापीय विकार तथा प्रसवोत्तर विषाक्ता आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त
    - बाल विवाह,
    - निर्धनता,
    - अशिक्षा, अज्ञानता तथा रूढ़िवादिता
    - दो संतानों के मध्य कम अंतर होना, अविवेकपूर्ण मातृत्व
    - अस्वास्थ्यकर सामाजिक कुरीतियाँ,

- देश में चिकित्सालयों तथा मातृत्व केंद्रों की कमी
- समाज में स्त्रियों की उपेक्षा तथा कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव, आदि प्रमुख कारण हैं।

- सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका
  - संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप नवजात और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिये भारत में सामूहिक प्रयास तेज़ हुए हैं।
  - हालाँकि अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर छोटे और पृथक आबादी, विशेष रूप से महिलाएँ और बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है।
- सरकार की पहलें:
  - स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा उसकी व्यापक पहुँच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी सरकारी योजनाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
    - इसके अंतर्गत लक्ष्य (LaQshya), पोषण अभियान, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा हाल ही में लॉन्च सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव (SUMAN) योजना आदि शामिल है।
  - अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिये नकद सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई।
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत 'प्रत्येक माह की 9 तारीख' को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान कराए जाने का प्रावधान है।

निष्कर्ष

यद्यपि पिछले दो दशकों में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये भारत ने वैश्विक औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन MMR के नज़रिये से अभी लंबा सफर तय करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत सी महत्त्वपूर्ण योजनाएँ और पहलें शुरू की हैं तथापि इस दिशा में समाज को भी संवेदनशील तरीके से सोचना होगा। मातृ मृत्यु के अभिशाप को खत्म करना और मातृत्व हक का सम्मान करना हमारी व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक संरचना का भी प्रमुख उत्तरदायित्व है।

बचपन बचाओ आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाल कल्याण केंद्रों से जुड़ी एक याचिका के संदर्भ में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 'बचपन बचाओ आंदोलन' (Bachpan Bachao Andolan-BBA) द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि बाल गवाहों के बयानों को न्यायालय में बुलाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल कल्याण केंद्रों पर ही दर्ज कराना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- बचपन बचाओ आंदोलन:
  - यह बाल अधिकारों के संघर्ष करने वाला देश का सबसे लंबा आंदोलन है।
  - नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा ने इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी।
  - मिशन: बच्चों को बाल सुलभ समाज प्रदान करने के लिये रोकथाम, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सामूहिक प्रयास और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से बच्चों को दासता से मुक्त कराना, उन्हें पुन:स्थापित करना, शिक्षित करना।
  - कार्य: एक गैर-सरकारी संगठन (Non Government Organisation-NGO) है जो मुख्यत: बंधुआ मज़दूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार की समाप्ति के साथ- साथ सभी बच्चों के लिये शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है।
    - यह 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' (World Day Against Child Labour) यानी 12 जून के दिन 'बाल पंचायत' का आयोजन करता है।
- नोबल पुरस्कार विजेता (Nobel Prize Winner): वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला युसुफजई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिये संयुक्त रूप से शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा संख्या का विचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'श्रम पर संसदीय स्थायी समिति' (Parliamentary Standing Committee on Labour) ने प्रवासी श्रमिकों; विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र, के लिये 'सामाजिक सुरक्षा संख्या' (Social Security Number- SSN) पेश करने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में 'श्रम और रोजगार मंत्रालय' (Ministry of Labour and Employment) प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर कोई ठोस आँकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ पाया गया तथा प्रवासी श्रमिकों के आँकड़े उपलब्ध कराने के लिये रेलवे मंत्रालय के आँकड़ों का हवाला दिया।
- रेल मंत्रालय के अनुसार, लगभग 1.08 करोड़ प्रवासी श्रमिकों द्वारा 'विशेष श्रमिक'(Special Shramik) एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की गई थी।
  - हालाँकि इन आंकड़ों की सत्यता पर इस आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन ट्रेनों का श्रमिकों के साथ-साथ छात्रों और श्रमिकों के परिवार के सदस्यों ने भी उपयोग किया था।

सामाजिक सुरक्षा संख्या (Social Security Number):

- प्रवासियों को कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ देने के लिये आधार कार्ड से भिन्न एक 'सामाजिक सुरक्षा संख्या' (Social Security Number) दिया जाना चाहिये ।
- SSN बीमा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को कवर करने का एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है।
- SSN का उपयोग लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में किया जाएगा।
- SSN न केवल प्रवासी श्रमिकों की संख्या को जानने तथा मानचित्रण में बल्कि उनके प्रवासन प्रतिरूप को समझने में भी मदद करेगा।

समिति के अन्य सुझाव:

- श्रमिकों के प्रवासन से जुड़े दोनों राज्यों अर्थात वह स्थान जहाँ से प्रवास किया है तथा वह स्थान जहाँ के लिये प्रवास किया है, संबंध में एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिये।
- सामान्यत: 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) 'बॉयोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन' प्रणाली के लिये इंटरनेट तथा विद्युत की आवश्यकता होती है। अत: इस संबंध में ग्राम सभाओं तथा नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।
- हाल ही में कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में किये गए बदलाव और इसके श्रमिकों पर प्रभाव की भी समिति द्वारा चर्चा की गई।

चिंता के विषय:

- 'सामाजिक सुरक्षा कोड' (Social Security Code) विधेयक- 2019 के तहत 'सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना को अनुमति दी गई है। कानून में इस बात का कोई विशेष विवरण नहीं है कि निधि में किसका योगदान होगा और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा।
- 'पीएम गरीब कल्याण योजना' के तहत अधिकांश लाभार्थी स्थानीय श्रमिक थे न कि प्रवासी श्रमिक।

  सामाजिक सुरक्षा कोड (Social Security Code):
- केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक कोड में बदलने का कार्य कर रही है।
  - वेतन संहिता;
  - औद्योगिक संबंध संहिता;
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता;
  - पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता;

नोट :

- सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों; जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम- 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम- 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम- 2008 भी शामिल हैं, को संशोधित और समेकित करता है।
- विधेयक एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह फंड सभी श्रमिकों (गिग श्रमिकों सहित) को कल्याणकारी लाभ जैसे कि पेंशन, मेडिकल कवर प्रदान करेगा।
- संहिता सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संचालित करने के लिये कई निकायों की स्थापना का प्रावधान भी करती है।
- संहिता मातृत्व लाभ संबंधी अवधारणा के विस्तार का भी प्रावधान करती है।
- संहिता विभिन्न अपराधों जैसे कि रिपोर्ट का मिथ्याकरण, आदि के लिये दंड को निर्दिष्ट करती है।

महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को 'स्थाई कमीशन' (Permanent Commission) प्रदान करने के लिये औपचारिक सरकारी मंज़ूरी पत्र जारी किया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (Short Service Commission-SSC) से चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं/विभागों में 'स्थायी कमीशन' (Permanent Commission) प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।
- सेना की जिन 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें वर्तमान में स्थाई कमीशन के लिये उपलब्ध न्यायाधीश, महाधिवक्ता और सेना शिक्षा कोर के अतिरिक्त सेना की हवाई सुरक्षा, सिग्नल, इंजीनियर, सेना विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, सेना सेवा कोर तथा ख़ुफ़िया कोर (Intelligence Corps) शामिल हैं।
- भारतीय सेना के अनुसार, यदि पात्र महिला अधिकारियों द्वारा स्थाई कमीशन के लिये अपने विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिये अपेक्षित सभी दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराए जाने के बाद सेना द्वारा चयन बोर्ड का निर्धारण कर दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है।
- सेना में SSC अधिकारियों को 14 वर्षों (10+4) के लिये चुना जाता है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार इसे अगले 4 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- गौरतलब है कि SSC के तहत चयनित पुरुष अधिकारियों के लिये 10 वर्ष की सेवा के पश्चात स्थाई कमीशन चुनने का विकल्प उपलब्ध था, जबकि महिला अधिकारियों के लिये नहीं।
- इस बाधा के कारण महिला अधिकारियों को कमान नियुक्तियों (Command Appointment) से बाहर रखा जाता था और वे सरकारी पेंशन के लिये भी पात्र नहीं होती थीं। क्योंकि अधिकारियों को 20 वर्ष के सेवा के बाद ही सरकारी पेंशन के लिये पात्र माना जाता है।

स्थाई कमीशन प्रदान करने के पूर्व प्रयास:

- वर्ष 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से सेना की कुछ शाखाओं में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का निर्णय लिया गया था।
  - इसमें सिग्नल, इंजीनियरिंग, सेना विमानन, सेना हवाई रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल को शामिल किया गया था।
  - इसके तहत SSC महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिये रिक्तियों की उपलब्धता, प्रदर्शन, चिकित्सा फिटनेस और उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्द्धी योग्यता आदि पहलुओं को आधार के रूप में शामिल किया गया था।

उच्चतम न्यायालय का निर्देश:

- उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी को सेना में SSC महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन के लिये पात्रता दिये जाने का निर्देश दिया था।
- साथ ही उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिकारियों को गैर-युद्ध कमान पदों के लिये भी पात्र माने जाने का निर्देश दिया था।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिये जाने को पूरी तरह प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, सिर्फ लिंग के आधार पर महिला अधिकारियों की क्षमताओं में बाधा उत्पन्न करना न सिर्फ एक महिला के रूप में बल्कि भारतीय सेना के एक सदस्य के रूप में भी उनकी गरिमा का अपमान है।

सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती:

- भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को सबसे पहले वर्ष 1992 से पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये शामिल किया गया था।
- वर्ष 2006 में SSC के तहत महिला अधिकारियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाना प्रारंभ किया गया, इसके तहत महिला अधिकारियों के कार्यकाल को 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था।
- सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त करने के लिये कुछ महिला अधिकारियों द्वारा वर्ष 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
- इस मामले में वर्ष 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
- परंतु सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश को नहीं माना गया था और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
- मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का निर्देश दिया था।
- 7 जुलाई, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को न्यायालय के फैसले को पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये एक माह का अतिरिक्त समय दिया था।

सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन :

- सेना की तीनों सेवाओं (थल, वायु और नौसेना) में महिला अधिकारियों को चिकित्सा, शिक्षा, विधिक, सिग्नल, रसद और इंजीनियरिंग सहित चुने हुए क्षेत्रों में स्थाई कमीशन की अनुमति दी गई है।
- भारतीय वायु सेना में SSC महिला अधिकारियों को 'फ्लाईंग ब्रांच' (Flying Branch) को छोड़कर अन्य सभी विभागों में स्थाई कमीशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।
- नौसेना में महिलाओं के लिये रसद, नौसेना डिजाइनिंग, वायु यातायात नियंत्रण, इंजीनियरिंग और कानूनी जैसे विभागों में स्थाई कमीशन की अनुमति है।

प्रभाव:

- सरकार का यह निर्णय सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिये महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन प्रदान करने से वे सेवानिवृत्ति की आयु तक सेना में अपनी सेवा जारी रख सकेंगी।
- साथ ही इस फैसले के बाद पात्र महिला अधिकारी 20 वर्ष से अधिक समय तक सेवा जारी रख सकेंगी और उन्हें सरकारी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

निष्कर्ष :

संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़रायल, उत्तर कोरिया, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विश्व के कई देशों में महिलाओं को सेना में युद्ध की स्थिति में भी पहली पंक्ति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया जाता है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिया जाना सेना में महिला समानता को बढ़ावा दिये जाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। सरकार का यह निर्णय भविष्य में सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों से जुड़े अन्य सकारात्मक सुधारों के लिये एक मज़बूत आधार का काम करेगा।

मध्य प्रदेश में शिशु मृत्युदर में बढ़ोत्तरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल इंडिया (Registrar General India) के कार्यालय के अनुसार, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्युदर (Infant Mortality Rate- IMR) वर्ष 2018 में पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2017 की तुलना में 47 से बढ़कर 48 हो गई है।

- रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय गृह मंत्रालय केअधीन है। यह नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन (Sample Registration System bulletin) जारी करता है, जिसके द्वारा राज्यों के जन्मदर, मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर के अनुमानित आँकड़ें प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- देश में औसत शिशु मृत्युदर प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों पर 32 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में औसत शिशु मृत्युदर 36 तथा शहरी क्षेत्रों में 23 हैं।
- मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्युदर 52 तथा शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्युदर 36 हैं।
- मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक शिशु मृत्युदर (48/1000) है।
  - वर्ष 2018 में राज्य में बालकों में शिशु मृत्युदर 1,000 जीवित बालकों पर 51 तथा बालिकाओं में शिशु मृत्युदर 1,000 जीवित बालिकाओं पर 46 रही।
  - मध्य प्रदेश में 1,000 जीवित जन्मों में से 26 शिशुओं की मृत्यु अर्थात् आधे से अधिक शिशुओं की मृत्यु जन्म के पहले सात दिनों के भीतर हुई है।
- मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक शिशु मृत्युदर के मामले में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है जहाँ शिशु मृत्युदर (43/1000) है तथा बड़े राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्युदर (7/1000) केरल में है।

शिशु मृत्युदर: शिशु मृत्युदर द्वारा प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है।

मातृ मृत्युदर: यह गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से (आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर) प्रति 100,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या है।

जन्मदर: जन्मदर से तात्पर्य प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की कुल संख्या से है।

मृत्युदर: मृत्युदर से तात्पर्य प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के शिशुओं की कुल संख्या से है।

शिशु मृत्युदर के कारण:

- समय से पहले प्रसव, संक्रमण, जन्म के समय रक्त में ऑक्सीजन की कमी (Birth Asphyxiation) एवं जटिल प्रसव के दौरान उपचार की देरी शिशु मृत्युदर को बढ़ाती है।

शिशु मृत्युदर से संबंधित मुद्दे/चिंताएँ:

- जन्म अंतराल (Birth Spacing): ज्यादातर मामलों में दो बच्चों का जन्म तीन वर्ष के जन्मान्तराल के बजाए एक-डेढ़ वर्ष के अंतराल में ही हुआ होता है इसके परिणामस्वरूप कम वज़न वाले शिशुओं का समय से पहले ही प्रसव (Premature Deliveries) हो जाता है।
- उच्च कुपोषण (High Malnutrition): गर्भवती होने के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं में उच्च कुपोषण का स्तर अक्सर शिशुओं की मृत्यु का कारण बनता है।
- मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health): इसका असर शिशु मृत्युदर पर भी पड़ता है। वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के मध्य, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्युदर अनुपात 188/100000 दर्ज किया गया जो देश के औसत मातृ मृत्युदर अनुपात 122/100000 की तुलना में अधिक है।
- प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 (2015-16) के अनुसार, केवल 11.4% माताओं को ही पूर्ण प्रसव पूर्व उचित देखभाल मिल पाती है।

नोट :

समाधान:

- राज्यों की प्रतिक्रिया (Response of States): स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है जिसके तहत राज्य सरकार स्वास्थ्य देखभाल की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होती। इसके लिये मानव एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में राज्यों की मज़बूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल (Antenatal and Postnatal Care): प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल में पर्याप्त स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और दवा की आवश्यकता पर ध्यान देना ज़रूरी है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पुनरूद्धार (Revamping of Primary Health Care): प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुविधाओं, प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा उपकरणों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
- बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाईयाँ (Paediatric Intensive Care Units): शिशु मृत्युदर को कम करने के लिये, जन्मजात बच्चों की देखभाल के लिये 'इंटेंसिव यूनिट केयर' (Intensive Care Unit- ICUs) स्थापित किये जाने चाहिये।
- जनशक्ति का संवर्द्धन (Enhancement of Manpower): जनशक्ति के संवर्द्धन के तहत- डॉक्टरों, कुशल आशा कार्यकर्त्ताओं और नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव कराने के लिये बेहतर चिकित्सीय सहायता प्राप्त होनी चाहिये।
- डिजिटलीकरण (Digitisation): राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल का उपयोग जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव के लिये एकल बिंदु के रूप में किया गया है।

सरकारी प्रयास:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) में दो उप-मिशन शामिल हैं पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission- NRHM) जो वर्ष 2005 में शुरू किया गया है दूसरा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission- NUHM) जो वर्ष 2013 में शुरू किया गया है।
    - यह मिशन समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक लोगों की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करता है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है।
- भारत नवजात कार्य योजना: इसे वर्ष 2014 में 'सिंगल डिजिट नेशनल मोर्टेलिटी रेट' (Single Digit Neonatal Mortality Rate) तथा 'सिंगल डिजिट स्टील बर्थ रेट' (Single Digit Still-birth Rate) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये शुरू किया गया था।
- अन्य योजनाएँ: जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana- JSY), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (Janani Shishu Suraksha Karyakaram- JSSK), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana- PMMVY) आदि कुछ अन्य प्रमुख योजनाएँ है जिन्हें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ताकि शिशु मृत्युदर को कम किया जा सके।

आगे की राह:

सतत् विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिशु मृत्युदर के स्तर को नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत वर्ष 2025 तक शिशु मृत्युदर को 1,000 जीवित जन्मों पर 23 लाना है। हालाँकि इसके लिये उपचारात्मक देखभाल के बजाय निवारक उपायों की आवश्यकता है। धन की उपलब्धता (केंद्र से) के साथ-साथ राज्यों द्वारा इसके लिये विवेकपूर्ण तरीके से योजना बनाने, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है। पोषण अभियान (POSHAN Abhiyan) की भांति अलग-अलग योजनाओं के बेहतर समन्वय, अभिसरण और समग्र एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न मंत्रालय एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हैं ।

नोट :

कला एवं संस्कृति

रावण का विमानन मार्ग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि वह एक पौराणिक चरित्र रावण के 'विमानन मार्गों' (Ravana's Aviation Routes) का अध्ययन करने के लिये एक शोध परियोजना का नेतृत्व करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- सिंहल में एक हालिया अखबार के विज्ञापन में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority of Sri Lanka) ने 'राजा रावण और अब खो चुके हवाई मार्गों के प्राचीन प्रभुत्त्व' विषय पर शोध करने के लिये जनता से कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज़ एवं साहित्य की मांग की है और उनसे ईमेल एवं फोन नंबर पर संपर्क करने के लिये कहा है।
  - यह विज्ञापन श्री लंका के पर्यटन एवं विमानन मंत्रालय (Ministry of Tourism and Aviation) द्वारा जारी किया गया था।
- श्रीलंकाई सरकार का मानना है कि रावण ने 5000 वर्ष पहले उड़ान भरी थी और वह दुनिया का पहला विमान चालक था। श्री लंका प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों की खोज करना चाहता है।
  - अनुसंधान में पहले चरण के रूप में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने राजा रावण से संबंधित दस्तावेज़, किताबें एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करना शुरू किया है।

महत्त्व:

1. रामायण से संबंधित तथ्य:

- भारतीय धर्मग्रंथ रामायण के अनुसार, रावण ने पुष्पक विमान (Pushpak Vimana) नामक एक विमान का उपयोग किया था और इसे विश्वकर्मा ने बनाया था।

2. रावण-1 (Ravana-1):

- श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह रावण-1 (Ravana-1) नामित किया जिसे जून 2019 में प्रक्षेपित किया गया था।

3. दांडू मोनारा (Dandu Monara):

- वर्ष 2016 में कोलंबो में एक सम्मेलन में नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए तत्कालीन श्री लंका के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा (Nimal Siripala de Silva) ने टिप्पणी की थी कि वैश्विक उड्डयन का आधुनिक इतिहास राइट ब्रदर्स (Wright Brothers) के साथ शुरू हुआ किंतु श्रीलंका में किंवदंती है कि रावण नामक एक राजा ने न केवल देश के भीतर बल्कि आस पास के क्षेत्र में भी उड़ान भरने के लिये 'दांडू मोनारा' (Dandu Monara) नामक एक उड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया था।

4. सिंहला-बौद्ध समुदाय (Sinhala-Buddhits community):

- श्रीलंका का बहुसंख्यक सिंहला-बौद्ध समुदाय राजा रावण का गुणगान करता है और यह समूह खुद को 'रावण बलाया' (Ravana Balaya) कहता है।

5. भारत से संबंध:

- तमिलनाडु में राजनीतिक द्रविड़ियन दलों ने रावण को श्रीलंका के बौद्ध समुदाय की तरह 'बहादुर राजा' के रूप में स्वीकार किया है।

6. पर्यटन:

- उल्लेखनीय है कि श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र भारत के पर्यटकों के लिये 'रामायण पदचिन्ह' (Ramayana Trail) को बढ़ावा देता है। भारत, श्रीलंका के सबसे बड़े पर्यटन बाज़ारों में से एक है।

नोट :

सिंहला-बौद्ध समुदायः

- यह समुदाय बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा पर केंद्रित है जो श्रीलंका के अधिकांश सिंहलियों की बहुसंख्यक विश्वास प्रणाली है।
- सिंहली श्री लंका में सबसे बड़ा जातीय समूह है।
- यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा श्रीलंका के औपनिवेशीकरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ और श्री लंका की स्वतंत्रता के बाद तेज़ी से मुखर हुआ।
- वर्ष 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक वर्चस्व की समाप्ति के बाद सिंहली बहुसंख्यक द्वारा तमिल अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव से श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुए।

थेरवादः

- वर्तमान में यह बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है।
- यह भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है।
- थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और बाद में शेष दक्षिण-पूर्व एशिया में फैल गया।
- यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में बुद्ध धर्म का प्रमुख रूप है।
- भारत में, बौद्ध धर्म की इस शाखा का प्रतिनिधित्व डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जिन्हें 'अंबेडकर बौद्ध' के रूप में जाना जाता है।

आंतरिक सुरक्षा

उत्तराखंड द्वारा भूमि हस्तांतरण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान (Gangotri National Park) में सड़कों के विकास के लिये उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड (Uttarakhand State Wildlife Advisory Board) ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।

- गौरतलब है कि यह निर्णय भारत एवं चीन के मध्य लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव के मद्देनज़र लिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इन प्रस्तावों के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क (Gangotri National Park) के तीन अलग-अलग स्थलों पर कुल 73.36 हेक्टेयर वन भूमि अलग-अलग सड़कों (कुल लंबाई 35.66 किमी.) के निर्माण के लिये हस्तांतरित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिये हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये ये मार्ग बहुत महत्त्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कर्मियों की आवाज़ाही को आसान बना देंगे।
- अब इन सड़कों के लिये भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) को भेजे जाएंगे।

गंगोत्री नेशनल पार्क (Gangotri National Park):

- इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में भागीरथी नदी (Bhagirathi River) के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र स्थित है।
- गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गौ-मुख इस पार्क के अंदर स्थित है।
- इस पार्क के तहत आने वाला क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान (Govind National Park) और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (Kedarnath Wildlife Sanctuary) के बीच एक जीवंत निरंतरता (Viable Continuity) बनाता है।
- वनस्पति: यह पार्क घने शंकुधारी वनों से घिरा हुआ है जिनमें ज्यादातर समशीतोष्ण वन हैं। इस पार्क की सामान्य वनस्पतियों में चिरपाइन, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक एवं रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं।
- जीव-जंतु: इस पार्क में विभिन्न दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियाँ जैसे- नीली भेड़, काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए पाई जाती हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police- ITBP):

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Force-CAPF) में से एक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) को 24 अक्तूबर, 1962 को गठित किया गया था।
- ITBP को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला (Jachep La) तक 3488 किलोमीटर की भारत-चीन सीमा पर 'बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी' के लिये तैनात किया गया है।
- ITBP एक विशेष पर्वतीय बल (Mountain Force) है और इसके अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही एवं स्कीयर (Skiers) हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं के लिये प्राथमिक उत्तरदाता होने के नाते ITBP देश भर में कई बचाव एवं राहत अभियान चला रहा है।

नोट :

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- नवंबर 2019 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स (Assam Rifles) को ITBP के साथ विलय करने का प्रस्ताव दिया था।

रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

भारत-चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध के मद्देनज़र भारत सरकार की 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' (Defence Acquisition Council- DAC) ने हाल ही में लगभग 39,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- DAC, रक्षा अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- रक्षा खरीद प्रस्ताव भारत की तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) की लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
- इन रक्षा प्रस्तावों में मुख्यत: तीनों रक्षा सेवाओं के लिये मिसाइल प्रणाली, और वायु सेना के लिये अतिरिक्त लड़ाकू जेट शामिल हैं।

रक्षा खरीद प्रस्ताव:

- DAC द्वारा द्वारा स्वीकृत रक्षा खरीद प्रस्ताव में 21 मिग-29 फाइटर जेट विमानों की खरीद, 59 मिग जेट विमानों को अपग्रेड करना और 12 Su-30 MKI विमानों का अधिग्रहण भी शामिल है।
- इसके अलावा रक्षा खरीद में पिनाका रॉकेट लॉन्चर तथा अस्त्र मिसाइलों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई है।

सेना के लिये पिनाका मिसाइल प्रणाली:

- प्रस्ताव:
  - सेना क लिये 'पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली' (Pinaka Guided Rocket System) में आवश्यक आयुध-संभार (Ammunition) किया जाएगा।
- पिनाका (Pinaka):
  - यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा विकसित सभी मौसम में कार्य करने वाली मुक्त उड़ान पर आधारित आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है।
  - पिनाका हथियार प्रणाली में रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बैटरी कमांड पोस्ट, लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल, रिप्लेसमेंट व्हीकल और राडार प्रणाली शामिल हैं।

नौसेना और वायु सेना के लिये अस्त्र मिसाइल:

- प्रस्ताव:
  - नौसेना और वायु सेना के लिये 'बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलों' (BVRAAM) की घरेलू रूप से खरीद की जाएगी।
- अस्त्र मिसाइल:
  - अस्त्र दृश्य सीमा के परे हवा-से-हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है।
  - अस्त्र मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमान पर तैनात किये जाने के अनुसार डिज़ाइन किया गया है।
  - यह मिसाइल प्रणाली सुपरसोनिक विमान को नष्ट करने में सक्षम है।
  - अस्त्र Mk-I (ASTRA Mk-I) हथियार प्रणाली को SU-30 Mk-I विमान के साथ एकीकृत करके 'भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) में शामिल किया जा रहा है।
  - इसे लॉक-ऑन-बिफोर लॉन्च (LOBL) और लॉक-ऑन आफ्टर लॉन्च (LOAL) के फीचर्स के साथ स्वायत तथा अनुकूल मोड में लॉन्च किया जा सकता है।

नोट :

वायु सेना के लिये मिग 29 (MIG 29):

- प्रस्ताव:
  - DAC ने रूस से 21 MIG-29 की खरीद को मंज़ूरी दी है।
  - रूस द्वारा भारत के मौजूदा 59 मिग-29 विमानों को भी अपग्रेड किया जाएगा।
  - इस सौदे की कुल लागत 7,418 करोड़ रुपए है।
- मिग 29 (MIG 29):
  - सोवियत संघ द्वारा विकसित दो-इंजन आधारित, मल्टीरोल फाइटर जेट का अद्यतन/अपग्रेडेड संस्करण है।

वायु सेना के लिये SU-30 MKI फाइटर जेट:

- प्रस्ताव:
  - सरकार द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 सुखोई Su-30 MKI जेट विमान खरीदे जाएंगे।
- SU-30 MKI:
  - यह रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फॉइटर जेट है।
  - एक उड़ान में यह 3000 किमी. तक की दूरी तय कर सकता है तथा इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है।

लंबी-दूरी की भूमि आक्रमण आधारित क्रूज़ मिसाइल प्रणाली (Long-Range Land Attack Cruise Missile Systems- LRLACM):

- प्रस्ताव:
  - ब्रह्मोस मिसाइल की फायरिंग रेंज क्षमता को 1000 किमी. तक की वृद्धि करना।
  - पूर्णतया स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल प्रणाली का विकास करना।
- LRLACM:
  - LRLACM निर्भय क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार बदलाव किये जाएँगे।

रक्षा सौदे का महत्त्व:

- प्रस्तावों के अनुसार, विभिन्न रक्षा सामग्रियों का विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुकूल है।
- भारत-चीन सीमा तनाव के बीच यह रक्षा प्रस्ताव भारत की रक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल है।
- रक्षा खरीद मुख्यत: रूस के साथ की जाएगी, जिसका भारत-चीन-रूस त्रिकोणीय संबंधों की दृष्टि से रणनीतिक महत्त्व है।

द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में अवैध मादक द्रव्यों के उत्पादन, आपूर्ति तथा उसके उपभोग पर वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु

आर्थिक संकट

- रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक कठिनाइयों के कारण लोग अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिये दवाओं से संबंधित अवैध गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं ।

- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण सरकारें दवाओं से संबंधित चिकित्सीय परीक्षणों के लिये अपने बजट पूर्वानुमान में कटौती कर सकती हैं। जिससे सस्ती व हानिकारक दवाओं का उपयोग करने के चलन में वृद्धि हो सकती है।

रणनीति में परिवर्तन

- इटली, नाइजर और मध्य एशिया के देशों में ड्रग तस्करी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा इसलिये है क्योंकि मादक पदार्थों के तस्करों ने रणनीति में परिवर्तन करते हुए अपना ध्यान अन्य अवैध गतिविधियों जैसे साइबर अपराध और नकली दवाओं के निर्माण में लगाया है।
- हालाँकि मोरक्को और ईरान जैसे देशों में ड्रग तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

आपूर्ति श्रृंखला पर COVID-19 का प्रभाव

- COVID-19 और इसके बाद लागू किया गया लॉकडाउन दुनिया में प्रमुख उत्पादकों के बीच उत्पादन और बिक्री में बाधा के रूप में उभरा है। लॉकडाउन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट एसिटिक एनहाइड्राइड (Acetic Anhydride) की आपूर्ति में कमी का कारण बन सकती है, जो हेरोइन (Heroin) के निर्माण के लिये उपयोगी होती है।
- लॉकडाउन के दौरान मादक पदार्थ भांग (Cannabis) की मांग में वृद्धि देखी गई है।
- हवाई यात्रा पर प्रतिबंध से वायु मार्ग द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पूरी तरह से बाधित होने की संभावना है। मादक पदार्थों की तस्करी हेतु अब समुद्री मार्गों के बढ़ते उपयोग के संकेत हैं।

समुद्री मार्ग का उपयोग

- हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र से मादक पदार्थ हेरोइन ज़ब्त की गई है जो इंगित करता है कि यूरोप महाद्वीप के देशों में मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के लिये समुद्री मार्गों का उपयोग किया गया है।
- हालाँकि सीमापारीय आवागमन बाधित होने से मादक पदार्थ अफीम (Opiam) की तस्करी में गिरावट हुई है परंतु मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी समुद्री मार्गों के द्वारा की जा रही है।

भारत और अवैध ड्रग व्यापार

- संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध ड्रग व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ ट्रामाडोल (Tramadol) और मेथाफेटामाइन (Methamphetamine) जैसे आधुनिक और भांग जैसे पुराने मादक पदार्थ मिल जाते हैं।
- भारत दुनिया में दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के मध्य में स्थित है, पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज (दक्षिण-पूर्व एशिया)।

स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र

- स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ों का एक संयुक्त क्षेत्र है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिये तस्करों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है।
- इसके अलावा, यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है।

स्वर्णिम अर्द्धचंद्र क्षेत्र

- स्वर्णिम अर्द्धचंद्र क्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। यह अफीम के उत्पादन और उसके वितरण के लिये प्रमुख वैश्विक स्थलों में से एक है।
- स्वर्णिम अर्द्धचंद्र क्षेत्र भारत के पश्चिम में स्थित है।

अन्य संबंधित चुनौतियाँ

- सीमा क्षेत्र : निचले मेकांग क्षेत्र की सीमाएँ अत्यधिक कमज़ोर हैं इसलिये इन्हें नियंत्रित करना कठिन कार्य है। इस प्रकार COVID-19 महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन ने इस क्षेत्र में होने वाली तस्करी में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की है।
- तस्करी के नए तरीके: तस्करों ने तस्करी के विभिन्न नए तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- सीमित नियंत्रण: सरकार का स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में सीमित नियंत्रण है जिससे इस मार्ग से तस्करी में वृद्धि हुई है।

नोट :

आगे की राह

- वैश्विक महामारी COVID-19 के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में तस्कर संगठनों की रणनीति में बदलाव को समझने की आवश्यकता है।
- देश की सीमाओं से परे उन देशों में भी प्रयास किये जाने की ज़रूरत है जहाँ अवैध मादक पदार्थों का उत्पादन होता है।

विंटर डीज़ल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने लद्दाख जैसे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों द्वारा विंटर डीज़ल के उपयोग हेतु 'गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय' (Directorate General of Quality Assurance- DGQA) से अनुमोदन मांगा है।

प्रमुख बिंदु

- IOC ने विंटर डीज़ल को वर्ष 2019 में लद्दाख, कारगिल, काज़ा और कीलोंग जैसे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में एक तकनीकी समाधान के रूप में पेश किया गया था। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में चरम मौसमी परिस्थितियों के दौरान वाहनों में डीजल के जमने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है।
- विंटर डीज़ल इस समस्या से निपटने में कारगर साबित होता है क्योंकि -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर इसका उपयोग कर पाना संभव है।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

- गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance- DGQA) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह महानिदेशालय सशस्त्र बलों को आपूर्ति किये जाने वाले हथियारों, गोला-बारूद, उपकरणों की पूरी श्रृंखला के लिये गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance- QA) प्रदान करता है।
- यह विंटर डीज़ल 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड' (Bureau of Indian Standards) के बीएस-6 (BS-6) मानकों को भी पूरा करता है।

विंटर डीज़ल क्या है?

- विंटर डीज़ल एक विशेष श्रेणी का ईंधन है जो ठंड के मौसम में जमता नहीं है। विंटर डीज़ल की चिपचिपाहट को कम करने के लिये इसमें 'फ्यूल एडिटिव्स' (Fuel Additives) का उपयोग किया जाता है।
  - वाहनों के माइलेज की समस्या, डीज़ल या पेट्रोल इस्तेमाल करने से वाहनों के फ्यूल इंजेक्टर्स पर कार्बन का जम जाना इत्यादि के समाधान के तौर पर भी फ्यूल एडिटिव्स (Fuel Additives) का प्रयोग किया जाता है।
- इस डीज़ल में सल्फर की मात्रा भी कम रहती है जो इंजनों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस डीज़ल की सीटेन रेटिंग भी काफी उच्च है। सीटेन रेटिंग 'डीज़ल की दहन गति' और 'इग्निशन के लिये आवश्यक संपीडन' का सूचक होता है।
- कई बार डीज़ल को जमने से रोकने के लिये लोगों द्वारा इसमें केरोसिन मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) तथा दूसरी तेल विपणन कंपनियाँ जैसे- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited-BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited- HPCL) इन क्षेत्रों में सेना के लिये स्पेशल डीज़ल सप्लाई करती हैं।

नोट :

- इस डीज़ल में हाई सल्फर पौर पॉइंट (High sulphur Pour Point) होता है जिसके चलते इस डीज़ल का प्रयोग -30 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है।

महत्त्व

- वर्तमान समय में जब चीन- भारत के बीच लद्दाख क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है ऐसी स्थिति में सेना को विंटर डीज़ल की आपूर्ति सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना की स्थिति को मज़बूती प्रदान करेगी।
- यह डीजल लद्दाख एवं अन्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना के साथ-साथ आम लोगों के लिये भी उपयोगी साबित होगा। इससे सर्दियों के मौसम में भी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत और CAATSA

चर्चा में क्यों

बीते माह वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) पर भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद भू-राजनीतिक वास्तविकताओं में आए बदलाव के बावजूद रूसी हथियारों की खरीद से संबंधित प्रतिबंधों पर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि 'अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों से आग्रह करता है कि वे रूस से किसी भी प्रकार के सैन्य लेन-देन को तत्काल रोक दें, अन्यथा उन्हें अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) का सामना करना पड़ सकता है।

  भारत-रूस सैन्य संबंध के हालिया घटनाक्रम
- गौरतलब है कि बीते सप्ताह 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' (Defence Acquisition Council- DAC) ने रूस से 21 मिग-29 फाइटर जेट विमानों की खरीद और 59 मिग जेट विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।
  - भारत के मौजूदा 59 मिग-29 विमानों को अपग्रेड करने का कार्य भी रूस द्वारा ही किया जाएगा। अनुमान के अनुसार, इस सौदे की कुल लागत 7,418 करोड़ रुपए है।
- वहीं इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को (Moscow) की यात्रा के दौरान रूस के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी।
- ध्यातव्य है कि रक्षा सहयोग सदैव ही भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ रहा है।
- मौजूदा समय में भारत और रूस का सैन्य तकनीकी सहयोग एक खरीदार और विक्रेता के फ्रेमवर्क से आगे बढ़ कर एक संयुक्त अनुसंधान, विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के उत्पादन के फ्रेमवर्क तक पहुँच गया है।

क्या है CAATSA ?

- अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) को वर्ष 2018 में लागू किया गया था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
- हालाँकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रुसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है।
- यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण लेन-देनों में शामिल व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम-से-कम पाँच प्रतिबंध लागू करने का अधिकार देता है।

CAATSA का प्रयोग?

- गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब तक कुल 2 बार CAATSA प्रतिबंधों का प्रयोग किया है, और संयोगवश दोनों बार इसका प्रयोग उन देशों के विरुद्ध किया गया था, जिन्होंने अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई समझौता किया था।
- सितंबर, 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग और ट्रेज़री विभाग ने एस-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई एस-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये चीन के उपकरण विकास विभाग (Equipment Development Department-EDD) पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी।
  - इन प्रतिबंधों को तब और बढ़ा दिया गया जब चीन की सेना को रूस से रक्षा प्रणाली की डिलीवरी प्राप्त हुई।
- जुलाई 2019 में भी अमेरिका ने तुर्की को S-400 की पहली डिलीवरी के बाद F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से निष्कासित कर दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि प्रतिबंध तब तक विचाराधीन हैं जब तक कि तुर्की रूस के साथ अपने सभी समझौते को समाप्त नहीं कर देता।

भारत के लिये CAATSA के निहितार्थ

- गौरतलब है कि अमेरिका ने जब से यह कानून अधिनियमित किया है, तभी से भारत-रूस रक्षा संबंधों पर इसके संभावित प्रभावों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है, विशेष रूप से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के संदर्भ में।
  - इसका मुख्य कारण यह है कि CAATSA को अधिनियमित करने का उद्देश्य ही रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ व्यापारिक लेन-देन में संलग्न संगठनों और व्यक्ति विशिष्ट पर प्रतिबंध लागू करके रूस को दंडित करना था।
- CAATSA की धारा 235 में कुल 12 प्रकार के प्रतिबंधों को सूचीबद्ध किया गया है, जानकारों का मानना है कि इनमें से कुल 10 प्रतिबंध ऐसे हैं, जिनका रूस या अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर बहुत कम अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - इस प्रकार ऐसे केवल 2 ही प्रतिबंध हैं, जिनका रूस या अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा।
- इनमें से पहला प्रतिबंध बैंकिंग लेन-देन के निषेध से संबंधित है, यदि भारत पर लागू किया जाता है तो भारत को अमेरिकी डॉलर के माध्यम से भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- वहीं दूसरा प्रतिबंध निर्यात से संबंधित है, और इसका अमेरिका तथा भारत के संबंधों पर काफी गहरा प्रभाव हो सकता है। इस प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिका स्वयं द्वारा नियंत्रित किसी भी वस्तु के लिये लाइसेंस प्रदान करने और उसके निर्यात को स्वीकार करने से मना कर सकता है।

CAATSA से बचाव का विकल्प

- इस अधिनियम में एक बचाव खंड दिया गया है जिसके अनुसार "यदि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहें तो वे CAATSA को रद्द कर प्रतिबंधों से मुक्त कर सकते हैं।"
- अगस्त, 2018 में अमेरिकी कॉन्ग्रेस ने इस खंड में संशोधन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक कर दिया था कि 'प्रतिबंधित देश अथवा संगठन अमेरिकी सरकार के साथ अन्य मामलों पर सहयोग कर रहा है जो अमेरिका के रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

स्वाभिमान अंचल में पहली यात्री बस का संचालन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध मलकानगिरी ज़िले में कट-ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल (Swabhiman Anchal) में स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार यात्री बस का सफल संचालन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ओडिशा में चित्रकोंडा (Chitrakonda) के विधायक ने ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस को चित्रकोंडा से मलकानगिरी ज़िले के जोडाम्बो (Jodambo) के लिये रवाना किया, जहाँ हाल ही में एक नए पुलिस स्टेशन ने कार्य करना शुरू किया है।
- गौरतलब है कि पहले स्वाभिमान अंचल में आवागमन के लिये कोई भी सड़क मार्ग नहीं था।

नोट :

स्वाभिमान अंचल के बारे में

- स्वाभिमान अंचल तीन ओर से पानी से तथा चौथी ओर से दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह क्षेत्र लंबे समय से माओवादियों और वामपंथी अतिवादियों का गढ़ रहा है।
- वर्ष 2018 में गुरुप्रिया ब्रिज (Gurupriya Bridge) बनने के बाद, यह क्षेत्र एक सड़क से जुड़ गया, जिसका निर्माण कार्य अभी पूरा किया जाना शेष है।
    - गौरतलब है कि गुरुप्रिया ब्रिज के निर्माण से पूर्व इस क्षेत्र में नौकाएँ, परिवहन का एकमात्र साधन हुआ करती थीं।
    - स्वाभिमान अंचल में कई लोग सुदूर क्षेत्र की यात्रा करने के लिये परिवहन के साधन के तौर पर घोड़ों का भी प्रयोग करते थे।
- ओडिशा और आंध्रप्रदेश की सीमा के पास स्थित मलकानगिरी ज़िले का स्वाभिमान अंचल क्षेत्र में कुल 151 गांव शामिल हैं, पूर्व में इस क्षेत्र को वामपंथी अतिवादियों (Left Ultras) द्वारा एक मुक्त क्षेत्र माना जाता था।

स्वाभिमान अंचल- माओवाद का गढ़

- स्वाभिमान अंचल में वामपंथी अतिवादियों का काफी ज़्यादा प्रभाव था और यहाँ तक कि राज्य की पुलिस में भी इस क्षेत्र को लेकर काफी भय की स्थिति रहती थी।
- ओडिशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश माओवादी शरण लेने के उद्देश्य से स्वाभिमान अंचल की ओर ही आते थे और इस कारण इस को काफी खतरनाक माना जाता था।

विकास की ओर अग्रसर

- बीते कुछ वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों के इस क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने के बाद से यहाँ की स्थिति काफी बेहतर हो गई है।
- इस क्षेत्र में सुरक्षा नेटवर्क मज़बूत होने से विकास से संबंधित कई गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। जिनमें मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण के कारण ऑटो-रिक्शा एवं सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ओडिशा का यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया है।
- ज़िला प्रशासन के अनुसार, इस क्षेत्र के अंतिम गाँव तक पहुँचने के लिये अभी भी 35 किलोमीटर लंबी एक अन्य सड़क का निर्माण आवश्यक है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड' (National Intelligence Grid- NATGRID) द्वारा 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Records Bureau- NCRB) के साथ 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (First Information Reports-FIR) तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- NATGRID 'वन-स्टॉप डेस्टिनेशन' (One-Stop Destination) के माध्यम से सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों से डेटाबेस/सूचनाओं को एकत्र कर उनका उपयोग करने तथा बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से संबंधित डेटाबेस/सूचनाओं तक पहुँचने सुनिश्चित करने के लिये एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म विकसित करने में मदद करेगा।
- यह समझौता NATGRID को 'अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम' (Crime and Criminal Tracking Network and Systems- CCTNS) के माध्यम से डेटाबेस/सूचना तक पहुँच प्रदान करने वाला एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है।
- सभी राज्य पुलिस स्टेशनों को 'अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम'(Crime and Criminal Tracking Networks and Systems- CCTNS) में 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (First Information Reports-FIR) दर्ज करना अनिवार्य होगा।

नोट :

- इस समझौते के माध्यम से NATGRID द्वारा संदिग्ध के विवरण के बारे में जानकारी जैसे-पिता का नाम, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण को प्राप्त किया जा सकेगा।
- NATGRID खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- इस परियोजना को 31 दिसंबर,2020 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड

- NATGRID आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये एक कार्यक्रम है
- भारत में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान सूचनाओं के संग्रहण के अभाव की बात सामने आई।
- इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका।
- 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर NATGRID की स्थापना की गई।
- यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है।
- NATGRID द्वारा बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।
- यह विभिन्न चरणों में डेटा प्रदान करने वाले संगठनों और उपयोगकर्त्ताओं के समन्वय के साथ ही एक कानूनी संरचना विकसित करता है
- NATGRID द्वारा प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ संदिग्ध गतिविधियों की जाँच करती हैं।

वर्तमान समय में NATGRID का महत्त्व :

- वर्तमान समय में, एयरलाइन या टेलीफोन कंपनी में किसी संदिग्ध सूचना को जानने के लिये सुरक्षा एजेंसियाँ सीधे एयरलाइन या टेलीफोन कंपनियों से संपर्क स्थापित करती हैं।
- डेटा को अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों जैसे- गूगल (Google) आदि के माध्यम से साझा किया जाता है।
- NATGRID यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की जानकारी एक सुरक्षित मंच के माध्यम से साझा की जाए ताकि डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

NATGRID और NCRB के मध्य समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड' (National Intelligence Grid- NATGRID) ने 'FIR' तथा चोरी के वाहनों से संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (NCRB) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह समझौता NATGRID को 'अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम' (Crime and Criminal Tracking Network and Systems- CCTNS) डेटाबेस/सूचना तक पहुँच प्रदान करेगा। CCTNS डेटाबेस एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है।

CCTNS क्या है ?

- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems-CCTNS) वर्ष 2009 मे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
- CCTNS का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। इसके माध्यम से पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये अपराधियों एवं अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क संरचना तैयार की जाएगी।

- सभी राज्य पुलिस स्टेशनों को 'अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम' (CCTNS) में FIR संबंधी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- इस समझौते के माध्यम से NATGRID संदिग्ध व्यक्ति के विवरण के बारे में जानकारी जैसे- पिता का नाम, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- NATGRID खुफिया और जाँच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (National Intelligence Grid- NATGRID)

- NATGRID आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये एक कार्यक्रम है। यह किसी संदिग्ध व्यक्ति के आव्रजन (प्रवेश और निकास), बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से संबंधित डेटाबेस तक पहुँचने के लिये सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों हेतु वन-स्टॉप गंतव्य होगा।
- गौरतलब है कि सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियाँ संदिग्ध व्यक्ति से संबंधित जानकारी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म से प्राप्त करने में सक्षम होंगी।
- इस कार्यक्रम को 31 दिसंबर, 2020 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान सूचनाओं के संग्रहण के अभाव की बात सामने आई।
- इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका।
- यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा।
- NATGRID द्वारा बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाएगा।
- NATGRID द्वारा प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ संदिग्ध गतिविधियों की जाँच करने में सक्षम होंगी।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में, सुरक्षा एजेंसियाँ किसी एयरलाइन या टेलीफोन कंपनी से संदिग्ध व्यक्ति से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु सीधे इन कंपनियों से संपर्क करती हैं। ये सूचनाएँ अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों जैसे- गूगल (Google) आदि के माध्यम से साझा की जाती हैं।
- NATGRID यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की जानकारी एक सुरक्षित मंच के माध्यम से साझा की जाए ताकि सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

लड़ाकू विमान: राफेल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाँच राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jets) फ्राँस से हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस (Ambala Air Base) पहुँचे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इन पाँच राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायु सेना में शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी हुई है।
- फ्राँस से भारत आए पाँच राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के नंबर 17 'गोल्डन एरो स्क्वाड्रन' (Golden Arrows Squadron) में शामिल किया जाएगा।
- 90 के दशक के अंत में रूस से सुखोई-30 (Sukhoi-30) के बाद से भारतीय वायु सेना में शामिल होने वाला यह पहला आयातित लड़ाकू विमान है।

फ्राँस के साथ अंतर-सरकारी समझौता:

- सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये फ्राँस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

- ज्ञात हो कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान वर्ष 2021 तक भारत पहुँच जाएँगे।
- साथ ही समझौते में यह भी तय किया गया था कि राफेल बनाने वाली फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) कंपनी भारतीय वायु सेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान और हथियार प्रणालियों पर पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

क्या खास है राफेल में?

- वर्ष 2001 में प्रस्तुत किये गए राफेल (Rafale) फ्राँस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जेनरेशन (4.5 Generation) वाला लड़ाकू विमान है।
- राफेल लड़ाकू विमान में मौजूद मीटीओर मिसाइल (Meteor Missile), SCALP क्रूज़ मिसाइल (Scalp Cruise Missile) और MICA मिसाइल प्रणाली (MICA Missile System) इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।
    - मीटीओर मिसाइल: यह हवा-से-हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जो तकरीबन 150 किमी दूर से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। इससे पहले की दुश्मन के विमान भारतीय विमानों के करीब पहुँचे, यह मिसाइल उनका विमानों को नष्ट कर सकती है।
    - SCALP क्रूज़ मिसाइल: राफेल में लगी SCALP क्रूज़ मिसाइल प्रणाली हवा-से-ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइल प्रणाली है और यह तकरीबन 300 किलोमीटर दूर निशाना साधने में सक्षम है।
    - MICA मिसाइल प्रणाली: राफेल में मौजूद यह मिसाइल प्रणाली एक बहुमुखी हवा-से-हवा में मार करने वाली प्रणाली है और इससे 100 किलोमीटर दूरी तक फायर किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि यह मिसाइल प्रणाली पहले से ही भारतीय वायु सेना के मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है।
- भारतीय वायु सेना ने राफेल जेट के लिये अत्याधुनिक मध्यम दूरी की मॉड्यूलर एयर-टू-ग्राउंड हथियार प्रणाली हैमर (Hammer) की खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
    - इस सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल प्रणाली को मूल रूप से फ्राँस की वायु सेना और नौसेना के लिये डिज़ाइन किया गया था।

अन्य विशेषताएँ:

- विदित हो कि राफेल 2,222.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ सकता है।
- इस लड़ाकू विमान की रेंज तकरीबन 3,700 किलोमीटर है यानी यह एक बार में लगभग 3,700 किलोमीटर तक बढ़ सकता है, हालाँकि इस रेंज को मिड-एयर रीफ्यूलिंग (Mid-Air Refuelling) के साथ बढ़ाया जा सकता है।
- यह लड़ाकू विमान लगभग 15.27 मीटर लंबा है और यह अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला-बारूद ले जा सकता है।

भारत के लिये इसका महत्त्व

- वायु युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी: विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान ऐसे समय में भारत आए हैं, जब भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के संबंधों में तनाव का सामना कर रहा है, ऐसे में ये लड़ाकू विमान भारत की वायु युद्धक
- क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही इनके आने से वायु सेना के मनोबल में भी काफी वृद्धि होगी।
- बेजोड़ क्षमता: भारतीय पड़ोसी देशों खासकर चीन और पाकिस्तान के बेड़े में मौजूद कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना के इस विमान के साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और यह राफेल बीते कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में हुए वायु युद्ध अभियानों में अपनी बेजोड़ क्षमताओं को साबित कर चुका है।
    - भारत के अलावा मिस्र और कतर के पास भी यह लड़ाकू विमान मौजूद है।
- लगभग दो दशक तक भारतीय वायु सेना लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की कमी का सामना कर रही थी, इस प्रकार राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना के लिये निर्णायक साबित होंगे।
- सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि राफेल लड़ाकू विमान खतरे की स्थिति में भारतीय वायु सीमा को पार किये बिना भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर निशाना साध सकते हैं।

नोट :

संबंधित चिंताएँ:

- ध्यातव्य है कि भारत और वायु सेना के लिये भले ही राफेल लड़ाकू विमान निर्णायक साबित हो, हालाँकि इसे भारतीय वायु सेना के समक्ष मौजूद चुनौतियों के एकमात्र हल के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
- लड़ाकू विमानों की घटती संख्या भारतीय वायु सेना के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वर्तमान में भारतीय वायु के बेड़े में लड़ाकू विमानों के कुल 30 स्क्वाड्रन शामिल हैं, जबकि भारतीय वायु के लिये प्राधिकृत स्क्वाड्रनों की कुल संख्या 42 है।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2023 तक पाकिस्तान की वायु सेना के बेड़े में कुल 27 स्क्वाड्रन होंगे, जबकि चीन की वायु सेना के बेड़े में कुल 42 स्क्वाड्रन होंगे, यह स्थिति भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी चिंताजनक हो सकती है।
    - ऐसे में आवश्यक है कि नीति निर्माता जल्द-से-जल्द भारतीय वायु सेना की प्राधिकृत क्षमता में विस्तार कर ध्यान केंद्रित करें।
- बीते कई वर्षों में भारतीय वायु सेना में मौजूद स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भी यह कमी जारी रहेगी।
    - गौरतलब है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय वायु सेना में मौजूद रूस के पुराने मिग (MiG) विमानों के पाँच स्क्वाड्रन डीकमीशन (Decommission) हो रहे हैं।

निष्कर्ष:

गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इनमें भारत के रक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है, अत: आवश्यक है कि भारत और फ्राँस के बीच रक्षा क्षेत्र से संबंधित निरंतर संवाद के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाए और सामरिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ रक्षा संबंधों को मज़बूत करने पर भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा भारत सरकार और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारतीय वायु सेना समेत भारत की तीनों सेनाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द-से-जल्द हल करने का प्रयास करना चाहिये, ताकि भारतीय सेनाओं को और मज़बूत बनाया जा सके और सेना में कार्यरत जवानों को प्रोत्साहन मिल सके।

चर्चा में

ग्लोब्बा एंडरसोनी Globba Andersonii

लगभग 136 वर्षों के अंतराल के बाद पुणे एवं केरल के शोधकर्त्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में ग्लोब्बा एंडरसोनी (Globba Andersonii) नामक एक दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्तप्राय पौधे की प्रजाति को पुन: खोजा है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पौधे को आमतौर पर 'डांसिंग लेडीज़' (Dancing Ladies)' या 'स्वान फ्लावर्स' (Swan Flowers) के रूप में जाना जाता है।
- इस पौधे को इससे पहले वर्ष 1875 में देखा गया था। इसके बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था।
- इस प्रजाति के संग्रह के शुरुआती रिकॉर्ड वर्ष 1862-70 की अवधि के बीच के थे जब इसे स्कॉटिश वनस्पतिशास्त्री थॉमस एंडरसन (Thomas Anderson) ने सिक्किम एवं दार्जिलिंग से एकत्र किया था। इसके बाद वर्ष 1875 में ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री सर जॉर्ज किंग (Sir George King) ने सिक्किम हिमालय से इसे एकत्र किया था।
- ग्लोब्बा एंडरसोनी (Globba Andersonii) की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:
  - सफेद फूल
  - गैर-अनुबंध परागकोष (एक पुंकेसर का भाग जिसमें पराग होता है)
  - पीला अधर
- इस प्रजाति को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (Critically Endangered) और 'संकीर्ण रूप से स्थानिक' (Narrowly Endemic) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी (Teesta River Valley) क्षेत्र तक ही सीमित है जिसमें सिक्किम हिमालय एवं दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला शामिल हैं।
- यह पौधा आमतौर पर सदाबहार वनों के उपांत में चट्टानी ढलानों पर लिथोफाइट (चट्टान या पत्थर पर उगने वाला पौधा) के रूप में घने क्षेत्रों में उगता है।

जी4 वायरस G4 Virus

चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस जी4 (G4) की खोज की गई है जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफी मिलता-जुलता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस जी4 वायरस का पूरा नाम जी4 ईए एच1 एन1 (G4 EA H_1N_1) है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है।
- चीन में सुअरों के लिये निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहाँ के नेशनल इन्फ्लुएंज़ा सेंटर (National Influenza Centre) सहित कई संस्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था।
- यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011-18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सूअरों के 30,000 से अधिक स्वाब (Swab) नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था।
- इन नमूनों में से शोधकर्त्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था जिनमें से अधिकांश नए पहचाने गए जी4 वायरस के थे।
  - परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस ज़ूनोटिक संक्रमण (पशु से मानव में) उत्पन्न कर सकता है किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति-से-व्यक्ति में संचरण के कोई सबूत नहीं हैं।

नोट :

- वैज्ञानिकों का मानना हैं कि नया G4 वायरस, H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिये ज़िम्मेदार था।

असम कीलबैक Assam keelback

एक सदी से भी अधिक समय के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) की एक टीम ने वर्ष 2018 में असम-अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा आरक्षित वन (Poba Reserve Forest) के पास सांप की एक प्रजाति असम कीलबैक (Assam keelback) को पुन: खोजा था।

प्रमुख बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम 'ऐम्फिएस्मा पीली' (Amphiesma Pealii) है।
- इससे पहले इस सांप की खोज 129 वर्ष पहले ऊपरी असम में चाय की रोपाई करने वाले ब्रिटिश नागरिक सैमुअल एडवर्ड पील (Samuel Edward Peal) ने की थी।
- सैमुअल एडवर्ड पील ने असम के सदाबहार वनों से भूरे रंग के दो छोटे गैर विषैले सांप एकत्र किये थे और उन्हें संग्रहालय में जमा किया था। यह स्थान अब असम का शिवसागर ज़िला कहलाता है।
- वर्ष 1891 में एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी विलियम ल्यूटलेय स्केलाटेर (William Lutley Sclater) ने इस सांप को अपने एक विवरण में एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया और इसका नाम वहाँ के तब के कलेक्टर एडवर्ड पील और उस जगह के नाम पर रखा गया जहाँ इसे खोजा गया था।

पोबा आरक्षित वन (Poba Reserve Forest):

- पोबा आरक्षित वन असम एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों में फैला एक जंगल है।
- वर्ष 2018 में कीलबैक सांप को अरुणाचल प्रदेश वाले पोबा आरक्षित वन में खोजा गया था।
- 26 जून, 2020 को असम कीलबैक की पुन: खोज से संबंधित विवरण को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका वर्टेब्रेट ज़ूलॉजी (Vertebrate Zoology) में प्रकाशित किया गया था।
- यह प्रजाति लगभग 60 सेमी लंबी होती है तथा इसका रंग भूरा एवं पेट एक पैटर्न की तरह होता है।
- जब अंग्रेज़ों ने इस सांप की खोज की थी तो उन्होंने इसे बड़े आकार वाली कीलबैक प्रजातियों (Larger Keelback Species) के रूप वर्गीकृत किया था किंतु डीएनए अध्ययन में पाया गया कि यह भारत के विशेष रूप से सामान्यीकृत कीलबैक सांप से संबंधित नहीं है बल्कि चार प्रजातियों के एक छोटे समूह के एक वर्ग हेरपेटोरिअस (Herpetoreas) से संबंधित है जो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, दक्षिण चीन तथा पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं।

राजाजी नेशनल पार्क Rajaji National Park

उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क (Rajaji National Park) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वन गुज्जर समुदाय (Van Gujjar community) के लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य के वन विभाग के कम-से-कम छह अधिकारियों ने उनके डेरों (अस्थायी झोपड़ियों) को ध्वस्त करने की कोशिश की और उनका शारीरिक शोषण किया।

राजाजी नेशनल पार्क (Rajaji National Park):

- राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 1983 में उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभयारण्य को मोतीचूर एवं चिल्ला वन्यजीव अभयारण्यों को संयुक्त करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (Rajaji National Park) बनाया गया।
- इस पार्क का नाम सी. राजगोपालाचारी (जिन्हें 'राजाजी' भी कहा जाता है) के नाम पर रखा गया है जो भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पहले गवर्नर जनरल थे।
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों एवं तलहटी में अवस्थित है और यह शिवालिक पर्यावरण-प्रणाली (Shiwalik Eco-system) का प्रतिनिधित्व करता है।
- तीन अभयारण्यों (चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी) को मिलाकर बनाया गया राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं सहारनपुर ज़िलों में फैला हुआ है।

वन गुज्जर समुदाय (Van Gujjar community):

- वन गुज्जर मूल रूप से एक खानाबदोश या यायावर जनजाति है। यह एक मुस्लिम समुदाय है।
- यह जनजाति मूल रूप से जम्मू एवं कश्मीर में निवास करती थी किंतु अपने मवेशियों के भोजन के लिये समृद्ध जंगलों एवं घास के मैदानों की तलाश में ये उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है।
- वन गुज्जरों का जीवन अपने जानवरों की देखभाल करने पर केंद्रित है।
- ये हिमालय के तराई क्षेत्रों अर्थात् शिवालिक श्रेणी के वनों में सर्दियाँ बिताते हैं जहाँ रसीले पत्ते भैंसों के लिये भरपूर चारा उपलब्ध कराते हैं।
- प्रत्येक वन गुज्जर परिवार अपने स्वयं के अस्थायी बेस कैंप में रहता है जिसे टहनियों एवं कीचड़ से बनाया जाता है इसे 'डेरा' भी कहा जाता है।
- ये अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिये डेरों के पास ही छोटे गड्ढों का निर्माण भी करते हैं।
- प्रवास के दौरान एक वन गुज्जर परिवार में प्रत्येक सदस्य की जानवरों के साथ एक उचित परिभाषित भूमिका (उम्र के आधार पर) होती है अर्थात् वयस्क बड़े भैंस एवं घोड़ों के साथ चलते हैं जबकि बच्चे बछड़ों के साथ धीमी गति से चलते हैं।
- इनकी अपनी एक बोली है जिसे 'गुज्जरी' (Gujjari) कहा जाता है जो डोगरी एवं पंजाबी भाषाई का युग्मन है।

कोआला Koala

ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष तक चली एक संसदीय जाँच प्रक्रिया में यह बताया गया कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिये तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स (New South Wales- NSW) राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला (Koala) की प्रजाति विलुप्त हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- पिछले कई दशकों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में कृषि, शहरी विकास, खनन एवं वानिकी के लिये भूमि समाशोधन वन्यजीवों के लिये निवास स्थान के विखंडन एवं नुकसान का सबसे बड़ा कारक बन कर उभरा है।
- वर्ष 2020 की शुरूआत में लंबे समय तक सूखा, बाढ़ भी वन्यजीवों के लिये विनाशकारी साबित हुआ है जो न्यू साउथ वेल्स में उनके आवास के एक चौथाई हिस्से को नष्ट कर चुका है।

कोआला (Koala):

- कोआला एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है। आमतौर पर कोआला को 'भालू' कहा जाता है।
- यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला मार्सूपियल (Marsupial) है।
- इसका वैज्ञानिक नाम 'फास्कोलार्क्टोस सिनेरेउस' (Phascolarctos Cinereus) है।
- यह शाकाहारी (Herbivore) होता है।
- यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34-36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के पाउच/थैले में इसका विकास होता है।
- इसे IUCN की रेड डेटा बुक के अंतर्गत सुभेद्य (Vulnerable) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेज़ी से कमी आई है।
- इनका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियाँ हैं। उल्लेखनीय है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से यूकेलिप्टस के पत्तों की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो रही है और ये यूकेलिप्टस के पत्ते लंबे समय तक सूखे के कारण जंगल में आग लगने का कारण भी बनते हैं।

नोट :

'स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रेक' और 'इलूसिव प्रिंस' 'Striped Hairstreak' and 'Elusive Prince'

हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में दो अन्य प्रजातियों [स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रेक (Striped Hairstreak) और इलूसिव प्रिंस (Elusive Prince)] को जोड़ा गया।

प्रमुख बिंदु:

- लेपिडॉप्टेरिस्टों (Lepidopterists) ने भारत में 'स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रेक' को भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित विजयनगर से जबकि 'इलूसिव प्रिंस' को नामदफा नेशनल पार्क (Namdapha National Park) की परिधि में मियाओ (Miao) में खोजा था।
  - लेपिडॉप्टेरिस्ट एक कीटविज्ञानी होता है जो तितलियों एवं पतंगों का संग्रह व अध्ययन करता है।
- जबकि 'स्ट्राइप्ड हेयरस्ट्रेक' (Striped Hairstreak) को सबसे पहले चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीटवैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।
- वहीँ 'इलूसिव प्रिंस' मूल रूप से पूर्वी एशियाई देश 'वियतनाम' से संबंधित है और यह पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति 'ब्लैक प्रिंस' के समान है।
  - भारत में तितली की दो प्रजातियाँ 'ब्लैक प्रिंस' एवं 'ब्राउन प्रिंस' रोहाना जीनस (Rohana Genus) से संबंधित हैं।
  - 'इलूसिव प्रिंस' (Elusive Prince) का वैज्ञानिक नाम 'रोहाना टोनकिनिआना' (Rohana Tonkiniana) है जिसका नाम उत्तरी वियतनाम में 'टोनकिन' के नाम पर रखा गया था जहाँ इसे पहली बार खोजा गया था।
    - माना जाता है कि भूटान में 'इलूसिव प्रिंस' का अस्तित्व था किंतु वहाँ मौजूद इनके नमूनों के अध्ययन निर्णायक नहीं थे।
- भारत की तितलियों की सूची में जोड़ी गई दो तितली प्रजातियों से संबंधित विवरण को 'बायनोट्स जर्नल' (Bionotes Journal) के अप्रैल-जून संस्करण में प्रकाशित किया गया है।
- भारत में अब तितली की 1327 प्रजातियाँ हैं जो वर्ष 2015 में 1318 थीं।

उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल Udyam Registration Portal

1 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) ने 'उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल' (Udyam Registration Portal) का शुभारंभ और संचालन किया।

- उल्लेखनीय है कि नई पंजीकरण प्रक्रिया से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने तथा समय एवं लागत के कम होने के उम्मीद जताई गई है।

प्रमुख बिंदु:

- MSME उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया 1 जुलाई, 2020 को 'उद्यम रजिस्ट्रेशन' के नाम से शुरू की गई।
- नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस एवं स्व-घोषणा पर आधारित है। MSME का पंजीकरण कराने के लिये पोर्टल पर कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- MSME मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'आधार' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र के बिना स्व-घोषणा के आधार पर 'उद्यम पंजीकरण' ऑनलाइन दायर किया जा सकता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा यह पोर्टल उद्यमियों का कदम-कदम पर मार्गदर्शन करता है कि उन्हें क्या जानना चाहिये और क्या करना चाहिये।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यमी को एक 'उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र' जारी किया जाएगा।
  - 'उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र' में एक क्यूआर कोड होगा जिससे पोर्टल के वेब पेज पर उद्यम से संबंधित विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पंजीकरण के पुनर्नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- उद्यमों के निवेश एवं टर्नओवर से संबंधित पैन (PAN) एवं जीएसटी (GST) आधारित विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- MSME मंत्रालय की ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से आयकर एवं GSTIN प्रणालियों के साथ एकीकृत होगी।

नोट :

MSME का नया वर्गीकरण:

- सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise): इसके उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है और कारोबार पाँच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।
- छोटा उद्यम (Small Enterprise): इसके उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।
- मध्यम उद्यम (Medium Enterprise): इस उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

ज़ीलैंडिया Zealandia

हाल ही में भू-वैज्ञानिकों ने ज़ीलैंडिया (Zealandia) महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु:

- ज़ीलैंडिया (इसे माओरी भाषा में इसे 'ते रिउ-ए-मौई' (Te Riu-a-Māui) कहा जाता है) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग मील (5 मिलियन वर्ग किलोमीटर) का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूज़ीलैंड के नीचे है।
- वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से 'महाद्वीप' का दर्जा दिया गया।
- यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन 'गोंडवाना लैंड' से अलग हो गया था।
  - गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब प्राचीन महाद्वीपीय भाग 'पैंजिया' दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था।
  - गोंडवाना के निर्माण के बाद भी विखंडित भाग की सतह लगातार पुनर्व्यवस्थित होती रही। ज़ीलैंडिया ऐसी ही एक पुनर्व्यवस्थित संरचना है।
- नए मानचित्र में ज़ीलैंडिया की बेथीमेट्री (Bathymetry) (समुद्र तल का आकार) के साथ-साथ इसके विवर्तनिक इतिहास को भी दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ज्वालामुखी एवं विवर्तनिक गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 तक ज़ीलैंडिया को 'सूक्ष्म महाद्वीप' (मेडागास्कर द्वीप की तरह) के रूप में वर्गीकृत किया गया था किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित होने तथा एक मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित होने एवं समुद्री क्रस्ट के ऊपर निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 में इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई।

डायना पुरस्कार Diana Award

दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रेया ठकराल (Freya Thakral) को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार (Diana Award) के लिये चुना गया है जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिये दिया जाने वाला सम्मान है।

प्रमुख बिंदु:

- फ्रेया ठकराल को यह पुरस्कार 'रिसाइकलर एप' (Recycler App) विकसित करने के लिये प्रदान किया जाएगा। यह वेब-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्त्ताओं को अपशिष्ट-संचालकों से जोड़ने का काम करता है।
- डोर-टू-डोर अपशिष्ट उठाने की यह प्रक्रिया पुन: प्रयोज्य कचरे के आसान निपटान में उन लोगों की मदद करती है जिनके पास अपने कचरे को छोड़ने के लिये साधन या समय नहीं है।
- यह एप उन अपशिष्ट संचालकों के लिये भी मददगार है जिनकी कमाई आमतौर पर कम होती है और अपशिष्ट के अनुचित रखरखाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं।
- अपशिष्ट के सतत् पुनर्चक्रण के लिये फ्रेया ठकराल का योगदान गरीबी उन्मूलन, नवाचार, बुनियादी ढाँचा, खपत एवं जलवायु कार्रवाई हेतु सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

डायना पुरस्कार:

- डायना पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन (Gordon Brown) की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड द्वारा की गई थी। जिनके अनुसार यह पुरस्कार युवा लोगों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के समर्थन में वेल्स की राजकुमारी 'डायना' की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है।
- यह पुरस्कार 9-25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिये प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के दो बेटों 'प्रिंस विलियम' और 'प्रिंस हैरी' द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी (Diana Award Charity) द्वारा दिया जाता है।

धम्म चक्र दिवस Dharma Chakra Day

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation- IBC) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के साथ मिलकर आगामी आषाढ़ पूर्णिमा (4 जुलाई, 2020) को धम्म चक्र दिवस (Dharma Chakra Day) मनाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को होता है जो श्रीलंका में 'एसाला पोया' (Esala Poya) तथा थाईलैंड में 'असान्हा बुचा' (Asanha Bucha) के नाम से विख्यात है।
- बुद्ध पूर्णिमा या वेसाक (Vesak) के बाद बौद्धों का यह दूसरा सबसे पवित्र दिवस है।
- यह दिवस भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी (उत्तरप्रदेश) के निकट सारनाथ (ऋषिपत्तनम्) के हिरण उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पहले पाँच तपस्वी शिष्यों (पंचवर्गिका) को उपदेश दिये जाने को चिह्नित करता है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्रप्रवर्तन कहा गया।

धर्मचक्रप्रवर्तन:

- 'धर्मचक्रप्रवर्तन' सूत्र का यह उपदेश 'धर्म के प्रथम चक्र के घूमने' के नाम से भी विख्यात है और चार पवित्र सत्य तथा उच्च अष्टमार्ग से मिलकर बना है। इस सूत्र का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ 'धम्मचक्कपवत्तना सुत्त' (Dhammacakkappavattana Sutta) में किया गया है।
- सन्यासियों (महिला एवं पुरुष दोनों) के लिये वर्षा ऋतु निवर्तन भी इसी दिन से आरंभ होता है जो जुलाई से अक्तूबर तक के तीन चंद्र महीनों तक चलता है। इस समय को सन्यासी एकल स्थान पर गहन साधना करते हुए व्यतीत करते हैं।
  - इस अवधि के दौरान गृहस्थ समुदायों द्वारा उनकी सेवा की जाती है जो उपोस्था अर्थात् आठ नियमों का पालन करते हैं तथा अपने गुरुओं के दिशा-निर्देश में ध्यान करते हैं।
- इस दिन को बौद्धों एवं हिंदुओं के द्वारा अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
(International Buddhist Confederation):

- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ दिल्ली स्थित सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है।
- 'लामा लोबज़ंग' (Lama Lobzang) ने इसके गठन में अहम् भूमिका निभाई है।
- इस परिसंघ को सबसे पहले एक संगठन के रूप में नामित किया गया जो पूरी दुनिया से बौद्धों को एकजुट करता है।

काकी Kaki

न्यूज़ीलैंड सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही संरक्षण परियोजना के कारण पिछले दो वर्षों में वनों में पाए जाने वाले काकी (Kaki) पक्षियों की संख्या को दोगुना करने में मदद मिली है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- संरक्षण परियोजना के कारण न्यूज़ीलैंड में वयस्क काकी पक्षियों की आबादी में 30% की वृद्धि हुई है।
- न्यूज़ीलैंड के जंगलों में अब कुल 169 काकी पक्षी हैं।
- न्यूज़ीलैंड के संरक्षण विभाग ने लगभग 40 वर्ष पहले अपना 'काकी रिकवरी प्रोग्राम' (Kaki Recovery Program) लॉन्च किया था और तब से इन दुर्लभ एवं अद्वितीय पक्षियों की आबादी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
    - ये पक्षी न्यूज़ीलैंड के मैकेंज़ी बेसिन (Mackenzie Basin) और दक्षिण द्वीप (South Island) में बड़े पैमाने पर प्रजनन करते हैं।

काकी (Kaki):

- 'काकी' को ब्लैक स्टिल्ट (Black Stilt) भी कहा जाता है। यह न्यूज़ीलैंड का स्थानीय पक्षी है।
- इसका वैज्ञानिक नाम 'हिमांटोपस नोवेज़ीलैंडिया' (Himantopus Novaezelandiae) है।
- इसका शरीर व चोंच काले रंग की होती है तथा इसके लंबे पैर गुलाबी रंग के होते हैं।
- IUCN की रेड लिस्ट में इसे 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically Endangered) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र Botswana's Okavango Delta region

हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना (Botswana) के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र (Okavango Delta Region) में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।

प्रमुख बिंदु:

- अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू-आबद्ध देश है।
- बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है जहाँ हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है।
- यहाँ के ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 356 दर्ज की गई है इनमें से 275 हाथियों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है।
    - इन मृत हाथियों की संख्या को एक वन्यजीव संरक्षण चैरिटी 'एलीफैंट विदाउट बॉर्डर्स' (Elephants Without Borders-EWB) द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में 356 मृत हाथियों का जिक्र किया गया है।

एलीफैंट विदाउट बॉर्डर्स (Elephants Without Borders):

- अफ्रीकी महाद्वीप के बोत्सवाना गणराज्य में 'एलीफैंट विदाउट बॉर्डर्स' (EWB) एक गैर-लाभकारी, कर-मुक्त, पंजीकृत संगठन है।
- EWB बोत्सवाना के सीमावर्ती शहर काज़ुंगुला (Kazungula) में स्थित है जहाँ बोत्सवाना, नामीबिया, ज़ाम्बिया एवं ज़िम्बाब्वे की सीमाएँ ज़ाम्बेजी नदी के साथ मिलती हैं।
- EWB आधिकारिक समर्थन के तहत अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, ज़ाम्बिया एवं ज़िम्बाब्वे के बीच सन्निहित वन्यजीवों के लिये अपनी परियोजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन करता है।
- बोत्सवाना को वन्यजीव संरक्षण के लिये मिली सफलताओं के लिये जाना जाता है।
    - यहाँ के वन्यजीव हॉट-स्पॉट EWB के लिये आदर्श स्थान है जो शोधकर्त्ताओं को हाथियों के आवास, प्रवास पैटर्न, व्यवहार एवं उनका पारिस्थितिकी अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र (Okavango Delta region):

- बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र एक दलदली अंतर्देशीय डेल्टा है जहाँ ओकावांगो नदी कालाहारी के एंडोरेहिक बेसिन (Endorheic Basin) के मध्य भाग में एक विवर्तनिक गर्त तक पहुँचती है।
    - यह क्षेत्र कभी मक्गादिक्गादी झील (Makgadikgadi Lake) का हिस्सा था जो एक प्राचीन झील थी और होलोसीन युग के दौरान सूख गई थी।

- इस डेल्टा को अफ्रीका महाद्वीप के सात प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था जिसकी आधिकारिक घोषणा पर वर्ष 2013 में तंज़ानिया में की गई थी।
- वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।

प्रेरक दौर सम्मान PRERAK DAUUR SAMMAN

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing & Urban Affairs) ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2021' के एक हिस्से के रूप में 'प्रेरक दौर सम्मान' (PRERAK DAUUR SAMMAN) पुरस्कार की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के लिये टूलकिट लॉन्च करते हुए कहा कि 'प्रत्येक वर्ष 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के नए मानकों को नवोन्मेषी तरीके से पुनः तैयार किया जाता है ताकि व्यवहारगत बदलाव पर फोकस करते हुए प्रक्रिया को और अधिक मज़बूत बनाया जा सके।
- इस अवसर पर कहा गया कि 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2021' के संकेतकों का मुख्य फोकस 'अपशिष्ट जल उपचार' एवं 'मल-कीचड़ के पुर्नउपयोग' से संबंधित मानकों पर रहेगा।

प्रेरक दौर सम्मान (PRERAK DAUUR SAMMAN):

- 'प्रेरक दौर सम्मान' के कुल पाँच अतिरिक्त उप-वर्ग [दिव्य (प्लेटिनम), अनुपम (स्वर्ण), उज्जवल (रजत), उदित (कांस्य), आरोही (आकांक्षी)] शामिल किये गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में शीर्ष तीन शहरों को चुना जाएगा।
- 'आबादी वर्ग' (Population Category) पर शहरों का मूल्यांकन करने के वर्तमान मानदंड से अलग यह नया वर्ग शहरों को 6 चुने हुए संकेतक आधारित प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करेगा जो निम्नलिखित हैं:

वर्ग	संकेतक
1.	अपशिष्ट का गीले, सूखे एवं खतरनाक वर्गों में पृथक्करण
2.	गीले अपशिष्ट के लिये प्रसंस्करण क्षमता का सृजन
3.	गीले एवं सूखे अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं रिसाइक्लिंग
4.	निर्माण एवं तोड़-फोड़ (Construction & Demolition) वाले अपशिष्ट की प्रोसेसिंग
5.	लैंडफिल में प्रयोग किये जाने वाले अपशिष्ट का प्रतिशत
6.	नगरों में स्वच्छता की स्थिति

स्वच्छ सर्वेक्षण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- स्वच्छ सर्वेक्षण-2016: शहरी स्वच्छता में सुधार लाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के लिये एक प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2016 में 73 शहरों की रेटिंग के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 का आयोजन किया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2017: स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 की सफलता को देखते हुए जनवरी-फरवरी 2017 में 434 शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 का आयोजन किया गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2018: यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था जिसमें 4203 शहरों को रैंकिंग में शामिल किया गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2019: स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में न केवल 4237 शहरों को कवर किया गया बल्कि 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में इसे पूरा भी कर लिया गया जो कि अपनी तरह का पहला डिजिटल स्वच्छता सर्वेक्षण भी था।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2020: इस सर्वेक्षण में भी स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 जैसी गति को जारी रखा गया और इसमें 1.87 करोड़ नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी रही।

नोट :

स्वच्छ सर्वेक्षण लीग:

- शहरों द्वारा ज़मीनी स्तर पर प्रदर्शन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की भी शुरुआत की।
- इसमें शहरों एवं कस्बों का त्रैमासिक सफाई का आकलन तीन तिमाहियों में किया गया और अंतिम स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर 25% वेटेज दिया गया।

फिट है तो हिट है इंडिया Fit Hai to Hit Hai India

केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री (Union Human Resource & Development Minister) और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री (Union Minister of Sports and Youth Affairs) ने स्कूली बच्चों के लिये 'फिट इंडिया अभियान' के तहत 'फिट है तो हिट है इंडिया' (Fit Hai to Hit Hai India) वेबिनार लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस वेबिनार में बॉडी फिटनेस विशेषज्ञ और पैनलिस्ट छात्रों एवं अभिभावकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं और COVID-19 की स्थिति में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व को भी समझाते हैं।
- इस वेबिनार में '#FitIndiaTalks' के लॉन्च को भी चिन्हित किया गया था जिसमें छात्रों के लिये फिटनेस विशेषज्ञों द्वारा की जा रही बातचीत और इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला भी दिखाई गई।
- इस 'फिट इंडिया वार्ता' (Fit India Talks) का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया।

भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India):

- भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के 'युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय' द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- वेबिनार को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया एवं यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया।

वैखोमिया हीरा Waikhomia Hira

हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले उत्तरी कर्नाटक में एक नए जीनस एवं 'महाराजा बार्ब्स' (Maharaja Barbs) की एक नई मछली प्रजाति 'वैखोमिया हीरा' (Waikhomia Hira) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- 'वैखोमिया हीरा' (Waikhomia Hira) से संबंधित जीनस (वर्ग) का नाम 'वैखोमिया' विश्वनाथ वैखोम (Vishwanath Waikhom) के नाम पर रखा गया है जो मणिपुर विश्वविद्यालय के एक वर्गीकरण वैज्ञानिक (Taxonomist) हैं जिन्होंने भारत में100 से अधिक मीठे जल की मछलियों की खोज की है।
- यह खोज 'बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी' (BNHS), 'केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशियन स्टडीज़' (KUFOS), 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च' (IISER) और पुणे के 'मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स' के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
- 'वैखोमिया हीरा' सामान्य तौर पर पश्चिमी घाटों के उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में अधिक संख्या में पाई जाती है।
    - 'वैखोमिया हीरा' को 'कोहिनूर बार्ब' (Kohinoor Barb) के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

महाराजा बार्ब्स (Maharaja Barbs):

- वर्ष 1953 में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पहली बार इसकी खोज की गई थी।
- प्रसिद्ध 'महाराजा बार्ब्स' (Maharaja Barbs) का प्रतिनिधित्त्व एक ही प्रजाति 'पुंटियस सह्याद्रिनेसिस' (Puntius Sahyadrensis) द्वारा किया जाता था।
- इसके बाद दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के वेटलैंड्स एवं नदियों में 'पुंटियस' जीनस की मीठे जल की 44 प्रजातियों का पता लगाया गया।
- 'महाराजा बार्ब्स' पश्चिमी घाट के उत्तरी एवं मध्य भागों की ऊँची-ऊँची पहाड़ी नदियों में पाई जाने वाली छोटी साइप्रिनिड (Cyprinid) मछलियों का एक समूह है।
- मछलियों का यह समूह केवल एक ही प्रजाति 'पुंटियस सह्याद्रिनेसिस' (Puntius Sahyadriensis) से संबंधित है जिसे 'वैखोमिया सह्याद्रिनेसिस' (Puntius Sahyadriensis) भी कहा जाता है।
- 'वैखोमिया हीरा' को मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में पश्चिम की ओर बहने वाली 'काली नदी' के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से एकत्र किया गया था।
- वैज्ञानिकों की टीम ने एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके 'वैखोमिया हीरा' की शारीरिक रचना एवं आनुवंशिकी अध्ययन किया और पता लगाया कि यह 'पुंटियस' जीनस से मेल नहीं खा रही है।
- वैज्ञानिकों ने बताया कि वैखोमिया हीरा के शरीर पर हीरे की तरह दिखने वाले विशिष्ट आकार के धब्बे एवं चिन्ह हैं और इसका आकार 29-59 मिमी. के बीच होता है।
- वैखोमिया हीरा से संबंधित नया शोध हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ज़ूटाक्सा (ZooTaxa) में प्रकाशित हुआ।

प्रशांत महासागर में खोजी गई चार नई प्रजातियाँ
New Species Discovered in Pacific Ocean

हाल ही में प्रशांत महासागर की गहराई में एकल कोशिकीय जीवों (Single-Cell Organisms) की चार नई प्रजातियों की खोज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इन एकल कोशिकीय जीवों [ज़ेनोफायफोरेस (Xenophyophores)] की प्रजातियों को यू.के. के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र (National Oceanography Center) संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय (University of Hawaii) और स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा विश्वविद्यालय (University of Geneva) के शोधकर्त्ताओं द्वारा खोजा गया है।
- इस खोज से प्राप्त निष्कर्षों को 'यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रोटिस्टोलॉजी' (European Journal of Protistology) में प्रकाशित किया गया।
- इस खोज में चार नई प्रजातियाँ और दो नए जीनस शामिल हैं।
  - चार प्रजातियाँ:
    - मौनाम्मिना सेमीसिरकुलारिस (Moanammina Semicircularis)
    - एबिसालिया फोलिफॉर्मिस (Abyssalia Foliformis)
    - एबिसालिया स्फैरिका (Abyssalia Sphaerica)
    - प्सम्मिना टेनुईस (Psammina Tenuis)
  - दो नए जीनस:
    - मौनाम्मिना (Moanammina)
    - एबिसालिया (Abyssalia)

नोट :

ज़ेनोफायफोरेस (Xenophyophores):

- प्रशांत महासागर के 'क्लेरियन क्लिपर्टन ज़ोन' (Clarion Clipperton Zone- CCZ) के समतलीय मैदानों में पाए जाने वाले बड़े जीवों के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक जीव ज़ेनोफायफोरेस (Xenophyophores) हैं।
- 'क्लेरियन क्लिपर्टन ज़ोन' प्रशांत महासागर का भूगर्भीय सबमरीन फ्रैक्चर ज़ोन (Submarine Fracture Zone) है जिसकी लंबाई लगभग 4500 मील है।
- प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन ज़ोन (CCZ) में जल के भीतर ड्रोन का उपयोग करके इन प्रजातियों की खोज की गई थी जहाँ समुद्र का तल 3 मील से अधिक गहरा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस
244th Independence Day of The United States

4 जुलाई, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (United States America) का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु:

- 2 जुलाई, 1776 को अमेरिका की 'कॉन्टिनेंटल कॉन्ग्रेस' (Continental Congress) ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और दो दिन बाद अर्थात् 4 जुलाई, 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणापत्र को अपनाया जो थॉमस जैफरसन (Thomas Jefferson) द्वारा तैयार एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ था।
    - 'कॉन्टिनेंटल कॉन्ग्रेस' (Continental Congress) अमेरिका में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक थी जो 'अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध' में एकजुट हुई थी।
- अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775–1783) जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। यह शुरूआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में हुई थी।
    - इस युद्ध में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों का साथ फ्राँस ने दिया। जो ग्रेट ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था।

सप्तवर्षीय युद्ध:

- उत्तरी अमेरिका में 'क्यूबेक' से लेकर 'मिसीसिपी घाटी' तक फ्रांसीसी उपनिवेश फैले हुए थे। इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्राँस के मध्य आपस में हितों के टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी।
- परिणामस्वरूप वर्ष 1756-63 के बीच दोनों के मध्य 'सप्तवर्षीय युद्ध' हुआ और इसमें ब्रिटेन विजयी रहा तथा कनाडा स्थित फ्राँसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
- इस युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका में उपनिवेशों के उत्तर से फ्रांसीसी खतरा समाप्त हो गया। अत: उपनिवेशवासियों की ब्रिटेन पर निर्भरता समाप्त हो गई। इस प्रकार उन्हें ब्रिटेन के विरूद्ध विद्रोह करने का अवसर मिल गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 Article 78 of Indian Constitution

5 जुलाई, 2020 को भारत-चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और COVID-19 स्थिति के मद्देनज़र भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों' पर जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

1. प्रधानमंत्री केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।

नोट :

2. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा माँगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है।
3. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा माँग करने पर किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो।

गौरतलब है कि भारत-चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और COVID-19 स्थिति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जानकारी की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आती है।

निमू Nimu

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में लेह (Leh) के पास निमू (Nimu) में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए गलवान घाटी को लेकर हुए हिंसक टकराव में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

प्रमुख बिंदु:

- निमू या निम्मू लद्दाख का एक छोटा सा गाँव है जो केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के दक्षिण-पूर्व भाग में लेह ज़िले से लगभग 45 किलोमीटर दूर अवस्थित है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 1100 लोगों की आबादी वाला निमू गाँव, सिंधु एवं ज़ास्कर नदियों के संगम पर अवस्थित है।

निमू: एक पर्यटन केंद्र:

- यह एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है क्योंकि यहाँ सिंधु एवं ज़ास्कर नदियों का संगम स्थल भी है।
- इसके अलावा निमू को सिंधु नदी पर होने वाले प्रसिद्ध 'अखिल भारतीय राफ्टिंग अभियान-दल' (All India Rafting Expedition) के शुरुआती बिंदु के रूप में जाना जाता है।
- अल्ची (Alchi), लिकिर (Likir) और बास्गो (Basgo) मठ और 'पाथर साहब गुरुद्वारा (Pathar Sahab Gurudwara) निमू के आसपास ही अवस्थित हैं।
- मैगनेट हिल (Magnet Hill) एक ग्रैविटी डेफायिंग रोड (Gravity Defying Road) है जो निमू से 7.5 किमी. दक्षिण-पूर्व में अवस्थित है।

मैगनेट हिल (Magnet Hill):

- मैगनेट हिल (Magnet Hill) को एंटी-ग्रैविटी हिल भी कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आसपास की भूमि का परिदृश्य एक ऑप्टिकल भ्रम (Optical Illusion) पैदा करता है अर्थात् यहाँ थोड़ी सी ढलान से आगे देखने पर ऊपर की ओर एक अन्य ढलान दिखाई देती है।
- यहाँ एक पनबिजली संयंत्र है जिसे निमू-बाज़गो बाँध (Nimu-Bazgo Dam) के रूप में जाना जाता है।
- जुलाई एवं सितंबर के मध्य का समय निमू की यात्रा के लिये आदर्श होता है क्योंकि तब यहाँ मौसम काफी सुखद होता है।

निमू: सामरिक महत्त्व का केंद्र:

- समुद्र तल से 11000 फीट की ऊँचाई पर करगिल के पास अवस्थित निमू ने वर्ष 1999 के भारत-पाक युद्ध के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - जब पाकिस्तान ने करगिल पर हमला किया तो निमू गाँव ने भारतीय सेना की मदद की जिससे ऊँचाई पर होने के बावजूद लोगों की मदद से संसाधनों को जुटाने में बहुत कम समय लगा था।

एलिमेंट्स मोबाइल एप Elyments Mobile App

हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल एप 'एलिमेंट्स' (Elyments) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक व्यापक सोशल नेटवर्किंग एप है।
- इस एप को बनाने में 1,000 से अधिक आईटी पेशेवरों ने अपनी भूमिका निभाई।
- यह एप 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा।
- यह एप, iOS एवं Android दोनों प्लेटफॉर्मों से डाउनलोड किया जा सकता है।
- इस एप के उपयोगकर्त्ता को चैटिंग करने के साथ-साथ ई-कॉमर्स की सेवाएँ भी मिलेंगी। इसके अलावा इस एप में उपयोगकर्त्ता के डेटा को सुरक्षित रखने के लिये 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं।

गौरतलब है कि इस एप के वर्चुअल लॉन्च पर बोलते हुए भारतीय उपराष्ट्रपति ने नवोन्मेष एवं उद्यमशीलता के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया ताकि प्रत्येक भारतीय को 'लोकल' इंडिया को 'ग्लोकल' इंडिया ('Local' India Into 'Glocal' India) में बदलने के लिये 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को अपनाने का आग्रह किया जा सके।

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य Dehing Patkai Wildlife Sanctuary

6 जुलाई, 2020 को असम सरकार ने 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' (Dehing Patkai Wildlife Sanctuary) को एक 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु:

- असम सरकार द्वारा यह घोषणा 'देहिंग पटकाई एलीफैंट रिज़र्व' (Dehing Patkai Elephant Reserve) में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board of Wildlife- NBWL) द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) को सशर्त मंज़ूरी देने के कुछ महीने बाद की गई है।
    - उल्लेखनीय है कि असम सरकार के इस निर्णय के बाद CIL की सहायक कंपनी 'नार्थ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स' (North Eastern Coalfields) ने क्षेत्र में सभी खनन कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।
- 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किमी. है और यह 'देहिंग पटकाई एलीफैंट रिज़र्व' की परिधि के अंदर अवस्थित है।
- 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' ऊपरी असम के कोयले एवं तेल-समृद्ध ज़िलों (डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर) में फैला हुआ है और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षावनों का अंतिम शेष संक्रमण ज़ोन है।
- यह वन्यजीव अभयारण्य एक 'संरक्षित क्षेत्र' हैं जहाँ कुछ गतिविधियों जैसे-चराई की अनुमति आदि की छूट दी जाती हैं।
    - जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि 'राष्ट्रीय उद्यान' का दर्जा मिल जाने से इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (The Wildlife Protection Act, 1972) के तहत 'पूर्ण संरक्षण की स्थिति' प्राप्त हो जाएगी।
    - एक वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कुछ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है किंतु एक राष्ट्रीय पार्क में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है।
- यद्यपि वर्ष 1995 में इस अभयारण्य के 267 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था।
- वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- वर्तमान में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में ऊपरी दीहिंग, जॉयपुर और दिरक आरक्षित वनों के कुछ भाग शामिल हैं।
- 'उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स' (North Eastern Coalfields) की खनन परियोजना वाला क्षेत्र इस अभयारण्य से 9.19 किमी दूरी पर स्थित है।
- अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। जबकि अन्य पाँच राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू-साइखोवा हैं।

नोट :

महाजॉब्स पोर्टल Mahajobs Portal

6 जुलाई, 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोज़गार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल (Mahajobs Portal) की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इस पोर्टल ने इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और केमिकल्स सहित 17 आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की है।
- इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं (जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है) के लिये 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है।
    - इससे पहले महाराष्ट्र में 'रोज़गार विनियमन केंद्र' बेरोज़गारों के बारे में जानकारी प्रदान करता था किंतु 'वास्तव में कितने युवाओं को रोज़गार मिला' इसकी जानकारी प्रदान नहीं करता था।
- यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा।
- यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (Maharashtra Industrial Development Corporation-MIDC) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिये है।
- यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोज़गारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि COVID-19 के मद्देनज़र महाराष्ट्र में एक ओर जहाँ रोज़गार सृजन करना है वहीं दूसरी ओर कुछ उद्योगों में नौकरियों में हो रही छंटनी को रोकना है।

ज़ारदोज़ी Zardozi

COVID-19 के कारण भोपाल के ज़ारदोज़ी (Zardozi) कलाकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- ज़ारदोज़ी एक प्रकार की कढ़ाई कला है जिसमें कपड़ों पर जटिल पैटर्न बनाने के लिये धातु (सोने एवं चाँदी से) के धागों से बुनाई की जाती है।
- इस कढ़ाई में धातु के धागों के अलावा कीमती मोती एवं पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है।
- ऋग्वैदिक काल में भी भारत में ज़ारदोज़ी कढ़ाई के साक्ष्य मिलते हैं किंतु इसे मूलरूप से भारत में मुगल काल के दौरान ही संरक्षण मिला।
- प्रारंभ में ज़ारदोज़ी कढ़ाई में शुद्ध चाँदी के तारों और सोने की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। किंतु वर्तमान में शिल्पकार सोने या चाँदी की पॉलिश किये हुए तांबे के तार एवं रेशम के धागे का उपयोग करते हैं।
- भारत के अलावा ज़ारदोज़ी कढ़ाई ईरान, अज़रबैजान, इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी प्रसिद्ध है।

भारत में ज़ारदोज़ी कढ़ाई का मुख्य केंद्र:

- भारत में ज़ारदोज़ी कढ़ाई का काम मुख्य रूप से लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर एवं चेन्नई में होता है।

ऐतिहासिक परिदृश्य:

- 'ज़ारदोज़ी' शब्द दो फारसी शब्दों 'ज़ार' जिसका अर्थ है 'सोना' और 'दोज़ी' जिसका अर्थ है 'कढ़ाई' से मिलकर बना है।
- 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में फारसी ज़ारदोज़ी कढ़ाई को अधिक मान्यता मिली।
- औरंगजेब के शासन के तहत इसको मिलने वाला शाही संरक्षण बंद हो गया जिसके कारण इस कला का पतन हो गया।

गुणवत्तायुक्त सेवा के लिये सड़कों की रैंकिंग Rank Roads for Quality Service

सड़कों को बेहतरीन बनाने के अपने प्रयासों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) के अधीनस्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) ने देश भर में राजमार्गों की दक्षता का आकलन करने के साथ-साथ उनकी रैंकिंग करने का भी निर्णय लिया है।

उद्देश्य:

- राष्ट्रीय राजमार्गों की दक्षता का आकलन एवं रैंकिंग करने का उद्देश्य जरूरत के अनुसार आवश्यक सुधार करना है ताकि सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो सके तथा राजमार्गों पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख बिंदु:

- दक्षता आकलन के मानदंड विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों एवं अध्ययनों पर आधारित हैं जिनका मुख्य लक्ष्य भारतीय संदर्भ में राजमार्गों के दक्षता मानकों को तय करना है।
- दक्षता आकलन के लिये मापदंडों को मुख्यत: तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है:
  - राजमार्ग की दक्षता (45%)
  - राजमार्ग पर सुरक्षा (35%)
  - उपयोगकर्त्ता को मिलने वाली सेवाएँ (20%)
- इसके अलावा आकलन करते समय कई अन्य महत्त्वपूर्ण मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा जिनमें परिचालन की गति, कई दिशाओं से वाहनों की पहुँच पर नियंत्रण, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय, सड़क संकेतक, सड़क चिन्ह, दुर्घटना की दर, किसी घटना से निपटने में लगने वाला समय, क्रैश बैरियर, रोशनी, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Advanced Traffic Management System-ATMS) की उपलब्धता, संरचनाओं की कार्य क्षमता, श्रेणीबद्ध पृथक चौराहों की व्यवस्था, स्वच्छता, वृक्षारोपण, सड़क के किनारे मिलने वाली सुविधाएँ और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं।
- प्रत्येक मानदंड पर प्रत्येक कॉरिडोर द्वारा हासिल किये जाने वाला स्कोर परिचालन के उच्च मानकों, बेहतर सुरक्षा एवं उपयोगकर्त्ताओं को अच्छे अनुभव कराने के लिये आवश्यक जानकारियाँ सुलभ कराएगा और इसके साथ ही उन सुधारात्मक कदमों को भी सुझाएगा जिन पर अमल करके मौजूदा राजमार्गों को बेहतर बनाना संभव हो पाएगा।
- इससे NHAI की अन्य परियोजनाओं के लिये भी डिज़ाइन, मानकों, प्रथाओं, दिशा-निर्देशों एवं अनुबंध समझौतों में कमियों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।

स्टेवियोसाइड Stevioside

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान 'नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' (Institute of Nano Science & Technology) के शोधकर्त्ताओं ने हालिया अध्ययन में पाया है कि जब नैनोकणों पर स्टेवियोसाइड (Stevioside) का लेप किया जाता है तो 'मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मेडिएटेड कैंसर थेरेपी' (Magnetic Hyperthermia-Mediated Cancer Therapy-MHCT) की दक्षता में वृद्धि हो सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- स्टेवियोसाइड, हनी यार्बा (Honey Yerba) की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप आधारित ग्लाइकोसाइड है।
  - हनी यार्बा (Honey Yerba) का वैज्ञानिक नाम स्टेविया रेबाउदिआना बेर्टोनी (Stevia Rebaudiana Bertoni) है।
- इसे प्राकृतिक मिठास के रूप में उपयोग किया जाता है तथा इस तत्त्व में कैलोरी की मौजूदगी भी नहीं होती है।

मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मेडिएटेड कैंसर थेरेपी'
(Magnetic Hyperthermia-Mediated Cancer Therapy- MHCT):

- कैंसर चिकित्सा की MHCT विधि नियमित रूप से उपयोग किये जाने वाले सर्फेक्टेंट मोइटाईस (Surfactant Moieties) [ओलिक एसिड (Oleic Acid) और पॉलीसोर्बेट-80 (Polysorbate-80)] की तुलना में चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग करके ट्यूमर के ऊतकों को गर्म करने पर आधारित है।

नोट :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद Indian Council of Agricultural Research

4 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में कृषि अनुसंधान, विस्तार एवं शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा की।

- गौरतलब है कि वर्ष 2014 के बाद से 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) के विभिन्न केंद्रों पर अनुसंधान के आधार पर विभिन्न कृषि फसलों की 1434 नई किस्मों, 462 बागवानी फसलों एवं 1121 जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि 'आणविक प्रजनन तकनीकों' (Molecular Breeding Techniques) का उपयोग उन किस्मों को विकसित करने के लिये किया गया है जो कई तरह की मौसमी दशाओं के प्रति अनुकूल हैं। ये किस्में रोग प्रतिरोधी भी हैं।
  - गेहूँ की 'एचडी3226' (HD3226) किस्म सात रोगों एवं टमाटर की अर्काबेड (ArkAbed) किस्म चार रोगों के लिये प्रतिरोधी हैं।

आणविक प्रजनन तकनीक (Molecular Breeding Techniques):

- आणविक प्रजनन तकनीक आणविक जीव विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसका प्रयोग आमतौर पर 'पादप प्रजनन' एवं 'पशु प्रजनन' में किया जाता है।
- आणविक प्रजनन तकनीक में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
  - जीन की खोज
  - जीनोम सेलेक्शन
  - जेनेटिक इंजीनियरिंग
  - जेनेटिक ट्रांसफार्मेशन
- 'कुपोषण मुक्त भारत' अभियान को बढ़ावा देने के लिये अधिक आयरन, ज़िंक एवं प्रोटीन सामग्री से युक्त 70 जैव उर्वरक प्रजातियों को विकसित किया गया है।
  - आयरन, पोटैशियम, विटामिन-C एवं एंटी-ऑक्सीडेंट्स से युक्त अनार की ऐसी ही एक किस्म भगवा (Bhagwa) है।
- कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 'पोषण थाली' (Poshan Thali) और 'पोषण बागानों' (Nutria-Gardens) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिये संतुलित खुराक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'पोषण बागानों' को विकसित करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- 'पोषण थाली' में चावल, दाल, मौसमी फल, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, कंद एवं अन्य सब्जियों के अतिरिक्त दूध, चीनी, गुड़ एवं तेल जैसे विभिन्न तत्त्व शामिल होते हैं।
  - वर्ष 2022 तक 100 एग्री-न्यूट्री स्मार्ट ग्राम (Agri-Nutri Smart Villages) तैयार किये जाने हैं।

एग्री-न्यूट्री स्मार्ट ग्राम (Agri-Nutri Smart Villages):

- 'एग्री-न्यूट्री- स्मार्ट ग्राम' प्रदर्शन, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं इनपुट समर्थन के माध्यम से किसानों, खेतिहर मज़दूरों एवं गाँव में रहने वाले अन्य लोगों के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके पोषण प्रदान करने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
- एग्री-न्यूट्री स्मार्ट विलेज (Agri-Nutri smart village- A2N) मॉडल कृषि एवं पोषण को एकीकृत करके कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये एक रूपरेखा है।
- यह ICAR के तहत चल रही अनुसंधान परियोजना 'पोषण सुरक्षा एवं जेंडर सशक्तीकरण को बढ़ावा देना' का एक हिस्सा है।

भारत का भू-संदर्भित कार्बनिक कार्बन मानचित्र (Geo-referenced Organic Carbon Map of India):

- ICAR ने 'भारत का भू-संदर्भित कार्बनिक कार्बन मानचित्र' विकसित किया है। इसके माध्यम से 88 जैव नियंत्रक घटकों एवं 22 जैव उर्वरकों की पहचान की गई है जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

नोट :

नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (National Innovations on Climate Resilient Agriculture):

- नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA) फरवरी 2011 में शुरू की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक नेटवर्क परियोजना है।

उद्देश्य:

- इस परियोजना का उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु भेद्यता के लिये भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।

NICRA से संबंधित अन्य बिंदु:

- इस परियोजना में फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन हेतु अनुकूलन एवं शमन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को शामिल किया गया है।
- इस परियोजना में चार घटक शामिल हैं।
  - सामरिक अनुसंधान
  - प्रौद्योगिकी निरूपण
  - क्षमता निर्माण
  - प्रायोजित/प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।

नेशनल जीन बैंक National Gene bank

6 जुलाई, 2020 को नेशनल जीन बैंक (National Gene bank) स्थापित करने के लिये आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) के अधीनस्थ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plants Board- NMPB) और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (Department of Agricultural Research and Education) के अधीनस्थ आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources- NBPGR) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु:

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नेशनल जीन बैंक में उपलब्धता के अनुसार दीर्घकालिक भंडारण मॉड्यूल में ICAR-NBPGR द्वारा सुझाए गए निर्दिष्ट स्थान पर या मध्यमकालिक भंडारण मॉड्यूल के लिये क्षेत्रीय स्टेशन पर 'औषधीय एवं सुगंधित पादप आनुवांशिक संसाधनों' (Medicinal and Aromatic Plants Genetic Resources- MAPGRs) का संरक्षण करना है।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plants Board- NMPB) के कार्यदल को पादप जर्मप्लाज़्म (Plant Germplasm) के संरक्षण की तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) और आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) दोनों ही सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान व भावी पीढ़ियों के लिये लंबे समय तक सुरक्षित एवं किफायती ढंग से जर्मप्लाज़्म के संरक्षण के ज़रिए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plants Board- NMPB):

- औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने 24 नवंबर, 2000 को 'राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड' (NMPB) की स्थापना की।
- वर्तमान में यह बोर्ड भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है।
- NMPB का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के बीच समन्वय के लिये एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना और केंद्र/राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पौधों के क्षेत्र के समग्र विकास के लिये प्रतिबद्ध नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना है।

नोट :

आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources- NBPGR):

- यह भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिये एक नोडल संगठन है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के नियंत्रण में कार्य करता है।
- यह अपने नेशनल जीन बैंक (NGB) में -20 डिग्री सेल्सियस पर दीर्घकालिक संरक्षण के लिये बीज जर्मप्लाज्म (Seed Germplasm) का संरक्षण कर रहा है।
- आनुवांशिक संसाधनों का गैर-स्थानिक संरक्षण जीन बैंकों एवं बीज बैंकों द्वारा किया जाता है। 'राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो' (NBPGR), नई दिल्ली फसल के पौधों के जीन पूल तथा उगाई जाने वाली किस्मों के बीजों को संरक्षित रखता है।

राष्ट्रीय एटलस एंड थिमैटिक मानचित्रण संगठन National Atlas and Thematic Mapping Organisation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 'राष्ट्रीय एटलस एंड थिमैटिक मानचित्रण संगठन' (National Atlas and Thematic Mapping Organisation- NATMO) ने एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है जो देश में COVID-19 की स्थिति का विश्लेषण करके जानकारी देता है।

प्रमुख बिंदु:

- COVID-19 से संबंधित मौतों की संख्या, सक्रिय मामले एवं पता लगाए गए संक्रमित व्यक्तियों की सामान्य जानकारी के अलावा इस डैशबोर्ड में पाई-चार्ट, ग्राफ का भी प्रयोग किया गया है जो कोरोनोवायरस से संबंधित जानकारी को सरल तरीके से समझाते हैं।

राष्ट्रीय एटलस एंड थिमैटिक मानचित्रण संगठन' (National Atlas and Thematic Mapping Organisation- NATMO):

- NATMO, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) के अधीनस्थ विभाग 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' के अंतर्गत कार्य करता है।
- अपनी स्थापना के बाद से यह एकमात्र राष्ट्रीय एजेंसी है जो विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विषयगत मानचित्रों एवं एटलस के रूप में राष्ट्रीय फ्रेमवर्क डेटा को चित्रित करने की ज़िम्मेदारी वहन करती है।
- NATMO एक विशिष्ट संस्थान होने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर कार्टोग्राफिक एवं भौगोलिक शोध भी करता है।

NATMO के मुख्य कार्य:

- हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत के राष्ट्रीय एटलस का संकलन करना।
- सामाजिक-आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, जनसांख्यिकीय और अन्य मुद्दों के आधार पर विषयगत मानचित्र तैयार करना।
- दृष्टिबाधितों के लिये मानचित्र/एटलस तैयार करना।
- रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके डिजिटल मैपिंग और प्रशिक्षण।
- अनुसंधान एवं विकास।

रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी Raman Spectroscopy

हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (Raman Spectroscopy) का प्रयोग किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किये बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर-संक्रामक RNA वायरस का विश्लेषण किया जाएगा।

नोट :

रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी:

- यह एक गैर-विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
- यह पदार्थ के रासायनिक बंधो (Chemical Bonds) के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है।
- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटॉन के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन (Inelastic Scattering) पर निर्भर करता है जिसे रमन प्रकीर्णन (Raman Scattering) के रूप में जाना जाता है।
- प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट रमन स्पेक्ट्रम होता है और किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम को देखकर उन पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पहचान की जा सकती है।

रमन प्रभाव (Raman Effect):

- रमन प्रभाव के अनुसार, प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुज़रता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय, कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं।
- रमन प्रभाव के लिये सी.वी. रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

गोल्डन बर्डविंग Golden Birdwing

हाल ही में हिमालयी तितली 'गोल्डन बर्डविंग' (Golden Birdwing) को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'गोल्डन बर्डविंग' (Golden Birdwing) का वैज्ञानिक नाम 'ट्रॉइडस आइकस' (Troides aeacus) है।
- इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस (Brigadier Evans) ने वर्ष 1932 में खोजा था।

गोल्डन बर्डविंग की खोज:

- 'मादा गोल्डन बर्डविंग' को उत्तराखंड के दीदीहाट (Didihat) से जबकि 'नर गोल्डन बर्डविंग' मेघालय के शिलांग में 'वानखर तितली संग्रहालय' (Wankhar Butterfly Museum) से खोजा गया।

गोल्डन बर्डविंग की विशेषताएँ:

- इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग, दक्षिणी बर्डविंग (190 मिलीमीटर) की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है।
- इससे पहले सबसे बड़ी भारतीय तितली जो वर्ष 1932 में दर्ज की गई थी वह 'दक्षिणी बर्डविंग' (Southern Birdwing) प्रजाति से ही संबंधित थी। जिसे तब 'कॉमन बर्डविंग' (Common Birdwing) [वैज्ञानिक नाम- ट्रॉइडेस हेलेना (Troides Helena)] की उप-प्रजाति के रूप में माना जाता था।

दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing):

- दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing) का वैज्ञानिक नाम 'ट्रॉइडेस मिनोस' (Troides Minos) है।
- इसके पंखों की लंबाई 140-190 मिलीमीटर तक होती है। इसे भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक माना जाता है।
- दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing) को IUCN की रेड लिस्ट में 'अत्यंत कम संकट' (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- हालाँकि ब्रिगेडियर इवांस ने जिस तितली की माप की थी वह अज्ञात थी और किसी अन्य तितली के पंखों को 190 मिलीमीटर के रूप में नहीं मापा गया जिसे उन्होंने खोजा था।
- नर गोल्डन बर्डविंग के पंखों की लंबाई 106 मिलीमीटर होती है। जो मादा गोल्डन बर्डविंग से अत्यंत छोटा होता है।

नोट :

मापक (Measurement):

- शल्कपंखी या लेपिडॉप्टेरा (Lepidoptera) के अध्ययन में उपयोग किया जाने वाला एकमात्र पैमाना या माप 'पंखों के फैलाव की माप' है।
- इसमें तितलियों को 'उनके पंखों के आधार' से 'ऊपरी छोर' तक मापा जाता है।

लेपिडॉप्टेरा (Lepidoptera):

- शल्कपंखी या लेपिडॉप्टेरा (Lepidoptera), कीटों का एक विशाल समूह है जिसमें तितलियां एवं शलभ (Moths) के अतिरिक्त बहुत से कीट सम्मिलित हैं।
- कीटों के वर्गीकरण के लिये लेपिडॉप्टेरा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लिनिअस (Linnaeus) ने किया।
- यह शब्द लैटिन के लेपिडॉस (Lepidos- शल्क) तथा टिरॉन (Pteron- पंख) के मिलने से बना है।
- इस समूह में लगभग 174,250 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।

कृषि अवसंरचना कोष Agriculture Infrastructure Fund

8 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष (Central Sector Scheme-Agriculture Infrastructure Fund) को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु:

- यह योजना ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिये मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपए की राशि 'प्राथमिक कृषि साख समितियों' (Primary Agricultural Credit Societies- PACS), विपणन सहकारी समितियों (Marketing Cooperative Societies), किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations), स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (Multipurpose Cooperative Societies), कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (Aggregation Infrastructure Providers) और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस ऋण का वितरण आगामी 4 वर्षों में किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और अगले क्रमशः तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए (अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 30,000 करोड़ रुपए) की मंज़ूरी प्रदान की गई।
- इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज पर 3% प्रति वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिये उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिये 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़' (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises- CGTMSE) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्त्ताओं के लिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
- इस कवरेज के लिये भारत सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- किसान उत्पादक संगठनों के संदर्भ में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare) की एफपीओ संवर्द्धन योजना (FPO promotion scheme) के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन एवं निगरानी 'ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली' (Online Management Information System) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोट :

- यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिये आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज़, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।

- इस योजना की समय-सीमा वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक 10 वर्ष के लिये निर्धारित की गई है।

बूबोनिक प्लेग Bubonic Plague

5 जुलाई, 2020 को चीनी क्षेत्र 'इनर मंगोलिया' (Inner Mongolia) के बयान नूर (Bayan Nur) शहर में स्थानीय अधिकारियों ने बूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) का मामला सामने आने के बाद एक चेतावनी जारी की।

- गौरतलब है कि 7 जुलाई, 2020 को चीन ने 'इनर मंगोलिया' (Inner Mongolia) में बूबोनिक प्लेग के एक मामले की आधिकारिक पुष्टि की।

प्रमुख बिंदु:

- यद्यपि बूबोनिक प्लेग कोई नई बीमारी नहीं है किंतु यदि इसका इलाज़ न किया जाए तो यह खतरनाक सिद्ध होता है।
- 14वीं शताब्दी में बूबोनिक प्लेग के कारण केवल यूरोप में लगभग 50 मिलियन मौतें हुई थीं।

बूबोनिक प्लेग:

- बूबोनिक प्लेग जिसे 'प्लेग बेसिलस' (Plague Bacillus) या 'येर्सिनिया पेस्टिस' (Yersinia Pestis) भी कहा जाता है, लसिका पर्व (Lymph Nodes) पर हमला करता है जिससे सूजन, दर्द एवं मवाद बनता है।
  - मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) का एक हिस्सा 'लसीका प्रणाली' (Lymphatic System) को प्रभावित करके यह लिम्फ नोड्स या लसिका पर्व में सूजन का कारण बनता है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है।
- यह सेप्टिकैमिक प्लेग (Septicaemic Plague) एवं न्यूमोनिक प्लेग (Pneumonic Plague) जो गंभीर निमोनिया का कारण बनता है, से भिन्न होता है।
  - सेप्टिकैमिक प्लेग (Septicaemic Plague) का प्रभाव यदि मनुष्य के शरीर में रक्तप्रवाह पर पड़ता है तो यह मेनिन्जाइटिस (Meningitis) और एंडोटॉक्सिक (Endotoxic) शॉक का कारण बन सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) का कहना है कि शीघ्र एवं प्रभावी उपचार के बिना बूबोनिक प्लेग के 50-60% मामले खतरनाक हैं। किंतु यह बीमारी पूरी तरह से इलाज योग्य है।

कारण:

- बूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस (Yersinia Pestis) के कारण होने वाला एक जीवाणुकारी संक्रमण है।
  - बूबोनिक प्लेग एक संक्रमित पिस्सू ज़ेनोसेल्ला चेओपिस (Xenopsylla Cheopis) के काटने से उत्पन्न होता है जिसे 'रैट पिस्सू' भी कहा जाता है।

सामान्य लक्षण:

- बुबोनिक प्लेग का सबसे सामान्य संकेत एक या अधिक बढ़े हुए एवं दर्दनाक 'लिम्फ नोड्स' होते हैं जिन्हें बूबोएस (Buboes) के रूप में जाना जाता है।
  - बुबोनिक प्लेग से संबंधित बूबोएस आमतौर पर मानव शरीर में काँख (Armpits), ऊपरी ऊरु (Upper Femoral), कमर एवं गर्दन के क्षेत्र में पाए जाते हैं।

इदलिब प्रांत Idlib Province

7 जुलाई, 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के इदलिब प्रांत (Idlib Province) में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीरियाई एवं रूसी हवाई हमले युद्ध अपराधों (War Crimes) की की श्रेणी में आते है।

प्रमुख बिंदु:

- इस रिपोर्ट में 1 नवंबर, 2019 से 1 जून, 2020 के बीच इदलिब प्रांत में होने वाली घटनाओं का आकलन किया गया है।
  - इस समय के दौरान इदलिब प्रांत को एक सशस्त्र समूह द्वारा नियंत्रित किया गया था जिसे हयात तहरीर अल-शाम (Haya't Tahrir al-Sham- HTS) कहा जाता था जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी समूह है।
- इदलिब प्रांत एकमात्र ऐसा सीरियाई क्षेत्र था जो सीरियाई सरकार के नियंत्रण से बाहर था। वर्ष 2019 के बाद से सीरियाई एवं रूसी सेनाओं ने इदलिब प्रांत पर कब्जा करने का प्रयास किया।

इदलिब प्रांत:

- इदलिब, सीरिया के उत्तर-पश्चिमी में स्थित एक शहर है जो अलेप्पो (Aleppo) से 59 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है।
- यह इदलिब गवर्नोरेट (Idlib Governorate) की राजधानी है।
- वर्ष 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में सीरियाई विद्रोही गुटों द्वारा इदलिब शहर पर कब्जा कर लिया गया था।
- सीरिया में 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच ओटोमन साम्राज्य के दौरान इदलिब, कड़ा (Kada) की राजधानी थी।
- इदलिब जैतून, कपास, गेहूँ एवं फलों विशेष रूप से चेरी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है।

रीवा सौर परियोजना Rewa Solar Project

10 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की 'रीवा सौर परियोजना' (Rewa Solar Project) को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है, के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं।
  - इस सौर पार्क के विकास के लिये भारत सरकार की ओर से 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड' को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई थी।
- इस सौर पार्क को 'रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड' (Rewa Ultra Mega Solar Limited- RUMSL) ने विकसित किया है जो 'मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड' (Madhya Pradesh UrjaVikas Nigam Limited- MPUVN) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई 'सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (Solar Energy Corporation of India- SECI) की संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- यह सौर परियोजना 'ग्रिड समता अवरोध' (Grid Parity Barrier) को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी।
  - ग्रिड समता (Grid Parity) तब होती है जब एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विद्युत की कीमत के स्तर पर बिजली उत्पन्न कर सकता है जो इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड से मिलने वाली बिजली की कीमत से कम या बराबर होती है।
- यह परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी।
- रीवा परियोजना को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ठोस संरचना एवं नवाचारों के लिये जाना जाता है।
  - नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिये इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवॉर्ड (World Bank Group President's Award) भी मिला है।
  - इसके अतिरिक्त इसे प्रधानमंत्री की 'A Book of Innovation: New Beginnings' पुस्तक में भी शामिल किया गया है।
- यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है।
  - अर्थात् यह परियोजना अपने कुल बिजली उत्पादन का 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को देगी जबकि शेष 76% बिजली मध्य प्रदेश की राज्य बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी।

नोट :

भारत वैश्विक सप्ताह 2020 India Global Week 2020

9 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री ने लंदन में शुरू हो रहे 'भारत वैश्विक सप्ताह 2020' (India Global Week 2020) सम्मेलन को संबोधित किया।

थीम:

- इस सम्मेलन की थीम 'बी द रिवाइवल: ए बेटर न्यु वर्ल्ड' (BeThe Revival: India and A Better New World) है।

उद्देश्य:

- इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की व्यापार एवं विदेशी निवेश प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सामरिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पता लगाना एवं इन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को समझना एवं उचित निर्णय लेना है।

  आयोजनकर्त्ता:
- यूनाइटेड किंगडम स्थित मीडिया हाउस 'इंडिया इंक समूह' (India Inc. Group) इस कार्यक्रम को वार्षिक तौर पर आयोजित करता है।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी एक साथ भाग लेंगे।
- यह सम्मेलन 3 दिनों (9-11 जुलाई, 2020) तक चलेगा जिसे 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा।
- इस आयोजन से देश के 'इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम' (Invest India Programme) को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- इस सम्मेलन में व्यापार, भू-राजनीति, बैंकिंग एवं वित्त, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सुरक्षा, कला एवं संस्कृति तथा फार्मा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे शामिल किये जाएंगे।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम Foreign Contribution Regulation Act

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002), आय कर कानून, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में जाँच हेतु समन्वय के लिये एक अंतर-मंत्रालयी टीम गठित की।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों ही विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत संगठन हैं किंतु इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एक FCRA पंजीकृत संगठन नहीं है।
  - उल्लेखनीय है कि गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों को विदेश से दान प्राप्त करने के लिये विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act):

- भारत सरकार ने विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं विनियमन को प्रबंधित करने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लागू किया।
- वर्ष 2010 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। जिसके तहत सामान्य तौर पर FCRA, 1976 के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गए।
  - इसके तहत राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन, ऑडियो न्यूज़, ऑडियो विजुअल न्यूज़. वैश्विक एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित कार्यक्रम के संचालन एवं प्रसारण में लगे किसी भी संगठन को विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है।

- FCRA, 2010 के तहत दिया गया प्रमाण-पत्र 5 वर्ष तक वैध होगा तथा पूर्व अनुमति, विशेष कार्य या विदेशी अंशदान जिसके लिये अनुमति दी गई है , के लिये वैध होगा।
- नए प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति जो FCRA के प्रावधानों के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्त करता है, उस राशि को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि वह व्यक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिये अधिकृत न हो।
- FCRA के तहत पंजीकृत होने के लिये एक गैर-सरकारी संगठन को पूर्व में कम-से-कम 3 वर्षों तक सक्रिय होना चाहिये। इसके अलावा इसकी गतिविधियों पर इसके आवेदन की तारीख से पूर्व के 3 वर्षों में 1,000,000 रुपए तक खर्च किये गए हों।
- नए प्रावधानों के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक या उसके समकक्ष विदेशी अंशदान की प्राप्ति होने पर संगठन से संबंधित आँकड़ों को तथा उस वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष के विदेशी अंशदान के उपयोग को भी सार्वजनिक करना होगा।

मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ Mongolian Kanjur Manuscripts

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Union Ministry of Culture) मार्च 2022 तक 'नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स' (National Mission for Manuscripts- NMM) के तहत 'मंगोलियाई कंजूर' (Mongolian Kanjur) के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण के कार्य को पूरा करेगा जो भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- 108 खंडों में संकलित बौद्ध विहित पाठ (Buddhist Canonical Text) 'मंगोलियाई कंजूर' (Mongolian Kanjur) को मंगोलिया में सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है।
- मंगोलियाई भाषा में 'कंजूर' का शाब्दिक अर्थ 'संक्षिप्त आदेश' है जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए 'शब्द' को संदर्भित करता है। यह तिब्बती भाषा का अनुवादित रूप है।
- मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इस पाठ का आयोजन आदर स्वरूप किया जाता है और वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं तथा पवित्र अनुष्ठान के रूप में दैनिक जीवन में कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं।
- मंगोलिया में लगभग प्रत्येक मठ में कंजूर की प्रतियों को रखा गया है। कंजूर की शास्त्रीय भाषा मूल रूप से मंगोलियाई है और यह मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान प्रदान करने का एक स्रोत भी है।
- पुनर्मुद्रण किये हुए प्रत्येक खंड में मंगोलियाई भाषा में लिखित कंजूर के सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करने वाली सामग्री (कंटेंट) होगी।
  - मंगोलियाई कंजूर के पाँच खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को प्रस्तुत किया गया था।

नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स (National Mission for Manuscripts- NMM):

- इस मिशन को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार करने के लिये शुरू किया गया था।
- उद्देश्य: इस मिशन का उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्त्ताओं, विद्वानों एवं आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुँच सके।

भाषण चार द्वीप Bhashan Char Island

COVID-19 के मद्देनज़र बांग्लादेश अप्रैल, 2020 के बाद भाषण चार द्वीप (Bhashan Char Island) पर बसे रोहिंग्याओं के मुद्दे को अमल में नहीं ला सका।

- गौरतलब है कि बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार (Cox's Bazar) में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों द्वारा बचाया गया था जिसके बाद उन्हें अप्रैल, 2020 में भाषण चार द्वीप पर भेजा गया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- भाषण चार द्वीप को 'थेंगार चार द्वीप' (Thengar Char Island) या चार पिया (Char Piya) के रूप में भी जाना जाता है।
    - इस द्वीप का गठन दो दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना (Meghna) नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ था।
    - यह द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह निर्जन द्वीप दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप (Hatiya Island) से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
- भाषण चार द्वीप बाढ़, कटाव एवं चक्रवात के कारण पारिस्थितिक रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
    - हालाँकि बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों एवं ज्वार-भाटा से बचने के लिये इस द्वीप के चारों ओर तीन मीटर ऊँचा तटबंध बनाया है।
- जून, 2015 में बांग्लादेशी सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिये निवास-स्थान का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा 'तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण' के रूप में चित्रित किया गया था।

आश्रयन परियोजना (Ashrayan Project):

- उल्लेखनीय है कि भाषण चार द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने 'आश्रयन परियोजना' (आश्रयन-3) के तहत 2,300 करोड़ रुपए की लागत से एक लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिये घर बनवाए हैं।

नेशनल फिश फार्मर्स डे National Fish Farmers Day

आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर (ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture) ने 10 जुलाई को 17वाँ 'नेशनल फिश फार्मर्स डे' (National Fish Farmers Day) मनाया।

प्रमुख बिंदु:

- यह दिवस वैज्ञानिकों डॉ. के. एच. अलीकुन्ही (Dr K H Alikunhi) और डॉ. एच. एल. चौधरी (Dr. H.L. Chaudhury) की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई, 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीक (Induced Breeding Technology) का आविष्कार किया था।

प्रेरित प्रजनन तकनीक (Induced Breeding Technology):

- यह एक ऐसी तकनीक है जिससे परिपक्व मछली के प्रजनकों को कैद करके प्रजनन के लिये पिट्यूटरी हार्मोन (Pituitary Hormone) द्वारा उत्तेजित किया जाता है।
- यह उत्तेजना परिपक्व गोनाड्स (Ripe Gonads) से शुक्राणुओं एवं अंडों के सही समय पर निर्मुक्त होने को बढ़ावा देती है।
- इस तकनीक को हाइपोफिशेशन (Hypophysation) भी कहा जाता है।
- इस तकनीक के कारण ही देश में नीली क्रांति (Blue Revolution) का उद्देश्य साकार हो सका।
- इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board- NFDB) के सहयोग से मत्स्य विभाग द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, एवं मत्स्य पालन मंत्री ने भाग लिया।
- इस अवसर पर 'राष्ट्र के मछली पालकों के लिये कृतज्ञतापूर्ण आभार' (Gratitudinal Tribute to Fish Farmers of The Nation) विषय पर एक ऑनलाइन कविता एवं पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

असीम ASEEM

10 जुलाई, 2020 को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने असीम (ASEEM) पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- असीम (ASEEM) पोर्टल का पूर्ण रूप 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Aatamanirbhar Skilled Employee Employer Mapping) है।
- असीम पोर्टल जो मोबाइल एप के रूप में भी उपलब्ध है, को बंगलुरु स्थित कंपनी बेटरप्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation) द्वारा विकसित एवं प्रबंधित किया गया है।
- उद्देश्य: इस पोर्टल का उद्देश्य असीम पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है।
- इस पोर्टल में तीन आईटी आधारित इंटरफेस हैं:-
  - नियोक्ता पोर्टल- नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन।
  - डैशबोर्ड- रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण एवं अंतर को प्रमुखता से दिखाना।
  - उम्मीदवार आवेदन- उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना और ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना।
- असीम पोर्टल NSDC और इससे संबंधित 'क्षेत्रीय कौशल परिषदों' (Sector Skill Councils) को 'रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स' प्रदान करने में मदद करेगा।
- COVID-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिक जिन्होंने 'कौशल कार्ड' में पंजीकरण कराया है, उनके डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, बाज़ार में मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल खोजने में मदद करने के मामले में सूचना प्रवाह की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये शुरू किया गया है।
  - विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक कुशल कार्यबल की भर्ती के अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्लेटफॉर्म को उद्योग-संबंधित कुशल कार्यबल प्राप्त करने और COVID-19 के बाद की स्थितियों में उभरते नौकरी के अवसरों का पता लगाने में कार्यबल की मदद करने के लिये तैयार किया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के अंतर की पहचान करने के अलावा असीम पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने एवं उनके लिये भर्ती प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

यूलोफिया ओबटुसा Eulophia obtusa

दुधवा टाइगर रिज़र्व (Dudhwa Tiger Reserve) में एक नियमित निरीक्षण के दौरान वन विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति 'यूलोफिया ओबटुसा' (Eulophia obtusa) की पुन: खोज की गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस ऑर्किड प्रजाति को 'ग्राउंड ऑर्किड' के रूप में भी जाना जाता है।
- इंग्लैंड में केव हर्बेरियम (Kew Herbarium) में प्रलेखित तथ्यों के अनुसार, भारत में इस प्रजाति को वर्ष 1902 में उत्तरप्रदेश के पीलीभीत में खोजा गया था।
  - किंतु इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया था। इसे गंगा के मैदानों से वनस्पति विज्ञानियों द्वारा एकत्र किया गया था।
- जबकि इस प्रजाति को वर्ष 2008 में बांग्लादेश में पहली बार खोजा गया था।
- इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' (Critically Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि केरल का 'जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden & Research Institute) 'सेलिब्रिटी ऑर्किड' के रूप में प्रसिद्ध 'टाइगर आर्किड' (Tiger Orchid) के खिलने के कारण आगंतुकों के लिये आकर्षण का केंद्र बना है।

नोट :

टाइगर आर्किड (Tiger Orchid):

- इसका वैज्ञानिक नाम 'ग्राम्माटोफाइलम स्पेसिओसम' (Grammatophyllum Speciosum) है।
- इसे विशाल आर्किड, गन्ना ऑर्किड या 'ऑर्किड की रानी' भी कहा जाता है।
- यह प्रजाति अपने विशाल आकार एवं टाइगर की त्वचा की तरह दिखने के कारण प्रसिद्ध है।
- यह न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस की मूल प्रजाति है।
- इसे 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दुनिया के सबसे ऊँचे आर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जहाँ इसकी ऊँचाई 7.62 मीटर (25 फीट) तक दर्ज की गई है।

सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार-2019
CII-ITC Sustainability Award-2019

हाल ही में 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम' (National Thermal Power Corporation:NTPC) लिमिटेड को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिये प्रतिष्ठित 'सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार-2019' (CII-ITC Sustainability Award- 2019) प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है।

बालिका सशक्तीकरण मिशन (Girl Empowerment Mission-GEM):

- यह एनटीपीसी लिमिटेड का प्रमुख 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी' (Corporate Social Responsibility-CSR) कार्यक्रम है।
- इस 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी लिमिटेड अपने पावर स्टेशन के आसपास प्रतिष्ठापित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली एवं स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ पहुँचाकर उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली (Contractors Labour Information Management System- CLIMS):

- एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 'ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली' (CLIMS) की भी शुरुआत की गई है।
- इस प्रणाली के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थलों पर महीने के अंतिम दिन भुगतान किया जाता है।

एनटीपीसी समूह की स्थापित वर्तमान क्षमता:

- 62110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 'एनटीपीसी समूह' के पास 70 पावर स्टेशन हैं जिनमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस/तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 25 सहायक एवं जेवी पावर स्टेशनों (JV Power Stations) के साथ 13 नवीकरणीय स्टेशन शामिल हैं।

सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार-2019:

- वर्ष 2006 में गठित 'CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार' उन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिये प्रदान किये जाते हैं जो अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके अपनाते हैं।
- यह पुरस्कार 'सीआईआई-आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट' (CII-ITC Center of Excellence for Sustainable Development-CESD) के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा हैं जो व्यापार के सतत् तरीकों पर जागरूकता पैदा करने एवं व्यापारिक क्षमता को बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है।
- देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिये इसे सबसे विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है।

नोट :

सी/2020 एफ3 C/2020 F3

हाल ही में नासा के टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया धूमकेतु 'सी/2020 एफ3' (C/2020 F3) जिसे नियोवाइज़ (NEOWISE) के नाम से भी जाना जाता है, 22 जुलाई, 2020 को पृथ्वी के सबसे निकट पहुँचेगा।

प्रमुख बिंदु:

- 22 जुलाई, 2020 को धूमकेतु 'सी/2020 एफ3' जिसे अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 6800 वर्ष लगते हैं, पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय 64 मिलियन मील या 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा।
- 3 जुलाई, 2020 को यह धूमकेतु सूर्य से 43 मिलियन किमी. की दूरी पर था।
    - इस दिन धूमकेतु बुध की कक्षा में चक्कर लगा रहा था और सूर्य से निकटता के कारण इसकी बाहरी परत बर्फीली सतह से गैस एवं धूल एक वातावरण बना रही थी, जिसे कोमा (Coma) के रूप में संदर्भित किया गया था।
    - यह वातावरण कभी-कभी मलबे के एक चमकदार सिरे (छोर) का निर्माण करता है जो हज़ारों या लाखों किलोमीटर तक फैल सकता है।
- धूमकेतु अपनी चौड़ाई में कुछ मील से लेकर हज़ार मील तक विस्तृत हो सकते हैं। जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं वे गर्म होते हैं और धूल एवं गैसों के मलबे को छोड़ते हैं जो एक 'चमकते हुए सिर' के आकार में बनता है। इस मलबे का आकार अक्सर एक ग्रह से बड़ा हो सकता है।

सूर्य और पृथ्वी से निकटता क्यों?

- अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूमकेतु को कभी-कभी सूर्य और पृथ्वी के पास की कक्षाओं में धकेल दिया जाता है।
- कुछ धूमकेतुओं की उपस्थिति अर्थात् जो सूर्य से परिक्रमा करने में 200 वर्ष से कम का समय लगाते हैं, उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
- इन्हें लघु-अवधि के धूमकेतु के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और ये कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt) में पाए जा सकते हैं जहाँ कई धूमकेतु प्लूटो की परिधि में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और कभी-कभी इनको उन कक्षाओं में धकेल दिया जाता है जो उन्हें सूर्य के निकट लाते हैं।
    - सबसे प्रसिद्ध लघु-अवधि वाले धूमकेतुओं में से एक धूमकेतु हैली (Halley) है जो 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हैली पुन: दिखाई देगा।
- कम-पूर्वानुमान योग्य धूमकेतु (Less-Predictable Comets), ओर्ट क्लाउड (Oort Cloud) में पाया जा सकता है जो सूर्य से लगभग 100000 खगोलीय इकाई (Astronomical Unit-AU) की दूरी पर है।
    - इस ओर्ट क्लाउड (Oort Cloud) में धूमकेतु को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में अनुमानत: 30 मिलियन वर्ष तक का समय लगता है।

धूमकेतु 'सी/2020 एफ3' का अध्ययन क्यों?

खगोलविद इस धूमकेतु का अध्ययन इसलिये कर रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इससे सौर मंडल के गठन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और यह भी संभव है कि धूमकेतु पर जल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक विद्यमान हों जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण खंड हैं।

हाइड्रोजन चालित वाहन Hydrogen-Propelled Vehicles

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने हाइड्रोजन चालित वाहनों (Hydrogen-Propelled Vehicles) की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिये टिप्पणियाँ मांगी हैं।

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 10 जुलाई, 2020 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस मसौदे में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 157: 2020 के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत BIS विनिर्देश अधिसूचित होने तक संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाली M और N श्रेणियों के मोटर वाहनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - जब तक BIS विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित नहीं हो जाते ईंधन सेल वाहनों के लिये हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश ISO 14687 के अनुसार होंगे।

मोटर वाहन की M श्रेणी:

- इस श्रेणी में यात्रियों को लाने-ले जाने वाले वाहन आते हैं।

मोटर वाहन की N श्रेणी:

- इस श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन आते हैं।

हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसे कार्य करता है:

- ईंधन सेल विद्युत वाहन (Fuel Cell Electric Vehicles-FCEV) एक ऐसा यंत्र है जो कि ईंधन स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक के प्रयोग से विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया (Electrochemical) द्वारा विद्युत का निर्माण करता है।
- ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को समिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद (Byproduct) होता है।
- परंपरागत बैटरियों की भाँति ही हाइड्रोजन ईंधन सेल भी रासायनिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तित करता है परंतु FCEV लंबे समय तक वहनीय है तथा भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के लिये एक आधार है।
- इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में FCEVs एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिये हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है।

एटीएल एप डवलपमेंट मॉड्यूल ATL App Development Module

नीति आयोग (NITI Aayog) के अटल इनोवेशन मिशन ने देशभर में स्कूली छात्रों के लिये 'एटीएल एप डवलपमेंट मॉड्यूल' (ATL App Development Module) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह एप डवलपमेंट मॉड्यूल भारतीय स्टार्टअप प्लेज़्मो (Plezmo) के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख कार्यक्रम 'अटल टिंकरिंग लैब्स' के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें एप उपयोगकर्त्ता से एप निर्माणकर्त्ता बनाना है।
- 'एटीएल एप डवलपमेंट मॉड्यूल' एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह नि:शुल्क है।
  - इसमें 6 प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग मॉड्यूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम सत्रों के माध्यम से युवा नवोन्मेषी विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षकों में एप विकसित करने की क्षमता एवं कौशल निर्माण के लिये अटल इनोवेशन मिशन एप विकास पाठ्यक्रम पर आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा।
- वर्तमान में देश के 660 से अधिक ज़िलों में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 5100 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) स्थापित किये गए हैं। जिनमें 2 मिलियन से अधिक छात्रों को जोड़ा गया है।

बाढ़ प्रतिरोधी धान Flood Resistant Paddy

हाल ही में असम के गोलाघाट ज़िले के किसानों ने धान की खेती करने के लिये पारंपरिक किस्मों के बजाय नई बाढ़ प्रतिरोधी धान (Flood Resistant Paddy) की किस्मों का उपयोग करना शुरू किया।

प्रमुख बिंदु:

- बाढ़ प्रतिरोधी धान की प्रजातियों [रंजित सब1 (Ranjit Sub1), स्वर्ण सब1 (Swarna Sub1) एवं बहादुर सब1 (Bahadur Sub1)] का उपयोग असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम क्षेत्र के लगभग 60% किसानों द्वारा किया गया है।
- असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान वर्ष 2009 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) और मनीला (फिलीपींस) स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Research Institute) द्वारा विकसित जल प्रतिरोधी धान की प्रजाति स्वर्ण सब1 की कटाई कर रहे हैं।
    - किंतु किसानों द्वारा धान की पारंपरिक किस्मों के बजाय नई बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्मों को अपनाने की प्रक्रिया काफी धीमी रही है।
    - उल्लेखनीय है कि रंजित सब-1 (Ranjit Sub1) सहित अन्य बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्मों का प्रयोग वर्ष 2018 में फिर से शुरू किया गया था।

बाढ़ प्रतिरोधी धान की प्रजातियों के लाभ:

- नई चावल की किस्मों में दो सप्ताह तक जलमग्नता के बावजूद पुन: पनपने की क्षमता होती है और ये भारी बाढ़ में भी क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं जबकि पारंपरिक किस्में भारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- इन प्रजातियों में औसतन पाँच टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज की क्षमता होती हैं।
- असम में लगभग 1500 किसान फसल-उपज वाले क्षेत्रों में लगभग 950 हेक्टेयर पर खेती करते हैं जो नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसलिये चावल की ये किस्में बाढ़ से होने वाली फसल हानि को काफी हद तक कम कर सकती हैं।
- ये किस्में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर पुन: जीवित हो सकती हैं इसलिये इनमें अधिकतम उत्पादकता की क्षमता होती है।

आरसीएफ सैफ्रोला RCF SAFEROLA

COVID-19 से निपटने हेतु भारत सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड' (Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited- RCF) ने एक हाथ सफाई आइसोप्रोपिल अल्कोहल (IsoPropyl Alcohol) जेल 'आरसीएफ सैफ्रोला' (RCF SAFEROLA) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- RCF के अनुसार, यह हाथ साफ करने वाला जेल त्वचा के अनुकूल मॉइस्चराइज़र आधारित 'हैण्ड सैनिटाइज़र' है जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल (IsoPropyl Alcohol-IPA) एवं एलोवेरा का अर्क (रस) होता है। यह विटामिन-E से युक्त है और इसमें ताज़े नींबू की खुशबू भी है।

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited- RCF):

- RCF देश में उर्वरकों एवं रसायनों की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी है। भारत सरकार ने इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया है।
- यह यूरिया, जटिल उर्वरक, जैव-उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जल में घुलनशील उर्वरक, कंडीशनर रसायन एवं औद्योगिक रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है।
- इसकी दो संचालन इकाइयाँ (मुंबई के ट्रॉम्बे और थाल (Thal) रायगढ़ ज़िला, महाराष्ट्र) हैं।
- RCF ग्रामीण भारत में अपने दो प्रसिद्ध उत्पादों 'उज्ज्वला' (यूरिया) और 'सुफला' (कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स) की आपूर्ति करती है।

नोट :

इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस Index of Cancer Preparedness

'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (Economist Intelligence Unit- EIU) की रिपोर्ट 'कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया-पैसिफिक: सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण के लिये प्रगति' (Cancer preparedness in Asia-Pacific: Progress towards universal cancer control) में 'इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस' (Index of Cancer Preparedness) से प्राप्त निष्कर्षों की जाँच की गई।

प्रमुख बिंदु:

- EIU की इस रिपोर्ट के अनुसार, यह इंडेक्स 10 एशिया-प्रशांत देशों- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड एवं वियतनाम के सामने कैंसर की चुनौती की जटिलताओं का वर्णन करता है।
- दवा कंपनी रोशे (Roche) द्वारा प्रायोजित यह रिपोर्ट 10 देशों में कैंसर से निपटने की तैयारी एवं इसकी जटिलताओं की जाँच करती है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 10 एशिया-प्रशांत देशों में कैंसर से निपटने की तैयारी के आधार पर भारत को आठवीं रैंक दी गई है।
  - कैंसर से निपटने की तैयारी के आधार पर भारत को 100 में 51.6 अंक दिये गए है जो औसत क्षेत्रीय स्कोर (66.5) से काफी कम है जबकि ऑस्ट्रेलिया (92.4), दक्षिण कोरिया (83.4) एवं मलेशिया (80.3) इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर हैं।
  - इस रिपोर्ट में भारत के बाद केवल वियतनाम (44.5) और फिलीपींस (42.6) को स्थान दिया गया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडेक्स में सभी तीन स्तंभों (नीति एवं नियोजन, देखभाल सेवाएँ एवं स्वास्थ्य प्रणाली, शासन) में भारत ने औसत से कम स्कोर को दर्ज किया है।
- EIU की इस रिपोर्ट में पाया गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कैंसर स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है और आगे चल कर इसमें लगभग 35% वृद्धि होने की संभावना है जिससे मृत्यु दर लगभग 40% तक बढ़ सकती है।
- वर्ष 2018 में एशिया-प्रशांत में कैंसर रोगियों की संख्या लगभग 8.8 मिलियन तक पहुँच गई। यह इंडेक्स कैंसर चुनौती की विभिन्न प्रतिक्रियाओं तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इससे निपटने के लिये होने वाली तैयारियों का अवलोकन करता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में 'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (EIU) द्वारा जारी 'इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस' (Index of Cancer Preparedness) के 28 वैश्विक देशों में से भारत का स्थान 19वाँ था।

तांगम Tangam

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जिसका शीर्षक तांगम्स: एन एथ्नोलिंग्विस्टिक स्टडीज़ ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश (Tangams: An Ethnolinguistic Study Of The Critically Endangered Group of Arunachal Pradesh) जारी की।

प्रमुख बिंदु:

- यह पुस्तक तांगम समुदाय की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी।
  - तांगम अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में 253 वक्ताओं (तांगम भाषा का प्रयोग करने वाले) के रूप में केंद्रित एक समुदाय है।
- भाषा की हानि 'सांस्कृतिक क्षरण' (Cultural Erosion) का कारण है। गौरतलब है कि तांगम समुदाय में सिर्फ 253 लोग ही हैं जो तांगम भाषा का प्रयोग करते हैं।

तांगम (Tangam):

- तांगाम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति (Adi tribe) के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है।
- ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग ज़िले के पेनडेम सर्किल (Paindem Circle) में कुग्गिंग के आवास (Hamlet of Kugging) में रहते हैं।
  - कुग्गिंग (Kugging) शिमॉन्ग (Shimong), मिन्यांग्स (Minyongs) जैसे आदि उपसमूह (Adi Subgroups) के साथ-साथ खाम्बस (Khambas) के बौद्ध आदिवासी समुदाय द्वारा बसे कई गाँवों से घिरा हुआ है।

तांगम भाषा:

- यूनेस्को के 'वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज' (2009) के अनुसार, 'तांगम' एक मौखिक भाषा है जो 'तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार' (Tibeto-Burman Language Family) के तहत तानी समूह (Tani group) से संबंधित है।
- इसे यूनेस्को के 'वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज' 'में गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (Critically Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

तांगम भाषाई लोगों की संख्या कम होने का कारण:

- वर्षों से अपने पड़ोसियों के साथ संवाद करने के कारण तांगम लोग बहुभाषी हो गए हैं ये न केवल तांगम भाषा बोलते हैं बल्कि शिमोंग, खंबा एवं हिंदी आदि भी बोलते हैं।
  - ये लोग अब शायद ही कभी अपनी भाषा बोलते हैं क्योंकि इनकी आबादी केवल एक गाँव तक ही सीमित है।

अरुणाचल प्रदेश की भाषाएँ:

- अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को चीनी-तिब्बती भाषाई परिवार (Sino-Tibetan language family) और विशेष रूप से भाषाओं के तिब्बती-बर्मन एवं ताई (Tai) समूह के तहत जैसे- लोलो-बर्मिश (Lolo-Burmish), बोधिक (Bodhic), साल (Sal), तानी (Tani), मिशमी (Mishmi), हरिश (Hruissh) और ताई (Tai) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डॉल्फिन Dolphin

मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (National Chambal Sanctuary) में सिर्फ 68 डॉल्फिन (Dolphin) बची हैं जो तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान) से होकर गुजरती हैं।

प्रमुख बिंदु:

- मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जून, 2020 के अंतिम सप्ताह में सार्वजनिक की गई।
- डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2016 में चंबल में डॉल्फिन की संख्या 78 थी। वर्ष 2016 से ही डॉल्फिन की संख्या में घटने की प्रवृत्ति लगातार जारी है।
- देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India- WII) के शोधकर्त्ताओं जो चंबल नदी में डॉल्फिन पर शोध कर रहे हैं, के अनुसार:-
  - चंबल नदी में डॉल्फिन की अधिकतम वहन क्षमता 125 है।
  - डॉल्फिन को टिकाऊ आवास (Sustainable Habitat) के लिये नदी में कम-से-कम 3 मीटर गहराई और 266.42-289.67 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का जल प्रवाह होना आवश्यक है।
  - चंबल नदी डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका- Platanista Gangetica) का निवास स्थान है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

डॉल्फिन की शारीरिक विशेषताएँ:

- इसकी आँखें अल्पविकसित (Rudimentary) होती हैं।
- 'शिकार करने' से लेकर 'सर्फिंग' (नदी या समुद्र की लहरों के साथ तैरना) तक की सभी प्रक्रियाओं में डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनि (Ultrasonic Sound) का प्रयोग करती है।
- डॉल्फिन तेज़ी से बढ़ते शिकार को पकड़ने के लिये शंक्वाकार दाँतों का उपयोग करती है।
- इनके पास अच्छी तरह से विकसित श्रवण क्षमता होती है जो हवा एवं पानी दोनों के लिये अनुकूलित है।

नोट :

अल्ट्रासोनिक ध्वनि (Ultrasonic Sound):

- 'अल्ट्रासोनिक' शब्द श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों के ऊपर की किसी भी ध्वनि को संदर्भित करता है अर्थात् इसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली सभी ध्वनियाँ शामिल हैं।

चंबल नदी में पहली बार डॉल्फिन की उपस्थिति:

- वर्ष 1985 में पहली बार इटावा (उत्तर प्रदेश) के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था। उस समय इनकी संख्या 110 से अधिक थी किंतु अवैध शिकार ने संख्या को कम कर दिया।
- वर्तमान में चंबल नदी में डॉल्फिन की कम होती संख्या का मुख्य कारण अवैध शिकार ही नहीं है बल्कि प्रतिकूल आवास भी है।
    - इससे चंबल नदी में न केवल डॉल्फिन, बल्कि घड़ियालों की आबादी भी प्रभावित हुई है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (National Chambal Sanctuary):

- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी।
- इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य (National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary) भी कहा जाता है।
- यह उत्तर भारत में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' घड़ियाल, रेड क्राउन्ड रूफ कछुए (Red-Crowned Roof Turtle) और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (राष्ट्रीय जलीय पशु) के संरक्षण के लिये 5,400 वर्ग किमी. में फैला त्रिकोणीय राज्य संरक्षित क्षेत्र है।
- यह अभयारण्य भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act of 1972) के तहत संरक्षित क्षेत्र है।
- इस अभयारण्य परियोजना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय आगरा में है।

उच्चतम न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (Central Empowered Committee- CEC):

- वर्ष 2006 में, उच्चतम न्यायालय की 'सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी' (CEC) ने चंबल नदी की वनस्पतियों एवं जीवों को बचाने के लिये अभयारण्य क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था किंतु अवैध रेत खनन एवं जल की अनुचित खपत चंबल नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रही है।

गौरतलब है कि चंबल नदी तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान) की एक जीवन रेखा है। जहाँ इसके जल का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। वहीं मध्यप्रदेश के भिंड एवं मुरैना तथा राजस्थान के धौलपुर में अवैध बालू खनन का धंधा जारी है।

प्रज्ञाता दिशा-निर्देश PRAGYATA Guidelines

14 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (Union Human Resource Development Minister) ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देश (PRAGYATA Guidelines) जारी किये।

प्रमुख बिंदु:

- 'प्रज्ञाता' दिशा-निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किये गए हैं जो COVID-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिये ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित हैं।
- डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा पर जारी ये दिशा-निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने की विस्तृत कार्य योजना प्रदान करते हैं।
- इन दिशा-निर्देशों में उन छात्रों के लिये जिनके पास डिजिटल उपकरण हैं और जिनके पास डिजिटल उपकरण तक सीमित या कोई पहुँच नहीं है, दोनों के लिये, एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।

ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के 8 चरण:

- प्रज्ञाता दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा के 8 चरण- योजना (Plan), समीक्षा (Review), व्यवस्था (Arrange), मार्गदर्शन (Guide), बातचीत (Talk), असाइन (Assign), ट्रैक (Track), सराहना करना (Appreciate) शामिल हैं।

- ये 8 चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।
- प्रज्ञाता दिशा-निर्देश स्कूल प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों को निम्नलिखित पहलुओं में सुझाव भी प्रदान करते हैं:
  - मूल्यांकन की जरूरत से संबंधित पहलुओं में।
  - ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा की क्षमता के अनुसार सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गतिविधियों आदि से संबंधित पहलुओं में।
  - हस्तक्षेप के तौर-तरीके जिनमें संसाधन अवधि, कक्षा के हिसाब से उसका वितरण आदि शामिल हैं, से संबंधित पहलुओं में।
  - डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं में।
  - साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिये सावधानियों एवं उपायों सहित साइबर सुरक्षा एवं नैतिक तरीके में।
  - विभिन्न पहलों के साथ सहयोग एवं अभिसरण में।

अनुशंसित स्क्रीन समय:

कक्षा	सिफारिश
प्री-प्राइमरी	माता-पिता के साथ बातचीत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिये तय किये गए समय को 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिये।
कक्षा 1 से 12 तक	Http://ncert.nic.in/aac.html पर एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को अपनाने की सिफारिश की गई है।
कक्षा 1 से 8 तक	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिक वर्गों के लिये ऑनलाइन कक्षाएँ लेने के तय दिन के अनुसार दिन में 30-45 मिनट के दो सत्रों से अधिक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है।
कक्षा 9 से 12 तक	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किये गए दिनों में प्रत्येक दिन 30-45 मिनट के चार सत्रों से अधिक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है।

- प्रज्ञाता दिशा-निर्देश देश भर में स्कूल जाने वाले छात्रों को लाभान्वित करने के लिये डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
- इस पहल में स्वयंप्रभा (SWAYAM Prabha), दीक्षा (DIKSHA), स्वयं मूक्स (SWAYAM MOOCS), रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी जैसे प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है।

सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड Supercapacitor Electrode

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन 'इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स' (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials- ARCI) के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक अपशिष्ट कपास से एक कम लागत वाला, पर्यावरण अनुकूल एवं टिकाऊ सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड (Supercapacitor Electrode) का निर्माण किया है जिसे 'एनर्जी हारवेस्टर स्टोरेज़ डिवाइस' (Energy Harvester Storage Device) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- पहली बार प्राकृतिक समुद्री जल को पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी, मापनीय एवं वैकल्पिक जलीय इलेक्ट्रोलाइट (Aqueous Electrolyte) के रूप में खोजा गया है जो सुपरकैपेसिटर के आर्थिक निर्माण के लिये मौजूदा जलीय-आधारित इलेक्ट्रोलाइट्स (Aqueous-Based Electrolytes) की जगह ले सकता है।

नोट :

सुपरकैपेसिटर (Supercapacitor):

- सुपरकैपेसिटर नई पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण उपकरण हैं जो उच्च शक्ति घनत्व कैपेसिटर, लंबे समय तक स्थायित्त्व एवं पारंपरिक कैपेसिटर की तुलना में अल्ट्राफास्ट चार्जिंग एवं लिथियम-आयन बैटरी (lithium-ion batteries) जैसे गुणों के कारण व्यापक अनुसंधान के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- सुपरकैपेसिटर के चार मुख्य घटकों इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और करेंट कलेक्टर में से पहले दो (इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट) प्रमुख घटक हैं जो तत्काल सुपरकैपेसिटर के विद्युत रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं।
- परिणामत: इलेक्ट्रोड सामग्री और इलेक्ट्रोलाइट्स के निर्माण की लागत को कम किया जाना चाहिये क्योंकि ये दो घटक ही उपकरण निर्माण लागत के मामले में महत्त्वपूर्ण हैं।
- वहनीय सुपरकैपेसिटर उपकरण बनाने हेतु एक लागत प्रभावी सामग्री के लिये ARCI के वैज्ञानिकों ने 'औद्योगिक अपशिष्ट कपास' (कचरे) को 'अत्यधिक महीन कार्बन फाइबर' में बदलकर 'सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड' का निर्माण किया है।
- हाल ही में एनर्जी टेक्नोलॉजी (Energy Technology) में प्रकाशित हुए शोध में बताया गया कि ARCI के वैज्ञानिकों ने जलीय-आधारित सुपरकैपेसिटर उपकरणों के निर्माण के लिये समुद्री जल को प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया।
- इस शोध में पाया गया कि प्राकृतिक समुद्री जल-आधारित सुपरकैपेसिटर ने 1 Ag-1 के धारा घनत्व (Current Density) पर अधिकतम धारिता का प्रदर्शन किया।
- इसके अलावा समुद्री जल-आधारित सुपरकैपेसिटर 99% कैपेसिटेंस रिटेंशन (Capacitance Retention) और 99% कूलम्बिक दक्षता (Coulombic Efficiency) के साथ 10,000 चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों पर बेहतर परिणाम देता है।

कूलम्बिक दक्षता (Coulombic Efficiency):

- इसे फैराडिक दक्षता (Faradaic Efficiency) या धारा दक्षता (Current Efficiency) भी कहा जाता है।
- यह आवेश दक्षता को संदर्भित करती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बैटरी में स्थानांतरित किया जाता है।

हेरॉन एवं स्पाइक-एलआर Heron and Spike-LR

भारतीय सेना केंद्र सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत इज़रायल से हेरॉन निगरानी ड्रोन (Heron Surveillance Drones) और स्पाइक-एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों (Spike-LR Anti-Tank Guided Missiles) प्राप्त करने के लिये तैयार है जिससे सेना की निगरानी एवं मारक क्षमताओं में वृद्धि की जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन पहले से ही वायु सेना, नौसेना एवं थल सेना में विद्यमान है और लद्दाख क्षेत्र में निगरानी के लिये सेना द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा है।
  - यह 10 किलोमीटर से अधिक की ऊँचाई से टोह लेने वाले एक स्ट्रेच पर दो दिनों से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है।
  - यह इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मालट यूएवी (Malat-UAV) डिविज़न द्वारा विकसित एक मध्यम-ऊँचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है।
  - यह 'मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस' (Medium Altitude Long Endurance- MALE) के संचालन में 10.5 किमी. (35000 फीट) ऊँचाई तक की 52 घंटे की अवधि के संचालन में सक्षम है।

स्पाइक (Spike):

- स्पाइक, चौथी पीढ़ी की एक इज़रायली 'फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' (Fire-and-Forget Anti-tank Guided Missile) है।
- इसे इज़रायली कंपनी 'राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम' (Rafael Advanced Defense Systems) द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।

- इसे भूमि से या सेना के विशेष वाहन एवं हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है।
- स्पाइक समूह में निम्नलिखित मिसाइलें शामिल हैं:
  - 800 मीटर की रेंज वाली स्पाइक-एसआर (Spike-SR)
  - 2500 मीटर की रेंज वाली स्पाइक-एमआर (Spike-MR)
  - 4000 मीटर की रेंज वाली स्पाइक-एलआर (Spike-LR)
  - 8000 मीटर की रेंज वाली स्पाइक-ईआर (Spike-ER)

माता नी पछेड़ी Mata Ni Pachedi

15 जुलाई, 2020 को गुजरात की टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म 'माता नी पछेड़ी' (Mata Ni Pachedi) को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication- GI) टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह आवेदन 'गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (Gujarat Council on Science and Technology-GUJCOST) द्वारा जुलाई, 2020 के दूसरे सप्ताह में दायर किया गया था।
  - आवेदन के जीआई रजिस्ट्री (GI Registry) में पंजीकृत होने के बाद इसके मूल्यांकन एवं अनुमोदन में लगभग तीन महीने का समय लगता है।

'माता नी पछेड़ी' (Mata Ni Pachedi):

- 'माता नी पछेड़ी' एक गुजराती शब्द है जिसका अनुवाद 'मातृ देवी के पीछे' (Behind The Mother Goddess) है।
- 'पछेड़ी' एक धार्मिक वस्त्र लोक कला (Religious Textile Folk Art) है, जिसके केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख किया जाता है और शेष कपड़े में उनकी कहानियाँ एवं किवदंतियों को निरुपित किया जाता है।
- इसे 'गुजरात की कलमकारी' (Kalamkari of Gujarat) भी कहा जाता है।

वघारी समुदाय:

- वर्तमान में इस कला को गुजरात के खानाबदोश वघारी समुदाय (Nomadic Vaghari Community) के 10-15 परिवारों के 70-80 लोग ही जानते हैं।
  - वघारी समुदाय स्वयं को मातृपूजक या देवीपूजक कहता है।

'माता नी पछेड़ी' की विशेषताएँ:

- परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को कपड़े पर हाथ से पेंट या ब्लॉक-प्रिंट द्वारा निरूपित किया जाता है।
  - हाथ से काटे गए आयताकार कपड़े में प्राकृतिक एवं खनिज रंगों का उपयोग रिक्त स्थान को भरने तथा रंगाई प्रक्रिया में किया जाता है।
- यदि कपड़ा आकार में चौकोर है तो उसे 'माता नो चंदार्वो' (Mata No Chandarvo) के नाम से जाना जाता है।

उपयोग:

- यह वस्त्र लोक कला पूरी तरह से देवी माँ की कहानियों को चित्रित करने के लिये समर्पित है।
- इसकी पवित्र प्रकृति के कारण इसे अक्सर पवित्र कपड़े, मंदिर का कपड़ा, मंदिर का लटकाना या देवी माँ के अनुष्ठान कपड़े के रूप में जाना जाता है।
- यह मुख्य रूप से अनुष्ठानों के लिये उपयोग किया जाता है और नवरात्रि त्योहार के दौरान इसकी बहुत मांग है।
- यदि इसे (माता नी पछेड़ी) मंज़ूरी मिल जाती है तो यह गुजरात का 16वाँ जीआई टैग होगा।

न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन
Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India- DCGI) ने पुणे स्थित 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (Serum Institute of India Pvt. Ltd) द्वारा निमोनिया के लिये पहली पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित की गई 'न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन' (Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine) को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु:

- यह वैक्सीन शिशुओं में 'स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया' (Streptococcus Pneumonia) के कारण होने वाले आक्रामक रोग (Invasive Disease) एवं निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिये उपयोग की जाएगी।

स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया (Streptococcus Pneumonia):

- स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया (न्यूमोकोकस-Pneumococcus) एक ग्राम-पॉज़िटिव जीवाणु (Gram-Positive Bacterium) हैं जो समुदाय-अधिग्रहीत निमोनिया की वयस्कता के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह स्वस्थ लोगों में आमतौर पर स्पर्शोन्मुख रूप से रहता है। हालाँकि कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले अतिसंवेदनशील व्यक्तियों जैसे कि बुज़ुर्ग एवं छोटे बच्चों में, जीवाणु रोगजनक हो सकता है और बीमारी पैदा करने के लिये अन्य स्थानों पर फैल सकता है।
- इस वैक्सीन को एक इंट्रामस्क्युलर (Intramuscular) तरीके से प्रशासित किया जाता है।

इंट्रामस्क्युलर (Intramuscular):

- एक इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन एक तकनीक है जो मांसपेशियों की गहराई में दवा देने के लिये उपयोग की जाती है।
- यह दवा को रक्तप्रवाह में जल्दी से अवशोषित करने की अनुमति देती है।

स्वदेशी वैक्सीन:

- निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। पहले इस तरह की वैक्सीन की मांग देश में लाइसेंस प्राप्त आयातकों द्वारा काफी हद तक पूरी की जाती थी क्योंकि वैक्सीन निर्माता कंपनियाँ भारत से बाहर स्थित थीं।

अन्य देश में क्लिनिकल परीक्षण:

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने बताया है कि इस वैक्सीन का जाम्बिया (Gambia) में भी क्लिनिकल परीक्षण किया गया है।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में 'न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन' के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने के लिये DCGI की मंज़ूरी प्राप्त की थी।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Serum Institute of India Pvt. Ltd):

- पुणे स्थित 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' भारत में टीकों सहित इम्युनोबायोलॉजिकल (Immunobiological) दवाओं की निर्माता कंपनी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी।

मेलघाट टाइगर रिज़र्व Melghat Tiger Reserve

15 जुलाई, 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में मेलघाट टाइगर रिज़र्व (Melghat Tiger Reserve-MTR) से गुजरने वाली रेलवे लाइन के प्रस्तावित उन्नयन के लिये एक वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाए।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि रेलवे के गेज परिवर्तन से बाघ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री का सुझाव तब आया जब रेलवे ने महाराष्ट्र में अकोला को मध्य प्रदेश के खांडवा से जोड़ने वाली मौजूदा 176 किमी. लंबी मीटर गेज लाइन पर गेज परिवर्तन का काम शुरू करने की अनुमति मांगी थी।
    - इसमें से 38 किमी. रेलवे लाइन मेलघाट टाइगर रिज़र्व के अंदर से होकर गुजरती है और जिसमें लगभग 23 किमी. रेलवे लाइन मेलघाट टाइगर रिज़र्व के मुख्य क्षेत्र से होकर गुजरती है जो 2768.52 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है और सतपुड़ा-मैकाल परिदृश्य (Satpura-Maikal landscapes) का हिस्सा है।

मेलघाट टाइगर रिज़र्व (Melghat Tiger Reserve-MTR):

- भारत सरकार ने वर्ष 1973-74 में पहले चरण के अंतर्गत देशभर में कुल नौ टाइगर रिज़र्व स्थापित किये थे। मेलघाट टाइगर रिज़र्व इन नौ टाइगर रिज़र्व में से एक था।
- 1571.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मेलघाट टाइगर रिज़र्व को वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था।
    - यह महाराष्ट्र राज्य में घोषित किया गया पहला टाइगर रिज़र्व था जिसे बाद में 2029.04 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया गया।
    - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिज़र्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया था।
- यह टाइगर रिज़र्व ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज की गवलीगढ़ रिज से घिरा हुआ है।

मेलघाट टाइगर रिज़र्व का महत्त्व:

- मेलघाट टाइगर रिज़र्व 'सेंट्रल इंडियन हाइलैंड फार्मिंग' (Central Indian Highland forming) का प्रतिनिधित्व करता है जो एक बायोजियोग्राफिक ज़ोन (Biogeographic Zone) का हिस्सा है।
    - यह उच्चभूमि सतपुड़ा एवं विंध्य पहाड़ियों की अव्यवस्थित श्रेणियों द्वारा निर्मित की गई है।
- यह क्षेत्र उन वनों के अंतर्गत आता है जो दुनिया के पाँचवें जैविक रूप से सबसे धनी विरासत वाले देश का हिस्सा हैं।
- यह रिज़र्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वन क्षेत्रों के बीच एक महत्त्वपूर्ण गलियारा बनाता है जो सतपुड़ा पर्वतमाला के वनों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

वनस्पति:

- यहाँ के जंगलों को 'शुष्क पर्णपाती वन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 'टीक' यहाँ का सबसे प्रमुख पेड़ है।

कोचीन पोर्ट का वल्लारपड़म टर्मिनल Vallarpadam Terminal of Cochin Port

हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (Minister of State for Shipping) ने केरल के कोचीन (कोच्चि) बंदरगाह के वल्लारपड़म टर्मिनल (Vallarpadam Terminal of Cochin Port) की विकास गतिविधियों की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु:

- इसकी परिकल्पना भारत के पहले ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट (Trans-Shipment Port) के रूप में की गई है जिसे डीपी वर्ल्ड (DP World) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट (Trans-Shipment Port):

- ट्रांस-शिपमेंट हब, कोचीन बंदरगाह पर स्थित वह टर्मिनल है जो अस्थायी रूप से कंटेनरों का प्रबंधन एवं संग्रहण करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिये अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है।
- कोच्चि 'इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल' (International Container Trans-shipment Terminal-ICTT) जिसे स्थानीय तौर पर वल्लारपड़म टर्मिनल (Vallarpadam Terminal) के नाम से जाना जाता है, रणनीतिक रूप से भारतीय तटरेखा पर स्थित है।

ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में विकसित होने के लिये आवश्यक मानदंड:

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता होने के कारण यह सबसे उचित जगह पर स्थित भारतीय बंदरगाह है।
- यह सभी भारतीय फीडर बंदरगाहों से कम-से-कम औसत समुद्री दूरी पर स्थित है।
- भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटों के सभी बंदरगाहों पर इसके कई साप्ताहिक फीडर कनेक्शन हैं।
- भारत के प्रमुख आतंरिक बाज़ारों से इसकी निकटता है।
- इसमें आवश्यकता के अनुसार बड़े जहाज़ों को प्रबंधित करने की क्षमता है तथा जहाज़ों की संख्या बढ़ाने के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचा मौज़ूद है।

कोचीन (कोच्चि) बंदरगाह:

- कोचीन (कोच्चि) बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर अवस्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।
- यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी है।
- यह बंदरगाह कोच्चि झील के दो द्वीपों (विलिंग्डन द्वीप एवं वल्लारपड़म) पर स्थित है।

ताड़ गुड़ Palm Jaggery

तमिलनाडु में थूथुकुडी (Thoothukudi) ज़िले के उदंगुड़ी (Udangudi) शहर से उत्पादित ताड़ गुड़ (Palm Jaggery) के लिये भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग हेतु हालिया आवेदन ने इस प्राचीन, प्राकृतिक मिठास से युक्त उत्पाद पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो कभी मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एवं ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था।

प्रमुख बिंदु:

- सामान्य तौर पर ताड़ गुड़ (Palm Jaggery) का उपयोग दक्षिणी भारत में रसोई की सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं के एक घटक के रूप में किया जाता है।
- उदंगुड़ी (Udangudi) शहर का यह ताड़ गुड़ जिसे स्थानीय रूप से उदंगुड़ी पनानगारूपट्टी (Udangudi Panangarupatti) के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अनूठी आकृति का एक उत्पाद है।

उदंगुड़ी (Udangudi) की भौगोलिक विशेषता और ताड़ गुड़:

- कम वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में लाल-टिब्बा रेत (Red-Dune Sand) में नमी कम होती है इसलिये पाल्मीरा वृक्षों (Palmyra Trees) का रस अधिक चिपचिपा होता है।
- अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहाँ किण्वन से बचाने के लिये मिट्टी के बर्तन में वृक्ष के रस को इकट्ठा करके औद्योगिक चूने का लेप किया जाता है वहीँ इस क्षेत्र में जल में घुलित सीशेल्स (Seashells) को लाइम एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे गुड़ को नमकीन स्वाद मिलता है।
- थूथुकुडी (Thoothukudi) ज़िले में एक प्रमुख पेशे के रूप में पाल्मीरा (Palmyra) के जंगलों में ताड़ी एवं गैर-मादक ताड़ रस (पडनीर-Padaneer) बनाया जाता है।

उदंगुड़ी (Udangudi):

- उदंगुड़ी (Udangudi) दो शब्दों 'उडाई' (Udai) जिसका अर्थ है कांटेदार जलाने वाला वृक्ष (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा-Prosopis Juliflora) जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा 'कुड़ी' (Kudi) जो एक गांव या एक मानव बस्ती को संदर्भित करता है, से मिलकर बना है।
- तमिलनाडु का यह क्षेत्र कभी वेट्रिलाई (Vetrilai-सुपारी) और करुप्पत्ति (Karuppatti-ताड़ गुड़) के सर्वाधिक उत्पादन के लिये जाना जाता था।

चितकबरा कोयल Pied Cuckoo

हाल ही में कई एजेंसियों द्वारा शुरू की गई एक परियोजना में नैनो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि चितकबरे कोयल (Pied Cuckoo) के प्रवास पैटर्न का अध्ययन किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इस पक्षी का प्रवास पैटर्न भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से संबंधित है।

परियोजना में शामिल संस्थान:

- यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India), देहरादून एवं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (Indian Institute of Remote Sensing- IIRS) का एक संयुक्त प्रयास है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत आता है।

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (Indian Institute of Remote Sensing- IIRS):

- भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है।
- इसे सुदूर संवेदन, भू-सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु GPS प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये गठित किया गया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।

चितकबरा कोयल (Pied Cuckoo):

- मूल रूप से चितकबरे कोयल की तीन उप-प्रजातियाँ हैं जिनमें एक अफ्रीका का निवासी पक्षी है वहीँ दूसरा दक्षिण भारत का निवासी पक्षी है। जबकि तीसरा भारत एवं अफ्रीका के बीच विचरण करने वाला प्रवासी पक्षी है और यह गर्मियों के दौरान भारत में चला जाता है
- एक छोटा, स्थलीय पक्षी होने के कारण इस कोयल के लिये समुद्र पार करना अधिक जोखिम वाला होता है।
- चितकबरा कोयल उत्तर भारतीय लोक कथाओं में 'चातक' (Chatak) पक्षी के रूप में प्रसिद्ध है जो केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है।
- प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिये यह दक्षिणी अफ्रीका से हिमालय की तलहटी (जम्मू से असम तक फैली) में आता है। ये पक्षी प्रत्येक वर्ष एक ही इलाके में आते हैं।
- यह एक ब्रूड (Brood) परजीवी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है बल्कि अन्य पक्षियों विशेष रूप से जंगल बब्बलर (Jungle Babbler) के घोंसले में अपना अंडा देता है।

जंगल बब्बलर (Jungle Babbler):

- जंगल बब्बलर (अर्ग्या स्ट्रिअटा-Argya striata) भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लियोथ्रीचिडे (Leiothrichidae) परिवार का सदस्य है।
- ये पक्षी छह से दस पक्षियों के छोटे समूहों में दिखाई देते हैं जिसके कारण इन्हें उत्तरी भारत के शहरों में 'सात बहन' के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बंगाली में इन्हें 'सात भाई' के स्थानीय नाम से जाना जाता है।
- जंगल बब्बलर को IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे (चितकबरे कोयल) IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

परियोजना:

- चितकबरे कोयल के प्रवास पैटर्न से संबंधित अध्ययन भारतीय जैव संसाधन सूचना (Indian Bioresource Information-IBIN) नामक बड़ी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Science and Technology) के तहत प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

नोट :

उद्देश्य:

- इस परियोजना का उद्देश्य वेब पोर्टल के माध्यम से भारत के प्रासंगिक जैव संसाधन (पौधे, पशु एवं अन्य जैविक जीव) की जानकारी देना है।

अन्य प्रमुख बिंदु:

- IBIN परियोजना में विभिन्न जैव विविधता एवं पर्यावरणीय पैरामीटर शामिल किये गए हैं जो परिवर्तित जलवायु परिदृश्यों में चितकबरे कोयले के संभावित वितरण पर अनुमानित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने में मदद करेंगे।

निष्ठा NISHTHA

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री (Union Human Resource and Development Minister) द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 'की रिसोर्सेज़ पर्सन' (Key Resources Persons) के लिये पहला ऑन-लाइन निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत प्रारंभिक स्तर पर स्कूल प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement) के लिये एक राष्ट्रीय पहल है।
    - समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिये MHRD का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- वर्ष 2019 में निष्ठा (NISHTHA) को फेस-टू-फेस मोड में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम को अपने-अपने क्षेत्रों में समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत शुरू किया है।
    - NCERT द्वारा राज्य स्तर पर 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निष्ठा (NISHTHA) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया गया है। 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर एवं बिहार) में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अभी भी जारी है।

COVID-19 से उत्पन्न संकट:

- COVID-19 महामारी के कारण अचानक लागू किये गए लॉकडाउन ने फेस-टू-फेस मोड में इस कार्यक्रम के संचालन को प्रभावित किया है। इसलिये शेष 24 लाख शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिये निष्ठा को NCERT द्वारा दीक्षा (DIKSHA) एवं निष्ठा (NISHTHA) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड के अनुकूलित किया गया है।
- आंध्र प्रदेश, देश का पहला राज्य है जिसके लिये निष्ठा (NISHTHA) पोर्टल के माध्यम से 1200 'की रिसोर्सेज़ पर्सन' (Key Resources Persons) के लिये एक ऑन-लाइन निष्ठा (NISHTHA) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
    - ये 'की रिसोर्सेज़ पर्सन' आंध्र प्रदेश के शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे जो उस समय दीक्षा (DIKSHA) पर ऑन-लाइन निष्ठा प्रशिक्षण लेंगे।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
United Nations Economic and Social Council

17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council- ECOSOC) के वार्षिक उच्च-स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित करेंगे।

थीम:

- इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च-स्तरीय खंड की थीम 'COVID-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है' (Multilateralism after Covid19: What kind of UN do we need at the 75th anniversary) है।

प्रमुख बिंदु:

- इसके वार्षिक उच्च-स्तरीय खंड में विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों का एक विविध समूह शामिल होता है।
- यह आयोजन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला अवसर होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री 17 जून, 2020 को सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य (2021-22 के कार्यकाल के लिये) के रूप में भारत को निर्विरोध चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संबोधित करेंगे।
- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2016 में ECOSOC की 70वीं वर्षगांठ पर संबोधित किया था।

भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन Bhagirathi Eco-Sensitive Zone

उत्तराखंड राज्य में चारधाम सड़क परियोजना (CHAARDHAAM ROAD PROJECT) की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन (Bhagirathi Eco-Sensitive Zone) के लिये ज़ोनल मास्टर प्लान (Zonal Master Plan- ZMP) जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया और भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय (Union Ministry of Jal Shakti) द्वारा मूल्यांकन किया गया, को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई, 2020 को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु:

- 18 दिसंबर, 2012 को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले गोमुख से उत्तराकाशी तक भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन (Bhagirathi Eco-Sensitive Zone) की अधिसूचना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।
    - जिसमें स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को प्रभावित किये बिना उनकी आजीविका सुरक्षित रखने के लिये पर्यावरण अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित किया गया था।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में संसोधन:

- 16 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार एवं 'इंडियन रोड कॉन्ग्रेस' (Indian Road Congress) के साथ परामर्श करने के बाद वर्ष 2012 की अधिसूचना में संशोधन किया गया।
- भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन की अधिसूचना में उत्तराखंड सरकार को ज़ोनल मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसे एक निगरानी समिति की देखरेख में लागू किया जाना था।

ज़ोनल मास्टर प्लान (Zonal Master Plan- ZMP):

- ZMP, वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें वन एवं वन्यजीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क अवसंरचना आदि क्षेत्रों में 'गुड गवर्नेंस' का भी उल्लेख किया गया है।
- ZMP के अनुमोदन से इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी को बढ़ावा मिलेगा और ZMP के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति के अनुसार विकासात्मक गतिविधियाँ भी शुरू की जा सकेंगी।

चारधाम सड़क परियोजना (CHAARDHAAM ROAD PROJECT):

- चारधाम सड़क परियोजना गंगोत्री, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्ग से जोड़ी जाएगी।
- इस परियोजना में 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं जो पूरे उत्तराखंड राज्य को आपस में जोड़ेगी।
    - प्रस्तावित राजमार्ग उत्तराखंड में चार पवित्र स्थानों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री) को जोड़कर निर्माणाधीन चार धाम रेलवे (Char Dham Railway) के पूरक होंगे।

एएसपीआईआरई ASPIRE

'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी' (International Centre of Automotive Technology- ICAT) ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिये एएसपीआईआरई (ASPIRE - ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन) नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार का भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises) ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिये नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन शुरू किया है।
- इस मिशन की ओर पहला कदम 'प्रौद्योगिकी मंच ई-पोर्टल' का निर्माण है जहाँ इस तरह के प्रौद्योगिकी विकास, सूचना विनिमय एवं नवाचार की सुविधा हो सकती है।
- विभिन्न संगठनों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिये पाँच पोर्टल विकसित किये जा रहे हैं।
  - बिजली क्षेत्र के उपकरणों के लिये भेल (BHEL)
  - मशीन टूल्स के लिये एचएमटी (HMT)
  - विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिये सीएमएफटीआई (CMFTI)
  - मोटर वाहन क्षेत्र के लिये आईसीएटी (ICAT) और एआरएआई (ARAI)
- इन पोर्टलों का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो समाधान चाहने वालों और समस्या हल करने वालों को एक साथ लाएगा। इनमें उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, स्टार्ट-अप, पेशेवर एवं विशेषज्ञ शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि ICAT ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिये एएसपीआईआरई (ASPIRE - ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन) नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।

एएसपीआईआरई (ASPIRE):

- इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है।
- इस मिशन के उद्देश्य को विभिन्न संबद्ध तरीकों से हितधारकों को एक साथ ला कर नवाचार एवं वैश्विक तकनीकी प्रगति को अपनाने में सहायता करके प्राप्त किया जाएगा।
- इसकी गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये जाएंगे।
  - अनुसंधान एवं विकास
  - उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास
  - उद्योग के लिये तकनीकी एवं गुणवत्ता समस्या समाधान
  - विनिर्माण एवं प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास
  - प्रौद्योगिकी विकास के लिये आने वाली चुनौतियाँ और भारतीय ऑटो उद्योग के रूझानों की पहचान के लिये 'मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्वे' का आयोजन करना।

गौरतलब है कि इन उपायों को भारत में मज़बूत एवं आत्मनिर्भर मोटर वाहन उद्योग के विकास के लिये विकसित किया जा रहा है जो भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के अनुरूप है।

होप Hope

खराब मौसम की स्थिति के कारण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पहले मंगल मिशन होप (Hope) को अब 19 जुलाई, 2020 को जापान में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर (Tanegashima Space Center) से लॉन्च किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने लाल ग्रह (मंगल ग्रह) के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में 'होप' नामक 'एमिरेट्स मार्स मिशन' की घोषणा की थी।
- इसका वजन लगभग 1500 किग्रा है और यह अंतरिक्ष यान के एक तरफ लगे वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा जिनमें एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेज़र (Emirates eXploration Imager- EXI) जो एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा है, एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोमीटर (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer- EMUS), एक फॉर-यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ (Far-UV Imaging Spectrograph), एमिरेट्स मार्स इंफ्राड्रेड स्पेक्ट्रोमीटर (Emirates Mars InfraRed Spectrometer- EMIRS) और FTIR स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर (FTIR Scanning Spectrometer) शामिल हैं।
- यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के वायुमंडल तथा बाह्य अंतरिक्ष एवं सौर हवाओं के साथ इसके संबंध का अध्ययन करेगा। साथ ही मंगल ग्रह की जलवायु से संबंधित डेटा एकत्र करेगा जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल के वातावरण का अंतरिक्ष में क्षरण क्यों हो रहा है?
- एक बार लॉन्च होने के बाद 'होप' लगभग 200 दिनों तक मंगल की परिक्रमा करेगा जिसके बाद यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के साथ वर्ष 2021 तक लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा।
- इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी 'मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर' (Mohammed bin Rashid Space Centre) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- 'होप' (Hope) मंगल ग्रह पर अरब जगत का पहला मिशन है।

स्वदेशी बग Indigenous Bug

हाल ही में एंटोमोलॉजिस्टों (Entomologists) की एक टीम ने तीन स्वदेशी बग (Indigenous Bug) का आकलन किया जो 'वूली वाइटफ्लाई' (Woolly Whitefly) नामक कीट को नियंत्रित कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- इनमें दो स्वदेशी बग कोक्सिनेल्लिडाय (Coccinellidae) परिवार की 'लेडीबर्ड बीटल' से और एक स्वदेशी बग न्यूरोप्टेरा (Neuroptera) क्रम की 'ग्रीन लेसविंग फ्लाई' (Green Lacewing Fly) से संबंधित है।
- इसमें दो प्रकार के स्वदेशी बग 'लेडीबर्ड बीटल' (Ladybird beetles) एक कैरिबियन-मूल के 'वूली वाइटफ्लाई' (Woolly Whitefly) के खिलाफ जैविक हथियार हैं जो भारतीय फल किसानों को भी नुकसान पहुँचाता है।
  - इन कीड़ों का जीवन चक्र चार चरणों [अंडा (Egg), ग्रब (Grub), प्यूपा (Pupa) और वयस्क (Adult)] में विभाजित होता हैं और ये 30-40 दिनों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं।
  - ये कीड़े 10-12 दिनों के लिये सक्रिय ग्रब चरण (Active Grub Stage) के दौरान 'वूली वाइटफ्लाई' (Woolly Whitefly) का सेवन करते हैं।
  - एक स्वदेशी बग अपने पूरे जीवन चक्र में 200-300 'वूली वाइटफ्लाई' को खा सकता है।

वूली वाइटफ्लाई (Woolly Whitefly):

- इसका उल्लेख पहली बार वर्ष 1896 में जमैका में किया गया था और वर्ष 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में संसूचित किया गया।
- इसकी नव-उष्णकटिबंधीय (Neo-Tropical) उत्पत्ति दुनिया के कई गर्म भागों में पाई जाती है और इसे 'साइट्रस व्हाइटफ्लाई' (Citrus Whitefly) भी कहा जाता है।
- यह व्हाइटफ्लाई (एलेरोथ्रिक्सस फ्लोक्कोसुस- Aleurothrixus Floccosus) आक्रामक एवं पॉलीफैगस (Polyphagous) है अर्थात् यह विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर रहता है।

नोट :

- बेंगलुरु में ICAR के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Agricultural Insect Resources) ने कैरिबियाई द्वीप से कीट के प्रसार को वर्ष 2019 में संक्रमित पौधों के परिवहन के माध्यम से रिपोर्ट किया था।
- यह भारत में लगभग 20 वनस्पति प्रजातियों को प्रभावित कर चुका है जिनमें अमरूद की प्रजाति प्रमुख है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) के अनुसार, ये कीट वर्षभर में देश की 30-35% फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं।

टी सेल प्रतिरक्षा T Cell Immunity

हाल ही में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ्य हुए COVID-19 एवं सार्स रोगियों और असंक्रमित व्यक्तियों में भी में सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) के लिये विशिष्ट टी सेल (कोशिका) प्रतिरक्षा (T Cell Immunity) का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- टी सेल प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन 'नेचर' (Nature) पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

टी सेल (T Cell):

- मानव शरीर में टी सेल, एंटीबॉडी के साथ वायरल संक्रमण के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है।
- टी सेल सीधे तौर पर संक्रमित कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं और उन्हें मार देती हैं।
- टी सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट (Lymphocyte) है जो थाइमस ग्रंथि (Thymus Gland) मंर विकसित होता है और मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन में बताया गया है कि विशिष्ट टी सेल (कोशिकाओं) को उन सभी लोगों में पाया गया जो 17 वर्ष पहले सार्स (SARS) से ठीक हुए थे या सार्स-सीओवी-1 (SARS-CoV-1) एवं सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) के 50% से अधिक असंक्रमित थे।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि सामान्य आबादी में पहले से ही सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) प्रतिरक्षा का एक स्तर मौजूद है।
    - उन्होंने अनुमान लगाया कि संक्रमण एवं कोरोनावायरस के संपर्क में आने से मानव शरीर में लंबे समय तक कार्य करने वाली टी कोशिकाएँ (T Cell) उत्पन्न होती हैं।
    - अत: COVID-19 के संक्रमण एवं संसर्ग को प्रबंधित करने में टी सेल (कोशिकाओं) मददगार साबित हो सकती हैं।

बाथिनोमस रक्सासा Bathynomus Raksasa

हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्त्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली 'सुपरजाएंट' (Supergiant) आइसोपॉड प्रजाति 'बाथिनोमस रक्सासा' (Bathynomus Raksasa) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- 'बाथिनोमस रक्सासा' एक प्रकार का कॉकरोच (Cockroach) है।
- सिंगापुर के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी।
    - जुलाई, 2020 की शुरुआत में दो वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को 'बाथिनोमस रक्ससा' नाम दिया जो 'सुपरजाएंट' बाथिनोमस है और इसे तब से 'समुद्र का कॉकरोच' कहा जाता है।
    - शोधकर्त्ताओं ने 8 जुलाई, 2020 को पीयर-रिव्यू, ओपन-एक्सेस बायोडायवर्सिटी रिसर्च जर्नल 'ज़ूकीस' (ZooKeys) में अपने निष्कर्षों की सूचना दी।

- 'बाथिनोमस रक्सासा' जीनस बाथिनोमस (Bathynomus) का एक विशाल आइसोपॉड (Isopod) है। ये विशाल आइसोपॉड्स केकड़ों, लॉबस्टर एवं झींगा मछलियों से संबंधित हैं और ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर की गहराई में पाए जाते हैं।
  - गौरतलब है कि केकड़े, लॉबस्टर एवं झींगा मछलियाँ डेकापोड्स (Decapods) ऑर्डर से संबंधित हैं।

शारीरिक विशेषताएँ:

- इस समुद्री कॉकरोच के 14 पैर हैं किंतु इन पैरों का उपयोग ये भोजन की तलाश में महासागरों के तल पर रेंगने के लिये करते हैं।
- इसके शरीर पर 'डार्थ वाडेर' (Darth Vader) के हेलमेट जैसी आकृति की उपस्थिति इसके सिर एवं युग्मित आँखों के आकार के कारण है।

डार्थ वाडेर (Darth Vader):

- डार्थ वाडेर, स्टार वार्स फ्रैंचाइज़ी (Star Wars Franchise) में एक काल्पनिक चरित्र है।
- स्टार वार्स (Star Wars) एक अमेरिकी महाकाव्य अंतरिक्ष-ओपेरा मीडिया फ्रेंचाइज़ी है जो जॉर्ज लुकास (George Lucas) द्वारा बनाई गई है।
- 'बाथिनोमस रक्सासा' की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर (1.6 फीट) है जो सामान्य आइसोपॉड्स से बड़ा होता है।
  - उल्लेखनीय है कि सामान्य आइसोपॉड्स 33 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ते हैं। यदि आइसोपॉड्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक बढ़ती है तो उसे 'सुपरजाएंट' (Supergiant) आइसोपॉड कहा जाता है।
  - आइसोपॉड प्रजाति का एकमात्र सदस्य जो आकार में 'बाथिनोमस रक्सासा' से अधिक है 'बाथिनोमस गिगेंटियस' (Bathynomus Giganteus) है जो आमतौर पर पश्चिमी अटलांटिक महासागर के गहरे जल में पाया जाता है।

मोबाइल एप कूर्मा Mobile app KURMA

23 मई, 2020 को विश्व कछुआ दिवस (World Turtle Day) पर कछुआ संरक्षण के लिये कूर्मा (KURMA) नामक एक मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- इस एप को 'टर्टल सर्वाइवल अलायंस-इंडिया' (Turtle Survival Alliance-India) और 'वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी-इंडिया' (Wildlife Conservation Society-India) के सहयोग से 'इंडियन टर्टल कंज़र्वेशन एक्शन नेटवर्क' (Indian Turtle Conservation Action Network- ITCAN) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एप न केवल उपयोगकर्त्ताओं को देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिये डेटाबेस प्रदान करता है बल्कि निकटतम संरक्षण केंद्र की अवस्थिति भी बताता है।
- यह एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है जिसमें भारत के ताजे जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया है।
- इसमें कछुओं की पहचान, वितरण, स्थानीय नाम एवं खतरों के बारे में जानकारी दी गई है।

TRAFFIC की रिपोर्ट:

- अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन 'TRAFFIC' द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 11000 सामान्य कछुओं एवं मीठे जल के कछुओं का अवैध शिकार एवं तस्करी होती है।
  - सितंबर 2009 से सितंबर 2019 के बीच 1,11,130 कछुओं का अवैध शिकार या तस्करी की गई है।

नोट :

इंडियन टर्टल कंज़र्वेशन एक्शन नेटवर्क (Indian Turtle Conservation Action Network- ITCAN):

- प्रमुख संरक्षण एजेंसियों का एक समूह 'नागरिक-विज्ञान पहल' (Citizen-Science Initiative) शुरू करने के लिये एक साथ कार्य कर रहा है जिसे 'इंडियन टर्टल कंज़र्वेशन एक्शन नेटवर्क' (ITCAN) नाम दिया गया है।
- यह कछुओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिये एक मंच प्रदान करता है जो आम जनता को स्थानीय डेटा संग्रह में संलग्न करने एवं प्रवर्तन एजेंसियों/वन विभागों को सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी-इंडिया' (Wildlife Conservation Society-India):

- वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी ने बाघ पारिस्थितिकी के विस्तृत अध्ययन के साथ शुरुआत करते हुए वर्ष 1988 से भारत में अपने वैश्विक मिशन को आगे बढ़ाया है।
- वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी-इंडिया मिशन सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोगियों के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से वन्यजीवों के संरक्षण तरीकों एवं राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

टर्टल सर्वाइवल अलायंस (Turtle Survival Alliance):

- 'टर्टल सर्वाइवल अलायंस' का गठन वर्ष 2001 में मीठे जल के कछुओं एवं सामान्य कछुओं के 'स्थायी बंदी प्रबंधन' (Sustainable Captive Management) के लिये IUCN की साझेदारी में किया गया था।
- इसका गठन एशियाई कछुआ संकट के मद्देनज़र किया गया था। एशियाई कछुआ संकट चीनी बाज़ारों में अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है।

इस्नोफिल गणना Eosinophil Count

शोधकर्त्ताओं ने रोगियों में COVID-19 की शुरूआती पहचान के लिये इस्नोफिल गणना (Eosinophil Count) परीक्षण को प्रभावकारी बताया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'द जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओस्टियोपैथिक एसोसिएशन' (The Journal of the American Osteopathic Association) में एक नए शोध के अनुसार, एक रैपिड प्रयोगशाला परीक्षण 'इस्नोफिल गणना' (Eosinophil Count) एक नियमित रूप से 'पूर्ण रक्त कोशिका गणना' (Complete Blood Cell Count-CBC) से प्राप्त की जाती है जो रोगियों में COVID-19 की शुरुआती पहचान में सहायता कर सकती है साथ ही रोग निरोधी जानकारी भी प्रदान कर सकती है।
    - उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति में एलर्जी से संबंधी बीमारियाँ, संक्रमण तथा अन्य चिकित्सीय स्थितियों में इस्नोफिल्स सक्रिय हो जाते हैं।
    - एक इस्नोफिल्स एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका (White Blood Cell) है। ये पूरे मानव शरीर के ऊतकों में जमा होते हैं और कई सप्ताह तक जीवित रहते हैं।

ज़ोरम मेगा फूड पार्क Zoram Mega Food Park

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिज़ोरम के ज़ोरम मेगा फूड पार्क (Zoram Mega Food Park) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि ज़ोरम मेगा फूड पार्क (Zoram Mega Food Park) 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र (Core Processing Centre) एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centre) के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25000 किसानों को लाभान्वित करेगा।

- यह मेगा फूड पार्क मिज़ोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और अंतत: वार्षिक तौर पर लगभग 450-500 करोड़ रुपये का कारोबार करेगा।
- मिज़ोरम के कोलासिब (Kolasib) ज़िले के खमरंग (Khamrang) गाँव में मेगा फूड पार्क को 'ज़ोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड' (M/s Zoram Mega Food Park Pvt. Ltd.) द्वारा बढ़ावा दिया गया है।
- यह मिज़ोरम राज्य में संचालित होने वाला पहला मेगा फूड पार्क है।
  - गौरतलब है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सहायता प्राप्त कुल 88 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है जिनमें 41 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं।
- भारत को एक सुदृढ़ खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की खाद्य फैक्टरी बनाने के लिये भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 'मेक इन इंडिया' का एक प्रमुख क्षेत्र बनाया है।

ज़ोरम मेगा फूड पार्क (Zoram Mega Food Park):

- 55.00 एकड़ भूमि में स्थापित मिज़ोरम की 'ज़ोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड' की परियोजना लागत 75.20 करोड़ रुपए है।
- इस मेगा फूड पार्क के कोर प्रसंस्करण केंद्र में स्थापित की गई इकाइयों में अत्याधुनिक अवसंरचना के अलावा कोल्ड स्टोरेज- 1000 मीट्रिक टन, सुखाने का गोदाम (ड्राईवेयरहाउस)- 3000 मीट्रिक टन, डिब्बाबंदी के साथ कीटाणुनाशक पल्प लाइन, कीटाणुनाशक एवं टेट्रा पैकिंग- 2 मीट्रिक टन/प्रति घंटा, राइपनिंग (पकने में सहायक) चैम्बर्स-40 मीट्रिक टन/प्रति घंटा, मसाले सुखाने की सुविधा-2 मीट्रिक टन/प्रति घंटा, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं।

मेगा फूड पार्क (Mega Food Park):

- मेगा फूड पार्क योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिये 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं और विभिन्न राज्यों में 19 मेगा फूड पार्कों में पहले ही परिचालन शुरू हो चुका है। इनमें से 6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 मेगा फूड पार्क असम एवं मिज़ोरम में शुरू किये गए हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण National Financial Reporting Authority

हाल ही में लेखा परीक्षा नियामक 'राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण' (National Financial Reporting Authority-NFRA) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी (R Narayanaswamy) की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee- TAC) का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee- TAC) जिसमें अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य शामिल हैं, लेखांकन मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दों पर NFRA के कार्यकारी निकाय को सहायता एवं सलाह देगी।
  - यह समिति वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्त्ताओं, तैयारीकर्त्ताओं एवं लेखा परीक्षकों को इनपुट भी प्रदान करेगी।
- तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) निम्नलिखित कार्य करेगी।
  - लेखा परीक्षा गुणवत्ता के उपायों के विकास पर सलाह देना।
  - जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त तरीकों पर सलाह देना शामिल है। जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है।
    - लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित।
    - स्वतंत्र ऑडिटर विनियमन के माध्यम से निवेशकों की सुरक्षा में NFRA की भूमिका से संबंधित।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority- NFRA):

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 132 के उप खंड (1) के तहत भारत सरकार द्वारा 01 अक्तूबर, 2018 को किया गया था।

नोट :

NFRA के प्रमुख कार्य:

- केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिये लेखांकन एवं लेखा परीक्षा नीतियाँ तथा कंपनियों द्वारा अपनाये जाने वाले मानकों की सिफारिश करना।
- लेखा मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करना एवं उन्हें लागू करना।

क्षुद्रग्रह 2020 एनडी Asteroid 2020 ND

हाल ही में नासा (NASA) ने चेतावनी जारी की है कि एक विशाल 'क्षुद्रग्रह 2020 एनडी' (Asteroid 2020 ND) 24 जुलाई, 2020 को पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरेगा।

प्रमुख बिंदु:

- लगभग 170 मीटर लंबा यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 0.034 खगोलीय इकाई (5086328 किलोमीटर) के करीब होगा और यह 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है।
- पृथ्वी से इस क्षुद्रग्रह की दूरी के कारण इसे 'संभावित खतरनाक' (Potentially Dangerous) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (Potentially Hazardous Asteroids- PHAs):

- नासा के अनुसार, 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHAs) वर्तमान में उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किये गए हैं जो क्षुद्रग्रह की क्षमता को मापते हैं और पृथ्वी के करीब आने पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से 0.05 खगोलीय इकाई (AU) या उससे कम की 'मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस' (Minimum Orbit Intersection Distance- MOID) वाले सभी क्षुद्रग्रहों को संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHAs) माना जाता है।'
- नासा (NASA) इन वस्तुओं (जैसे- क्षुद्रग्रह) को 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि वे अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारी सौर प्रणाली से उनकी निकटता होती है।
- फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि PHAs के रूप में वर्गीकृत क्षुद्रग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेंगे।

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO):

- NEO धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह हैं जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कक्षाओं में प्रवेश कर जाते हैं जो उन्हें पृथ्वी के आस-पास की कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- ये NEO ज्यादातर बर्फीले जल के साथ धूल कणों से निर्मित होते हैं और कभी-कभी ये पृथ्वी के करीब पहुँचते हैं।

माइन प्लाउ Mine Ploughs

हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की अधिग्रहण विंग ने टी-90 टैंकों के लिये 1512 माइन प्लाउ (Mine Ploughs) की खरीद हेतु 'भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड' (Bharat Earth Movers Limited- BEML) के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु:

- इन माइन प्लाउ (Mine Ploughs) को भारतीय बख्तरबंद कोर के टी-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोदकर बाहर निकाला जा सकता है।
  - 'माइन प्लाउ' (Mine Ploughs) एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है। इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इससे टैंक बेड़े की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अनुबंध के तहत माइन प्लाउ 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीदे एवं निर्मित किये जाएंगे। सभी माइन प्लाउ वर्ष 2027 तक भारत को मिल जाएंगे।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (Bharat Earth Movers Limited- BEML):

- यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु (कर्नाटक) में है।
- यह विभिन्न प्रकार के भारी उपकरणों का निर्माण करता है जैसे- परिवहन एवं खनन में उपयोग की जाने वाली भारी मशीनरी आदि।

वानिकी में उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार
National Award for Excellence in Forestry

वर्ष 2019 के लिये वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नन सी एस वॉरियर (Kannan C S Warrier) को दिया गया है जो 'इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग' (Institute of Forest Genetics and Tree Breeding-IFGTB) के वैज्ञानिक हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (Indian Council of Forestry Research and Education- ICFRE) द्वारा प्रदान किया जाता है।
    - ICFRE राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है। ICFRE को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था।
- देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिये कैसुअरीना (Casuarina) के तीन लवण-सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिये 'कन्नन सी एस वॉरियर' को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- भारत में 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवण प्रभावित है और यह दुनिया में कैसुअरीना (Casuarina) का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी है जो इन क्लोनों के उत्पादन के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थान भी है।

कैसुअरीना (Casuarina):

- कैसुअरीना (Casuarina) जिसे कट्टडी (Kattadi) एवं सवुक्कू (Savukku) के नाम से भी जाना जाता है, एक पौधे की प्रजाति है जिसकी कैसुअरीना इक्विसेटिफोलिया (Casuarina Equisetifolia) सहित 17 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
- यह बैक्टीरिया फ्रैंकिया (Frankia) के साथ सहजीवी संघ में 'नाइट्रोजन स्थिरीकरण' (Nitrogen Fixation) में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- यह ईंधन की लकड़ी, कागज बनाने की लुगदी और बायोमास-आधारित बिजली उत्पादन के लिये एक पसंदीदा विकल्प है।
- इनका उपयोग तटीय क्षेत्रों में आश्रय के लिये और कृषि फसलों एवं केले के बागानों की रक्षा के लिये वायु अवरोध के रूप में किया जाता है।
- 'कन्नन सी एस वॉरियर' ने केरल के अलप्पुझा ज़िले में लुप्तप्राय सेक्रेड ग्रोव्स (Sacred Groves) के संरक्षण पर भी व्यापक कार्य किया है।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक-2020
Global Manufacturing Risk Index (MRI)-2020

कुशमैन एंड वेकफील्ड (Cushman & Wakefield) की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक [Global Manufacturing Risk Index (MRI)] रिपोर्ट में भारत 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिये सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक [Global Manufacturing Risk Index (MRI)] की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमश: शीर्ष दो स्थान बरकरार रखे हैं जबकि भारत एक स्थान की बढ़ोतरी के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
- इस सूचकांक में यूरोप, अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 48 देशों को शामिल किया गया है।

नोट :

सूचकांक से संबंधित विभिन्न क्षेत्र में भारत की रैंकिंग:

- लागत के लिहाज से भारत, चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर है। हालाँकि भारत जोखिम परिदृश्य में 30वें स्थान पर है।
    - राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिमों के निम्न स्तर को प्रस्तुत करने वाले देशों को उच्च स्थान दिया गया है।
- इस सूचकांक में देशों का चार प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन किया गया है:
    - बाउंसबैकएबिलिटी (Bouncebackability): इसके अंतर्गत विनिर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमानित क्षमता के अनुरूप परिरोध उपायों (Confinement Measures) में ढील दी जाती है और व्यावसायिक प्रक्रिया पुन: सामान्य होने लगती है।
    - शर्तें (Conditions): इसमें कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और बाज़ारों तक पहुँच सहित व्यावसायिक वातावरण को शामिल किया गया है।
    - लागत (Cost): इसमें श्रम, बिजली और रियल एस्टेट सहित परिचालन लागत शामिल है।
    - जोखिम (Risk): इसमें राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण जोखिम को शामिल किया गया है।
- MRI 2020 में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर COVID-19 के प्रभावों को भी शामिल किया गया है तथा विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की उनकी अनुमानित क्षमता के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है।
- इस सूचकांक के आधार पर बताया गया है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर परिचालन परिस्थितियों एवं लागत-प्रतिस्पर्द्धा के दृष्टिकोण से एक विनिर्माण हब बन सकता है।

कुशमैन एंड वेकफील्ड (Cushman & Wakefield):

- कुशमैन एंड वेकफील्ड एक वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सर्विस फर्म है।
- इसका मुख्यालय शिकागो, इलिनोइस (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित है।

मनोदर्पण MANODARPAN

21 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने COVID-19 के मद्देनज़र छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता (Psychosocial Support) प्रदान करने के लिये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण (MANODARPAN) पहल शुरू की।

प्रमुख बिंदु:

- इस पहल के एक भाग के रूप में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर मनोदर्पण (MANODARPAN) का एक विशेष वेब पेज तथा मनोदर्पण पर एक हैंडबुक और एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नं. (8448440632) भी लॉन्च की।
- उद्देश्य: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।
    - गौरतलब है कि मानव पूंजी को सशक्त करने एवं उसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक भाग के रूप में 'मनोदर्पण' पहल को 'आत्मानिभर भारत अभियान' में शामिल किया गया है।
- मनोदर्पण (MANODARPAN) पहल में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:
    - सलाहकारी दिशा-निर्देश।
    - केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वेब पेज।
    - राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस एवं काउंसलरों की निर्देशिका।
    - राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर।
    - मनोसामाजिक सहायता पर एक पुस्तिका।
    - ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म।
    - वेबिनार, वीडियो, पोस्टर, फ्लायर्स, कॉमिक्स और लघु फिल्मों सहित ऑडियो-विजुअल संसाधन।

आरएआईएसई पहल RAISE Initiative

हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज़ा (EV Charging Plaza) का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Power Minister) द्वारा उद्घाटन किया गया और साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आरएआईएसई पहल (RAISE Initiative) का भी शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- 'इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिये एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को और सक्षम बनाने की प्रणाली' (Retrofit of Air-conditioning to Improve Indoor Air Quality for Safety and Efficiency) अर्थात् आरएआईएसई (RAISE) एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है।
- आरएआईएसई (RAISE), 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड' (EESL) और 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स' (USAID) के मैत्री (Market Integration and Transformation Program for Energy Efficiency-MAITREE) कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त पहल है।
- यह यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स (USAID) के साथ साझेदारी में इमारतों के लिये विकसित की गई ऊर्जा दक्षता एवं वायु गुणवत्ता में सुधार की पहल है।

महत्त्व:

- काफी समय से भारत में हवा की खराब गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है और विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के समय में इसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया है।
  - कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों के भीतर वायु गुणवत्ता बनाए रखना ज़रुरी है।
- आरएआईएसई (RAISE) पहल पूरे देश के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार कर उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित एवं बेहतर बना सकती है।

ईवी चार्जिंग प्लाज़ा (EV Charging Plaza):

- भारत में ई-मोबिलिटी को सर्वव्यापी एवं सुविधाजनक बनाने के लिये ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग प्लाज़ा एक नई पहल है।
- 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड' (EESL) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (Public Charging Station- PCS) संचालित करने के नए व्यापार मॉडल की पहचान करने के काम की अगुवाई कर रही है।
- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के सहयोग से EESL ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज़ा स्थापित किया है। इसमें पाँच विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं।

रुमेटॉयड अर्थराइटिस Rheumatoid Arthritis

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान 'नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली' (Institute of Nano Science & Technology- INST) के वैज्ञानिकों ने चिटोसन (Chitosan) के साथ नैनोकणों का निर्माण किया है और रुमेटॉयड अर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) की गंभीरता को कम करने के लिये इन नैनोकणों को ज़िंक ग्लूकोनेट (Zinc Gluconate) के साथ प्रयोग किया।

प्रमुख बिंदु:

- ज़िंक तत्त्व सामान्य हड्डी होमोस्टैसिस (Homeostasis) को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण होता है और ऐसा बताया जाता है कि इसका स्तर रुमेटॉयड अर्थराइटिस रोगियों एवं अर्थराइटिस-प्रेरित पशुओं में कम हो जाता है।

नोट :

- चिटोसन एक बायोकम्पैटेबल, बायोडिग्रेडेबल, प्राकृतिक पोलीसैकेराइड होता है जो क्रस्टेशियन (Crustaceans) के बहि:कंकाल (Exoskeleton) से प्राप्त सर्वाधिक प्रचुर बायोपॉलीमर्स में से एक है जिसने अवशोषण को बढ़ावा देने वाले अभिलक्षणों को प्रदर्शित किया है।
  - हाल के दिनों में चिटोसन नैनोपार्टिकल्स के प्रतिपादन के लिये आयोनिक गेलेशन पद्धति (Ionic Gelation Method) का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है जिनमें चिकित्सकीय रूप से सक्रिय विभिन्न फार्माकोलोजिकल कारक निहित हो सकते हैं।
- वैज्ञानिकों ने 'डबल डिस्टिल्ड जल' (Double-Distilled Water) में चिटोसन एवं सोडियम ट्राईपालीफॉस्फेट (Sodium Tripolyphosphate) का उपयोग करते हुए 'ज़िंक ग्लूकोनेट लोडेड चिटोसन नैनोपार्टिकल्स' तैयार किया और ज़िंक ग्लूकोनेट को चिटोसन नैनोपार्टिकल्स के संश्लेषण के साथ-साथ जोड़ दिया।
- नैनोपार्टिकल्स का विभिन्न भौतिक-रासायनिक गुणों के लिये अभिलक्षण किया गया और फिर विस्टर चूहों (Wistar Rats) में कोलाजेन प्रेरित अर्थराइटिस (Collagen-Induced Arthritis) के खिलाफ एंटी-अर्थराइटिक क्षमता (Anti-Arthritic Capacity) की जाँच की गई।
  - जिसमें पाया गया कि ज़िंक ग्लूकोनेट एवं ज़िंक ग्लूकोनेट लोडेड चिटोसन नैनोपार्टिकल्स दोनों के साथ चूहों के उपचार ने जोड़ में सूजन, इरिथेमा (Erythema) एवं इडेमा (Edema) में कमी लाने के ज़रिये अर्थराइटिस की तीव्रता को घटा दिया किंतु ज़िंक ग्लूकोनेट लोडेड चिटोसन नैनोपार्टिकल्स ने उच्च प्रभावोत्पादकता प्रदर्शित की।

रुमेटॉयड अर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis):

- अर्थराइटिस (Arthritis) शरीर में जोड़ों की सूजन व दर्द से संबंधित रोग है। यह रोग आमतौर पर ओस्टियो अर्थराइटिस (Osteo Arthritis) या रुमेटॉयड अर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) के रूप में होता है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाएँ इस रोग से अधिक प्रभावित होती हैं।
- रुमेटॉयड अर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) एक ऑटो-इम्यून बीमारी है इसमें शरीर का प्रतिरोधी तंत्र स्वयं की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाने लगता है।

मधुबनी चित्रकला Madhubani Painting

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र बिहार के विख्यात मधुबनी (Madhubani) कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके 'मास्क मैन' के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं।\

प्रमुख बिंदु:

- मधुबनी (Madhubani) कला जिसे 'मिथिला पेंटिंग' भी कहा जाता है। यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है।
- इसे प्रकाश में लाने का श्रेय डब्ल्यू जी आर्चर (W.G. Archer) को जाता है जिन्होंने वर्ष 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था।

मधुबनी कला की विशेषताएँ:

- इस शैली के विषय मुख्यत: धार्मिक हैं और प्राय: इनमें तीक्ष्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है।
- इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं डिज़ाइन हिंदू देवताओं के हैं जैसे- कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएँ आदि।
- इस पेंटिंग की शैली में ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। इसमें मुखाकृतियों की आँखें काफी बड़ी बनाई जाती हैं और चित्र में खाली जगह भरने हेतु फूल-पत्तियाँ, चिह्न आदि बनाए जाते हैं।

मधुबनी (Madhubani) कलाकार:

- चित्रकला की इस शैली को पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। हालाँकि वर्तमान में मांग को पूरा करने के लिये इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं।
- मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं- सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल, बुला देवी आदि।

हालोआर्चिआ Haloarchaea

पुणे स्थित 'आगरकर अनुसंधान संस्थान' (Agharkar Research Institute) द्वारा की गई जाँच में पाया गया है कि महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में लोनार झील (Lonar Lake) के पानी का रंग हालोआर्चिआ (Haloarchaea) नामक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'हालोआर्चिया' या 'हालोफिलिक आर्चिया' एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणामस्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ जिससे लोनार झील (Lonar Lake) की लवणता एवं पीएच (PH) में वृद्धि हुई।
    - लवणता एवं पीएच (PH) की वृद्धि ने हेलोफिलिक जीवाणुओं के विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि झील का रंग अपने मूल रूप में वापस आने लगा है क्योंकि वर्षा ऋतु ने अतिरिक्त जल की मात्रा को बढ़ा दिया है। जिससे लवणता एवं पीएच (PH) के स्तर में भी कमी आई है और झील में हरी शैवाल भी बढ़ने लगी है।

लोनार झील (Lonar Lake):

- लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील (Crater-Lake) है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल (Pleistocene Epoch) में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था जो 1.85 किमी. के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है।
- यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक (National Geo-heritage Monument) भी है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक केंद्र भी है।
- इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है।
- इस झील में गैर-सहजीवी नाइट्रोजन-फिक्सिंग सूक्ष्म जीवाणुओं (Non-Symbiotic Nitrogen-Fixing Microbes) जैसे- स्लैकिया एसपी (Slackia SP), एक्टिनोपॉलीस्पोरा एसपी (Actinopolyspora SP) और प्रवासी पक्षी जैसे- शेल्डक, ग्रेब, रूडी शेल्डक के रूप में समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है।

यलो इंडियन बुलफ्रॉग Yellow Indian Bullfrog

हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में 'यलो इंडियन बुलफ्रॉग' (Yellow Indian Bullfrog) का एक बड़े समूह को देखा गया।

प्रमुख बिंदु:

- 'इंडियन बुलफ्रॉग' में मादाओं को आकर्षित करने के लिये मानसून के दौरान रंग बदलने की क्षमता होती है।
    - 'इंडियन बुलफ्रॉग' आमतौर पर चमकीले पीले रंग के नहीं होते हैं किंतु नर प्रजनन के दौरान रंग बदल सकते हैं।
- मानसून काल के दौरान जब इनका प्रजनन काल शुरू होता है तो ये बुलफ्रॉग अपने रंग को हल्के हरे रंग से बदलकर पीला कर लेते हैं।

इंडियन बुलफ्रॉग:

- 'इंडियन बुलफ्रॉग' का वैज्ञानिक नाम 'होप्लाबत्राचुस टाइगरीनस' (Hoplobatrachus Tigerinus) है।
- इसे आमतौर पर बुलफ्रॉग (Bullfrog), गोल्डन फ्रॉग (Golden Frog), टाइगर फ्रॉग (Tiger Frog) आदि नामों से भी जाना जाता है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान की देशज प्रजाति है।

- इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 (Indian Wildlife Act, 1972) अनुसूची-IV में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात् इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा नहीं है किंतु इसके शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

नरसिंहपुर:

- नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में एक लोकप्रिय मंदिर शहर है जिसका नाम हिंदू देवता नरसिंह के नाम पर रखा गया है।
- यह शहर अपने मंदिर के लिये प्रसिद्ध है जो भगवान नरसिंह को समर्पित है जिन्हें भगवान विष्णु का एक उग्र अवतार माना जाता था। जो आधे शेर एवं आधे आदमी के रूप में अवतरित हुए थे।
- इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में खिरवार (Khirwar) वंश से संबंधित जाट सरदारों द्वारा किया गया था जो भगवान नरसिंह के अनुयायी थे।
- नरसिंहपुर के प्राचीन नरसिंह मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

मेटामैटेरियल्स Metamaterials

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने बड़ी अवसंरचनाओं में दोषों/त्रुटि का पता लगाने के लिये मेटामैटेरियल्स (Metamaterials) का उपयोग किया है।

प्रमुख बिंदु:

- मेटामैटेरियल्स (Metamaterials) अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना के साथ कृत्रिम रूप से तैयार किये गए पदार्थ होते हैं।
- यह अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना इन्हें अद्वितीय गुण प्रदान करती है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
- मेटामैटेरियल्स की घटक कृत्रिम इकाइयों को आकार, प्रकार एवं आंतरिक गुणों के अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे असामान्य गुणों को प्रदर्शित किया जा सके।
- गौरतलब है कि इमारतों, पाइपलाइनों एवं रेलवे जैसी कई इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं में भयावह विफलताओं को रोकने के लिये समय-समय पर परीक्षण की आवश्यकता होती है।

'बल्क अल्ट्रासोनिक' निरीक्षण:

- उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें जो समूह (बल्क अल्ट्रासाउंड- Bulk Ultrasound) में विचरण करती हैं, व्यापक रूप से संरचनात्मक सामग्री के गैर-आक्रामक एवं गैर-विनाशकारी परीक्षण के लिये उपयोग की जाती हैं।
  - पारंपरिक रूप से 'बल्क अल्ट्रासोनिक' निरीक्षण कठिन और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें संरचनाओं का बिंदु-दर-बिंदु मूल्यांकन शामिल है और यह विशेष रूप से बड़ी अवसंरचनाओं के लिये चुनौतीपूर्ण साबित होता है।
- इस चुनौती का सामना करने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने 'गाइडेड वेव अल्ट्रासाउंड' (Guided Wave Ultrasound) द्वारा बड़ी अवसंरचनाओं में दोषों/त्रुटियों का पता लगाने में सुधार करने के लिये मेटामैटेरियल्स का उपयोग किया है।
  - 'गाइडेड वेव टेस्टिंग' (Guided Wave Testing- GWT) में ध्वनि तरंगों को संरचना के आतंरिक भाग में भेजने के बजाय संरचना की लंबाई के अनुरूप भेजा जाता है। मेटामैटेरियल्स के उपयोग से ध्वनि तरंगों को लंबी दूरी तक परीक्षण करने में सहायता मिलती है।

भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र
Largest Solar Power Plant of Indian Navy

हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (Indian Naval Academy, Ezhimala) में तीन मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है।
- यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित भारत सरकार के 'नेशनल सोलर मिशन' पहल के अनुरूप है।
- इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन-काल 25 वर्ष है। इस संयंत्र के लिये सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की गई है जिसमें नवीनतम तकनीक पर आधारित 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन (Monocrystalline) सौर पैनल भी हैं।

मोनोक्रिस्टलाइन (Monocrystalline) सौर पैनल:

- मोनोक्रिस्टलाइन जिसे 'एकल क्रिस्टलीय सिलिकॉन सौर पैनल' भी कहा जाता है, अपने बाहरी काले रंग के कारण आसानी से पहचानने योग्य होते हैं।
- ये 'बेलनाकार सिलिकॉन सिल्लियों' (Cylindrical Silicon Ingots) से बने होते हैं जिन्हें वेफर्स (Wafers) के रूप में काटा जाता है और ये उच्च दक्षता वाले होते है।
- इनमें सूर्य विकिरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता होती है।

पॉलीक्रिस्टलाइन (Polycrystalline) सौर पैनल:

- पॉलीक्रिस्टलाइन को 'बहु-क्रिस्टलीय सौर पैनल' के रूप में भी जाना जाता है। मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल के विपरीत इनके निर्माण के लिये पिघला हुआ सिलिकॉन एक वर्गाकार आकार में ढाला जाता है।
- फिर इस सिलिकॉन को ठंडा करके पॉलीक्रिस्टलाइन आकार बनाते हुए चौकोर वेफर्स (Wafers) में काटा जाता है।
- इस सौर ऊर्जा परियोजना को 'केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड' (Kerala State Electronics Development Corporation Ltd- KELTRON) द्वारा निष्पादित किया गया है।

महत्त्व:

- यह सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन, एझिमाला की मदद करेगी।
- यह भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा स्वच्छ एवं हरित वातावरण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों में से एक है।
- इस संयंत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केरल राज्य विद्युत बोर्ड (Kerala State Electricity Board) के इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड में भेजा जाएगा।

परिचालन मार्ग Operation Routes

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दक्षिण-पश्चिम समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के परिचालन मार्गों (Operation Routes) को अलग कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- पोत परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा एवं नेवीगेशन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
- इन नए मार्गों से संबंधित नियम 1 अगस्त, 2020 से लागू होंगे।
- भारत सरकार का यह निर्णय जहाज़ों के टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री यातायात के आसान परिचालन को सुनिश्चित करेगा।
  - गौरतलब है कि भारत सरकार भारतीय समुद्री क्षेत्र में आसान नेवीगेशन सुनिश्चित करने पर ज़ोर दे रही है।
- उल्लेखनीय है कि देश के दक्षिण-पश्चिम तट पर अरब सागर से होकर कई व्यापारिक जहाज़ गुजरते हैं और उसी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ भी परिचालन करते हैं। यह क्षेत्र व्यस्त मार्गों में से एक है जो व्यापारिक जहाज़ों और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के टकराने से दुर्घटनाओं का कारण बनता है।

बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती
Birth Anniversaries of Bal Gangadhar Tilak and Chandra Shekhar Azad

भारत के उपराष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नागरिकों से कहा कि वे इस महान देश के लिये उनके सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयास करते रहें।

प्रमुख बिंदु:

- उपराष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, देशभक्ति एवं वीरता की कहानियों पर स्कूली पुस्तकों में अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

बाल गंगाधर तिलक:

- बाल गंगाधर तिलक (केशव गंगाधर तिलक) का जन्म 23 जुलाई, 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र (तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी) के रत्नागिरी ज़िले में हुआ था।
- ये एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक, पत्रकार, समाज सुधारक एवं उग्र राष्ट्रवादी थे।
- औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा प्राय: बाल गंगाधर तिलक को 'भारतीय अशांति के जनक' (Father of the Indian Unrest) के रूप में संदर्भित किया जाता है किंतु वे 'स्वराज' की बात करने वाले पहले एवं सबसे मज़बूत अधिवक्ताओं में से एक थे।
- सर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को 'भारतीय अशांति का जनक' कहा था।
- उनका प्रसिद्ध उदघोष 'स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगें' भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के लिये एक शक्तिशाली स्पष्टीकरण आह्वान के रूप में काम आया।
- तिलक ने राष्ट्रीय भावना को मज़बूत करने और इसे शिक्षित अभिजात्य वर्ग के दायरे से सामान्य जनमानस के बीच ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे- भगवान गणेश की पूजा को सार्वजनिक गणेशोत्सव जैसे भव्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में परिवर्तित करना, शिवाजी महोत्सव आदि।
- तिलक ने 'केसरी' और 'द मराठा' नामक दो साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया।
- वर्ष 1908 में तिलक को 'केसरी' में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुक़दमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल (बर्मा) भेज दिया गया था। जिसके विरोध स्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मज़दूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी।
- मांडले जेल में ही उन्होंने 'गीता रहस्य' नामक पुस्तक लिखी थी।
- तिलक वर्ष 1884 में स्थापित की गई 'डेक्कन एजुकेशन सोसायटी' (Deccan Education Society) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वे शिक्षा को लोकतांत्रिक एवं उदारवादी विचारों के प्रसार में एक गुणक बल के रूप में देखते थे।
- बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त, 1920 को हुई थी।

चंद्रशेखर आज़ाद:

- चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर ज़िले के भाभरा गाँव में हुआ था।
- अपनी वीरता और नि:स्वार्थता के लिये प्रसिद्ध एक महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का अवसर मिला था।
- भगत सिंह सहित कई युवा स्वतंत्रता सेनानियों के संरक्षक, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रेरणादायक युवा नेताओं में से एक थे।
- उनकी सर्वोच्च नेतृत्व कौशल एवं संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRA) को 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HRSA) के रूप में पुनर्गठित करने और उसे मज़बूत बनाने में मदद की।

‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ (HRA):

- देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्तूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ (HRA) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
- इसके संस्थापक सदस्यों में शचींद्र सान्याल (अध्यक्ष) राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे।
- इस संस्था द्वारा 9 अगस्त, 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ-सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ‘आठ डाउन लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन’ पर डकैती डाल कर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई।

‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ (HRSA):

- वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्त्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ (HRSA) की स्थापना की गई थी।
- इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था।
- 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद (प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई।

कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड Krishnapatnam Port Company Limited

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने ‘अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड’ (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) द्वारा ‘कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड’ (Krishnapatnam Port Company Limited) के अधिग्रहण को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रस्तावित संयोजन में ‘अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड’ (अडानी पोर्ट्स) द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड’ में इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ प्रबंधन नियंत्रण के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड’ (अडानी पोर्ट्स):

- यह भारत का सबसे बड़ा निजी मल्टी-पोर्ट ऑपरेटर (Multi-port Operator) है।
- अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट अवसंरचना सेवा प्रदाता है जो वर्तमान में छह तटीय राज्यों- गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के दस घरेलू बंदरगाहों पर मौजूद है।
- यह अधिग्रहणकर्त्ता लॉजिस्टिक्स चेन (अर्थात् जहाज़ों के प्रबंधन से लेकर जहाज़ों के ठहरने का स्थान, जहाज़ संचालन, कर्षण, लंगर डालने की जगह, सामानों के रखरखाव, आतंरिक परिवहन, भंडारण एवं संचालन, प्रोसेसिंग तथा सड़क या रेल द्वारा अंतिम निकासी) का प्रबंधन करता है।

‘कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड’ (Krishnapatnam Port Company Limited- KPCL):

- ‘कृष्णापट्टनम पोर्ट’ जिसे KPCL के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में स्थित भारत के पूर्वी तट पर एक निजी तौर पर विकसित किया गया डीप वाटर पोर्ट (Deep Water Port) है।
- यह चेन्नई पोर्ट के उत्तर में 190 किलोमीटर और नेल्लोर शहर से 18 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
- KPCL आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में गहरे जल के बंदरगाह को विकसित करने तथा संचालित करने का कार्य कर रही है।
- KPCL का आंध्र प्रदेश सरकार के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिये ‘बिल्ड-ऑपरेट-शेयर-ट्रांसफर (Build-Operate-Share-Transfer) के आधार पर रियायती समझौता हुआ है।

उल्लेखनीय है कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस बंदरगाह का महत्त्व कृष्णदेवराय के शासनकाल में अधिक बढ़ गया था इसलिये इसका नाम ‘कृष्णापट्टनम’ रखा गया।

डबल-स्टैक कंटेनरों के लिये दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग
The world's first electrified rail tunnel For Double-stack Containers

'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited- DFCCIL) ने कहा कि अगले 12 महीनों में डबल-स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग 'पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) में चालू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- एक बार चालू होने के बाद डबल-स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर/घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी।
- भू-वैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित एवं स्थिर है क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic) चट्टानों मुख्य रूप से दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानों के अलवर/अज़बगढ़ समूहों के क्वार्ट्ज़ाइट, शिट्स एवं स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है, से होकर गुज़रती है।

दिल्ली सुपरग्रुप चट्टान:

- ऊपरी दिल्ली सुपरग्रुप (Upper Delhi Supergroup) एक स्पष्ट असंबद्धता/असंगति (Unconformity) के साथ अरावली सुपरग्रुप (Aravalli Supergroup) पर निर्भर करता है।
- यह सुपरग्रुप के अंतर्गत दो मुख्य प्रकार की चट्टानें आती हैं।
  - ज्वालामुखी चट्टानों का एक मोटा अनुक्रम जिनमें महाद्वीपीय समानता (Continental Affinity) है।
  - तलछटी चट्टानें (Sedimentary Rocks) जो नदीय (Fluvial) एवं उथले समुद्री वातावरण तथा गहरे समुद्री निक्षेपण वातावरण का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- 'उत्तरी दिल्ली बेल्ट' (North Delhi Belt) में, दिल्ली सुपरग्रुप को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - निम्न रैआलो समूह (Lower Raialo Group)
  - मध्य अलवर समूह (Middle Alwar Group)
  - ऊपरी अजबगढ़ समूह (Upper Ajabgarh Group)

प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic):

- प्रोटेरोज़ोइक एक भू-वैज्ञानिक ईऑन (Eon) है जो पृथ्वी पर जटिल जीवन [जैसे त्रिलोबाइट (Trilobite) या कोरल] के प्रसार से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय से संबंधित है।
- प्रोटेरोज़ोइक ईऑन 2500 से 541 मिलियन वर्ष पहले तक विस्तारित है।
- प्रोटेरोज़ोइक पृथ्वी के भूगर्भिक समय के पैमाने पर सबसे लंबा ईऑन है और इसे तीन भूगर्भिक युगों (सबसे पुराने से लेकर सबसे नए) में उप-विभाजित किया गया है।
  - पालियोप्रोटेरोज़ोइक (Paleoproterozoic)
  - मेसोप्रोटेरोज़ोइक (Mesoproterozoic)
  - निओप्रोटेरोज़ोइक (Neoproterozoic)
- यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम ज़िले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है।
- D-आकार की सुरंग में WDFC पर डबल-स्टैक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिये उच्च ओएचई (ओवर हेड उपकरण- Over Head Equipment) के साथ डबल लाइन को समायोजित करने के लिये 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है।

- क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र (Cross-sectional Area) के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है।
- इस सुरंग का एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी के पास है जबकि दूसरा छोर हरियाणा के दादरी में है।
- D-आकार की सुरंग के सीधे भाग में चौड़ाई 14.5 मीटर एवं ऊँचाई 10.5 मीटर है जबकि वक्राकार भाग में चौड़ाई 15 मीटर और ऊँचाई 12.5 मीटर है।

शहद परीक्षण प्रयोगशाला Honey Testing Lab

24 जुलाई, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 'राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड' (National Bee Board- NBB) के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board- NDDB) द्वारा आनंद (गुजरात) में स्थापित भारत की विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला (Honey Testing Lab) का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह शहद परीक्षण प्रयोगशाला बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन एवं विपणन के लिये प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति (Sweet Revolution) लाने एवं उनकी आय दोगुनी करने के भारत सरकार के विज़न में सहायक होगी।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board- NDDB) ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस विश्वस्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है।
- NDDB ने इस विश्व स्तरीय लैब को सभी सुविधाओं के साथ स्थापित किया है और परीक्षण विधियों/प्रोटोकॉल को विकसित किया है। जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- एफएसएसएआई ने अब शहद, बी वैक्स (Bee Wax) और रॉयल जेली (Royal Jelly) के नए मानदंडों अधिसूचित किया है।
- इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कराए जा रहे 'वैज्ञानिक तरीके से शहद उत्पादन पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम' का शुभारंभ भी किया।

राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL):

- NABL भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक बोर्ड है।
- NABL को सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने की योजना के साथ स्थापित किया गया है। जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन शामिल है।

भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें Stay in India and Study in India

24 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वायत्त/तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के साथ 'भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें' (Stay in India and Study in India) के बारे में विचार-मंथन सत्र आयोजित किया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि COVID-19 के कारण कई छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे उन्होंने भारत में ही रहने और भारत में ही अध्ययन करने का निर्णय किया है। साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी होने की चिंता के साथ भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है।
- COVID-19 के कारण उत्पन्न यह चिंताजनक स्थिति दो महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित है।

1. विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना और उन्हें देश में अध्ययन हेतु रोकने के लिये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. विदेश से लौटने वाले छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना।

नोट :

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के दौरान लगभग 7 लाख 50 हज़ार छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिये विदेश यात्रा की और इस वजह से मूल्यवान विदेशी मुद्रा भारत से बाहर चली गई और साथ ही कई प्रतिभावान छात्र विदेश चले गए।
  - उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के घोषणापत्र के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी प्रमुख संस्थानों में सीटों की क्षमता 50% बढ़ानी होगी और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की संख्या वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 50 करनी होगी।

इस अवसर पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- दिशा-निर्देशों और उपायों की सूची तैयार करने के लिये यूजीसी के नेतृत्त्व में एक समिति का गठन किया जाएगा।
  - यह समिति ऐसे उपाय बताएगी जिससे अधिक-से-अधिक छात्र देश में रहकर पढ़ाई करें और इसके लिये शिक्षण संस्थानों के लिये बेहतर अवसंरचना विकसित की जा सके।
  - इसके अलावा मल्टी-डिसिप्लिनरी और इनोवेटिव प्रोग्राम, ट्विनिंग एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, सेंटरों की क्रॉस कंट्री डिज़ाइनिंग, विदेश के प्रख्यात फैकल्टी द्वारा ऑनलाइन लेक्चर की सुविधा, शिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के बीच जुड़ाव की सुविधा, जॉइंट डिग्री वेंचर्स की सुविधा और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) की व्यवस्था की जाएगी।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष तकनीकी संस्थानों से संबंधित मुद्दों की देख-रेख करेंगे।
- आईआईटी, एनआईटी एवं आईआईआईटी के निदेशकों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों वाली उप-समितियाँ गठित की जाएंगी जो यूजीसी के अध्यक्ष एवं एआईसीटीई के अध्यक्ष की सहायता करेंगी।
- शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency-NTA) के अध्यक्ष और सीबीएसई के अध्यक्ष को भी इनपुट के लिये बुलाया जा सकता है।
- संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से समन्वय करेंगे।
- समिति दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन Global Forest Resources Assessment

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा जारी किये गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (Global Forest Resources Assessment- FRA) में बताया गया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु:

- FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक पाँच वर्ष में यह व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिये वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है।
- FRA-2020 के अनुसार, शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Gains) दर्ज किया है जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं रोमानिया शामिल हैं।

एशिया महाद्वीप में वनों की स्थिति:

- रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई महाद्वीप ने वर्ष 2010-2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। एशियाई महाद्वीप में पिछले एक दशक में वनों में प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
- हालाँकि दक्षिण-एशियाई उप-क्षेत्र में वर्ष 1990-2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई। किंतु FRA-2020 के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत के वनों में शुद्ध लाभ के बिना यह गिरावट बहुत अधिक रही होगी।

भारत में वनों की स्थिति:

- मूल्यांकन के एक दशक के दौरान भारत ने औसतन प्रत्येक वर्ष 0.38% वन लाभ या 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन वृद्धि दर्ज की।
- FRA-2020 ने एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया है।

- भारत में स्थानीय, आदिवासी एवं देशज समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर वर्ष 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

भारत के संदर्भ में प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर (Naturally Regenerating Forest Rate):

- हालाँकि FRA, 2020 के अनुसार, प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर (Naturally Regenerating Forest Rate) निराशाजनक है।
- FRA 2020 के अनुसार, वर्ष 2010-20 के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन की वृद्धि दर केवल 0.38% थी।
    - भारत बड़े पैमाने पर वनीकरण एवं वृक्षारोपण योजनाओं को लागू कर रहा है।

वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी क्षेत्र में रोज़गार:

- मूल्यांकन में 136 देशों के आँकड़ों के साथ वानिकी क्षेत्र (लॉगिंग सहित) में रोज़गार की जाँच की गई जो दुनिया के 91% वनों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोज़गार उत्पन्न किये हैं।
- विश्व स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे। जबकि इसमें से 6.23 मिलियन अर्थात् लगभग 50% सिर्फ भारत में कार्यरत हैं।

नाग नदी Nag River

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी (Nag River) जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम रखा गया है, में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु:

- नाग नदी, भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है।
- वर्ष 1908 के ब्रिटिशकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, नाग नदी का उद्‌गम महाराष्ट्र में वाडी (Wadi) के पास लावा पहाड़ियों (Lava Hills) से होता है।
- यह नदी कन्हान-पेंच नदी प्रणाली (Kanhan-Pench River System) का एक भाग भी है।

कन्हान-पेंच नदी प्रणाली (Kanhan-Pench River System):

- कन्हान नदी मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित एक बड़े क्षेत्र में बहने वाली वेनगंगा (Wainganga) नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है।
- महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली कन्हान नदी की लंबाई 275 किलोमीटर है।
- कन्हान नदी नागपुर शहर के लिये एक प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत है। पेंच नदी (Pench River) इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- पेंच नदी, कन्हान नदी के बांए तट की प्रमुख सहायक नदी है जबकि दांए तट की सहायक नदियों में जाम नदी, कोलार नदी, नाग नदी प्रमुख हैं।

हरिकेन हान्ना Hurricane Hanna

25 जुलाई, 2020 को हरिकेन हान्ना (Hurricane Hanna) संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया।

- गौरतलब है कि टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में COVID-19 के प्रमुख हॉटस्पॉट केंद्रों में से एक है।

प्रमुख बिंदु:

- हरिकेन हान्ना 90 मील प्रति घंटे तक की हवा की गति से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से टकराया। जिससे दक्षिणी टेक्सास एवं उत्तर-पूर्वी मैक्सिको के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है।

नोट :

- हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की पाँच श्रेणियाँ हैं। हरिकेन हान्ना श्रेणी एक के अंतर्गत आता है।
  - जब घूर्णन प्रणालियों (Rotating Systems) में हवाएँ 39 मील प्रति घंटे तक की गति से चलती हैं तो तूफान को 'उष्णकटिबंधीय तूफान' (Tropical Storm) कहा जाता है और जब वे 74 मील प्रति घंटे तक की गति से चलती हैं तो उष्णकटिबंधीय तूफान (Tropical Storm) को 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' (Tropical Cyclone) या हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एक नाम भी दिया जाता है।
- चक्रवातों को ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊँचे कपासीय स्तरी मेघों से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। चक्रवातों के स्थल पर पहुँचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है जिससे ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है।
- अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 'हरिकेन' कहा जाता है और जो प्रशांत महासागर के उत्तर-पश्चिम में बनते हैं उन्हें 'टाइफून' (Typhoons) कहा जाता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन ऊर्जा के रूप में गर्म, नम हवा का उपयोग करते हैं और इसलिये ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल पर बनते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है?

- वर्ष 1953 से अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफानों का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के 'नेशनल हरिकेन सेंटर' (NHC) द्वारा प्रस्तावित सूचियों के अनुसार रखा जाता था। किंतु वर्ष 1978 में यह निर्णय लिया गया था कि NHC, तीन वर्ष पहले (वर्ष 1975 में) ऑस्ट्रेलिया के 'ब्यूरो ऑफ मेटेरोलॉजी' द्वारा अपनाई गई पद्धति की तर्ज पर पुरुषों एवं महिलाओं के नामों का उपयोग करेगा।
  - ये नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा सुझाए एवं अपडेट किये जाते हैं। WMO 120 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्त्व करता है और विश्व के प्रत्येक महासागर बेसिन के लिये नामों की पूर्व-निर्धारित सूचियों का उपयोग करता है।
- मई 2020 में 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) ने घोषणा की थी कि वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 'सामान्य से ऊपर' हरिकेन की स्थिति बन सकती है। जिसका एक कारण कमज़ोर उष्णकटिबंधीय अटलांटिक व्यापारिक पवनों एवं विस्तृत पश्चिमी अफ्रीकी मानसून के साथ उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर एवं कैरेबियन सागर में समुद्री सतह का तापमान औसत से अधिक बढ़ जाना है।

  नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA):
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है जो महासागरों, प्रमुख जलमार्गों एवं वायुमंडलीय स्थितियों का विश्लेषण करती है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 4th Edition of Khelo India Youth Games

25 जुलाई, 2020 को केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री (Ministry of Youth Affairs and Sports) और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथे संस्करण (4th Edition of Khelo India Youth Games) की घोषणा करते हुए कहा कि इस संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा।
- आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रत्येक वर्ष जनवरी में आयोजित किये जाते हैं किंतु इस बार COVID-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है।
- पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी 'स्टार स्पोर्ट्स' खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक प्रसारण भागीदार होगा।

गौरतलब है कि हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीनों संस्करणों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि वर्ष 2019 (159 पदक) एवं वर्ष 2020 (200 पदक) में यह राज्य दूसरे स्थान पर रहा वहीं वर्ष 2018 में 102 पदक (38 स्वर्ण, 26 रजत, 38 कांस्य) जीत कर हरियाणा पहले स्थान पर था।

कश्मीरी केसर के लिये भौगोलिक संकेतक टैग
Geographical Indication Tag for Kashmiri Saffron

25 जुलाई, 2020 को भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिये भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) टैग का प्रमाण पत्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु:

- भौगोलिक संकेतक टैग मिलने से कश्मीर केसर निर्यात बाज़ार में अधिक प्रमुखता हासिल करेगा और इससे किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊँचाई पर उगाया जाता है। जो प्राकृतिक गहरे लाल रंग, तीक्ष्ण सुगंध, कड़वे स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले रंग की क्षमता जैसी अपनी अनूठी विशेषताओं से पहचाना जाता है।
- जम्मू एवं कश्मीर में करेवा, ज़ाफरान (केसर) की खेती के लिये प्रसिद्ध है।

करेवा (Karewa):

- कश्मीर घाटी एक अंडाकार बेसिन है जो 140 किमी लंबा और 40 किमी चौड़ा है।
- करेवा, कश्मीर घाटी एवं जम्मू डिविजन की भदरवाह घाटी (Bhadarwah Valley) में विस्तृत झील निक्षेप हैं।
- करेवा का निर्माण प्लाइस्टोसिन काल (1 मिलियन वर्ष पहले) के दौरान हुआ था जब पूरी कश्मीर घाटी जलमग्न थी।
- पीरपंजाल श्रेणी के उद्भव के कारण जल निकासी प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हुआ और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक झील का निर्माण हुआ।
- इसके बाद यह झील बारामुल्ला गार्ज के माध्यम से जल निकासी के कारण शुष्क हो गई और छोड़े गए निक्षेपों को 'करेवा' के रूप में जाना जाता है। करेवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है।

शार्क Shark

हाल ही में किये गए एक नए अध्ययन के अनुसार, दुनिया की 19% प्रवाल भित्तियों में शार्क (Shark) की अनुपस्थिति दर्ज की गई है जो अब तक दर्ज की गई शार्क की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन से पता चलता है कि मछलियों को अत्यधिक पकड़ना, घनी मानव आबादी एवं कमज़ोर शासन व्यवस्था के कारण आठ देशों से संबंधित तटीय जल निकाय से शार्क 'कार्यात्मक रूप से विलुप्त' हो गई है।
  - कनाडा के साइमन फ्रेज़र विश्वविद्यालय के संरक्षण जीवविज्ञानी बताते हैं कि यह अध्ययन एक 'टूर डी फोर्स' (Tour De Force) है अर्थात् एक प्रदर्शन या उपलब्धि जिसे बड़ी कुशलता के साथ पूरा या प्रबंधित किया गया है।
  - यह अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है जो शार्क की बहुतायत को देखने के लिये किया गया है।

ग्लोबल फिनप्रिंट (Global FinPrint):

- वर्ष 2015 में 'फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी' के समुद्री जीव विज्ञानियों ने ग्लोबल फिनप्रिंट (Global FinPrint) नामक एक बड़ी सहयोगात्मक परियोजना शुरू की।
- इस परियोजना का उद्देश्य एक मानकीकृत तरीके से विश्व की प्रवाल भित्तियों की सभी शार्क प्रजातियों जैसे- टाइगर शार्क एवं हैमरहेड्स (Hammerheads) शार्क का सर्वेक्षण करना था।
- विश्व स्तरीय सर्वेक्षण में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि 69 प्रवाल भित्तियों या लगभग 19% प्रवाल भित्तियों में शार्क मौज़ूदगी लगभग न के बराबर थी। दुनिया भर में बहामास शार्क की बहुतायत के लिये शीर्ष स्थान पर है जबकि गुआम अंतिम स्थान पर था।

बहामास:

- बहामास कैरेबियन सागर में वेस्टइंडीज के ल्युसयन द्वीपसमूह (Lucayan Archipelago) के अंतर्गत एक देश है।

गुआम:

- गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में माइक्रोनेशिया में एक अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र है।

हालाँकि 'ग्लोबल फिनप्रिंट' परियोजना समाप्त हो गई है किंतु शोधकर्त्ताओं ने शार्क की पारिस्थितिक भूमिका का अध्ययन करने के लिये संगृहीत डेटा का उपयोग करके शार्क की अनुपस्थिति में प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी प्रणाली का विश्लेषण करने की योजना बना रहे हैं।

साइक्लोस्पोरा Cyclospora

हाल ही में साइक्लोस्पोरा (Cyclospora) नामक बीमारी से संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 राज्यों में 640 से अधिक लोगों प्रभावित हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- माना जा रहा है कि साइक्लोस्पोरा (साइक्लोस्पोरियासिस) पैकेट वाले सलाद उत्पादों से संबंधित बीमारी है। पैक्ड सलाद में आइसबर्ग लेट्यूस, रेड गोभी एवं गाजर शामिल थे।
- यह रोग 'साइक्लोस्पोरा सायेटानेंसिस' (Cyclospora Cayetanensis) नामक सूक्ष्म एकल कोशिकीय परजीवी के कारण होता है।
- दूषित भोजन या जल जिसमें इस परजीवी की उपस्थिति होती है, के सेवन से लोगों में साइक्लोस्पोरा संक्रमण हो सकता हैं।
  - यह आंतों से संबंधित बीमारी है जो सूक्ष्म परजीवी साइक्लोस्पोरा सायेटानेंसिस के कारण होती है।
- उन देशों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोग जहाँ साइक्लोस्पोरिसिस संक्रमण का खतरा अधिक है वहाँ से अन्य क्षेत्रों में इस संक्रमण के फैलने की संभावना अधिक होती है।

लक्षण:

इस बीमारी में भूख न लगना एवं वजन में कमी, सूजन, मितली, निम्न-श्रेणी का बुखार, कमज़ोरी एवं दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

बीआईएस-केयर BIS-Care

27 जुलाई, 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिये भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल एप 'बीआईएस-केयर' (BIS-Care) और www.manakonline.in पर ई-बीआईएस (e-BIS) के तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- उपभोक्ता इस एप का उपयोग करके आईएसआई (Indian Standards Institute- ISI) चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यह एप दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में संचालित किया जा सकता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) की कार्यप्रणाली का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिये प्रमाणन एवं निगरानी है।
- ई-बीआईएस के कार्यान्वयन से बीआईएस (BIS) प्रवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है। ई-बीआईएस (e-BIS) एक एकीकृत पोर्टल है। जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
  - कारखानों के लिये बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना।
  - बाज़ार की निगरानी।

- मोबाइल एप आधारित विकास।
- AI-सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना।

- वर्तमान COVID-19 महामारी के दौरान बीआईएस ने कवर-ऑल एवं वेंटिलेटर के लिये COVID मानकों को भी विकसित किया और N-95 मास्क, सर्जिकल मास्क एवं आई प्रोटेक्टर्स (Eye Protectors) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानक जारी किये हैं।
- इससे आईएसआई-चिन्हित पीपीई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में आईएसआई-चिह्नित N95 मास्क के लिये दैनिक उत्पादन क्षमता दो लाख से बढ़कर चार लाख से अधिक हो गई है।

बीआईएस प्रयोगशाला:

- केवल 8 बीआईएस प्रयोगशालाओं में ही नहीं बल्कि हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू, भोपाल, रायपुर एवं लखनऊ जैसे कई ब्रांच ऑफिसों में पीने के पानी और स्वर्ण आभूषणों की परख के लिये सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं।
- नया अधिनियम ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिये और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे एवं समय पर व प्रभावी प्रशासन के लिये तंत्र स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिये, नियमों के माध्यम से कई उपाय प्रदान करता है।
  - ये नियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामानों एवं ई-कॉमर्स के सभी मॉडलों पर लागू होंगे जिनमें मार्केट प्लेस यानी बाज़ार (जैसे अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट) और इन्वेंट्री मॉडल (जहाँ ई-कॉमर्स इकाई के पास भी स्टॉक हैं) भी शामिल हैं।
  - ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों (मार्केट प्लेस एवं इन्वेंट्री मॉडल) और ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्केट प्लेस पर बेचने वालों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं।

डेयर टू ड्रीम 2.0 Dare to Dream 2.0

27 जुलाई, 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्य तिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता 'डेयर टू ड्रीम 2.0' (Dare to Dream 2.0) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के आह्वान के बाद देश में रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार हेतु व्यक्तियों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिये इस योजना की शुरुआत की है।
- 'डेयर टू ड्रीम 2.0' देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये एक नवाचार प्रतियोगिता है।
- एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिये जाएंगे।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस-2020 World Hepatitis Day-2020

प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस (World Hepatitis Day) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम 'गुम हुए लाखों लोगों को खोजना' (Find the Missing Millions) है।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस A, B, C, D, और E नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के कारण वार्षिक तौर पर लगभग 1.3 मिलियन मौतें होती हैं वहीं 300 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं किंतु वे अपने संक्रमण की स्थिति से अनजान हैं।
- वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना' (Eliminate Hepatitis by 2030) नामक अभियान शुरू किया था।
- स्क्रीनिंग एवं शुरुआती पहचान इस बीमारी से निपटने का एकमात्र तरीका है क्योंकि क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में लीवर की क्षति तब तक होती है जब तक कि यह लाइलाज कैंसर या लीवर सिरोसिस के चरण तक नहीं पहुँच जाती है। हालाँकि हेपेटाइटिस A एवं B वायरस के लिये टीकाकरण उपलब्ध है।

हेपेटाइटिस:

- 'हेपेटाइटिस' शब्द लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है अर्थात् किसी भी कारण से लीवर की कोशिकाओं में जलन या सूजन होना।
- यह आमतौर पर वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे 'हेपेटोट्रोपिक' (Hepatotropic) वायरस के रूप में जाना जाता है जिसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार A, B, C, D और E शामिल हैं।
- अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं जैसे कि वे जो मोनोन्यूक्लिओसिस (एपस्टीन बार वायरस- Epstein Barr Virus) या चिकन पॉक्स (वैरीसेला वायरस- Varicella Virus) का कारण बनते हैं।
- हेपेटाइटिस दवाओं एवं शराब के दुरुपयोग या वातावरण में विषाक्त पदार्थों के कारण लीवर की सूजन को भी संदर्भित करता है।
- इसके अलावा लोगों में अन्य कारणों से हेपेटाइटिस की बीमारी विकसित हो सकती है जैसे- लीवर में सूजन आ जाना 'फैटी लीवर हेपेटाइटिस' (Fatty Liver Hepatitis) या एनएएसएच (नॉनअल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस- Nonalcoholic Steatohepatitis) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर लीवर पर हमला करने वाले एंटीबॉडी बनाता है (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस)।

दूसरा एम्पैथी ई-कॉन्क्लेव (2nd Empathy e-Conclave):

- भारत में 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' के अवसर पर दूसरे एम्पैथी ई-कॉन्क्लेव (2nd Empathy e-Conclave) का आयोजन किया गया।

थीम:

- इस ई-कॉन्क्लेव की थीम 'COVID-19 के समय अपने लिवर को सुरक्षित रखना' जो विशेष रूप से कड़ी परीक्षा की इस घड़ी में बहुत उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण है।

अन्य बिंदु:

- भारत के संदर्भ में, वायरल B और C हेपेटाइटिस वाले व्यक्तियों में यकृत कैंसर एवं पुराने यकृत रोग का खतरा बढ़ जाता है फिर भी जटिल वायरल हेपेटाइटिस वाले अनुमानित 80% लोगों को यह नहीं पता होता है कि वे संक्रमित हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीअरी साइंसेज़ (Institute of Liver and Biliary Sciences- ILBS):

- ILBS नई दिल्ली में स्थित यकृत एवं पित्त रोगों के लिये एक मोनो-सुपरस्पेशलिटी अस्पताल है।
- इसे एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 'सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860' के तहत स्थापित किया गया है।
- ILBS विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का एक सहयोगी केंद्र भी है।
- इसने 'राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम' (National Viral Hepatitis Program) के विकास में मदद की है जिसे 28 जुलाई, 2018 को लॉन्च किया गया था।

- यह दुनिया में हेपेटाइटिस B एवं C के निदान और उपचार के लिये सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में ILBS में भारत के पहले प्लाज्मा बैंक ने कार्य करना शुरू किया है।

ब्लू पॉपी Blue Poppy

ब्लू पॉपी (Blue Poppy) जो हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊँ (उत्तराखंड) से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है, को हिमालयी 'फूलों की रानी' (Queen of Himalayan Flowers) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- ब्लू पॉपी (Blue Poppy) का वैज्ञानिक नाम 'मेकॉनोप्सिस एकुलेआटा' (Meconopsis Aculeata) है।

  जलवायु परिवर्तन और ब्लू पॉपी जैसी अन्य प्रजातियों के लिये संकट:
- हाल ही के एक अध्ययन पर आधारित 'बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (BSI) के एक प्रकाशन: 'पश्चिमी हिमालयी विविधता की पेरीग्लेशियल वनस्पति और जलवायु परिवर्तन भेद्यता' (Periglacial Flora of Western Himalayas Diversity And Climate Change Vulnerability) में कमज़ोर पेरीग्लेशियल (Periglacial) प्रजातियों एवं उनके जीवित रहने की रणनीतियों का विवरण दर्ज किया गया है।
  - इस प्रकाशन में 243 ऐसे पौधों को सूचीबद्ध किया गया है जो बहुत ऊँचाई पर संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं।
- हालाँकि विभिन्न ऊँचाई पर अल्पाइन मोराइंस (Alpine Moraines) में विभिन्न पौधों की प्रजातियों की प्रचुरता के हाल के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि यह प्रजाति (ब्लू पॉपी) कम ऊँचाई एवं चट्टानी मोराइंस में धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है।

मोराइन (Moraine):

- मोराइन किसी भी ग्लेशियल रूप से अनियोजित ग्लेशियल मलबे (रेज़ोलिथ एवं रॉक) का संचय है जो वर्तमान में एवं पूर्व में भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर ग्लेशियेटेड क्षेत्रों (Glaciated Regions) में होता है।
- उच्च अल्पाइन चट्टानी स्क्रीस (छोटे, ढीले पत्थर एवं चट्टान के टुकड़े) और पार्श्व पेरिग्लैसिअल मोराइन (Lateral Periglacial Moraine) इन प्रजातियों का मुख्य अधिग्रहण क्षेत्र हो गया है।
- न केवल ब्लू पॉपी बल्कि कई अन्य फूलों के पौधे जो बहुत अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण 'ऊँचाई की तरफ बढ़ो या मरो' की स्थिति का सामना कर रहे हैं।
  - सौस्सुरेआ (Saussurea) जीनस से संबंधित पौधे जैसे- लुप्तप्राय हिमकमल, सौस्सुरेआ ओब्वालाटा (Saussurea Obvallata) और सौस्सुरेआ ग्नैफ्लोइड्स (Saussurea Gnaphaloides) भी निवास स्थान के नुकसान एवं संख्या की कमी से जूझ रहे हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने यह भी दर्ज किया कि एक उच्च तुंगता वाला फूलों का पौधा 'सोल्मस-लौबाचिया हिमालायेंसिस' (Solms-Laubachia Himalayensis) अब 6,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाया जाता है।
- शोधकर्त्ताओं ने अत्यंत संवेदनशील पेरिग्लेशियल स्थानिक प्रजातियों की भी सूची दी है जो कमी के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। जिसमें कोरीडालिस विओलासिया (Corydalis Violacea), कोरीडालिस मेईफोलिआ (Corydalis Meifolia), वाल्ड्हेमिया वेस्टिटा (Waldheimia Vestita) शामिल हैं।
- इस BSI प्रकाशन में न केवल प्रमुख असुरक्षित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है बल्कि हिमालयन सॉरेल (रुमेक्स नेप्लेन्सिस- Rumex Nepalensis) जैसी जलवायु अनुकूल एवं प्रभुत्त्वशाली प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है।

मोबाइल एप 'मौसम' Mobile App 'Mausam'

27 जुलाई, 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री (Union Minister for Earth Sciences) ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के लिये MoES-नालेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (Knowledge Resource Centre Network- KRCNet) और मोबाइल एप 'मौसम' (Mausam) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदुः

- इस मोबाइल एप को 'अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान' (ICRISAT), 'भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान' (IITM), पुणे और 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
- यह मोबाइल एप 200 शहरों के लिये तापमान, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा सहित वर्तमान मौसम की जानकारी प्रदान करेगा। और यह जानकारी दिन में आठ बार अपडेट की जाएगी।
- यह लगभग 800 स्टेशनों एवं ज़िलों के लिये स्थानीय मौसम की घटनाओं एवं उनकी तीव्रता के लिये अब तीन-तीन घंटे की चेतावनी भी जारी करेगा।
- यह एप भारत के लगभग 450 शहरों के लिये अगले सात दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। पिछले 24 घंटों की मौसम संबंधित जानकारी भी इस एप पर उपलब्ध होगी।

MoES-नालेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (Knowledge Resource Centre Network- KRCNet):

- KRCNet भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से MoES एवं उसके विभिन्न संस्थानों में विकसित MoES-ज्ञान उत्पादों को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से एक्सेस करने के लिये विकसित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) का उद्देश्य विश्व स्तरीय ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क (Knowledge Resource Centre Network- KRCNet) विकसित करना है।
- इसके तहत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के पारंपरिक पुस्तकालयों को एक विशिष्ट नॉलेज रिसोर्स सेंटरों (Knowledge Resource Centres- KRCs) में अपग्रेड किया जाएगा।
    - सभी KRCs को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और KRCNet पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा।

नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व Nagarjunasagar-Srisailam Tiger Reserve

28 जुलाई, 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी 'भारत में बाघ, सह-शिकारी एवं शिकार की स्थिति' (Status of Tigers, Co-predators and Prey in India) पर नवीनतम रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (Nagarjunasagar-Srisailam Tiger Reserve- NSTR) में बाघों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिये शिकार की कमी है।

प्रमुख बिंदुः

- रिपोर्ट में बताया गया है कि नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व आंध्र प्रदेश में एकमात्र बाघ अभयारण्य है जिसके दक्षिणी भाग में 'गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य' (Gundla Brahmeswaram Sanctuary) और उत्तरी भाग में दोरनाला (Dornala) एवं श्रीशैलम (Srisailam) पर्वतमाला में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है।
    - गौरतलब है कि 'गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य' (Gundla Brahmeswaram Sanctuary) और दोरनाला (Dornala) एवं श्रीशैलम (Srisailam) पर्वतमाला, नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व के ही अंतर्गत स्थित हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक मानव दबाव कम नहीं होता नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व में शिकार एवं बाघों की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है।
    - सह-शिकारियों के संबंध में, इस बाघ रिज़र्व में जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियाँ, चित्तीदार बिल्लियाँ एवं तेंदुए विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत में हैं। रिज़र्व में बाघों के शिकार के लिये चूहे, हिरण, काला हिरण एवं चौसिंगा हैं।
- गौरतलब है कि इस बाघ रिज़र्व से होकर जाने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग रिज़र्व के अंदर बाघों के गलियारे को प्रभावित करते हैं जिससे बाघों को शिकार को देखने एवं पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है।

नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (NSTR):

- NSTR भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
- NSTR को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया।
- वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था।
- NSTR कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 ज़िलों में विस्तारित है।
- इसके अलावा बहुउद्देशीय जलाशय- श्रीशैलम और नागार्जुनसागर NSTR में ही अवस्थित हैं।
- NSTR विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थान है, यहाँ बंगाल टाइगर के अलावा, तेंदुआ, चित्तीदार बिल्ली, पेंगोलिन, मगर, इंडियन रॉक पायथन और पक्षियों की असंख्य किस्में पाई जाती हैं।

बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क योजना
Scheme for promotion of Bulk Drug Parks

हाल ही में केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क (Scheme for promotion of Bulk Drug Parks) के विकास के लिये दिशा-निर्देशों की घोषणा की है।

योजना के बारे में:

- इस योजना के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी के साथ अगले पाँच वर्षों में 3 बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  - अनुदान राशि उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिये परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के मामले में 70 प्रतिशत होगी।
- इन पार्कों में आम सुविधाएँ जैसे-सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि होंगी।

योजना का प्रभाव:

- इस योजना से देश में थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में कमी और थोक दवाओं के लिये अन्य देशों पर निर्भरता में कमी होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा दवा विनिर्माण से संबंधित सामान्य बुनियादी सुविधाएँ भी मज़बूत होंगी।

कार्यान्वयन:

- इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (State Implementing Agencies-SIA) द्वारा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा दवा उद्योग है, इसके बावजूद भी भारत दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिये काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
  - यहाँ तक कि कुछ बल्क ड्रग्स के निर्माण के लिये आयात निर्भरता 80 से 100% है।

नटेश मूर्ति Natesa of Rajasthan temple returns to India

वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई 'नटेश मूर्ति' को लगभग 22 वर्षों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है।

मूर्ति के बारे में:

- यह मूल रूप से राजस्थान के बाड़ौली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10 वीं शताब्दी की शिव की मूर्ति है।

नोट :

- यह लगभग 4 फीट की ऊँचाई के साथ प्रतिहार शैली में एक दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्ति है।
- इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दर्शाया गया है।

घटेश्वर मंदिर:

- घटेश्वर मंदिर बाड़ौली के मंदिर समूहों में से एक है।
- इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरुप को उत्कीर्ण किया गया है।
- यह मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है।
- अलंकृत मंदिर, तोरण द्वार, शिव का बलिष्ठ रूप आदि इसकी विशेषताएँ है।

प्रतिहार शैली:

- गुर्जर-प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था।
- राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसमें उसे गुर्जर-प्रतिहार अथवा महामारु कहा गया।
- इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडौर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया।
- इस प्रकार के मंदिरों में केकींद का नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर प्रमुख हैं।
- इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर-प्रतिहार रहे और बाद में चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया।

पम्पा नदी Pampa river sand removal nearing end

पम्पा/पम्बा नदी के तट से लगभग एक माह पहले शुरू हुई रेत हटाने का प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

पम्पा नदी के बारे में:

- पम्पा नदी केरल की पेरियार और भरतपुझा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
- इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है।
- केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है।
- इस नदी को 'दक्षिणा भागीरथी' और 'नदी बारिस' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह केरल में पश्चिमी घाट में पेरुमेदु पठार की पुलचिमलाई पहाड़ी से निकलती है।

माउस लेमूर Mouse Lemur

हाल ही में पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में माउस लेमूर (Mouse Lemur) की एक नई प्रजाति पाई गई है।

प्रमुख बिंदु:

- ये प्राणी मेडागास्कर के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
  - मेडागास्कर दुनिया की प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है।
- हाल ही में पाई गई प्रजाति दुनिया में सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है।
- इसकी लंबाई नाक से पूंछ तक लगभग 26 सेमी (10.2 इंच) है और इसका द्रव्यमान केवल 60 ग्राम है।
- इसे माइक्रोसेबस जोनाही (Microcebus Jonahi) का नाम दिया गया है।
- मेडागास्कर में सभी माउस लेमूर प्रजातियों का लगभग एक तिहाई (31%) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) श्रेणी में है।

वर्ग:

- यह छोटे शरीरवाला, सर्वभक्षी, निशाचर प्राइमेट, माइक्रोसेबस (Microcebus) वर्ग से संबंधित है।

नोट :

संकट:

- प्राकृतिक आवास को नुकसान और इनसे संबंधित क्षेत्र में भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन इनकी विलुप्ति का कारण बनते जा रहे हैं।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' (Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar) के लिये नामांकन आमंत्रित किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- व्यक्ति या संस्थान जिसने भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है वे अपना नामांकन 31 अगस्त, 2020 तक www.dmawards.ndma.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं।
- प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिये 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' की शुरूआत की है।
- इस पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण पत्र के साथ एक संस्थान के लिये 51 लाख रुपए एवं एक व्यक्ति के लिये 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- एक व्यक्ति पुरस्कार के लिये स्वयं आवेदन कर सकता है या अन्य व्यक्ति या संस्थान को नामित कर सकता है।
  - नामांकित व्यक्ति या संस्था को आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र जैसे- रोकथाम, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी में संलग्न होना चाहिये।

वक्फ बोर्ड Waqf Board

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ने घोषणा की है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिये एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतम 15 सदस्य शामिल होंगे।

प्रमुख बिंदु:

- इस ट्रस्ट को 'इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' (Indo Islamic Cultural Foundation) कहा जायेगा।

वक्फ (Waqf):

- धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति को वक्फ (Waqf) कहा जाता है।
- कानूनी रूप से, वक्फ (Waqf) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये किसी भी चल या अचल संपत्ति के इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी अर्पण है।
- एक वक्फ का निर्माण एक विलेख या उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है या एक संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि इसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये किया गया हो।
- एक गैर-मुस्लिम भी एक वक्फ बना सकता है किंतु व्यक्ति को इस्लाम को स्वीकार करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिये।
- प्रत्येक वक्फ को वक्फ अधिनियम, 1995 (Waqf Act, 1995) द्वारा शासित किया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जाँच, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेज़ों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है।
- वक्फ का प्रबंधन एक मुतावली (Mutawali) द्वारा किया जाता है जो एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एक ट्रस्ट के समान है, किंतु इसे धार्मिक एवं धर्मार्थ उपयोग की तुलना में व्यापक उद्देश्य के लिये स्थापित किया जाता है।
- स्थापित ट्रस्ट को वक्फ के विपरीत बोर्ड द्वारा भंग भी किया जा सकता है।

वक्फ बोर्ड (Waqf Board):

- यह संपत्ति प्राप्त करने एवं रखने और ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति रखने वाला एक न्यायिक व्यक्ति (Juristic Person) है।
- बोर्ड किसी पर मुकदमा कर सकता है और बोर्ड पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि इसे एक कानूनी संस्था या न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वक्फ बोर्ड की संरचना (Composition):

- प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या इससे अधिक होती है:-
  - अध्यक्ष
  - राज्य सरकार द्वारा नामित एक या दो सदस्य
  - मुस्लिम विधायक एवं सांसद
  - राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य
  - इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान
  - वक्फों के मुतावली

इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर
International Thermonuclear Experimental Reactor

14 वर्ष बाद 'इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर' (International Thermonuclear Experimental Reactor- ITER) ने अपने असेम्बलिंग फेज (Assembling Phase) में प्रवेश किया है।

- ITER एक प्रयोगात्मक टोकामक (Tokamak) परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रॉन्स में बनाया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग मेगाप्रोजेक्ट (International Nuclear Fusion Research and Engineering Megaproject) है, जो
- दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा।
- ITER का लक्ष्य संलयन ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिये वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है।
- यह परियोजना सात सदस्यों- यूरोपीय संघ, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त पोषण द्वारा चलाई जा रही है।
- ITER लगभग 500 मेगावाट की तापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा जो लगभग 200 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा के बराबर है।

नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion):

- नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक से एक एकल भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। संलयन द्वारा बनाया गया नाभिक पहले वाले नाभिक की तुलना में भारी होता है। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
  - संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों, ड्यूटेरियम (Deuterium– D) तथा ट्राइटियम (Tritium– T) के मध्य होने वाली अभिक्रिया है।
  - ड्यूटेरियम (Deuterium–D) एवं ट्राइटियम (Tritium–T) की संलयन अभिक्रिया में 'सबसे कम' तापमान पर सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।

टोकामक (Tokamak):

- टोकामक (Tokamak) संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिये तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है।
- इसके अंदर, परमाणुओं के संलयन से उत्पादित ऊर्जा को एक विशाल बर्तन में ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है।
- टोकामक को पहली बार 1960 के दशक के अंत में सोवियत संघ के एक अनुसंधान के दौरान विकसित किया गया था, इसके बाद में इसे चुंबकीय संलयन उपकरण की सबसे उत्कृष्ट तकनीक के रूप में पूरे विश्व द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
- ITER विश्व का सबसे बड़ा टोकामक होगा जो वर्तमान में कार्यरत सबसे बड़ी मशीन के आकार का दोगुना होगा तथा इसके प्लाज्मा चैंबर का आयतन दस गुना अधिक होगा।

अल्पाइन प्लांट Alpine Plant

वैज्ञानिकों ने पहली बार मनाली (हिमाचल प्रदेश) के रोहतांग क्षेत्र में कुछ दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों सहित अल्पाइन पौधों की लगभग 70 प्रजातियों की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- रोहतांग राजमार्ग सहित रोहतांग के आसपास का क्षेत्र जंगली औषधीय फूलों से आच्छादित है।
  - औषधीय जड़ी-बूटियों में पिकरोर्रिज़ा कुर्रोआ (Picrorhiza Kurroa), एकोनिटम हेटेरोफाइलम (Aconitum Heterophyllum), रहयूम इमोडी (Rheum Emodi), बेर्गेनिया स्ट्राचेई (Bergenia Stracheyi), अचिलिया मिल्लीफोलियम (Achillea Millefolium), रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन (Rhododendron Anthopogon) और एनीमोन ओब्टुसिलोबा (Anemone Obtusiloba) आदि शामिल हैं।
- दशकों से इस क्षेत्र में वनस्पतियों की प्रचुर वृद्धि देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वनस्पतियों की वृद्धि के प्रमुख कारण पर्यटकों के दबाव में कमी, सीमित वाहनों की आवाजाही एवं अन्य मानवजनित गतिविधियों में कमी है।
  - गौरतलब है कि पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के हस्तक्षेप तथा वर्तमान में COVID-19 महामारी के कारण रोहतांग क्षेत्र में पर्यटकों एवं वाहनों की आवाजाही में कमी आई है।
- ब्लू पॉपी जिसे 'हिमालयी फूलों की रानी' के रूप में जाना जाता है, रोहतांग के आसपास बहुतायत में पाया गया है।

अल्पाइन प्लांट:

- अल्पाइन पौधे वे पौधे हैं जो अल्पाइन जलवायु में बढ़ते हैं और अधिक ऊँचाई पर एवं ट्री लाइन (Tree Line) से ऊपर उगते हैं।
- अल्पाइन पौधे, अल्पाइन पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं जिसमें कम तापमान, सूखापन, पराबैंगनी विकिरण, वायु, सूखा, खराब पोषण वाली मिट्टी एवं एक प्रतिकूल मौसम शामिल हैं।
  - उल्लेखनीय है कि कुछ अल्पाइन पौधे, औषधीय पौधे होते हैं।

विविधि

'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना

देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board -SERB) द्वारा 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना (Accelerate Vigyan Scheme) की शुरुआत की गई है। यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि एक अंतर-मंत्रालयी (Inter-Ministerial) योजना के रूप में 'एक्सीलेरेट विज्ञान' योजना की शुरुआत यह मानते हुए की गई है कि अनुसंधान की गुणवत्ता उससे जुड़े प्रशिक्षित अनुसंधानकर्त्ताओं के विकास पर आधारित होती है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस योजना के तीन व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, संसाधनों/सुविधाओं से दूर अनुसंधान प्रशिक्षुओं के लिये स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और अवसरों का सृजन करना शामिल है। गौरतलब है कि विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड जल्द ही इस कार्यक्रम से संबंधित एक एप भी शुरू करेगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे आगामी पाँच वर्षों में करीब 25 हजार पोस्ट ग्रेजुएट (Postgraduate) एवं पीएचडी (PhD) छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctor's Day) मनाया जाता है, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिये उनका आभार व्यक्त करना है। ध्यातव्य है कि भारतीय समाज में चिकित्सकों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1991 में हुई थी, तभी से प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉ. बिधानचंद्र रॉय के सम्मान में किया जाता है। डॉ. बिधानचंद्र रॉय का जन्म 01 जुलाई, 1882 को हुआ था और संयोगवश उनकी मृत्यु भी 01 जुलाई 1962 को ही हुई थी। डॉ. बिधानचंद्र रॉय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। मौजूदा महामारी के दौर में विश्व भर में चिकित्सकों का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है, सभी चिकित्सक प्रथम पंक्ति में खड़े होकर कोरोना वायरस (COVID-19) के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।

नेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 01 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस (National Chartered Accountants Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) की भूमिका को रेखांकित करना है। इस दिवस का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India-ICAI) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन (Accounting Organization) है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना 01 जुलाई, 1949 को संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ध्यातव्य है कि ICAI भारत में वित्तीय ऑडिट (Financial Audit) और लेखा (Accounting) पेशे के लिये एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय है। एक पेशे के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) के इतिहास को ब्रिटिश काल से खोजा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया था, इसमें उन पुस्तकों की एक निर्धारित सूची थी, जिन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी को बनाए रखना अनिवार्य था। इसके अलावा, अधिनियम में एक ऑडिटर की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था, जिसके पास सभी पुस्तकों के निरीक्षण की शक्तियाँ थीं।

नोट :

प्लाज़्मा बैंक

हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायता के लिये एक प्लाज़्मा बैंक (Plasma Bank) स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, दिल्ली में स्थापित होने वाला यह प्लाज़्मा बैंक देश भर में अपनी तरह का पहला बैंक होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने COVID-19 से ठीक हो चुके मरीज़ों से प्लाज़्मा दान देने की भी अपील की है। इस संबंध में प्लाज़्मा दानकर्त्ताओं के लिये एक विशेष हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी। दिल्ली का यह प्लाज़्मा बैंक भी ब्लड बैंक (Blood Bank) की तरह ही कार्य करेगा और यहाँ COVID-19 संक्रमण से उबर चुके मरीज़ अपने प्लाज़्मा दान कर सकेंगे, वहीं वायरस से संक्रमित लोग यहाँ से प्लाज़्मा प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली, प्लाज्मा थेरेपी के साथ परीक्षण करने के लिये ICMR से मंज़ूरी प्राप्त करने वाले कुछ विशिष्ट राज्यों में से एक है। गौरतलब है कि इस इस पद्धति के अंतर्गत स्वस्थ हो चुके COVID-19 के रोगियों के शरीर से प्लाज़्मा को प्राप्त किया जाता है तथा रोगी के शरीर में इन्हें प्रविष्ट कराकर उसका उपचार किया जाता है। परीक्षण में पाया गया है कि यह उपचार गंभीर रोगियों पर उतना प्रभाव नहीं है, हालाँकि कम लक्षण वाले रोगियों पर इसकी प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है।

65 और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिये डाक मतपत्र

देश भर में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र (Postal Ballot) के लिये मतदाताओं की आयु सीमा में कटौती कर दी है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प मिलेगा। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के सुझावों पर नियमों में बदलाव करते हुए मंत्रालय ने एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर 'COVID-19 के संदिग्धों या संक्रमितों' को भी डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की है। गौरतलब है कि जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनावों का आयोजन होने वाला है और अनुमान के अनुसार, बिहार के मतदाताओं को इस संशोधित नियम का लाभ सबसे पहले प्राप्त होगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अक्तूबर 2019 में 'निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961' (Conduct of Election Rules, 1961) में संशोधन करते हुए और दिव्यांगों तथा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र से मतदान की अनुमति प्रदान की थी। देश के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होता है कि वह एक जीवंत लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिये देश की चुनाव प्रक्रिया में भाग ले, हालाँकि कभी-कभी किसी व्यक्ति विशिष्ट के लिये प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेना संभव नहीं हो पाता, इस कारणवश निर्वाचन आयोग ऐसे व्यक्ति को मतदान के लिये डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराता है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु

भारतीय नौसेना (Indian Navy) द्वारा 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' (Operation Samudra Setu) के लिये तैनात किये गए INS जलाश्व (INS Jalashwa) ने 01 जुलाई, 2020 को लगभग 687 भारतीय नागरिक के साथ तूतीकोरिन बंदरगाह (Tuticorin Port) में प्रवेश किया, जिसके साथ ही भारतीय नौसेना के जहाज़ों के माध्यम से ईरान से वापस लाए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 920 तक पहुँच गई है। भारतीय नौसेना के अनुसार, 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया के तहत COVID-19 से संबंधित समस्त सुरक्षा संबंधी उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस सफल निकासी के साथ ही भारतीय नौसेना अब तक महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कुल 3992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई है। यह संपूर्ण कार्य भारतीय नौसेना के 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' के तहत किया गया है। विदित हो कि 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' को भारतीय नौसेना द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु लॉन्च किया गया था। INS जलाश्व, नौसेना का सबसे बड़ा एम्फिबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है।

नाडा एप (NADA App)

नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (National Anti-Doping Agency-NADA) ने हाल ही में खिलाड़ियों को खेल, निषिद्ध पदार्थों और डोप-परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिये एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। यह एप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं एवं उनके प्रयोग से बचने की जानकारी प्रदान करेगा, इस एप के माध्यम से खिलाड़ी खेलों के विभिन्न पहलुओं खासकर प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न करने को लेकर जागरूक हो सकेंगे। इस एप को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री किरन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने कहा कि यह मोबाइल एप्लिकेशन स्वच्छ खेल अभ्यास की दिशा में एक 'महत्त्वपूर्ण कदम' है। सामान्य दवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के अलावा, यह एप खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल में डोपिंग से संबंधित नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में भी सूचित

नोट :

करेगा। इस एप के प्रयोग से खिलाड़ी स्वयं ही प्रतिबंधित पदार्थ का पता लगा सकते हैं और इस कार्य के लिये उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिये एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत वर्ष 2005 में की गई थी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts-IGNCA) देश भर में उन कलाकारों के कार्य को रेखांकित करने की योजना बना रहा है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान आम जनता के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौरान देश भर के विभिन्न कलाकारों ने आम लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए एक मूक COVID योद्धा (Silent COVID Warrior) के रूप में कार्य किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) की स्थापना वर्ष 1987 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कला के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षिक उद्यम तथा प्रचार-प्रसार करने वाली एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) कला, विशेष रूप से लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक स्रोत सामग्रियों के लिये एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह कला, मानविकी तथा संस्कृति से संबंधित अनुसंधान संचालित करने का कार्य भी करता है।

'ड्रीम केरल' प्रोजेक्ट

केरल सरकार कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण अपना रोज़गार खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों की क्षमता और अनुभव का लाभ प्राप्त करने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये 'ड्रीम केरल' (Dream Kerala) प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। यह निर्णय हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक अनुमान के अनुसार, केरल में लौटने वाले लगभग 52 प्रतिशत प्रवासी भारतीयों ने अपना रोज़गार खो दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों के मुताबिक लगभग 143,000 लोग मई माह से अब तक निकासी मिशन में विदेश से केरल वापस लाए गए हैं। गौरतलब है कि इस परियोजना का समन्वय केरल सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाएगा, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आगामी 100 दिन के भीतर परियोजना के सफल क्रियान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य में विदेशों और देश के अन्य हिस्सों से लौटने वाले लोगों लोगों में अधिकांश संख्या पेशेवरों की है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के लिये प्रसिद्ध हैं। इस परियोजना का उद्देश्य उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ-साथ भविष्य के लिये उनकी क्षमता का दोहन करना भी है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में प्रवासी भारतीयों द्वारा लगभग 85,000 करोड़ रुपए केरल में भेजे गए थे।

श्रीकांत माधव वैद्य

हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Indian Oil Corporation Limited-IOCL) के चेयरमैन (Chairman) का कार्यभार संभाल लिया है। श्रीकांत माधव वैद्य ने इस पद पर 30 जून, 2020 को सेवानिवृत्त हुए संजीव सिंह का स्थान लिया है। गौरतलब है कि श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IOCL) के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) और इंडियन आयलटैंकिंग लिमिटेड (IOT) के भी चेयरमैन होंगे। चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) इंडियन आयल (IOCL) की अनुषंगी (Subsidiary) कंपनी है जबकि इंडियन आयलटैंकिंग लिमिटेड (IOT) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इंडियन आयल (IOCL) का चेयरमैन नियुक्त होने से पूर्व श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन आयल (IOCL) कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (रिफाइनरी) के तौर पर कार्य कर रहे थे, जहाँ उनकी नियुक्ति अक्तूबर 2019 में की गई थी। राउरकेला (ओडिशा) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालाजी (National Institute of Technology, Rourkela) से कैमिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने वाले श्रीकांत माधव वैद्य को रिफाइनिंग और पेट्रोरसायन परिचालन के क्षेत्र में लगभग 34 वर्ष का व्यापक अनुभव है।

'ग्रेट इमिग्रेंट्स' सम्मान

COVID-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान देने हेतु पुलित्ज़र पुरस्कार (Pulitzer Prize) विजेता सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज चेट्टी समेत कुल 38 प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क (Carnegie Corporation of New York) द्वारा वर्ष 2020 के लिये 'ग्रेट इमिग्रेंट्स' (Great Immigrants) के रूप में

सम्मानित किया है। चिकित्सक और लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी का जन्म दिल्ली में हुआ था और वे प्रसिद्ध कैंसर विज्ञानी (Oncologist), जीवविज्ञानी और कई प्रख्यात पुस्तकों के लेखक हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में उनकी किताब के लिये उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार (Pulitzer Prize) से भी सम्मानित किया गया था, वर्तमान में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर राज चेट्टी का जन्म भी दिल्ली में हुआ था वर्तमान में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 04 जुलाई को अमेरिका के कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क (Carnegie Corporation of New York) द्वारा ऐसे प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को सम्मानित किया जाता है, जो अमेरिकी समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।

स्वामी विवेकानंद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda) को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को वर्तमान समय में काफी प्रासंगिक बताया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ था, और इन्हें बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता। कलकत्ता विश्वविद्यालय (Calcutta University) से स्नातक की डिग्री प्राप्त होने तक, उन्होंने विभिन्न विषयों, खासकर पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात वर्ष 1881 में ऐसे समय में हुई थी जब विवेकानंद एक आध्यात्मिक संकट के दौर से गुज़र रहे थे और भगवान या ईश्वर के अस्तित्त्व जैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के शुद्ध और निस्वार्थ भाव ने स्वामी विवेकानंद को काफी प्रभावित किया और दोनों के बीच एक आध्यात्मिक गुरु-शिष्य संबंध शुरू हो गया। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी। विश्व में भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हुआ। जनवरी 1897 में वे भारत वापस लौट आए, वापस लौटने के बाद 01 मई, 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जून 1899 में वह एक बार फिर पश्चिम की यात्रा पर गए, जहाँ उन्होंने अपना अधिकांश समय अमेरिका के पश्चिमी तट पर बिताया। वर्ष 1902 के शुरुआती महीनों में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 4 जुलाई, 1902 को उनके जीवन का अंत हो गया।

"विचार व्यक्तित्त्व की जननी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं"

- स्वामी विवेकानंद

ई-किसान धन

हाल ही में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने भारतीय किसानों के लिये 'ई-किसान धन' (e-Kisaan Dhan) एप लॉन्च किया है। गौरतलब है कि इस एप का प्रयोग करते हुए किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का एक साथ लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह एप किसानों को कृषि प्रथाओं (Agriculture Practice) से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह एप मंडी की कीमतों, कृषि से संबंधी नवीनतम खबरों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी और किसान टीवी जैसी सभी मूल्यवर्द्धित सेवाएँ प्रदान करेगा। इसके अलावा इस एप के उपयोगकर्त्ता ऋण प्राप्त करने, बैंक खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एप किसानों को पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं जैसे ऋण हेतु आवेदन करना, फिक्स्ड डिपॉज़िट (Fixed Deposits), आवर्ती जमा (Recurring Deposits) और बचत खातों के उपयोग आदि की सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान में यह एप केवल अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध है, किंतु एप निर्माताओं के अनुसार, यह एप जल्द ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

हाल ही में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही वर्ष 2028 तक देश को ओलिंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से जूनियर एथलीटों के लिये भी टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme-TOPS) की शुरुआत करेगी। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष (National Sports Development Fund- NSDF) के तहत हुई थी। इसका लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की

संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिये समर्थन तथा सहायता देना है। ऐसे खेल जिनमें भारत की ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना है, को उच्च प्राथमिकता वाले खेलों की सूची में रखा गया है, जो इस प्रकार हैं- (1) एथलेटिक्स, (2) बैडमिंटन, (3) हॉकी, (4) शूटिंग, (5) टेनिस, (6) भारोत्तोलन, (7) कुश्ती, (8) तीरंदाजी (9) मुक्केबाज़ी। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के अलावा अन्य खेलों को राष्ट्रीय खेल महासंघ (National Sports Federations- NSF) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ध्यातव्य है कि अब तक यह योजना केवल सीनियर एथलीटों तक ही सीमित थी, किंतु अब सरकार इस योजना का विस्तार जूनियर एथलीट तक करने पर विचार कर रही है।

नागरहोल नेशनल पार्क

वन विभाग जल्द ही नागरहोल नेशनल पार्क (Nagarahole National Park) से जुड़ी सड़कों और मैसूरु तथा कोडागु ज़िलों के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक निगरानी तंत्र (Traffic Monitoring Mechanism) स्थापित करेगा, ताकि मोटर चालकों द्वारा वन कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और इन क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। यह तंत्र सुनिश्चित करेगा कि मोटर चालक बीच रास्ते में अपनी गाड़ियाँ न रोकें और आस-पास की सड़कों पर कूड़ा न डालें, क्योंकि इनके कारण वन्यजीवों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह तंत्र यह भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि मोटर चालक अनावश्यक रूप से इधर-उधर न घूमें और अनुमति से अधिक गति पर गाड़ी न चलाएँ, क्योंकि इनके कारण अक्सर वन्यजीवों की मृत्यु हो जाती है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर ज़िले में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क भारत के पाँच प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, इसे पहले 'राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान उन विशिष्ट स्थानों में शामिल है, जहाँ एशियाई हाथी पाए जाते हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 06 जुलाई 2020 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान दिया और भारत की एकता को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 06 जुलाई, 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संभ्रांत (Elite) परिवार में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वर्ष 1921 में कलकत्ता से अंग्रेज़ी में स्नातक करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1923 में कलकत्ता से ही बंगाली भाषा और साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया था। कुलपति के तौर पर डॉ. मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही वह स्वर्णिम अवसर आया, जब रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाली में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और उन्ही के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा में जनभाषा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। मई 1953 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने को लेकर डॉ. मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज ' (Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge) का शुभारंभ किया है। इस चैलेंज का उद्देश्य ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय एप्स की पहचान करना है जो पहले से ही भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष में विश्व स्तर के एप्स बनने की क्षमता है। 'आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज' के माध्यम से भारत सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का निर्माण कर रही है, जहाँ भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को तकनीक आधारित समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, जो न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिये मददगार साबित होंगे। 'आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज' मुख्य रूप से 8 व्यापक श्रेणियों में शुरू किया गया है, जिसमें (1) कार्यालय उत्पादकता और 'वर्क फ्रॉम होम' (2) सोशल नेटवर्किंग (3) ई-लर्निंग (4) मनोरंजन (5) स्वास्थ्य और कल्याण (6) व्यवसाय (7) न्यूज़ (8) गेम्स। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एक बहुत ही जीवंत तकनीक और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है, जिसका प्रयोग तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किया जा सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत-चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार ने चीन समेत विश्व के कई अन्य देशों के कुल 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नोट :

'संस्कृत साप्ताहिकी' कार्यक्रम

भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio) ने हाल ही में संस्कृत में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम 'संस्कृत साप्ताहिकी' (Sanskrit Saptahiki) रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम का पुन: प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियाँ, संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषय शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल-वल्लरी और एक भारत-श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। सूक्ति खंड के तहत संस्कृत साहित्य के एक उद्धरण की व्याख्या की जाएगी। वहीं प्रसंग खंड के तहत कला, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषदों, वेदों, आदि से एक साप्ताहिक कहानी सुनाई जाएगी। अन्य खंडों में भी इसी प्रकार संस्कृत साहित्य और दर्शन से संबंधित सूचना प्रदान की जाएगी। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम संस्कृत प्रेमियों के लिये एक विशेष कार्यक्रम होगा।

महाराष्ट्र और यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन

हाल ही में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉरपोरेशन (The Maharashtra Industrial Development Corporation-MIDC) और यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल (UK-India Business Council-UKIBC) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा और ब्रिटेन स्थित व्यवसायों के साथ महाराष्ट्र सरकार के संबंधों को मज़बूत किया जाएगा। UKIBC व्यापार और बाज़ार तक पहुँच को आसान बनाने के लिये ब्रिटेन के व्यवसायों और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ब्रिटेन की लगभग 30 प्रतिशत कंपनियाँ भारत में परिचालन कर रही हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख औद्योगिक अवसंरचना विकास एजेंसी है और राज्य के सभी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती है। यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल (UKIBC) भारत में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिये आवश्यक अंतर्दृष्टि, नेटवर्क और सुविधाओं के संबंध में ब्रिटेन के व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है।

संजीवनी सेवा

हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित उन रोगियों के लिये 'संजीवनी वैन सेवा' (Sanjivani Van Seva) शुरू की, जो होम आइसोलेशन के तहत उपचार कर रहे हैं। संजीवनी वैन में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम होगी, जो कि प्रत्येक दिन संक्रमित लोगों के निवास स्थान पर जाएगी और होम आइसोलेशन में मौजूद रोगी की नियमित जाँच करेगी। वहीं पैरामेडिकल टीम के पास विटामिन-C और विटामिन-D की गोलियों समेत कई अन्य आवश्यक दवाएँ होंगी। अहमदाबाद के प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास अपनी एक संजीवनी वैन होगी। समग्र रूप से पूरे शहर में इस प्रकार की कुल 75 टीमों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में सूचना जारी करते हुए AMC ने कहा कि 'प्रत्येक टीम में कुल दो पैरामेडिकल स्टाफ होंगे और एक डॉक्टर के नेतृत्त्व में कुल 10 टीमें कार्य करेंगी।' गौरतलब है कि इससे पूर्व अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप का सामना कर रहे अहमदाबाद में संक्रमण पर काबू पाने के लिये धन्वंतरी रथ (Dhanvantari Rath) की शुरुआत की थी। धन्वंतरी रथ एक प्रकार का एंबुलेंस है जिसमें एक डॉक्टर, पैरामेडिकल व फार्मा स्टाफ तथा आवश्यक दवाएँ आदि उपलब्ध हैं। धन्वंतरी रथ की शुरुआत मुख्य रूप से सामान्य बुखार, सर्दी-खांसी के चलते अस्पताल पहुँचने वाले लोगों के लिये की है। ये रथ अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूम कर सामान्य बीमारी से प्रभावित लोगों का उपचार कर रहे हैं।

श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय

भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद के बीच हाल ही में नेपाल के इलाम ज़िले में 'श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय' के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें नेपाल के अधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और नेपाल में भारतीय दूतावास के सदस्य शामिल थे। विद्यालय के नए भवन का निर्माण कुल 3 करोड़ 11 लाख नेपाली रुपए (लगभग 1.94 करोड़ भारतीय रुपए) की लागत से किया गया है। इसमें कक्षाओं के लिये 10 कमरे, छात्रों के लिये छात्रावास ब्लॉक और चार अध्ययन कक्ष आदि शामिल हैं। नेपाल के इलाम ज़िले में इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण वर्ष 2009 में नेपाल-भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत 31.13 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से किया गया था। इस विद्यालय की शुरुआत एक प्राथमिक विद्यालय के तौर पर की गई थी, किंतु वर्ष 2014 में इसे माध्यमिक स्तर के स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि यह विद्यालय अपने छात्रों को संस्कृत में वैदिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की इसकी अद्वितीय योग्यता के लिये पहचाना जाता है।

'बलराम' योजना

हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिये 'बलराम' योजना की शुरुआत की है। यह योजना मुख्य तौर पर राज्य के भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे राज्य के तकरीबन 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के सहयोग से किया जाएगा, वहीं गाँव के कृषि कार्यकर्त्ता इस कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिये काश्तकारों को ऋण प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। बलराम योजना के तहत ऋण संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसके लिये किसानों के कुल 1,40,000 समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से 70,000 किसान संगठन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जबकि शेष समूहों को इस योजना का लाभ अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मिलेगा।

जी. आकाश

तमिलनाडु के जी. आकाश (G Akash) देश के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (International Chess Federation-FIDE) की हालिया बैठक में 23 वर्षीय जी. आकाश ग्रैंडमास्टर के खिताब की पुष्टि की गई। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के. विश्वेश्वरन (K Visweswaran) से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंडमास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) द्वारा प्रदान किया जाता है। एक बार यह खिताब प्राप्त करने के पश्चात् यह जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है, हालाँकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे खिलाड़ी से वापस लिया जा सकता है।

WHO से अलग होगा अमेरिका

अमेरिकी प्रशासन ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिये संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है, हालाँकि WHO से अमेरिकी प्रशासन की वापसी अगले वर्ष तक प्रभावी नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे रद्द किया जा सकता है। अमेरिका द्वारा इस संबंध में औपचारिक सूचना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) को भेजी गई है और यह 06 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगाने के पश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग (Funding) पर रोक लगाने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अपने दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रहा है और संगठन ने वायरस के बारे में चीन के 'दुष्प्रचार' को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवत: वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है। अमेरिका का मत है कि WHO यथासमय और पारदर्शी तरीके से वायरस से संबंधित सूचना एकत्र करने और उसे साझा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। ध्यातव्य है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का सबसे बड़ा दानकर्त्ता है और प्रतिवर्ष उसे 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक राशि प्रदान करता है। अमेरिका का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का सामना कर रहा है, और अमेरिका इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ऐसे परिदृश्य में अमेरिका का यह निर्णय महामारी से लड़ने में वैश्विक प्रयासों को कमज़ोर करेगा।

डॉ. बिष्णु प्रसाद नंदा

डॉ. बिष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवा) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व डॉ. बी. पी. नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में कार्यरत थे। डॉ. बी. पी. नंदा (B.P. Nanda) 14 नवंबर, 1984 को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल अस्पताल में भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा में शामिल हुए। इसके पश्चात् डॉ. नंदा को नागपुर मंडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा स्वास्थ्य इकाई में सहायक संभागीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें रांची के हटिया रेलवे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने तकरीबन 7 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद उन्हें भुवनेश्वर के मानचेस्वर रेलवे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें वर्ष 2018 में दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, गौरतलब है कि दक्षिणी रेलवे में कुल छह संभागीय अस्पताल शामिल हैं। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है जो रेलवे मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है। ज्ञात हो कि रेलवे बोर्ड का गठन वर्ष 1905 में रेल मंत्रालय की सहायता हेतु प्रमुख प्रशासन एवं कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। वर्तमान में वी. के यादव रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत है।

ओफेक-16

हाल ही में इज़राइल ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया, जो कि उसे अपने सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उच्च गुणवत्ता वाले निगरानी डेटा प्रदान करेगा। गौरतलब है कि इज़राइल बीते कई वर्षों से अपनी सेना की उन्नति के लिये कार्य कर रहा है और ईरान समेत उन विभिन्न दुश्मन देशों पर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है, जिनकी परमाणु क्षमता इज़राइल के लिये एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ओफेक-16 (Ofek 16) नामक यह निगरानी उपग्रह इज़राइल के 'शेविट' (Shavit) रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। गौरतलब है कि राज्य के स्वामित्व वाली इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (Israel Aerospace Industries) कंपनी इस परियोजना के लिये मुख्य कांट्रेक्टर थी और इस उपग्रह का पेलोड (Payload) इज़राइल की ही एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी एलबिट सिस्टम (Elbit Systems) द्वारा विकसित किया गया था। इज़राइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित मध्य-पूर्व (Middle East) का एक देश है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक

पूर्व IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास (Injeti Srinivas) को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centers Authority- IFSCA) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास को तीन वर्ष के लिये इस पद पर नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पूर्व वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय मे अपनी सेवा दे चुके हैं, वे कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटर (Corporate Affairs Secretary) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) का निर्माण इसी वर्ष अप्रैल माह में किया गया था। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना है। इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त कुल नौ सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और जिसके बाद इनकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है।

रयुतु दिनोत्सवम (किसान दिवस)

08 जुलाई, 2020 को आंध्रप्रदेश राज्य में रयुतु दिनोत्सवम (Rythu Dinotsavam) अथवा किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (YS Rajasekhara Reddy) की जयंती के उपलक्ष में किया जाता है। राज्य में इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2019 में किया गया था, जब राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में प्रत्येक वर्ष 08 जुलाई को रयुतु दिनोत्सवम अथवा किसान दिवस के रूप में मनाने को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया था। वाईएस राजशेखर रेड्डी का जन्म 08 जुलाई, 1949 को हुआ था और वे आंध्रप्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक इस पद पर रहकर अपनी सेवाएँ दी थीं। वाईएस राजशेखर रेड्डी अपने राजनैतिक कैरियर के दौरान कुल चार बार संसद सदस्य और कुल पाँच बार विधायक चुने गए। वाईएस राजशेखर रेड्डी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में किये गए विभिन्न सुधारों के लिये जाना जाता है, उन्होंने आंध्रप्रदेश के कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी परिवर्तनकारी प्रभाव डाला। आंध्रप्रदेश, भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित तकरीबन 49.67 मिलियन आबादी (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) वाला राज्य है। आंध्रप्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किमी है और राज्य में कुल 13 ज़िले हैं। ध्यातव्य है कि आंध्रप्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था।

हवा के माध्यम से भी संभव है COVID-19 का प्रसार: WHO

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हवा के माध्यम से कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की बात को स्वीकार किया है, इस संबंध में वैज्ञानिकों के एक वैश्विक समूह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से आग्रह किया कि वह इस दिशा में जल्द-से-जल्द वैश्विक समुदाय को अपडेट करे। इससे पूर्व WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस (COVID-19) जो कि श्वसन रोग का कारण बनता है, मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुँह से निकलने वाली छोटी बूंदों (Small Droplets) के माध्यम से फैलता है जो कि अधिक समय तक हवा में नहीं रहते हैं और जल्द ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। गौरतलब है कि चीन में कोरोना वायरस (COVID-19) का पहला मामला आने के बाद से अब तक 7 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, किंतु अभी भी इस वायरस के संबंध में ज़्यादा जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी है और दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वायरस किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और किस प्रकार इसे रोका जा सकता है। ध्यातव्य है कि हवा के माध्यम से प्रसारित होने कारण यह वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के लिये और भी खतरनाक हो गया है, विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को उचित उपकरणों जैसे- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) आदि के बिना कार्य नहीं करना चाहिये।

नोट :

सफलतापूर्वक पूरा हुआ 'ऑपरेशन समुद्र सेतु'

COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के प्रयासों के तहत 5 मई, 2020 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' (Operation Samudra Setu) का समापन हो गया है, ध्यातव्य है कि इस ऑपरेशन के तहत अब तक समुद्री मार्ग से कुल 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS जलाश्व, INS ऐरावत, INS शार्दुल तथा INS मगर ने हिस्सा लिया था, भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन लगभग 55 दिन तक चला और इस दौरान समुद्र में 23,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना इससे पूर्व वर्ष 2006 में ऑपरेशन सुकून (Operation Sukoon) और वर्ष 2015 में आपरेशन राहत (Operation Rahat) के तहत भी इस प्रकार के निकासी अभियान चला चुकी है। 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के अनुसार, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना सेना के लिये सबसे बड़ी चुनौती थी और इसे मद्देनज़र रखते हुए आवश्यक चिकित्सा/सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किये गए थे।

विश्व जनसंख्या दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लगातार बढ़ रही जनसंख्या को सीमित करना और आम लोगों को जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता एवं मातृत्त्व स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक बनाना है। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग काउंसिल द्वारा 11 जुलाई, 1989 को की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1987 में विश्व की जनसंख्या ने 5 बिलियन के आँकड़े को पार किया था। वर्ष 2020 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम मुख्यत: महिलाओं और लड़कियों पर केंद्रित है, क्योंकि कई अध्ययनों में सामने आया है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें जनसंख्या वृद्धि की वज़ह से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है। वर्तमान में चीन और भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, COVID-19 महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन इसके कारण सभी लोग समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं, कोरोना वायरस (COVID-19) और लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और लड़कियों पर देखने को मिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) के अनुसार, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् से अब तक लिंग-आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है।

म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से संबंधित 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की प्रमुख उषा थोराट होंगी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। इससे पूर्व वर्ष 2013 में गठित इस समिति में 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष SBI के पूर्व चेयरमैन जानकी बल्लभ थे। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है, जो इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिये अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। वह फंड के निवेशों का निर्धारण करता है और लाभ तथा हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे-नुकसान को निवेशकों में बाँट दिया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना है।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020

हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने नए व्यापारिक विचारों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कोई विशिष्ट स्टार्टअप नीति नहीं थी और एक स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये एक स्वतंत्र और व्यापक नीति

की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की इस नीति का उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप के विषय में भारत के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल करना है, इस नीति के तहत राज्य में कुल 100 इनक्यूबेटर स्थापित किये जाएंगे। साथ ही इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। संबंधी अधिसूचना के अनुसार, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में स्टार्टअप स्थापित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से राज्य में तकरीबन 50,000 लोगों के लिये प्रत्यक्ष और एक लाख लोगों के लिये अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

ई-वाणिज्य (E-commerce) कंपनी फ्लिपकार्ट (flipkart) ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को ई-वाणिज्य मंच पर लाना और बाज़ार तक पहुँच प्रदान करना है। इस समझौते के माध्यम से से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर के ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार और फ्लिपकार्ट समूह समाज के इन वंचित वर्गों के लिये व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे मेड इन इंडिया (Made In India) को लेकर हो रहे प्रयासों में भी तेज़ी आएगी। फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटक सरकार का यह समझौता राज्य के वाणिज्यिक और सामाजिक विकास में सहायक होगा। यह साझेदारी कर्नाटक के स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसायों को एक राष्ट्रीय उपभोक्ता आधार तक ले जाने में मदद करेगी।

अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी

हाल ही में अमेरिकी एविएशन कंपनी 'बोइंग' (Boeing) द्वारा भारतीय वायु सेना (Indian Air Force-IAF) को पाँच AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर (Apache Attack Helicopters) की अंतिम डिलीवरी कर दी गई है। गौरतलब है कि भारत ने 'बोइंग' कंपनी के साथ कुल 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था, जिसमें से 17 अपाचे हेलीकाप्टरों की आपूर्ति वायुसेना को पहले ही की जा चुकी है। भारत सरकार ने सितंबर, 2015 में 22 अपाचे हेलिकॉप्टर्स (Apache Helicopters) तथा 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों (Chinook Helicopters) के प्रोडक्शन तथा ट्रेनिंग के लिये अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग के साथ 3 बिलियन डॉलर का सौदा किया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों, हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों तथा रॉकेटों पर निशाना साधने के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare- EW) क्षमताएँ विद्यमान हैं। यह हेलीकॉप्टर अनेक हथियारों की डिलीवरी करने में भी सक्षम हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में फायर कंट्रोल रडार भी है, जो 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करता है और इसमें नाइट विज़न प्रणाली भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर का रख-रखाव करना भी काफी आसान है तथा यह उष्णकटिबंधीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में संचालन हेतु सक्षम है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में अपाचे हेलिकॉप्टर की आपूर्ति चीन के विरुद्ध एक मज़बूत घेराबंदी करने में मददगार साबित होगी। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच अपाचे को लेह हवाई अड्डे पर तैनात कर दिया गया है। चीन के साथ सीमा विवाद के चलते 22 अपाचे हेलीकाप्टरों में से एक बेड़े को असम के जोरहाट वायुसेना बेस पर तैनात किया गया है।

अखिल भारतीय बाघ आकलन का नया रिकॉर्ड

अखिल भारतीय बाघ आकलन, 2018 ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नवीनतम गणना के अनुसार, देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है। इसी के साथ भारत ने वर्ष 2010 में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। इस सर्वेक्षण के दौरान मोशन सेंसर्स के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण का प्रयोग किया गया था, जो कि किसी भी जानवर के आवागमन को रिकॉर्ड करते हैं। इस दौरान कैमरा ट्रैप उपकरणों को कुल 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर (46,848 वर्ग मील) के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। इन उपकरणों के माध्यम से वन्यजीवों की कुल 3,48,58,623 तस्वीरों को खींचा (जिनमें 76,651 बाघों के, 51,777 तेंदुए के; शेष अन्य जीव-जंतुओं के थे)।

ब्रिटेन में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत

ब्रिटेन सरकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (DIT) द्वारा जारी हालिया आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत, यूनाइटेड किंगडम (UK) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। DIT द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, अभी भी अमेरिका ब्रिटेन के लिये FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, अमेरिका से ब्रिटेन में कुल 462 परियोजनाओं में निवेश किया गया है, जिसके

कारण कुल 20,131 नौकरियाँ सृजित हुई हैं। वहीं भारत ने ब्रिटेन की कुल 120 परियोजनाओं में निवेश किया। ब्रिटेन में निवेश के संदर्भ में अमेरिका और भारत के पश्चात् फ्राँस, चीन और हॉन्गकॉन्ग का स्थान है। गौरतलब है कि इससे बीते वर्ष ब्रिटेन में भारत से कुल 106 परियोजनाओं में निवेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 4,858 नए रोज़गार सृजित हुए थे। भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) एक मज़बूत और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। अब भारत में ब्रिटेन के व्यवसायों की संख्या वर्ष 2000 से दोगुनी से अधिक हो गई है, और भारत में ब्रिटेन से निवेश आकर्षित करने वाले मुख्य क्षेत्रों में शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएँ, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल हैं।

मस्जिद में परिवर्तित हुआ हागिया सोफिया संग्रहालय

हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एरदोगन (Recep Erdoğan) ने औपचारिक तौर पर इस्तांबुल (Istanbul) के ऐतिहासिक हागिया सोफिया संग्रहालय (Hagia Sophia Museum) को मस्जिद में बदलने का आदेश पारित कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व तुर्की के शीर्ष न्यायालय ने हागिया सोफिया को मस्जिद में परिवर्तित करने के पक्ष में निर्णय देते हुए वर्ष 1934 में इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने के निर्णय को रद्द कर दिया था। इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइज़ेंटाइन साम्राज्य (Byzantine Empire) के शासक जस्टिनियन (Justinian) के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, उस समय इस शहर को कस्तुनतुनिया (Qustuntunia) के रूप में जाना जाता था। तकरीबन 1500 वर्ष पुराना यह ढाँचा (Structure) यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, गौरतलब है कि इस इमारत का निर्माण सर्वप्रथम एक गिरजाघर (Cathedral) के रूप में किया गया था, हालाँकि वर्ष 1453 में जब इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) के सुल्तान मेहमत द्वितीय (Sultan Mehmet II) ने कस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा किया, तो शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। साथ ही हागिया सोफिया को एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1934 में आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क (Mustafa Kemal Ataturk) ने तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रयासों के तहत मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। किंतु तुर्की के राष्ट्रवादी समूह बीते कई वर्षों से इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने की मांग कर रहे थे।

भारत की पहली ई-लोक अदालत

हाल ही में COVID -19 प्रकोप के कारण प्रतिबंधित न्यायिक कार्य के बीच छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन द्वारा किया गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 195 खंडपीठों का गठन किया गया और एक दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2270 मामलों का निपटारा किया गया। आँकड़ों के अनुसार, रायपुर में कुल मामलों में से सबसे अधिक 515 मामले सुलझाए गए। ध्यातव्य है कि ई-लोक अदालत की यह नवीन अवधारणा, न्यायिक प्रणाली के लिये खासतौर पर मौजूदा COVID-19 के समय में काफी मददगार साबित हो सकती है। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहाँ मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। हम कह सकते हैं कि मौजूदा लोक अदालतों की संकल्पना गांवों में लगने वाली पंचायतों पर आधारित हैं। लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिल कर किया जाता है। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मज़दूर विवाद, संपत्ति बँटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहाँ संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता है।

रोको-टोको अभियान

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को सीमित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने रोको-टोको अभियान (Roko -Toko Campaign) की शुरुआत की है, यह अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के लिये संचालित किया जा रहा है, जो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। अब इस अभियान के तहत राज्य के चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और उन लोगों से इस संबंध में प्रति मास्क 20 रुपए का शुल्क भी वसूला जाएगा। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ज़िला कलेक्टर इस कार्य के लिये ज़िले के स्वैच्छिक संगठनों का चयन करेगा। चयन करते समय स्वैच्छिक संगठन में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, विश्वसनीयता और दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ज़िला कलेक्टर ही इन स्वैच्छिक संगठनों को मास्क के वितरण के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएंगे। सभी चयनित संगठनों को 'जीवन शक्ति योजना' के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किये जाएंगे।

नोट :

आंद्रेज़ डूडा

हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में पोलैंड के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज़ डूडा (Andrzej Duda) लगातार दूसरी बार पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेज़ डूडा को चुनावों में कुल 50.21 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 48.79 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा है। पोलैंड की आबादी 38.5 मिलियन से अधिक है और लगभग 312,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। उल्लेखनीय है कि पोलैंड यूरोपियन यूनियन (EU) का छठा सबसे बड़ा देश है और यह वर्ष 2004 में इसमें शामिल हुआ है। भारत और पोलैंड ने वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किये थे, जिससे वर्ष 1957 में पोलैंड में भारतीय दूतावास के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों देशों की वैचारिक धारणाओं में काफी अधिक समानता है, जो कि मुख्य तौर पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध पर आधारित है।

भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार अमेरिका

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। संबंधित आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था, इस प्रकार बीते वर्ष के मुकाबले वर्ष 2019-20 में भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। गौरतलब है कि अमेरिका वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना था। आँकड़ों के अनुसार, चीन वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर वित्तीय वर्ष 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था। ध्यातव्य है कि बीते दिनों चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी देखने को मिली थी और वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह घटकर 48.66 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.56 बिलियन डॉलर था।

शुद्ध' UV सैनिटाइज़र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के शोधकर्त्ताओं ने कमरे को कीटाणुरहित करने के लिये 'शुद्ध' (SHUDH) अल्ट्रा वायलेट (UV) सैनिटाइज़िंग उपकरण विकसित किया है। इसका पूर्ण नाम 'स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर' (Smartphone operated Handy Ultraviolet Disinfection Helper-SHUDH) है। IIT-कानपुर के शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित यह डिवाइस मात्र 15 मिनट में 10×10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणुरहित करने में सक्षम है। एक एंड्रॉइड एप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन के ज़रिये इस उपकरण को चालू अथवा बंद किया जा सकता है और इसकी गति और स्थान को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध में 15 वाट की छह UV लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणुशोधन (Disinfection) के लिये एक अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्सन टॉवर (Ultra Violet Disinfection Tower) विकसित किया था। 'यूवी ब्लास्टर' (UV blaster) नाम का यह उपकरण एक अल्ट्रा वॉयलेट (UV) आधारित क्षेत्र सैनिटाइज़र (Sanitizer) है, इस उपकरण के माध्यम से 12x12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणुमुक्त किया जा सकता है।

विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्यत: युवाओं को रोज़गार तथा उद्यमिता के कौशल से युक्त करने के रणनीतिक महत्त्व को पहचानने के उद्देश्य से किया जाता है। यह दिवस वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के समाधान में कुशल युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। यूनेस्को (UNESCO) के अनुमान के अनुसार, विश्व के लगभग 70 प्रतिशत शिक्षार्थी शिक्षा के स्तर पर COVID-19 के कारण विद्यालय बंद होने से काफी अधिक प्रभावित हुए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर, 2014 को की गई थी। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों से आग्रह किया गया कि वे अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि ये युवा आगे चलकर बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। इस दिवस के अवसर पर सभी देशों में कौशल तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये कई तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, ताकि वे अपनी क्षमताओं और कौशल का विकास कर सकें और उससे रोज़गार के अलावा स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकें।

नोट :

एशिया कप टूर्नामेंट का स्थगन

एशिया में COVID-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद (Asian Cricket Council-ACC) ने इसी वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट (Asia Cup Tournament) को जून 2021 तक स्थगित कर दिया है। एशिया कप टूर्नामेंट के स्थगित होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council-ICC) भी इसी वर्ष अक्तूबर-नवंबर माह में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित करने की घोषणा पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि एशिया कप टूर्नामेंट 2020 के आयोजक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board-PCB) ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका के क्रिकेट प्रशासनिक निकाय श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket-SLC) के साथ टूर्नामेंट के लिये मेजबानी के अधिकारों का आदान-प्रदान किया है। इस व्यवस्था के माध्यम से श्रीलंका क्रिकेट (SLC) अब जून 2021 में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) वर्ष 2022 संस्करण की मेज़बानी करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) का गठन 19 सितंबर, 1983 को हुआ था और उस समय इसे एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस परिषद का उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में क्रिकेट के खेल को संगठित करना, उसे बढ़ावा देना और इसके विकास की दिशा में कार्य करना है।

हरियाणा में राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे (Economic Corridor) के तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल समारोह के माध्यम से शुभारंभ किया। इन राजमार्ग परियोजनाओं में 1183 करोड़ रुपए की लागत से NH 334B के रोहना/हसनगढ़ से झज्जर खंड तक 35.45 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का निर्माण, 857 करोड़ रुपए की लागत से NH 71 के पंजाब-हरियाणा सीमा से जींद खंड तक 70 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन में परिवर्तन और 200 करोड़ रुपए की लागत से NH 709 पर 85.36 किलोमीटर के 2 लेन का निर्माण करना आदि शामिल है। इन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं से बड़े शहरों में भीड़-भाड़ कम होगी और यात्रा में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। इससे चंडीगढ़ से दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, जबकि वर्तमान में 4 घंटे लगते हैं। परियोजनाओं से समय, ईंधन और लागत की बचत होगी, साथ ही राज्य के पिछड़े इलाकों में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

विश्व सर्प दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस (World Snake Day) के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यत: विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृपों और विश्व में इनके योगदान को जानने के लिये प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि सांप विश्व मंच मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांप की केवल कुछ ही प्रजातियाँ है जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सांप को काफी तीव्र शिकार करने वाले जीव के रूप में जाना जाता है, जिससे यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सांप अपनी विविधता और अपनी बनावट के कारण भी काफी आकर्षक होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में सांप पाए जाते हैं, ये समुद्र, जंगल, रेगिस्तान और कभी-कभी हमारे निवास स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, और कई अन्य कारकों के कारण सांपों के प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें जबरन मानवीय स्थानों पर आने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। आवश्यक है कि सामूहिक रूप से सांपों के संरक्षण के लिये प्रयास किये जाएँ।

अशोक लवासा

भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक (ADB) के मौजूदा उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालाँकि अशोक लवासा ने अभी तक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्हें कुल 3 वर्षों के लिये ADB के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा 1980 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं और वे 31 अक्तूबर, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अशोक लवासा ने 23 जनवरी, 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था, और उनका कार्यकाल वर्ष 2022 तक चलने वाला था। इससे पहले वर्ष 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नगेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन्हें हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice-ICJ) में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।

नोट :

भारत में निवेश करेगा गूगल

दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के CEO सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने भारत में डिजिटल परिवर्तन लाने और ऑनलाइन शिक्षा तथा छोटे व्यवसायों/स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिये आगामी 5-7 वर्षों में भारत में लगभग 10 बिलियन डॉलर अर्थात 75000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल के अनुसार, 10 बिलियन डॉलर का यह निवेश मुख्य तौर पर भारत में इंटरनेट तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने, प्रत्येक भारतीय को अपनी भाषा में जानकारी प्रदान करने; उपभोक्ता तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने; डिजिटल रूप से परिवर्तन करने के लिये व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों को सशक्त बनाने; डिजिटल साक्षरता के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा। इससे पूर्व भी गूगल ने विभिन्न माध्यमों से भारत में कई स्टार्टअप्स और उपक्रमों में निवेश किया है। गौरतलब है कि 1 जनवरी, 2010 और 13 जुलाई, 2020 के बीच गूगल ने वैश्विक स्तर पर 900 से अधिक कंपनियों में निवेश किया है।

एनाबिन डेटाबेस

जर्मनी ने भारत के सभी राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थानों (National Institute of Design-NID) को एनाबिन डेटाबेस (Anabin Database) में शामिल कर लिया है, जिसका अर्थ है कि अब राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (NID) के विद्यार्थी जर्मनी में वर्क परमिट के लिये आसानी से आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि जर्मनी ने विदेशी शिक्षा के लिये एक केंद्रीय कार्यालय खोला है, जो जर्मनी में विदेशी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिये एकमात्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इस प्राधिकरण ने अपने कार्य के लिये एनाबिन (Anabin) नामक एक डेटाबेस तैयार किया है जो जर्मन डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में विदेशी डिग्रियों और उच्च शिक्षा योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है। जर्मनी में विदेशी विश्वविद्यालय-स्तर की योग्यता की पहचान अक्सर जर्मन वर्क वीज़ा, जॉब सीकर्स वीज़ा या जर्मन ब्लू कार्ड हासिल करने के लिये एक आवश्यक शर्त होती है। वीज़ा आवेदन की सफलता अक्सर इस प्रमाण पर निर्भर करती है कि जर्मनी के बाहर अर्जित विश्वविद्यालय-स्तरीय योग्यता को समकक्ष जर्मन की किस डिप्लोमा अथवा डिग्री के बराबर माना जाता है। भारत में कुल पाँच NID हैं, जिसमें NID अहमदाबाद, NID आंध्र प्रदेश, NID हरियाणा, NID असम और NID मध्य प्रदेश शामिल हैं। गौरतलब है कि NID अहमदाबाद को वर्ष 2015 में एनाबिन डेटाबेस में शामिल किया गया था और शेष चार NIDs को अब डेटाबेस में शामिल कर लिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वाँ स्थापना दिवस

16 जुलाई, 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) ने अपना 92वाँ स्थापना दिवस मनाया, इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनकी बदौलत ICAR ने बीते 9 दशकों के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 में रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए की गई थी। स्थापना के समय इस संस्था का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (Imperial Council of Agricultural Research) था, जिसे बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह परिषद देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देश भर के 102 ICAR संस्थान व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह संस्थान विश्व में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR ने हरित क्रांति को बढ़ावा देने और इस क्रम में शोध एवं तकनीक विकास के माध्यम से भारत में कृषि के विकास में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने कृषि में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने में प्रमुख भूमिका अदा की है। ध्यातव्य है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (ICAR) प्रत्येक वर्ष संस्थानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और कृषि पत्रकारों को मान्यता और पुरस्कार भी प्रदान करता है।

बिहार विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र

हाल ही में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा लागू नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले आम चुनावों और निकट भविष्य में होने वाले उप-चुनावों में 65 वर्ष से

अधिक आयु के मतदाताओं के लिये डाक मतपत्र (Postal Ballot) की सुविधा बढ़ाने के लिये अधिसूचना को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं, आवश्यक सेवाओं में लगे हुए मतदाताओं और COVID-19 से संक्रमित मतदाताओं, क्वारंटाइन (घर/संस्थागत) मतदाताओं को वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व मौजूदा COVID-19 की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संवेदनशीलता और उपस्थिति को कम करने और COVID-19 से संक्रमित मतदाताओं और क्वारंटाइन के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के लिये वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधाओं का विस्तार करने की सिफारिश की थी, ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित न हो सकें। हालाँकि अब आयोग ने संसाधनों की कमी के मद्देनज़र बिहार में 65 और उससे अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित अधिसूचना जारी न करने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि बिहार में चुनाव आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को 1000 तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पश्चात् राज्य द्वारा लगभग 34,000 अतिरिक्त मतदान केंद्रों (45 प्रतिशत से अधिक) का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 1,06,000 हो जाएगी। इससे बिहार में अधिक संख्या में वाहनों की आवश्यकता के साथ-साथ 1.8 लाख अधिक मतदानकर्मियों और अन्य अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिये दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र (Footwear Training Center) का आज उद्घाटन किया है। दिल्ली स्थित इस फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिये चमड़ा कारीगरों को 2 माह का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया कराएगा। गौरतलब है कि यह प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षित कारीगरों को सफलतापूर्वक दो माह की ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात् अपना स्वयं का जूता बनाने का व्यवसाय शुरू करने में भी मदद करेगा। प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों को भविष्य में अपने कार्य को पूरा करने के लिये 5000 रुपए की एक टूल किट भी प्रदान की जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए चमड़े के कारीगरों को 'चर्म चिकित्सक' अर्थात् चमड़े के डॉक्टर के रूप में संबोधित किया। ध्यातव्य है कि अब फुटवियर, फैशन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जूता बनाना अब एक सिर्फ एक कार्य नहीं रह गया है।

'कोरोश्योर' (Corosure)

हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- दिल्ली (IIT-D) द्वारा विकसित कम लागत वाली COVID-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए दावे के अनुसार, 'कोरोश्योर' (Corosure) नाम की यह COVID-19 परीक्षण किट विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- दिल्ली (IIT-D) द्वारा विकसित इस परीक्षण किट का बेस प्राइस 399 रुपए है, जबकि अन्य लागतों को जोड़ने पर भी इसकी कीमत 650 रुपए से अधिक नहीं होगी। इस आधार पर यह किट बाज़ार में मौजूद सभी किटों की अपेक्षा सबसे सस्ती है। IIT-दिल्ली की यह COVID-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। यह परीक्षण किट देश भर की सभी अधिकृत टेस्टिंग लैब्स में प्रयोग के लिये उपलब्ध होगी, उल्लेखनीय है कि इस किट को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। देश भर में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सस्ते और विश्वसनीय परीक्षण की काफी अधिक आवश्यकता है।

यू तिरोट सिंग सियाम

17 जुलाई, 2020 को मेघालय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले खासी शासक और स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंग सियाम (U Tirot Sing Syiem) की 185वीं पुण्यतिथि पर शिलांग में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 'यू तिरोट सिंग सियाम' न केवल मेघालय के, बल्कि संपूर्ण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। ध्यातव्य है कि यू तिरोट सिंग सियाम एक खासी प्रमुख और देश के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे नोंगखलाव (Nongkhlaw) के शासक थे, जो कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में एक क्षेत्र है। वर्ष 1829 में ब्रिटिश सरकार ने यू तिरोट सिंग सियाम से खासी पहाड़ियों में सड़क निर्माण के संबंध में अनुमति मांगी और इसके बदले में उन्हें क्षेत्र में मुक्त व्यापार जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करने का वादा किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किये, जिसके परिणामस्वरूप यू तिरोट सिंग सियाम ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र से वापस चले जाने का आदेश दे दिया, पर जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया तो अंततः 4 अप्रैल, 1829 को यू तिरोट सिंग सियाम के नेतृत्त्व में खासी सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें दो ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जवाबी करवाई की और यू तिरोट सिंग सियाम की सेना ब्रिटिश सेना की

आधुनिक सैन्य क्षमता के समक्ष ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी, किंतु इसके बावजूद यू तिरोट सिंग सियाम और उनके सैनिकों ने लगभग चार वर्ष तक ब्रिटिश सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जनवरी 1833 में यू तिरोट सिंग सियाम को ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सुनवाई के बाद उन्हें ढाका (बांग्लादेश) की जेल भेज दिया गया, जहाँ 17 जुलाई, 1835 को उनकी मृत्यु हो गई।

पीएम स्वनिधि एप

रेहड़ी-पटरी तथा फेरी लगाने वाले दुकानदारों को आसानी से लघु ऋण की सुविधा देने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का मोबाइल एप जारी किया गया है। पीएम स्वनिधि मोबाइल एप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों के लिये ऋण आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक सरल पहुँच प्रदान करना है। इस मोबाइल एप के माध्यम से योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी और लघु ऋण तक छोटे दुकानदारों की पहुँच आसान होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु की गई थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, योजना की शुरुआत से अब तक कुल 154,000 से अधिक छोटे दुकानदार कार्यशील पूंजी ऋण के लिये आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 48 हज़ार से अधिक दुकानदारों का ऋण मंज़ूर हो चुका है।

जयगाँव-पसाखा व्यापार मार्ग

हाल ही में भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगाँव (भारत) और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया। यह नया व्यापार मार्ग मौजूदा COVID-19 महामारी के दौर में दोनों देशों के संबंधों खास तौर पर व्यापार संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस नए मार्ग के खुलने से पहले से मौजूदा मार्ग पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। गौरतलब है कि भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1968 में थिम्पू (Thimphu) में भारत के प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ हुई थी, हालाँकि वर्ष 1949 में ही दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे। भारत-भूटान व्यापार और पारगमन समझौता, 1972 (India-Bhutan Trade and Transit Agreement,1972) दोनों देशों के मध्य मुक्त-व्यापार प्रणाली की स्थापना करता है, इस समझौते को अंतिम बार वर्ष 2016 में नवीनीकृत किया गया था। ध्यातव्य है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कुल 9228 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें भारत से भूटान को होने वाला निर्यात 6011 करोड़ रुपए तथा भूटान से भारत को होने वाला निर्यात 3217 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था।

साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत-इज़राइल समझौता

हाल ही में भारत और इज़राइल ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण तेज़ी से हो रहे डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर सहयोग को मज़बूत करने और साइबर खतरों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के दायरे को विस्तृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समझौते के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर वार्ता, क्षमता निर्माण में सहयोग और साइबर सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिये एक रूपरेखा निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के दौरान साइबर सुरक्षा को सहयोग के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था और अगले वर्ष इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच इस विषय को लेकर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गए थे। वर्ष 2018 के समझौते को दोनों देशों के साइबर सुरक्षा संबंधों का आधार माना जाता है, जबकि हालिया समझौता इस दिशा में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्लाज़्मा दान अभियान

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS) अस्पताल में 'प्लाज़्मा दान अभियान' की शुरुआत की है। इस अभियान की सह-आयोजक दिल्ली पुलिस है और इस दौरान दिल्ली पुलिस के COVID-19 से स्वस्थ हुए 26 पुलिसकर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से प्लाज़्मा दान भी किया। गौरतलब है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में COVID-19 महामारी के प्रसार रोकने को रोकने में सभी पुलिसकर्मियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ध्यातव्य है कि

दिल्ली में इस महामारी से लड़ते हुए 12 से अधिक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है। गौरतलब है कि COVID-19 से ठीक हुए रोगियों से प्राप्त प्लाज़्मा कोरोना वायरस (COVID-19) के लिये सुरक्षात्मक एंटीबॉडी होती है। जब इसे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तब यह COVID-19 के रोगियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकता है। इसके संभावित लाभ को ध्यान में रखते हुए, प्लाज़्मा थैरेपी उन रोगियों को प्रदान की जाती है जो पारंपरिक उपचार से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो COVID-19 से ठीक हो चुका है, और उपचार या होम आइसोलेशन के बाद 28 दिन पूरा कर चुका है, वह अपने रक्त प्लाज़्मा को दान कर सकता है। ध्यातव्य है कि प्लाज़्मा दान की प्रक्रिया 1-3 घंटे में पूरी हो जाती है और उसी दिन प्लाज़्मा को एकत्रित किया जा सकता है।

सी. एस. शेषाद्रि

हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ सी. एस. शेषाद्रि (C.S. Seshadri) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस अवसर पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ''प्रोफेसर सी. एस. शेषाद्रि के निधन से हमने एक महान बुद्धिजीवी को खो दिया है, जिन्होंने गणित में शानदार कार्य किये।' सी. एस. शेषाद्रि का जन्म 29 फरवरी, 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। वर्ष 1953 में गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1958 में पीएचडी (PhD) की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) से अपने कैरियर की शुरुआत की। वर्ष 1984 में वे चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज़ (Institute of Mathematical Sciences) में शामिल हो गए, जिसके बाद वर्ष 1989 में उन्हें SPIC साइंस फाउंडेशन के तहत 'स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स' शुरू करने का अवसर मिला, जो कि आगे चलकर चेन्नई गणित संस्थान (CMI) के रूप में विकसित हुआ है। CMI एक ऐसे अनूठे संस्थान के रूप में उभरा जो स्नातक स्तर की शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करने का प्रयास रहा है। प्रो. शेषाद्रि को बीजीय ज्यामिति (Algebraic Geometry) में उनके कार्य के लिये काफी सराहना मिली और उन्हें विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और वर्ष 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

'मेडिकैब' (MediCAB)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (IIT-M) द्वारा समर्थित एक स्टार्ट-अप ने 'मेडिकैब' (MediCAB) नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे चार लोगों द्वारा मात्र दो घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। 'मेडिकैब' (MediCAB) को हाल ही में केरल के वायनाड ज़िले में लॉन्च किया गया है, जहाँ इसका प्रयोग COVID-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु किया जाएगा। 'मेडिकैब' (MediCAB) में कुल चार प्रकार के ज़ोन बने हुए हैं, इसमें एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम और एक दो-बेड वाला ICU शामिल हैं। यह पोर्टेबल अस्पताल इकाई परिवहन की दृष्टि से भी काफी किफायती है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह पोर्टेबल अस्पताल इकाई मौजूदा समय में महामारी से लड़ने में काफी मददगार साबित हो सकती है, साथ ही यह आने वाले समय में भारत की चिकित्सा अवसंरचना को मज़बूत करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि मौजूदा COVID-19 महामारी ने भारत समेत विश्व के विभिन्न देशों में आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना की कमी को उजागर किया है और देश में आम लोगों को बुनियादी चिकित्सीय सुविधाएँ भी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में आवश्यक है कि इस चुनौती से निपटने के लिये नवीनतम तकनीक पर ज़ोर दिया जाए।

तापमान में कमी के साथ COVID-19 के मामलों में भी वृद्धि

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- भुवनेश्वर (IIT-Bhubaneswar) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-भुवनेश्वर (AIIMS-Bhubaneswar) द्वारा किये गए संयुक्त शोध के अनुसार, सर्दियों के दौरान तापमान में गिरावट कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार में लाभदायक साबित हो सकती है। दोनों संस्थानों द्वारा किये गए शोध के अनुसार, सतह पर हवा का तापमान COVID-19 महामारी और इसके प्रसार से काफी निकटता से संबंधित है। शोध में सामने आया है कि कम तापमान और उच्च आर्द्रता वायरस के प्रसार में लाभदायक हैं, जबकि तापमान में वृद्धि से COVID-19 के मामलों में कमी देखने को मिलती है। गौरतलब है कि इस शोध के दौरान मुख्य तौर पर शोधकर्त्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 और तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता तथा सौर विकिरण जैसे पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंधों का निरीक्षण करने का प्रयास किया था। इस शोध से स्पष्ट है कि मानसून के बाद सर्दियों में तापमान में कमी आने के साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के लिये नियंत्रण उपायों को लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' होगा। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा लोगों के दरवाजे पर सम्मानपूर्वक राशन पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूँ लिया जाएगा और उसे पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और उसे लोगों के घर-घर तक पहुँचाया जाएगा। जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की योजना दिल्ली में लागू कर दी जाएगी। लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि जो परिवार दुकान पर जाकर राशन लेना चाहेगा, वह दुकान पर जाकर ले सकता है और यदि कोई होम डिलीवरी चाहता है तो वह उसका विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं।

ज़ोरम मेगा फूड पार्क

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिज़ोरम के कोलासिब में ज़ोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया। लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले फूड पार्क से प्रत्यक्ष तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। उत्तर–पूर्व विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज़ोरम मेगा फूड पार्क के उद्घाटन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिचौलियों को दूर कर क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने क्षेत्र में किसी प्रसंस्करण इकाई के अभाव में लगभग 40 प्रतिशत फलों की बर्बादी का उल्लेख करते हुए कहा कि समृद्ध और उच्च किस्म के फलों को भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों में शुद्ध पैकेज्ड जूस के रूप में बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी समृद्ध खेती और बागवानी उत्पादों के कारण दुनिया का जैविक केंद्र बनने की क्षमता है।

आध्यात्मिक त्रिकोण 'महेश्वर, मांडु और ओंकारेश्वर'

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत आध्यात्मिक त्रिकोण 'महेश्वर, मांडु और ओंकारेश्वर' पर 42वें वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर, मांडु और ओंकारेश्वर के आध्यात्मिक त्रिकोण के तहत आने वाले गंतव्यों के मनोहारी प्राकृतिक छटाओं की समृद्धि का प्रदर्शन किया गया और इस तरह दर्शकों को इन मनोरम स्थानों से परिचित कराया गया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है और यह वर्चुअल मंच के माध्यम से लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार कर रहा है। इस आध्यात्मिक त्रिकोण का पहला पड़ाव महेश्वर या महिष्मती है जो ऐतिहासिक महत्व के साथ मध्य प्रदेश के शांत और मनोरम स्थलों में से एक है। इस शहर का नाम शहर का नाम भगवान शिव/महेश्वर के नाम पर पड़ा है जिसका उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ओंकारेश्वर में 33 देवता हैं और दिव्य रूप में 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं और यह नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर इंदौर से 78 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक आध्यात्मिक शहर है। मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित मांडू को मांडवगढ़, शादियाबाद (आनंद का शहर) के नाम से भी जाना जाता है। मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिये जाना जाता है।

लालजी टंडन

हाल ही में मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिये याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन ने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1960 में की थी। वर्ष 1978 से 1984 और वर्ष 1990 से 96 तक लालजी टंडन दो बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन जुलाई 2019 में मध्यप्रदेश के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएँ दी थी।

वेस्ट टू एनर्जी' पहल

उत्तराखंड सरकार ने 'वेस्ट टू एनर्जी' नाम से एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर नीति का एक मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पहल की आगे की रणनीति तय की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है।

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UEPPCB) के अनुसार, राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और राज्य में प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिये लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। बीते माह UEPPCB ने आगामी वाले वर्षों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये राज्य ईंधन नीति को भी मंज़ूरी दी थी, जिसमें आगामी कुछ वर्षों में ईंधन के रूप में पेट्रोलियम कोक (Petroleum Coke) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल था, जिसका वायु प्रदूषण पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है। इससे पूर्व इसी वर्ष जनवरी माह में देहरादून शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के निर्धारित मानकों से लगभग 11 गुना अधिक प्रदूषित पाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस (International Chess Day) के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (International Chess Federation-FIDE) के स्थापना दिवस के रूप में किया जाता है। हाल ही में 20 जुलाई, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) की 96वीं वर्षगांठ मनाई गई। दुनिया भर में खेले जाने वाले शतरंज को हमारे युग के सबसे पुराने खेलों में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) की स्थापना 20 जुलाई, 1924 को पेरिस (फ्राँस) में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, 1966 को उसी दिन FIDE के स्थापना दिवस के रूप में शुरू हुआ। गौरतलब है कि वर्ष 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) को एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

करंजा सौर ऊर्जा संयंत्र

हाल ही में वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने पश्चिमी नौसेना कमान के लिये दो मेगावाट क्षमता वाले पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का ई-उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की स्थापना नौसेना स्टेशन करंजा में की गई है और इस क्षेत्र के लिये यह सबसे बड़े सौर उर्जा संयंत्रों में से एक है। इस सौर उर्जा संयंत्र में 100 प्रतिशत स्वदेशी रूप से विकसित किये गए सौर पैनल, ट्रैकिंग टेबल और इनवर्टर लगे हुए हैं। यह संयंत्र कंप्यूटरीकृत निगरानी और नियंत्रण के साथ-साथ, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ग्रिड के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना की यह परियोजना नौसेना स्टेशन में बिजली आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मणिपुर जलापूर्ति परियोजना

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के लिये एक जलापूर्ति परियोजना (Water Supply Project) की आधारशिला रखी है। गौरतलब है कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 शहरों और 1700 गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना को न केवल वर्तमान बल्कि आगामी 20-22 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस परियोजना से न केवल लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस संबंध जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में एक अहम कदम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, और उन्हें एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्र भारत की नींव रखने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है, गौरतलब है कि उन्होंने आम लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की चेतना जागृत करने तथा उन्हें एकजुट करने के लिये अपनी भविष्य उन्मुखी सोच के तहत 'होमरूल लीग' की भी स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों

(मराठा और केसरी) में लिखते थे। 1 अगस्त, 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा था। वहीं भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के एक गाँव में हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए। 27 फरवरी, 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क) में चारों ओर घिरने के पश्चात् उन्होंने स्वयं गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी।

ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश

अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन (Houston) में अपना वाणिज्य दूतावास (Consulate) बंद करने का आदेश दिया है, इस आदेश के बाद विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। ध्यातव्य है कि अमेरिका-चीन के संबंध लगातार लगभग सभी मोर्चों पर बिगड़ते जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका के इस हालिया निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि यदि अमेरिका जल्द ही अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेता है तो चीन भी कुछ कड़े कदम उठाने के लिये मजबूर होगा। ध्यातव्य है कि अमेरिका में चीन के कुल 6 वाणिज्यिक दूतावास हैं, जिसमें से एक को बंद करने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम 'अमेरिकी बौद्धिक संपदा' और अमेरिका की गुप्त जानकारी की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। विदित हो कि चीन और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है, जिसमें व्यापार, तकनीक, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी, हॉन्गकॉन्ग और उइगर मुस्लिमों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। वहीं इससे पूर्व अमेरिका और चीन दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए थे।

मधु बाबू पेंशन योजना

हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सदस्यों को भी मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के इस हालिया निर्णय के माध्यम से राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लगभग 5000 लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ओडिशा सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर अपनी उम्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह प्रतिमाह प्राप्त करने के पात्र होंगे। सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, लाभार्थियों के पास अनिवार्य प्रमाणपत्र होना चाहिये, साथ यह भी अनिवार्य है कि लाभार्थी की आय प्रति वर्ष 40,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होगा, जो राज्य में आयकर का भुगतान करते हैं, अथवा जो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं।

मणिपुर जलापूर्ति परियोजना

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के लिये एक जलापूर्ति परियोजना (Water Supply Project) की आधारशिला रखी है। गौरतलब है कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 शहरों और 1700 गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना को न केवल वर्तमान बल्कि आगामी 20-22 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस परियोजना से न केवल लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस संबंध जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में एक अहम कदम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की थी, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, और उन्हें एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्र भारत की नींव रखने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है, गौरतलब है कि उन्होंने आम लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की चेतना जागृत करने तथा उन्हें एकजुट करने के लिये अपनी भविष्य उन्मुखी सोच के तहत 'होमरूल लीग' की

नोट :

भी स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों (मराठा और केसरी) में लिखते थे। 1 अगस्त, 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा था। वहीं भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के एक गाँव में हुआ था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए। 27 फरवरी, 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क) में चारों ओर घिरने के पश्चात् उन्होंने स्वयं गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी।

ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश

अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन (Houston) में अपना वाणिज्य दूतावास (Consulate) बंद करने का आदेश दिया है, इस आदेश के बाद विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। ध्यातव्य है कि अमेरिका-चीन के संबंध लगातार लगभग सभी मोर्चों पर बिगड़ते जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका के इस हालिया निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि यदि अमेरिका जल्द ही अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेता है तो चीन भी कुछ कड़े कदम उठाने के लिये मजबूर होगा। ध्यातव्य है कि अमेरिका में चीन के कुल 6 वाणिज्यिक दूतावास हैं, जिसमें से एक को बंद करने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम 'अमेरिकी बौद्धिक संपदा' और अमेरिका की गुप्त जानकारी की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। विदित हो कि चीन और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है, जिसमें व्यापार, तकनीक, कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी, हॉन्गकॉन्ग और उईगर मुस्लिमों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। वहीं इससे पूर्व अमेरिका और चीन दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए थे।

मधु बाबू पेंशन योजना

हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सभी सदस्यों को भी मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के इस हालिया निर्णय के माध्यम से राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लगभग 5000 लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ओडिशा सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर अपनी उम्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह प्रतिमाह प्राप्त करने के पात्र होंगे। सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, लाभार्थियों के पास अनिवार्य प्रमाणपत्र होना चाहिये, साथ यह भी अनिवार्य है कि लाभार्थी की आय प्रति वर्ष 40,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होगा, जो राज्य में आयकर का भुगतान करते हैं, अथवा जो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं।

रंजन गोगोई: विदेश मामलों की स्थाई समिति के सदस्य

हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को राज्यसभा में विदेश मामलों की स्थाई समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा (H. D. Deve Gowda) को रेलवे संबंधी समिति में शामिल किया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानव संसाधन विकास से संबंधित संसदीय समिति में शामिल किया गया है। राज्यसभा की स्थाई समिति के नए सदस्यों के नामों की घोषणा कुल 61 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 45 सदस्यों द्वारा राज्यसभा में शपथ लेने के एक दिन बाद सभापति वेंकैया नायडू द्वारा की गई, जबकि शेष 16 सदस्य अपनी संबंधित समिति की बैठक में शपथ लेने के बाद शामिल हो सकेंगे। गौरतलब है कि संसद में कार्य की बेहद अधिकता को देखते हुए वहाँ प्रस्तुत सभी विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं हो पाता, अत: संसदीय समितियों का प्रयोग एक मंच के रूप में किया जाता है, जहाँ प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है। समितियों की चर्चाएँ 'बंद दरवाज़ों के भीतर' होती हैं और उसके सदस्य अपने दल के सिद्धांतों से भी बंधे नहीं होते, जिसके कारण वे किसी विषय विशेष पर खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। आमतौर पर संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं: (1) स्थायी समितियाँ और (2) अस्थायी समितियाँ या तदर्थ समितियाँ। इसके अलावा कुछ विभागीय समितियाँ भी होती हैं, जिनमें अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, इनमें से 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जा सकता है।

अमला शंकर

24 जुलाई, 2020 को प्रसिद्ध नृत्यांगना अमला शंकर (Amala Shankar) का 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। अमला शंकर का जन्म 27 जून, 1919 को जसोर (वर्तमान बांग्लादेश में स्थित) में अविभाजित बंगाल में हुआ था, अमला शंकर ने 1930 के दशक में नृत्य करना सीखा था, जब वे पहली बार फ्राँस में वर्ष 1930 में अपने गुरु और भावी पति उदय शंकर (Uday Shankar) से मिली थीं। ध्यातव्य है कि उदय शंकर भी एक प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते थे। जल्द ही वे उदय शंकर की नृत्य मंडली में शामिल हो गईं और दुनिया भर में अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करने लगीं और इस तरह उनके जीवन की एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई। विदित हो कि अमला शंकर ने अपना पहला स्टेज प्रदर्शन वर्ष 1931 में बेल्जियम में किया था। कला के क्षेत्र में अमला शंकर के योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2011 में बंगाल सरकार ने बंगा विभूषण (Banga Vibhushan) से सम्मानित किया था, वहीं वर्ष 2012 में उन्हें नृत्य में उनके योगदान के लिये संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, गौरतलब है कि इसी ही के दिन वर्ष 1927 में पहली बार मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रोडकास्टिंग कंपनी (Indian Broadcasting Company) के नाम से एक निजी कंपनी ने देश में रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में रेडियो और प्रसारण (Broadcasting) की एक लंबी परंपरा है, जिसका इतिहास भारतीय आज़ादी से भी पुराना है। इस अवसर पर प्रसार भारती (Prasar Bharati) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशि शेखर ने कहा कि प्रसारण ने बीते कई दशकों में भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक माध्यम के रूप में प्रसारण (Broadcasting) भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक सशक्त उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि ज्ञान, सूचना और मनोरंजन के एक प्रभावी तथा विश्वसनीय माध्यम के रूप में रेडियो ने भी भारतीय संस्कृति और परंपरा के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले में लगातार वृद्धि के बीच झारखंड मंत्रिमंडल ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश (Jharkhand Contagious Disease Ordinance) को मंज़ूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के इस नए अध्यादेश में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम संबंधी उपायों का उल्लंघन करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास तक की सज़ा दी जाएगी। इस अध्यादेश के लागू होने के पश्चात् सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन न करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग न करने, दफ्तरों और दुकानों के लिये जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ध्यातव्य है कि झारखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जहाँ अनिवार्य रूप से मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया गया है। झारखंड के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों और शहरों ने भी इस संबंध में जुर्माने का प्रावधान किया है। इन राज्यों और शहरों में- केरल, अहमदाबाद, हरियाणा, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ और बिहार आदि शामिल हैं।

आनंदीबेन पटेल

मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। इस समय वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभल रही हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों 21 जुलाई, 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश का यह महत्त्वपूर्ण पद रिक्त हो गया था। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर, 1941 को गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हुआ था, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1987 में की थी, इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर रहीं। वर्ष 1994 में आनंदीबेन पटेल को गुजरात से राज्यसभा के लिये चुना गया, इस दौरान उन्होंने वर्ष 1994-95 में बीजिंग (चीन) में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन (World Women's Conference) में भाग लिया, जहाँ उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्त्व किया। वर्ष 1998 में वे पहली बार मांडल विधानसभा क्षेत्र (अहमदाबाद) से चुनकर विधायक बनीं। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1998 से वर्ष 2002 तक शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएँ दीं। गौरतलब है कि आनंदीबेन पटेल 22 मई, 2014 से 7 अगस्त, 2016 तक गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही। इसके पश्चात् उन्हें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और अंततः उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

नोट :

भारतीय एयरलाइनों को अमेरिका से अनुमति की आवश्यकता नहीं

भारत की ओर से अमेरिका के लिये शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी अपने आदेश को अमेरिकी प्रशासन ने वापस ले लिया है। बीते महीने जारी इस आदेश में अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि अमेरिका के लिये कोई भी उड़ान शुरू करने से पूर्व भारतीय एयरलाइनों को उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये उड़ानें भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिये शुरू की गई थीं। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने इस आदेश को प्रभावी होने से पूर्व ही वापस ले लिया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने भारत सरकार की ओर से दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के निर्णय के बाद यह कदम उठाया है। हाल ही में नागरिक उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका, फ्राँस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिये द्विपक्षीय विमान सेवाएँ शुरू किये जाने की घोषणा की थी। ध्यातव्य है कि विश्व में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों को देखते हुए भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों ने सुरक्षा के मद्देनज़र सभी प्रकार के यात्रा प्रतिबंध लगा दिये थे।

रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग

भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग (Radio-Frequency Identification Tags-RFID Tags) लगाने की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, रेल के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन टैग्स का उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा रेल के डिब्बों को ट्रैक करने के लिये किया जाएगा। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब तक लगभग 23000 रेल के डिब्बों को इस परियोजना के तहत कवर किया जा चुका है। वर्तमान में रेलवे द्वारा इस प्रकार के आँकड़ों और डेटा का संग्रहण मैन्युअल रूप से किया जाता है, जिसके कारण त्रुटियों की संभावना सबसे अधिक रहती है। इस प्रकार रेल के सभी डिब्बों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) उपकरणों का उपयोग करने से भारतीय रेलवे के लिये ट्रेन की सही स्थिति जानना काफी आसान हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) उपकरणों की शुरुआत के माध्यम से रेल के डिब्बों, लोकोमोटिव और कोचों की कमी के मुद्दे को और अधिक पारदर्शी माध्यम से संबोधित करने में मदद मिलेगी।

अरुण कुमार

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (International Union of Railways) के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म (Security Platform) का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इस प्रकार अब वैश्विक रेल नीति निर्माण में अरुण कुमार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अरुण कुमार को कुल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिये इस पद पर नियुक्त किया गया है और वे जून 2022 तक इस पद पर कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (International Union of Railways) एक वैश्विक पेशेवर संघ है, यह दुनिया भर में रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और रेल परिवहन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 17 अक्तूबर, 1922 को 29 देशों के मात्र 51 सदस्यों के साथ हुई थी और वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश इस वैश्विक पेशेवर संघ के सदस्य हैं। गौरतलब है कि भारत भी इस संघ का एक सक्रिय सदस्य है। एक वैश्विक संघ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का लक्ष्य विश्व स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना और गतिशीलता एवं सतत् विकास की वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों को पूरा करना है।

विजय दिवस

26 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगाँठ मनाई गई है। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और उनके वेश में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों के कब्ज़े वाले सभी भारतीय क्षेत्रों पर जीत प्राप्त की थी। कारगिल युद्ध को 'ऑपरेशन विजय' के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 60 दिनों तक चला तथा 26 जुलाई, 1999 को समाप्त हुआ था। यह दिवस 'ऑपरेशन विजय' की सफलता की याद दिलाता है, जिसे वर्ष 1999 में कारगिल-द्रास सेक्टर (Kargil-Dras Sector) में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्ज़ा किये गए भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिये लॉन्च किया गया था। ध्यातव्य है कि इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुर्गम बाधाओं, दुश्मन के इलाकों, विपरीत मौसम एवं अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के बहुत से जवान शहीद और घायल हुए थे। राष्ट्र सदैव उन वीर जवानों को याद करेगा जिन्होंने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन कर देश के लिये लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

नोट :

दृष्टिबाधित लोगों के लिये मार्गदर्शन उपकरण

इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने एक विशिष्ट उपकरण डिज़ाइन किया है जो कि उन दृष्टिबाधित लोगों की सहायता करेगा, जो एक वास्तविक जानवर को अपने घर में रखने में असमर्थ हैं। छात्र द्वारा डिज़ाइन किया गया यह उत्पाद दृष्टिबाधित लोगों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के साथ-साथ वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके गंतव्यों के लिये त्वरित एवं सुरक्षित मार्गों की पहचान भी करेगा। छात्र ने इस मार्गदर्शक उपकरण को 'Theia' नाम दिया है, यह एक पोर्टेबल उपकरण है, जो कि घर के बाहर और घर के अंदर काफी कम इनपुट के साथ उपयोगकर्त्ताओं का मार्गदर्शन कर सकता है। इस उपकरण को वास्तविक समय संबंधी डेटा जैसे कि रोड पर मौजूद पैदल यात्री एवं कारें और मौसम आदि के उपयोग की विशेषता के आधार पर डिज़ाइन किया गया है और यह उपयोगकर्त्ताओं को सही एवं सुरक्षित रूप से उनके गंतव्यों तक पहुँचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

स्वालबार्ड द्वीपसमूह

हाल ही में नॉर्वे (Norway) के स्वालबार्ड द्वीपसमूह (Svalbard Archipelago) में तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। उल्लेखनीय है कि स्वालबार्ड (Svalbard) की लॉन्गइयरबायन (Longyearbyen) बस्ती में तापमान का लगभग 41 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बीते वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक द्वीप के क्षेत्र कहीं अधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि और इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने से और अधिक हिमस्खलन और भू-स्खलन की घटनाएँ देखी जा सकती हैं। ध्यातव्य है कि लगातार बढ़ते तापमान से आर्कटिक के वन्यजीवों जैसे कि ध्रुवीय भालू आदि के लिये भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो कि मुख्य तौर पर समुद्री बर्फ के आवरण पर निर्भर करते हैं। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में एक नॉर्वेजियन द्वीपसमूह है। उत्तरी ध्रुव से लगभग 1,300 किलोमीटर (800 मील) दूर स्थित लॉन्गइयरबायन बस्ती, स्वालबार्ड द्वीपसमूह की सबसे मुख्य बस्ती मानी जाती है और यहाँ लगभग 2000 लोग निवास करते हैं।

क्यूआर कोड-आधारित टिकट जाँच प्रणाली

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच मानव-से-मानव (Human-To- Human) संपर्क को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे अखिल भारतीय स्तर पर नवीन क्यूआर कोड-आधारित (QR Code-Based) संपर्क रहित टिकट जाँच प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि क्यूआर कोड-आधारित टिकट जाँच की यह नवीनतम प्रणाली उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराग डिवीजन द्वारा विकसित की गई है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, नवीनतम प्रणाली के तहत आरक्षित टिकट बुकिंग करने पर यात्री के मोबाइल नंबर पर URL या क्यूआर कोड वाला एक संदेश भेजा जाएगा। स्टेशन में प्रवेश करने या टिकट की जाँच के दौरान, यात्री क्यूआर कोड या URL पर क्लिक करेगा और आरक्षित टिकट का क्यूआर कोड यात्री के मोबाइल पर प्रदर्शित होगा, जिसके बाद टिकट परीक्षक द्वारा क्यूआर कोड की जाँच की जाएगी। ध्यातव्य है कि रेलवे बोर्ड ने ज़ोनल रेलवे को इस संपर्क रहित टिकट जाँच और स्कैनिंग प्रणाली के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये टिकट चेकिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है।

रोज़गार बाज़ार

देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 'रोज़गार बाज़ार' (Rozgar Bazaar) नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'इस जॉब पोर्टल के माध्यम से श्रमिक काफी आसानी से अपनी पसंद की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वहीं व्यापारियों को यह पोर्टल आसानी से कुशल कामगारों की खोज करने में सहायता करेगा।' गौरतलब है कि अपनी पसंद की नौकरी प्राप्त करने के लिये श्रमिक को सर्वप्रथम इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके बाद वे फोन या व्हाट्सअप के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी प्रदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। विदित हो कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लगभग सभी व्यापार और व्यवसाय खुलने लगे है और अब श्रमिक तथा नौकरी देने वाले दोनों मौजूद है। इस प्रकार दिल्ली सरकार की यह वेबसाइट न केवल नौकरी करने के इच्छुक कुशल एवं अकुशल लोगों तथा नौकरी प्रदान करने वाले लोगों के बीच एक सेतु के रूप में कर करेगा, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में मददगार साबित होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, लॉन्च होने के शुरुआती घंटों में 'रोज़गार बाज़ार' पर उपयोगकर्त्ताओं की काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई और इस दौरान नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक लगभग 51,403 लोगों ने पंजीकरण किया और नियोक्ताओं ने कुल 18,585 रिक्तियों की सूचना दी।

प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का निधन

28 जुलाई, 2020 को बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम (Kumkum) का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गौरतलब है कि कुमकुम ने बॉलीवुड की 100 से अधिक फिल्मों और कई प्रसिद्ध गीतों में अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुमकुम को मुख्य तौर पर मदर इंडिया (वर्ष 1957), सन ऑफ इंडिया (वर्ष 1962), कोहिनूर (वर्ष 1960) और नया दौर (वर्ष 1957) आदि में उनकी उम्दा अदाकारी के लिये याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने वर्ष 1963 में बनी भारत की पहली भोजपुरी फिल्म में भी अभिनय किया था। अभिनेत्री कुमकुम ने अपने दौर के कई प्रमुख अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ कार्य किया था, जिनमें किशोर कुमार और गुरु दत्त जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं का नाम शामिल है। कुमकुम ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1954 में फिल्म 'आर पार' के एक प्रसिद्ध गीत के साथ की थी।

मालदीव स्थापन दिवस

26 जुलाई, 2020 को मालदीव ने अपना 55वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद को बधाई दी है। गौरतलब है कि भारत ने वर्तमान कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौर में मालदीव की काफी सहायता की है और सरकार ने मालदीव को COVID-19 महामारी के बीच अपने 'संजीवनी अभियान' के तहत 6.2 टन आवश्यक औषधियाँ और 600 टन आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। मालदीव का भू-क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किमी. है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किमी. दक्षिण पश्चिम में 1,200 प्रवाल द्वीपों में विस्तृत है, हालाँकि इनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर निवास है। इन द्वीपों की औसत ऊँचाई लगभग एक मीटर है। उल्लेखनीय है यहाँ के लगभग 90 प्रतिशत रहने योग्य द्वीपों को पर्यटक रिसॉर्ट्स के रूप में विकसित किया गया है और शेष द्वीपों को कृषि अथवा अन्य आजीविका उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है। मालदीव की राजधानी माले है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।

अवनी दोशी

दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोशी (Avni Doshi) को उनके उपन्यास 'बर्नट शुगर' (Burnt Sugar) के लिये प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिये चुने गए 13 लेखकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं अवनी दोशी के अलावा इस सूची में दो बार बुकर पुरस्कार जीत चुकीं हिलेरी मेंटल (Hilary Mantel) को उनके उपन्यास 'द मिरर एंड द लाइट' (The Mirror and The Light) के लिये इस सूची में शामिल किया गया है। अवनी दोशी का जन्म वर्ष 1982 में अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) में हुआ था और वर्तमान में वे दुबई में रह रही हैं। बुकर पुरस्कार किसी विशिष्ट वर्ष के सर्वोत्तम अंग्रेज़ी उपन्यास को दिया जाता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम (UK) या आयरलैंड में होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में अंग्रेज़ी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। बीते वर्ष 2019 के लिये कनाडा की मार्गरेट एटवुड (Margaret Atwood) और ब्रिटेन की बर्नाडिन एवरिस्टो (Bernardine Evaristo) को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिये चुना गया था।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना: फर्ज़ी वेबसाइट्स संबंधी परामर्श

हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम (PM Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-PM-KUSUM) योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाली फर्ज़ी/झूठी वेबसाइटों के विरुद्ध नया परामर्श जारी किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों यह बात संज्ञान में आई थी कुछ वेबसाइट्स अवैध रूप से पीएम-कुसुम योजना के लिये पंजीकरण पोर्टल होने का दावा कर रही हैं। इन वेबसाइटों के पीछे मौजूद शरारती तत्व आम लोगों को धोखा दे रहे हैं और इन फर्ज़ी वेबसाइट्स के माध्यम से आम लोगों के डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन फर्ज़ी वेबसाइट्स को संचालित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मंत्रालय ने परामर्श जारी करते हुए कहा है कि सभी संभावित लाभार्थियों और आम जनता को इन वेबसाइट्स पर पैसा जमा करने या डेटा देने से बचना चाहिये। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के सभी लाभार्थियों को किसी भी कार्य के लिये आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करना चाहिये। ध्यातव्य है कि इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत मुख्य तौर पर कृषि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई तथा किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु की गई है।

बंदर कोयला खदान को आवंटन की सूची से बाहर किया गया

अपने एक हालिया निर्णय में कोयला मंत्रालय ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 {Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015} के तहत नीलामी के लिये उपलब्ध 41 कोयला खदानों की सूची से महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में स्थित बंदर कोयला खदान (Bander Coal Mine) को हटा दिया है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महाराष्ट्र की यह खदान ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) का हिस्सा है, इसलिये इसे नीलामी के लिये उपलब्ध सूची से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि बीते माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। यह नीलामी प्रक्रिया कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से की जा रही है। विदित हो कि कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिस्पर्द्धी बोली (Bidding) के आधार पर कोयला खानों का आवंटन करने के लिये सरकार को सशक्त बनाना है।

प्रीतम सिंह

भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह (Pritam Singh) को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। 43 वर्षीय प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी (Workers' Party) ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थीं, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया, इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जानकर बताते हैं कि सिंगापुर में 1950 और 1960 के दशक में भी विपक्ष के नेता के पद को औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई थी, जब देश में विपक्षी विधायकों की एक पर्याप्त संख्या मौजूद थी। सिंगापुर की संसद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 'एक नई शुरुआत के तौर पर प्रीतम सिंह संसद की नीतियों और विधेयकों आदि पर होने वाली संसदीय बहस में एक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करने में देश के संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्त्व करेंगे।

दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में घोषणा की है कि दिल्ली में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण लागू किये देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (Nitrogen Dioxide) के स्तर में 70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कई वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि खराब वायु गुणवत्ता, उच्च COVID-19 मृत्यु दर के साथ सहसंबद्ध (Correlated) है। शहरों की विशाल आबादी उन्हें विशेष तौर पर वायरस के प्रति संवेदनशील बना रही है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हालाँकि महामारी के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, किंतु यदि वायु प्रदूषण को रोकने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये एक नीतिगत हस्तक्षेप के बिना एक अर्थव्यवस्था को खोला जाता है तो यह गिरावट अस्थायी भी हो सकती है और हम एक बार फिर वायु प्रदूषण के स्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज करेंगे।

पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उड़ान योजना' (UDAN Scheme) के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर (उत्तराखंड) और गौचर के बीच हवाई संपर्क स्थापित हो जाएगा और इन स्थानों के बीच यात्रा में औसतन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ प्राप्त होगा। पवन हंस लिमिटेड (Pawan Hans Limited) इन हवाई मार्गों पर सप्ताह में तीन उड़ानें संचालित करेगा। आने वाले समय में देहरादून से रामनगर, पंतनगर, नैनीताल, अलमोड़ा, पिथौरागढ़ और मसूरी के लिये भी पवन हंस की हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। गौरतलब है कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा दे रही है, ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके।

नोट :

इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिये एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट को इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (Indo-Islamic Cultural Foundation) का नाम दिया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद के लिये रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गाँव में आवंटित पाँच एकड़ भूमि को स्वीकार कर लिया है। इस फाउंडेशन के अंतर्गत कुल 15 सदस्य होंगे। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई पाँच एकड़ ज़मीन पर एक मस्जिद, भारत-इस्लामी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिये दो केंद्र, एक धर्मार्थ अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ज़फर अहमद फारूकी, मस्जिद निर्माण के लिये गठित इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष होंगे। इससे पूर्व फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, राम मंदिर के निर्माण के लिये 15 सदस्यों वाले एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसे 'श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र' नाम दिया गया था।

'आश्रय' आइसोलेशन प्रणाली

वर्तमान कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों में तेज़ी से प्रसारित हो रही है और वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में संक्रमित रोगियों के लिये आवश्यक बिस्तर/बेड उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ऐसे में पुणे स्थिति डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (DIAT) ने COVID-19 महामारी से मुकाबला करने के लिये 'आश्रय' (Aashray) नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन प्रणाली विकसित की है, जो कि संक्रमित रोगियों द्वारा प्रसारित वायरस को रोकने/कम करने में मदद करेगी। यह COVID-19 से संक्रमित रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखने के लिये एक कम लागत और पुन: प्रयोज्य (Reusable) योग्य समाधान है। DIAT द्वारा विकसित यह उत्पाद डिज़ाइन के लिहाज़ से मॉड्यूलर और पोर्टेबल है तथा इसका प्रयोग विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे- संस्थागत, अस्पतालों और घर/व्यक्तिगत आइसोलेशन आदि के लिये किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक बेड, मेज़ और एक कुर्सी को रखने का स्थान दिया गया है। इस प्रणाली में 10 बेड की एक इकाई के सेटअप की कुल लागत 1 लाख रुपए और होम आइसोलेशन के लिये 15000 रुपए है।

महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने हेतु विधेयक

अमेरिकी कॉन्ग्रेस की विदेशी मामलों की एक समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.) की विरासत को बढ़ावा देने के लिये एक विधेयक पारित किया है। यह विधेयक महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्य एवं उनकी विरासत का अध्ययन करने के लिये अमेरिका और भारत के बीच एक विनिमय पहल स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक अमेरिका के विदेश विभाग को भारत सरकार के सहयोग से दोनों देशों के विद्वानों के लिये महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत पर केंद्रित एक वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने के लिये अधिकृत करता है। इसके अलावा इस विधेयक के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष समाधान को लेकर एक पेशेवर विकास प्रशिक्षण पहल विकसित करने की भी बात की गई है। साथ ही इस विधेयक में भारत के सहयोग से एक यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया गांधी-किंग डवलपमेंट फाउंडेशन (United States-India Gandhi-King Development Foundation) के गठन की भी बात की गई है।

रेन सोनम शेरिंग लेपचा

हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय संगीतकार रेन सोनम शेरिंग लेपचा (Ren Sonam Tshering Lepcha) का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस अवसर पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थ और उन्होंने महान लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिये सतत् रूप से उत्कृष्ट प्रयास किये।' उनकी अनगिनत उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान पीढ़ी-दर-पीढ़ी किया जाता रहा है। 3 जनवरी, 1928 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे सोनम शेरिंग लेपचा ने काफी कम उम्र में संगीत और नृत्य सीख लिया था। गौरतलब है कि वे 1960 में ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर लेप्चा गाने वाले पहले व्यक्ति थे और वे बीते चार दशकों में एक सफल सार्वजनिक कलाकार के रूप उभरे थे। उन्होंने लेप्चा गीतों की रचना और संकलन किया तथा लेप्चा संगीत वाद्ययंत्र पर शोध भी किया, और लेप्चा लोकगीतों पर आधारित नृत्य-नाटक प्रस्तुत किये, जो कि सिक्किम में खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में लेप्चा लोकगीतों पर आधारित किताब 'वोम जाट लिंग छायो' (Vom Jat Ling Chhyo) भी प्रकाशित की है। लेप्चा संगीत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया।

नोट :

'मार्स 2020' मिशन

हाल ही में नासा (NASA) ने मंगल ग्रह से संबंधित अपने 'मार्स 2020 पर्सीवरेंस रोवर मिशन' को लॉन्च कर दिया है, जो कि मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और ग्रह से एकत्रित नमूनों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करेगा। गौरतलब है कि यह मिशन नासा के सबसे महत्त्वकांक्षी और जटिल मिशनों में से एक है। नासा के इस मिशन का मुख्य लक्ष्य यदि मंगल ग्रह पर जीवन है तो उसके संकेतकों का पता लगाना है, इस कार्य के लिये पर्सीवरेंस रोवर नवीनतम तकनीक के माध्यम से मंगल ग्रह पर अपने लैंडिंग स्थल जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) का अध्ययन करेगा। नासा के इस मिशन की अवधि मंगल ग्रह के लगभग 1 वर्ष यानी पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होगा, इस प्रकार नासा का पर्सीवरेंस रोवर 30 जुलाई, 2020 को मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों मंगल ग्रह से संबंधी दो अन्य मिशन भी लॉन्च किये गए हैं, जिसमें पहला चीन का तियानवेन-1 (Tianwen-1) जो कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा, वहीं दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का 'होप मिशन' है, जो कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसके वातावरण का अध्ययन करेगा।

ADB की भारत को आर्थिक सहायता

हाल ही में बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) ने COVID-19 महामारी से मुकाबला करने हेतु भारत सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने हेतु अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष (Asia Pacific Disaster Response Fund) से 3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 22 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है। एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि भारत को दिया जा रहा यह अनुदान जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित होगा और इसको उपयोग भारत सरकार की COVID-19 प्रतिक्रिया को मज़बूत करने और इस महामारी से मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिये किया जाएगा। यह सहायता राशि भारत में संक्रमण की निगरानी को बढ़ाएगा और शुरुआती पहचान, कांटेक्ट ट्रेसिंग और उपचार में मदद करेगा। एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।

रजत भाटिया

हाल ही में घरेलू क्रिकेट के वरिष्ठ खिलाड़ी और ऑल राउंडर रजत भाटिया (Rajat Bhatia) ने अपने लगभग 2 दशक लंबे प्रथम श्रेणी के कैरियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ध्यातव्य है कि रजत भाटिया ने वर्ष 1999-2000 के सीज़न में तमिलनाडु के साथ खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसके लगभग दो वर्ष पश्चात् वे अपनी घरेलू टीम दिल्ली चले गए और उत्तराखंड की टीम में जाने से पूर्व वर्ष 2015 तक उन्होंने दिल्ली के लिये खेला। विदित हो कि रजत भाटिया ने आखिरी बार वर्ष 2019 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी मैच खेला था। वर्ष 2018-19 सत्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 175 की औसत से 700 रन बनाए। इसके अलावा रजत भाटिया इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी कई टीमों की ओर से खेल चुके हैं, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान और पुणे शामिल हैं। सन्यास की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए।